राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 4] ग्यारहवीं विधान सभा के चौथे सत्र का अट्ठाईसवां दिवस [संख्या : 15

बुधवार ;

19 अप्रेल, 2000

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन जयपुर में प्रारम्भ हुई

(श्री परसराम मदेरणा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : श्री गोपाराम मेघवाल।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 5 अप्रेल, 2000)

जिला बाड़मेर के ग्रामीण क्षेत्रों में गोचर/सरकारी भूमि पर अतिक्रमण

93. **श्री गोपाराम मेघवाल** (सिवाना) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि गत दस वर्षों में जिला बाड़मेर के ग्रामीण क्षेत्रों में कई व्यक्तियों ने गोचर/सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करके कब्जे किये हैं ? यदि हां, तो अब तक सरकार द्वारा इनके विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गयी ? अतिक्रमण-कर्ताओं की संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार शहरी क्षेत्रों में कच्ची बस्तियों के नियमन करने की तरह ग्रामीण क्षेत्रों की गोचर/सरकारी भूमि पर लोगों द्वारा किये गये अतिक्रमणों/कब्जों का नियमन करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्रीमती कमला) : (1) जी हां। अतिक्रमियों के विरुद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही की जाकर नियमानुसार भौतिक रूप से बेदखली की कार्यवाही की जाती रही है वह जुर्माना आरोपित कर वसूल किया जा रहा है। जिला बाड़मेर में अतिक्रमण के मामलों का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र. सं.	विवरण	सिवाय चक भूमि		चरागाह भूमि	
		कृषि	आवासीय	कृषि	आवासीय
1.	पिछले 10 वर्षों में हुए अतिक्रमणों की संख्या	8639	1880	280	3574
2.	अतिक्रमियों की बेदखली	8344	1398	272	1676

अतिक्रमण के 279 मामलों में अतिक्रमियों को सजा दी गई। कुल 67727 बीघा सिवाय

(श्रीमती कमला)

चक भूमि पर तथा 3539 बीघा चरागाह भूमि पर अतिक्रमण था। इन अतिक्रमियों पर रुपये 6040617/– जुर्माना आरोपित किया गया।

(2) ग्रामीण क्षेत्रों में अधिसूचना दिनांक 29.8.98 के द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्र में अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम, 1992 में संशोधन कर दिनांक 1.1.94 तक, चरागाह, नाडी, जोहड़, तालाब, आगौर, खलिहान, सड़क, रास्ते, श्मशान/कब्रिस्तान की भूमि को छोड़कर किये गये अतिक्रमणों को नियमन करने का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत अकृषि कार्यों हेतु अतिक्रमण का नियमितिकरण भी किया जाता है। राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 1.4.94 के अंतर्गत कृषि कार्य हेतु किये गये अतिक्रमणों को राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम, 1970 के नियम 20 के तहत नियमितिकरण किया जाता है बशर्ते अतिक्रमण चरागाह में 1970 से पहले का तथा अन्य 15.7.84 से पूर्व का हो। बाड़मेर, मरूस्थलीय जिलों में एक हैक्टेयर से अधिक कृषि भूमि आवंटन एवं नियमितिकरण पर पाबंदी है।

श्री गोपाराम मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जिन लोगों ने पिछले 10 सालों से गोचर भूमि पर अपने पक्के मकान बना लिये हैं, क्या सरकार उन मकानों को गिरायेगी या उनको नियमित पट्टे दिये जायेंगे? यह मैं जानना चाहता हूं।

दूसरा, जो भूमिहीन लोग हैं और उन्होंने सरकारी भूमि पर, काश्तकारी भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है, क्या भूमिहीन लोगों को सरकार उन जमीनों को नियमित करने की इच्छा रखती है? यह भी मैं जानना चाहता हूं।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, मैंने पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि जिस श्रेणी की भूमि है और जिस प्रयोजन के लिए अतिक्रमण किया गया है उसके नियम बने हुए हैं और उन नियमों के अन्तर्गत जितने मामलों में सजा दी गयी हैं उनसे वसूली की गयी है या उनके खिलाफ कार्यवाही के नोटिस दिये गये हैं वह सारा मैंने आपको निवेदन किया है। बाकी जो रह रहे हैं वे भी इन्हीं नियमों के अंतर्गत जो कृषि कार्य के लिए आप अतिक्रमण की बात करेंगे तो ज़िला उप कलेक्टर, जिनको हम एस.डी.ओ. कहते हैं, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी हुई है, उस कमेटी में माननीय विधायक भी हैं, प्रधान भी हैं, बी. डी. ओ. भी हैं, तहसीलदार भी हैं और अन्य प्रतिनिधि भी हैं। उनके तहत जो बैठक होगी, उसके जरिये से इनका नियमितिकरण किया जाता है कृषि प्रयोजन हेतु। बाकी जो अकृषि कार्य के लिए नियमन है वह काम्पीटेंट अथोरिटी जिनको तय किया हुआ है, वह इसको करने में सक्षम हैं। तो यह कार्यवाही निरंतर चालू है। जिस तरह की केटेगिरी है उस तरह की केटेगरी में वह कार्यवाही की जाती रहेगी।

श्री गोपाराम मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र सिवाना

(श्री गोपाराम मेघवाल)

और समदड़ी कस्बे के अन्दर भू-माफिया द्वारा लगातार सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया जा रहा है, क्या सरकार उन अतिक्रमणों को हटाने की कार्यवाही करेगी? यदि करेगी तो कब तक करेगी? यह मैं जानना चाहूंगा।

श्रीमती कमला : यह आपने विशेष सवाल पूछा है इसलिए उस विशेष क्षेत्र में कितने अतिक्रमण हैं और किस नेचर के हैं और क्या किया जा सकता है, अभी इसका जवाब देना सम्भव नहीं है। लेकिन जो मैंने एक सीमा बतायी है, अपने डी. पी. ए. पी. एरियाज की उससे अधिक अगर है तो जो कार्यवाही आपको मैंने बतायी है उसके तहत होगा। इसके अलावा मैं आपको यह भी बताना चाहती हूं कि हमारे माननीय सदस्यों की तरफ से, जन-प्रतिनिधियों की तरफ से बराबर यह मांग आती रही है कि डी. पी. ए. पी. एरिया में आपने जो पाबंदी लगा रखी है लोग अतिक्रमण करके तो जमीन ले रहे हैं लेकिन आप कायदे में उसको आवंटित नहीं कर रहे हैं। तो अभी एक बैठक मैंने सभी संबंधित अधिकारियों और जन-प्रतिनिधियों की ली थी, माननीय विधायक भी हमारे वहां पधारे थे, उसमें यह तय किया गया कि काजरी ने और एक स्पेशलिस्ट कमेटी ने इन जमीनों का सर्वे करके केटेगरीज बनायी है कि केटेगरी वन से फोर तक ऐसी जमीनें हैं जो काश्त काबिल हैं और जिनको आवंटित किया जाना चाहिए। इसलिए वह आदेश हम थोड़े समय में जारी करेंगे। उसके तहत जितनी भी इस तरह की स्थितियां हैं उनको तो हम रेगुलराइज करेंगे ही उसके अलावा जो उससे बाहर आती हैं उनको भी नियमों के अन्तर्गत सजा देंगे या उनसे वसूली करेंगे या बेदखली करेंगे, जैसा भी होगा करेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्द जैन।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : अध्यक्ष महोदय, गोचर, चरागाह, नाड़ी, जोहड़, तालाब, आगौर, रास्ते, श्मशान, कब्रिस्तान, ये जितनी भी भूमि हैं इन पर नाजायज जो कब्जा किया गया है, अतिक्रमण किया गया है, जरूर जुर्माना हुआ है, कुछ जेल में भी गये हैं। परन्तु अभी तक भी वे कब्जा करते आ रहे हैं, काश्त करते आ रहे हैं उनका अतिक्रमण हटाया नहीं गया है। तो इन अतिक्रमणों को हटाये जाने की कार्यवाही कब तक सम्पन्न करेंगे? यह मैं जानना चाहता हूं।

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, माह मई और जून में सारे राजस्व अमले को यह पाबंद किया गया है और उनको चिट्ठियां भी जारी की गयी हैं, परिपत्र भेजे गये हैं और समय निर्धारित किया गया है कि अप्रेल महीने में वे सारी ऐसी जमीनों को आइडेंटिफाई कर लें कि जहां आवंटन किया जा सकता है और जहां पर अतिक्रमण हैं उनको भी उसी प्रकार से आईडेंटिफाई कर लें और आवंटन के लिए उद्घोषणा जारी करनी पड़ती है उनका भी कायदे कानून के तहत में प्रफोर्मा तैयार कर लें और एक मई से 30 जून तक आवंटन भी होगा, नियमितिकरण भी होगा

(श्रीमती कमला)

और उसके साथ में जो इस तरह से अतिक्रमण हुए हैं उनको भी हटाने की कार्यवाही की जाएगी। ये इन दो महीनों में हमने इस बात को निर्धारित किया है।

श्री अध्यक्ष : श्री गोवर्द्धन कल्ला।

श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) : अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय ने जैसे बताया कि कैटेगराइज कर रहे हैं कि एक से चार का नियमन करेंगे और बाकी जमीन को नहीं करेंगे तो मेहरबानी करके यह केटेगराइजेशन जो होगा वह ठीक नहीं है. और जहां भी डी.डी.पी. जिलों में जो आवंटन है, सब केटेगरी की जमीन का आवंटन किया जाए, ऐसा मेरा निवेदन है।

श्री देवीलाल बैरवा (शाहपुरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उन्होंने जमीन पर अतिक्रमण कर रखा है उस जमीन का काश्तकार को अलाटमेंट करें और वह अतिक्रमी उस जमीन का कब्जा नहीं छोड़ते। हासिल तो जिसके नाम अलाट हुई वह भर रहा है, और जमीन पर काश्त अतिक्रमी कर रहे हैं इसकी भी व्यवस्था करें। तो वह गरीब आदमी है जिसको अलाटमेंट किया जा सके और उसकी हासिल वह गरीब आदमी देता है और काश्त अतिक्रमी लेते हैं। ऐसे केस कम से कम हजारों राजस्थान में हैं। तो उसकी भी कोई व्यवस्था करो। जिस आदमी के नाम अलाट हो गयी वह हासिल भर रहा है और अतिक्रमण करने वाले उनको बोने नहीं देते और वह जमीन में बो देते हैं तो वापस उस पर फसल बो देते हैं। फसल बो देवें, और वह फसल बो देवें तो जबरदस्ती काटकर ले जायें, थाने में कार्यवाही करें तो कोई उनकी सुनवाई नहीं, उनकी भी आप व्यवस्था करायें।

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूराम।

श्री नाथूराम (किशनगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि राजा-महाराजाओं की जमीन किसानों ने खरीद ली और वह जमीन आज बेनाम है। वह 10 सालों से नहीं, 20 सालों से काबिज हैं, उसका कनेक्शन है बिजली का, आज जमीन को बेनाम कर दी। सरकार उसको किसान के नाम वापस करना चाहती है या नहीं और हां, तो कब तक करेगी, यह बताने का कष्ट करें।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, शाहपुरा भीलवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि जुर्माना अदा करने के बाद भी काबू में नहीं आते हैं तो इसके लिए सजा का प्रावधान भी है। तीन माह से लेकर तीन वर्ष तक सजा कराने का प्रावधान है और उसका हमने प्रयोग भी किया है।

जहां तक शिव से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, जो केटेगरी आपने बताई है, उसके बाहर भी आप करेंगे कि नहीं? हमने यह तय किया है कि पहले एक से चार की केटेगरी को हम इन दो महीनों के अन्दर नियमितीकरण का और आवंटन की कार्यवाही कर लें, उसके बाद में क्या स्थिति

(श्रीमती कमला)

बनती है कि वास्तव में कितनी जमीन बचती है और जो बचती है, वह जमीन दरअसल में काबिल काश्त है या नहीं है तो उसकी वापस रिपोर्ट लेकर और फिर दुबारा से इस बारे में सलाह करके किया जायेगा।

तीसरा मुद्दा माननीय सदस्यों ने बताया था, किसने क्या बोला था......

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूराम जी ने बोला था।

श्रीमती कमला : हां, राजा-महाराजाओं और जागीर की जो जमीनें हैं, उनके बारे में अभी मैंने एक प्रस्ताव तैयार किया है कि सीलिंग में आई हुई जमीनें, कायदा तो यह है कि सीलिंग और जागीर की जमीनें हैं, वह भारहीन होकर राज्य सरकार को सौंपी जाए लेकिन सीलिंग में जो कृषक हैं, उन्होंने भी और जागीर और राजा-महाराजाओं ने भी बहुत सी जमीनें सरकार को ज्यादातर ऐसी सौंपी जो भारहीन नहीं थी। या तो कृषकों को बेची हुई थी या कृषक उसके ऊपर काबिज थे और आज हजारों-हजारों की तादाद में इस तरह के मुकदमें अदालतों में चल रहे हैं और बहुत बड़े पैमाने पर काश्तकार इस मामलें में दुखी भी हैं तो इसलिए इस संबंध में कुछ पहले के सर्कुलर जारी हैं लेकिन वह थोड़े अपर्याप्त हैं। उनको किस प्रकार से क्रियाशील बनाया जाए और जो राजा-महाराजाओं और जागीरदारों की जमीनें हैं, उन पर काश्तकार काबिज हों, उनको किस तरह से व्यवस्था की जाए, इस बाबत मंत्रिमण्डल के लिए ज्ञापन तैयार किया जा रहा है और हम कोशिश कर रहे हैं कि यह समस्या हल की जाए।

श्री अध्यक्ष : श्री भाटी।

श्री नाथूराम : अध्यक्ष महोदय, जो राजा-महाराजाओं और जागीर की जमीनों पर काश्त करते आ रहे थे, उन्होंने उस जमीन पर लोन ले लिया था.....

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि राज्य सरकार की ओर से यह उत्तर में बताया गया कि जिन काश्तकारों ने अतिक्रमण किया, उनको तो विभिन्न स्तर पर सजा दे दी गई। मेरा यह मंत्री महोदय से पूछना है, क्या ये बताएंगी कि तहसीलदार जो इससे संबंधित है या उसका अधीनस्थ है, ऐसे कितने अधिकारी-कर्मचारियों को सजा दी गई उसके कम्पेरिजन में, जितना आपने काश्तकारों को तहसीलदार या दूसरे माध्यम से सजा सुनाई है।

श्री अमीन खान : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे एक निवेदन है, केटेगरी एक से चार क्या है, यह जरा मंत्री महोदय खुलासा करें।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य खुद कमेटी में बैठे हैं और पूरी चर्चा इसके ऊपर हुई है और वह केटेगरी एक से चार तक, वह जमीन उन्होंने

(श्रीमती कमला)

आइडेंटिफाई की है। जिस जमीन में अगर खेती कराई जाएगी तो उस टोफोग्राफी को कोई नुकसान नहीं होगा या उस क्षेत्र पर जो आज भौगोलिक स्थिति है और उसका जो स्ट्राटा है, उसके कारण से कोई इसको डिस्टर्बेन्स नहीं होगा या उसमें खेती करने की स्थिति है या बहुत बड़े-बड़े टीबे हैं या किसी और तरह की इस तरह की बाधाएं हैं तो उनको उन्होंने काश्त काबिल नहीं माना है। वह सारी चर्चाएं उनके सामने ही हुई थीं और उसके बाद में यह तय किया गया कि प्रथम अवस्था में एक से चार तक की केटेगरी को खुला करते हैं। उसमें आप आवंटन करा सकते हैं, नियमितीकरण करा सकते हैं। उसके बाद में जो बाकी की केटेगरी उन्होंने आइडेंटिफाई की हैं, उनका हम विश्लेषण करेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुवीर सिंह।

श्री नाथूराम : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न में यह था ....

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। यह ग्रामीणों से जुड़ा हुआ प्रश्न है। उन भोले-भाले किसानों को सजा दी जा रही है और जो इससे संबंधित हैं, जिनकी जिम्मेदारी है, जो तहसीलदार है या पटवारी है, गिरदावर है, उनके लिए आप कभी भी प्रयास नहीं करते कि उनको सजा की जाए और कठघड़े में खड़ा किया जाए। यह कहां का न्याय है। आप काश्तकार को तो सजा दें और.... (व्यवधान)

डा. रघुवीर सिंह (सराड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा ब्लाक लेवल पर कमेटियां बनी हुई हैं, अलाटमेंट कमेटियां। कमेटी एक बार अलाट कर देती है जमीन को, उसके बाद में 6-6 महीने तक, साल-साल भर तक पटवारियों द्वारा कब्जे नहीं संभलाये जाते हैं। ऐसी जो घटनाएं आती हैं उसके बारे में क्या टाइम बाउंड आप प्रोग्राम तय करेंगे ? दूसरा, कमेटी ने एक बार अलाटमेंट कर दिया तो क्या उस अलाटमेंट को एस.डी.ओ. इम्पावर्ड है क्या कि उस अलाटमेंट को निरस्त करके दूसरा अलाटमेंट शो कर दे ? अगर ऐसा हुआ है तो आप क्या करेंगे ?

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, एस. डी.ओ. को ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि कमेटी ने जो जमीन आवंटित की है, नियमितीकरण की है, उनको निरस्त कर सके। उसके लिए कमेटी की बैठक वापस ही होनी होती है। दूसरा, आपने कहा कि आवंटन हो जाता है लेकिन कब्जों के लिए वर्षों लग जाते हैं और कई बार वह कब्जा होता नहीं है और फिर किसी और साल में जाकर वह किसी और को आवंटन हो जाता है तो इसके प्रतिबन्ध के लिए हमने यह तय किया है कि आवंटन कमेटी है, जहां तक जो सरकारी सम्पत्ति है, सरकारी स्कूल है या दवाखानें हैं या और कोई सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जो संस्थाएं बनी हुई हैं या काम हैं उसके लिए हम उनको उसी समय आवंटन करने की और कब्जा दिलाने की कार्यवाही कर दें जिससे कि उस संबंध में तो कम से कम कोई देरी नहीं

(श्रीमती कमला)

हो और बहुत से खेल मैदानों में इस तरह की स्थिति सामने आई है, इस प्रकार से नियमन के मामले भी इस प्रकार से करने का सोच रहे हैं। अभी यह व्यवस्था नहीं है और आप सही कह रहे हैं कि इस तरह के मामले वर्षों तक पड़े रहते हैं, फिर उनमें कुछ कार्यवाही हो भी नहीं पाती है। दुबारा मीटिंग आती रहती है, तिबारा मीटिंग आती रहती है तो इसके पुख्ता प्रभावी निराकरण के लिए हम व्यवस्था कर रहे हैं और जो मई जून से पहले कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायणजी।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मेरा आरोप है कि सरकार ऐसे अधिकारियों के इस व्यवस्था के बिगाड़ के लिए बचाव में लगी रहती है।

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायणजी।

श्रीमती कमला : माननीय सदस्य महोदय, न तो आप भोले हैं, न आज की दुनिया में और कोई भोला है। जिन लोगों ने अतिक्रमण किये हैं, वह जानते बूझते किये हैं कि सरकारी जमीन है......

श्री देवीसिंह भाटी : उसके लिए व्यवस्था हो। तहसीलदार है, पटवारी है, गिरदावर है।

श्रीमती कमला : आप इतनी चिंता कर रहे हो कि पटवारी, गिरदावर, उनको क्यों नहीं सजा दी गई ? वह सजा देने के लिए आज जो प्रक्रिया मौजूद है, उस प्रक्रिया में जब वह नोटिस में आता है, उस वक्त वह नोटिस थमाते हैं, 15 दिन के अन्दर नहीं हटता है तो फिर उसके खिलाफ अगली कार्यवाही करते हैं तो जब तक वह नोटिस जारी नहीं होता है, पकड़े जाने की जो प्रभावी प्रक्रिया होनी चाहिए, उसकी कमी है इसलिए अधिकारी कर्मचारी नहीं पकड़े जा रहे हैं और उसका हम रास्ता खोज रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : रामनारायणजी।

श्री रामनारायण विश्नोई (फलौदी) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि मरुस्थलीय जिलों में नियमन के लिए जो लिमिट रखी गई है, वह एक हैक्टेयर तक रखी गई है। क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि मरुस्थलीय जिलों के अन्दर जबकि काश्तकार लोग 15-15, 20-20 सालों से काश्त करते आ रहे थे। उनके विरूद्ध में अतिक्रमण के मुकदमें चले हैं, उन्होंने जुर्माना भरा है और आज तक भी काबिज हैं। उन्हीं के पड़ौस के अन्दर जो काश्तकार सीलिंग सीमा तक अतिक्रमण किये हुए हैं, उनका नियमन किया जा रहा है और मरुस्थलीय जिलों के अन्दर नियमन नहीं करने का, केवल एक हैक्टेयर तक करने का क्या कारण है और इसका क्या औचित्य है ?

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, जो पाबंदी लगी हुई है और जो नियम बने हुए हैं, सरकारी आदेश निकले हुए हैं, उसके खिलाफ अगर कोई भी कहीं पर हरकत करेगा तो नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही तो

(श्रीमती कमला)

की जायेगी इसलिए उस कार्यवाही से वह प्रभावित हुए हैं, कोई द्वेषवश नहीं हुए हैं लेकिन वह नियम बने हुए हैं और उसके तहत में रोका गया है और रोका इसलिए गया था यह सन् 1976 की शायद बात है जब यह पाबंदी लगी थी और उस समय में यह सोचकर, भारत सरकार की तरफ से एक इस तरह की टीम आई थी, उन्होंने कुछ देखा और यह सुझाव दिया कि आप अभी मरुस्थलीय क्षेत्रों के अन्दर जमीन आवंटन करेंगे तो इस जमीन से ऊपर का स्ट्राटा सारा खराब होगा और यह जमीन फिर और ज्यादा मरुस्थलीय बनेगी। इसलिए आप इसको अभी आवंटन की दृष्टि से अगर रोकें तो अच्छा रहेगा और उसी संदर्भ में राज्य सरकार ने उस वक्त यह पाबंदी लगा दी। अभी इतने समय के बाद में जो अनुभव हुआ और माननीय सदस्यों के भी प्रतिवेदन आये, उन्होंने भी तकाजे किये और उसकी फिर जांच भी कराई, कमेटी भी बैठी और उस कमेटी ने अभी यह कहा है कि अभी आप इस कैटेगरी तक के जो इलाके हैं उनको आप खोल लें, उसके बाद में हम देखेंगे कि अगली कैटेगरी के लिए भी क्या कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री संयम लोढ़ा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, यह आपने जांच कमेटी बैठाई है, इसकी रिपोर्ट कब आई है।

श्रीमती कमला : जांच कमेटी काजरी है और एक स्पेशलिस्ट कमेटी है जिसने कि यह रिपोर्ट दी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कब दी है ?

श्रीमती कमला : तो वह मेरे पास अभी नहीं है क्योंकि यह सवाल उससे संबंधित नहीं था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इसलिए कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय......

श्रीमती कमला : नहीं-नहीं, यह रिपोर्ट मेरे पास अभी इसलिए नहीं है कि यह सवाल अतिक्रमण का है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, वह सही है।

श्रीमती कमला : अगर भूमि आवंटन की जाय मरुस्थलीय क्षेत्र में और क्यों नहीं की जा रही है, तो वह मैं लेकर आती।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं, यह सही है जो माननीय मंत्रीजी ने कहा कि डेजर्ट डवलपमेंट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत, यही नाम होगा शायद, डी.डी.पी. के अन्तर्गत भारत सरकार की टीम ने इस प्रकार की भूमि का आवंटन नहीं किया जाय, इस प्रकार के निर्देश दिये। अब दुर्भाग्य से यह हुआ, पाली डिस्ट्रिक्ट की मुझे जानकारी है, पाली डिस्ट्रिक्ट में उस समय से लोगों ने उस जमीन पर कब्जा किया, कब्जा करके मकान बना लिये, कुए बना लिये, हर साल उनको नोटिस मिलता है सेक्शन 91 के अन्तर्गत,

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कई बार जेल में जाते हैं, जुर्माना भी देते हैं और फिर जुर्माना क्योंकि उनकी सम्पत्ति वहां बन गई है, इस आधार पर इस कमेटी ने जांच की और जांच करने के बाद में कहा कि इस प्रकार की भूमि का आवंटन किया जा सकता है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि वह रिपोर्ट आपके पास हो या नहीं हो, उस रिपोर्ट के आधार पर बहुत काश्तकार हैं जो जेल में जाते हैं, जुर्माना देते हैं और जमीन छोड़ने को मजबूर नहीं हैं, मजबूर वह इसलिए हैं कि उनकी सम्पत्ति, कुए बना लिये, खेती कर रहे हैं, घर बना लिये हैं, उन लोगों को जमीन पर अधिकार मिल जाय, इस संबंध में किसी प्रकार की जल्दी से जल्दी व्यवस्था करा दें।

श्रीमती कमला : यह जो कमेटी का मैं जिक्र कर रही हूं इसने तो यह रिपोर्ट दी है कि भाई इन एरियाज में तो कम से कम छूट दे दो, तो उसके तहत छूट दे रहे हैं, बाकी एरियाज में भी कितनी छूट की जरूरत पड़ेगी, वह उसके बाद में एक महीने, दो महीने का जो यह अलाटमेंट और नियमिती-करण का केम्पेन चलेगा, उसके बाद में कुछ नोटिस में जो आयेगा उसके हिसाब से फिर और कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन 428.

राज्य में प्लास्टिक की थैलियां खाने से मवेशियों की मृत्यु

428. **श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही) एवं **श्री रामस्वरूप** (टोडाभीम) : क्या राज्य मंत्री, पशुपालन यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राज्य में प्लास्टिक की थैलियां खाकर काफी संख्या में मवेशियों की मृत्यु आये दिन हो रही है ? यदि हां, तो इसकी रोकथाम हेतु सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि पोलिथिन की थैली मवेशी के आमाशय में जाकर चिपक जाती है तथा उसकी मृत्यु के बाद काफी मात्रा में आमाशय से प्लास्टिक की थैलियों का ढेर निकलता है ? यदि हां, तो आमाशय में थैलियां ना चिपके इस हेतु सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ऐसा कोई उपाय कर रही है जिससे उक्त मवेशी इन थैलियों से नहीं मरें ? यदि हां, तो क्या एवं कब तक ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में वर्ष 1997-2000 तक कितने मवेशी इस घटना से मौत के शिकार हो चुके हैं ?

(5) क्या सरकार ऐसी कोई दवा का निर्माण करने का विचार रखती है जिससे उक्त थैली का प्रभाव पशुओं पर नहीं पड़े ? यदि हां, तो कब तक ?

राज्य मंत्री, पशुपालन (श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : (1) विभाग के पास पोस्टमार्टम हेतु लाये गये पशुओं के पोस्टमार्टम से कुछ मवेशियों का प्लास्टिक की थैलियां व अन्य वस्तुएं जैसे कील, जूते, चमड़ा आदि खाने से मृत्यु होना पाया गया है। इसकी रोकथाम हेतु जनचेतना शिविर, पशुपालक

(श्री हरिसिंह)

गोष्ठी आदि में पशुपालकों को पशुओं को खुले नहीं छोड़ने के लिए सलाह दी जाती है। इसी प्रकार संबंधित नगरपालिका, नगरपरिषद एवं नगर निगम द्वारा प्लास्टिक की थैली का उपयोग कम करने एवं बंद करने संबंधी अनुरोध भी किया जाता है।

(2) जी नहीं। पोलिथिन की थैली मवेशियों के आमाशय में जाकर चिपकती नहीं है, बल्कि यह अन्य समान के साथ आमाशय में इकट्टी होती रहती है। प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग रोकने एवं पशुओं को खुला न छोड़ने के बारे में विभाग द्वारा पशुपालकों को समय-समय पर पशुपालक गोष्ठी, जनचेतना शिविर आयोजित कर समझाया जाता है।

(3) मवेशियों को प्लास्टिक की थैलियां एवं अन्य सामान खाने से रोकने के लिए पशुपालकों में जागृति उत्पन्न करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(4) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में वर्ष 1997-2000 तक मवेशियों के मरने सम्बन्धी सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(5) जी नहीं।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से दो-तीन सवालों पर और जानकारी चाहता हूं। माननीय मंत्री महोदय ने बताया है कि इस तरह मरे पशुओं का विभाग ने पोस्टमार्टम किया है। मैं एक जानकारी तो यह चाहता हूं कि वह यह बताने की कृपा करें कि राज्य में इस तरह हुए पोस्टमार्टम का रिकार्ड क्या है। दूसरा, माननीय मंत्री महोदय ने यह जवाब दिया है कि नगर निगम, नगर परिषद, नगरपालिकाओं ने इस संबंध में अनुरोध किया है तो मैं यह जानकारी चाहता हूं कि इन स्थानीय निकायों ने कब-कब इस संबंध में अनुरोध किया है, इसकी रिपोर्ट सदन के पटल पर रखें। तीसरा, आपने पशुपालकों को समझाया है कि वे पशुओं को खुला न छोड़ें, वह खुला नहीं छोड़ेंगे तो वह चरेंगे कैसे, और इस चराई के दौरान प्रत्येक पशु के साथ तो पशुपालक नहीं रह सकता क्योंकि हर पशुपालक के पास काफी संख्या में पशु होते हैं तो जनचेतना अभियान के जरिये आप पशु-पालकों को तो समझा सकते हैं पर पशुओं में वह चेतना पैदा नहीं की जा सकती। तो इस तकलीफ का निवारण कैसे होगा? और क्या राज्य सरकार इन मूक पशुओं की दारुण पीड़ा को देखते हुए प्लास्टिक की इन थैलियों पर प्रतिबंध लगाने का विचार रखती है?

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पहला आपका प्रश्न यह है कि पोस्टमार्टम का क्या रिकार्ड है, इस संबंध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पोस्टमार्टम के लिए पशु जो लाये जाते हैं उन्हीं का हम पोस्टमार्टम करते हैं, सभी मृतक पशुओं का पोस्टमार्टम करने का तो हमारे यहां कोई प्रावधान नहीं है। जिन पशुओं का पोस्टमार्टम का रिकार्ड हमारे पास में है उनका रिकार्ड इस प्रकार से है कि चूरू में तीन पशुओं का हुआ, गत वर्ष की बता रहा हूं 1999-2000

(श्री हरिसिंह)

की, भीलवाड़ा में सात पशुओं का हुआ, अजमेर में 121 पशुओं का हुआ, जैसलमेर में 14 पशुओं का हुआ, बांसवाड़ा में 63 पशुओं का हुआ, भरतपुर में दो पशुओं का हुआ, बारां में 11 पशुओं का हुआ, बीकानेर में 12 पशुओं का हुआ। यह रिकार्ड है जो पोस्टमार्टम हमने किए हैं उनका। और जगह नहीं हुए। मैंने निवेदन किया न कि जो पोस्टमार्टम के लिए यहां लाये जाते हैं वहीं उसका पोस्टमार्टम होता है, यह कोई आवश्यक नहीं है कि हर मृतक पशु का पोस्टमार्टम हो। तीसरा आपने सवाल पूछा कि स्थानीय निकाय के संबंध में क्या रिकार्ड है तो स्थानीय निकायों ने कहां-कहां, कितने-कितने, कब-कब शिविर लगाये, उसका रिकार्ड हमारे पशुपालन विभाग में नहीं है। यह तो अखबारों में निकलता रहता है। आम, एक चेतना जागृत हो रही है प्लास्टिक के उपयोग के खिलाफ। यह बात सही है कि प्लास्टिक का उपयोग आज बहुत ही खतरनाक साबित होता चला जा रहा है और प्लास्टिक का उपयोग न केवल पशुओं के लिए खतरनाक है बल्कि प्लास्टिक के उपयोग से तो जो ड्रेनेज हैं स्थानीय निकायों की, वह भी बंद होती जा रही है और पानी रूक जाता है। इसलिए इसके संबंध में तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की तरफ से काफी चेतना की जा रही है। हमारी तरफ से जो इसमें पशुपालकों के लिए हमने चेतना जागृत करने का प्रयास किया है उसके संबंध में निवेदन करूं कि हमने पिछले साल में, मान्यवर, जो पशु शिविर हमने आयोजित किये हैं, आयोजित गोष्ठी और चेतना शिविर हमने 18254 गोष्ठियां आयोजित की हैं और 18254 ही चेतना शिविर आयोजित किये हैं क्योंकि एक ही जगह पर यह दोनों काम किये जाते हैं। और तीसरा, पशुपालन निदेशालय ने जो अपने शिविर लगाये हैं जहां कि हम ट्रीटमेंट भी करते हैं और लोगों को समझाते हैं, वह हमने 15049 गत वर्ष के अंदर अपने शिविर आयोजित किए हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जनचेतना शिविरों में पशु कितने आये ?

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : इस प्रश्न का उत्तर देना बहुत मुश्किल काम है कि जनचेतना शिविर में कितने पशु आये, कितने नहीं आये। इस सवाल का जवाब देना अत्यन्त कठिन कार्य है। तीसरा है, चराई के संबंध में, तो मैं आपसे निवेदन यह कर रहा था कि जो पशु खुला हुआ जाता है जंगल में, वह ही प्लास्टिक की थैलियां वगैरह खा सकता है, अपने घर पर जो पशु बंधा हुआ है वह प्लास्टिक की थैलियां नहीं खा पायेगा इसलिए कोशिश, प्रयास, यही होना चाहिए कि खुला हुआ पशु नहीं जाय, आवारा पशु ज्यादा घूमते हैं इसलिए इसके संबंध में चेतना ही जाग्रत कर सकते हैं हम और यह जाग्रत कर रहे हैं और बहुत ही पैमाने के साथ जाग्रत कर रहे हैं।

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक जानकारी चाही है कि क्या राज्य सरकार इन प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध लगाने का विचार रखती है ? इसका जवाब नहीं आया है....(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप प्रतिबंध क्यों नहीं लगा रहे...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि मंत्री महोदय, क्या आप यह बतायेंगे कि आपने....(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, मेरे पूरक प्रश्न का उत्तर भी नहीं मिला है कि क्या राज्य सरकार इन प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध लगाने का विचार रखती है ?

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : मैं आपके दोनों के प्रश्नों का उत्तर दूंगा, पहले आपको पूछ लेने दीजिये। आपको पूछ लेने दीजिये। हां।

श्री संयम लोढ़ा : क्या राज्य सरकार इन प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध लगाने का विचार रखती है, मैं यह जानना चाहता हूं आपसे।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : नहीं, यह तो एक चल रहा है, पशुपालन विभाग से संबंधित नहीं है यह।

श्री संयम लोढ़ा : आपने ही फरमाया कि इससे ड्रेनेज रूक जाती है और दूसरे कई नुकसान हैं.....

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के सामने विचाराधीन मसले चलते चले आ रहे हैं, काफी दिन से चल रहा है यह काम, हमारे डिपार्टमेंट में हम कोई कानून बनाकर के इन प्लास्टिक की थैलियों के ऊपर पर पाबंदी नहीं लगा पा रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी बैठे हैं, मैंने 10 दिन पहले भी आपसे निवेदन किया था कि प्लास्टिक की थैलियों से भारी नुकसान हो रहा है, जानवर भी मर रहे हैं। और जैसा आपने कहा कि ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत इससे प्रभावित हो रहा है। कोई व्यवस्था आप कर सकें कि इनका उपयोग राजस्थान में नहीं हो उस सम्बन्ध में आपने विचार किया होगा। यदि विचार किया है तो उसकी जानकारी दें।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : आपका भी 8 साल का अनुभव है। 8 साल का अपना अनुभव बता दें इस संबंध में।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब आप यह तो होने दो।

श्री संयम लोढ़ा : पशु मर रहे हैं चौधरी साहब 8 साल का अनुभव है तो क्या हुआ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 8 साल का अनुभव है लेकिन आपने कभी विधान सभा में यह मामला नहीं उठाया।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्लास्टिक की थैलियों और प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने का कई राज्यों ने फैसला किया है। कुछ राज्यों में लगा भी है। यह बहुत ही गम्भीर समस्या भी है और गम्भीर विषय भी है क्योंकि एक तरफ प्रतिबंध लगाते भी हैं तो दूसरा पहलू यह भी है कि जंगल कटेंगे कागज बनने के लिए और थैलियां बनने के

(श्री अशोक गहलोत)

लिए तो उससे भी पर्यावरण संतुलन बिगड़ेगा। दोनों पक्ष हमारे सामने हैं। फिर भी सरकार इस पर गम्भीरता से विचार कर रही है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री हरजीराम बुरड़क।

बीसलपुर बांध के केचमेन्ट एरिया में एनीकट निर्माण पर रोक

429. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि बीसलपुर बांध बनाने की स्वीकृति के समय इसके केचमेन्ट एरिया में एनीकट बनाने की मनाही थी ? यदि हां, तो उक्त एरिये में एनीकट कैसे और क्यों बनाये गये ?

(2) उक्त केचमेन्ट एरिया में कौन-कौन से जिलों का कितना-कितना क्षेत्र है और उसमें कहां-कहां पर एनीकट बनाये गये हैं ?

(3) क्या सरकार की सहमति से एनीकट बने हैं ? यदि हां, तो सहमति किस स्तर से क्यों दी गई और नहीं, तो विभाग ने क्या कार्यवाही की ?

(4) क्या एनीकट बनाने से भराव क्षमता पर असर पड़ा है ? यदि हां, तो किस सीमा तक और नहीं, तो पूर्व में एनीकट बनाने पर मनाही क्यों की गई ?

सिंचाई मंत्री (श्रीमती कमला) : (1) जी नहीं, बीसलपुर बांध के निर्माण की स्वीकृति वर्ष 1986 में दी गई एवं उस समय उसके केचमेन्ट में एनीकट बनाने की मनाही नहीं थी। वर्ष 1989 में इस प्रकार की पाबंदी लगाई गई थी।

(2) बीसलपुर जल ग्रहण क्षेत्र में उदयपुर, राजसमन्द, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर एवं टोंक जिलों का क्रमशः 2045, 4264, 6675, 9691, 4620, 431 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आता है। सिंचाई विभाग द्वारा जिलेवार निर्मित एनीकटों का विवरण परिशिष्ट "अ" सदन के पटल पर रख दिया गया है। इनमें से अधिकतर 1989 से पूर्व के बने हुए एनीकट हैं।

(3) जी हां। राज्य सरकार के निर्देशानुसार आदेश क्रमांक एफ–1(2)सिंचाई/एम. एण्ड के/पार्ट-II दिनांक 28.5.94 के अन्तर्गत बीसलपुर बांध के केचमेंट में 2 मीटर तक की ऊंचाई के एनीकट बनाने की स्वीकृति प्रदान की थी। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण/राहत विभाग द्वारा स्वीकृति जारी करने पर ही निर्माण किया गया।

(4) जी हां। आंशिक रूप से अर्थात् बीसलपुर बांध की भराव क्षमता की तुलना में यह प्रभाव नगण्य है।

(विवरण की प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री हरजीराम बुरड़क : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो जवाब पहले भेजा है

(श्री हरजीराम बुरड़क)

मेरे पास उसमें, और जो यहां पढ़ा है, उसमें फर्क है।

श्रीमती कमला : नहीं एकाध लाइन है।

श्री हरजीराम बुरड़क : एक मिनट। पहले जो जवाब भेजा है उसमें प्रश्न के भाग-1 में कहा है कि जी नहीं, तो इस एक को तीन के साथ अगर पढ़े तो यह उत्तर बिल्कुल गलत है। अगर प्रतिबन्ध नहीं था तो 28.5.1994 को बीसलपुर बांध के केचमेंट में दो मीटर ऊंचाई के बांध बनाने की स्वीकृति प्रदान की तो यह स्वीकृति प्रदान करने की कहां जरूरत थी। दूसरा आपने भाग-4 में यह कहा है कि आंशिक रूप से बीसलपुर बांध की भराव क्षमता की तुलना में नगण्य प्रभाव पड़ा है तो इस बात का आपने आंकलन कराया कि कितना इन एनीकटों के बनने से भराव क्षमता में प्रभाव पड़ा। आपने जो सूची दी है उसके हिसाब से करीब 400 एनीकट दो मीटर के ऊंचाई के क्षेत्र में बन गये हैं। तो मेरे हिसाब से भराव क्षमता में भारी अन्तर पड़ा है। इसके अलावा आपकी जो मूल योजना थी, जब 1986 में आपने यह बांध बनाना शुरू किया या स्वीकृति प्रदान की, उस समय इस पानी का उपयोग सिंचाई के लिए करना था या पीने के पानी के लिए? और इस बांध की क्षमता को देखते हुए जो योजना आपने उस समय बनाई थी उसमें मेरे हिसाब से पानी पीने की योजनाएं जो आज आपने इसमें रखी हैं,-वे उसमें नहीं थी। तो मेरे पूछने का मतलब यह है कि भराव क्षमता में कमी हो गयी यह आपने माना। किस सीमा तक यह हुई है यह आपने नहीं बताया लेकिन अब आप बता दें। और जो इसकी क्षमता का 1986 में आपने आंकलन किया था उसमें पानी का उपयोग आप किस प्रकार से कितना लेना चाहते थे और आज कितना ले रहे हैं इसका आप जवाब दे दें।

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पहले तो माननीय सदस्य से क्षमा चाहती हूं कि कुछ शब्द मैंने इसमें देखने के बाद कोई रिपीटीशन था इसलिए काटा है, कुछ आपको स्पष्टीकरण के लिए मैंने जोड़ कर बोला है। मैंने इसमें पूरी तरह से स्पष्ट किया है कि जब 1986 में बांध का प्रोजेक्ट तैयार हुआ, बांध का काम शुरू होने से पहले उस वक्त तक कोई प्रतिबंध नहीं था और उस समय में जो एनीकट बने उसके बाद में दो मीटर तक का जो आदेश हुआ उसमें दो मीटर तक के बने हैं तो यह जो सूची माननीय सदस्य को दी गई है इस सूची में वे सभी एनीकट हैं जो 1986 के पहले के भी होंगे। और 1986 के व 1989 के बीच के पीरियड के भी होंगे और दो मीटर की जो इजाजत मिली उसके तहत के भी हैं। इसलिए जो इतनी लम्बी सूची आपको दिखा रहे हैं वह प्रोजेक्ट की स्वीकृति के बाद ही सारे बने ऐसी स्थिति नहीं है। अधिकांश एनीकट पहले अकाल में या ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत बने हुए हैं दूसरा, जो आपने कहा कि जो आंशिक प्रभाव पड़ा है वह मैं आपको इस तरह से बता सकती हूं कि

(श्रीमती कमला)

बांध की कुल भराव क्षमता 38700 एम.सी. एफ.टी. है और इन एनीकटों की टोटल भराव क्षमता 337.61 एम.सी.एफ.टी. है। यानी कुल भराव क्षमता का यह सिर्फ .87% है जो 1% भी नहीं होता। तो इसलिए इस तरह की कोई विशेष स्थिति नहीं है। आज जो 306 तक बांध का भराव है वह तो सारा का सारा पी.एच.ई.डी. के लिए रिजर्व है और 306 से ऊपर जो भराव होगा वह सिंचाई के लिए सुरक्षित है, इसलिए इसमें सिंचाई और जलदाय योजनाएं दोनों के लिए ही निर्धारण किया हुआ है।

श्री हरजीराम बुरड़क : अध्यक्ष महोदय, आपने यह बताया है कि इसमें भराव क्षमता का कोई खास अन्तर नहीं पड़ा तो फिर 1989 में आपने इस पर प्रतिबंध क्यों लगाया ? एनीकट जब सारे पहले बन चुके थे तो 1989 में प्रतिबंध लगाने के क्या कारण थे ?

श्रीमती कमला : कारण यह था कि अगर हम प्रतिबंध नहीं लगाते तो दो फीट से ऊंचाई के एनीकट बन सकते थे और उससे सब्सटेंशियल फर्क पड़ सकता था बांध के अन्दर।

श्री हरजीराम बुरड़क : नहीं, इसमें तो आपने जब 1989 तक प्रतिबंध नहीं लगाया, आपने अभी कहा कि 1989 तक बहुत से बन चुके थे तो क्या वे दो मीटर से ऊंचे बने ?

श्रीमती कमला : हां ऊंचे ही थे।

श्री हरजीराम बुरड़क : तो फिर आपने यह कैसे कहा कि दो मीटर तक ही बने ? अध्यक्ष महोदय, सवाल यह नहीं है...

श्रीमती कमला : नहीं मैंने कहा कि जो 1994 में आदेश जारी हुए वह दो मीटर तक का है उससे पहले कोई पाबंदी इस तरह की नहीं थी कि दो मीटर का हो या 4 मीटर का हो।

श्री हरजीराम बुरड़क : नहीं, पाबंदी लगाने की जरूरत कहां पड़ी जब इससे भराव क्षमता पर असर ही नहीं पड़ता।

श्रीमती कमला : मैं आपको स्पष्ट कर रही हूं कि अगर सरकार यह पाबंदी नहीं लगाती तो ऊंचाई तक के एनीकट भी बन सकते थे जिससे कि भराव क्षमता में सब्सटेंशियल असर पड़ता इसलिए पाबंदी लगानी पड़ी।

श्री हरजीराम बुरड़क : अध्यक्ष महोदय, सवाल यह नहीं है सवाल यह है कि इस बांध में एनीकट पहले नहीं बने थे और यह रोक लगी हुई थी बाद में जब यहां हाउस में एक भाभड़ा समिति का गठन हुआ, पानी की व्यवस्था के लिए। आप भी उस समय मौजूद थे। आप भी उसमें मैंबर थे। उस समिति ने यह रिपोर्ट दी कि इस केचमेंट एरिया में एनिकट बनाये जा सकते हैं जब कि उस समिति का यह सब्जैक्ट नहीं था उसके बाद में इन्होंने बनाने की अनुमति दी है। दूसरा मेरा यह सवाल था कि उस समय आपने जो पानी का आकलन किया पीने के पानी का, उस समय क्या था और आज क्या है ? आज जयपुर को पानी दे रहे हैं,

(श्री हरजीराम बुरड़क)

अजमेर को दे रहे हैं और सब जगह दे रहे हैं फिर पानी लाएंगे कहां से जब इतनी बड़ी परियोजना पर जयपुर में पानी लाने के लिए खर्चा कर रहे हैं। मेरा सवाल सीधा सा है कि उस क्षमता का पानी आपके पास होगा कि नहीं, जब कि आप जयपुर को पानी देंगे उस बांध में उतना पानी होगा कि नहीं क्या इस बात को आपने सुनिश्चित किया है ?

श्री लक्ष्मण सिंह रावत (भीम) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदया से पूछना चाहता हूं कि उदयपुर, राजसमन्द, चित्तौड़, भीलवाड़ा और अजमेर के किसानो के हितों पर कुठाराघात करके बीसलपुर बांध बनाया गया लेकिन चूंकि अजमेर जिले और अब जयपुर के पेयजल का प्रश्न था, इसलिए वहां के किसानों ने इस चीज को सहन भी किया। लेकिन पांच जिलों के किसानों का नुकसान करके क्या सरकार टोंक जिले के किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराना उचित समझती है ? और क्या इसी चीज को दृष्टिगोचर रखते हुए सरकार दो मीटर का एनीकट बनाने का जो यह रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, उसे हटाने पर विचार करेगी ?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, एक बहुत ही पेचीदा विषय इन चार-पांच जिलो के लिए आ गया था और हाउस में भी इस पर बहुत चर्चा हुई। इस रेस्ट्रिक्शन के कारण से इस क्षेत्र में पीने के पानी की जो कमी महसूस हो रही है आज की तारीख में उसका एक बहुत बड़ा कारण यह भी रहा। मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रतिवर्ष इस बीसलपुर बांध में कितनी मिट्टी का भराव जमा हो जाता है ? जितनी मिट्टी प्रतिवर्ष जमा होती है कम से कम उतने पानी की छूट तो हर साल बढ़ा ही सकते हैं जितनी मिट्टी उसमें जमा हो जाती है। तब तो जाकर यह तीनो-चारों जिले पानी से मोहताज होने से बच जायेंगे नहीं तो इस बीसलपुर बांध के कारण से स्थिति इतनी भयानक होगी कि यह चारों-पांचों जिले तबाह हो जायेंगे। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि प्रतिवर्ष कितनी मिट्टी बह कर इस बांध में आती है ? क्या जितनी मिट्टी बह कर आती है उतनी क्षमता का पानी रोकने के लिये आप छूट देंगे ?

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सही बात है कि इस मुद्दे पर दोनों तरफ के पक्षों की बहुत प्रभावी दलीलें हैं और वह सही भी हैं और व्यावहारिक भी हैं। बांध के बनने के कारण से इन सारे जिलो में पानी की किल्लत पैदा हो गई और जगह-जगह कहीं पानी नहीं रूकने के कारण वहां के सारे के सारे जलवायु पर या वैजिटेशन पर प्रभाव पड़ा है, वाटर लेवल पर भी प्रभाव पड़ा, लोगों के पीने के पानी की समस्याएं भी आने लगीं। उसी संदर्भ में इस सदन में भी पिछले वक्त में काफी चर्चाएं हुई और बहुत से जिलों की तरफ से रिप्रजेन्टेशन भी आये कि हमें अपने क्षेत्रों को भी आबाद रखने के लिये कम से कम कोई व्यवस्था होनी चाहिये। उसी को दृष्टिगत रखते हुए 1994 में संभवतः सरकार

(श्रीमती कमला)

ने यह आदेश जारी किये। दूसरी तरफ एक दलील इन जिलों की यह भी आई है कि जब मैंने इन तमाम डिविजन की मीटिंग ली थी, उनका यह कहना है कि हमारे पर जो पाबन्दी लगी है हमें जितना जल इस पाबंदी से पहले हमारे उन एनिकट्स में, बांधों में आता था चूंकि आज वहां सिल्टिंग हो गई है, उतना नहीं आ पा रहा है तो जो आना था और जो हमारा हक था। उसके पेटे कम से कम उतने एनिकट हमें बनाने की इजाजत दी जाय जिसको कि हमने सर्वेक्षण करवाया। ज़हां तक जयपुर, ब्यावर, अजमेर, टोंक को पानी देने का सवाल है उनका इस बीसलपुर से पार भी नहीं पड़ने वाली। आखिर में चम्बल पर जाना ही पड़ेगा और उस योजना को माननीय पी.एच.ई.डी. मंत्री महोदय तैयार भी करवा रहे हैं, मेरी ऐसी जानकारी है। इसलिए चम्बल के पानी से ही अजमेर, ब्यावर, जयपुर की पेयजल समस्या का निदान करना पड़ेगा। लेकिन जब तक वह नहीं होता है हमने यह 306 मीटर तक के लेवल का पी.एच.ई.डी. के लिये रिजर्व कर रखा है बाकी ऊपर जो पानी आ रहा है वह हमने टोंक क्षेत्र के सिंचाई के लिए रखा हुआ है। साथ में हम यह भी कोशिश कर रहे हैं कि जो हम और बांध बना रहे हैं उसमें भी पी.एच.ई.डी. की तरफ से पानी रिजर्व करवाया जा रहा है, कानोता का बांध है, दूसरे हैं। इसलिए फिलहाल जो पेयजल की समस्या है वह प्राथमिकता में है इसलिए उसको करना है। जो पानी बाद में बचेगा वह पानी हम सिंचाई के लिए दे रहे हैं इसमें कहीं कोई दूसरी बात नहीं है।

श्री हरजीराम बुरड़क : अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय मंत्री महोदय ने जवाब दिया है कि जयपुर की जनता को इस बांध से पानी पिलाने का....

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो सवाल पूछा वह यह था कि प्रतिवर्ष जितनी सिल्टिंग होती है, जितनी मिट्टी जमा होती है कम से कम उतने नये बांध बनाने या एनिकट बनाने की छूट देने की राज्य सरकार की मंशा है या नहीं ?

श्रीमती कमला : मैंने आपसे जिक्र किया अभी कि उसको हम एनेलाइज कर रहे हैं, उसके लिये कुछ विश्लेषण जारी हैं।

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि सी. डब्ल्यू. सी. (सेंट्रल वाटर कमीशन) और सर्वे और इन्वेस्टीगेशन डिपार्टमेंट ने जब बसीलपुर बांध का सर्वे किया उस वक्त यह स्पष्ट किया था कि इसके केचमेन्ट में कोई एनिकट निर्माण नहीं कराये जायेंगे क्योंकि पानी की भराव क्षमता पर असर पड़ेगा। उसके बाद भाभड़ा कमेटी का निर्माण हुआ, वह किस कारण से हुआ यह सब जानते हैं। मैं पूछना चाहूंगा कि वह निर्माण होने से उस केचमेंट एरिया में जो एनिकट बने हैं और आपके क्षेत्र जमवारामगढ़ का जो बांध है उसमें भी करीब 128 एनिकट बने हुए हैं और तत्कालीन सरकार ने उनको तुड़वाया था कि वह केचमेंट एरिया में आते हैं, जमवारामगढ़ का बांध

(श्री दिग्विजय सिंह)

खाली रहता है इसलिए तुड़वा दिये गये। बेसिकली, प्रिंसीपली किसी भी बड़े प्रोजेक्ट में, केचमेंट एरिया में कोई एनिकट का निर्माण नहीं किया जा सकता।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : क्या आप इसको उचित समझते हैं कि पांच जिलों में तो किसान प्रभावित होते रहें, पांच जिलों के किसान सिंचाई सुविधा से वंचित रहें और आप सिर्फ टौंक जिले को यह सुविधा उपलब्ध करवाना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : प्रोजेक्ट के पीछे जो भावना होती है वह यह होती है कि ज्यादा से ज्यादा पानी का उपयोग हो। प्रोजेक्ट के पीछे यह भावना नहीं होती है कि नौ जिलों को तो भूखा मार दो और एक को......(व्यवधान) प्रोजेक्ट को बनाने के पीछे यह भावना है कि ज्यादा से ज्यादा जनता को लाभ मिले।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, 8 जिलों के किसानों पर कुठाराघात कर के उनको सिंचाई सुविधा से वंचित कर के आप सिर्फ टौंक जिले में सिंचाई करना चाहते हैं। (व्यवधान) आप पेयजल सुविधा उपलब्ध करवायें, किसने मना किया है। अजमेर और जयपुर के पेयजल के लिये हम मना नहीं करते हैं। (व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया कि इसमें पेयजल का भी हिस्सा निर्धारित है। भीलवाड़ा जिले का सर्वाधिक क्षेत्र इससे प्रभावित है और सबसे ज्यादा केचमेंट एरिया भीलवाड़ा जिले का है। वहां पर कई पुराने एनिकट और तालाब बने हुए थे और अधूरे थे और तत्कालीन सिंचाई मंत्री और पूर्व मुख्य मंत्री श्री शेखावत साहब से हम लोग मिले थे। उन्होंने इस बात को महसूस किया था कि यह इलाका जहां एनिकट तालाब पहले बने हुए हैं और केचमेंट में काफी सिल्टिंग हो गया, सिल्ट जमा होने से पानी की जितनी क्षमता है वह उसमें उपयोग नहीं हो पा रही है। ऐसी स्थिति में उस समय अनुमति दी गई थी जो पुरानी योजनाएं थीं। अब जैसा बताया जा रहा है कि पेयजल के लिये भी निर्धारित किया जा रहा है तो मैं जानना चाहूंगा भीलवाड़ा जिले का जो सर्वाधिक पानी और हिस्सा उसमें है वह पेयजल के लिये भीलवाड़ा जिले में क्या निर्धारित किया गया है ? दूसरा, जयपुर अजमेर की समस्या उससे समाधान हो नहीं सकती। ईसरदा का बांध या चम्बल के लिये कई योजनाएं पहले भी चली थीं, सुखाड़िया साहब के टाइम पर भी चली थीं, रामप्रसाद जी सिंचाई मंत्री थे तब भी चली थीं, वह योजनाएं आज की आवश्यकता को देखते हुए आवश्यक है और इस खातिर जयपुर, अजमेर, टौंक जिले को लेकर यह समस्या बार-बार सामने आती है। भीलवाड़ा जिले की जनता यह कभी बर्दाश्त नहीं करेगी कि वहां का पानी निकल रहा है और वहां न एनिकट बने, न पानी की योजनाएं बनें, हर तरह से वहां बाधा डालने से वहां का किसान आन्दोलित है। इस सम्बन्ध में पिछली विधान सभा में तत्कालीन टौंक के जो एम. एल. ए. थे उनके और मेरे

(श्री रतन लाल ताम्बी)

बीच में काफी लम्बा विवाद भी हुआ था। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं इस सारे मामले को नये सिरे से विचार कर के जिन क्षेत्रों का पानी सर्वाधिक उसमें आ रहा है, वहां की जनता प्रभावित न हो इस बात को देखा जाना चाहिये। पेयजल के लिये भी उन जिलों के हिस्से को निर्धारित कर के इस समस्या का समाधान करना चाहिये। वरना जैसे भाखड़ा और पंजाब के झगड़े चल रहें हैं वैसे जिलों-जिलों में झगड़े चालू हो जायेंगे, ऐसे हालात वहां बनते जा रहे हैं।

श्री रमजान खान : अजमेर जिले की पेयजल समस्या के लिये ही बीसलपुर बांध बना था ना कि जयपुर की पेयजल की समस्या के लिये। अजमेर की पेयजल समस्या का समाधान हो नहीं रहा है और अब आप जयपुर को पानी देने की बात करते हैं। कभी टौंक को पानी देने की बात करते हैं।

श्री अध्यक्ष : आपको मैंने अनुमति नहीं दी है। आप बैठिए।

श्री रमजान खान : अध्यक्ष महोदय, यह बीसलपुर बांध केवल अजमेर जिले के लिये ही बनाया गया था।

डा. के. सी. चौधरी (ब्यावर) : अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ एक चीज जानना चाहूंगा जैसा माननीय मंत्री जी ने अभी बताया था कि 306 मीटर तक पानी रिजर्व है पी. एच. ई. डी. के लिये। इस आने वाली गर्मी में अजमेर जिले की समस्या को देखते हुए 306 मीटर तक तो आप सिंचाई विभाग को पानी नहीं देंगे ? यह मेरा प्रश्न है।

श्री रमजान खान : आज भी टौंक जिले को चार-चार मोटरें लगा कर पानी दिया जा रहा है और वहां का जल स्तर 300 मीटर तक पहुंच गया है आप कह रही हैं कि 306 मीटर तक है। आज भी सिंचाई के लिये पानी जा रहा है, रात और दिन पानी बह रहा है।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, 306 से ऊपर अगर आधा मीटर, पौन मीटर पानी है तो वह सिंचाई के लिये दिया जाना अधिकृत है। 306 मीटर तक का पानी हम कहीं भी नहीं दे रहे हैं और 306 में से जितना जलदाय विभाग को चाहिये उतना हम देते रहेंगे लेकिन जयपुर को देने के लिये जो पानी 306 में है वह कितने वर्ष बाद चलेगा, उस हिसाब से हम इस बात को भी सोच रहे हैं कि जब तक उसका उपयोग नहीं हो उस वक्त तक हम इसका दूसरा उपयोग भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री ललित भाटी।

जिला अजमेर के पंजीकृत देवालयों का निरीक्षण

430. **श्री ललित भाटी** (अजमेर; पूर्व) : क्या देवस्थान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री ललित भाटी)

(1) जिला अजमेर में कितने मंदिर देवस्थान कानून के तहत कब से पंजीकृत हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) गत तीन वर्षों में किस स्तर के अधिकारी द्वारा किस-किस देवालय का निरीक्षण किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) निरीक्षण किये गये देवालयों के सम्बन्ध में कौनसी शिकायतें प्राप्त हुई और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

(4) क्या कुछ के मूल स्वरूप में रद्दो-बदल किया गया है ? यदि हां, तो किस-किस स्थान में क्या-क्या परिवर्तन किया गया ? क्या परिवर्तन के लिए पूर्व में अनुमति प्राप्त की गई ? यदि हां, तो किससे ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, देवस्थान (श्रीमती इंदिरा मायाराम) : (1) अजमेर जिले में राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम, 1959 के तहत 15.4.63 से 31.3.2000 तक 238 प्रन्यास पंजीकृत हैं। सूची परिशिष्ट-1 सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) गत तीन वर्षों में जिन-जिन अधिकारियों ने अजमेर जिले में पंजीकृत प्रन्यासों का निरीक्षण किया, उसकी सूची परिशिष्ट-2 सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) निरीक्षण किये गये स्थानों के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतें व उनके सम्बन्ध में की गई कार्यवाही, परिशिष्ट-3 संलग्न है।

(4) जी हां।

1. श्री गुरू सिंह सभा हाथी भाटा प्रन्यास, अजमेर द्वारा गुरूद्वारा, पुष्कर का सम्पूर्ण पुनर्निर्माण किया जा रहा है। निर्माण कार्य वर्तमान में भी चालू है। जिला कलेक्टर, अजमेर ने आदेश क्र. न्याय/99/5190-96 दिनांक 18.5.99 द्वारा इस निर्माण कार्य की स्वीकृति दी। स्वीकृति की प्रति परिशिष्ट-4 सदन की मेज पर रख दी गई है।

2. जगत गुरू श्री निम्बाकाचार्य श्री जी महाराज अ. भा. श्री निम्बाकाचार्य पीठ सलेमाबाद जिला अजमेर के द्वारा परसराम द्वारा ब्रह्माघाट पुष्कर जिला अजमेर का सम्पूर्ण पुनर्निर्माण कार्य किया जा रहा है। जिसकी स्वीकृति जिला कलेक्टर, अजमेर ने अपने पत्र क्र. न्याय/97/17947-53 दिनांक 26.12.97 द्वारा प्रदान की जा चुकी है। प्रति परिशिष्ट-5 सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री ललित भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से यह जानना चाह रहा हूं कि आपने सिर्फ दो देवालयों की सम्पत्ति में मूल स्वरूप बदलने के अन्दर या निर्माण कार्य करने की स्वीकृति की बात कही है। मेरी जानकारी में आर्य समाज शिक्षा समाज, अजमेर श्री गुरू नानक एजुकेशन सोसाइटी हाथी भाटा, अजमेर,

(श्री ललित भाटी)

मंदिर लक्ष्मीनारायण जी नवीन पट्टीकटला, अजमेर, यह तो सिर्फ तीन मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं बाकी 238 में ऐसे बहुत सारे हैं इनमें भी व्यावसायिक उपयोग हेतु इनके स्वरूप के अन्दर निर्माण कराया जा रहा है उसकी परमीशन किससे ली गई ?

श्रीमती इंदिरा मायाराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदस्य को बताना चाहती हूं कि हमारे पास जो जानकारी है उसके अनुसार इनमें कार्य किया जा रहा है, इसके अलावा हमारे पास में कोई कार्य करने की शिकायत भी प्राप्त नहीं हुई है, न हमारे निरीक्षण के तहत इस प्रकार की कोई जानकारी मिली है।

श्री ललित भाटी : अध्यक्ष महोदय, आपको शिकायत प्राप्त होने पर ही देवस्थान के अधिकारी काम करेंगे ? जो 238 का यहां पर परिशिष्ट रखा गया है, और जो मैंने पूछा कि निरीक्षण कब-कब किया गया, अध्यक्ष महोदय, आप थोड़ा अवलोकन करें। पिछले 3 साल की मैंने बात की है। 238 में से 14 देवालय स्थानों को इन्होंने जाकर देखा है तीन साल में, उसमें से भी 1998 में सिर्फ 2 और 1999 में 12, तो अगर इस तरीके से देवस्थान विभाग के अधिकारी काम करेंगे, और कुछ लोग, जिस तरीके से मैंने पूछा कि शिकायतें प्राप्त हुई हैं, आप उसके परिशिष्ट-3 में देखें। एक तो सबसे बड़ी शिकायत है हिन्दुओं की आस्था का सर्वोच्च स्थल है, ब्रह्मा मन्दिर। उस ब्रह्मा मन्दिर की सम्पत्ति के बारे में महंत के खिलाफ शिकायत है कि यह जवाहरातों को कहीं दर्ज नहीं करते, सम्पत्तियों को बेच रहा है, ट्रस्टियों की मीटिंग नहीं कर रहे हैं। इस तरीके से किशनगढ़ की जो बालाजी की बगीची है, उसका अपना बहुत बड़ा महत्व है। वहां बड़ा प्रसिद्ध मेला भी भरता है, उसमें लाखों रुपये का लेन-देन हो रहा है। और कहीं नहीं जा रहा है, मतलब शिकायतें मिल रही हैं और इसमें एक देवयोग समझ लें या दुर्योग समझ लें, इनकी सबकी पेशी इसी महीने की 27 तारीख को पड़ रही है जितनों की शिकायत है। तो यह संयोग मेरे समझ के बाहर है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरीके की शिकायतें और उनका व्यावसायिक उपयोग, जिस तरीके से देवालय सम्पत्तियों का किया जा रहा है जो मैन बाजार के अन्दर हैं, आज यह कार्य समाज शिक्षा संस्था की बात जो मैंने आपसे कही है मुख्य बाजार के अन्दर, अजमेर के अन्दर स्थित है। स्कूल चलाने का काम इसका है, मगर व्यावसायिक उपयोग की दुकान सड़क के बाहर बनाई जा रही है जो वह नियम विरूद्ध है। न ही नगर परिषद से नक्शा पास है। तो इस तरीके से अगर इन सम्पत्तियों का दुरूपयोग होता रहेगा और उसमें कुछ लोगों के स्वार्थ साधे जाएंगे तो उसका उत्तर, आखिर सरकार अपनी क्या निगहबानी करना चाहती है, सरकार अपना क्या रवैया स्पष्ट करना चाहती है ?

श्रीमती इंदिरा मायाराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी मैंने आपको बताया

(श्रीमती इंदिरा मायाराम)

कि जो आपने यहां पूछा गुरूसिंह और ब्रह्मा मन्दिर के, इनकी शिकायतों की जांच हमारे असिस्टेंट कमिश्नर साहब के यहां चल रही है, क्योंकि वह न्यायालय का मामला होता है, इसमें हमारे जो सहायक कमिश्नर हैं उनको न्यायालय के अधिकार हैं, तो वहां पर यह मामला चल रहा है। क्योंकि वह पार्टी उपस्थित नहीं हो रही थी, इसलिये एक तरफा फैसला करके, 27 को जैसा आप स्वयं बता रहे हैं, इसको सुनवाई के लिये रख दिया गया है।

श्री ललित भाटी : मंत्री महोदया, इससे पहले तो आपने कहा कि इसकी मुझे जानकारी नहीं है। अभी इससे पहले आपने कहा कार्यवाही......(व्यवधान)

श्रीमती इंदिरा मायाराम : यह तो मैंने कहा। यह मामला चल रहा है, आप दूसरा जो मामला बोल रहे हैं उनके लिये मैंने कहा है। (व्यवधान) मैंने बोला यह मामले तो शिकायतों पर चल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : ब्रह्मा मन्दिर का उल्लेख तो परिशिष्ट-3 में दिया हुआ है।

श्री ललित भाटी : अध्यक्ष महोदय, परिशिष्ट-3 के अन्दर मैंने जो जिक्र किया है वह नहीं है। मैंने उदाहरण के रूप में दिया है वह परिशिष्ट-3 के अन्दर नहीं है। और इसके अलावा भी कई ऐसी सम्पत्तियां जिनको लेकर समाज के अन्दर दो धड़े बन गये हैं और न्यायालय के अन्दर भी इस तरीके से केस चल रहे हैं, मार पिटाई हो रही है। देवालयों की सम्पत्ति अधिकारियों के पुनर्निरीक्षण नहीं करने से, निरीक्षण नहीं करने से समाज के अन्दर इस तरीके के बंटवारे हो रहे हैं। अगर देवालय के अधिकारी भी अपनी मुस्तैदी के साथ में कर्तव्य का निर्वहन करें तो समाज भी बंटने से बचेगा। आप उनके ऊपर क्या जिम्मेदारी फिक्स करना चाहते हैं, यह बताइये।

श्रीमती इंदिरा मायाराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताया कि 238 प्रन्यास पंजीकृत हैं। हमारे यहां जिनके बारे में शिकायत हैं और जांच हो रही है उनकी मैंने आपको जानकारी दी। अब आप यह कह रहे हैं कि और जगह भी हो रहा है तो आप मेरे को जानकारी दीजियेगा, शिकायत दीजियेगा, मुझे बताइये मैं जरूर उनकी जांच करूंगी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री जगमाल सिंह यादव। (व्यवधान)

अलवर, जयपुर, भरतपुर जिलों में अवाप्त भूमि के बदले क्रय की जाने वाली भूमि के पंजीकरण शुल्क में रियायत

431. **श्री जगमाल सिंह यादव** (तिजारा) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) सार्वजनिक मकसद से राज्य सरकार द्वारा अवाप्त शुदा भूमि जो किसान द्वारा स्वेच्छा से राज्य हित में नहीं दी जाती है, की राशि से अगर राजस्थान में वही किसान कहीं भूमि क्रय करता है तो क्या राज्य

(श्री जगमाल सिंह यादव)

सरकार स्टाम्प ड्यूटी एवं रजिस्ट्रेशन शुल्क माफ करने का विचार रखती है ?

(2) क्या यह सही है कि गत 5 वर्षों से देश एवं प्रदेश में मंदी का दौर है जिससे भूमि की कीमत भी कम हुई है फिर भी राज्य सरकार अलवर, जयपुर एवं भरतपुर जिलों में हर वर्ष भूमि की कीमत बढ़ी मानकर स्टाम्प ड्यूटी बढ़ाए जा रही है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रद्युम्न सिंह) : (1) जी नहीं।

(2) गत 5 वर्षों से देश व राजस्थान प्रदेश में मंदी का दौर होने तथा उससे भूमि की दर नीचे आने का कथन आंशिक रूप से सही है। मंदी के कारण जिलों के सभी क्षेत्रों की भूमि की कीमत में गिरावट नहीं आई है। कई स्थानों पर भूमि की कीमतों में वृद्धि भी हुई है।

भूमि की दरें जिला स्तरीय समिति द्वारा तय की जाती हैं।

श्री जगमाल सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, एक तो आपने प्रश्न नम्बर दो के जवाब में बताया कि जिले के सभी स्थानों पर भूमि की कीमत कम नहीं हुई हैं बढ़ी हैं। तो अलवर, भरतपुर, जयपुर इन तीनों जिलों में कौन-कौनसे सब रजिस्ट्रार कार्यालय हैं जहां गत 5 साल में भूमि की कीमतें बढ़ी हैं ?

दूसरा, आपने कहा कि डी. एल. सी. रेट तय करती है तो क्या डी. एल. सी. राजस्थान की एजेन्सी नहीं है ? जो डी. एल. सी. रेट तय करती है, जैसे कि जयपुर की एम. आई. रोड की जमीन के रेट कुछ हो सकते हैं, खातीपुरा में कुछ हो सकते हैं, झोटवाड़ा में कुछ हो सकते हैं। वह करती हैं कि जो भी किस्म भूमि की होती है बारानी हो या सिंचित, समस्त गांव को यूनिट मानकर रेट तय कर देते हैं जबकि बहुत सी जमीन ऐसी होती हैं किसी भी गांव में जो यूनिट मानते हैं जहां कटे-फटे नाले हों, उबड़-खाबड़ हो, तो क्या यह डी. एल. सी. जो रेट तय करती है वह फार्मूला गलत नहीं है ?

तीसरी बात, क्वेश्चन का आपने जो पहला जवाब दिया है बिन्दु एक का, मैं यह पूछना चाहता हूं कि जब किसान के सार्वजनिक हित के लिये आप भूमि एक्वायर करते हैं तो किसान को लैण्ड एक्विजीशन एक्ट के तहत आप बाध्य करते हैं, यह राज्य हित में भूमि दी जाये। और उसकी मर्जी का मुआवजा भी नहीं मिलता है। हरियाणा से आज से 10 साल पहले यह सिस्टम लागू कर दिया था कि राज्य हित में अगर किसी किसान की भूमि उसकी मर्जी के खिलाफ अवाप्त की जाएगी तो अवाप्ति में पैसे मिलेंगे, जो राशि मिलेगी, हरियाणा में किसी भी जगह अगर वह भूमि क्रय करेगा, चूंकि उसने अपनी मर्जी से नहीं दी है, चूंकि उसको उसकी मर्जी से रेट नहीं मिलेगा, इसलिये हरियाणा सरकार ने एक कानून बनाया कि उस अवाप्तशुदा भूमि की राशि से वह हरियाणा में किसी भी जगह अगर जमीन खरीदेगा तो उस पर स्टाम्प ड्यूटी निःशुल्क

(श्री जगमाल सिंह यादव)

होगा। और उसको 5 रुपये के स्टाम्प पर जो राशि मिली है उसकी जमीन खरीदने का अधिकार है। तो यहां क्यों नहीं ? किसान ने अपनी मर्जी से तो भूमि दी नहीं है।

(12.00 बजे)

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आपका अलग है, बैठिये, ये जवाब दे रहे हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, मूल रूप से प्रश्न के 2 भाग हैं कि सार्वजनिक मकसद के लिये जो जमीन एक्वायर होती है और उसका जो कम्पनसेशन किसानों को अवार्ड किया जाता है, अगर उस अवार्ड मनी से वह कहीं जमीन लेना चाहे तो क्या सरकार रजिस्ट्रेशन फीस में उसको रियायत देना चाहती है या फ्री करना चाहती है। मूल मकसद प्रश्न का यही है।

दूसरे भाग के अन्दर जयपुर, भरतपुर के बारे में कहा है, डी. एल. सी. का सवाल किया। डी. एल. सी. खाली सरकारी कमेटी नहीं है। डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी, इसके अन्दर हमारे सम्माननीय विधायकगण भी इसके सदस्य होते हैं और वह अपनी अभिशंषा करती है, रिकमंडेशन करती है कि किसी तहसील की कीमत कम रखी जाए, किसी गांव में बढ़ायी जाए, टोटेलिटी में निर्णय करती है और वही एक तरह से रजिस्ट्रेशन की दर तय की जाती है और आम तौर से जो जमीन का एक्वीजिशन होता है उस पर जो कम्पनसेशन की दर होती है, वह जो मार्केट वैल्यू का फार्मूला है, मार्केट वैल्यू के फार्मूले के लिये कोई फार्मूला लैण्ड एक्वीजीशन एक्ट में दिया नहीं है। राज्य सरकारें, जो प्रचलित दर है उसको आधार मानकर कम्पनसेशन अवार्ड करते हैं। तो यह बात तो निश्चित है कि कोई भी व्यक्ति अपनी जमीन को किसी भी कारण से छोड़ना नहीं चाहता है जब तक कि उसको पूरी कीमत नहीं मिले, तो राजी-खुशी तो कोई जमीन देता नहीं है। लेकिन राज्य हित के अन्दर, राज्य के प्रयोजनार्थ जमीनों का एक्वीजीशन होता है। इसके अन्दर जो डी. एल. सी. द्वारा निर्धारित रेट है उस रेट के अलावा 30 प्रतिशत राशि इसके अन्दर जिस डेट से धारा 4 का नोटिफिकेशन होता है.........

श्री जगमाल सिंह यादव : मैं यह पूछ ही नहीं रहा हूं कि कैसे एक्वीजीशन करते हैं आप। मेरा यह सवाल ही नहीं है कि एक्वीजीशन की प्रक्रिया क्या है ? आप क्यों बता रहे हैं ? मैंने पूछा ही नहीं है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपने नहीं पूछा तो मुझे तो अपनी बात कहने का हक है।

मोहम्मद माहिर आजाद : यह क्या मतलब हुआ ? (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, जब दूसरी जमीन उस अवार्ड की मनी से खरीदेंगे, आप उसको स्टाम्प ड्यूटी पर छूट देंगे या नहीं ? और रेट कहां-कहां बढ़ी है। ये दो स्पेस्फिक सवाल हैं। इनको बता दीजिये, इसमें भूमिका की क्या जरूरत है ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : हां, बता रहा हूं ना मैं आपको। आपको बता रहा हूं।

9.11.99 की बैठक के अन्दर अलवर जिले के अन्दर राजगढ़ व रेणी में 3 प्रतिशत की रेट्स बढ़ायी गयीं व कठूमर में 5 प्रतिशत की रेट बढ़ायी गयी। जो इंफार्मेशन अलवर जिले के बारे में मेरे पास है। भरतपुर जिले के अन्दर जमीनों की कीमतों के अन्दर कोई इजाफा नहीं हुआ, खाली राउण्ड फिगर में लाने के लिये 10 और 20 रुपये का फर्क हो सकता है और जयपुर जिले के अन्दर कोई कीमतें नहीं बढ़ी हैं। यह मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, नम्बर-एक। और दूसरी बात........

श्री अध्यक्ष : जल्दी कीजिए आप, प्रश्नकाल समाप्त हो रहा है, हो गया।

श्री जगमाल सिंह यादव : नहीं अध्यक्ष महोदय, किसानों से जुड़ा सवाल है। (व्यवधान) किसानों का सवाल है और भूमि की कीमतें बढ़ नहीं रही हैं। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : अवार्ड मनी का, मेन बात तो किसानों का सवाल है। आप 5 लाख रुपये उसको मुआवजे के देते हैं और उसकी जमीन खरीदें, उस पर 12 प्रतिशत, 13 प्रतिशत उसको फीस...... (व्यवधान) तो जवाब तो दे दें, अवार्ड मनी में छूट देंगे या नहीं देंगे, दूसरी जमीन खरीदने के ऊपर, यह किसानों के साथ शोषण हो रहा है, किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। इसका जवाब दे दें एक पांइट का, पहले पांइट का।

श्री जगमाल सिंह यादव : उसने जमीन दी नहीं, और सरकार ने जबरदस्ती जमीन ले ली है तो फिर आप स्टाम्प ड्यूटी में 12 प्रतिशत ले रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : इसका जवाब देना चाहेंगे ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपका आदेश होगा तो मुझे तो जवाब देना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष : हां, आप दे दीजिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपका आदेश है यह, श्रीमान्, तो मैं आपकी आज्ञा से उत्तर दे रहा हूं। क्योंकि आपने कह दिया कि समय समाप्त हो गया। इसलिये मैं बैठ गया।

श्री अध्यक्ष : शार्ट में, शार्ट में।

श्री प्रद्युम्न सिंह : बिलकुल प्रीसाइजली, मुक्तसर।

आप जो कह रहे हैं, इसके ऊपर जब मैं इस प्रश्न को देख रहा था तो मेरे दिमाग में भी यह बात आयी थी। इस स्टेज के ऊपर, आज मैं कोई इसके बारे में आश्वासन देने में या कमिटमेंट देने में, आज मेरी स्थिति नहीं है, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण नीतिगत प्रश्न है। इसके बारे में मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि मैं इसके ऊपर सहानुभूतिपूर्वक विचार करूंगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त। श्री मदन दिलावर, आप बैठिये, प्रश्नकाल समाप्त।

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न संख्या 98 दो बार स्थगित हो

(श्री मदन दिलावर)

गया है। अब मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि उस स्थगित प्रश्न को आप इसी सत्र में लगवा लें तो मेहरबानी हो जाएगी।

श्री अध्यक्ष : अभी नहीं आ सकता है, प्रश्नकाल समाप्त।

श्री मदन दिलावर : मेरा तो इतना ही निवेदन है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, दो बार स्थगित हो गया। गौ-वंश के निकास के क्वेश्चन के बारे में मैंने पूछा था। आपने जैसा आदेश दिया, मैंने वह मान लिया, और आज तक जवाब नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : श्री मदन दिलावर, बैठिये, कृपया बैठिये।

श्री मदन दिलावर : मैं तो बैठ जाता हूं, श्रीमान्, आप थोड़ा सा देख लीजिये इसे।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

पेंशन भुगतान में विलम्ब के कारण ब्याज की अदायगी

534. **श्री रमजान खान** (पुष्कर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 31 दिसम्बर, 1993 को आयुर्वेद विभाग से एक लेखाकार सेवानिवृत्त हुए थे ? क्या निदेशक आयुर्वेद विभाग ने उक्त कर्मी के पक्ष में विभागीय जांच लम्बित नहीं होने का प्रमाण-पत्र निदेशक कोष एवं लेखा को भेजने हेतु लिखा था ? क्या श्री सीताराम को पी. पी. ओ. सं. 11799 (आर) दिनांक 29 अगस्त, 1994 को जारी किया गया था ?

(2) क्या उक्त कर्मी के विरुद्ध कोई विभागीय जांच चालू ही नहीं की गई थी और निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग द्वारा तीन वर्ष से अधिक समय के बाद दिनांक 23 मई, 1997 को वांछित प्रमाण-पत्र जारी किया जिसके कारण कम्यूटेशन एवं ग्रेच्यूटी की शेष राशि के भुगतान में असाधारण विलम्ब के लिए कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं तथा उनके विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या प्रार्थी को बकाया राशि का भुगतान करते समय, अनावश्यक विलम्ब के लिए बाजार दर पर ब्याज का भुगतान किया गया था ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या अब सरकार ब्याज का भुगतान करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या उक्त कर्मी ने यह मामला पेंशन अदालत में प्रस्तुत किया था ? यदि हां, तो कब तथा पेंशन अदालत द्वारा उस पर कब और क्या कार्यवाही की गई ?

(4) गत 6 वर्षों में विभागीय जांच के प्रमाण-पत्र के अभाव में कितने पेंशनों के प्रकरण भुगतान हेतु रोके गये तथा कितने समय बाद, वांछित प्रमाण-पत्र प्राप्त हुए ? संख्या सूची वर्षवार सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या उक्त अवधि हेतु विभिन्न न्यायालयों में भी इस प्रकार के प्रकरणों में

(श्री रमजान खान)

विलम्ब के कारण पेंशनरों को ब्याज की राशि भुगतान करने हेतु आदेश दिये हैं? यदि हां, तो किन-किन मामलों में कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) उक्त प्रकरणों की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए सरकार द्वारा क्या-क्या आदेश कब-कब जारी किये गये? आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) श्री सीताराम शर्मा, लेखाकार दिनांक 31.12.93 को आयुर्वेद विभाग, अजमेर से सेवानिवृत्त हुए थे। निदेशक, आयुर्वेद विभाग ने उक्त कर्मी के पक्ष में विभागीय जांच लम्बित नहीं होने का प्रमाण पत्र भिजवाने हेतु निदेशक, कोष एवं लेखा को लिखा था। पेंशन विभाग द्वारा श्री शर्मा के पक्ष में पी. पी. ओ. सं. 117900 (आर) जी. पी. ओ. सं. 125199 (आर) सी. पी. ओ. सं. 118812 (आर) दिनांक 20.8.94 को जारी किया गया।

(2) श्री सीताराम शर्मा, तत्कालीन कनिष्ठ लेखाकार के विरुद्ध जवाहर लाल नेहरू आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में कॉटेज वार्डों की प्राप्तियों की राशि के हुए गबन प्रकरण में संयुक्त जांच की कार्यवाही विचाराधीन होने तथा माननीय न्यायालय ए. सी. जे. एम.-2, अजमेर में प्रकरण के सम्बन्ध में कार्यवाही विचाराधीन होने के कारण इन्हें सेवानिवृत्ति पर विभागीय जांच लम्बित नहीं होने का प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया था। अधीक्षक, सामूहिक चिकित्सालय संघ, अजमेर ने अपने पत्र क्रमांक 11938 दिनांक 26.5.83 (परिशिष्ट-1) के द्वारा सूचित किया था कि गबन प्रकरण में अंकेक्षण रिपोर्ट के बिन्दुओं के आधार पर श्री सीताराम शर्मा, तत्कालीन कनिष्ठ लेखाकार का स्पष्टीकरण मांगा गया था। श्री शर्मा से स्पष्टीकरण प्राप्त हुआ, किन्तु श्री शर्मा द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण को संतोषजनक नहीं माना गया तथा गबन जैसे प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए श्री सीताराम शर्मा को सेवानिवृत्ति के समय विभागीय जांच बकाया नहीं होने का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया। श्री शर्मा को निदेशक, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान, अजमेर ने पत्र सं. 20455-59 दिनांक 28.4.94 के द्वारा अंतकालीन पेंशन (इन्टीसिपेटरी पेंशन) स्वीकृत की गई थी।

अन्ततः प्रकरण का परीक्षण कर निदेशक, कोष एवं लेखा द्वारा दिनांक 23.5.97 को विभागीय जांच बकाया नहीं होने का प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। विलम्ब के लिए ब्याज भुगतान के सम्बन्ध में पेंशन अदालत के निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(3) श्री सीताराम शर्मा लेखाकार द्वारा पेंशन अदालत में 29.4.97 को ब्याज के सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया था। प्रकरण अभी पेंशन अदालत में लम्बित है।

(4) निदेशालय कोष एवं लेखा द्वारा अधीनस्थ लेखा सेवा के कर्मचारियों के गत 6 वर्षों में विलम्ब से जारी विभागीय जांच बकाया न होने के प्रमाण पत्र की वर्षवार

(वित्त मंत्री)

स्थिति का विवरण परिशिष्ट-'अ' संलग्न है।

(5) विभिन्न न्यायालयों द्वारा विलम्ब के कारण ब्याज की राशि भुगतान करने के आदेशों सम्बन्धी जानकारी समस्त विभागों से सूचना संकलन पश्चात् ही उपलब्ध करवाना सम्भव है। समस्त विभागाध्यक्षों से सूचना संकलित कर भिजवाने हेतु निदेशक, पेंशन विभाग ने पत्र क्रमांक 1106-1350 के दिनांक 4.4.2000 जारी कर दिया है। उत्तर प्राप्त होने पर सूचना उपलब्ध करवा दी जायेगी।

(6) सभी सेवानिवृत्त पेंशन भोगी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के तुरन्त बाद पेंशन परिलाभ जारी होना सुनिश्चित करने हेतु समय-समय पर परिपत्र जारी किये हैं। साथ ही राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम, 1996 के नियम सं. 78 से 94 तक पेंशन प्रकरणों के निस्तारण की स्पष्ट प्रक्रिया निर्धारित कर दी गई है। जिसमें नियुक्ति अधिकारी/विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष एवं पेंशन विभाग द्वारा की जाने वाली कार्यवाही स्पष्ट रूप से निर्धारित कर दी गई है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.1(24) वित्त/जीएण्डटी/98 दिनांक 25.8.99 द्वारा विभागाध्यक्ष स्तर पर विभागाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक पेंशन प्रकोष्ठ गठित करने के आदेश जारी कर दिये हैं। निम्नलिखित प्रपत्रों की प्रतियां संलग्न हैं :–

1. वित्त (ग्रुप-2) विभाग, राज., जयपुर के आदेश सं. प.1(14) वित्त/ग्रुप-2/92 दिनांक 16.2.94
2. वित्त विभाग के आदेश क्रमांक प.7(1) वित्त/राले-1/94 दिनांक 20.6.94
3. राज. सिविल सेवा पेंशन नियम, 1996 के नियम सं. 78 से 94 तक की फोटो प्रतियां
4. निदेशक, पेंशन विभाग, राज., जयपुर का पत्र समस्त विभागध्यक्षों को जारी पत्र क्रमांक निपेवि/पीसी/97-98/6544-66-88 के दिनांक 26.11.97
5. निदेशक, पेंशन विभाग, राज., जयपुर द्वारा सभी विभागाध्यक्षों को पत्र जारी निपेवि/पीसी/चतु.क./97-98/2238-2538 के दिनांक 16.9.98
6. वित्त जी एण्ड टी विभाग जयपुर का परिपत्र पं.1(24) वित्त/जीएण्डटी/98 दिनांक 25.8.99

(विवरण की प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

निजी चिकित्सा संस्थाओं में पेंशनरों को चिकित्सा सुविधा

535. **श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि पेंशनर चिकित्सा योजना के लिये कोई नियम/उपनियम बनाए गए हैं ? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) पेंशनर चिकित्सा योजना के तहत बीमारियों का इलाज राज्य में सम्भव नहीं

(श्री भंवरलाल शर्मा)

हो और राज्य के बाहर इलाज कराने के लिए चिकित्सकों की अभिशंषा पर भेजा जाता है वही सुविधा राज्य में निजी क्षेत्र में उपलब्ध होने पर क्या सरकार इन निजी संस्थाओं को सूचीबद्ध करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो ऐसा प्रावधान कब तक कर दिया जाएगा और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। प्रति संलग्न है।

(2) राज्य में वर्तमान में ऐसी कोई निजी संस्था नहीं है जहां पर ऐसी बीमारी का इलाज उपलब्ध हो जो राजकीय अस्पतालों में उपलब्ध नहीं है। अतः निजी संस्थाओं को पेंशनरों के इलाज हेतु सूचीबद्ध करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

उप पंजीयन कार्यालय नीमकाथाना में पंजीकृत दस्तावेज

536. **श्री मोहन लाल मोदी** (नीमकाथाना) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) तहसील नीमकाथाना उप-पंजीयन कार्यालय द्वारा गत तीन वर्षों में किस-किस राजस्व ग्राम की कितनी-कितनी भूमि बेचान, रहन व दानपत्र के दस्तावेज पंजीकृत किये गये ? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त दस्तावेज पंजीयन में किस-किस अर्जी नवीस या अधिकृत दस्तावेज के द्वारा कितने-कितने दस्तावेज तकमील कराने हेतु पंजीयन अधिकारी के सामने प्रस्तुत किये ? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त दस्तावेज पंजीयन से सरकार को कितना स्टाम्प शुल्क व पंजीयन शुल्क की राशि प्राप्त हुई ?

(4) उक्त दस्तावेज में से जांच में कितने दस्तावेज कम स्टाम्प शुल्क पर पेश होना पाया गया, कितनी राशि वसूली के आदेश जारी किये गये और कितनी राशि वसूल हो चुकी है तथा कितनी शेष है ? शेष राशि की वसूली की क्या कार्यवाही चल रही है और कब तक वसूल हो सकेगी ?

उत्तर

(1) उप पंजीयक कार्यालय नीमकाथाना द्वारा गत तीन वर्षों में कुल 150 राजस्व गांवों की निम्नानुसार दस्तावेज पंजीकृत किये गये। ग्रामवार सूची संलग्न है।

वर्ष	बेचान पत्र	रहन पत्र	दान पत्र	रकबा (है.)
1997	522	178	2	346.13
1998	510	395	8	452.54
1999	779	158	21	504.33
योग	1811	731	31	1303.00

(2) उक्त दस्तावेज अधिकृत अर्जीनिवेश द्वारा तकमील कर सम्बन्धित पक्षकारान द्वारा

(वित्त मंत्री)

उप पंजीयक के समक्ष पंजीयन हेतु प्रस्तुत किए गए। संख्या विवरण की सूची संलग्न है।

(3) उक्त पंजीयन दस्तावेजों द्वारा राज्य सरकार को मुद्रांक, पंजीयन एवं अन्य प्रकार के दस्तावेजों से प्राप्त राशि गत तीन वर्षों का विवरण निम्नानुसार है :–

वर्ष	मुद्रांक	पंजीयन	अन्य दस्तावेज	योग
1997-98	3954133	582893	1586151	6123177
1998-99	5511754	1026206	1608853	8146813
1999-00	7082406	945511	1585114	9613031
योग	16548293	2554610	4780118	23883021

(4) उक्त दस्तावेजों में से जांच के दौरान कम मुद्रांक के पाये गये दस्तावेजों का विवरण निम्न प्रकार है :–

वर्ष	कुल दस्तावेज	राशि निकाली गई	निस्तारित दस्तावेज	वसूली राशि	शेष राशि
1997	25	146945	21	22566	124379
1998	17	50084	6	961	49123
1999	7	106900	5	47370	59530
योग	49	303929	32	70897	233032

शेष वसूली योग्य राशि की वसूली हेतु सम्बन्धित पक्षकारान को विधिवत नोटिस जारी कर दिये गये हैं। वसूली हेतु आवश्यक प्रयास जारी हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

वित्तीय सुधार कार्यक्रम के तहत प्राप्त सहायता राशि

537. **श्री हीरासिंह चौहान** (रायपुर) एवं **डा. रघुवीर सिंह गौड़** (कोटपूतली) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या केन्द्र सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार को वित्तीय सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत कोई सहायता राशि दी है? यदि हां, तो कितनी और कब दी?

उत्तर

जी हां, केन्द्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 1999-2000 में वित्तीय सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत रुपये 1010.00 करोड़ की सहायता राशि माह अप्रेल, 1999 में दी थी। यह सहायता राशि अन्तरिम तौर पर दी गई थी जिसका समायोजन आगामी महिनों में देय राशि में से कटौती कर पूरा कर लिया गया है। वर्ष 1999-2000 के अन्त में भारत सरकार ने 700.00 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत माह मार्च, 2000 में दी है।

कोषागारों को बिलों के भुगतान में प्राथमिकता का निर्देश

538. **श्री हीरासिंह चौहान** (रायपुर) एवं **डा. रघुवीर सिंह गौड़** (कोटपूतली) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या राज्य सरकार द्वारा कोषागारों को विभिन्न बिलों के भुगतान करने के लिए प्राथमिकताएं देने के निर्देश प्रदान किए हैं? यदि हां, तो इस वर्ष कब-कब किस-किस

(श्री हीरासिंह चौहान)

प्रकार की प्राथमिकताएं कोषागारों को दी है ? आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

राज्य सरकार द्वारा अपनी मांर्गोपाय स्थिति एवं बिलों के भुगतान की आवश्यकता को मध्यनज़र रखते हुए प्राथमिकताएं मौखिक रूप से कोषागारों को समय-समय पर दी जाती रही हैं। इस हेतु कोई लिखित आदेश जारी नहीं किये गये हैं।

अतारांकित प्रश्न संख्या-539

(स्थगित)

शीघ्रलिपिक परीक्षा के पाठ्यक्रम में संशोधन

540. **श्री हरीशचन्द्र** (नावां) : क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली शीघ्रलिपिक परीक्षा के पाठ्यक्रम में कार्मिक विभाग द्वारा किये गये संशोधन के विरोध में अनेक छात्र संगठनों से प्राप्त अभ्यावेदनों के आधार पर राज्य सरकार द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग से सुझाव मांगे गये थे ? यदि हां, तो आयोग ने क्या सुझाव दिये हैं ? सुझावों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त परीक्षा के पाठ्यक्रम में लिखित परीक्षा को हटाकर पूर्व की भांति केवल आशुलिपिक विषय की परीक्षा कराने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो आशुलिपिक परीक्षा के संशोधित पाठ्यक्रम में जोड़े गये विषयों का एक आशुलिपिक के कार्य क्षेत्र के सन्दर्भ में क्या औचित्य है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) कार्मिक विभाग के पास दिनांक 31 मार्च, 2000 को राज्य के शासन सचिवालय/अधीनस्थ कार्यालयों में आशुलिपिकों के कितने रिक्त पदों की सूचना है ? उक्त रिक्त पदों को भरने हेतु कब तक विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा ?

उत्तर

(1) जी हां। आयोग ने सुझाव दिया है कि शी.लि. परीक्षा के पाठ्यक्रम में प्रथम अनिवार्य प्रश्न पत्र अर्थात् "सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और गणित" में वर्णित "गणित" का इस परीक्षा हेतु कोई महत्व नहीं है। इसके स्थान पर अब "सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और राजस्थान का सामान्य ज्ञान" रख दिया जाय। सुझावों की प्रति सदन की मेज पर रख दी है। (परिशिष्ट-"क")

(2) जी नहीं। आज के प्रतिस्पर्धा के युग में आशुलिपिक के पद पर चयनित होने वाले अभ्यर्थी का भाषा ज्ञान में दक्ष होना नितान्त आवश्यक है। इसके लिए उसे संशोधित पाठ्यक्रम में रखे गये विषयों का ज्ञान होना आवश्यक समझा गया ताकि वह अपने कार्य को बेहतर ढंग से अंजाम दे सके।

(कार्मिक मंत्री)

(3) शासन सचिवालय में 33 पद शी. लि. के रिक्त हैं लेकिन उन पर मा. मंत्री गणों के पास अन्य संवर्ग या विशेष नियमों प.9(61)पर्स)ए-1/76 दिनांक. 1.6.90 के अन्तर्गत संविदा पर कार्यरत हैं। अतः रिक्त पद "शून्य" हैं। इसलिए फिलहाल विज्ञापन जारी किया जाना संभव नहीं है।

अधीनस्थ कार्यालयों में दिनांक. 1.4.95 से 31.3.98 तक की अवधि में शी.लि. के 95 पद रिक्त थे जिनके लिए दिनांक. 18.12.98 को राज. लोक सेवा आयोग को शी.लि. की भर्ती हेतु परीक्षा आयोजित करने के लिए अर्थना भेजी गई थी, किन्तु वित्त विभाग की राय के अनुसार मंत्रिमण्डल समिति का निर्णय होने तक शी.लि. के पदों हेतु भर्ती हेतु परीक्षा आयोजित करने की कार्यवाही लम्बित रखी गई है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

विधान सभा क्षेत्र खारची में शुद्ध पेयजल

541. **श्री केसाराम चौधरी** (खारची) : क्या जन स्वास्थ्य अभियात्रिंकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र खारची के किन-किन गांवों में फ्लोराइड युक्त पानी के लक्षण पाये गये हैं? गांवों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि फ्लोराइड युक्त पानी सेवन करने की वजह से उक्त गांवों में भारी मात्रा में लोग रोग-ग्रस्त हुये हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पीड़ित व्यक्तियों को मुआवजा देने की योजना बना रही है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त गांवों को फ्लोराइड युक्त पानी से मुक्त करने बाबत् कोई योजना बना रही है? यदि हां, तो क्या एवं कब तक इसे संचालित किया जायेगा?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र खारची के 1 शहर (मारवाड़ जंक्शन) व 8 गांवों में फ्लोराइड की मात्रा मानदण्डों से अधिक पाई गई है। सूची परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

(2) फ्लोराइड युक्त पानी के कारण किसी के रोगग्रस्त होने की रिपोर्ट नहीं है।

(3) जी हां। मारवाड़ जंक्शन व आसन जोधवन हेतु योजनाएं स्वीकृत की जा चुकी है व कार्य प्रगति में है। शेष गांवों हेतु योजना बनाने का कार्य धन उपलब्धि के अनुसार किया जाना प्रस्तावित है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

लाडनूं (नागौर) में शुद्ध पेयजल व्यवस्था

542. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि कस्बा लाडनूं जिला नागौर में जो पानी सप्लाई किया जा

(श्री हरजीराम बुरड़क)

रहा है वह पीने लायक नहीं है और उससे बीमारियां बढ़ रही हैं? यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की निगाह में क्या रिजल्ट रहा तथा इसके लिये सरकार ने क्या कदम उठाने का निर्णय लिया है?

(2) क्या सरकार की कोई योजना है कि जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जावे? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम कब तक उठाये जायेंगे?

उत्तर

(1) जी नहीं। वर्तमान में पेयजल योजना से वितरित किये जाने वाले जल की गुणवत्ता विभागीय प्रचलित मानदण्डों के अनुसार है। पेयजल योजना से वितरित किये जाने वाले पेयजल से अधिकारिक रूप से अभी तक कोई भी बीमारी होने की सूचना विभाग के ध्यान में नहीं लाई गई है।

(2) प्रश्न 1 के उत्तर के अनुसार। वैसे वर्तमान वितरण की मात्रा संवर्धन करने हेतु 10/99 में योजना स्वीकृत की जा चुकी है, जिसका कार्य प्रगति पर है।

विधान सभा क्षेत्र बामनवास के हैण्ड पम्प मिस्त्रियों के विरुद्ध शिकायतें

543. **डा. किरोड़ी लाल** (बामनवास) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बामनवास में हैण्ड पम्प के विशेष मरम्मत अभियान के दौरान स्थानीय हैल्पर एवं मिस्त्री भारी पक्षपात करते हैं और उनकी शिकायतें समय-समय पर अधिकारियों को की गई है? यदि हां, तो उन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई?

(2) क्या यह भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि ये कर्मचारी जानबूझकर कई पेयजल योजनाओं को भी ठप्प कर देते हैं जिससे पेयजल की समस्या खड़ी हो जाती है? क्या ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी? यदि हां, तो क्या? उक्त स्थानीय कर्मचारियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त कर्मचारियों में से कौन-कौन हैल्पर/मिस्त्री कब-कब से किस स्कीम पर कार्य कर रहे हैं?

(4) क्या सरकार जनता को पानी उपलब्ध कराने के लिए ऐसे कर्मचारियों पर पाबन्दी लगायेगी? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी नहीं। हैण्ड पम्प के विशेष मरम्मत अभियान के दौरान विभागीय हैल्पर एवं मिस्त्रियों द्वारा पक्षपात करने की कोई शिकायत अधिकारियों को प्राप्त नहीं हुई है।

(2) जी नहीं। विभागीय कर्मचारियों द्वारा कोई पेयजल योजनाएं जानबूझ कर ठप्प नहीं की है।

(3) हैण्ड पम्प अभियान में कार्य करने वाले मिस्त्री/फिटर जो पंचायत समिति के

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(3) जी नहीं। ग्राम बूबानी एवं बड़गांव में क्रमशः 1.83 व 1.32 लाख रु. के प्रस्ताव भूतलीय जलाशयों को स्रोतों से जोड़ने हेतु तथा ग्राम अलीपुरा हेतु 1.99 लाख रु. के प्रस्ताव संवर्धन हेतु अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग क्षेत्र, अजमेर द्वारा स्वीकृत किये गये हैं। उक्त सभी योजनाओं को इसी ग्रीष्मकाल में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

कुचेरा/मुंडवा (नागौर) की स्वीकृत अपूर्ण पेयजल योजना

547. **श्री हबीबुर्रहमान** (मूंडवा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र मुंडवा के कुचेरा व मुंडवा में पेयजल योजना स्वीकृत हुई थी? क्या उस का कार्य पूर्ण हो चुका है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। योजनाओं के सभी कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं। मात्र कुचेरा की वितरण प्रणाली की टेस्टिंग का कार्य प्रगति पर है। दोनों योजनाओं पर डायरेक्ट फीडर (विद्युत) का कार्य शेष है जिसके लिए राशि विद्युत विभाग को मई-1998 में जमा करा दी गई।

अतारांकित प्रश्न संख्या-548

(स्थगित)

जिला जैसलमेर के गांवों में घरेलू पेयजल कनेक्शन

549. **श्री गोवर्द्धन कल्ला** (जैसलमेर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला जैसलमेर में पेयजल हेतु घरेलू कनेक्शन किन-किन गांवों में स्वीकृत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि घरेलू कनेक्शन हेतु ग्रामीण क्षेत्र में पांच हजार की जनसंख्या होना अनिवार्य है?

(3) क्या रेगिस्तानी पिछड़े क्षेत्र में जनसंख्या के आधार में हर योजना में रियायत दी हुई है?

(4) क्या जिला जैसलमेर के बड़े गांव जहां बिना लागत के घरेलू कनेक्शन दिये जा सकते हैं तथा राजस्व आय में वृद्धि हो सकती है, वहां कनेक्शन देने हेतु स्वीकृति देने का सरकार विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जैसलमेर जिले के कुल पांच ग्रामों में घरेलू कनेक्शन स्वीकृत हैं। इन ग्रामों के नाम हैं :– (1) रामगढ़ (2) मोहनगढ़ (3) रामदेवरा (4) फलसूण्ड (5) भीखोडाई।

(2) जी नहीं। घरेलू कनेक्शन स्वीकृत होने हेतु उक्त ग्राम की आबादी जनगणना 1991 के अनुसार 4000 की होनी अनिवार्य है।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं। पेयजल उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुये प्रचलित नीति में अभी परिवर्तन करने का इरादा नहीं है।

ग्राम रेलमगरा (राजसमन्द) में पेयजल व्यवस्था

550. **डा. रतन लाल जाट** (सहाड़ा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला राजसमन्द के ग्राम रेलमगरा के लिये पेयजल समस्या के निदान हेतु गत 10 वर्षों में कितने ओपनवैल व कितने ट्यूब वैल कहां-कहां पर किस-किस वर्ष में खुदवाये गये एवं कितने स्थानों में पाइप लाइनें कितनी दूरी तक डाली गई? क्या उक्त लाइनों से गांव में पानी आया? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं में पेयजल समस्या के निदान हेतु गत दस वर्षों में कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या गांव रेलमगरा जिला राजसमन्द में अभी भी पेयजल समस्या है? यदि हां, तो सरकार इसके निदान हेतु क्या स्थायी समाधान करना चाहती है?

उत्तर

(1) जिला राजसमन्द के ग्राम रेलमगरा में गत 10 वर्षों में तीन खुले कुएं व 15 नलकूप खोदे गये तथा 24.10 किलोमीटर पाइप लाइन डाली गई। विस्तृत विवरण प्रपत्र "अ" पर संलग्न है।

(2) कुल 70.97 लाख रु. का व्यय किया गया। विवरण प्रपत्र "अ" पर उपलब्ध है।

(3) गांव की पेयजल समस्या के निवारण हेतु दीर्घकालीन योजना वर्ष 98 के अंत में स्वीकृत हुई थी। वर्तमान में कार्य प्रगति में है। योजना को इसी वर्ष में पूर्ण करना प्रस्तावित है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

तहसील श्रीडूंगरगढ़ की अपूर्ण पेयजल योजनाएं

551. **श्री मंगला राम गोदारा** (डूंगरगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि श्री डूंगरगढ़ तहसील में पानी की कमी को दूर करने के लिये कोई योजना बनाई है? यदि हां, तो किस-किस ग्राम में कौन-कौनसी योजना प्रस्तावित है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 1998-99 व 1999-2000 में उक्त योजनाओं पर कितनी-कितनी राशि किस-किस योजना के लिये स्वीकृत की गई? उक्त में से कौन-कौनसी योजना पूर्ण कर दी गई और कितनी योजनाओं पर कार्य चल रहा है? ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री मंगला राम गोदारा)

(3) विधान सभा क्षेत्र डूंगरगढ़ में कौन-कौनसे ग्राम में पीने के पानी का अभाव है? क्या सरकार उक्त निर्वाचन क्षेत्र के ग्रामों में पेयजल उपलब्ध कराने की कोई योजना रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) डूंगरगढ़ तहसील के कुल 90 गांवों में से 24 गांवों में जल वितरण स्तर 50% से कम होने के कारण संवर्धन योजना बनाने का कार्य करवाया जा रहा है। 24 ग्रामों की सूची परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

(2) इन वर्षों में कोई योजना स्वीकृत नहीं हुई।

(3) विधान सभा क्षेत्र श्री डूंगरगढ़ में 31 गांवों में जल वितरण स्तर 50% से कम है। गांवों की सूची प्रपत्र "क" पर संलग्न है। उपयुक्त गांवों हेतु संवर्धन पेयजल योजना बनाने का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। योजना बनाने, स्वीकृति व धन उपलब्धि के अनुसार कार्य करवाना प्रस्तावित है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-6 देखें)

विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के हैण्ड पम्पों की मरम्मत

552. **श्री रतन लाल ताम्बी** (जहाजपुर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या हैण्ड पम्पों की आवश्यकता हेतु कोई मानदण्ड निर्धारित है? मानदण्ड की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) निर्धारित मानदण्डानुसार विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर की तहसील जहाजपुर एवं कोटडी में कितने हैण्ड पम्प लगने चाहिये? क्या उक्त आधार पर उक्त क्षेत्र में हैण्ड पम्प स्थापित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त मानदण्डानुसार उक्त क्षेत्र में हैण्ड पम्प स्थापित नहीं है और जितने खराब थे उनके स्थान पर उतने नये हैण्ड पम्प वापस नहीं लगे हैं? यदि हां, तो कितने-कितने, कहां-कहां खराब हैं और कितने-कितने उनके प्लान पर कहां-कहां लगाये गये?

(4) क्या यह भी सही है कि विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में पेयजल की स्थिति गंभीर है पानी का स्तर नीचे जाने एवं पाइप खराब होने से हैण्ड पम्प नकारा/खराब हैं? यदि हां, तो सरकार ने अभियान चलाने के बाद 31 मार्च, 2000 तक कितने-कितने हैण्ड पम्प ठीक हुये और शेष कब तक ठीक करा दिये जायेंगे?

(5) क्या उक्त क्षेत्र में अनेक ढाणी/मंजरों के विद्यालयों में आज भी हैण्ड पम्प नहीं लगे हैं? यदि हां, तो कहां-कहां और कब–कब तक वहां पर हैण्ड पम्प लगा दिये जायेंगे?

उत्तर

(1) विभागीय नार्म्स के अनुसार ग्रामों में 250 की जनसंख्या पर एक तथा न्यूनतम

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

दो हैण्ड पम्प लगाया जाने का प्रावधान है। मानदण्ड की प्रति संलग्न है।

(2) निर्धारित मानदण्डानुसार विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर की तहसील जहाजपुर एवं कोटडी में संलग्न परिशिष्ट "क" के अनुसार क्रमशः 668 तथा 195 हैण्ड पम्प होने चाहिये। वर्तमान में उक्त क्षेत्र में क्रमशः 907 एवं 210 हैण्ड पम्प स्थापित हैं।

(3) क्षेत्र में सामान्यतया मानदण्डानुसार ही हैण्ड पम्प स्थापित किये गये हैं, क्षेत्र के नकारा एवं खराब हैण्ड पम्प तथा उनके स्थान पर स्थापित हैण्ड पम्प का विवरण संलग्न परिशिष्ट-"ख" में दर्शाया गया है।

(4) गत दो वर्षों से अल्प वृष्टि से विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में पेयजल उपलब्धता प्रभावित हुई है। अभियान के प्रारंभ में 612 हैण्ड पम्प खराब पाये गये, जिनमें से 175 पाइप खराब होने के कारण थे। मार्च, 2000 तक 219 हैण्ड पम्प ठीक करवाये गये, जिसमें 51 ऐसे हैण्ड पम्प शामिल है, जहां पाइप बदले/बढाये गये। शेष हैण्ड पम्प अप्रेल, 2000 तक ठीक करवाना लक्षित है।

(5) विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के चिन्हित कुल 94 ढाणी/मंजरों के विद्यालयों में से मार्च, 2000 तक 73 हैण्ड पम्प लग चुके हैं। शेष 21 में हैण्ड पम्प स्वीकृत हो चुके हैं, (सूची संलग्न है) एवं इसी वर्ष में लाभान्वित करना प्रस्तावित है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जिला हनुमानगढ़ की जल योजनाओं हेतु वित्तीय स्वीकृति

553. **श्री रामप्रताप** (हनुमानगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सरकार द्वारा नई संवर्धन/रिआरगेनाइजेशन जल योजनाओं की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने के क्या मानदण्ड है ?

(2) क्या सरकार द्वारा जल योजनाओं की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने के नियम सभी जिलों में एक समान हैं ? यदि नहीं, तो कौन-कौनसे जिले के लिए कौन-कौनसे नियमों के तहत जल योजनाओं की स्वीकृति के मानदण्ड तय कर रखें हैं ?

(3) जिला हनुमानगढ़ को कुल कितनी जल प्रदाय योजनाओं की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए विभाग के विचाराधीन है तथा कब तक इसकी स्वीकृति जारी हो जायेगी ?

(4) जिन गांवों की आबादी 1500 से अधिक 4000 से कम है उन गांवों की जल योजनाओं के संवर्धन के तहत उच्च जलाशय का निर्माण तथा पाइप लाइन का प्रावधान किया जा सकता है ? यदि नहीं, तो क्यों और हां, तो वर्ष 1999-2000 में उक्त जिले की कितनी योजनाओं की स्वीकृति के प्रस्ताव विभाग के पास विचाराधीन हैं और कितनों की स्वीकृतियां जारी हो चुकी है ?

उत्तर

(1) नई संवर्धन/पुनर्गठन (रिआरगेनाइजेशन) योजनाओं की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति वरीयता के आधार पर की जाती है। प्रथम वरीयता में उन योजनाओं/ग्रामों को शामिल किया जाता है, जिनका सर्विस लेवल विभागीय मापदण्डों से निर्धारित सर्विस लेवल से 25% से कम होता है। द्वितीय वरीयता में उन योजनाओं/गांवों को शामिल किया जाता है, जिनका सर्विस लेवल 25% से अधिक लेकिन 50% से कम होता है।

(2) जी हां। राज्य सरकार द्वारा योजनाओं की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने के नियम सभी जिलों के लिये समान है।

(3) हनुमानगढ़ जिले की कुल 2 योजनायें वित्त समिति के समक्ष प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु विचाराधीन है। पेयजल की कमी तकनीकी उपयुक्ता एवं बजट उपलब्धता के अनुसार निर्णय लिया जाना संभव हो सकेगा।

(4) जिन गांवों की आबादी 1991 की जनगणनानुसार 1500 या इससे अधिक लेकिन 4000 से कम है, उन गांवों की जल योजनाओं में उच्च जलाशय का प्रावधान किया जा सकता है, बशर्ते उन गांवों में 100 या इससे अधिक जल संबंध गत तीन वर्षों से चल रहे हों, उनसे नियमित रूप से राजस्व की प्राप्ति हो रही हो एवं साथ ही संबंधित गांववासियों द्वारा उच्च जलाशय बनाने हेतु 25000/– (पच्चीस हजार) रु. की राशि जमा करवा दी हो। उक्त गांवों में इस प्रावधान के तहत अतिरिक्त पाइप लाइन डालने का प्रावधान नहीं है। वर्ष 1999-2000 में हनुमानगढ़ जिले की एक योजना 4 आरटीपी-1 आरटीपी (आर) के अंतर्गत गांव 4 आर टीपी ने 25000/– रुपये जमा करा दिये हैं, स्वीकृति विचाराधीन है।

तहसील मौजमाबाद में अनुसूचित जाति के व्यक्ति की तरमीम की पुनः बहाली

554. **श्री महेन्द्र कुमार मीणा** (सिकराय) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि एस.डी.एम. सांभर द्वारा ग्राम देवला तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर में वर्ष 1999 में किन्हीं व्यक्तियों की खातेदारी भूमि की तरमीम निरस्त की थी ? यदि हां, तो किस-किस खसरा नम्बर की एवं किस आधार पर। क्या उक्त तरमीम निरस्त करने हेतु किसी खातेदार ने शिकायतें भी की थीं ? यदि हां, तो किस-किसने, किस-किस की एवं किस आधार पर ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त निरस्त की गई तरमीम में किसी अनुसूचित जाति के खातेदार की तरमीम भी निरस्त की गई थी ? यदि हां, तो किसकी एवं किस आधार पर ?

"(3) क्या यह सही है कि अनुसूचित जाति के पड़ौसी व्यक्ति द्वारा गलत शिकायत

(श्री महेन्द्र कुमार मीणा)

पर एस.डी.एम. को रिश्वत देकर उक्त अनुसूचित जाति के व्यक्ति की तरमीम निरस्त करवाई गई है ? यदि हां, तो क्यों ? उक्त संबंध में की गई कार्यवाही के दस्तावेज की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त पड़ौसी की तरमीम निरस्त करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त निरस्त तरमीम को पुनः बहाल करेगी ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या सरकार उक्त दोषी एस.डी. एम. के विरूद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या तथा कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) श्रीमती पांची देवी पत्नी श्री मांगीलाल बाडोतिया ने लिखित में जिला कलेक्टर, जयपुर एवं उपखण्ड अधिकारी सांभर को शिकायत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया। शिकायत प्रार्थना-पत्र में तरमीम गलत होने का अंकन किया गया। शिकायत की जांच तहसीलदार दूदू से करवाई गयी। तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर ग्राम देवला तहसील मौजमाबाद (मु.) दूदू, जिला जयपुर में वर्ष 1999 में श्रीमती पांची देवी पत्नी श्री मांगीलाल बाडोतिया की खातेदारी भूमि ख. नं. 2739/1/2/17 की तरमीम गलत पाये जाने पर उपखण्ड अधिकारी सांभर ने तरमीम निरस्त करने के आदेश दिये गये।

(2) प्रार्थीया स्वयं अनुसूचित जाति की महिला खातेदार थी। उसके द्वारा खातेदारी की भूमि को तरमीम गलत होने की शिकायत प्रस्तुत करने तथा तहसीलदार दूदू को जांच में शिकायत के तथ्य सही पाये जाने पर प्रार्थीया की खातेदारी की भूमि की तरमीम उपखण्ड अधिकारी सांभर द्वारा निरस्त की गई थी।

(3) प्रार्थीया श्रीमती पांचीदेवी पत्नी श्री मांगीलाल बाडोतिया जो कि स्वयं अनुसूचित जाति की महिला खातेदार काश्तकार है, कि शिकायत प्रार्थना-पत्र पर उसकी खातेदारी की भूमि की गलत तरमीम नियमानुसार निरस्त की गई है। न कि किसी अन्य खातेदार की, कार्यवाही की प्रति संलग्न है।

(4) उक्त भूमि के किसी पड़ौसी खातेदार की ओर से तरमीम निरस्त करने का या बहाल करने का कोई प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत नहीं हुआ है। तरमीम गलत पाये जाने पर ही नियमानुसार निरस्त की गई है। जिसे पुनः बहाल किये जाने का औचित्य नहीं है।

(5) उपखण्ड अधिकारी द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की गई है। अतः उनके विरूद्ध कार्यवाही का कोई कारण नहीं है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा की प्रस्तावित उप तहसील

555. **श्री मांगीलाल गरासिया** (गोगुन्दा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री मांगीलाल गरासिया)

(1) विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में कुल कितनी उप-तहसील बनाना प्रस्तावित है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त उप-तहसील कब बनाकर चालू करा दी जायेगी?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में फिलहाल किसी भी स्थान पर उप-तहसील स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है।

(2) उप तहसील स्थापित करने का प्रस्ताव ही विचाराधीन नहीं है।

कार्यालय अधीक्षक जिला कलेक्टर जयपुर का नियुक्ति प्रकरण

556. **श्री हीरालाल सहरिया** (किशनगंज) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि श्री पी.के. अवस्थी, कार्यालय, अधीक्षक, जिला कलेक्टर कार्यालय, जयपुर की प्रथम नियुक्ति भाषा विभाग में कनिष्ठ लिपिक पद पर दिनांक 10 मई, 1965 को की गई थी? क्या इन्हें भाषा विभाग में दिनांक 20 जुलाई, 1966 को वरिष्ठ लिपिक पद पर अस्थाई पदोन्नति दी गई थी? यदि हां, तो इनकी नियुक्ति आदेश एवं पदोन्नति आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त कनिष्ठ लिपिक को भाषा विभाग में कनिष्ठ लिपिक पद पर स्थाई किया गया था उसके आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त व्यक्ति को कनिष्ठ लिपिक पद पर बिना स्थाई किये ही उन्हें वरिष्ठ लिपिक पद पर पदोन्नति दी गई थी? यदि हां, तो क्या यह नियमानुसार है?

(4) क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार द्वारा मार्च, 1998 में श्री पी.के. अवस्थी के जिला कलेक्टर कार्यालय में वरिष्ठ लिपिक पद पर समायोजन का मसला सही अथवा गलत होने के निर्णय के प्रश्न को राजस्व मण्डल पर छोड़ा गया था? यदि हां, तो दो वर्ष व्यतीत होने पर उसके क्या परिणाम रहे? जांच प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि श्री अवस्थी को तदर्थ पदोन्नति अनियमित रूप से दी गई है? यदि हां, तो इसको कब तक निरस्त किया जावेगा?

(6) क्या यह भी सही है कि जिला कलेक्टर कार्यालय, जयपुर में कार्यालय अधीक्षक के तीन पद स्वीकृत हैं? उक्त में से कितने पद कितनी अवधि से रिक्त हैं?

(7) क्या यह सही है कि गत 8 वर्षों से विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक नहीं बुलाई गई? यदि हां, तो क्यों?

(8) क्या सरकार कार्यालय अधीक्षक पद पर विभागीय पदोन्नति समिति कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितने समय में यह करवाने की योजना है?

उत्तर

(1) श्री पी.के. अवस्थी की प्रथम नियुक्ति भाषा विभाग में कनिष्ठ लिपिक के पद पर दिनांक 4.5.65 द्वारा की गई थी जिसकी पालना में श्री अवस्थी ने दिनांक 10.5.65 को कार्यभार ग्रहण किया था, तथा आदेश दिनांक 26.7.66 द्वारा वरिष्ठ लिपिक के पद पर अस्थाई पदोन्नति दी गयी। आदेशों की प्रति संलग्न प्रस्तुत है।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। भाषा विभाग से जानकारी करने पर ज्ञात् हुआ है कि श्री अवस्थी भाषा विभाग में कार्यरत रहे थे तब तक भाषा विभाग एवं इसमें सृजित पद अस्थाई थे। भाषा विभाग के दिनांक 11.7.74 को स्थाई होने के बाद ही विभाग के पद स्थाई किये गये थे।

(4) जी हां। राजस्व मण्डल ने निर्णय लिया कि प्रकरण के संबंध में जिला कलेक्टर जयपुर के स्तर से निर्णय लिया जाना है। जिला कलेक्टर ने विस्तृत जांच अतिरिक्त कलेक्टर (पंचम) से कराई गयी। जिला कलेक्टर ने अपने पत्र दिनांक 26.2.2000 द्वारा निर्णय लिया जाकर राजस्व मण्डल को अवगत कराया कि जांच में ऐसे कोई तथ्य नहीं पाये गये जिसके आधार पर श्री अवस्थी की वरिष्ठता में परिवर्तन की आवश्यकता हो। जांच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न है।

(5) तदर्थ पदोन्नति के बिन्दु पर राज्य सरकार अपने स्तर पर जांच करवायेगी।

(6) जी हां। एक पद दिनांक 1.12.94 एवं दूसरा पद दिनांक 1.11.96 से रिक्त है।

(7) कार्यालय अधीक्षक, जयपुर के पद हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 14.7.93 को आयोजित की गयी थी। इसके पश्चात् बैठक दिनांक 27.8.99 एवं 24.3.2000 को बुलाई गयी थी किन्तु जिला कलेक्टर, जयपुर द्वारा कार्यालय सहायकों की अंतिम वरिष्ठता सूची में आवश्यक संशोधन किया जाना शेष होने के कारण कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है।

(8) श्री नारायण राम वर्मा तदर्थ कार्यालय सहायक के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार जिला कलेक्टर, जयपुर द्वारा वरिष्ठता सूचियों का पुनः निर्धारण कर अंतिम वरिष्ठता सूची जारी होने के बाद पदोन्नति समिति की बैठक शीघ्र बुलाई जावेगी।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

तहसील पीपल्दा (कोटा) के प्रस्तावित राजस्व गांव

557. **श्री रामगोपाल बैरवा** (पीपल्दा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि तहसील पीपल्दा जिला कोटा में मजरा/ढाणियों को राजस्व गांव बनाने के प्रस्ताव सरकार के विचारा-

(श्री रामगोपाल बैरवा)

धीन है ? यदि हां, तो कब से और इस पर सरकार द्वारा अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

(2) क्या सरकार उक्त ढाणियों को राजस्व गांव बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) तहसील पीपल्दा क्षेत्र के पांच मजरें/ढाणियों को राजस्व ग्राम बनाने के प्रस्ताव जिला कलेक्टर, कोटा के स्तर पर दिनांक 14..8.99 से परीक्षणाधीन है।

(2) मंत्रिमण्डल सचिवालय के परिपत्र दिनांक 19.7.99 द्वारा जनगणना, 2001 की समाप्ति तक राजस्व प्रशासनिक इकाइयों के क्षेत्राधिकार एवं सीमा में परिवर्तन करना प्रतिबंधित किया हुआ है। इस कारण इन प्रस्तावों पर फिलहाल विचार करना संभव नहीं है।

ग्राम पंचायत मुडनवाड़ा (अलवर) के विचाराधीन खेत की डोल प्रकरण

558. **श्री गोपाराम मेघवाल** (सिवाना) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) ग्राम पंचायत मुडनवाड़ा, तहसील मुण्डावर (अलवर) में कुल कितने प्रकरण खेत की डोल तोड़ने के विचाराधीन हैं ? गांववार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) ग्राम हुलमाना-खुर्द (अलवर) में बाबा निमड़ीवाला के नाम से कुल कितना राजस्व रकबा है, उसमें से कितने पर अतिक्रमण है ? अब उक्त अतिक्रमण कब तक हटा दिया जायेगा ? राजस्व रिकार्ड मय-मानचित्र (नक्शा) के सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ग्राम पंचायत मुडनवाड़ा तहसील मुण्डावर में पांच ग्राम निम्न प्रकार हैं :–

मुण्डनवाड़ा कला, शाहजादपुर, हुलमाना-कला, हुलमाना खुर्द एवं भोजपुरी। इन पांचों ग्रामों में खेत की डोल तोड़नें से संबंधित प्रकरण विचाराधीन नहीं है।

(2) ग्राम हुलमाना खुर्द में बाबा निमड़ी-वाला के नाम से कोई रकबा राजस्व रिकार्ड में नहीं है। मौके पर कोई अतिक्रमण नहीं है। इसलिए अतिक्रमण हटाने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

ग्राम हुलमाना खुर्द में बाबा निमड़ीवाला का जो स्थान है वह राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन जोहड़ है। इसका ख.नं. 264 रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा है। इस मौके पर कोई अतिक्रमण नहीं है। ख.नं. 264 की जमाबन्दी एवं नक्शा प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(नक्शा प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

तहसील देसूरी (पाली) में गोचर भूमि पर अतिक्रमण

559. **श्री लालाराम गरासिया** (पिंड़वाड़ा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि तहसील देसूरी (पाली) के ग्राम आना में गोचर भूमि पर कतिपय व्यक्तियों ने अतिक्रमण कर आबून, मार्बल एवं स्टोव बर्नर की अवैध फैक्ट्री लगा रखी है ? यदि हां, तो कब से।

(2) क्या यह भी सही है कि कलेक्टर पाली द्वारा अपने पत्र क्रमांक 3471 दिनांक 18.12.99 के जरिये उक्त अतिक्रमण हटाने का आदेश तहसीलदार देसूरी को दिया था ? प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि तहसीलदार देसूरी द्वारा अतिक्रमणकारी से सांठ-गांठ कर अभी तक अतिक्रमण नहीं हटाया है ?

(4) क्या सरकार ऐसे तहसीलदार के विरूद्ध कोई कार्यवाही कर उक्त अतिक्रमण को हटाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जिला कलेक्टर ने पत्रांक 3471 दिनांक 18.12.99 द्वारा अतिक्रमण हटाने का आदेश नहीं दिया बल्कि सरपंच ग्राम पंचायत आना द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर तुरन्त जांच कर कार्यवाही करने एवं रिपोर्ट भेजने हेतु तहसीलदार, देसूरी को निर्देश दिये गये थे। प्रति संलग्न प्रस्तुत है।

(3) यह सही नहीं है कि तहसीलदार देसूरी द्वारा अतिक्रमणकारी से सांठ-गांठ कर अभी तक अतिक्रमण नहीं हटाया है।

(4) जब तथाकथित भूमि पर अतिक्रमण है ही नहीं तो तहसीलदार के विरूद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(प्रति के लिये कृपया परिशिष्ट-7 देखें)

ग्राम मोरीजा (जयपुर) में अवाप्त खुद काश्त भूमि

560. **श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 के तहत ग्राम मोरीजा, जिला-जयपुर में भूमि अवाप्त की गई है ? यदि हां, तो उक्त सम्बन्धी सूची खातेदार का नाम, रकबा व खसरा नम्बर सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि भूमि अवाप्ति के बदले मुआवजे का भी भुगतान किया गया है ? यदि हां, तो खातेदार का नाम, मुआवजे की राशि की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त अधिनियम के अन्तर्गत अवाप्त की गई भूमि के साथ-साथ इनकी खुदकाश्त की भूमि भी अवाप्त कर ली गई है ? यदि नहीं, तो इनके नाम दर्ज खुदकाश्त की सूची खातेदार

(श्री भंवरलाल शर्मा)

का नाम, खसरा नम्बर व रकबा सहित सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज. भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम के तहत ग्राम मोरीजा जिला जयपुर में भूमि अधिग्रहण की गई है। सूची (परिशिष्ट-"क") संलग्न है।

(2) जी हां। भूमि अधिग्रहण के बदले मुआवजे का भुगतान किया गया है। मुआवजे भुगतान की सूची (परिशिष्ट-"ख") संलग्न है।

(3) जी, नहीं। उक्त अधिनियम के अन्तर्गत अवाप्त की गई भूमि के साथ-साथ इनकी खुदकाश्त की भूमि अवाप्त नहीं की गई है। इनके नाम दर्ज खुदकाश्त भूमि की सूची (परिशिष्ट-"ग") संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री द्वारकाधीशजी मन्दिर झालरापाटन की मरम्मत

561. **श्री मोहन लाल राठौड़** (झालरापाटन) : क्या देवस्थान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि झालरापाटन में श्री द्वारकाधीश जी का मंदिर बहुत ही पुराना/दर्शनीय है ? क्या अभी कुछ समय पूर्व उसकी मरम्मत का कार्य शुरू कराया गया था ?

(2) क्या उक्त कार्य में मंदिर श्री द्वारकाधीश जी की छतों की खुदाई कर दी गई थी तथा मंदिर की सारी छतों को खोद कर कार्य बन्द कर दिया गया ?

(3) उक्त मंदिर की छतों को खोदकर वापस कार्य बन्द क्यों कर दिया गया है ?

(4) अब कार्य वापस कब चालू कराकर मंदिर की छत/दीवार कार्य पूर्ण कराया जावेगा ?

(5) क्या यह सही है कि मंदिर की छतों की खुदाई हो जाने से बारिश का पानी मंदिर में टपकेगा और मंदिर के ढह जाने का खतरा है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) मंदिर श्री द्वारकाधीश, झालरापाटन के जीर्णोद्धार का कार्य आवास विकास संस्थान के माध्यम से शुरू करवाया गया था, आवास विकास संस्थान के अवसायन होने के कारण बन्द हुआ है।

(4) आवास विकास संस्थान का अवसायन हो चुका है। इस संस्थान द्वारा अपूर्ण छोड़े गये कार्य को पूर्ण कराने की जिम्मेदारी राजस्थान आवासन मण्डल को सौंपी गई है, वित्तीय संसाधन प्राप्त होते ही कार्य करवाया जायेगा।

(5) मंदिर की छतों पर खुदाई होने से बारिस का पानी मंदिर में टपकने की संभावना रहेगी।

देवस्थान विभाग की किराया नीति में परिवर्तन

562. **श्री प्रताप सिंह सिंघवी** (छबड़ा) : क्या देवस्थान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में देवस्थान विभाग के कितने किरायेदार/उपकिरायेदारों ने किराये के नियमन के लिये कब-कब आवेदन किया और उनका नियमन कब-कब हुआ ?

(2) उक्त में से किन-किन किरायेदारों/उपकिरायेदारों का अब तक किराया नियमन नहीं हुआ है ?

(3) क्या सरकार किरायेदारों/उप किरायेदारों का किराया नियमन करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(4) जयपुर संभाग में अब तक बकाया किराया कितना है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार बकाया किराया वसूली हेतु किराया निर्धारण नीति में परिवर्तन करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य में देवस्थान विभाग के कुल 247 किरायेदारों/उपकिरायेदारों ने किराये के नियमन के लिए आवेदन किया इनमें से 123 किरायेदारों के किराये का नियमन हुआ। नियमन किये गये प्रकरणों का विवरण परिशिष्ट-1 सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) उपरोक्त आवेदन पत्रों में से 124 किरायेदारों/उपकिरायेदारों के प्रकरणों में किराया नियमन नहीं हुआ है। विवरण परिशिष्ट-2 सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) जी हां। किरायेदारों/उपकिरायेदारों के किराया नियमन से शेष रहे प्रकरणों का निस्तारण शीघ्र ही कर दिया जायेगा। नवीन किराया नीति विचाराधीन है।

(4) जयपुर संभाग में मार्च, 2000 तक कुल किराया रु. 64,82,695/– बकाया है। विवरण परिशिष्ट-3 सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(5) जी हां।

राज्य में देवस्थान विभाग के किरायेदारों के लिए नवीन किराया नीति विचाराधीन है। शीघ्र ही जारी की जाएगी।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

उपायुक्त देवस्थान, जयपुर का कार्यालय स्थानान्तरण

563. **श्री रामस्वरूप** (टोडाभीम) : क्या देवस्थान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि देवस्थान उपायुक्त का कार्यालय जयपुर से मुख्यावास उदयपुर दिनांक 22.2.2000 को स्थानान्तरित

(श्री रामस्वरूप)

कर दिया गया है ? यदि हां, तो अभी तक उपायुक्त देवस्थान द्वारा पद का कार्यभार क्यों नहीं संभाला गया है और अब ये कब तक वहां पर अपनी उपस्थिति दे देंगे ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उच्च न्यायालय द्वारा सहायक उपायुक्त के पद पर आर.ए.एस. अधिकारी लगाने हेतु रोक लगा रखी है ? यदि हां, तो उसकी प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त रोक के बावजूद भी किसी सहायक आयुक्त के पद का चार्ज किसी आर.ए.एस. को संभला रखा है ? यदि हां, तो क्यों एवं किसके आदेशों से ? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि स्थानान्तरण पर रहते हुए भी कोई अधिकारी न्यायायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत सम्पदा केसेज व ट्रस्ट कैसेज की सुनवाई कर सकता है ? यदि हां, तो क्या कोई सुनवाई हुई है ? यदि हां, तो कौन-कौन सी किस-किस दिनांक को ? क्या उक्त सुनवाई के बाद निर्णय भी पारित हो चुके हैं ? यदि हां, तो किस अधिकारी से ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या देवस्थान विभाग में कतिपय अधिकारी/कर्मचारियों की वेतन वृद्धियां रोकी गई हैं ? रोकी गई वेतन वृद्धियां किस आधार पर रोकी गई ? क्या सरकार उनको वेतन वृद्धियां वापस देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। परन्तु देवस्थान उपायुक्त जयपुर ने राज्यादेश दि. 22.2.2000 की पालना में दि. 4.4.2000 को देवस्थान उपायुक्त, उदयपुर के पद पर कार्यग्रहण कर लिया है।

(2) जी हां। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दि. 4.11.93 की प्रति परिशिष्ट-1 सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी नहीं।

(4) जी हां। स्थानान्तरण पर रहते हुए अधिकारी द्वारा सम्पदा व ट्रस्ट प्रकरण की सुनवाई करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। उपायुक्त, जयपुर द्वारा एक सम्पदा प्रकरण सं. 89/87 निरीक्षक बनाम कृष्णचंद्र जयपुर का निर्णय दिनांक 23.2.2000 को किया है।

(5) जी हां। ऐसा नहीं है। देवस्थान विभाग में किसी भी अधिकारी की तानाशाही से किसी कर्मचारी की वेतन वृद्धि नहीं रोकी गई है। प्रश्नगत अधिकारी उपायुक्त, जयपुर द्वारा कर्मचारियों की रोकी गई वेतन वृद्धियों का विवरण निम्न प्रकार है :–

नाम कर्मचारी एवं पद	आदेश क्र., दि.	रोकी गई वेतन वृद्धि की संख्या
1. श्री हरिओम शर्मा वरिष्ठ लिपिक सहा. आयुक्त (ट्रस्ट)	3120-22 दि. 20.10.99	2 वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से
2. श्री प्रीतमसिंह प्रहरी स.आ. (मंदिर)	903 दि. 9.4.99	2 वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से

(राज्य मंत्री, देवस्थान)

नाम कर्मचारी एवं पद	आदेश क्र., दि.	रोकी गई वेतन वृद्धि की संख्या
3. श्री राम खिलाड़ी च.श्रे.क. स.आ. (ट्रस्ट)	2522 दि. 23.9.99	1 वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से
4. श्री विजेन्द्र कुमार मिश्रा, सेवागीर	1100 दि. 9.4.99	1 वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से
5. श्री जुगल किशोर वर्मा, च. श्रे. क.	3220 दि. 2.10.99	2 वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से
6. श्री मनीष कुमार शर्मा, प्रबन्ध–II स.आ.(मंदिर) जयपुर।	3490 दि. 13.12.99	2 वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से

उक्त वेतन वृद्धियां अनुशासनात्मक कार्यवाही के तहत रोकी गई है। तथा यह आदेश अपील योग्य है। यदि किसी कर्मचारी को इसमें आपत्ति हो तो वह नियमानुसार सक्षम अधिकारी को अपील कर सकता है।

(प्रति के लिये कृपया परिशिष्ट-8 देखें)

विधान सभा क्षेत्र लाडनूं के खुदरा केरोसीन तेल विक्रेताओं को तेल आपूर्ति में अनियमितता

564. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाड़नूं) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि गांवों व शहरों में खुदरा विक्रेताओं के द्वारा केरोसीन तेल का वितरण किया जा रहा है ? यदि हां, तो तहसील लाडनूं और डीडवाना के खुदरा विक्रेताओं को वितरण के लिये जनवरी, 1999 से मार्च, 2000 तक किस-किस को कितना-कितना तेल उपलब्ध कराया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से किस खुदरा विक्रेता को कितना तेल उपलब्ध कराना है इसका फैसला किस स्तर पर किस प्रक्रिया से किया जा रहा है ?

(3) क्या सभी विक्रेताओं को समान रूप से तेल उपलब्ध कराया गया है ? यदि हां, तो किस प्रकार से और नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या विभाग को कभी किसी खुदरा विक्रेता ने ऐसी शिकायत की है कि उनको बराबर तेल उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है ? यदि हां, तो किसने कब तथा विभाग ने क्या कार्यवाही की ?

(5) उक्त सभी विक्रेताओं को समय पर समान भाव से तेल उपलब्ध हो सके इसके लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

उत्तर

(1) जी हां। तहसील लाडनूं एवं डीडवाना के खुदरा विक्रेताओं के लिये जनवरी, 1999 से मार्च, 2000 तक जिस-जिस को जितना-जितना केरोसीन तेल वितरण हेतु उपलब्ध कराया गया, का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) उक्त तहसील की मांग एव उपलब्धता को मध्यनजर रखते हुये संबंधित

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

तहसीलदार द्वारा एवं उपखण्ड मुख्यालय पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा खुदरा विक्रेताओं को वितरण हेतु केरोसीन तेल का आवंटन किया जाता है।

(3) जी नहीं। स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुए केरोसीन का वितरण कराया जाता है।

(4) जी नहीं।

(5) स्थानीय आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए स्थानीय प्रशासन द्वारा केरोसीन का वितरण कराया जाता है। विभाग द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि सभी को समान परिस्थितियों में समान भाव से केरोसीन का वितरण कराया जावें।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जिला मंच उपभोक्ता संरक्षण धौलपुर के मृतक कर्मचारी के आश्रित को नियुक्ति

565. **श्री करण सिंह यादव** (बहरोड) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या जिला मंच उपभोक्ता संरक्षण अपने मृतक कर्मचारी के आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति देता है ?

(2) धौलपुर जिला मंच उपभोक्ता संरक्षण के मृतक कर्मचारी के आश्रित पुत्र को अब तक नियुक्ति नहीं देने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) राज्य सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण राज्य आयोग को लिखा गया है कि मृतक के आश्रित को अतिशीघ्र नियुक्ति दी जाकर सूचित करें।

नया ग्राम (टोंक) का प्रस्तावित बांध

566. **श्री दिग्विजय सिंह** (उनियारा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि नया ग्राम तहसील देवली में एक बांध का निर्माण होने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

(2) क्या उक्त बांध के निर्माण होने से उक्त क्षेत्र की लगभग एक हजार बीघा से ऊपर सिंचाई होगी ? क्या इस क्षेत्र में सिंचाई के लिए और कोई व्यवस्था संभव नहीं है ?

(3) क्या वर्ष 1998-99 में सिंचाई विभाग द्वारा उक्त योजना का सर्वे भी करवाया जा चुका है ? क्या अब उक्त प्रकरण स्वीकृति हेतु वित्त विभाग में लंबित है ?

(4) क्या उक्त योजना को आर्थिक दृष्टि से लाभदायक माना है ? यदि हां, तो इस का कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) विभाग में अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

(सिंचाई मंत्री)

(2) प्रस्तावित बांध के निर्माण से लगभग 1200 बीघा भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी। इस क्षेत्र की सिंचाई के लिए और कोई व्यवस्था संभव प्रतीत नहीं होती।

(3) जी हां। प्रस्तावित परियोजना का सर्वेक्षण करने के उपरान्त इसके आंकलन को अधीक्षण अभियंता, अजमेर के स्तर पर अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(4) उक्त परियोजना का लाभ-लागत के अनुपात में उपादेय पाये जाने पर इसे स्वीकृत करना सम्भव होगा।

विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) में सिंचाई विभाग द्वारा व्यय की गई राशि में अनियमितताओं की जांच

567. **श्री ज्ञानदेव आहूजा** (रामगढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्ष 1993 से 1998 तक जिला अलवर में कुल कितनी राशि विभिन्न कार्यों हेतु स्वीकृत की गई और उसमें से निर्माण कार्यों में कितनी व्यय हुई ?

(2) विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ में कितनी राशि स्वीकृत कर किन-किन कार्यों पर व्यय की गई ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र में सिंचाई विभाग ने जो राशि व्यय की उसका सदुपयोग नहीं हो पाया ? क्या सरकार इसकी जांच कराने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों और हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) वर्ष 1993 से 1998 तक जिला अलवर में विभिन्न मदों से विभिन्न कार्यों पर कुल रूपये 1959.87 लाख स्वीकृत किये गये, जिसके विरुद्ध रूपये 1484.31 लाख निर्माण कार्यो पर व्यय किये गये।

(2) विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ में वर्ष 1993 से 1998 के मध्य विभिन्न कार्यों पर कुल राशि रूपये 277.84 लाख की स्वीकृति के विरुद्ध रूपये 92.28 लाख का व्यय किया गया जिसका विवरण परिशिष्ट-"अ" संलग्न है।

(3) जी नहीं, विभाग द्वारा व्यय की गई राशि का उपयोग हुआ है और इसकी कोई जांच कराना विचाराधीन नहीं है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-9 देखें)

ग्राम दोथली व देवरिया (अजमेर) में लघु सिंचाई परियोजना हेतु सर्वे

568. **श्री सांवर लाल** (भिनाय) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या जिला अजमेर के ग्राम दोथली व देवरिया में लघु सिंचाई परियोजना बनाने हेतु सरकार ने सर्वे कराया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त योजनाएं बनाकर किसानों को लाभान्वित करने का विचार रखती है ?

उत्तर

जी हां। ग्राम दोथली व देवरिया में सिंचाई परियोजनाएं आर्थिक दृष्टि से उपादेय नहीं होने के फलस्वरूप क्रियान्विती पर विचार किया जाना सम्भव नहीं है।

माही परियोजना बांसवाड़ा के वर्कचार्ज कर्मचारियों का समायोजन

569. **श्री नानालाल नीनामा** (घाटोल) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) माही परियोजना बांसवाड़ा के यांत्रिक खण्ड पर प्रतिवर्ष कितनी राशि वर्कचार्ज कर्मचारियों पर व्यय की जा रही है ? वर्तमान में उक्त कर्मचारियों से क्या कार्य लिया जा रहा है और कितनी मशीनें हैं तथा उन पर कितने कर्मचारी कार्यरत हैं एवं कितने सरप्लस हैं ?

(2) क्या सरकार ने उक्त कर्मचारियों को सरप्लस कर अन्य स्थानों पर भेजने की कोई कार्यवाही की है ? यदि हां, तो सरप्लस कर्मचारी अन्यत्र कब तक लगा दिये जायेंगे।

उत्तर

(1) माही परियोजना यान्त्रिक खण्ड में वर्ष 1999-2000 में 484 कर्मचारी कार्यरत हैं। जिन पर लगभग 333 लाख रूपये व्यय किये गये। इन कर्मचारियों से मशीनों का संचालन, संधारण व बजट उपलब्धि के अनुसार निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। वर्तमान में इस खण्ड में 102 मशीनें हैं। 132 कर्मचारियों के समायोजन एवं स्वेच्छिक सेवा निवृति के उपरान्त दिंनाक 1.4.2000 को 352 कर्मचारी शेष हैं। बजट की कमी के कारण विभागीय मशीनों द्वारा काम कम होने के कारण सिर्फ 42 कर्मचारी काम पर हैं तथा 310 कर्मचारी अधिशेष हैं।

(2) जी हां। उक्त अधिशेष 310 कर्मचारियों में से 42 के समायोजन के आदेश प्राप्त हो गये हैं एवं शेष कर्मचारियों के समायोजन करने का कार्य संभागीय आयुक्तों के माध्यम से अन्य विभागों में करने की कार्यवाही की जा रही है।

सांगोद, जिला कोटा की सावन भादो सिंचाई योजना

570. **श्री हेमन्त कुमार** (दीगोद) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि सांगोद (कोटा) में सावन भादो सिंचाई योजना की नहरों के निर्माण का कार्य पूर्ण हो गया है ? यदि नहीं, तो कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा और हां, तो निर्मित नहरों के देखभाल की क्या व्यवस्था है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। निर्मित नहरों की देखभाल के लिए सावन भादो सिंचाई उपखण्ड-III मुख्यालय कनवास के अधीन सहा. अभि., कनि. अभि. एवं कार्य प्रभारी कर्मचारी इत्यादि कार्यरत हैं। विवरण परिशिष्ट-"अ" संलग्न है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-10 देखें)

विधान सभा क्षेत्र बेगूं की प्रस्तावित सिंचाई परियोजनाओं का सर्वे

571. **श्री घनश्याम जैन** (बेगूं) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र बेगूं में कितनी नदियां/बड़े नाले हैं, जिन पर सिंचाई परियोजनायें बनाई जा सकती हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त क्षेत्र में सिंचाई परियोजनाओं के लिए किन-किन नदियों/नालों का सर्वे किया जा चुका है ?

(3) क्या भूंजर का नाला, मेनाली नदी एवं साकड का नाका का सर्वे कभी हुआ है ? उक्त परियोजनाओं पर कार्य प्रारम्भ नहीं करने के क्या कारण हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बेगूं में 3 नदियां व 27 बड़े नाले हैं, जिन पर सिंचाई परियोजनाओं का आर्थिक, भौतिक एवं तकनीकी दृष्टि से उपादेयता सम्बन्धी सर्वेक्षण जारी है।

(2) उक्त क्षेत्र में 3 नदियों मेनाली, खोकी और ऐरा नदी (पतलोई) पर व 10 बड़े नालों महेश्वरा, सांकड का नाका, काली देह, पचौर, शम्भुनाथ जी का खेडा, दोबडा नाला, कबाडिया तालाब, भंवर पिपला, जल सागर तालाबों का सर्वे का कार्य प्रगति पर है। मात्र भूंजर तालाब का सर्वेक्षण के पश्चात् आंकलन तैयार किया जा रहा है।

(3) जी हां। तीनों परियोजनाएं आरक्षित वन क्षेत्र में होने के कारण वन विभाग द्वारा अनुमति प्रदान नहीं होने के फलस्वरूप उक्त परियोजनाओं की स्वीकृति नहीं हो सकी।

विधान सभा क्षेत्र किशनगंज की लम्बित लघु सिंचाई परियोजनाएं

572. **श्री हीरालाल सहरिया** (किशनगंज) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगंज (बारां) में कितनी लघु सिंचाई परियोजना वन विभाग की भूमि के कारण लम्बित हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त क्षेत्र की लम्बित लघु परियोजनाओं पर कितनी राशि व्यय की जा चुकी है ? परियोजनावार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार ने उक्त लम्बित लघु सिंचाई परियोजना के भूमि रूपान्तरण हेतु क्या कोई प्रयास किये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगंज जिला बारां में 3 लघु सिंचाई परियोजनाएं नवेली, अहमदी एवं बेदरा वन विभाग की भूमि होने के कारण लम्बित हैं।

(सिंचाई मंत्री)

(2) उक्त 3 लम्बित लघु सिंचाई परियोजनाओं में से नवेली एवं अहमदी लघु सिंचाई परियोजनाएं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एन.आर.ई.पी.) के अन्तर्गत वर्ष 1985-86 में स्वीकृत हुई जिसके पेटे किया गया व्यय परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है। तत्पश्चात् वन विभाग द्वारा रोक लगाये जाने के कारण कार्य बन्द कर दिया गया है।

(3) जी हां। प्रकरण की वर्तमान स्थिति का विवरण परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-11 देखें)

विधान सभा क्षेत्र बागीदोरा में एनीकट निर्माण में अनियमितताएं

573. **श्री जीतमल खांट** (बागीदोरा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र बागीदोरा में वर्ष 1994 से 1998 तक कुल कितने एनीकटों का कहां-कहां निर्माण कराया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त एनीकटों में ऐसे कितने एनीकट हैं जो एक से अधिक बार राशि स्वीकृत कर उनका निर्माण कार्य करवाये जा चुके हैं ?

(3) क्या भुगतान मुताबिक मौके पर कार्य नहीं हुआ है ? यदि हां, तो सरकार गलत रिपोर्ट देने वालों के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बागीदोरा में वर्ष 1994-98 तक डी.आर.डी.ए. एवं अकाल राहत विभाग द्वारा 17 एनिकटों का निर्माण कार्य करवाया गया है। सूची परिशिष्ट "अ" में संलग्न है।

(2) उक्त एनिकटों में से 12 एनिकटों पर एक से अधिक बार राशि स्वीकृत हुई है।

(3) जी नहीं। भुगतान के मुताबिक ही मौके पर कार्य हुआ है, अतः किसी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कोई कार्यवाही विचाराधीन नहीं है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-12 देखें)

विधान सभा क्षेत्र खारची में किराये के भवनों में कार्यरत पशु चिकित्सालय

574. **श्री केसाराम चौधरी** (खारची) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र खारची में दानदाताओं द्वारा पशु चिकित्सालयों के भवन किन-किन गांवों में बनाकर दिये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त क्षेत्र में ऐसे कितने पशु चिकित्सालय हैं जो किराये के भवन में चल

(श्री केसाराम चौधरी)

रहे हैं ? क्या दानदाता द्वारा भवन बनाकर दिये जाने के बाद भी कई चिकित्सालय किराये के भवन में चल रहे हैं ?

(3) क्या मारवाड़ जंक्शन में केवल बाउण्ड्री वाल नहीं होने की वजह से दानदाता द्वारा बनाया हुआ भवन दो वर्ष से खाली पड़ा है ? क्या सरकारी पशु चिकित्सालय बहुत ही खराब मकान में किराये पर लिया हुआ है ? यदि हां, तो उसको कब तक नये भवन में शिफ्ट कर दिया जावेगा।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र खारची में दानदाताओं द्वारा पशु चिकित्सालयों के लिए भवन निम्नांकित 4 गांवों में बनाये गये हैं :–

1. पशु चिकित्सालय, धनला
2. पशु चिकित्सालय, आऊवा
   (निजी पशु चिकित्सालय खोले जाने संबंधी शर्तें पूर्ण नहीं करने के कारण चिकित्सालय आरम्भ नहीं किया गया)
3. पशु चिकित्सालय, मारवाड़ जंक्शन (निर्माण कार्य अभी जारी है) भवन विभाग को स्थानान्तरित नहीं हुआ है।
4. पशु औषधालय, देवली आऊवा

(2) कोई भी चिकित्सालय किराये के भवन में नहीं चल रहा है।

(3) मारवाड़ जंक्शन में पशु चिकित्सालय हेतु दानदाता द्वारा निर्मित कराये गये भवन में फर्स की घिसाई का कार्य एवं बाउण्ड्री वाल का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण उसमें पशु चिकित्सालय नहीं चलाया जा रहा है क्योंकि भवन अभी विभाग को स्थानान्तरित नहीं किया गया है। वर्तमान में भी पशु चिकित्सालय मारवाड़ जंक्शन निःशुल्क भवन में चल रहा है। भवन की स्थिति ठीक है। नव निर्मित भवन दानदाता द्वारा उपलब्ध कराने पर चिकित्सालय उसमें स्थानान्तरित कर दिया जावेगा।

ग्राम जोधियासी/नोखा चान्दावता (नागौर) में पशु चिकित्सालय की स्थापना

575. **श्री हबीबुर्रहमान** (मूंडवा) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या सरकार जिला नागौर के ग्राम जोधियासी व नोखा चान्दावता में पशु चिकित्सालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक, और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी नहीं। नागौर जिले के ग्राम जोधियासी एवं नोखा चान्दावता में पूर्व से ही पशु चिकित्सा उपकेन्द्र स्वीकृत है।

जयपुर डेयरी में किराये का वाहन प्रकरण

576. **श्री रामस्वरूप** (टोडाभीम) : क्या डेयरी राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री रामस्वरूप)

(1) जयपुर डेयरी में बाहर से दूध मंगवाने हेतु "डेयरी" के कितने टैंकर हैं ? उक्त में से कितने कब से खराब पड़े हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विभाग में चालू हालत में टैंकर होने के उपरान्त भी विभाग के वाहनों से दूध सप्लाई नहीं किया जा रहा है बल्कि विभाग में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी के स्वयं के एवं उनके रिश्तेदारों के वाहन बाहर से दूध मंगवाने हेतु लगा रखा हैं ? यदि हां, तो कितने-कितने वाहन कितने रुपये प्रतिमाह के हिसाब से किसके आदेश से कब से लगवाये गये ? इससे राज्य कोष पर कितना नुकसान प्रतिमाह हो रहा है ? क्या इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो कब और क्या उसकी जांच कराई गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार उक्त निजी वाहनों को बाहर से दूध मंगवाने एवं सप्लाई करवाने हेतु बन्द कर डेयरी वाहनों से ही उक्त सप्लाई चालू करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब से ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर डेयरी के स्वयं के 5 टैंकर कार्यरत हैं। पांचों टैंकर चालू हालत में हैं। सूची परिशिष्ट-"क" पर उपलब्ध है।

(2) दूध की अत्यधिक आवक होने के कारण दूध सप्लाई में स्वयं के पांच टैंकर्स एवं अलवर डेयरी के दो टैंकर्स भी कम पड़ने लगे, अतः अनुबंध पर अतिरिक्त टैंकर्स लिये गये। अनुबंध पर लिये गये वाहनों की संख्या व दर इत्यादि का विवरण परिशिष्ट-"ख" पर उपलब्ध है। अनुबंधित वाहन प्रबन्धक (क्रय), डेयरी फेडरेशन, प्रबन्ध संचालक/प्रबन्धक (संयंत्र), जयपुर दुग्ध संघ, प्रबन्धक (संयंत्र), उत्तरी राजस्थान दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. बीकानेर के आदेशों के अनुसार लगाये गये हैं। अनुबंधित टैंकर्स से संघ को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। एक शिकायत 01.04.2000 को प्राप्त हुई जिस पर जांच कराकर वस्तुस्थिति से अवगत कराने के निर्देश दिये जा चुके हैं।

(3) जी नहीं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-13 देखें)

राज्य में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना

577. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** (बड़ी सादड़ी) : क्या संस्कृत शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में संस्कृत विश्वविद्यालय खोलने की सर्वप्रथम घोषणा किसने एवं कब की थी ?

(2) क्या उक्त विश्वविद्यालय स्थापित हो चुका है ? यदि हां, तो कहां और कब ?

(3) क्या उक्त विश्वविद्यालय में नियमित पठन पाठन का कार्य प्रारम्भ हो चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) तत्कालीन मुख्य मंत्री माननीय भैरोंसिंह शेखावत ने अपने बजट भाषण वर्ष 1996 में संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापना की घोषणा की थी।

(2) स्थापना की कार्यवाही सक्रियता से की जा रही है।

(3) जी नहीं। संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना के त्वरित प्रयास उच्च स्तर पर जारी हैं। विश्वविद्यालय स्थापना हेतु भूमि, ग्राम मदाऊ तहसील सांगानेर में 69.88 हैक्टेयर भूमि आवंटित हो चुकी है। अतिरिक्त भूमि भवन निर्माण हेतु आवंटन की कार्यवाही चल रही है। साथ ही जब तक उक्त आवंटित भूमि पर विश्वविद्यालय निर्माण नहीं हो पाता है तब तक विश्वविद्यालय के संचालन हेतु वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है।

स्थगित-प्रश्न

(दिनांक 5 अप्रेल, 2000)

दिल्ली स्थित राजकीय आवासों पर व्यय

144. **श्री अमराराम** (धोद) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) दिल्ली स्थित राजस्थान हाऊस एवं दिल्ली स्थित राजकीय आवास गृहों पर सालाना स्थापना व्यय एवं संचालन व्यय कितना है ?

(2) उक्त आवास गृहों से सालाना कितनी आय/व्यय होती है ? गत पांच वर्षों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त आवासों की किन-किन अधिकारी एवं राजनेताओं पर कितनी-कितनी राशि कब-कब से बकाया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) राज्य सरकार ने अब तक उक्त वसूली हेतु क्या-क्या कार्यवाही की है ? अब तक वसूली नहीं होने के क्या कारण हैं और अब वसूली कब तक कर ली जावेगी ?

उत्तर

(1) इन आवास गृहों पर गत् वित्तीय वर्ष 1998-99 में स्थापना व्यय राशि 69.90 लाख रुपये व संचालन व्यय राशि 134.23 लाख रुपये व्यय हुआ है।

(2) इन आवास गृहों से गत वित्तीय वर्ष 1998-99 में राशि 180.41 लाख रुपये आय एवं 707.34 लाख रुपये व्यय हुआ। गत पांच वित्तीय वर्षों का आय-व्यय का विवरण निम्नानुसार है :–

वित्तीय वर्ष	आय (लाख रु.)	व्यय (लाख रु.)
1994-95	25.36	105.65
1995-96	33.53	113.19
1996-97	37.55	132.64
1997-98	41.49	151.73
1998-99	42.48	204.13
योग	180.41	707.34

(सामान्य प्रशासन मंत्री)

(3) सूची परिशिष्ट-(क) पर संलग्न है।

(4) विभाग द्वारा बकाया की शीघ्र वसूली हेतु निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं। संबंधित प्रबंधकों को भी समय-समय पर निर्देश दिए गये हैं। वर्तमान में विभाग द्वारा अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर उधार की प्रक्रिया बिल्कुल बंद कर दी गई है। पुरानी बकाया हेतु संबंधितों को निरन्तर विभागीय स्तर पर एवं संबंधित प्रबंधक द्वारा पत्र जारी किये जा रहे हैं। कुछ प्रकरणों में संबंधितों की पेंशन से वसूली की कार्यवाही भी की गई है। विभागीय प्रयासों से वर्तमान में बकाया राशि में निरन्तर कमी हो रही है। कुछ प्रकरणों में संबंधित व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के कारण वसूली प्रक्रिया में व्यवधान आ रहा है। विभाग बकाया वसूली की दिशा में निरन्तर प्रयासरत है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-14 देखें)

जिला टोंक में सीलिंग में अवाप्त भूमि का मुआवजा प्रकरण

578. **श्री दिग्विजय सिंह** (उनियारा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या राज्य में कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिनियम 1972 से लागू हैं ? यदि हां, तो इसके अन्तर्गत राज्य को कितनी भूमि प्राप्त हुई ? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अधिनियम के लागू होने से जिला टोंक में कुल कितनी भूमि समर्पित हुई ? तहसीलवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि अधिनियम के अन्तर्गत अधिगृहणियों को मुआवजा दिया जाना है ? यदि हां, तो जिला टोंक में कुल कितना मुआवजा दिया जा चुका है ? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि अधिगृहणियों को वर्ष 1975 में भूमि अवाप्ति होने के बाद से अब तक मुआवजा नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो किस-किस तहसील में कितनी मुआवजें की रकम देना शेष है ? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) सरकार उक्त अधिगृहणियों को जिनकी भूमि सीलिंग में आ गई है उनको मुआवजा कब तक देने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) राज्य में कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1972 से लागू न होकर बल्कि 1973 से लागू हुआ था। जिसके तहत कुल 2,42,874.71 एकड़ भूमि प्राप्त हुई है। जिलेवार सूची परिशिष्ट-"क" पर उपलब्ध है।

(2) सीलिंग अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत जिला टोंक में कुल 14442 एकड़ भूमि समर्पित हुई है। तहसीलवाईज सूची परिशिष्ट-"ख" पर उपलब्ध है।

(राजस्व मंत्री)

(3) जी हां। जिला टोंक में अब तक 5,62,060/– का मुआवजा दिया जा चुका है। तहसीलवार सूची परिशिष्ट-"ग" पर है।

(4) जी हां। जिला टोंक में 64 भूमि-धारकों द्वारा मुआवजा प्राप्त करने हेतु क्लेम प्रस्तुत नहीं किया है। तहसीलवार सूची परिशिष्ट-"घ" पर उपलब्ध है।

(5) भूमिधारकों द्वारा मुआवजा के लिये निर्धारित प्रपत्र में क्लेम प्रस्तुत करने पर नियमानुसार उनकी जांच कर मुआवजा भुगतान की कार्यवाही की जा सकेगी।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-15 देखें)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :–

(1) श्री अमराराम धोद, सदस्य की ओर से हवाई अड्डा विस्तार योजना, सांगानेर, जयपुर में बसे हुए लोगों को मुआवजा दिये बगैर विस्थापित करने की योजना से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(2) श्री मदन दिलावर, सदस्य की ओर से आवासन मण्डल, अलवर में 27 वर्ष पूर्व लॉटरी में निकले मकान को आज तक आवंटित नहीं करने के संबंध में।

(3) श्री गुलाब चन्द कटारिया, सदस्य की ओर से विश्वविद्यालयों में छात्रों से लिये जाने वाले शुल्क में वृद्धि करने के संबंध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा।

श्री जगमाल सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैंने बाड़मेर के भूमि विकास बैंक के फव्वारों में हुए घोटाले के मामले में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव 7 तारीख को लगाया था। मैं अनुशासित हूं, आपके आदेशों की पालना करता हूं। मैं बार-बार मिल भी चुका हूं। जो बाड़मेर में 7 करोड़ का स्कैण्डल हुआ है फव्वारों में, उसकी जांच भी 3-3

(12.05 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

बार हो चुकी है। और वह एम.डी. जो बाड़मेर भूमि विकास बैंक का था, उसको तीनों रिपोर्टों में दोषी पाया गया है। फिर भी वह लग नहीं रहा है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि कानूनन तरीके से जो 7 तारीख की रिपोर्ट है वह रिपोर्ट भी आ गयी है। इसलिये मेरे उस ध्यान आकर्षण प्रस्ताव को लगाने की कृपा करें।

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा विनम्र निवेदन है कि यह पूरा

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

का पूरा बजट सत्र चला। इतने लम्बे सत्र के चलने के बाद भी एक भी ध्यान आकर्षण प्रस्ताव इस सदन में अभी तक डिस्कशन के लिये नहीं लगा है।

मोहम्मद माहिर आजाद : एक लगा है केवल, वृद्धिचन्द जी जैन का, पाली के ऊपर, एक लगा है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं सोचता हूं कि इतना लम्बा, कम से कम एक प्रतिदिन ध्यान आकर्षण प्रस्ताव जो आप ठीक समझें, जिसको आप उचित समझें, क्योंकि निश्चिंत रूप से, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव देने का कोई मतलब नहीं रहता है। जो हमने सत्र शुरू होने के 10 दिन पहले ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिये हैं उनमें से एक भी अभी तक लिस्टेड नहीं हुआ है। कृपा करके लगाइये।

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, सवाई माधोपुर में राजस्व न्यायालयों में वकीलों की 7 महीने से हड़ताल हो रही है, काश्तकार बराबर परेशान हो रहे हैं, कोई राजस्व न्यायालय खुल नहीं रहा है। उस पर मैंने 4 तारीख को ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिया था। आज 19 तारीख हो गयी, 15 दिन होने के बावजूद भी सरकार ने न उसका जवाब मंगाया, न उसको लगाया। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि ऐसी जन समस्याओं और ज्वलंत मुद्दों पर सदस्य 131 पर आपसे निवेदन करते हैं। आपकी व्यवस्था है कि 3 दिन में उत्तर आ जाना चाहिए। 15-15 दिन में उत्तर आये, या नहीं आये, बिना उत्तर आये भी आप विधान सभा की प्रक्रिया के नियमों के अन्दर उसको लगा सकते हैं। इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि इन ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, जो इतने ज्वलंत मुद्दों पर है, कृपया उनको आप लगाकर के हमको ध्यान आकर्षित करने का अवसर प्रदान करें।

श्री उपाध्यक्ष : व्यवस्था करेंगे।

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्रीमती सुमित्रा सिंह, सदस्य की ओर से राज्य के पॉलीटेक्निक महाविद्यालयों में कार्यरत गणित एवं अंग्रेजी विषय के प्रवक्ताओं के पद समाप्त करने के संबंध में।

(2) श्री नाथूराम अहारी, सदस्य की ओर से डूंगरपुर के जनरल हास्पिटल की हालत खराब होने के संबंध में।

(3) श्री बाबूलाल सिंगारिया, सदस्य की ओर से राज्य में अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग गठित करने के संबंध में।

(4) श्री अशोक तंवर, सदस्य की ओर से तहसील फागी एवं चाकसू के गांवों में विद्युत आपूर्ति पर्याप्त नहीं होने के संबंध में।

(5) श्री हेमन्त कुमार, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र दीगोद के बड़ौद कस्बे में उप तहसील कार्यालय खोलने के संबंध में।

(श्री उपाध्यक्ष)

(6) मोहम्मद माहिर आजाद, सदस्य की ओर से राज्य के सबसे बड़े सवाई मानसिंह चिकित्सालय में व्याप्त अव्यवस्थाओं के संबंध में।

(7) श्री शिवनाथ सिंह, सदस्य की ओर से झुन्झुनूं जिले की उदयपुरवाटी तहसील की जल योजना का कार्य डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के सही नहीं होने के कारण रुका पड़ा होने के संबंध में।

(8) श्री त्रिलोक पूर्बिया, सदस्य की ओर से उदयपुर शहर में गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था करने के संबंध में।

(9) श्री बृजेन्द्र सूपा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बयाना में बिगड़ी हुई विद्युत व्यवस्था के संबंध में।

(10) श्रीमती मधु दाधीच, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा की अनियमित विद्युत व्यवस्था के संबंध में।

(11) श्री भंवरू खान, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर के कतिपय गांवों में मीठे पानी की व्यवस्था करने के संबंध में।

(12) श्री गोवर्द्धन कल्ला, सदस्य की ओर से जिला जैसलमेर में ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु सामग्री की आपूर्ति करने के संबंध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

राज्य के पालिटेक्निक महाविद्यालयों में कतिपय विषयों के प्रवक्ताओं के पद समाप्त करने विषयक

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुन्झुनूं) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के तहत निवेदन है कि राज्य के 14 पालीटेक्निक महाविद्यालयों में कार्यरत गणित एवं अंग्रेजी के 24 प्रवक्ताओं को अधिशेष घोषित नहीं किया जाए क्योंकि राज्य के 14 पालीटेक्निक महाविद्यालयों में राज्य लोक सेवा आयोग से चयनित अंग्रेजी व गणित के 24 प्रवक्ता/वरिष्ठ प्रवक्ता विभागाध्यक्ष वर्षों से कार्यरत हैं। तकनीकी शिक्षा निदेशक ने इन 24 प्रवक्ताओं के पद अधिशेष घोषित करने के प्रस्ताव बी.एफ.सी. में प्रस्तुत कर इन विषयों के कार्यभार को 150/– रुपये प्रति घंटा की दर से ठेके पर पढ़वाने के प्रस्ताव दिये हैं।

निदेशक महोदय द्वारा प्रस्तुत इन प्रस्तावों से तकनीकी शिक्षा के स्तर में गिरावट होगी एवं साथ में इन महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों के पाठ्यक्रम की मान्यता भी खटाई में पड़ सकती है क्योंकि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा पाठ्यक्रम को मान्यता प्रदान करते समय यह

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

आवश्यक शर्त रखी जाती है कि इन विषयों के नियमित सृजित पद होने चाहिए।

एक ओर जहां विभाग में 174 पद रिक्त हैं उन्हें अधिशेष घोषित नहीं किया गया है वहीं दूसरी ओर लगभग 24 कार्यरत प्रवक्ताओं को अधिशेष घोषित करवाकर इन विषयों के पाठ्यक्रम को 150/– रुपये प्रति घंटे की दर से पढ़वाकर राज्य सरकार पर वित्तीय भार बढ़वाया जा रहा है।

वर्तमान में 20 पालीटेक्निक महाविद्यालयों हेतु एक निदेशक, एक संयुक्त निदेशक, 6 उप निदेशक, 18 सहायक निदेशक एवं 20 प्रधानाचार्यों के पद सृजित हैं। क्या 20 पालीटेक्निक महाविद्यालयों हेतु 49 प्रशासनिक पदों की आवश्यकता है ? वर्तमान में इन 49 प्रशासनिक पदों में से 18 पद रिक्त हैं मगर बी.एफ.सी. में एक भी पद समाप्त नहीं किया जा रहा है। इन 49 प्रशासनिक पदों में से 20 पद तुरन्त प्रभाव से समाप्त किये जा सकते हैं। इन पदों की कटौती से 54 लाख रुपये वार्षिक की बचत होगी और इन पदों के समाप्त होने से अधिशेष होने वाले आठ व्यक्ति विभिन्न पालीटेक्निक महाविद्यालयों में रिक्त पड़े प्रधानाचार्यों एवं विभागाध्यक्ष के समकक्ष पदों पर समायोजित हो जाएंगे, परिणाम-स्वरूप पालीटेक्निक महाविद्यालयों के प्रशासनिक एवं शैक्षणिक प्रबन्धन से राज्य सरकार को लाभ होगा।

अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि गणित एवं अंग्रेजी के कार्यरत प्रवक्ताओं के 24 पद समाप्त किये जाने के निर्णय पर पुनर्विचार करें ताकि सरकार अनावश्यक खर्च से बच सकें।

माननीय तकनीकी शिक्षा मंत्रीजी मौजूद हैं, मैं समझती हूं कि इस बात पर ध्यान देंगे और इस विषय में निश्चित तौर पर कार्यवाही करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नाथूराम अहारी।

डूंगरपुर जनरल अस्पताल की खराब हालत

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के कार्य-संचालन के नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत डूंगरपुर जनरल हास्पिटल के बारे में ध्यान आकर्षित करता हूं।

उपाध्यक्षजी, डूंगरपुर जिला आदिवासी बहुल जिला है। यहां के जनरल हास्पिटल की हालत बहुत ही खराब है। इस हास्पिटल में भवन की भारी कमी है। कभी-कभी मरीजों को बरामदें में पड़ा रहना पड़ता है। डाक्टरों के अभाव में दवाइयों की व्यवस्था समय पर नहीं हो पाती है। हास्पिटल में 16 डाक्टरों के पद रिक्त हैं। श्रीमान्, आवश्यक डाक्टर नहीं होंगे तो मरीजों को कौन सम्भालेगा ? मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि आदिवासी क्षेत्र होने के नाते यहां दवाइयों की समुचित व्यवस्था कराई जाए और जिले में ज्यादा से ज्यादा दवाखाने खोले जाएं।

अतः निवेदन है कि डॉक्टरों की जो जगह खाली है उन्हें तुरन्त भरा जाए ताकि

(श्री नाथूराम अहारी)

गरीब क्षेत्र से आने वाले मरीजों का समय पर इलाज हो सके।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बाबूलाल सिंगारिया।

राज्य में अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग गठन

श्री बाबूलाल सिंगारिया (केकड़ी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत आपका ध्यान राज्य अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग के गठन के संबंध में आकर्षित करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष जी, राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, महिला आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग गठित हैं। इन वर्गों से जुड़ी हुई जातियों को अधिक से अधिक लाभ प्रदान करने व इन वर्गों के हितों का पूरा संरक्षण करने के लिए राज्य सरकार द्वारा राजस्थान में अल्पसंख्यक आयोग, महिला आयोग, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर लिया गया है जब कि राज्य में अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग का गठन नहीं किया गया है।

उपाध्यक्षजी, राज्य में अनुसूचित जाति/जनजाति की जनसंख्या अन्य वर्गों की अपेक्षा अधिक होकर सबसे अधिक शोषित रही है। यद्यपि राज्य सरकार ने दलित समुदाय के संरक्षण हेतु मोटे तौर पर प्रयास करने की पहल की है इसके बावजूद आज भी अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग को और अधिक संरक्षण की आवश्यकता है। राष्ट्रीय आयोग गठित हो जाने मात्र से राज्य के दलित वर्ग के हितों की हिफाजत सम्भव नहीं है।

राजस्थान राज्य में अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग का गठन कर इन वर्गों को विकास की मुख्य धारा में लाना आवश्यक है क्यों कि इन वर्गो में शिक्षा, साक्षरता व जागरूकता का मुख्यतः अभाव है। राजस्थान में अनुसूचित जाति/जनजाति में शिक्षा की कमी होने से पूर्ण रूप से विकास की मुख्य धारा से जुड़ नहीं पाये हैं। इसके लिए अनुसूचित जाति/जनजाति वर्गों को शिक्षित व जागरूक बनाना पड़ेगा जो सामाजिक क्रांति के माध्यम से ही सम्भव है। सामाजिक जागरूकता हेतु ठोस प्रयास की आवश्यकता है। ठोस प्रयास तभी सार्थक हो सकता है जब ईमानदारीपूर्वक इन वर्गों को आगे बढ़ाने के प्रयास किये जाएंगे।

जब राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक आयोग, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, महिला आयोग हो और राज्य स्तर पर भी इनका गठन किया जा सकता है तो फिर राज्य में अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग का गठन भी होना चाहिए। अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग का गठन कर उन्हें पूरे अधिकार भी दिये जाने चाहिए ताकि इस वर्ग के हितों की अनदेखी नहीं हो सके। तीन आयोग गठित हों और एक आयोग अनुसूचित जाति/जनजाति का गठित नहीं हो तो यह तो न्याय संगत नहीं है।

प्रदेश की अनुसूचित जाति/जनजाति की जनता भी राजस्थान के लोकप्रिय

(श्री बाबूलाल सिंगारिया)

मुख्य मंत्री व दलितों के मसीहा आदरणीय अशोक गहलोतजी से यह अपेक्षा रखती है कि अन्य वर्गों के आयोगों की तरह राज्य में अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग का गठन भी करेंगे। अगर यह आयोग गठित नहीं होता है तो इससे दलित वर्ग में गलत संदेश प्रचारित होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव के माध्यम से मेरा निवेदन है कि मेरी इस प्रार्थना पर गौर फरमा कर अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग का राज्य स्तर पर गठन करके इन वर्गों को पूरा संरक्षण प्रदान करने की कृपा कराएं ताकि श्री अशोक गहलोत सरकार के राज में दलित वर्ग के उत्थान का एक नया अध्याय प्रारम्भ हो सके। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अशोक तंवर। (अनुपस्थित) श्री हेमन्त कुमार। मोहम्मद माहिर आजाद। हेमन्त कुमारजी हैं। आप बैठिये।

विधान सभा क्षेत्र दीगोद के बड़ौद कस्बे में उप तहसील खोलने विषयक

श्री हेमन्त कुमार (दीगोद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के तहत उप तहसील बड़ौद स्थापन हेतु राजस्व मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित कर अनुरोध करना चाहता हूं कि जिला कोटा के बड़ौद कस्बे में पूर्व में तहसील मुख्यालय स्थापित था।

पूर्व में सरकार द्वारा तहसीलों का समायोजन किया गया जिसके अन्तर्गत तहसील दीगोद एवं बड़ौद को मिलाकर तहसील दीगोद बनाई गई। जहां से तहसील मुख्यालय हटाया गया। सभी जगह उप तहसील स्थापित की जा चुकी है लेकिन खेद के साथ निवेदन है कि बड़ौद कस्बे से तहसील मुख्यालय हटाये जाने के पश्चात उप तहसील कार्यालय नहीं खोला गया है। इस कार्य हेतु सरकार पर किसी भी प्रकार का आर्थिक भार नहीं आयेगा।

पूर्व तहसील बड़ौद के कई गांवों से दीगोद तहसील मुख्यालय 50-60 किलोमीटर दूर पड़ता है जिससे ग्रामीण कृषक जनता को तहसील मुख्यालय जाना आर्थिक रूप से कष्टदायक रहता है तथा समय भी बहुत बरबाद होता है।

राजस्व मंत्रीजी से मेरा विशेष अनुरोध है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र दीगोद जिला कोटा में पूर्व तहसील मुख्यालय बड़ौद में उप तहसील मुख्यालय स्थापित कर क्षेत्रीय जनता को राहत प्रदान करने का श्रम करें। बड़ौद कस्बे में नल, बिजली, टेलीफोन, उच्च माध्यमिक विद्यालय, बैंक आदि सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, केवल उप तहसील मुख्यालय की कमी है जिसे आप पूरी करवाने का कष्ट करें। इस विषय में गत वर्ष भी निवेदन किया गया था। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : मोहम्मद माहिर आजाद।

सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर में व्याप्त अव्यवस्था

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिये स्वास्थ्य मंत्री महोदय का ध्यान राज्य के सबसे बड़े सवाई मानसिंह चिकित्सालय में फैली निम्न अव्यवस्थाओं एवं भ्रष्टाचार की ओर दिलाना चाहता हूं :–

(1) आम मरीज का चिकित्सालय में भर्ती होना अब कठिन हो गया है क्योंकि अधिकतर चिकित्सक घरों से ही परिचित मरीजों को भर्ती करते हैं जिस हेतु भारी फीस वसूल की जाती है। ऐसे भी उदाहरण हैं कि इमरजेंसी आपरेशन थियेटर में चिकित्सक घरों से मरीजों को लेकर आपरेट करते हैं। घर पर फीस देने वाले मरीजों को तो बिस्तर मिल जाता है लेकिन आपातकालीन कक्ष से व आउट डोर में भर्ती होने वाले मरीजों को जमीन पर लिटा दिया जाता है जिससे उन्हें संक्रमण भी हो जाता है और बीमारी बढ़ जाती है। इसलिए प्रत्येक चिकित्सक निजी प्रेक्टिस के लालच में अधिक से अधिक मरीजों को भर्ती करना चाहता है। लेकिन फीस के लालच में चिकित्सक मरीज को आपरेशन से पूर्व सात-सात दिन जांचों के नाम पर वार्ड में भर्ती कर लेते हैं जिससे चिकित्सालय में सीधे आने वाले मरीजों को बिस्तर ही उपलब्ध नहीं होता है। इस अव्यवस्था का एक ही इलाज है कि या तो परिचितों का एडमिशन बंद कर दिया जावे या निजी प्रैक्टिस पर रोक लगा दी जावे। सरकार की आंखों के सामने मरीजों की दुर्दशा हो रही है लेकिन चिकित्सा विभाग इस हेतु कोई कदम नहीं उठा रहा है।

(2) चिकित्सालय में करोड़ों रुपये खर्च कर अति आधुनिक प्रयोगशाला बनायी गयी है, लेकिन चिकित्सकों द्वारा निजी निदान केन्द्रों से सांठ-गांठ के कारण मरीजों को जांच हेतु बाहर भेजा जाता है और उनसे भारी कमीशन वसूल किया जाता है। बाहर के निदान प्रयोगशाला में राज्य सरकार का कोई नियन्त्रण नहीं है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि विभाग के उच्च स्तर पर भी निजी प्रयोगशाला का प्रभाव है।

(3) चिकित्सालय प्रशासन का अधिकारी अपनी मनमर्जी से मुफ्त निदान सुविधाएं अपने चहेतों एवं उनके द्वारा भर्ती मरीजों के नाम करवाने में लिप्त हैं जिससे लाखों रुपये का नुकसान राज्य सरकार को हो रहा है।

(4) मेडिकल रिलीफ सोसायटी एवं लाइफ लाइन स्टोर द्वारा दवाइयों में भारी कमीशन लिया जा रहा है एवं मनमर्जी से अनावश्यक उपकरण क्रय किये जा रहे हैं जिसकी दरें मार्केट से भी अधिक हैं। इस प्रकार मरीजों का शोषण सरेआम किया जा रहा है।

(5) प्राइवेट वार्ड, कोटेज वार्ड व आई. सी.यू. वार्ड में सरेआम रिश्वत लेकर काटेज अलॉट किया जाता है। जिनका कोई मापदण्ड नहीं है।

(मोहम्मद माहिर आजाद)

(6) अधिकांश समय डॉक्टर आऊट-डोर से नदारद रहते हैं जिससे बाहर से रेफर हुए मरीजों को उपयुक्त चिकित्सा सुविधा प्राप्त नहीं होती है।

(7) गरीब कार्डधारी मरीजों को दवाइयों के लिए इधर-उधर धक्के खाने पड़ते हैं और कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जहां एक जगह जाकर वह दवाइयां प्राप्त कर सकें। चिकित्सालय प्रशासन के उच्च अधिकारी इन गरीबों के साथ सरेआम दुर्व्यवहार करते हैं।

(8) आपरेशन हेतु मरीजों को विशेष निजी दुकानों से ही दवाई लेने हेतु मजबूर किया जाता है और यह व्यवस्था कमीशन के आधार पर चल रही है।

(9) सवाई मानसिंह चिकित्सालय के अधिकतर चिकित्सक प्राइवेट नर्सिंग होम में हाजिर होकर कार्य करते हैं। सरकार के पास ऐसे चिकित्सकों की सूचना उपलब्ध होते हुए भी उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

(10) राज्य सरकार ने राज्य के सभी चिकित्सालयों को दो पारियों में खोलने के आदेश जारी किये थे लेकिन सवाई मानसिंह चिकित्सालय द्वारा इन निर्देशों की पालना नहीं की। लेकिन सरकार इतनी मजबूर है कि उनके राज्यादेश का उल्लंघन करने वाले चिकित्सकों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो रही है।

यह बिन्दु अति लोक महत्त्व का है जिससे हजारों गरीब मरीजों की जिन्दगियां जुड़ी हुई हैं। हमारा आपसे अनुरोध है कि इस बिन्दु पर सदन में चर्चा कराने का कष्ट करें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : हो गयी न कल बहुत बहस हो गयी। श्री शिवनाथ सिंह जी।

मोहम्मद माहिर आजाद : एस. एम. एस. पर थोड़े हुई है।

श्री उपाध्यक्ष : मेडिकल डिपार्टमेंट में एस. एम. एस., सब इंक्लूडेड है।

श्री शिवनाथ सिंहजी।

उदयपुरवाटी (झुंझुनूं) की जल वितरण योजना का अधूरा पड़ा कार्य

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत नीचे लिखे महत्वपूर्ण विषय की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, झुंझुनूं जिले की उदयपुर-वाटी तहसील का बड़ा भाग पहाड़ी क्षेत्र है। वर्षा की कमी के कारण पीने के पानी की भंयकर स्थिति पैदा हो गयी है। विभाग के अधिकारियों ने इस स्थिति को और भी भयंकर बना दिया है। पीने के पानी की नई योजनाएं काफी समय पहले से मंजूर हैं लेकिन ठेकेदारों तथा विभाग के अधिकारियों की अकर्मण्यता के कारण जनता को लाभ नहीं मिल पा रहा है।

कस्बा उदयपुरवाटी की जल योजना सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन लाइन सही नहीं करने

(श्री शिवनाथ सिंह)

के कारण लाभ नहीं मिल रहा है। ठेकेदार डिस्ट्रीब्यूशन लाइन ठीक नहीं कर रहा है जबकि भुगतान उठा लिया गया है। ठेकेदार के खिलाफ कार्यवाही करने के सक्षम अधिकारी ठेकेदारों से मिलीभगत में हैं। करीब दो करोड़ रुपया खर्च हो गया है। जनता लाभ से वंचित है। इसी प्रकार ग्राम मावता में डिस्ट्रीब्यूशन लाइन सही नहीं हो रही है। ठेकेदार तथा अधिकारियों की लापरवाही के कारण ग्राम सराय की योजना अन्य प्रकार से पूर्ण है, परन्तु पाइप लाइन नहीं डाली जाने से उपयोग में नहीं आ रही है। ग्राम भाटीवाड़ की पानी की टंकी के लिए पूरी धनराशि उपलब्ध है लेकिन ठेकेदार से टंकी का निर्माण विभागीय अधिकारी नहीं करवा पा रहे हैं। विभिन्न ग्रामों की करीब अठारह प्राथमिक शालाओं में हैण्ड पम्प बोरिंग तो दो-तीन साल पहले करवा लिये गये। लेकिन लोवरिंग अभी तक नहीं किया गया जबकि ठेकेदारों को पूरी राशि का भुगतान कर दिया गया है। विधायक तथा सांसद कोटों से अनेक स्थानों पर हैण्ड पम्प स्वीकृत किये जा चुके हैं लेकिन हैण्ड पम्प लगाए नहीं गए हैं।

इस क्षेत्र की पानी की समस्या निवारण हेतु धन की उपलब्धता कोई समस्या नहीं है। अधिकारियों की लापरवाही तथा बेरुखी ही मुख्य बाधा है। मेरा अनुरोध है कि ठेकेदारों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए सक्षम अधिकारियों द्वारा बरती जा रही शिथिलता के सम्बन्ध में पूरी जांच करवाई जावे तथा लम्बे समय से लम्बित पड़ी योजनाओं को विभागीय स्तर पर पूरा करवाया जाकर लोगों को लाभान्वित किया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री त्रिलोक पूर्बिया।

उदयपुर शहर में गंदे पानी की निकासी

श्री त्रिलोक पूर्बिया (उदयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा के प्रक्रिया संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के तहत माननीय मुख्य मंत्रीजी एवं जलदाय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहते हुए अपार हर्ष है कि कांग्रेस शासन ने लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व राज्य की सत्ता संभालते समय जनता को पारदर्शी, संवेदनशील एवं जवाबदेह सरकार प्रदान करने का वादा किया था। उसी वादे के अनुरूप राज्य सरकार ने कठोर वित्तीय अनुशासन एवं मितव्ययिता बरती तथा लोक कल्याण के अनेक कार्य सम्पन्न किये। विकास की दिशा निर्धारित करने हेतु शासन ने विभिन्न सामाजिक व अन्य क्षेत्रों से सम्बन्धित नीतिगत निर्णय लिये हैं और जनसंख्या नीति, महिला नीति व सूचना प्रौद्योगिकी नीति आदि नीतियां प्रदेश के जनहित में जारी कर उन पर अमल प्रारम्भ कर दिया है।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र उदयपुर नगर के सर्वांगीण विकास हेतु भी माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। इनमें मुख्य हैं— उदयपुर में पृथक कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना, मानसी-वाकल जलोत्थान की स्वीकृति जारी करना, कच्ची बस्तियों का नियमन आदि। इसी परिप्रेक्ष्य

(श्री त्रिलोक पूर्बिया)

में मेरा अनुरोध है कि उदयपुर के ऐतिहासिक एवं पर्यटन के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए यहां की प्रसिद्ध झीलों को प्रदूषण से बचाया जाए तथा उनके संरक्षण की दिशा में पहल हो। उदयपुर में प्रतिवर्ष देश-विदेश से हजारों पर्यटक आते हैं तथा यहां के नैसर्गिक सौन्दर्य से अभिभूत होते हैं। किन्तु यहां की झीलों की दुर्दशा हो रही है। "झील विकास प्राधिकरण" की स्थापना ही झीलों के उचित संरक्षण हेतु एक मात्र विकल्प है। उक्त प्राधिकरण के गठन होने पर इन झीलों का रख रखाव समुचित ढंग से हो सकेगा तथा झीलों को प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी। आज भी इन झीलों में कचरा, मलबा, गंदगी डाली जा रही है। झीलों में जलकुम्भी एवं काई आदि फैल रही है तथा झीलों का जल प्रदूषित है। अतः इन झीलों की स्वच्छता एवं सुन्दरता बनाये रखने हेतु कारगर उपाय हो, यही आश्वासन मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है उदयपुर शहर में गंदे पानी की निकासी की समस्या। प्रक्रिया के नियम 295 के तहत मैं माननीय जलदाय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उदयपुर शहर का नाम महाराणा उदयसिंह के नाम पर रखा गया था जिन्होंने इस नगर को सन् 1559 में बसाया। उदयपुर नगर पहाड़ी ढलान पर भव्य तरीके से बसा हुआ है। माननीय स्वर्गीय मोहन लाल सुखाड़ियाजी के मुख्य मंत्री काल में तो इस शहर में औद्योगिक गतिविधियां पनपी तथा फिर शनैः-शनैः विकास का क्रम जारी रहा। आज इस शहर की आबादी लगभग 5 लाख हो गयी है किन्तु दुर्भाग्यवश इस शहर के विकास हेतु कोई एकीकृत योजना न होने के कारण सड़कों, नालियों और गंदे पानी की निकासी के योजनाबद्ध तरीके से उल्लेखनीय कार्य नहीं हो पाये। कालान्तर में शहर में कई नयी कालोनियां विकसित होती गयी किन्तु गंदे पानी की निकासी की समस्या उत्तरोत्तर भीषण होती गयी। इस समय शहर की नालियां गंदगी से अटी पड़ी रहती हैं, गंदा पानी नालियों से बाहर निकल कर सड़कों पर फैल रहा है। शहर के गटर के मैन होल कई स्थानों पर खुले पड़े हैं इससे आये दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इसलिए सफाई व्यवस्था व गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था करना अति आवश्यक है। गंदे पानी के नाले सीधे पिछोला एवं फतेहसागर झील में डाले जा रहे हैं, उन्हें रोका जाय तथा जरिये पाइप लाइनों से डाइवर्ट किया जाय व ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, उपरोक्त दोनों बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित करने हेतु मैंने माननीय मुख्य मंत्री महोदय एवं माननीय जलदाय मंत्री महोदय को समय-समय पर पत्र लिखे हैं तथा जलदाय मंत्री महोदय से तो व्यक्तिगत तौर पर भी स्थिति से अवगत कराया है। शहर में गंदगी के कारण पीलिया, हैपेटाइटिस एवं मलेरिया जैसी घातक बीमारियां फैल रही हैं। अतः अतिशीघ्र इस समस्या का निदान आवश्यक है अन्यथा पूरा नगर महामारी की चपेट में आ जायेगा।

बरसों पहले इस शहर में गंदे पानी की निकासी हेतु "सीवरेज प्रणाली" बनायी गयी

(श्री त्रिलोक पूर्बिया)

थी किन्तु वह आज भी अधूरी पड़ी है। कृपया सिवरेज प्रणाली को शीघ्र पूरा करवा कर शहर के गंदे पानी के निकास के लिए माकूल व्यवस्था करावें।

अतः मैं प्रकिया के नियम 295 के अन्तर्गत माननीय जलदाय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि उदयपुर शहर की जनता के भविष्य एवं स्वास्थ्य को मद्दे नजर रखते हुए उपरोक्त ज्वलंत समस्याओं का समाधान करने का कष्ट करें तथा जलदाय विभाग को अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत कर उदयपुर की जनता को राहत प्रदान करें। मैं आपका आभारी रहूंगा। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बृजेन्द्र सूपा।

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा (बयाना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो 295 लगाया है, माननीय मंत्रीजी तो मौजूद नहीं हैं, आपके माध्यम से यह महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : यह काम मुझे ही करना पड़ता है, आप चिंता मत करो, आप बोलो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्रीजी कोई रहते ही नहीं हैं शून्यकाल में।

विधान सभा क्षेत्र बयाना में खराब विद्युत वितरण व्यवस्था

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा (बयाना) : उपाध्यक्ष महोदय, उपरोक्त विषयानुसार विधान सभा क्षेत्र बयाना में विद्युत व्यवस्था बिगड़ी हुई है। बयाना विद्युत विभाग के अधिकारी अधिकतर आफिस से गायब रहते हैं। माननीय मंत्रीजी, सहायक अभियन्ता महीने में 25 दिन आफिस में नहीं बैठते हैं, अधिकतर छुटि्टयों पर या अन्य किसी अधिकारी के यहां चले जाते हैं। आम बयाना नागरिक विद्युत विभाग के मौजूदा अधिकारी न मिलने के कारण परेशान रहते हैं। यही नहीं, माननीय मंत्रीजी विद्युत विभाग के आफिस में खुले रूप से किसानों को लूटा जा रहा है। बयाना एवं बसेड़ी क्षेत्र में बिजली हर रोज आंख मिचौनी के खेल की भांति आती है। बयाना विधान सभा क्षेत्र में अधिकारियों के अभाव में कई-कई घंटे बिजली नहीं मिलती है। जब अधिकारियों को टेलीफोन करते हैं तो आफिस से जवाब मिलता है कि ए.ईएन. साहब जयपुर गये हैं और जे.ईएन. साहब साइड पर गये हैं। शनिवार, इतवार में तो कोई अधिकारी बयाना नहीं रहता है। मैं मंत्रीजी को याद दिलाना चाहता हूं कि जब ए.ईएन., बयाना एवं एक्स.ईएन. खण्ड, बयाना नहीं थे तो मैंने एस.ई. विद्युत विभाग, भरतपुर से सम्पर्क करने की कोशिश की परन्तु उनसे जब सम्पर्क नहीं हो पाया तो आप से सम्पर्क किया कि, मंत्रीजी, क्या विशेष तौर से बयाना की बिजली काट दी गयी है ? आपसे मैंने रात्रि 11 बजे सम्पर्क किया। तब आपने कहा कि मैं अभी मालूम करता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है। आपके सम्पर्क करने के 15 मिनट बाद ही बयाना में बिजली आ गयी। मंत्रीजी, आपसे बार-बार सम्पर्क करें, क्या आपको यह अच्छा लगेगा ?

मंत्री महोदय, आप अधिकारियों की उपस्थिति के लिए विशेष रूप से कोई ठोस

(श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा)

व्यवस्था करें। मंत्रीजी, आप द्वारा इसी पवित्र सदन में घोषणा की थी कि घरेलू कनेक्शन मार्च, 2000 तक सभी गांव एवं शहरों में दे दिये जायेंगे परन्तु, मंत्रीजी, कई वर्षों से फाइल भरी हुई हैं। कई गांवों में तो डिमाण्ड नोटिस राशि एवं सभी विभागीय नियमों की पूर्ति कर दी गयी है परन्तु आज तक विद्युत कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है। बिजली विस्तार के लिए अधिकारियों को ऑफिस में बैठना अति आवश्यक है। मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्रीजी उचित व्यवस्था करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती मधु दाधीच।

विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा की अनियमित विद्युत व्यवस्था

श्रीमती मधु दाधीच (निम्बाहेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा की अनियमित विद्युत व्यवस्था के संबंध में विशेष उल्लेख प्रस्ताव द्वारा ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं।

मैं आपके माध्यम से माननीय ऊर्जा मंत्रीजी का ध्यान मेरे विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा में उत्पन्न भयंकर विद्युत संकट की ओर आकर्षित करना चाहती हूं। विद्युत की आज हर जगह महती आवश्यकता है। क्षेत्र में विद्युत के अनियमित वितरण की वजह से क्षेत्र का जन जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। इससे क्षेत्र के उद्योग-धंधे, किसानों, छात्र वर्ग और आम नागरिकों का इस भयंकर गर्मी के मौसम में जीना दुश्वार हो गया है। इसकी मुख्य वजह निम्बाहेड़ा जी.एस.एस. के द्वारा विद्युत की गलत वितरण व्यवस्था है। क्षेत्र में विद्युत मण्डल के अधिकारियों की मनमानी व लापरवाही के चलते निम्बाहेड़ा जी.एस.एस. में बिजली की पर्याप्त उपलब्धता के बावजूद भी बिजली का वितरण सही तरह से नहीं किया जा रहा है जिससे क्षेत्र में गम्भीर विद्युत संकट पैदा हो गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह एक अत्यंत गंभीर समस्या है। यह संकट विद्युत मण्डल के अधिकारियों की लापरवाही, जनता द्वारा बार-बार शिकायत किये जाने पर भी उनकी अनदेखी व हठधर्मिता की वजह से पैदा हो गया है। आम नागरिक विद्युत मण्डल के अधिकारियों के कार्यालय में नहीं मिलने से भी परेशान रहते हैं। क्षेत्र में बिजली की आंख मिचौली चलती रहती है और कई बार तो कई-कई घंटे बिजली नहीं आती है। बिजली की पर्याप्त उपलब्धता के बावजूद भी मांगरोल फीडर और बाड़ी फीडर और कनेरा 33 के.वी. स्टेशन पर बिजली की पर्याप्त आपूर्ति नहीं की जा रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, निम्बाहेड़ा जी.एस.एस. से बाड़ी फीडर को पर्याप्त बिजली आपूर्ति नहीं की जा रही है। बाड़ी फीडर से छोटी सादड़ी क्षेत्र में जलापूर्ति की जाती है लेकिन बाड़ी फीडर को पर्याप्त बिजली नहीं दिये जाने से छोटी सादड़ी में भयंकर जल संकट पैदा हो गया है। क्षेत्र की जनता पानी के लिए त्राहि-त्राहि कर रही है। इसी प्रकार मांगरोल एवं कनेरा फीडर

(श्रीमती मधु दाधीच)

पर भी बिजली की आंख मिचौली चल रही है।

इस समय छात्रों की परीक्षाएं चल रही हैं और बिजली नहीं मिलने से छात्रों की पढ़ाई में भयंकर व्यवधान उत्पन्न हो गया है। छात्र वर्ग में भारी आक्रोश है।

अतः उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के द्वारा मेरे विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा में अधिकारियों की मनमानी व गैर-जिम्मेदारी से विद्युत का अनियमित वितरण किये जाने के कारण उत्पन्न भयंकर विद्युत व जल संकट की ओर माननीय ऊर्जा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करते हुए अनुरोध करती हूं कि क्षेत्र के विद्युत संकट को देखते हुए निम्बाहेड़ा विधान सभा क्षेत्र में पर्याप्त विद्युत आपूर्ति करवाने का श्रम करें जिससे आम जनता राहत महसूस कर सके। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भंवरू खान।

विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में पेयजल व्यवस्था

श्री भंवरू खान (फतेहपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 295 के तहत अकाल व पानी की समस्या के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

महोदय, कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अर्न्तगत आपके माध्यम से मेरे विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। फतेहपुर तहसील पूर्णतया अकाल से ग्रस्त है और चूरू सीमा के गांवों का पानी बहुत खारा है जिससे गर्मी में हैजा फैलता है। हर वर्ष हैजा के फैलने से वहां के ग्रामीण मौत के शिकार होते हैं। पिछली बार भी गर्मी के मौसम में ग्राम कल्याणपुरा व रामसीसर में हैजा होने से एक-एक मौत हुई है। इस साल बरसात नहीं होने के कारण वहां कुण्डों का पानी बिलकुल खत्म हो चुका है और लोग वहां गांवों का पानी पिएंगे तो हैजा फैल सकता है।

अतः मैं आपके माध्यम से पी.एच.ई.डी. मंत्री महोदय का इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि ग्राम रामसीसर, कल्याणपुरा, भोजदेसर एवं बैरास में मीठे पानी की व्यवस्था समय रहते पहले कराने की कृपा करें तो लोग हैजा के शिकार होने से बच सकें। अगर वहां मीठे पानी की व्यवस्था नहीं की गयी तो वहां निश्चित हैजा फैलेगा तो वहां दिक्कत हो सकती है। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोवर्द्धन कल्ला।

जिला जैसलमेर के ग्रामीण क्षेत्र में विद्युतीकरण हेतु सामग्री की आपूर्ति

श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, जैसलमेर जिले में ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु सामग्री की आपूर्ति।

महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 295 के अन्तर्गत मैं माननीय विद्युत मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जैसलमेर जिले में वर्ष 1999-2000 में 87

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

गांवों का विद्युतीकरण प्रस्तावित था। जैसलमेर जिले में सीमा क्षेत्र विकास केन्द्रीय योजना में 9 गांवों का विद्युतीकरण होना था जो राशि विद्युत मण्डल को जमा करवा दी गयी है जिले के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने भी पेयजल योजनाओं को विद्युतीकरण हेतु राशि विद्युत मण्डल को जमा कराई हुई है परन्तु एक गांव भी विद्युतीकृत नहीं हुआ है। यह सारी अव्यवस्था का कारण बताया जाता है कि विद्युतीकरण हेतु कुछ सामान उपलब्ध नहीं हो रहा है जिससे लाइन खिंचे हुए गांवों को भी विद्युतीकरण नहीं हो रहा है। पेयजल की विकट समस्या के समाधान हेतु ट्यूब वैलों को भी अकाल के समय विद्युतीकरण आवश्यक है। सीमा क्षेत्र विकास की राशि का उपयोग न होने से अगले वर्ष की योजना में कटौती हो रही है। जैसा बताया गया कि सामान जो नहीं आया वह सेन्ट्रल परचेज आइटम का है तथा आपूर्ति हेतु संबंधित फर्मों को आर्डर दिया हुआ है जो उत्पादन ही हो रहा है इसलिए सामान नहीं मिल रहा। स्टेवायर या इन्सूडेटर पिन के अभाव में गांवों का विद्युतीकरण रुका हुआ है। यदि सम्बन्धित फर्म सामान की आपूर्ति नहीं कर सकती तो अन्य स्रोत से सामान खरीद का ग्रामीण विद्युतीकरण किया जा सकता है। क्या विद्युत मंत्री विद्युत मण्डल को आदेशित करेंगे कि आवश्यक सामान खुले मार्केट से खरीद कर उनके रुके हुए कार्यों को पूर्ण करवाने की व्यवस्था करवायेंगे। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदन दिलावर

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

सवाईमाधोपुर में लड़की अपहरण घटना

श्री मदन दिलावर (अंटरू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सवाईमाधोपुर नगर में 17 जनवरी को एक किशोरी का अपहरण हुआ। जिस लड़के ने अपहरण किया उसको एक महिला ने उकसाया और जिसका अपहरण हुआ उसको भी एक महिला ने उकसाया। मनभंर नाम की एक महिला इन दोनों की मीडियेटर बनती है और मीडियेटर बनकर फिरोज नाम के व्यक्ति से उस लड़की को, वहां की एक लड़की है, भगाने की ताकीद कर दी। उस लड़की का नाम राधा है। मनभर उससे मिलकर कहती है कि यह लड़का अच्छा है। बिहार में उसका अच्छा कारोबार है।

श्री उपाध्यक्ष : उसका क्या नाम है ?

श्री मदन दिलावर : राधा गोयल।

श्री उपाध्यक्ष : मैं समझा राधा लड़की है। उसका नाम कोई और है।

श्री मदन दिलावर : राधा गोयल को 17 जनवरी को फिरोज नाम का व्यक्ति जो वहां ड्राईवरी का काम करता था, दरभंगा की तरफ भगाकर ले जाता है बिहार में और कई दिनों तक बिहार में रहते हैं। जिस रात को वह लड़की भागने वाली थी उससे पूर्व उस दिन हुमायूं कबीर नाम का एक पुलिस इन्सपेक्टर जिसके पास बिन्दु

(श्री मदन दिलावर)

खां और उसकी पत्नी नूरजहां जाते हैं। उसको घर से बुलाते हैं और फिर गली में बात करते हैं। इतनी देर में फिरोज आ जाता है। इंसपेक्टर और बिन्दु खां राधा गोयल को बिठाकर स्टेशन पर ले जाते हैं और स्टेशन से रवाना कर देते हैं दरभंगा के लिए। उपाध्यक्ष महोदय, फिर यहां से दरभंगा चले गये। इधर राधा गोयल के परिवार वालों ने, उनके मिलने वालों ने और उनके समाज के लोगों ने उसकी रिपोर्ट दर्ज करवायी। सवाई माधोपुर के थाने में रिपोर्ट दर्ज करवायी। रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद पुलिस ने आश्वासन दिया कि हम शीघ्रातिशीघ्र राधा गोयल को भगाने वाले अभियुक्त फिरोज को गिरफ्तार करेंगे और उस लड़की का पता लगायेंगे कि वह कहां गयी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) : वह तो खातून बेगम हो गयी। अब क्या करेंगे ?

श्री मदन दिलावर : अब सुन लो। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कई दिन बीत जाने के बाद फिर ये लोग पुलिस से मिले। पुलिस का ध्यान आकृष्ट किया। सवाई माधोपुर का बाजार बन्द रहा। पूरे राजस्थान में हलचल हुई। फिर दरभंगा बिहार में वहां से अदालत में सहायक लोक अभियोजक असरार अहमद नाम के व्यक्ति फोन करते हैं कि आप यहां पर मत आना। यहां पर माहौल बहुत गरम है और दरभंगा में भी पुलिस आ सकती है इसलिए तुम दांये बांये हो जाओ। उस लड़की को लेकर 10 दिन तक दरभंगा के आसपास के क्षेत्र में गांवों में घूमता रहा। काफी दिन हो गये सोचा मामला ठण्डा हो गया होगा। ऐसा मानकर फिरोज ने उस-लड़की को यहां लाना चाहा परन्तु उसने सोचा कि मैं एक बार फिर बात कर लूं। असरार अहमद को जब उसने फोन किया तो उन्होंने कहा अभी मत आना। आपके माता-पिता को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने हिरासत में बैठा लिया है। माहौल बहुत गरम है इसलिए आने की जरूरत नहीं है। जब कई दिनों तक पुलिस ने इनके परिवार वालों को परेशान किया होगा तो फिर फोन पर सूचना दी जाती है कि मैं अपने बीच वाला एक आदमी भेज रहा हूं आप इसके साथ आ जाना। उपाध्यक्ष महोदय, वह रेलगाड़ी से लगभग 10 मार्च को जयपुर में उतर कर आ गयी। मुसाफिर-खाने में उसको रुकवाया गया। हुमायूं कबीर जो पुलिस इंसपेक्टर है उसकी ऊपर वाली मंजिल पर रुका यह देखभाल करने के लिए कि अगर उनको पुलिस पकड़ेगी भी तो उनको तंग नहीं करे, ज्यादा प्रताड़ित नहीं करे। और इधर पुलिस ने उसकी खोजबीन करने के लिए हुमायूं कबीर को ही लगाया हुआ था। आप देखिये हुमायूं कबीर को सारा पता है कि लड़की कहां गयी, किसमें बिठायी और मैं इसमें इन्वाल्व हूं। उसकी जांच करने के लिए हुमायूं कबीर को लगाया हुआ है जबकि उसको सारी जानकारी है कि वह लड़की कहीं गयी। फिर उन्होंने एक नाटक रचा। उस लड़की की उम्र की जानकारी करने के लिए वहां से बुरका पहनाकर उसे सवाई मानसिंह अस्पताल में लाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री मंदन दिलावर : मैं संक्षेप में बता रहा हूं। अब हुमायूं कबीर ने सोचा कि मुझे श्रेय मिलना चाहिए। वह गिरफ्तार तो होगी क्योंकि आ गयी है और पुलिस को भी पता चल गया है कि कहां है। तो एक डी.वाई. एस.पी. ने इनके साथ मिलकर उसको गिरफ्तार किया और उपाध्यक्ष महोदय, कहानी गढ़ी की नागिन खातून बन गयी है और यह सच है। उसने अदालत में स्टेटमेंट दिया है कि मैं मेरी मर्जी से गयी हूं। उपाध्यक्ष महोदय, गौर करने वाली बात है। जब पुलिस ने इनको पकड़ा और पकड़ने के बाद, द्रोपदी उनके साथ एक हैड कांस्टेबल थी। यह राधा गोयल पेशाब करने गयी तो उधर हैड कांस्टेबल ने पेशाब के समय यह कहा कि यदि तूने फिरोज के खिलाफ बयान दिया कि यह मुझे जबरदस्ती भगाकर ले गया है या अपहरण किया है या मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती तो तेरी हत्या कर दी जाएगी। ऐसा कहकर फिर अदालत में ले गये डरा-धमका कर। अदालत में उसने बयान दिया कि मैं मेरी मर्जी से गयी थी। उसने जो भी कहा होगा लेकिन उसने यह कहा कि मेरी मर्जी से गयी थी। उपाध्यक्ष महोदय, उसको नारी निकेतन में रखा और जब वह परिवार वालों के पास गयी तो उसने कहा कि मेरे ऊपर इतना आतंक था, इतना डराया हुआ था और कहा हुआ था कि यदि तुमने किसी प्रकार का मुंह खोला तो तुम्हारे और तुम्हारे परिवार वालों की हत्या कर दी जाएगी इसलिए मैंने मजबूरी में इस प्रकार का स्टेटमेंट दिया है। फिर उसने दो बार प्रेस कान्फ्रेंस करके कहा कि मेरे को डरा धमका करके इस प्रकार का स्टेटमेंट दिलाया है और मैं मर्जी से नहीं गयी। मैंने कोई किसी के साथ निकाह नहीं किया, मैंने कोई धर्म नहीं बदला और मेरे तो परिवार की और मेरी जान का खतरा होने के कारण से इस प्रकार का स्टेटमेंट दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह हुमायूं कबीर और असरार नाम का व्यक्ति कांग्रेस के पूर्व केन्द्रीय मंत्री अबरार अहमद के भाई हैं। यह जो फिरोज है वह पूर्व केन्द्रीय मंत्री कांग्रेस के जो रहे हैं अबरार अहमद के ड्राइवर हैं। इस प्रकार का षड़यंत्र रचकर के उस भोली-भाली नाबालिग लड़की को भगाने का यह षड़यंत्र और कुचक्र है। जो इसके ऊपर अत्याचार किया है मैं समझता हूं असहनीय है। यह एक ही लड़की नहीं है ऐसी अनेक लड़कियों के साथ...

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र राठौड़। हो गया।

श्री मदन दिलावर : इस प्रकार का अत्याचार करके कई भोली-भाली लड़कियों को फंसाने का कुचक्र किया है।

श्री उपाध्यक्ष : कह दिया बहुत हो गया। आप बिराजें प्लीज।

श्री मदन दिलावर : मेरी मांग है उपाध्यक्ष महोदय, उस लड़की ने भी कहा है कि मेरी अंतिम इच्छा है चाहे मैं मर जाऊं पर फिरोज को सजा मिले, मनभर को सजा मिले, असरार अहमद को सजा मिले, हुमायूं कबीर को सजा मिले। परन्तु यह सब प्रशासन की

(श्री मदन दिलावर)

जानकारी में आने के बाद भी आज हुमायूं कबीर, असरार अहमद, मनभर खुले घूम रहे हैं। उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। जहां महिलाओं की रक्षा नहीं हो सकती उपाध्यक्ष महोदय, वहां पुलिस क्या कर रही है...

श्री उपाध्यक्ष : कह दिया, श्री राजेन्द्र राठौड़, बहुत हो गया, बैठिये।

श्री मदन दिलावर : इसलिए मेरा निवेदन है कि उनको तुरन्त अविलम्ब गिरफ्तार करें अन्यथा यह राजस्थान की धरती पर इस तरह के अत्याचारों को जनता बर्दाश्त करने के लिए कतई तैयार नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री दुर्गा प्रसाद (गंगापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने की इजाजत दी जाए। यह जो मामला है यह मेरे जिले से संबंधित है। मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप से संबंधित है ?

श्री दुर्गा प्रसाद : मेरे जिले से संबंधित है।

श्री उपाध्यक्ष : जिले से संबंधित है इसका कोई ताल्लुक नहीं है। बिराजें, आप बैठिये, यहां चर्चा नहीं होती इस पर। बिराजें प्लीज।

श्री दुर्गा प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण मसला है।

श्री उपाध्यक्ष : कल आ रही है गृह विभाग की। उस पर बोल लेना। बिराजें आप।

राजस्थान में पीने के पानी की समस्या

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : उपाध्यक्ष महोदय, बड़े भारी मन से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर पीने के पानी की समस्या बद से बदतर होती जा रही है। उपाध्यक्ष महोदय, जब से सत्र चल रहा है कोई दिन ऐसा नहीं जब कोई न कोई माननीय सदस्य पीने के पानी की समस्या के बारे में इस सदन में अपनी बात नहीं रखता हो। तकलीफ इस बात की है उपाध्यक्ष महोदय, कि हमारे +++ ने इस सदन के अन्दर एक सप्ताह पहले यह कहा था कि उन्होंने माकूल प्रबन्ध कर दिया है, अपने अपने क्षेत्र में चले जाओ। इस बार क्षेत्र में जाओगे तो बदली हुई परिस्थिति नजर आएगी।

मैं निवेदन करना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, आज सुबह स्टार टी.वी. के अन्दर हमारे राजस्थान के अकाल राहत मंत्री जी ने खुद ने माना कि राजस्थान में तीन हजार गांव आज पानी की समस्या से पीड़ित हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार तो इस सरकार के खर्चे पर छपने वाले अशोक जी गहलोत, जो पहले मारवाड़ के गांधी बने, फिर चक्रवर्ती सम्राट बने, अब अशोक देवता बन गये। यह सत्तारूढ़ दल के सदस्य चाहे किसी भी बात से उन्हें विभूषित कर दें पर

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

यह पारदर्शी, संवेदनशील, जवाबदेह सरकार और इन्होंने अपनी उपलब्धि में लिखा है प्रत्येक गांव और बस्ती में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए छह हजार स्थानों पर 1112 करोड़ का प्रावधान है। उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रावधान का करें क्या हम ? आज राजस्थान के अन्दर किसी जगह चले जाओ, राजस्थान के अन्दर आज किसी समाचार पत्र का पन्ना पलट लें, मैं निवेदन करना चाहता हूं सत्तारूढ़ दल के सदस्यों से, कि अब वह समय आ गया है कि आप अगर नहीं चेतोगे, मन की बात अगर इस सदन में नहीं रखोगे तो भादरा में जाओ चाहे नोहर में जाओ, वहां की जनता आपसे सवाल करेगी। आज हालत क्या बन गयी।

उपाध्यक्ष महोदय, जगह जगह लोग सड़कों पर आ गये हैं। आज पशुधन तो मर रहा है। उसके लिए पानी का प्रबन्ध तो हुआ ही नहीं परन्तु आज गांव के गांव पानी की समस्या के कारण उजड़ना प्रारम्भ हो गये। और तो और राजस्थान की राजधानी में मंत्री महोदय किस तरह की हालत है। आज राजधानी के अन्दर झोटवाड़ा क्षेत्र में चले जाएं, गलता क्षेत्र में चले जाएं, लोग सारी सारी रात इन्तजार करते हैं। सर फुटव्वल हो रहा है और जब रास्ता रोकते हैं तो आप उन पर मुकदमा दर्ज कराते हैं। गलता थाने के अन्दर दो दिन पहले आपने क्या किया। इस कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में मुद्दा बनाया था चन्दनमल जी बैद पर लाठीचार्ज हो गया, पानी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। वह चुनाव के दिन थे, आज चुनाव नहीं है परन्तु आज मैं पूछना चाहता हूं कि पानी जैसी बात के लिए यह संवेदनशील सरकार करना क्या चाहती है ? मंत्री जी आपसे पूछना चाहता हूं आपने जोधपुर में कहा कि हमारे पास पैसा था और हमारी योजना के क्रियान्वयन में विलम्ब हो गया। किसका कसूर है ? आग लगे तब कुआ खोदना चालू करते हो आप। अब हालत क्या है।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : आप इतनी ऊंची आवाज से मंत्री जी को धमकाने की कोशिश न करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने जो मुझे कहा था मैं उसी रूप मे आपकी ओसियां की बात सारी रख रहा हूं।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मैंने क्या कहा और क्या नहीं कहा, लेकिन मेहरबानी करके धीरज रखें। सुन रहे हैं आपको।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय भाटी साहब, यह सौभाग्य है आपका कि आपने जन्म राजघराने में लिया है। आपने किसी गरीब की पीड़ा को नहीं देखा।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मेरे दादाजी ओसियां के छुटभई थे और मारवाड़ की सरकार की फौज में सूबेदार थे। कहां राजघराने से जोड़ रहे हो आप मुझे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं निवेदन करूं भाटी साहब, इस वातानुकूलित कमरे से बाहर निकलकर आपने गरीब की पीड़ा को नहीं देखा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर आर्डर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपको मालूम नहीं है कि आज राजस्थान के अन्दर गांवों में बैठा हुआ व्यक्ति पशुओं को मरता हुआ देख रहा है। पीने का पानी उपलब्ध नहीं है पशुओं के लिए। पशुओं का पलायन प्रारम्भ हो गया। आज हालत क्या बन गयी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं इन सारी चीजों के लिए कोई राजनीति की बात नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, पहली बार होगा आपको मालूम है, आप भी ग्रामीण परिवेश से आते हैं। गांव के गांव खाली हो गये और हमेशा मंत्री जी कहते हैं हमने सारा प्रबन्ध कर दिया। मंत्री जी आपने कंटीन्जेंसी प्लान कब बनाया है ? कब आपने कंटीन्टेंसी प्लान की मंजूरी दी ? आपकी नीति निर्धारण समिति की बैठक कितनी विलम्ब से प्रारम्भ हुई। सारी योजनाएं कागजों में हैं आज वह प्यासा किसान पानी मांग रहा है, वह मजदूर पानी मांग रहा है। हमें इन योजनाओं का कुछ नहीं करना हैं। आप चाहे कितनी ही उपलब्धि, कितने ही चित्रों के साथ समाचार पत्र प्रकाशित करवा दें, चाहे देवता से महादेवता की उपाधि मुख्य मंत्री जी को दे दें, मुझे एतराज नहीं है परन्तु अब यह जो मैं भावना व्यक्त कर रहा हूं यह मेरी भावना नहीं है। मंत्री जी आप मन टटोल लें। गुढ़ा से आने वाले माननीय सदस्य, वरिष्ठ व्यक्ति आज सदन के अन्दर 295 के माध्यम से कह रहे हैं, इलाका सूखा, प्यासा मर रहा है। आज बांसवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य की पीड़ा आपने इस सदन में सुनी। इधर बैठे किसी भी व्यक्ति का मन टटोल लेना मंत्री जी और यह मैं सब निवेदन करना चाहता हूं जिस गांव में जाओगे चाहे फतेहपुर के विधायक हों, गांवों में जाओगे आपकी हालत क्या है, क्यों मूक दर्शक बने हुए हो, क्यों अपनी वाणी को विराम दिए हुए हो, क्यों नहीं खड़े होकर कहते कि राजस्थान के अन्दर पानी का जिस तरह का संकट इस वक्त है, हालांकि प्रकृति का संकट भी हो सकता है पर जन कल्याणकारी सरकार इस बात को कहकर नहीं बच सकती। आपका रटा रटाया एक ही बात, पानी धरती में नहीं है, पानी नीचे चला गया, नीचे चला गया तो चला गया होगा पर पानी को आपको ट्रांसपोर्ट करना होगा। जहां पानी है वहां से पानी उन गांवों को पहुंचाना पड़ेगा। आपने मुझे आश्वस्त किया था चूरू के अन्दर हालत सुधर जाएंगे, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिम्मेवारी से चूरू के अन्दर टैंकर बिक रहा है, पानी के मटके बिक रहे हैं। आज हालत क्या है मवेशियों को छोड़िये आज व्यक्ति को जीवन जीने के लिए मनुष्यों के पास पानी नहीं है।

इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं सभी माननीय सदस्यों से अब वह समय नहीं है चुप रहने का। अब अगर यहां चुप रहोगे तो वहां जवाब जनता पूछेगी इसलिए अपनी बात पुरजोर शब्दों में कहो। और मंत्रीजी, यह जिस तरह की समस्या है इस समस्या के साथ मानव के जीवन का प्रश्न जुड़ा हुआ है। मानव का जीवन नष्ट नहीं हो जाए, पशुधन नष्ट नहीं हो जाए, इसके लिए आपको समय रहते, यहां बैठे-बैठे काम नहीं चलेगा, दौरा करिये आप। दौरा करके

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

देखिये हालत क्या है। आपने समय दिया धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमराराम। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में आज भी हालत यह है कि तीन तीन दिन लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कह दिया ना इन्होंने आप नई बात कह रहे हो। (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : शहरों को सुन्दर बनाने के लिए ऋण लेते रहेंगे। शहरों को ऋण लेकर के सुन्दर बनाने के लिए पैसा लगा रही है और गांवों में पीने के पानी के लिए बजट नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : हाउस तो नियम से चलता है। इन्होंने ध्यान आकर्षित कर दिया पर्ची के मार्फत.....(व्यवधान) यह जो पर्चियां दीं उस पर चल रहा हूं, आप लोग क्या डिस्कस करना चाहते हो? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पानी की क्या व्यवस्था करना चाहती है सरकार?

श्री जीतमल खांट : उपाध्यक्ष महोदय, गांवों में पीने का पानी खारा हो गया है, फ्लोराइड युक्त है। चाय बनती नहीं, चाय फट जाती है। खारा पानी पीने के लिए मजबूर हैं....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमराराम....(व्यवधान) माननीय सदस्य बिराजें। बिराजें प्लीज। (व्यवधान)

(13.00 बजे)

मोहम्मद माहिर आजाद : (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी बहुत अच्छे हैं। क्या व्यवस्था करवाई उससे अवगत करवा दें। क्या–क्या कर रहे हैं बता तो दें। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : क्या मतलब +++ (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य बैठिये। वह कर रहे हैं मैं थोड़े ही कर रहा हूं। मैं तो आपसे निवेदन कर रहा हूं। आप बिराजिये।

श्री मदन दिलावर : (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, रोक लगवायें यह +++ क्या होता है।

श्री उपाध्यक्ष : वह तो वह कर रहे हैं। मैं थोड़े ही कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : आपसे निवेदन है इस पर रोक लगवाइये।

श्री उपाध्यक्ष : यह आपसी मामला है। आप बिराजिये। (व्यवधान)

श्री रामसिंह विश्नोई (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने जो भयावह

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री रामसिंह विश्नोई)

स्थिति का वर्णन किया है मैं उनकी बातों से सहमत तो नहीं हूं लेकिन यह उनको मालूम है कि पानी का संकट है। जब किसी प्रदेश में जो सूखा प्रदेश है वहां.... (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : पानी मांगते हैं तो लाठियां मिलती हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप सुनना चाहते हैं कि नहीं सुनना चाहते हो ?

श्री मदन दिलावर : पानी मांगते हैं तो लाठियां उपाध्यक्ष महोदय, और यह कह रहे हैं कि सहमत नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप सुनना चाहते हैं कि नहीं सुनना चाहते। तो फिर बैठिये आप।

श्री रामसिंह विश्नोई : आपके जोर से बोलने से तो मैं घबराने वाला हूं नहीं। मेरे कोई फर्क पड़ता नहीं कि जोर से बोलो, धीरे बोलो। लेकिन यह मेरे को मालूम है कि पानी का संकट है। पानी की भी कमी रही है। पैसों की कमी के कारण जो व्यवस्था समय पर करनी चाहिए वह हम कर नहीं पाये, अव्यवस्था हो गई। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि 15-20 दिन से हमारी व्यवस्था चल रही है। अभी हमने पैसे दिये हैं, कलेक्टर्स को एम्पावर्ड किया है और चूरू से आने वाले माननीय सदस्य को मैंने पहले ही कहा है। चूरू के अन्दर जो अधिकारी लोग हैं, कर्मचारियों पर बैन लगा हुआ है पूरे प्रदेश के अन्दर। वहां पर 25 परसेन्ट भी कर्मचारी और अधिकारी जाते नहीं हैं। बैन अलग लगा हुआ है लोग काम करते नहीं हैं। पानी की दिक्कत है। (व्यवधान) आप सुनिये आप क्या चाहते हैं या तो आप बोल लीजिए। मुझे बोलने की इन्होंने परमिशन दी है तो आप बात सुनिये। मैं आपको यही कह सकता हूं कि राज्य सरकार ने और डिपार्टमेंट ने अभी हमारी पैसों की व्यवस्था हो गई है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जहां पर हैण्ड पम्प हैं वहां हैण्ड पम्प की व्यवस्था हो रही है। आपके हैण्ड-पम्प है नहीं। आपके ट्यूबवेल हैं, आपके यहां पानी के कुएं हैं। नहर से पानी आता है तो आपकी सारी व्यवस्था के लिए हमने उन अधिकारियों को अधिकृत कर दिया है। कलेक्टर्स को भी एम्पावर्ड किया है कि जहां पानी ट्रान्सपोर्ट होना है वहां पर भी उनको पैसे दिये हैं सारी व्यवस्था करी है। आपको भी चाहिए कि आप जाते हैं विधान सभा क्षेत्र में आप कलेक्टर्स से मिल सकते हैं, अधिकारियों से सम्पर्क कर सकते हैं। यह सारा जिम्मा आप सबके जिम्मे डालकर, सारे पैसे हमारे पास हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं किससे मिलूं जाकर। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : पूरी बात सुनिये उनकी। आपकी इतनी देर सुनी अब आप सुनिये।

श्री रामसिंह विश्नोई : पैसों की कमी नहीं है, सारी व्यवस्था की हुई है। कुछ देरी हुई है उसके लिए तो मैंने आपसे निवेदन किया है कि कुछ देरी हुई है। देरी के

(श्री रामसिंह विश्नोई)

कारण यह कुछ हुआ, अव्यवस्था हुई है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अब पैसों की कमी नहीं है। राज्य सरकार के पास से भी पैसे मिले हैं हमारे पास भी पैसे हैं। हमने व्यवस्था कर दी है। अधिकारियों को अधिकृत कर दिया है। कलेक्टर्स के पास पैसे भेजे हैं और मेरे ख्याल से आप भी महसूस करेंगे कि व्यवस्था ठीक हुई है। अब आप +++ करो। यहां कोई +++ करता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह कोई बात है उपाध्यक्ष महोदय। आज हम अपनी बात नहीं कह सकते हैं। यह बात है। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में धरना)

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये। आप नीचे बैठो। (व्यवधान)

श्रीमती कमला बृजलाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पानी की समस्या इन्हीं की नहीं है पानी की समस्या हर जगह है। (व्यवधान)

श्रीमती ममता शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत भारी समस्या है।

एक माननीय सदस्य : मदन दिलावरजी आपका नाम लिख लिया गया है। आपका नाम आ गया अखबार में। (व्यवधान) आपका नाम आ गया है दिलावर साहब।

श्री फतेह सिंह : शहर को सुन्दर बनाने के लिए ऋण ले रहे हैं, ऐसे अकाल की स्थिति में पानी के लिए पैसे नहीं दे रही है सरकार। मंत्री महोदय इनको ट्रान्सफर करने का भी अधिकार नहीं है। कर्मचारी कन्ट्रोल में नहीं हैं। (व्यवधान)

श्रीमती ममता शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, पानी की भारी समस्या है।

श्री जीतमल खांट : बांसवाड़ा जिले के अन्दर माही डेम का पानी.....(व्यवधान)

श्री फतेह सिंह : जनता परेशान है। बिना पाइप के हैण्ड पम्प चालू नहीं हो रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप सुनना ही नहीं चाहते हैं तो क्या इलाज है। (व्यवधान)

श्री फतेह सिंह : जो स्वीकृत हैं वह भी खोदे नहीं गये। हालत बहुत खराब है। (व्यवधान)

श्रीमती कमला बृजलाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से मैं यह जानकारी लेना चाहती हूं हर जगह हैण्ड पम्प खराब पड़े हैं। मेरे यहां भी हैण्ड पम्प खराब पड़े हैं लेकिन पी. एच. ई. डी. के कोई अधिकारी बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। सपोटरा एक ऐसा क्षेत्र है जो डांग क्षेत्र है लेकिन वहां टैंकरों से पानी अभी तक सप्लाई किया जाता है। (व्यवधान)

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : आपकी सुनूं कि उनकी सुनूं। इनको रोको। आप बोलना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री फतेह सिंह : अभी कलेक्टर्स ने यह व्यवस्था नहीं की है वहां लोग परेशान हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : उनको रोको फिर बोलो।

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, रोकना किसको है। इस सदन के अन्दर कुछ परम्पराएं हैं। शालीनता से बात यहां पर माननीय सदस्य कहते हैं, मंत्रीजी को इतना गुस्सा करने की, यह भाषा इस प्रकार की अगर यह प्रयोग करते हैं। सवाल तो पानी का है यहां कोई +++ करने के लिए या किसी प्रकार का नाम उछालने की बात नहीं है। हम आपसे यह चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं उन्होंने कहा +++ किया। यही तो कहा ना।

श्री देवीसिंह भाटी : नो, +++ करने के लिए नहीं बोलते। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं कुछ कहना चाहता हूं उससे पहले आप यहां आकर बैठ गये। (व्यवधान) आप सुनना ही नहीं चाहते हो मुझे भी। मैं क्या कह रहा हूं आप सुनना ही नहीं चाहते हो। उसका क्या जवाब है मेरे पास। आप पहले ही आकर यहां बैठ गये। आप अपनी जगह जाइये मेरी व्यवस्था सुनिये उसके बाद बात करिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, समस्या क्या है। समस्या कैसी है आपने व्यवस्था देर से दी। यह आपने माना एतराज नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य उत्तेजना में माननीय मंत्रीजी ने कुछ कह दिया तो मैं कहूंगा ना। आप काहे को बैठ गये बीच में। मैंने कोई उसको अप्रूव कर दिया क्या? आप क्यों नीचे बैठ गये? ऐसा नहीं चलेगा। (व्यवधान) आप बैठिये। I am not appreciating what he has said. फिर क्या बात है।

श्री फतेह सिंह : पानी की समस्या इतनी गंभीर है। (व्यवधान)

श्री जुगल काबरा : मंत्री महोदय ने बहुत ही शालीनता के साथ में पेयजल समस्या के निदान के लिए सरकार द्वारा किये जा रहे कामों पर प्रकाश डाला। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : This is no way of a debate.

श्री जुगल काबरा (जोधपुर शहर) : विपक्ष के माननीय सदस्य जानबूझ कर उत्तेजना पैदा करने की नीयत से सदन की कार्यवाही को ठप्प करने के लिए इस तरह का वातावरण पैदा कर रहे हैं यह कतई उचित नहीं है। इस सदन की कुछ परम्पराएं रही हैं। इस सदन के अन्दर कुछ व्यवस्थाएं रही हैं। (व्यवधान)

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : समस्या को उठाया और मंत्रीजी ने जवाब दिया मैं समझता हूं एक बात पर यह समस्या खड़ी हुई है। समस्या को आपके सामने इस सदन में रखा....(व्यवधान)

श्री जुगल काबरा : परन्तु विपक्ष के माननीय सदस्य जानबूझ करके उसकी अवहेलना कर रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय ने बहुत ही शालीनता के साथ में पेयजल समस्या के ऊपर सरकार द्वारा किये गये प्रयासों के ऊपर अच्छी तरह से प्रकाश डाला है। (व्यवधान) इन्होंने स्वयं ने इस बात को मंजूर किया है कि अब तक माकूल पेयजल संसाधन जुटाने की व्यवस्था नहीं हो सकी है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये आप। (व्यवधान) आप सुनना ही नहीं चाहते हैं।

श्री जुगल काबरा : परन्तु फिर भी हमारे विपक्ष के माननीय सदस्य जानबूझ करके इस तरह का वातावरण पैदा कर रहे हैं मानो कि केवल उन्हें ही पेयजल समस्या की चिंता है। आज पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के लोग पेयजल संकट की स्थिति से चिंतित हैं। पक्ष के लोग भी कई बार सरकार से निवेदन करते हैं कि हमारे अपने-अपने क्षेत्रों के अन्दर पेयजल का संकट है। किन्तु विपक्ष ने जिस तरीके से यह वातावरण पैदा किया है इससे समस्या का समाधान नहीं हो सकेगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप कृपया माननीय विपक्ष के सदस्यों से कहें कि शालीनतापूर्वक व्यवहार करें।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये आप। आर्डर-आर्डर। एक मिनट विराजिये। सुनिये। यह बोल रहे हैं ना। अब तो बैठो आप।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, पिछली 23 तारीख से लेकर अब तक कई बार उठाया यह विषय हमने। विषय इसीलिए उठाया था कि इसकी गहनता बहुत अधिक है और ईमानदारी से गांवों में एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य विराजिये ना आप। (व्यवधान) आप बोल रहे हैं जब तक तो बैठो।

श्री जगत सिंह दायमा : सदा आपकी नजर उधर ही रहती है। इधर नजर ही नहीं रहती है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये आप पर जितनी नजर है और किसी पर नहीं है। आप बिराजिये। आप बैठो ना। कायदा नहीं है क्या? सदस्य बोल रहे हों जब आप खड़े हों।

श्री जगमाल सिंह यादव : यह फतेह सिंह जी पहले से खड़े हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आपको बोलने देंगे।

श्री जगत सिंह दायमा : फतेह सिंह जी पहले से बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ये पहले से खड़े हैं। आप बिराजिये।

श्री महेश जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के उप नेता को आप स्वीकृति देते हैं बोलने की, आप कम से कम यह भी सुनिश्चित करें कि इनके माननीय सदस्य अपने स्थान पर बैठें उसके बाद उनको बोलने की अनुमति दी जाये।

श्री उपाध्यक्ष : जगत सिंह जी बिराजिये। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : मैं तो बिराज रहा हूं लेकिन यह तो कोई बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये यह बोल रहे हैं ना। आपको भी बोलने दूंगा। कोई मना थोड़े ही कर रहा हूं।

श्री जगत सिंह दायमा : हमारी तरफ तो ध्यान नहीं देते आप। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपका ही ध्यान है। किसी का ध्यान नहीं है। आप विराजिये।

श्री जगत सिंह दायमा : ऐसी बात क्या है इनमें जो फतेह सिंहजी में नहीं है। (व्यवधान)

श्री महेश जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, यह दोनों बातें नहीं होगी। या तो उनके माननीय सदस्य ऊपर अपने स्थान पर बैठें नहीं तो हम भी बोलेंगे। खड़े होओ। (व्यवधान) मत बोलने दो इनको।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ऐसा है आप भले ही यह प्रयोग करना चाहें तो अलग बात है। बात की गहनता को सभी मानते हैं। सदन के पक्ष के भी और विपक्ष के भी सब सदस्य इस बात को मानते हैं कि समस्या बहुत गंभीर है। (व्यवधान) हम 23 तारीख से जब-जब भी मौका मिला हमने सदन में इस बात को रखने का प्रयास किया है। और चूरू से जो माननीय सदस्य आये हैं, उन्होंने भी इस समस्या को रखा और मंत्री महोदय भी अपनी समस्या को बता रहे थे कि हमें कुछ पैसा देर से मिला इसके कारण से व्यवस्था करने में देरी हुई है। लेकिन मंत्री महोदय का यह शब्द यह निश्चित रूप से आपने सुना है, हमने सुना कि आप केवल बोलने के लिये बोलते हो....(व्यवधान) +++ करते हैं, मैं समझता हूं यह इस सदन की गरिमा के अनुरूप नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : मुझे अफसोस इस बात का है कि इससे पहले कि मैं कुछ कहूं आप लोग वैल में आकर बैठ गये।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : आप हकीकत क्यों नहीं पहचानते कि असलियत तो यही है जो कुछ मंत्री महोदय ने बोला है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आप कुछ बोल दें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह नीचे बैठे हैं ना मेरे पास.......(व्यवधान) दोनों बातें साथ नहीं चलतीं। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : वह विषय आया यह इस कारण आया, इस समस्या

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

के लिये अपनी बात रखते हुए नहीं आया, यह इस पर आया कि आपने.....(व्यवधान) बस इतनी ही बात थी.....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैंने उसको एप्रीशियेट नहीं किया। मैंने उसको एप्रीशियेट नहीं किया....(व्यवधान) मैं यही तो कह रहा हूं ना....(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : और इसी बात पर यह यहां आकर....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं यही कह रहा हूं आपको कि आप सब विराजिये। मैंने तो कुछ कहा नहीं। आपने सुना नहीं, आप यहां आकर बैठ गये। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : और इसलिये आप अगर कोई बात कहना चाहें तो यह अपनी चिंता है लेकिन हमारा जो विरोध था वह इस बात पर था कि आप इसमें विरोध प्रकट करने के लिए.....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कह रहा हूं ना..... (व्यवधान) कर दिया ना विरोध.....(व्यवधान) आप बैठिये। आप बैठिये ना.......(व्यवधान)

श्री फतेह सिंह : आपने सुना है, इनको पूछ लो। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : एक पार्ट है यह विरोध का.....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : नोटिस दिया नहीं और खड़े हो गये आप। आप गलत हो, आपका ढंग....(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : यदि आसन की तरफ से यह व्यवस्था हो जाती कि इस प्रकार की भाषा का प्रयोग न करें, आसन ने कोई नोटिस ही नहीं लिया....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह गलत बात है। यह गलत बात है। आप सुनना ही नहीं चाहते हैं मेरी बात। आप सुनना ही नहीं चाहते हैं ......(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : यह बार-बार ऐसी परम्परा पड़ी और जिस प्रकार का यहां प्रयोग हो रहा है, आसन कोई नोटिस ही नहीं लेता।

श्री उपाध्यक्ष : आसन नोटिस ले रहा था उससे पहले आप यहां आ गये, यही तो कह रहा हूं मैं....(व्यवधान) हां, अब आप बोलो, क्या बोलना है।

श्री फतेह सिंह : मैं मेरे बांसवाड़ा जिले की बात....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हां, बोलो आप। क्या बोल रहे थे।

श्री फतेह सिंह : पेयजल के ऊपर यह चर्चा हो रही थी, मेरा भी इस मौके पर निवेदन यह है कि जो बन्दी बस्ती हैं वहां पर भी आप टैंकरों से, किसी भी तरह से पहुंचा सकते हैं। मेरी बात को....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक मिनट। सुनिये मेरी बात। सुनिये, आप पूरी सुनिये। यहां पर पानी पर चर्चा नहीं हो रही है। (व्यवधान) एक मिनट सुनिये.... (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : आप बोलने दो ना....

श्री जगमाल सिंह यादव : यह पेयजल का गंभीर मसला है। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बोलें तो चर्चा है और यदि फतेह सिंहजी बोलें तो चर्चा नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : नहीं-नहीं, यहां पानी पर चर्चा नहीं हो रही है। यहां इन्होंने यह प्रश्न उठाये पर्चियों के माध्यम से, इसका जवाब मंत्रीजी दे रहे हैं। (व्यवधान) आप इनका जवाब सुनिये उसके बाद आपको संतोष.....

श्री अमराराम (धोद) : भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बोलें तो चर्चा है और फतेह सिंहजी बोलें तब चर्चा नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप समझ ही नहीं रहे हैं बात को....(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से कर दी जायेगी।

श्री अमराराम (धोद) : बड़ी सादड़ी से आने वाले माननीय सदस्य....

श्री उपाध्यक्ष : बड़ी सादड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने पानी पर नहीं बोला है। इन्होंने पानी पर नहीं बोला है। आप समझ ही नहीं रहे हैं बात को....(व्यवधान) नहीं--नहीं....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, 26 तारीख को वैसे ही पेयजल पर चर्चा का विषय है। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : जब हाउस कंट्रोल में नहीं है। बी.जे.पी.......

श्री उपाध्यक्ष : हाउस बिलकुल कंट्रोल में है, आप अपने आपको कंट्रोल करो। हाउस बिल्कुल कंट्रोल में है।

श्री जगमाल सिंह यादव : मैं दूसरी बात कह रहा हूं। चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने मंत्रीजी के लिये एक बात कही कि +++ है, हाट टाक्स तो वहां से चालू हुआ।

श्री उपाध्यक्ष : हां, तो आप बैठो ना। मैं यही कह रहा हूं आप सुनें मेरी सारी बात जब....(व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : तो यह अगर ऐसी कोई गलत बात कह दें तो कांग्रेस पक्ष को चुपचाप सुनता रहे और अगर केवल....

श्री राजेन्द्र राठौड़ : तो आप क्यों बोल रहे हो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बैठिये। आप बैठिये।

श्री जगमाल सिंह यादव : मंत्रीजी ने इतनी बात कह दी कि +++ मचाने के लिये तो धरने पर बैठ गये। (व्यवधान)

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयीं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये। ऊपर बैठिये। आप बैठिये प्लीज....(व्यवधान) हो गया ना। आप बैठिये ना। खतम हो गयी बात।

श्री जगमाल सिंह यादव : इस पानी की चर्चा पर आपने बी.जे.पी. को सुन लिया, फिर जनता दल को क्यों नहीं सुन रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये। आप बैठिये प्लीज....(व्यवधान) एक मिनट। आप बैठो प्लीज। माननीय राजेन्द्र सिंह जी राठौड़, आप भी मेहरबानी करके अपनी भाषा पर संयम रखिये। यह कोई +++ की मत करिये। जब आप किसी को उत्तेजित करेंगे तो वह भी उत्तेजित होगा।

मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि आप संयम से जवाब दीजिये। (व्यवधान) आर्डर प्लीज। माननीय बिराजिये।

श्री हेमाराम चौधरी : यह तो कुछ भी करें, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये। आप विराजिये।

श्री रामसिंह विश्नोई : मैंने बिल्कुल संयम से जवाब दिया है और मैंने यह कबूल किया है कि पानी की व्यवस्था चुनाव के कारण, कर्मचारियों की हड़ताल के कारण जो कार्य हमें एक दिसम्बर से प्रारम्भ करने चाहिये थे, कुछ पैसों की अव्यवस्था पूरे प्रदेश में सही ढंग से नहीं होने के कारण हम नहीं कर पाये। उसके लिये जनता को परेशानी हुई, उसके लिये मैंने क्षमा चाही थी आपसे और मैंने यह भी कहा था कि जो व्यवस्था हमें दिसम्बर में जो पिछले वर्ष कर ली थी वह हम नहीं कर पाये। क्योंकि बीच में यह कर्मचारियों की हड़ताल भी थी। बाद में पंचायत के चुनाव आ गये और कुछ पैसों की कमी थी इसलिए मैं भी क्षेत्र में नहीं जा सका। जब पैसे ही नहीं है, जब हैण्ड पम्प ठीक नहीं कर पाते, हड़ताल भी थी तो ऐसी स्थिति में मेरा जो प्रोग्राम, कार्यक्रम जो पूरे प्रदेश में जाने का था, मैं नहीं जा सका। उसकी वजह से कुछ परेशानी हुई है, आज भी परेशानी है। लेकिन मुझे यह कहते हुए कुछ खुशी है कि 15 दिन से हमने प्रयास किये हैं और प्रयास करने में भी, प्राइप लाने के अन्दर भी टाइम लगता है। ठेकेदारों को भी विश्वास हो जाना चाहिये कि सरकार के पास पैसे हैं, तब जाकर वह पाइप देते हैं। हमारे ऊपर करोड़ो रूपयों की जो देनदारियां थी हम उसको पूरा नहीं कर पाये। हमारे जो कर्मचारी, अधिकारी हैं उसको भी हम ट्रांसफर जो अच्छे स्थान खाली जगह पड़े हैं वहां पर हम नहीं कर पा रहे हैं, बेन लगा हुआ है पूरी हमारी व्यवस्था के ऊपर। ऐसी स्थिति में हम कैसे यहां काम करते इसलिये मैंने कहा था कि यह मजबूरी थी जिसके कारण यह हुआ नहीं है।

बाकी हमारे जो चूरू का मालूम है। चूरू के अन्दर पानी है नहीं और जो पानी राजस्थान कैनाल से आता है, पानी के कुएं

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री रामसिंह विश्नोई)

हैं वह सूख गये हैं, नीचे चले गये हैं, यह मुझे कहने की जरूरत कहां है? बड़े-बड़े बंधे सारे सूखे पड़े हैं। आज पूरा जंवाई बांध खाली पड़ा है, रामगढ बांध खाली हो गया है। पूरे जयपुर के अन्दर 850 ट्यूबवैल चल रहे हैं। करीब 650 गैलन मांग है उसकी एवज में फिर भी प्रयास करके 600 गैलन मांग पूरी कर रहे हैं। यह पूरी व्यवस्था हमारे ध्यान में है उसके बावजूद भी जब आपने इस तरह की बात कही। अब +++ का क्या प्रश्न है। मैं कोई आपके लिये तो +++ कर नहीं सकता। अब खुद तो आप ऐसा बोल सकते हैं और मैं कुछ कहूं तो आप नाराज होते हैं। ऐसी बातों का इस्तेमाल इनको नहीं करना चाहिये। मैंने तो फिर भी संयम रखा है। बाकी जो आप बोलते हैं उसी में मैं बोल देता। लेकिन मुझे मालूम था कि यह पूरे प्रदेश के यहां जन प्रतिनिधि बैठे हैं और मैं यहां पर कुछ बीच में भी बोल दूंगा तो ठीक नहीं रहेगा। लेकिन यह बात अच्छी नहीं है। मैंने कोई बुरी भावना से नहीं कहा। मैंने कहा आपको मालूम होते हुये भी आप इस तरह की बात करते हैं वह बात ठीक नहीं है। आपको अफसोस करना चाहिये। आप खुद जब जन प्रतिनिधि हैं, आपका प्रभाव है, आप लम्बे समय से मंत्री भी रहे हैं। आप कलेक्टर से मिल सकते हैं, आप अपने वहां के अधिकारियों से सम्पर्क कर सकते हैं। उसमें कहीं आपको दिक्कत आती हो तो हमारे से भी सम्पर्क कर सकते हैं। मुख्य मंत्रीजी से आप सम्पर्क कर सकते हैं। ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिसका कोई समाधान नहीं हो, हल नहीं हो सकता हो। पानी की पूरी दिक्कत है। लेकिन मैं आपको विश्वास देता हूं कि जो काम हमारे को दिसम्बर में शुरू करने चाहिये, आज अप्रेल का एंड होने जा रहा है, हम कार्य प्रारम्भ नहीं कर सके थे। अब 15 दिन से हमारा काम कंट्रोल में है। 4-5 दिन के अन्दर जब आप पधारेंगे आपको महसूस होगा कि हम प्रयास कर रहे हैं। कितनी सफलता मिलती है वह एक अलहदा मामला है। तो यही मुझे कहना था। बाकी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पानी की किल्लत जरूर है लेकिन पानी की वजह से लोगों को परेशानी नहीं होगी, इस बात का मैं आपको विश्वास देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमराराम....(व्यवधान) नहीं उठे तो मैं क्या करूं। क्या करूं इनका। किस पर बोलने दें...(व्यवधान) किस पर बोलना चाहेगें...(व्यवधान) आप अपनी जगह पर....(व्यवधान) आप बिराजिये।

श्री जगत सिंह दायमा : इनका भाषण तो हम सुनना चाहेंगे...

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : पानी की कमी बरकरार है। सरकार ने दोनों बार असत्य बोला है...

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। आप बिराजिये।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : मैं देख रहा हूं पर हमारी तकलीफ भी सुनिये आप...

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं सुनेंगे। आप बिराजिये...

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : चेंज करो ना ऐसे...

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। आप बिराजिये।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : यह कोई बात नहीं है। सरकार असत्य बोल रही है कि लोग काम नहीं करते...

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। आप अब...

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : मैं कह रहा हूं आज की तारीख में दस हजार लोग वहां...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। आपको अवसर मिलेगा बोलने का। आपका समय आयेगा तब बोलना। माननीय सदस्य बिराजिये। आप बिराजिये। (व्यवधान)

श्री फतेह सिंह : कुछ कहना चाहता था मैं...

श्री उपाध्यक्ष : नहीं आप कहना क्या, काहे पर कहना चाहते हैं। काहे पर कहना चाहते हैं...(व्यवधान) हाउस को आप नियमों से चलाना चाहते हैं कि मनमर्जी से चलाना चाहते हो...(व्यवधान) आप दो ना पर्ची आपको बुलाऊंगा। आप दो ना। आप लिखकर दो ना, मैं बोलना चाहता हूं। मैं मना कहां करता हूं। इन्होंने लिखकर दिया है, बोलने दे रहे हैं। आप लिखकर दो, बोलने देंगे। कौन रोकता है आपको। हां, बोलिये।

श्री फतेह सिंह : मंत्री महोदय ने चूरू के बारे में कह दिया...(व्यवधान) मैं बासवाड़ा जिले के बारे में यह कहना चाहता था कि हमारे यहां पर पानी की परेशानी है। वह पहाड़ी इलाका है। बरसात की कमी से पानी कहीं नदी, नालों या बांधों में रहा नहीं। कुओं का जल स्तर नीचे चला गया। हैण्ड पम्प भी सूख गये और हम जब आज कह रहे हैं, मंत्रीजी कह रहे हैं कि कलेक्टर को मिलो और वहां पर पाइप की व्यवस्था हो जायेगी। कुएं गहरे हो जायेंगे। हम दो दिन पहले मिले थे। कलेक्टर साहब ने भी यह कहा कि सरकार की तरफ से हमको कोई पाइप का पैसा दिया नहीं है, न कोई रिलीफ में सीलिंग लगा रखी है। जो हमने मजदूर दिये हैं वही दिये हैं तो मेरा इस मौके पर यह निवेदन करना है कि ग्रामीण इलाके में हालत इतनी खराब है लोग गुजरात में चले गये हैं और मवेशी के लिये तो पानी है ही नहीं। नदी, नाले सूख गये हैं सारे। तो मेरा सुझाव यह था कि वास्तव में वहां की जनता को अगर पानी देना है तो हैण्ड पम्प जो स्वीकृत हैं उन हैण्ड पम्पों को जल्दी खोदा जाये इतनी मशीनें लगाकर और मैटेरियल जो भी पाइप वगैरह चाहिये वह आप उपलब्ध करावें तो भी पानी मिल सकता है। उसके बाद में सार्वजनिक कुए उस इलाके में हैं, उन सार्वजनिक कुओं को हर गांव में, हर मोहल्ले में गहरा कराया जाये। अगर कुए गहरे नहीं हों क्योंकि वहां चट्टान है, सार्वजनिक कुए अगर स्वीकृत करते हैं तो उसके साथ-साथ में ब्लास्टिंग मशीन भी लगायी जाये तो जैसे-जैसे खोदते जायेंगे मलबा निकलता जायेगा

(श्री फतेह सिंह)

और वहां भी लोगों को पानी मिल जायेगा। उसके बाद में जो हैण्ड पम्प पहले से लगे हुए हैं उनमें सामान है नहीं, उनको दुरूस्त करायें, उनमें जब तक पाइप नहीं मिलेगा तब तक वह मिस्त्री हैण्ड पम्प खोलकर बैठा रहेगा, वहां पर पानी मिल नहीं पायेगा। दरअसल लोगों के लिए पानी की व्यवस्था करनी है तो सार्वजनिक कुए गहरे करने पड़ेंगे। सैंक्शंड हैण्ड पम्पों को खोदकर जल्दी फिटिंग करनी पड़ेगी, पुराने हैण्ड पम्पों को रिपेयर करने या पाइप देने के काम को भी करना पड़ेगा।

उसके साथ-साथ में हमारे इलाकों में किसानों ने निजी कुए खोद रखे हैं। सार्वजनिक कुए में अगर पानी नहीं आता है तो मेरा यह भी सुझाव है कि निजी कुओं को भी गहरा करने की आप स्वीकृति दें।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है माननीय सदस्य, समाप्त कीजिये। हो गया ना।

श्री फतेह सिंह : इन कुओं को गहरा करने के लिए अगर स्वीकृति देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, श्री अमराराम जी।

श्री रामसिंह विश्नोई (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इनका जवाब इसलिए देना है कि यह बात सही नहीं है, प्रत्येक कलेक्टर को पांच लाख से 10 लाख के बीच में रुपये दिये हुए हैं। अगर डिपार्टमेंट से कोई व्यवस्था में कमी रह जावे तो वह अपने स्तर पर अपने विधायकों से या अपनी जानकारी के आधार पर कहीं कोई हैण्ड पम्प या ट्रांसपोर्ट से पानी की व्यवस्था कर सकता है। आप यह कहते हैं कि कलेक्टर से मिला हूं, पैसे नहीं दिये हैं। यह बात बिल्कुल गलत है। प्रत्येक कलेक्टर को 5 लाख से 10 लाख रुपये दिये गये हैं, एक बात। दूसरी बात, उसके अलावा भी हैण्ड पम्पों की रिपेयरिंग के लिये, नये खोदने के लिये पाइप लाइन भी भेज दी है और कुछ कमी पड़ी है, थोड़ी भेजी जरूर है। वह 25 क़रोड़ रुपये हमारे मंजूर हो गये। हमने सब जगह कलेक्टर्स और अधिकारियों को दे दिये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप कलेक्टर से सम्पर्क कर लेना, आज कर लेना।

श्री रामसिंह विश्नोई : पूरी व्यवस्था दो-चार दिन के अंदर सही ढंग से हो जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष : हो गया। माननीय अमराराम जी।

राजस्थान में बिजली की समस्या

श्री अमराराम (धोद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका और सदन का जिस समस्या की ओर ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं, मंत्री जी तो उद्घाटन में मशगूल हैं। इस बिजली की समस्या से पूरा राजस्थान परेशान है। खास तौर से राजस्थान की सरकार ने किसानों के साथ जो वादा खिलाफी की है। एक तरफ राजस्थान में सरकार नर्सरी योजना को समाप्त करने की घोषणा करती है। वहीं राजस्थान की

(श्री अमराराम)

सरकार ने इसी महीने से जो एक-एक किसान का एक-एक नर्सरी कनेक्शन पर 15 से लेकर 20 हजार रुपये एच.पी.चार्ज का जमा था, बिजली बोर्ड और किसान का एग्रीमेन्ट था कि वह पैसा किसान को हर महीने 25 रुपये पर एच.पी. के हिसाब से चार साल में पूरा बिल में एडजेस्ट होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन यही सरकार एक आदेश इसी महीने में निकालती है कि वह पैसा जो राजस्थान के हजारों किसानों का करोड़ों रुपया राजस्थान के बिजली बोर्ड में नर्सरी कनेक्शन के रूप में जमा था, उसके लिये आदेश एक साल के लिये नहीं पांच साल के बाद में उसको एडजेस्ट करने के लिये आदेश निकालकर उसको बिलों में एडजस्ट करने से मनाही कर दी। उपाध्यक्ष महोदय, जो करोड़ों रुपये राजस्थान के किसानों का इस शर्त के साथ राजस्थान बिजली बोर्ड में जमा हुआ था कि वह चार साल में बिलो में एडजस्ट करके उसकी पूर्ति वापस किसानों को कर दी जायेगी। सरकार द्वारा करोड़ों रुपया पांच साल के लिए बंद करने का मतलब है कि कोई भी राशि अगर आज आप जमा करते हैं तो साढ़े चार-पांच साल के बाद में जस्ट डबल होती है। पांच साल के बाद यह आर्डर निकालने का मतलब है कि राजस्थान के किसानों का करोड़ों रुपया राजस्थान की सरकार और बिजली बोर्ड द्वारा हजम किया जाना।

उपाध्यक्ष महोदय, यही नहीं, राजस्थान की सरकार किसान और गांवों के साथ किस तरह का दुर्व्यवहार कर रही है। एक तरफ राजस्थान में बिजली नहीं जायेगी, न किसान को मिलेगी, न गांव को मिलेगी। इस गर्मी में, इन परीक्षाओं के समय में राजस्थान के गांवों में शाम से लेकर सुबह तक बिजली कहीं नामो निशान नहीं जायेगी। किसान की फसल जलेगी, विद्यार्थी पढ़ नहीं पायेंगे। आम जन-जीवन जो बिजली पर निर्भर है राजस्थान के ग्रामीण इलाकों का अस्त-व्यस्त हो जायेगा। वहीं राजस्थान की सरकार ने पिछले महीने मिनिमम-चार्ज, मिनिमम बिजली देने के लिये राजस्थान की सरकार और राजस्थान का बिजली बोर्ड पाबंद नहीं है और राजस्थान में जो आठ साल से मिनिमम चार्ज नहीं था। ग्रामीण क्षेत्रों में किसान और आम उपभोक्ता पर जो मिनिमम चार्ज थोपकर उसको लूटने का काम किया है। उसमें ज्यादा लूट उस किसान की होगी जो मार्जिनल किसान है जिसके पास बहुत कम जमीन है। उसके पास बिजली नहीं और जो बिजली ली गयी है, उसके पास बिजली जाती नहीं, वह पैसा चुका नहीं पाता और उसके लिये मिनिमम चार्ज लगाकर दिया। आप बिजली देंगे नहीं, मिनिमम कंजम्पशन होगा नहीं और उस पर मिनिमम चार्ज लगाकर करोड़ों रुपये राजस्थान के किसान और आम जनता से लूटने का जो आर्डर राजस्थान की सरकार के दिशा-निर्देश से बिजली बोर्ड ने निकाले हैं उनको वापस लिया जाये।

बिजली बोर्ड में बकाया कर, बाकी उपभोक्ताओं को तो जितनी पेनल्टी और पेनल्टी इंट्रेस्ट है उसमें शत-प्रतिशत छूट

(श्री अमराराम)

दे दी कि एक महीने में कोई भी बकाया राशि अगर कोई भी उपभोक्ता राजस्थान में ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में जमा करायेगा तो उसको उस पेनल्टी और पेनल्टी इंटरेस्ट पर शत–प्रतिशत की छूट होगी। लेकिन किसान को मात्र 50 प्रतिशत छूट होगी तो मैं आपके माध्यम से इस सदन से और सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो आदेश निकालकर राजस्थान के किसान के साथ जो वादा खिलाफी राजस्थान की सरकार ने की है। उस किसान के जमा पैसे को डकारने का काम राजस्थान सरकार ने यह आदेश निकालकर किया है इस आदेश को वापस लें और किसानों को राहत पहुंचाने का काम करें।

श्री उपाध्यक्ष : अनुदान पर चर्चा। श्रीमती कमला जी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आन ए पाइंट ऑफ इनफार्मेशन।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, क्या हुआ ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ऑन ए पांइट ऑफ इनफार्मेशन। मैं यह निवेदन कर रही हूं कि न तो मुख्य मंत्री जी हैं, न गृह मंत्री जी हैं।

श्री उपाध्यक्ष : यह कहां जरूरी है उनका होना ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सुनिये तो सही। बात तो मेरी सुनेंगे तब कहेंगे। आप मुझे आगे बोलने का मौका हीं नहीं दे रहे हैं। मैं यह निवेदन कर रही हूं कि विधान सभा के बाहर सैकड़ों की तादाद में महिलाएं, हजारों की तादाद में पुरूष इस चिलचिलाती धूप में अपनी कटती हुई फसल छोड़कर के यहां पर बाहर नारे लगा रहे हैं। मैं कहना चाहूंगी इस बारे में कि कौन अपना काम छोड़कर इस गर्मी के अन्दर, जरा बाहर जाकर देखिये, आप तो ए.सी. में बैठे हुए हैं, पता भी नहीं लग रहा है कि गर्मी का मौसम है। बाहर जाकर देखिये, एक व्यक्ति किसी की सिफारिश कर सकता है लेकिन हजारो की तादाद में इस तरह से लोग कभी आया नहीं करते हैं और आये भी नहीं हैं। बीरबल सिंह हत्या कांड को लेकर आज सारा जिला आंदोलित है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, बिराजिये, प्लीज। आप बिराजिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं बैठ तो रही हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मेरी बात तो सुनिये।

श्री उपाध्यक्ष : कल उसकी डिमांड है। आपको उस पर जवाब मिलेगा। आप बिराजिये प्लीज।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : गृह मंत्री जी या मुख्य मंत्री जी ने....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, बिराजिये प्लीज। आप गृह मंत्री जी से मिल लीजिये। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उनसे मिलेगा कोई....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप मुख्य मंत्री जी से मिल लीजिये जाकर...(व्यवधान) आपने कई दफे इस प्रश्न को उठा लिया। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मुख्य मंत्री जी हैं नहीं यहां पर...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हैं ना गृह मंत्री जी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : नहीं हैं। चले गये यहां से।

श्री उपाध्यक्ष : मुख्य मंत्री जी बैठे हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : चले गये यहां से।

श्री उपाध्यक्ष : मुख्य मंत्री जी बैठे हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मुख्य मंत्री जी चले गये। मैं कह रही हूं चले गये।

श्री उपाध्यक्ष : चले गये तो वहां जाकर मिल लो। मैं क्या करूं चले गये तो।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : वहां जाकर के मिल लें और यहां पर हजारों की तादाद में नारे लगायें।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती कमला जी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : और वहां जाकर के मिलें।

श्री उपाध्यक्ष : यह मेरा काम नहीं है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : तो आपका क्या काम है ?

श्री उपाध्यक्ष : मेरा काम हाउस चलाना है। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि मांग संख्या 46....।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : विधान सभा का घेराव कर रखा है। लोग नारे लगा रहे हैं। चिलचिलाती धूप में और आप कहते हैं कोई मतलब ही नहीं है। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : सिंचाई (इन्दिरा गांधी नहर परियोजना सहित) के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2001...।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हेमाराम चौधरी। आप बिराजिये प्लीज....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हजारों की संख्या में....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : होंगे, मैं क्या करूं ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं क्या कर सकता हूं, ...(व्यवधान) आप सरकार से मिलिये।

एक माननीय सदस्य : एक मिनट का मौका मुझे भी दिया जाये....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। यह प्रदर्शन रोज होते हैं। कोई आज थोड़े ही हो रहा है। नई बात नहीं है। (व्यवधान) श्री हेमाराम चौधरी।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष जी से मिलने आये हैं। (व्यवधान) यह परम्परा रही है कि राजस्थान सरकार. ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सरकार व्यवस्था कर रही है। आप बिराजिये...(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह गवर्नमैंट का देखने ...(व्यवधान) आप बिराजें।

मोहम्मद माहिर आजाद : इस विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष महोदय के जरिये अपनी बात....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री हेमाराम चौधरी। आप बोलिये। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : इसलिए वह आपसे मिलने के लिये आये हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री जी बिराज रहे हैं। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आप उनसे मिलिये, उनकी बात सुनिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कमला जी, आपने डिमांड नहीं रखी क्या? (व्यवधान) दोनों मांग रख दो आप। (व्यवधान) दूसरी भी रख दें एक साथ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : राजस्थान के झुंझुनूं जिले का....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये प्लीज... .(व्यवधान)

अनुदान की मांग

मांग संख्या-46

सिंचाई (इंदिरा गांधी नहर परियोजना सहित) की प्रस्तुति

श्रीमती कमला (सिंचाई मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि मांग संख्या 46, सिंचाई (इंदिरा गांधी नहर परियोजना सहित) के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 11,32,91,24,000/–(ग्यारह अरब बत्तीस करोड़ इक्यानवें लाख चौबीस हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाये।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये, माननीय सदस्य....(व्यवधान) गृह मंत्रीजी बैठे हैं। (व्यवधान) कोई जरूरी नहीं है स्टेटमैंट दिलवायें। हर बात पर कोई स्टेटमैंट देना जरूरी नहीं है।

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पर्ची भेजी है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : फिर भी आप कह रहे हैं कि गृह मंत्री जी नहीं हैं। गृह मंत्री जी हाउस में हैं और आप कह रहे हैं कि गृह मंत्री जी नहीं हैं। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : अभी आये हैं....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हाउस में तो अभी आये हैं, वहां चैम्बर में थे। (व्यवधान)

मांग संख्या 46 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-46 मुख्य शीर्षक–सिंचाई (इंदिरा गांधी नहर परियोजना सहित) के अन्तर्गत मांग में से 100 रूपया कम कर

(श्री उपाध्यक्ष)

दिया जाय, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे / करेंगी कि :-

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू (पीलीबंगा)

1. सिंचाई व्यवस्था को सुधारने, सिंचित क्षेत्र को बढ़ाने एवं प्रशासनिक मशीनरी को सुधारने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अमीन खान (शिव)

2. जिला जैसलमेर में इन्दिरा गांधी नहर को बराला, वितरीका के बार-बार टूटने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

3. इन्दिरा गांधी नहर में जिला जैसलमेर में इस साल किसानों को पानी न मिलने से भारी बरबादी होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

4. इन्दिरा गांधी नहर जिला जैसलमेर में नहरों का घटिया किस्म का कार्य होने से राज्य के धन की बरबादी को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

5. इन्दिरा गांधी नहर सागरमल गोपा शाखा गडरा रोड का कार्य तेज गति से कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

6. इन्दिरा गांधी नहर का सीमेंट तस्करी के रूप में बेचने से किसानों में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री आत्माराम मेघवाल (देसूरी)

7. मांडीगढ़ बांध के निर्माण की अति आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम जैन (बेगूं)

8. तहसील बेगूं में निर्माणाधीन रूपारेल सिंचाई परियोजना के डूब में आई कृषकों की भूमि का मुआवजा दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

9. तहसील भैंसरोडगढ़ में फलकू-पतलोई, खोको गुजाली, कबाडिया नाका, श्रीपुरा (ब्राह्मणी नदी) भूंजर पर सिंचाई परियोजनाएं बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

10. विधान सभा क्षेत्र बेगूं की मैनाली, साकड का नाका, भंवर फ्रीपामा, जलसागर, धांधडा, बूजडा, पचौर, मेहसरा नदी पर बांध बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर)

11. इन्दिरा गांधी नहर के द्वितीय चरण में कम बजट का प्रावधान रखने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा)

12. उनियारा सिंचाई खण्ड जिला टौंक में पागडी बांध का सर्वे इत्यादि पूर्ण हो चुका है और स्वीकृति के लिये विभाग में भेजा हुआ है, इसे स्वीकृत किया जाकर धन राशि आवंटित करने की अति आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

13. भानपुरा बांध जिला टौंक की नहर का पुनः सर्वे कराने से अधिक भूमि सिंचित होने की स्थिति पर चर्चा के लिये।

(श्री दिग्विजय सिंह)

14. नया गांव बांध तहसील देवली जिला टौंक के निर्माण के कार्य हेतु धन राशि आवंटित करके वहां के काश्तकारों की सिंचाई करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

15. बीसलपुर परियोजना के विस्थापितों को मुआवजा दिये जाने के बाद भी उन्हें वहां से अन्यत्र नहीं बसाने व दोहरा लाभ उठाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

16. बीसलपुर परियोजना की दांई नहर से तहसील देवली व उनीयारा को क्रमशः 15793 व 19576 हैक्टेयर भूमि सिंचित होगी, का कार्य शीघ्र हाथ में लिया जाये और नहरों का निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री संयम लोढा (सिरोही)

17. सिरोही जिले में कैलाश नगर, कालन्द्री एवं पराल में बांध बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू)

18. जयपुर जिले के कालख बांध को सिंचित योग्य बनाने व क्षमता में बढोतरी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम)

19. इन्दिरा लिफ्ट सिंचाई योजना के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र एवं इसके चालू होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

20. पांचना बांध कब तक पूर्ण होगा एवं इसका पानी नादौती एवं टोडाभीम में कितने ग्रामों को दिया जावेगा पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं)

21. झुंझुनूं जिले में सिंचाई की किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं होने से किसानों में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा)

22. सहाबी नदी को बाढ़ से ग्राम जकीपुर, आलमपुर, बीलाहेडी, कान्दडका, जमालपुर एवं कलोपुर के बह जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

23. सहाबी नदी के पानी को अलवर जिले में न रोकने एवं हरियाणा सरकार द्वारा भवानी बैराज पर पानी रोकने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रतना राम चौधरी (रानीवाड़ा)

24. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में कुओं का जल इस तरह नीचे चला गया, जिससे कुएं सूख गये। इसलिए सिंचाई के बांध एनीकटों का निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

25. पुराने बांध वर्ष 1990 में अतिवृष्टि से टूट गये थे, जिनमें करवादा, दौलवाडा, वणदरवोरा आदि बांध तथा नये बांध सणदरा गोंग आदि बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री संजीव कुमार (भादरा)

26. सिद्धमुख परियोजना की सिद्धमुख वितरिका एवं रतनपुरा वितरिका का निर्माण

(श्री संजीव कुमार)

कार्य शीघ्र चालू करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

27. सिद्धमुख नहर परियोजना के लिये हरियाणा सरकार से हिस्से का पानी लेने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

28. सिद्धमुख परियोजना की भिरानी माइनर के टेल एक्सटेंशन हेतु चर्चा के लिये।

29. भाखड़ा प्रणाली की झांसल वितरिका के टेल पर पानी पहुंचाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

30. भाखड़ा प्रणाली की वितरिकाओं (माइनर) एवं खालों को पक्का करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मदन दिलावर (अटरू)

31. अटरू तहसील के पार्वती नहर के ऊपर साइड पर रतनपुरा सारण, अमरसारण पर एनीकट निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

32. पार्वती व परवन नदी (बारां) से निकलने वाली नहरों की मरम्मत कराने की अति-आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री घासीराम मेघवाल (पाटन)

33. बांई मुख्य नहर की कापरेन ब्रांच, पाटन ब्रांच एवं उसकी वितरिकाओं के रख रखाव व मरम्मत तथा मेज व कुरले नदी के संगम पर बासखेडा बांध का निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रतन लाल ताम्बी (जहाजपुर)

34. जहाजपुर क्षेत्र की सिंचाई योजनाओं पर नहरों की दयनीय हालत को सुधारने एवं सरलासागर बांध की बाई नहर की जन मांग पर स्वीकृति कर सिंचाई सुविधा बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

35. नागदी नदी एवं पीकअप में 1978 में बांध टूट जाने से मलवा भरने से नागदी नदी मं प्रदूषण बाबत् राशि का अतिरिक्त आवंटन कर पूर्व स्थिति बहाल कर जल को प्रदूषित होने से बचाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

36. जहाजपुर क्षेत्र में बनास नदी पर एनीकट निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

37. जहाजपुर क्षेत्र की 2 दर्जन से अधिक लम्बित सिंचाई योजनाओं का सर्वेक्षण कर स्वीकृति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

38. जहाजपुर क्षेत्र की अधूरी सिंचाई योजनाओं पर राशि तथा योजनाओं की बकाया मुआवजा हेतु राशि का आवंटन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. रतन लाल जाट (सहाड़ा)

39. भीलवाड़ा जिले की सहाड़ा विधान सभा क्षेत्र के लड़की बांध, राशलियास बांध, फुफीयां बांध, काबरड़ा बांध व सिंचाई विभाग के अन्य सभी तालाबों में हो रही भारी टूट-फूट से खराब होने वाली पानी की रोक

(डा. रतन लाल जाट)

तथा नहरों की मरम्मत के लिये समुचित व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

40. बीसलपुर परियोजना से भीलवाड़ा जिले को पेयजल हेतु पानी का हिस्सा तय करने एवं रिजर्व रखने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

41. सिंचाई हेतु देश की विभिन्न सिंचाई योजनाओं से राजस्थान को मिलने वाले पानी को प्राप्त करने में राज्य सरकार की विफलता पर चर्चा के लिये।

42. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के सरगांव, बिसराई, हिम्मत सागर, आमली, शिवरनी, नान्दशा, मललाई, देवखि, कांगणी, खाखला, मोटला, सहाड़ा, खेमाणा आदि सभी तालाबों की पाल व नहरों की मरम्मत करने पर चर्चा के लिये।

43. सिंचाई विभाग द्वारा भीलवाड़ा जिले हेतु पर्याप्त मात्रा में धन राशि आवंटित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं)

44. जिला गंगानगर व हनुमानगढ़ में सैम समस्या का समाधान करने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

45. सिंचाई के लिये काश्तकारों को पानी देने में भेदभाव बरतने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

46. घग्गर का पानी जो पाकिस्तान जा रहा है, उसको रोक कर उपयोग में लेने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

47. सिंचाई परियोजनायें समय पर पूरी नहीं की जाने के कारण उनकी लागत बढ़ जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

48. जैसलमेर जिले में जिस क्षेत्र को कमाण्ड घोषित कर रखा है वहां पर पानी नहीं पहुंचाये जाने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री जनार्दन गहलोत (करौली)

49. पांचना बांध के आस-पास के गांवों को सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हेमन्त कुमार (दीगोद)

50. चम्बल सिंचित क्षेत्र दांई नहर खण्ड-प्रथम की नहरों की मरम्मत व सफाई करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) एवं

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा)

51. सिंचाई परियोजनाओं के उपयुक्त रख-रखाव व मरम्मत कार्यों हेतु धन की व्यवस्था करने पर चर्चा के लिये।

52. झुंझुनूं क्षेत्र में सिंचाई की छोटी-छोटी परियोजनाओं को अकाल राहत कार्यों में निर्माण कराने की स्वीकृति प्रदान करने पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा)

53. राज्य में नहरों की स्थिति दयनीय होने के बावजूद इनकी मरम्मत के लिये कोई प्रावधान नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री नारायण सिंह (दांतारामगढ़)

54. पानी की समस्या के समाधान हेतु छोटे-छोटे बांध बनाकर सिंचाई हेतु उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा),

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत),

श्री सांवर लाल (भिनाय) एवं

श्री मदन दिलावर (अटरू)

55. छबड़ा विधान सभा क्षेत्र में सिंचाई बांधों के निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

56. बारां जिले की मध्यम सिंचाई परियोजना-बैथली के कार्य का अधिकारियों द्वारा निरीक्षण नहीं करने से किसानों में व्याप्त असंतोष की स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा),

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) एवं

श्री सांवर लाल (भिनाय)

57. बारां जिले की फलिया लघु सिंचाई परियोजना का अधूरा कार्य पूरा करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सांवर लाल (भिनाय),

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत),

श्री मदन दिलावर (अटरू) एवं

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा)

58. 15 वर्षों से अभाव ग्रस्त सिंचाई क्षेत्र के किसानों से वसूली करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

59. विभाग द्वारा 3 वर्षों से अनुपस्थित कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही न होने के कारण व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

60. खाण्डरा तालाब को विभाग के अन्तर्गत लेने की मांग पूरी न होने के कारण जन आक्रोश पर चर्चा के लिये।

श्री मदन दिलावर (अटरू),

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) एवं

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा)

61. अजमेर जिले के ग्राम दोथजी व देवरिया में लघु सिंचाई परियोजना स्वीकृत कर बांध बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सोहन नायक (रायसिंहनगर)

62. भीमपुरा माइनर की क्षमता बढ़ाने एवं जी.बी. नहर को इन्दिरा गांधी कैनाल से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बाबूलाल सिंगारिया (केकड़ी)

63. अम्बापुरा व गुदली बांध बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा)

64. इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में राजस्थान के सभी जिलों के काश्तकारों को जमीन आवंटन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कालूलाल खोईवाल (गंगरार)

65. गंगरार व राशमी तहसील में अतिवृष्टि से टूटे बांधों की पुनः मरम्मत कराके बस्सी क्षेत्र में सामरा नाले का सर्वे करा, सामरा बांध बनवाने, ओडवाडिया बांध साडास की भराव क्षमता बढ़ाने के लिये बांध की रपट को ऊंचा कराने के सम्बन्ध में एवं मात्रकुण्डिया बांध के सिपेज पर बनास नदी पर एनिकट कम काजवे को उंचा करने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री रमेश चन्द पण्डया (बांसवाड़ा)

66. माही परियोजना बांसवाड़ा के लिये वर्ष 2000-2001 के लिये बजट में प्रावधान नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर)

67. रायपुर-दीपावास बांध से लिफ्ट सिस्टम से सिंचित भूमि को कमाण्ड ऐरिया में तथा फिलसिल बांध से बिराटियाकला की सिंचित होने वाली भूमि को भी अब कमाण्ड क्षेत्र में घोषित करने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

68. इन्दिरा गांधी नहर के नदियों व नालों के पानी के निकास की व्यवस्था करावें ताकि इस वर्ष रामगढ़, जैसलमेर में नहर टूटने की पुनरावृति नहीं हो सके पर चर्चा के लिये।

69. सिंचाई विभाग द्वारा पिछले अकाल वर्षों में निर्मित एनीकट तिकलीनाका, कानूजा, झडू का नाका, कालबखुर्द, कवलासिया रामावास, चौकीटोला-रेलडा, गुदावाला, दीपावास, काकरिया,कलल्लिया, नीचला आदि तालाब तहसील रामपुर व कैलवाद, लाडपुरा, सिगपुरा एनिकट की मरम्मत व इसी वर्ष अकाल में पूर्ण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

70. विधान सभा क्षेत्र रायपुर के गजनाई बांध से 10-15 फुट मामुली पहाड़ी खोदकर वर्तमान नहर से पंचायत बीजागुड़ा क्षेत्र में बने इस बांध से पंचायत के काश्तकारो को 500 बीघा भूमि को सिंचाई का पानी दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

71. विधान सभा क्षेत्र रायपुर के झिलमिल बांध की पक्की नहर का निर्माण बिराटिया-कलां के खातेदारी भूमि के सिंचित क्षेत्र तक बढ़ाई जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा)

72. गणेशगंज लिफ्ट स्कीम पर अंतिम छोर पर पानी नहीं पहुंचने से किसानों की फसल नष्ट होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

73. आर.एम.सी. व एल.एम.सी. नहरों से निकाली गई वितरिकाओं की पूर्ण सफाई

(श्री रामगोपाल बैरवा)

के लिए बजट और बढ़ाने एवं सी.ए.डी. कोटा में कर्मचारी कम करने की कार्यवाही से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

74. इटावा ई.बी.सी. से निकाली गई गैता, खातौली डिस्ट्रीब्यूटरी के अंतिम छोर पर पानी नहीं पहुंचने से किसानों की फसल खराब होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) एवं

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामलानी)

75. जैसलमेर जिले में इन्दिरा गांधी नहर का पानी अनियमित एवं अपर्याप्त पहुंचने के कारण खरीफ की फसल नष्ट होने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

76. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना का कार्य धीमी गति से चलने के कारण गढरा रोड तक पहुंचने में विलम्ब होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़)

77. राज्य सरकार द्वारा कुशलगढ़ क्षेत्र के बियापाडा, टाडी, बाडी, गोयका प्रसाद, कलीजरा, सोनारिया, चरकनी, हिम्मतगढ़ सिंचाई परियोजनाओं की नहरें पक्की करने में असफल रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

78. बांसवाड़ा जिले के टिडियदेव, खजुरा, देवकीनाका, गोपालपुरा, अधूरी सिंचाई परियोजना को पूर्ण करने में राज्य सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

79. राज्य सरकार द्वारा कुशलगढ़ क्षेत्र के पीपलोन अधूरी सिंचाई परियोजना को पूर्ण कराने में असमर्थ रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

80. सिंचाई परियोजना हिम्मतगढ़ को पूर्ण करने में राज्य सरकार के असफल रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती मधु दाधीच (निम्बाहेड़ा)

81. विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेडा स्थित "बाडी बांध" के डूब क्षेत्र में आये काश्तकारों के मकानों का मुआवजा दिलवाने पुनर्वास कालोनी में पर्याप्त सुविधा दिलवाने, बाडी बांध डूब में आये 11 के.वी. विद्युत सब स्टेशन के लिये मुआवजा दिलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. रघुवीर सिंह गौड़ (कोटपूतली)

82. बूचारा बांध की नहरों की सफाई नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती यासमीन अबरार (सवाईमाधोपुर)

83. चंम्बल से लिफ्ट योजना द्वारा सिंचाई करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती विजयलक्ष्मी विश्नोई (सूरतगढ़)

84. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के रेगुलेशन के सम्बन्ध में एवं सिंचाई संबंधित किसानों की विभिन्न समस्याओं के निपटारे की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती पूनम गोयल (लाडपुरा)

85. चम्बल सिंचित नहरों की सफाई व टूट-फूट व बजट कम दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री कुबेर सिंह (फलासिया)

86. विधान सभा क्षेत्र फलासिया (उदयपुर) में सिंचाई विभाग में भारी अनियतिताओं एवं भ्रष्टाचार से जनता में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

87. विधान सभा क्षेत्र फलासिया (उदयपुर) में नई सिंचाई योजनाएं स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

88. विधान सभा क्षेत्र फलासिया (उदयपुर) में अधूरी पड़ी सिंचाई योजनाओं को पूर्ण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

89. विधान सभा क्षेत्र फलासिया (उदयपुर) में सिंचाई सुविधा बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी)

90. सिंचाई परियोजना के रख-रखाव के कम बजट एवं सरकार द्वारा चम्बल परियोजना की बाईं मुख्य नहर की अनदेखी करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री केसाराम चौधरी (खारची)

91. खारची विधान सभा क्षेत्र में बांध एवं एनिकट निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

92. खारची विधान सभा क्षेत्र से जुड़े अखेराण में परणिया एनीकट बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

93. खारची विधान सभा क्षेत्र के गढ़वाली नाल पर बांध बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

कु. मीनाक्षी चन्द्रावत (खानपुर)

94. खानपुर (झालावाड़) में हरिगढ़ में नामली नदी पर बांध बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

95. भीमसागर बाईं नहरों की मरम्मत नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

96. काली सिंध नदी पर बांध नहीं बनाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण विश्नोई (फलौदी)

97. फलौदी लिफ्ट पर निर्माणाधीन पम्पिंग स्टेशनों को शीघ्र पूरा करने व काश्तकारों को उचित मुआवजे का भुगतान करके नहर का निर्माण पूरा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर)

98. इन्दिरा गांधी नहर में द्वितीय चरण से एस्केप चैनल के निर्माण कार्य की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

99. इन्दिरा गांधी नहर को गढडा ब्रांच के कार्य को पूर्ण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

100. लाढी चाकन (जैसलमेर जिले) के कृषि क्षेत्र में सिंचाई साधन बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

101. जैसलमेर जिले में टूटे हुए खडीनों की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू)

102. चूरू विधान सभा क्षेत्र को सिंचाई परियोजना से अलग रखने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

103. घग्घर बहाव क्षेत्र में बसे किसानों के बंधों को तोड़े जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

104. राज्य के किसानों से वसूल किये जा रहे सिंचाई शुल्क को कम करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हेमाराम चौधरी। मिल लेंगे न वह। श्री हेमाराम चौधरी। (व्यवधान) गृह मंत्रीजी हाउस में हैं, सब हैं, फिर भी आप कह रहे हैं कि नहीं हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : हाउस में अभी आए हैं।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (गृह मंत्री) : अभी बिजनस एडवाजरी कमेटी की मीटिंग के लिए अंदर गया था। आपने बुलाया तो वापस आ गया।

श्री उपाध्यक्ष : कोई जरूरी नहीं है कि यहां बैठें।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : आप अभी मुझसे फाइनेंस मिनिस्टर के कमरे में मिल करके आए हैं, मैं इस प्रेमिसीज से बाहर गया ही नहीं हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ठीक है, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : इनको तो आदत पड़ गई।

एक माननीय सदस्य : मुख्य मंत्रीजी के लिए कहा था।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हेमाराम चौधरी। मुख्य मंत्रीजी गए थे तो गृह मंत्रीजी हैं न।

अनुदान की मांग

मांग संख्या-8

राजस्व (उपनिवेशन सहित) की प्रस्तुति

श्रीमती कमला (राजस्व मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि मांग संख्या-8, राजस्व (उपनिवेशन सहित) के संबंध में 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,75,88,16,000/–(एक अरब पचहत्तर करोड़ अठासी लाख सोलह हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

मांग संख्या-8 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-8 मुख्य शीर्षक राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया गया, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि :–

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू (पिलीबंगा)

1. राजस्व कानूनों का सरलीकरण एवं काश्तकारों को खातेदारी हकूक देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमीन खान (शिव)

2. रेगिस्तानी जिलों में सिवाय चक भूमियों को स्थानीय भूमिहीनों में आवंटन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

3. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना जिला जैसलमेर विशेष आवंटन की किस्तें बढ़ाने के संबंध में चर्चा के लिये।

4. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना जिला-जैसलमेर में विशेष आवंटन भूमि हार्ड पैन में आने से आवंटन खारिज करने की स्थिति पर चर्चा के लिये।

5. रेगिस्तानी जिलों में लगातार गोचरों पर अतिक्रमण करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

6. रेगिस्तानी जिलों में भूमिहीन किसानों को भूमि आवंटन करने पर चर्चा के लिये।

श्री आत्माराम मेघवाल (देसूरी)

7. राज्य में गोचर सरकारी भूमि पर हो रहे अतिक्रमणों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम जैन (बेगूं)

8. स्वीकृत तहसील भैंसरोड़गढ़ हेतु भवन निर्माण हेतु राशि का आवंटन एवं स्टाफ की नियुक्ति के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं)

9. चौमूं विधान सभा क्षेत्र के ग्राम चीथवाड़ी में गोचर भूमि पर हो रहे अवैध अतिक्रमणों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री गोवर्द्धन कल्ला (बाड़मेर)

10. राज्य में सामान्य कृषि भूमि आवंटन के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही)

11. सिरोही जिले के कैलाश नगर में उप तहसील खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू)

12. जयपुर जिले की बांडी नदी के आवक क्षेत्र पर पड़ने वाले नाले व नदी के आस-पास आवंटित की गयी भूमि, सवाई चक, बन्जड डोल गैर मुमकीन नाला के आवंटन को निरस्त करने एवं अतिक्रमण को हटाने के संबंध में चर्चा के लिये।

13. दूदू, जिला जयपुर में उपखण्ड अधिकारी का कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम)

14. सरकार को राजस्व मद से प्राप्त राशि के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री मोहन लाल राठौड़ (झालरापाटन)

15. बकानी (जिला झालावाड़) में उप-तहसील को तहसील में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा)

16. तथा कथित जैन एन्टरप्राइजेज, तिजारा द्वारा नीमली में गैर कानूनी तरीके से भू-आवंटन कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

17. ग्राम नीमराना के किले (अलवर) के पास बावड़ी के पास गैर कानूनी तरीके से भू-आवंटन पर चर्चा के लिये।

18. ग्राम चेलाकि चौपान की, की 24 बीघा भूमि को गैर कानूनी तरीके से भू-रूपान्तरण करने पर चर्चा के लिये।

19. ग्राम हरचन्दपुर तहसील तिजारा (अलवर) में सोमलता की आवंटित 5 बीघा भूमि के दुरुपयोग एवं अवैध बेचान पर चर्चा के लिये।

20. ग्राम-महशरा तहसील-तिजारा (अलवर) में कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित भूमि का दुरुपयोग कतिपय व्यक्तियों द्वारा करने पर चर्चा के लिये।

श्री रतना राम चौधरी (रानीवाड़ा)

21. जिला जालौर में विशेष कर रानीवाड़ा भीनमाल तहसील में उबड़ खाबड़ जमीन को (गुजरात राज्य की तरह) समतल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री संजीव कुमार (भादरा)

22. भादरा तहसील में चकबन्दी के बकाया कार्य को पूरा करने के संबंध में चर्चा के लिये।

23. भादरा में उपखण्ड (सब-डिवीजन) कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

24. भादरा तहसील में काश्तकारों की बकाया खातेदारी सनद (पट्टा) दिलवाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री मदन दिलावर (अटरू)

25. राजस्व गांवों के क्षेत्रों में तुलस्प, कोटड़ी, बोरडा (बारां) क्षेत्र में जमीनों से अतिक्रमण हटाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रतन लाल ताम्बी (जहाजपुर)

26. सार्वजनिक प्रयोजन हेतु भूमि निर्धारण तथा संस्थाओं को भूमि आवंटन निर्धारण करने के संबंध में चर्चा के लिये।

27. राज्य में चरागाह, सार्वजनिक रास्ते, तालाब पेटों पर अतिक्रमण हटाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

28. राजस्व प्रशासन में पारदर्शिता लाने एवं प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर पटवारी लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

29. जहाजपुर कस्बे में राजस्व प्रकरणों की भारी संख्या होने तथा सस्ता न्याय सुलभ कराने के लिए सहायक कलक्टर (ए. सी.एम.) न्यायालय का पद सृजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

30. जहाजपुर कस्बे में उपखण्ड अधिकारी पंड़ेर में अतिरिक्त तहसील खजूरी में उप तहसील और शक्करगढ़, बिरधोल में नये गिरदावर सर्कल सृजित कर राजस्व प्रकरणों

(श्री रतन लाल ताम्बी)

का निस्तारण और प्रशासन में पारदर्शिता लाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. रतन लाल जाट (सहाड़ा)

31. भीलवाड़ा जिले की सहाड़ा विधान सभा क्षेत्र के कई गांव व ढाणियों को निर्धारित मापदण्ड पूरे होने पर भी राजस्व गांव घोषित नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं)

32. भू-प्रबन्ध विभाग की उपयोगिता समाप्त हो जाने के उपरान्त भी इसे बनाये रखने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

33. राजस्व मण्डल में मामलों की बढ़ती संख्या पर सरकार द्वारा कोई ध्यान नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

34. पटवारियों के पद समाप्त किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

35. राजस्व मण्डल द्वारा अधीनस्थ कार्यालयों की निरीक्षण रिपोर्टों की अनुपालना नहीं कराये जाने पर चर्चा के लिये।

36. अनुसूचित जाति की जमीनों पर सवर्णों द्वारा कब्जों के मामलों को राजस्व मण्डल को प्राथमिकता से निपटाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जनार्दन गहलोत (करौली)

37. विधान सभा क्षेत्र करौली में राजस्व वसूली के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री हेमन्त कुमार (दीगोद)

38. पटवारियों द्वारा अपनी नियुक्ति स्थान पर निवास नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

39. तहसील मुख्यालय बड़ौद जिला कोटा में उप तहसील कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं)

40. एक ग्राम पंचायत के हल्के में एक ही पटवार हल्का किए जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

41. नहरी क्षेत्र में भूमि का आवंटन प्रक्रिया में की जा रही अनियमितताओं के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा)

42. उपखण्ड अधिकारी से अलग हटकर पर्याप्त मात्रा में राजस्व न्यायालय नहीं खोलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

43. राज्य में अनेक गांव जो वैधानिक रूप से राजस्व ग्राम घोषित होने के बाद भी सरकार द्वारा राजस्व ग्राम घोषित नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री निहाल चन्द (रायसिंहनगर)

44. टी.सी. पर अलाट कृषि भूमि को पुख्ता आवंटन किये जाने की प्रक्रिया के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू)

45. राजस्व विभाग के अधिकारियों/ कर्मचारियों को लगातार तीन वर्ष से एक

(श्री बाबूलाल नागर)

सीट पर कार्य करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री कालूलाल खोईवाल (गंगरार)

46. विधान सभा क्षेत्र गंगरार के बस्सी (चित्तौड़गढ़), साड़ास (गंगरार) में एवं राशमी के पहुंना कस्बे में उप-तहसील खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शंकर लाल अहारी (चौरासी)

47. डूंगरपुर जिले में काबिज काश्त भूमि को अलाटमेंट नहीं करने से काफी कृषकों द्वारा जुर्माना भरने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़)

48. जयपुर जिले में स्थित तहसील आमेर के स्थान पर चंदवाजी में तहसील स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रमेश चन्द्र पंड्या (बांसवाड़ा)

49. सैटलमेंट की गड़बड़ियां एवं कमाण्ड क्षेत्र में अलाटमेंट की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा)

50. झुंझुनूं जिले में कॉटली नदी क्षेत्र की गैर मुमकिन नदी किस्म जमीन को बदली जाकर किसानों को आवंटित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

51. झुंझुनूं जिले की ग्राम पंचायत गुढ़ा गौड़ जी क्षेत्र में "हाणीको की ढाणी" तथा ग्राम पंचायत जोधपुरा क्षेत्र में "चक जोधपुरा" नाम से दो राजस्व गांव बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

52. झुंझुनूं जिले में उदयपुरवाटी तहसील क्षेत्र में गुढ़ागौड़ जी में उप तहसील कायम करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा)

53. कोटा जिले की सम्पूर्ण तहसीलों में सिवाय चक व अन्य भूमि को आवंटन करने एवं बूंदी जिले में स्थित बावड़ी क्षेत्र की सैटलमेंट की अनियमितता को दूर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा)

54. एक न्यायालय (राजस्व) के अवैधानिक निर्णय से स्टाम्प ड्यूटी पर चोरी कर भूमि का स्थानान्तरण करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती विजयलक्ष्मी विश्नोई (सूरतगढ़)

55. गंगानगर जिले एवं विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में पुख्ता आवंटन, चकबन्दी, किलाबन्दी, खातेदारी हक आदि विभिन्न राजस्व संबंधित समस्याओं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (धोद)

56. ग्राम सुखालपुरा तहसील सांगानेर, जयपुर के खसरा नम्बर 207, 208 हाल खसरा नम्बर 110 मीन को मुकदमा नं.

(श्री अमराराम)

72/94 एस.डी.एम. प्रथम, जयपुर द्वारा डिक्री करने से लाखों रुपये की स्टाम्प चोरी होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर)

57. पाली जिले के काश्तकारों को उप निवेशन क्षेत्र जो सीमावर्ती क्षेत्र में है उन्हें सामान्य आवंटन करने के संबंध में चर्चा के लिये।

58. पहाड़ी क्षेत्र के काश्तकारों द्वारा पहाड़ काट कर योग्य बनाने पर आवंटन की प्रक्रिया को सरल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

59. चरागाह भूमि पर अतिक्रमण रोकने के लिये पटवारी हल्का को जिम्मेदारी सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

60. विभिन्न प्रकार के काश्तकारी कानूनों का पुर्नपरीक्षण कर रेवेन्यू लॉज को कन्सोलिटेड करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

61. पाली जिले की रायपुर तहसील क्षेत्र के पहाड़ी क्षेत्र के काश्तकारों का बीड़ों की पहाड़ी भूमि पर जुर्माना की राशि का पुन-निर्धारण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री केसाराम चौधरी (खारची)

62. विधान सभा क्षेत्र खारची में राजस्व रिकार्ड में पटवारियों द्वारा पेन-मिस्टेक सुधार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री घासीराम मेघवाल (पाटन)

63. लाखेरी में उपखण्ड कार्यालय एवं कापरेन में उप-तहसील कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी)

64. बून्दी निर्वाचन क्षेत्र में किसानों को जमीनों के 20-20 साल पुराने पट्टे जारी किये जाने के बाद भी ग्रामीणों को कब्जा नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल)

65. राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम, 1952 के तहत ग्राम मोरिजा तहसील चौमूं जिला-जयपुर में मंदिरों को दान की गयी भूमि भी अवाप्त करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

66. ग्राम हरध्यानपुरा तहसील सांगानेर, जयपुर में मंदिरों की कतिपय भूमि पर असामाजिक तत्वों द्वारा किये गये कब्जों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

67. ग्राम बस्सी झाझड़ा पंचायत बोबास तहसील सांभर जिला-जयपुर में गोचर भूमि पर असामाजिक तत्वों द्वारा किये गये कब्जों को हटाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

68. ग्राम हरध्यानपुरा तहसील सांगानेर जिला-जयपुर में मंदिर सीताराम जी के

(श्री भंवरलाल शर्मा)

पुजारी के रूप में जिसकी मातमी हुई उसके स्थान पर अन्य का नाम दर्ज करने एवं अभी तक भी रेकार्ड दुरस्त न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

69. ग्राम मोरिजा तहसील चौमूं जिला-जयपुर में राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम के तहत भूमि अवाप्ति एवं मुआवजा देने में हुई अनियमितता की जांच करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर)

70. कृषि जोतों पर हकसफा (प्रिएमशन) कानून लागू न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

71. बाड़मेर ज़िले के ग्राम गुढ़ामलानी में लूनी नदी के प्रवाह बदलने के कारण खसरा नम्बर 1796 व खसरा नम्बर 1718 की भूमि की किस्म परिवर्तन नहीं किये जाने से किसानों में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

72. राज्य में उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टरों के पास लम्बित दावों के निपटारों में विलम्ब होने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लियें।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा)

73. चयनित पटवारियों को प्रशिक्षण न देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण विश्नोई (फलौदी)

74. राजस्व न्यायालयों में लम्बे समय से लम्बित राजस्व वादों को सिविल न्यायालयों द्वारा निर्णित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर)

75. इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र के विशेष आवंटन की किश्तें बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

76. उपनिवेशन तहसीलों को राजस्व तहसील में बदलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

77. इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में रेतीले टीबों के नीचे आये मुर्बों के तबादले करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

78. इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र के उपनिवेशन क्षेत्र में आबादी भूमि आवंटन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शिवराम सिंह कुशवाह (धौलपुर)

79. पंजीयन पर मनमाना शुल्क वसूले जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री गणेशी राम मेघवाल (जालोर)

80. प्रशिक्षण हेतु चयनित पटवारियों को प्रशिक्षण में नहीं भेजने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या 46 एवं 8 पर विचार

श्री उपाध्यक्ष : श्री हेमाराम चौधरी।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी) : उपाध्यक्ष महोदय, उपनिवेशन की मांग के बारे में माननीय मंत्री महोदया से निवेदन करना चाहता हूं कि इन्दिरा गांधी नहर परियोजना में जैसलमेर जिले में उपनिवेशन के तहत जिन मुरब्बों का विशेष और सामान्य आवंटन गत वर्षों में आपने किया, उन काश्तकारों को समय पर पानी नहीं मिला, कई काश्तकारों के खालों का निर्माण तक नहीं हुआ जिससे वे काश्तकार इस वर्ष की रबी की फसल की पैदावार नहीं ले पाए। खरीफ की फसल बरसात नहीं होने की वजह से नहीं ले सके और रबी की फसल पानी नहीं मिलने की वजह से जल कर नष्ट हो गई।

(13.31 बजे)

(श्री शिवनाथ सिंह, सभापति, पदासीन)

ऐसी स्थिति में मैं मंत्री महोदया से निवेदन करना चाहता हूं कि उन काश्तकारों की जो किश्तें इस वर्ष ड्यू हुई हैं, उन किश्तों की अवधि को बढ़ाकर एक साल की मोहलत दी जाए, वे उनका भुगतान करने की स्थिति में नहीं हैं। अभी जिन काश्तकारों ने अपनी इस वर्ष की किश्तें जमा नहीं कराई है, उनका आवंटन निरस्त किया जा रहा है, बहुत सारे काश्तकारों के आवंटन निरस्त कर दिए हैं। किश्तें समय पर जमा नहीं करवाने पर काश्तकारों से 18 प्रतिशत ब्याज लिया जाता है और आवंटन निरस्त करने के बाद में अगर वह वापस बहाल भी किया जाता है तो उस पर पैनेल्टी और लगाते हैं, इस प्रकार से 24 प्रतिशत का ब्याज उनसे वसूल किया जाता है और वह काश्तकार इधर-उधर चक्कर काट काटकर परेशान हो जाते हैं। सभापति महोदय, ऐसी स्थिति में सरकार को उन काश्तकारों को किश्तें जमा करवाने के लिये समय बढ़ाने की जरूरत है। जैसा कि सर्वविदित है, राजस्थान में छप्पना अकाल पड़ा है, किसानों ने इन्दिरा गांधी नहर पर जैसलमेर जिले में विशेष आवंटन के तहत काफी मुरब्बे आवंटित करवाए लेकिन वर्षा न होने से तथा इस जिले में कई कारणों से ग्वार की फसल नष्ट हो चुकी है, समय पर वर्षा न होने से, नहरों में सिल्ट भरी होने से समय पर ग्वार को पानी नहीं दिया जा सका, ग्वार की फसल तेज आंधियों के कारण खराब हो गई और बची हुई फसल में तैलिया रोग लग गया जिससे पूरी ग्वार की फसल नष्ट हो गई। जब रबी की फसल बोने का समय आया तो रायड़े की फसल की काश्तकारों ने बुआई की, लेकिन वह फसल भी काश्तकार कई कारणों से नहीं ले पाए, समय पर सभी नहरों से रेत नहीं निकाली गई, पंजाब से मिलने वाले पानी में कमी के कारण जैसलमेर जिले में लगातार पानी लगाने के बजाय बारी-बारी बंधी करके लगभग 21 दिन के बाद एक-एक नहर को बारी-बारी से चलाया। जैसलमेर जिले की जमीन रेतीली होने से एक बारी पानी से केवल दो से तीन बीघा में ही रायड़ा बोया जा सका। जो रायड़ा चार-पांच बीघा में बोया गया, उसे पकाई के समय पानी नहीं मिला जिससे बोई गई फसल खराब हो गई। एक तरफ फसल नष्ट हो गई, दूसरी तरफ किसानों पर बुआई, खाद, दवाई आदि के पैसों का भी

(श्री हेमाराम चौधरी)

भारी भार पड़ा है। सभापति महोदय, ऐसी स्थिति में यह जरूरी है कि इन काश्तकारों को इस साल की किश्त जमा करवाने के लिए मोहलत प्रदान की जाए अन्यथा अकाल की मार, पानी की कमी, इन सारी बातों के कारण वह एक भी फसल इस साल की नहीं ले पाया है, जिससे उनके सारे अलॉटमेंट किश्तें न जमा करवाने के कारण निरस्त हो जाएंगे, इस पर सरकार गौर करे। हमने जैसलमेर और जैसलमेर जिले के विधायकों ने इस बारे में मुख्य मंत्रीजी को भी ज्ञापन दिया है, मुझे विश्वास है कि सरकार इस पर निश्चित रूप से ध्यान देगी जिससे काश्तकारों को जो भूमि आवंटित की गई है उनके आवंटन निरस्त न हों।

सभापति महोदय, जैसलमेर जिले में पहले बहुत सारे मुरब्बे विशेष आवंटन के तहत आवंटित करने के लिए गजट में प्रकाशित किये गये थे परन्तु बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कुछ विशेष लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए उन मुरब्बों को विशेष अलॉटमेंट से निरस्त करके सामान्य अलॉटमेंट में शामिल कर दिया। गजट में उन मुरब्बों को डिनोटिफाइड कर दिया, जिसके कारण हजारों काश्तकार जिन्होंने उन मुरब्बों के आवंटन के लिए आवेदन प्रस्तुत किए थे और पांच सौ रुपये जमा करवाए थे परन्तु वे काश्तकार इसलिए मुरब्बे नहीं ले पाए कि उन मुरब्बों को बाद में डिनोटिफाइड कर दिया। आज कई काश्तकार उन मुरब्बों को लेना चाहते हैं और डिनोटिफाइड होने के बाद वे किसी को आवंटित भी नहीं हुए हैं, खाली पड़े हैं। यदि इन्हें वापस नोटिफाई कर दिया जाए तो जिन काश्तकारों ने उन पर आवेदन लगा रखे हैं उन काश्तकारों को ये मुरब्बे मिल सकें, इसलिए इस प्रकरण को देखा जाए और उन काश्तकारों को विशेष आवंटन के तहत आवंटित कराएं। उन मुरब्बों को जो डिनोटिफाइड हुए हैं उन्हें नोटिफाई कराया जाए।

सभापति महोदय, आबंटन के समय कई प्रकार की कमियों के कारण काश्तकारों को बहुत परेशानी होती है। कुछ मुरब्बों को गजट में नोटिफाई किया, काश्तकारों ने आवेदन किया, बाद में मालूम पड़ा कि ये मुरब्बे गजट में गलत प्रकाशित हुए हैं, इन नम्बरों के मुरब्बे ही नहीं हैं। सभापति महोदय, जो मुरब्बे प्रकाशित होने चाहिए थे, वे नहीं होकर के दूसरे प्रकाशित हो गए, उनको ठीक करवाया जाए,वहां पर काश्तकारों को यह बताया गया कि ए.सी.सी. के यहां से आगे बीकानेर लिख दिया गया, बीकानेर से वापस जयपुर से गजट में सही मुरब्बों को प्रकाशित करवाना पड़ता है लेकिन वह आज दिन तक जो गलत प्रकाशित हुए हैं, उनको वापस सही प्रकाशित करवाएं। आज दिन तक सही प्रकाशित नहीं होने की वजह से जिन काश्तकारों ने उन मुरब्बों के लिए आवेदन किया है, उनको वे आवंटित नहीं हुए हैं।

सभापति महोदय, कई जगह डबल आवंटन भी हो गया, जहां डबल आवंटन हो गया वहां उन दोनों के बीच कोई न कोई निपटारा होना चाहिए। एक काश्तकार

(श्री हेमाराम चौधरी)

को वो मुरब्बा दिया जाए तो दूसरे को विकल्प के रूप में दूसरा कोई न कोई मुरब्बा तत्काल दिया जाना चाहिए, लेकिन उसको तत्काल मुरब्बा नहीं मिलता है और वो काश्तकार जैसलमेर, मोहनगढ़, बीकानेर और जयपुर के चक्कर काटता रहता है और बहुत ही परेशानी में है। इस प्रकार के कई मामले हैं। मैं एक मामले का उल्लेख करना चाहूंगा। सभापति महोदय, चक नं. 75 एस.डी., मुरब्बा नं. 1856, इसकी 35 पर्सेन्ट राशि जो प्रथम किश्त की एक लाख 27 हजार रुपये बनती है उस काश्तकार ने जिसका नाम चोलाराम पुत्र श्री बालाराम निवासी चवा जिला बाड़मेर ने 7.9.99 को जमा करवा दी और इस मुरब्बे पर उसके अलावा एक दूसरे और व्यक्ति ने भी राशि जमा करा दी। तो ऐसी स्थिति में इसने दूसरे मुरब्बे के विकल्प के लिए आवेदन किया, परन्तु आज दिन तक उसको विकल्प के रूप में दूसरा मुरब्बा नहीं मिला और पैसा कर्ज पर लेकर, ब्याज पर लेकर जमा कराने के बाद उलटा वह परेशानी में फंस गया है। इस तरह के अनेक मामले हैं, मैं उन सबका उल्लेख कर सदन का समय नहीं लेना चाहता, लेकिन इस प्रकार दृष्टांत के तौर पर मैंने उल्लेख किया है, इस प्रकार के जितने भी मामले हैं उनका तत्काल निपटारा होना चाहिए। काश्तकार 35 पर्सेन्ट राशि आपको जमा करा चुका है तो उसके बाद में तत्काल उसको आवंटन होकर कब्जा मिलना चाहिए और कब्जा मिलने के बाद में उस मुरब्बे में समय पर पानी भी मिले। अगर समय पर पानी आप नहीं दे पाते हैं तो वह काश्तकार उस मुरब्बे से फसल नहीं ले सकेगा और फिर समय पर आपको किश्त भी नहीं चुका पाएगा और अनाज की पैदावार का भी देश को बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए सभापति महोदय, इसके बारे में मैं मंत्री महोदया जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वो विशेष ध्यान दें।

दूसरा, जो गजट में गलत प्रकाशित हुए, सही नम्बर प्रकाशित नहीं हुए और सही नम्बर प्रकाशित नहीं होने से उनको वे मुरब्बे नहीं मिल रहे हैं, ऐसे भी कई मामले हैं। उदाहरण के तौर पर मैं निवेदन करना चाहूंगा जैसलमेर जिले की मोहनगढ़ तहसील नं. 3 के चक नं. 63 एस.एल.डी. का मुरब्बा नं. 241/12, यह गजट में प्रकाशित किया और इस पर काश्तकार ने आवेदन किया, परन्तु बाद में उसको जवाब मिला कि 240 के बाद 241 का तो कोई ब्लाक नहीं है। तो इसका गजट में सही प्रकाशन करवाकर इसको जल्दी ही मुरब्बे का आवंटन किया जाना चाहिए। इस प्रकार के और भी कई मामले हैं उन सब मामलों को जल्दी से जल्दी सुनवाई करके निपटारा किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय, कई इस प्रकार के मुरब्बे भी हैं जिनको आवंटन कर दिया है, काश्तकार ने प्रथम किश्त जमा करा दी है, लेकिन उन मुरब्बों में पानी कतई नहीं पहुंच रहा है, बहुत ऊंचे-ऊंचे धोरे, टीबे हैं। धोरे, टीबे होने के कारण से उन मुरब्बों में पानी नहीं पहुंच रहा है उसके लिए भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उनको भी दूसरे विकल्प के रूप में जहां पानी लगता हो इस प्रकार

(श्री हेमाराम चौधरी)

के मुरब्बे उनको दिये जाने चाहिए। जिन मुरब्बों में पानी नहीं लग रहा है उनको आवंटन हो चुका है, प्रथम किश्त दी जा चुकी है, इसमें रामगढ़ तहसील नं. 2 के 4 पी.एन.डी. के मुरब्बे नं. 110/51, 110/43, 110/35, 110/59, 110/60, 110/52 इसके लिए भी मैंने मंत्री महोदया जी को भी मेरी तरफ से आवेदन प्रस्तुत किया, परन्तु अभी तक उसके बारे में भी कोई फैसला नहीं हुआ है। सभापति महोदय, दूसरे बहुत सारे मुरब्बे जिन पर काश्तकारों ने आवेदन कर रखा है विशेष आवंटन के तहत, परन्तु बाद में उनको डिनोटिफाई कर दिया, इस वजह से वे मुरब्बे काश्तकार ले नहीं सके, उसके बारे में भी कुछ करें। उदाहरण के तौर पर 12 टी.डी.का मुरब्बा नं. 145/48, जो डिनोटिफाइड होने की वजह से आज दिन तक उस काश्तकार को आवंटन नहीं हो पा रहा है, इसलिए इनको पुनः नोटिफाई किया जाए, गजट में प्रकाशित किया जाए जिससे विशेष आवंटन के तहत उसको मिल सके। ये 45 टी.डी. तहसील मोहनगढ़ प्रथम में हैं। इसी तरह से और भी बहुत सारे मुरब्बे हैं जिन पर आवेदन लगा रखे हैं, परन्तु डिनोटिफाइड होने मात्र से उनको आवंटन नहीं हो पा रहा है। और जो अभी तक किसी को आवंटित नहीं हुए हैं, खाली पड़े हैं, तो कम से कम इसकी विस्तृत जांच करवाकर, सर्वे करवाकर उन सब मुरब्बों को वापस नोटिफाई करके आवंटित कराया जाए, यह मेरी मांग है।

सभापति महोदय, इसलिए मैं आपके माध्यम से यही मंत्री महोदया से निवेदन करना चाहूंगा कि आप काश्तकारों से लाखों रुपया मुरब्बे की कीमत के रूप में ले रहे हैं तो उसको मुरब्बा आबंटन में भी ज्यादा परेशानी नहीं हो, इन परेशानियों को दूर करने का प्रयास करें। आबंटन के बाद में उस मुरब्बे में पानी देने का पूरा प्रयास करें जिससे कि वो अपनी किश्त भी जमा करा सकें, अन्यथा आप एक किश्त ले लेंगे उसके बाद में वह काश्तकार किश्त जमा नहीं करा सकेगा और आप आबंटन निरस्त कर देंगे, काश्तकार तबाह हो जाएगा और सरकार को उसमें कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए यह गम्भीर मसला है, मैं समझता हूं इसके बारे में आप विशेष ध्यान देंगे। इसलिए मैंने केवल उपनिवेशन के ऊपर अपने विचार रखे हैं, मंत्री महोदया जी खुद काश्तकार हैं, काश्तकार की पीड़ा को समझती हैं और काश्तकार की पीड़ा को मंत्री महोदया जी ही दूर नहीं कर सकेंगी तो फिर मैं समझता हूं और दूसरा इस पीड़ा को दूर नहीं कर सकेगा। खासकर भाजपा सरकार ने कुछ जागीरदारों को लाभ पहुंचाने के लिए जिन मुरब्बों को डिनोटिफाइड किया था और जिनके ऊपर काश्तकारों के आवेदन लगे हुये हैं उनको पुनः नोटिफाई करके उन काश्तकारों को आबंटित कराने की कृपा करावें। आपने मुझे समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री रतन लाल ताम्बी–(अनुपस्थित)। श्री अमीन खानजी।

श्री अमीन खान (शिव) : सभापति महोदय, मैं आज की मांग संख्या, पहले 8 पर ही

(श्री अमीन खान)

अपने विचार रखना चाहूंगा जिस पर हमारे जिले के गुढ़ामालानी के एम. एल. ए. ने जो अपने विचार व्यक्त किये उसकी मैं ताईद करता हूं और उन बातों को रिपीट नहीं करना चाहता, उनमें कुछ अलग बातें रह गई हैं वो मैं सदन में गुजारिश करना चाहूंगा। जैसलमेर जिले के उपनिवेशन क्षेत्र में विशेष श्रेणी के जो मुरब्बे नोटिफाई करते हैं वो 50 पर्सेन्ट जमीन को करते हैं। और 50 पर्सेन्ट जमीन का सामान्य में मुरब्बों को अलाट करते हैं। सामान्य में भूमि स्थानीय जैसलमेर ज़िले के भूमिहीन किसानों को और विशेष का आबंटन सैकिण्ड प्रायोरिटी जिला बाड़मेर को, जोधपुर को और उसके बाद में राजस्थान के मूल निवासी सद्भावी काश्तकार को दी गयी है परन्तु वहां आज तक जितने भी आबंटन हुए हैं और आबंटन की जो प्रोसेस चली है उसमें राजकोष को भी जानबूझ कर भारी नुकसान दिया गया है और किसान को प्रोत्साहित करने की सुचारू रूप से कार्यवाही नहीं हुई है जिससे वहां के किसानों में भारी असंतोष है। क्योंकि एक तो जैसा कि मेरे से पूर्व गुढ़ामालानी से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, आप गजट नोटिफिकेशन में शो कर रहे हो अमुक मुरब्बे विशेष में आबंटित किये जायेंगे और दूसरे दिन वह मुरब्बे सामान्य की सूची में तय कर दिये और आम आदमी को मालूम नहीं रहा। और इस कार्यवाही के बीच में नम्बर हासिल करने के लिए आवेदन-कर्ताओं को पटवारियों को खुलेआम रिश्वत देनी पड़ी और रिश्वत दे देकर असली नम्बर लोगों को हासिल करने पड़े।

दूसरी बात, उपनिवेशन क्षेत्र में एक मेरी गुजारिश है कि इन्दिरा गांधी नहर के सैकिण्ड फेज में मुरब्बे में 25 बीघा जो जमीन है उसके 46 पर्सेन्ट रकबे में तो आपका पानी देने के लिए कमिटमेंट है और 34 पर्सेन्ट रकबा आपका खरीफ की काश्त करने के लिए है। तो यह विशेष की इतनी बड़ी रकम जो है, जिसका 34 पर्सेन्ट रकबा केवल खरीफ में ही वह काश्तकार काश्त करे, उससे यह रकम कैसे भर पाएगा? इस पर सरकार को बहुत गहराई से विचार करना चाहिए। खरीफ में फसल ग्वार की होती है वह तो कुदरत पर निर्भर है। बरसात नहीं होती है तो वहां बीज बोया जाता है उसके भी पैसे किसान के गले पड़ जाते हैं। इसलिए इस पानी को नहर में कम से कम जितना देना है, जितनी जमीन को सिंचित करना है उसके लिए पानी मिले, उसके पैसे उस हिसाब से लेने चाहिए। दूसरा, विशेष में यह तय कर दिया कि हर साल 15 परसेंट इसकी कीमत बढ़ायी जाएगी। उस हिसाब से आज सन् 2000 में करीब 5 लाख रुपये एक मुरब्बे की आपने कीमत तय कर दी। तो जो भूमिहीन आदमी, जो सद्भावी किसान, जिसको आप इन्वाइट करते हो, उसको पहली किश्त में करीब पौने दो लाख रुपये जमा कराने पड़ते हैं। तो आदमी यह जमीन कैसे ले सकेंगे, इस पर सरकार को बहुत गहराई से विचार करना चाहिए और गरीब आदमी को किस तरह से जमीन मिले उसका कोई न कोई सिस्टम अच्छा और लिबरल होना चाहिए। क्योंकि 15 प्रतिशत रकम जहां कमाण्ड एरिया पहले से ही है और पानी की कोई

(श्री अमीन खान)

कमी नहीं है, वहां बढ़ाने से तो कोई हर्ज नहीं है। जो जमीन पीढ़ियों से सूखी हुई पड़ी है जिस जमीन में पीने का पानी आज तक नहीं रहा और उस जमीन की इतनी भारी कीमत, और कीमत भी हम यह चाहते हैं कि अगर किसी कारणवश आप घटा नहीं सकते तो कम से कम 3 किश्त के बजाय आप 6 किश्त तो उसकी करो। लोगों से बराबर 6 किश्तों के हिसाब से 6 साल में वसूल कर लो ताकि 5 लाख रुपये भी किसान दे पाएगा अन्यथा राज्य की जो नीति है, उसके अनुसार राज्य को पैसे भी नहीं मिल रहे हैं और किसान को कोई लाभ नहीं हो रहा है। आपने बजट प्रावधान में गत वर्ष यह किया था कि इन्दिरा गांधी नहर की भूमि के विक्रय में हम दो अरब रुपये हासिल करेंगे और आपको उसमें 120 करोड़ रुपये भी नहीं मिले हैं। और हमने वहां उपनिवेशन असिस्टेंट कमिश्नर के कार्यालय में, डिप्टी कमिश्नर के आफिस में देखा है कि आज से दो साल पहले आवेदकों की भारी भीड़ लगी हुई थी। लेकिन अभी मैं पिछले महीने गया था वहां आवेदकों की भीड़ कतई नहीं थी। उसकी वजह दो हैं, एक तो वजह है इस साल नहर में पानी नहीं आया उससे किसानों में घबराहट हो गयी कि यह इतनी बड़ी तादाद में रकम अदा करने के बाद भी अगर नहर में पानी नहीं मिलेगा तो यह जमीन खरीदना बेकार है । और दूसरी बात उनके दिमाग में यह आयी कि यह जो 15 प्रतिशत सालाना रकम बढ़ा रहे हैं और किश्त तीन-तीन ही हो रही हैं तो उन तीन किश्तों की वजह से अपन इतनी रकम दे नहीं पाएंगे। और इसलिए आवेदन करना व्यर्थ है। तो सरकार के खजाने को भी इस निर्णय से मेरे ख्याल से नुकसान हो रहा है। आप किश्त बढ़ा दें। अभी भी आप किश्त बढ़ाओ तो मेरे ख्याल से आपके दो अरब रुपये 31 मार्च तक बाकायदा जमा होते और लगातार यह विक्रय के आवेदन आते और राज्य के लक्ष्य के अनुसार खजाने में पैसे आते अन्यथा नहीं आएंगे। इस पर आपकी सोच होनी चाहिए।

दूसरी बात, मैं उपनिवेशन की यह कहना चाहता हूं कि उपनिवेशन क्षेत्र में ऐसे कई मुरब्बे हैं जिनमें 10 बीघा से कम ज़मीन कमाण्ड है और 12 बीघा, 11 बीघा, 15 बीघा एक मुरब्बे में अन-कमाण्ड जमीन है उसको आक्शन किया जाय। उसमें जो भूमिहीन किसान हैं वह ज्यादा तादाद में कम पैसा समझकर लेना चाहते हैं और वह गरीब इसलिए लेना चाहते हैं कि चलो 8 बीघा जमीन कमाण्ड में गेहूं की फसल कर देंगे तो 12 महीने घर में खाने के लिए अनाज हो जाएगा। और 15-16 बीघा जमीन अन कमाण्ड होगी तो उसमें भेड़, बकरी का एक बाड़ा बनाएंगे, एक झौपड़ा बनाएंगे और बरसात होने पर ग्वार बोएंगे तो उसमें भी 10-20 हजार रुपये की ग्वार की फसल हो जाएगी। तो एक परिवार अपना 12 महीनों में जीवन का गुजारा आराम से कर सकेगा। आज साहब, आपका बीकानेर कमिश्नर जैसलमेर के अधिकारियों को निर्देश देता है कि सरकार की जो रेट है उससे डबल रेट आप उनसे मांगो। अब जैसे अन-कमाण्ड की रेट मान लो 800 बीघा जमीन की

(श्री अमीन खान)

कीमत रखी है, तो वह अफसर जबानी जमा खर्च में कहते हैं कि 800 नहीं आप तो चार हजार रुपये इस अन-कमाण्ड की बोली लगाओ तो ही आपको आक्शन में हम लेते हैं, नहीं तो नहीं लेंगे। अब यह बिलकुल गैर कानूनी मामला है, जिससे आपकी जमीन का भी विक्रय नहीं हो रहा है और उन परिवारों को कोई लाभ भी नहीं हो रहा है। एक मामले में मैं खुद वहां के डिप्टी कमिश्नर के सामने गया। एक आदमी ने कहा कि साहब, मैं इस जमीन की सरकारी रेट पर बोली लगाकर आपको दे रहा हूं और मेरा यह लिफाफा आप ले लो। तो कहा कि नहीं, इसको तो मैं नहीं लूंगा, आप इससे डबल पैसा कर दो। तो फिर उस आदमी ने कहा कि साहब, मेरा तो लिफाफा ले लो, इस पर दूसरा आदमी कोई बोली नहीं बोलेगा तो मैं हाई कोर्ट जाऊंगा। तो फिर मेरे को यह बताता है कि साहब, इसको समझाओ कि हाई कोर्ट न जाय, कुछ पैसे बढ़ा दे। तो यह एक सच्चाई है। आप जो सरकारी रेट पर जमीन है उस पर बोली लगाने वाले 10-20 आ जायं जमीन बहुत ज़्यादा कीमत में बिक जाय। यह तो मामला हमारी समझ में आता है कि जायज है लेकिन कोई बोली लगाने वाला आदमी ही नहीं, उनसे आप रेट से चौगुना पैसा लो, कोई दे तो। जमीन देनी है कि नहीं देनी है, जब जमीन लेने वाला ही कोई नहीं है, उसमें कोई जमीन विक्रय नहीं होती है। यह भी राजकोष को आपके अधिकारी घाटा दे रहे हैं। इस पर आपको विचार करना चाहिए, यह मेरी आपसे गुजारिश है।

अब मैं आपसे रेवेन्यु की मांग के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। बहुत पहले हमने मीटिंग की, कमेटी में भी चर्चा की है।

(14.00 बजे)

लेकिन इस वक्त भी कहना चाहता हूं कि जितना जल्दी हो सके, यह डेजर्ट डवलपमेंट एरिया के अन्दर जो पाबन्दी लगी हुई थी कि सिवाय चक भूमि का आवंटन नहीं हो उस जमीन का आवंटन आदेश आपको प्रसारित करना चाहिए। उस जमीन में जैसे डेजर्ट डवलपमेंट की, रेगिस्तान नहीं बढ़े, वहां हरे पेड़ रहें तो इसके लिए हमारी यह राय है कि जिस आदमी को जमीन आवंटित करते हो उसके साथ एक शर्त लगायी जाए कि आपको फोरेस्ट की किसी नर्सरी से इतने, मान लो 50 बीघा में आपको कम से कम 50 पौधे लगाने पड़ेंगे, वह पौधे नर्सरी से आपको मिलेंगे और उन पौधों को जिन्दा रखना आपकी जिम्मेदारी होगी, उन पौधों में 80 प्रतिशत पौधे जिन्दा रहेंगे तो आपका आवंटन बहाल रहेगा अन्यथा हम आपका आवंटन खारिज कर देंगे। ये जितने आपके वन विभाग ने 9 की 13 की है आज तक, उससे किसान ज्यादा पेड़ लगाता और वे जमीन के मालिक भी बन जाएंगे।

इसके साथ हमारी यह राय है कि ये आवंटन कैसे हो, इनमें भी कोई अनियमितताएं नहीं बरतें तो जिस जगह की, जिस गांव की भूमि आवंटित होती है उसमें पहली प्राथमिकता उस गांव के निवासी को देनी चाहिए, दूसरी प्राथमिकता उस पंचायत के निवासी को देनी चाहिए, तीसरी प्राथमिकता उस रेवेन्यु तहसील के निवासी को देनी

(श्री अमीन खान)

चाहिए और चौथी प्राथमिकता उस जिले के निवासी को देनी चाहिए। वहां कमेटी में विधायक हों, स्थानीय सरपंच, प्रधान, बी. डी.ओ., तहसीलदार हो और एस.डी.ओ. उस कमेटी का चेयरमैन होना चाहिए। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, यह मैं मेरा सुझाव देता हूं।

सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 46 पर कुछ चर्चा करना चाहता हूं। जैसलमेर ज़िले में सिंचाई इंदिरा गांधी नहर के द्वारा होती है। इंदिरा गांधी नहर का क्षेत्र है वह दो भागों में विभाजित हैं। प्रथम चरण और द्वितीय चरण। प्रथम चरण में आज 25-30 साल हो गये हैं, वहां सिंचाई हो रही है और उस सिंचाई में जमीन में इतनी नमी और सेम आयी है कि वहां के किसान तो शिकायत करते हैं कि हमारी जमीन खराब हो रही है। आगे जैसलमेर जिले की जमीन जो अभी उपनिवेशन विभाग किसानों को आवंटित करके उस जमीन को विकसित करने की नीयत से विक्रय कर रही है, वह जमीन पीढ़ियों से सूखी हुई जमीन है। सभापति महोदय, मेरा खुद का उस इंदिरा गांधी नहर के द्वितीय चरण में मुरब्बा है। हमने पहले साल उस मुरब्बे को जब पानी दिया तो कम से कम 70 घंटे लगातार पानी हमने चलाया तब उस मुरब्बे की पूरी जमीन फसल बोने के लायक हमने बनायी। आज वही मुरब्बा है, मंत्रीजी, आपने खुद ने मेरा वह मुरब्बा देखा है, हम 10 घंटे में उस मुरब्बे को, 25 बीघा को पानी पिलाते हैं। इसका कारण सीधा है। काश्तकार आदमी, आम आदमी समझता है कि जिस जमीन में 10 साल तक पानी लगातार लगा है उस जमीन में पानी की कम जरूरत है और जो जमीन 20 पीढ़ियों से सूखी हुई पड़ी है उसमें पानी आग की तरह जाता है और बहुत ज्यादा जरूरत रहती है।

अब जिस तरह से हमको आंकड़े मिले हैं उससे प्रतीत होता है कि जहां इंदिरा गांधी नहर का प्रथम चरण है उस जगह तो पानी आप ज्यादा दे रहे हो और सैकण्ड फेज जो इंदिरा गांधी नहर का सूखा है उसी रकबे में आप उससे आधा पानी दे रहे हो। सभापति महोदय, इसका हमें डर है कि यह आपका आवंटन भी बन्द होगा क्योंकि इतनी बड़ी सूखी जमीन को न्यायसंगत जब पानी नहीं मिलेगा तो यह आवंटियों के साथ धोखा होगा और इस साल ऐसा पहली बार होगा।

इसके साथ मैं यह भी गुजारिश करना चाहूंगा कि इस आपके पानी की शुरूआत में तो ताकत के जोर पर पंजाब चोरी कर रहा है, दूसरे नम्बर में हनुमानगढ़ में भी चोरी से पानी ले रहे हैं और हरियाणा के लोग गलत, इल्लिगल बूस्टर लगाकर इस इंदिरा गांधी नहर का पानी अपने खेतो में डाल रहे हैं और जिसका कोई जिम्मेदार नहीं है। तो यह आगे बाड़मेर जिले के गड़रा रोड तक हम तो महसूस कर रहे हैं कि यह पानी पहुंचने वाला ही नहीं है।

सभापति महोदय, इंदिरा गांधी नहर का आपने इस साल जो बजट में प्रावधान किया है वह तो प्रावधान इतना है कि इसमें

(श्री अमीन खान)

6-7 करोड़ रुपये केनाल बनाने के लिए बचते हैं और बाकी पैसा इतना है जो इसमें कर्मचारियों और अधिकारियों की तनख्वाह पूरी होगी। तो क्या 6-7 करोड़ से आप इस नहर को सागरमल गोपा ब्रांच से गड़रा रोड ब्रांच को बनाना चाहते हो तो यह बिल्कुल गलत होगा और कभी भी नहर, जैसे हमें सरकार ने बताया कि 2005 तक यह ब्रांच गडरा रोड पहुंचेगी, 2025 तक ऐसा आपके बजट प्रावधान के मुताबिक नहीं होगा। आप बार-बार कहते हो कि पैसे नहीं हैं। इसके लिए कर्जा लेना पड़े तो कोई शर्म नहीं रखनी चाहिए। चाहे कहीं से भी, किसी से पैसे मिले उसमें शंका नहीं करनी चाहिए। इसके वास्ते तो आप चाहें तो हम कहते हैं कि हम किसानों पर नहर का टैक्स लगाना हो तो हम देने के लिए तैयार हैं लेकिन इसमें बजट ज्यादा हो और तीव्र गति से नहर को पहुंचाये बिना आगे लोगों का जीना मुश्किल है। जैसे बाड़मेर शहर है, बाड़मेर के आस पास के गांव हैं, इनमें मौजूदा नलकूपों से पानी की गुणवत्ता बिगड़ रही है, पानी की कमी आ रही है। तो वहां भी पानी इंदिरा गांधी नहर का होगा तब पहुंचेगा और सीमावर्ती क्षेत्र में जब गडरा रोड तक पानी नहीं पहुंचेगा तो चौहटन तक रामसर तहसील के तमाम गांवों में पीने के पानी का आपके पास सोर्स नहीं है और इसके बिना ये गांव उजड़ सकते हैं और बाड़मेर शहर भी उजड़ सकता है। इसलिए हमारा यह निवेदन है कि आप इंदिरा गांधी नहर का जो बजट प्रावधान है यह बड़ा लज्जा लायक है, इसको दुरुस्त करना चाहिए, इसमें आपको ज्यादा प्रावधान करना चाहिए अन्यथा कोई प्रगति की उम्मीद नहीं है।

सभापति महोदय, मैं ज्यादा नहीं बोलता हूं, कम ही बोलता हूं। इतना ही मैं मंत्री महोदय से गुजारिश करना चाहूंगा कि आप इस पर विचार करें।

आखिर में मैं मांग संख्या-46 पर एक बात कहना चाहता हूं और मेरी बात बंद करता हूं कि इंदिरा गांधी नहर का जब अपनी कांग्रेस सरकार बनी उसके बाद में थोड़े दिन तो इंजीनियरों में डर रहा, कि काम ठीक ढंग से करना होगा। उससे पहले जब कांग्रेस सरकार में ये चन्दन मल बैद थे तब इन्होंने काम बड़ी तेजी से चलाया था जब शिवचरण जी माथुर मुख्य मंत्री थे। उसके बाद में, मेरी यह आदत है कि हमारे दिल में सही बात है, चाहे किसी प्रकार भी हो, कहते हैं। इन देवीसिंह भाटी ने इंजीनियरों को किसी भी ढंग से डरा कर रखा था और वे कुछ न कुछ करते थे। अभी तो डेढ़ साल हुए हैं, इंजीनियर बरी हो गये, सीमेंट का पता नहीं कि कहां जा रही है, काम की गुणवत्ता को कोई देखने वाला नहीं है और मैंने पहले बैदजी से भी गुजारिश की तो बैद जी ने कहा कि अमीन खान जी बात सही कहते हो पर मैं तो बीमार हूं। अब इतना मेरा खड़ा रहना, साइड में घूमना मेरे से तो नहीं होता है और इस नहर में वास्तव में सोये हुए हैं। न उनके पास पैसे हैं, न कोई गुणवत्ता का ध्यान रखते हैं, न मौके पर कोई अफसर अच्छे हैं। नहर का सत्यानाश हो रहा है।

(श्री अमीन खान)

यही बात कहते हुए मैं अपनी बात खतम करता हूं कि नहर को अच्छे ढंग से चलाने के लिए वहां नहर के मंत्री को कम से कम हर महीने में एक बार जाना चाहिए और नहर की गुणवत्ता का अच्छा ध्यान रखना चाहिए और ये जो मैंने मेरी बातें कही हैं उन पर अमल कराने का प्रयास करें। जय हिन्द।

श्री सभापति : श्री हरचन्द सिंह सिद्धू।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू (पीलीबंगा) : सभापति महोदय, आज सदन के सामने वे मांगे रखी गयी हैं जिनका सीधा किसान के जीवन से सम्बन्ध है। सबसे पहले मैं उपनिवेशन विभाग के बारे में यह निवेदन करना चाहूंगा कि फर्स्ट फेज के जो काश्तकार 1955 से पूर्व के या 1955 के बाद के या टी.सी. होल्डर्स थे, एक वक्त आया, सरकार ने एक अभियान के रूप में अधिकारियों को निर्देश दिये कि इनके भाग्य का फैसला फौरन कर दीजिये, आनन-फानन के अन्दर जैसे घास काटी जाती है, ऐसे उन काश्तकारों के भाग्य का निर्धारण कर दिया गया और कानूनी प्रक्रिया में वह किसी का रहम नहीं है। कानून के अन्दर अपील करना, रिव्यू करना, रिवीजन करना, यह काश्तकार का अधिकार है। उसकी परवाह किये बगैर जो निर्णय किया, रकबा राज घोषित करके उसको विशेष आवंटन करने के लिए गजट नोटिफिकेशन कर दिया गया। वह काश्तकार हायर कोर्ट के अन्दर अपील में गया। अपील उसकी स्वीकृत हुई। उसकी अलाटिंग अथोरिटी ने उस काश्तकार को जमीन अलाट कर दी, उसने किश्तें भर दीं लेकिन मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आपका गजट नोटिफिकेशन विशेष आवंटन का, वह आज उस काश्तकार की मौत बना हुआ है, उसको खातेदारी हकूक नहीं मिल रहे हैं और डि-सेन्ट्रलाइजेशन की हम बात करते हैं। वह एक आई.ए.एस. कलेक्टर, आई.ए.एस. अधिकारी, लेकिन उसको डि-नोटिफाई करना, यह अधिकार नहीं है और सरकार ने पाबन्दी लगा रखी है कि डि-नोटिफाई होगा तो केवल सचिवालय से होगा। यहां कोई और भगवान है। समस्या आज जिस जिलाधीश के सामने दरपेश है, आज काश्तकार परेशान हो रहा है। उसको आप क्यों नहीं अधिकृत करते कि ऐसी अगर परेशानी है तो उसका फौरन निराकरण किया जाए।

सभापति महोदय, बड़ोपल गांव के अन्दर, जिस गांव के अन्दर इरादतन उधर तो रेवेन्यु के अधिकारी टी.सी. होल्डर्स को लगातार नवीनीकरण करते जा रहे हैं और उनका हक जता रहे हैं और दूसरी तरफ मुझे मालूम नहीं है कि कौनसा षड़यंत्र था कि सैकड़ों काश्तकारों के उस टी.सी. पट्टे नवीनीकरण होते हुए उस रकबा राज बताकर उसके विशेष आवंटन के लिए गजट नोटिफिकेशन करवा दिया गया। आज वह लोग हर गांव के अन्दर आवंटन हो रहा है, उनको खातेदारी हकूक मिल रहे हैं लेकिन वह एक पर्टिकुलर बैल्ट है जिसके अन्दर उन लोगों को खातेदारी हकूक से महरूम रखा जा रहा है। मेहरबानी करके ऐसी साजिशों

(श्री हरचन्द सिंह सिद्धू)

का आप निराकरण कराइये और उन अधिकारियों के खिलाफ, आप भ्रष्टाचार मिटाने की बात करते हैं, मेहरबानी करके ऐसे अधिकारी, जिन्होंने साजिश की है, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जाए।

कालोनाइजेशन एक्ट की कंडीशन (13) 11 मई, 1999 को बीकानेर संभागीय सम्मेलन माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बुलाया था। उसमें मंत्री महोदया भी बिराजमान थीं। मैंने उस वक्त भी यह निवेदन किया था कि हजारों काश्तकारों से इस कालोनाइजेशन एक्ट की कंडीशन (13) के वायलेशन के तहत शास्ति के करोड़ों रुपये राज के खजाने में जमा करवा लिये गये लेकिन एक मजाक बना हुआ है कि जिस काश्तकार से आपने करोड़ों रुपये खजाने में जमा करवा लिये, आप उनको खातेदारी अधिकार और नियमन की कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। उस समय आपने फरमाया था कि दो महीने में, क्योंकि उनको लिमिट नहीं बढ़ाई गई, दो महीने के अन्दर हम उनको समयावधि बढ़ाकर ऐसे अधिकृत कर देंगे ताकि वह अपना फैसला लिख दें। लेकिन साल भर होने को आया, अभी तक भी वह की वह स्थिति है। हजारों काश्तकार परेशान हो रहे हैं। उनकी जेब काट ली गई लेकिन उनको खातेदारी हकूक नहीं दिये जा रहे हैं। इसी तरीके से लैण्ड एक्वीजिशन एक्ट के तहत इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के लिए जिन काश्तकारों की जमीन एक्वायर की गई थी, मुझे शर्म आती है कि आज 50 साल बीत जाने के बाद भी ऐसे सैकड़ों काश्तकार हैं, जिनको अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया। वे भटकते फिर रहे हैं और हम काश्तकार के हितैषी बनने की बात करते हैं। आप मेहरबानी करके उन काश्तकारों को जिनकी जमीन और उनकी रोज़ी-रोटी है, उनसे उनको महरूम कर दिया गया, सड़कों के अन्दर उनकी जमीन एक्वायर की गई। उनको अभी तक मुआवज़ा नहीं मिला। वन विभाग ने रक्षा पट्टी के नाम पर हमारी खातेदारी जमीन पर जबरन जाकर प्लांटेशन कर दिया। हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं है। मेहरबानी करके इन सारी समस्याओं का निराकरण, इन कानूनी पेचीदगियों को आप सरल कीजिये और काश्तकार को बचाइये।

सभापति महोदय, घग्घर नदी, यह हमारे लिए वरदान भी है और अभिशाप भी है। अभिशाप तो इसलिए है कि हमने कभी भी सही समय पर कोई सही निर्णय लिया ही नहीं। हम 21 वीं सदी में प्रवेश कर रहे हैं और आज तक घग्घर नदी के बहाव में जो सबसे ज्यादा पानी आया है और 42,000 क्यूसेक्स इस नदी के बहाव क्षेत्र में पानी आया है लेकिन हमने प्रबन्ध क्या किया है। वह प्रबन्ध ऐसा किया है कि जिन डिप्रेशन के अन्दर सेम नाला बनाकर पानी डाला गया, उनकी जियोलोजिकल फोर्मेशन को नहीं देखा गया, सारा का सारा जिप्सम बैल्ट के अन्दर पानी डाल दिया गया और उससे पूरे इलाके में वाटर लोगिंग हो गई। आज कम से कम 7-8 हजार काश्तकार रोजी रोटी से महरूम हो गये। उस जगह पर जो कि 27 गांव हैं, उन गांवों के अन्दर

(श्री हरचन्द सिंह सिद्धू)

कभी रात को कोई आदमी सो नहीं सकता, दिन में सांस नहीं ले सकता। हम पर्यावरण सुधारने की बात करते हैं, और अभी तक भी हमारी मानसिकता यह नहीं है कि हम उस पानी को कंट्रोल करें। मेरा निवेदन है कि हम 21 वीं सदी में जा रहे हैं। हमको अंदाजा होना चाहिए कि हम 100 सालों के अन्दर आइस मैच, मोस्चर और रैन फाल की रेट बढ़ने से कम से कम 60-70 हजार क्यूसेक्स पानी इस नदी के बहाव क्षेत्र में आयेगा। उसका प्रबन्ध करना चाहिए हमको। बीकानेर स्टेट के हम रहने वाले लोग जिनको खातेदारी हकूक नहीं। मंत्री महोदय, हमको मौरूसी हक दें, वह हक जो सरकार के खिलाफ हक थे। उन हमारे हकों के लिए हमारे सामने सवाल पैदा किया जाता है कि छह बीघा का बहाव क्षेत्र इन्होंने घोषित कर दिया। मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि यह कब से पानी महोदय आपके आज्ञाकारी हो गये कि छह बीघा से बाहर सातवें बीघा में नहीं जायेंगे। मेरा खातेदारी खेत और मेरे ऊपर यह रोक लगाई जाए कि तू इसको प्रोटेक्शन बंधा नहीं बनायेगा। मैं मेरी सम्पति की रक्षा नहीं करूं और मैं इन इर्रिगेशन के अधिकारियों के रहमो-करम पर जिंदा रहूं, सभापति महोदय, यह हमारे जीवन से खिलवाड़ है। किसी को अगर बुरा लगता है तो लगे, लेकिन मैंने सुबह भी निवेदन किया था मंत्री महोदय से। वह कहती हैं कि यों कोई चोंच आ गई तो उसको हम हटायेंगे। वह चोंच यों ही नहीं हटेगी। आप बंदोबस्त करिये। आप जमीन का एक्विजिशन करिये। डेढ़ बीघे, दो बीघे में उस पानी को कंट्रोल करके आप उसको चैनेलाइज करिये, कौन मना करता है। राइस बेल्ट है, उसमें सरकार को काश्तकार को-आपरेट करने को तैयार है और उस राइस बेल्ट के अंदर वह ही राइस के पकने का वक्त और उसी वक्त उस पानी के आने का समय होता है। उसका अगर उचित प्रबन्ध करके उन काश्तकारों को दिया जाये तो वह काश्तकार लोग उसका पैसा देने को तैयार हैं। मेरे ख्याल से आठ या नौ साल के अंदर पूरे के पूरे सैंट्रलाइजेशन के लिए जो चैनल तैयार करनी है, उसका खर्चा सरकार को काश्तकार देने को तैयार है। लेकिन हर साल बंधे तोड़ेंगे। काश्तकार बड़ी मेहनत से, अपने खून-पसीने की कमाई से अपनी जायदाद के चारों तरफ, अपने खेत के चारों तरफ प्रोटेक्शन बंध बनाता है और उसको सरकार आकर तोड़ देती है। यह अजीब स्थिति है। मेहरबानी करके आप इस प्रोब्लम को समझिये और उस पानी को जो उस नदी के बहाव का पानी है, अगर आप उसको यह कहें कि this is an act of God, तो फिर मंत्री महोदया, योजना बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप उसको नियंत्रित करते हैं तो फिर एक्ट आफ गॉड नहीं है, फिर वह कंट्रोल्ड वाटर है। कंट्रोल्ड वाटर के लिए आपको अपनी निजी और सरकारी चैनलें बनानी होंगी। सभापति महोदय, इस वाटर लागिंग के कारण आज रावतसर कस्बा बरबाद हो गया और उसकी बरबादी का कारण इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, कस्बा 16-17 फीट नीचा है, नहर बंधाई में चल रही है। जिप्सम मिक्स सोइल है, हाई पीक के

(श्री हरचन्द सिंह सिद्धू)

अंदर जब पानी बहेगा तो अर्थ को जब वह धक्का देगा, उसकी वेलोसिटी इतनी तेज है, जिप्सम सोल्यूबल है, उसने अपने शोर पैदा कर लिये और वह शोर इतने तेज हैं कि उस सारे कस्बे को और आस-पास के इलाके को लील गये हैं। उसका इलाज सिम्पल, साधारण, उसके साथ सरफेस ड्रेन तैयार करके उस कस्बे को बचाया जा सकता है लेकिन आज तक हमने कोई ऐसी योजना नहीं बनाई, न हमारा इरादा है। हम करना क्या चाहते हैं। अगर आप सेम से बचा नहीं सकते तो हमने इस्तदुआ की है सरकार से, ऐसे काश्तकार जिन लोगों के पास रोजी-रोटी का साधन नहीं, आप उनको जमीन के बदले जमीन देकर आबाद करिये।

सभापति महोदय, सिंचाई विभाग के लिए हम योजनाएं बनाते हैं। मैंने पिछली दफा भी निवेदन किया था कि लाख बीघा से भी ज्यादा जमीन जिसको हम 1970 के बाद से पानी दे रहे हैं लेकिन रिकार्ड के अन्दर वह जमीन अनकमांड है। पानी हम ले रहे हैं, हम डिफरेंस कमांड और अनकमांड का गवर्नमेंट को देने को तैयार हैं लेकिन सरकार उस रिकार्ड को सुधारना नहीं चाहती। मुझे यह समझ में नहीं आता कि न तो इसमें सरकार को कोई पैसा खर्च होना है और एक बहुत बड़ी समस्या से काश्तकारों को निजात मिल जायेगी। ऐसा नहीं करके बहुत सारा इलाका है सभापति महोदय, जिसमें फ्लों से पानी लग सकता है। और मैंने निवेदन किया, सूरतगढ़ ब्रांच की आर. डी 1,42,600 से राइट साइड में एक केनाल बनाई जाय जो भाखरा सिस्टम के चार केनाल्स को, एचसीआर माइनर, एलजीडब्लू माइनर, डीबीएल माइनर और एमओडी माइनर को टच करेगी। यह सारा इलाका टेल का है और इसके आगे बहुत बड़ा भू-भाग है जो उसके फ्लो से इर्रिगेट हो सकता है। और यह स्कीम बनी हुई है, गवर्नमेंट के पास, दस-पन्द्रह सालों से विचाराधीन पड़ी हुई है। लेकिन किसी आदमी को यह फुर्सत नहीं, कोई इंजीनियर यह देखने की जरूरत महसूस नहीं करता कि हम इस प्रदेश के लोगों के साथ न्याय करें। और इस प्रदेश में अन्न उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जो सरकार और जन-जन का पैसा एक्सचेकर में आता है उसका समायोजन सही तरीके से हो और इस प्रदेश के लिए फायदेमंद हो, ऐसा इनका सोच ही नहीं है।

इसी तरीके से एचपीडी माइनर के लिए सरदारपुरा डिस्ट्रीब्यूटरी जो मेन केनाल से टेक-ऑफ करती है, डिप्रेशन नम्बर छह से माणकथड़ी माइनर निकला, उन डिप्रेशनों को जब पानी नहीं गया, वह आज उस माइनर पर लगा हुआ पैसा बरबाद गया। मेरा निवेदन है कि एचपीडी माइनर को उस माणकथड़ी माइनर तक बढ़ा दिया जाय, काश्तकार उसमें सहयोग करने को तैयार हैं, तो एक बहुत बड़े इलाके के अंदर, बहुत बड़े भू-भाग को नई सिंचाई सुविधा मिल सकती है। और जो हमने उनको स्कीम दे रखी है, उस माणकथड़ी माइनर को भी हम फीड कर सकते हैं इससे। माननीय सभापति महोदय, घग्घर

(श्री हरचन्द सिंह सिद्धू)

के जो डिप्रेशंस हैं उन डिप्रेशंस के लिए 16, 17 और 18 नम्बर डिप्रेशंस हैं, यह सूरतगढ़ कस्बे के बिलकुल नजदीक पड़ जाते हैं, सेन्ट्रल वाटर बोर्ड कमीशन ने हिदायत की है राजस्थान सरकार को कि अगर इन डिप्रेशंस के अंदर पानी डाला तो इस कस्बे की उम्र साढ़े चार साल रहेगी, उसके आस-पास के इलाके के हर गांव की उन्होंने उम्र निकाल कर इनको बता दी। अब वहां से जो योजना बनती है, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कंवरसेन जैन साहब का जिन्होंने इंदिरा गांधी नहर परियोजना या राजस्थान केनाल नहर परियोजना की रूपरेखा इस प्रदेश को दी। उसके अंदर 1705 एपी शाखा पर एक इनलेट रेगुलेटर बना है सभापति महोदय। वह इन इंजीनियर्स से, उस इनलेट रेगुलेटर का निर्माण तो कर दिया लेकिन इनके यह समझ में नहीं आ रहा कि यह बनाया किसने। आई.जी. एन.पी. की प्रोजेक्ट रिपोर्ट को इन्होंने नहीं पढ़ा। वह कालका से निकलने वाली घग्घर नदी के बहाव को कंट्रोल करके उसके पानी का सदुपयोग करने के लिए केवल सात-आठ करोड़ की योजना से पानी उस अनूपगढ़ शाखा में डाला जा सकता है, उस पर न जाकर सवा दो सौ करोड़ रुपये की एक चालीस किलोमीटर नहर की स्कीम पर वर्क-आउट कर रहे हैं और उस पर अडामेंट है कि नहीं, हम तो यही करेंगे। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वह तीन सिस्टम को क्रास करेगी। अप ब्रीच, डाउन ब्रीच, उस पर उससे वह फीड कर देंगे लेकिन अप ब्रीच के जो काश्तकार हैं उनको पानी कहां से देंगे क्योंकि अनूपगढ़ शाखा से जो पानी आ रहा है वह पानी उसमें जा नहीं पायेगा। पन्द्रह डाइरेक्ट आउटलेट हैं, वह बरबाद हो जायेंगे काश्तकार और दो हमारे हैडलेट सिस्टम के प्रोजेक्ट बने हुए हैं, उन दोनों को फीड नहीं कर पायेंगे। ऐसी इनकी डिफेक्टिव योजना है। मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप बहुत व्यावहारिक दृष्टिकोण रखती हैं, यहां पूरे राजस्थान के लोगों का जीवन इससे जुड़ा हुआ है और एक-एक बूंद पानी के लिए हम तरसते हैं।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : मेहरबानी करके सभापति महोदय, मैं कोई शौक के लिए नहीं बोल रहा हूं।

श्री सभापति : बात बहुत अच्छी कह रहे हैं आप लेकिन..

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : इसलिए निवेदन कर रहा हूं और बहुत ही उपयोगी बात बता रहा हूं मैं। यह सिंचाई विभाग का एक प्रतिवेदन आया हैं उसमें पीछे एक नक्शा बताया गया है, आज मांग तो रख दी गई, मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, नोर्थ जोन के चीफ इंजीनियर तीनों सिस्टम को देख सकते हैं, सुपरिन्डिंटिंग इंजीनियर तीनों सिस्टम को देख सकते हैं लेकिन, सभापति महोदय, भाखड़ा के लिए द्वितीय सिंचाई खण्ड, हनुमानगढ़ और भाखड़ा का कुछ इलाका नोहर और भादरा में बहुत थोड़ा सा इलाका है और उसके मुकाबले सिद्धमुख नोहर फीडर उनके अधिकारी भी

(श्री हरचन्द सिंह सिद्धू)

वहां जाते हैं। और सिंचाई से ही वो संबंधित हैं लेकिन दोनों साथ-साथ जाएंगे। एक अधिकारी उस काम को नहीं देख पाएगा कि वह इलाका भाखड़ा का है और वह आई.जी.एन.पी. का है। मेहरबानी करके इन विसंगतियों और जो ऐसे पैसे को प्रशासनिक दृष्टि से मिसयूज किया जा रहा है उसको आप रोकिये। इसी तरीके से गंग कैनाल उसका एक छोटा सा हिस्सा विजयनगर, अनूपगढ़ तहसीलों में दोनों और आई.जी. एन.पी. सिस्टम है और बीच में पट्टी बनी हुई हैं गंग कैनाल की उसके लिए तो कंट्रोल होगा गंगानगर से और जो विजयनगर में इतना बड़ा एस्टेब्लिशमेंट इर्रिगेशन डिपार्टमेंट का है वह उस पट्टी को नहीं देख पाएगा। सभापति महोदय, इस तरीके से ये जो बेटर मैनेजमेंट की बातें की जाती हैं वह नहीं है इनको रोका जाए। मेरा यह निवेदन है कि जो प्रशासनिक फिजूलखर्ची है उस पर कंट्रोल करने के लिए इन इंजीनियर साहबान की जो राय है मंत्री महोदया, आप अपना दिल-दिमाग खोल करके केवल उनके भरोसे नहीं रहें और ये जो कबाड़े करवाते हैं इनको तो एक ही काम है जब पोस्टिंग करवानी हो तब इनके लक्षण देखने वाले हैं।

सभापति महोदय, मेरी कांस्टिट्यूएन्सी में पीलीबंगा सब डिवीजन में एक असिस्टेंट इंजीनियर पांच साल तक रहा उसने उस इलाके को सेंधा, एक्सचेकर का तीन लाख रुपये की दो चोरियां हुईं, दो एफ.आई.आर. दर्ज हैं, पीलीबंगा में और उस असिस्टेंट इंजीनियर ने अपने सबओर्डिनेट से पैसा चंदा वसूल करके कि खजाने में जमा करायेंगे वरना अपना सबका मुंह काला होगा, पैसा खुद खा गया। चोरी थी नहीं सिर्फ चोरी की एफ.आई.आर. दर्ज करायी गयी और उस आदमी को आनन-फानन में उसके एक स्वजातीय अधिकारी को जांच देकर के उसको पाक व मुक्त कर दिया, उसको प्रमोशन दे दिया गया। मैंने निवेदन किया जब यहां, हरकत देखी मैंने माननीय मंत्री महोदया को अर्ज की। मुख्य मंत्री को लिख कर दिया कि इस अधिकारी को पीलीबंगा सेकिंड डिवीजन में न लगाया जाए और आज वो ही अधिकारी वहां बैठा हुआ है। चार महीने से मैं संघर्ष कर रहा हूं और उस आदमी के लिए यह कहा जाता है कि नहीं साहब ये दूसरे विधायक भी ऐसा चाहते हैं उनका भी एरिया पड़ता है। और उस आदमी ने मेरे खिलाफ न मालूम क्या प्रचार कर रखा है और क्या-क्या यातनाएं वह दे रहा है, लेकिन उसको रखना वहां जरूरी है। ये जो इनकी हरकतें हैं इनको मेहरबानी करके हम हाथ जोड़ कर निवेदन करते हैं शेरपुरा डिवीजन में इन इर्रिगेशन डिपार्टमेंट के लोगों ने क्या-क्या कांड नहीं किये। मैंने ऐसे दस्तावेजी सबूत इर्रिगेशन कमिश्नर को दिये लेकिन उनकी लीपापोती कर दी गई। सभापति महोदय, जो इंजीनियर्स वहां रहते हैं ये अभी वाटर कोर्सेज की बात कर रहे थे। वाटर कोर्सेज के ठेके वे इंजीनियर्स ले रहे हैं। आज की तारीख में वह स्थिति है वे अपनी पेट फर्मे रजिस्टर करवा करके और वह सारा का सारा पैसा हजम कर रहे हैं। ऐसे हालात पैदा करके उन लोगों ने,

(श्री हरचन्द सिंह सिद्धू)

एक इर्रिगेशन महकमे की मीटिंग बीकानेर में भी हुई थी मैंने वहां भी एतराज किया था। वे लोग अपनी जमीनें अपने परिवार के नाम से खरीद-खरीद करके अपना साम्राज्य कायम कर रहे हैं और उस पानी का, इर्रिगेशन के पानी का वे दुरुपयोग खुद कर रहे हैं क्योंकि वे इस पॉजीशन में हैं। ऐसी विसंगतियां, ऐसे घोटाले अगर एक्सचेकर के ऊपर किये जाएंगे तो निश्चित तौर पर ये जन-जन से आने वाला एक-एक पैसा एक्सचेकर में जो कंसोलीडेटेड फंड के नाम से आप उसमें विथड्रा करना चाहेंगी, तो यह मंत्री महोदया मेरे ख्याल से राजस्थान प्रदेश की गरीब जनता के साथ न्याय नहीं होगा। यह उनके साथ बहुत गैर इन्साफ होगा। इसको मेहरबानी करके रोकिये। और अच्छा प्रशासन हो, आपका नाम हो और इस प्रदेश में खुशहाली हो, ऐसी आप व्यवस्था करायें। आपने मुझे काफी समय दिया बहुत-बहुत आपका शुक्रिया और धन्यवाद करते हुए मैं इजाजत चाहता हूं। जयहिन्द।

श्री सभापति : श्री रमजान खान।

श्री रमजान खान (पुष्कर) : सभापति महोदय, सदन में मांग संख्या-46 सिंचाई पर और मांग संख्या-8 राजस्व पर चर्चा चल रही है इसमें मैं अपने-आपको सम्मिलित करते हुए मेरे भी विचार आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया तक कहना चाहूंगा।

सबसे पहले तो मांग संख्या-8 राजस्व के ऊपर बोलना चाहूंगा कि अजमेर जिले में सन् 1970-72 में जो भू-संशोधन हुआ, वह 20-30 साल बीत जाने के बाद भी सभापति महोदय, उसकी पीड़ा अजमेर जिले के काश्तकारों को ज्यों की त्यों है। उसका कोई निदान नहीं हुआ और वह एक तरह की केंसर की बीमारी अजमेर जिले के काश्तकारों के लिए बन गई है। इस संबंध में माननीय मंत्री महोदया का ध्यान थोड़ा आकर्षित करना चाहूंगा कि 1970-72 में इस भू-संशोधन की जरूरत क्यों पड़ी। 1970-72 में अजमेर जिले में 976 गांव थे कुल मिलाकर। उसमें 345 गांव खालसा के थे और करीबन 628 गांव जागीर के और इस्तमरारदारी के थे तो खालासा के जितने भी 348 गांव थे इनकी तो जमाबन्दी 1940 और 1941 में बंदोबस्त कार्य बनाया गया और जो जागीर और इस्तमरारदारी के 628 गांव थे इनका बंदोबस्त कार्य 1951 और 1952 में हुआ परन्तु वह संतोषजनक नहीं था इसलिए इसका भू-संशोधन करने के लिए वहां पर तत्कालीन जो हमारे राजस्व मंडल के अध्यक्ष थे श्रीमान् जी.वी.के. हूजा, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई। उस कमेटी में यह निर्णय हुआ कि भू-संशोधन किया जाए और उसके बाद भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 106 और 107 के तहत निर्णय करके राज्य सरकार ने जिला कलेक्टर अजमेर को अधिकार दिये कि भू-संशोधन किया जाए और भू-संशोधन होना बहुत ही जरूरी था। मई, 1970 से लेकर मई, 1972 तक दो साल तक सरकार के करोड़ो रुपये लग करके अजमेर जिले का भू-संशोधन हुआ। तमाम जमाबंदियां बनीं नक्शे बने और सब कुछ ठीक-ठाक मामला हो गया। सभापति

(श्री रमजान खान)

महोदय, परन्तु 12 साल बीत जाने के बाद इन 12 सालों में कई बार रजिस्ट्रियां हुई। लोगों ने अपनी जमीनें, जिनकी खातेदारी अधिकार दिये थे उसके ऊपर कुंए खुदवाये, पम्पिंग सैट लगाये और जमीनों की खरीद-फरोख्त का बेचाननामा हजारों की तादाद में सभापति महोदय हुआ। परन्तु पता नहीं 12 साल के बाद कुछ शिकायतें सरकार को मिली और सरकार ने श्रीमान् अरूण कुमार जी, जो उस वक्त राजस्व मंडल के सदस्य थे, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी गठित करके उन शिकायतों के निराकरण के लिये बात हुई। सभापति महोदय, उनकी रिपोर्ट के आधार पर कि हां, कुछ उनको शिकायतें मिली हैं, उनकी रिपोर्ट के आधार पर होना यह चाहिए था कि राजस्व कैम्प अजमेर जिले में लगा करके इस समस्या का निराकरण करते कि कहां गलती हुई। उसमें सुधार करते। परन्तु इन्होंने तो 1970-72 में करोड़ों रुपये सरकार के लगे उस 1970-72 के भू-संशोधन के अधिकार को ही निरस्त कर दिया और वही पुराने जमाने की जो वर्किंग जमाबन्दी थी, सन् 1969 के अन्दर जो जमाबन्दी थी, 1940-41 में जो बनी थी, 1951-52 में जो इस्तमरारदारी और जागीरी के लिए जो जमाबन्दी बनी थी, उसी के आधार पर वापस कार्य करना शुरू कर दिया। तो इसके लिए अजमेर जिले में बड़ी अफरा-तफरी हुई क्योंकि बारह साल के दौरान कई रजिस्ट्रियां हुई, मकान बने, कनेक्शन लिये, इधर-उधर बेचान हुए, लेन-देन हुए। उसके बाद सभापति महोदय, जब यह ज्यादा अजमेर जिले की जनता में भूचाल आया तो कई राजस्व कैम्प आयोजित हुए। राजस्व कैम्प के माध्यम से समस्या का समाधान करना चाहा, परन्तु राजस्व कैम्प के माध्यम से भी इस समस्या का समाधान हुआ नहीं। और उसके बाद आखिर में 24.11.92 को एक परिपत्र निकाला। उस परिपत्र में लिखा हुआ है कि सन् 1970-72 के भू-संशोधन में जिनके नाम से खातेदारी अधिकार दिये चाहे वह चरागाह भूमि हो, चाहे सवाई चक भूमि हो, चाहे कुछ भी हो अधिकार दे दिये गये उनको 10 एकड़ जमीन तक उनके नाम अलाटमेंट कर दी जाये। यह 20 साल के बाद सरकार ने यह आदेश निकाला और कैम्प लगाये गये। उन कैम्पों में जिनके नाम यह खातेदारी मिली थी 1970-72 में, उनमें से अधिकतर तो मर गये और उनके जो बड़े लड़के रहे उनके नाम से यह 10 एकड़ तक की जमीन का खातेदारी राइट दिया गया। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से कहना चाहूंगा कि वह 10 एकड़ जमीन उस एक लड़के को दी जबकि उस लड़के के चार भाई थे और चारों भाइयों के नाम न होकर एक भाई को दी जिससे उन चारों भाइयों में झगड़ा हो गया। परिवार में झगड़ा शुरू हो गया और उस समस्या का समाधान फिर भी नहीं हो सका। इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया को कहना चाहूंगा कि या तो जो 1970-72 का भू-संशोधन अजमेर जिले का हुआ है उसको यथावत रखा जाय और यदि यथावत रखने में आपको कोई समस्या आती है, आपने भी कई बार इस संबंध में अजमेर के सूचना केन्द्र में मीटिंग ली है और दुर्भाग्य से इस बार हमारे जो अजमेर के मंत्री बने थे

(श्री रमजान खान)

उनको मुख्य मंत्री जी ने राजस्व विभाग दिया था और 9 मार्च को जब मुख्य मंत्री जी अजमेर आये थे हमने इस समस्या के बारे में कहा। तो उन्होंने एक ही जवाब दिया कि अब तो आपके घर में ही राजस्व विभाग है, हमको क्यों कहते हो। परन्तु कुछ अस्वस्थता के कारण उनकी शारीरिक शक्ति इस वक्त नहीं है जो वह काम संभाल सके। माननीय मंत्री महोदया को राजस्व विभाग का काम दिया है। यह भी स्वयं इस पीड़ा से परिचित हैं। अजमेर जिले की यह सख्त पीड़ा है, अजमेर जिले के काश्तकारों की पीड़ा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया को निवेदन करना चाहूंगा कि 1970-72 के भू-संशोधन को एज इट इज रखें, और एज इट इज न रखें तो इस 10 एकड़ की सीमा को 15 एकड़ तक बढ़ा कर इसमें सामला, पट्टाकाश्त और पेरीफेरी में जो गांव आते हैं उनको भी शामिल कर वापस राजस्व कैम्प लगा कर यदि आप कार्य करेंगी तो मैं समझता हूं कि इस समस्या का समाधान हो सकेगा।

सभापति महोदय, जहां तक पेरीफेरी नियम का सवाल है यह 20 वर्ष पहले लागू हुआ। 39 गांवों को तो वैसे ही अजमेर की नगर परिषद की सीमा में मिला दिया परन्तु अजमेर से चारों तरफ 14 किलोमीटर की दूरी में जितनी भी ग्राम पंचायतें आईं, उनको भी पेरीफेरी नियम के अंतर्गत ले लिया। उन ग्राम पंचायतों में 20 साल से एक इंच भूमि आबादी भूमि के लिये नहीं मिली है। 20 सालों में इन ग्राम पंचायतों की आबादी बढ़ी है और अब वह कहां जाकर बसेंगे, यह विचार करने का विषय है। इस संबंध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि लोग गांव के आस-पास जहां भी चाहे सवाई चक मिली, चारागाह मिली, कहीं भी मिली वहां पर अपने घर बनाकर रहने लगे। परन्तु उनके ऊपर नोटिस की तलवार लटका दी और उन पर मुकदमें बना दिये गये कि तुमने सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया। सभापति महोदय, अब आप बताओ कि वह लोग कहां जाकर बसें, यह बात मेरे आज तक समझ में नहीं आई। क्या वह इंसान नहीं है, क्या वह हिन्दुस्तान के रहने वाले नहीं हैं, क्या उनको अधिकार नहीं है कि वह अपना मकान बना कर रहें? उनके लिए आबादी भूमि की एक इंच जमीन आप नहीं दे रहे हैं, इसका क्या मतलब है? और तो और यह जो दूसरे आपके आवासन मंडल हैं, यू.आई.टी. है यह वहां पर जाकर बस्तियां बसा रहे हैं, नगर बसा रहे हैं। विभिन्न नामों से आवास की योजनाएं बना रहे हैं और उन योजनाओं में काश्तकार की जमीन सस्ती लेकर यू.आई.टी. वहां उन पट्टों को नीलाम करती है जिसे, गरीब आदमी और काश्तकार तो ले नहीं सकता और इन योजनाओं के अंतर्गत उनके जो मकान आ जाते हैं इन मकानों को भी ध्वस्त कर दिया जाता है। यह उदाहरण 2 मार्च को अजमेर जिले के माखनवाली रोड पर हुआ। उन लोगों ने अपने रहने के लिये मकान बनाये थे। उन मकानों को बेदर्दी से इस अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत तोड़ दिया गया। लाखों-करोड़ों रुपये के मकान ध्वस्त कर दिये गये। अब आप बताओ

(श्री रमजान खान)

कि वह मकान कहां बनायें, काश्तकार कहां जायें, इसका कुछ इलाज नहीं है। सभापति महोदय, ग्राम पंचायतों को पट्टा देने का अधिकार तक आपने छीन लिया। अगर गांव में पुराने मकान बने हुए हैं और कोई आदमी चाहता है कि मुझे मेरा पट्टा मिले और उस पट्टे के आधार पर मैं बैंक से कर्ज ले सकूं या कोई काम कर सकूं, वह पट्टा ग्राम पंचायत का सरपंच दे नहीं सकता। राजस्व प्रशासन ने मकानों को अवैध करार दिया। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, यह बहुत संवेदनशील मामला है। मंत्री महोदया इस पेरीफेरी नियम में संशोधन कर के गांव में बसने वाले लोगों को भी अपना स्वयं का मकान बनाने के लिये आबादी भूमि ग्राम पंचायतों को निश्चित रूप से देनी चाहिए और मुझे उम्मीद है कि आप इस पर सहानुभूतिपूर्वक गौर कर के इस कार्य को करायेंगी।

सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 46 के बारे में थोड़ा सा अर्ज करना चाहूंगा कि अजमेर जिला तालाबों का जिला है। कोई गांव अजमेर जिले में ऐसा नहीं है जहां पर तालाब नहीं है। करीब करीब हर गांव में तालाब है। 80 प्रतिशत तालाब तो अंग्रेजों के टाइम के बने हुए हैं, 20 प्रतिशत तालाब आजादी के बाद के 50 वर्षों में बने हैं। परन्तु जो अंग्रेजों के टाइम के तालाब बने हुए हैं उनकी मोरियों की और इनकी हालत इतनी खराब है कि उनकी तो मरम्मत होती नहीं है और आप आगे-आगे नहरें बनाते जा रहे हो, उसका कोई उपयोग नहीं मिल रहा है।

मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र के गोविन्दगढ़ बांध की चर्चा करना चाहूंगा, गोविन्दगढ़ बांध सन् 1991-92 में चार करोड़ की लागत से बना और जब यह बांध बन रहा था तो उस वक्त जिन काश्तकारों की जमीन डूब में आयी उसको अवाप्त करने के लिये सरकार की कार्यवाही हो रही थी। उस वक्त काश्तकारों ने आनाकानी की क्योंकि उनकी जमीन पर कुएं खुदे हुए थे, वहां पर मकान बने हुए थे, उनमें बिजली के कनेक्शन लिये हुए थे, उनकी रोजी-रोटी थी। परन्तु हमारे तत्कालीन सिंचाई मंत्री जी श्रीमान् विजय सिंह जी झाला वहां स्वयं गये और उन्होंने समझाया और कहा कि इस बांध को बन जाने दो, इसकी तमाम की तमाम सिंचाई आपके गांव के लिये काम आयेगी। इसलिए काश्तकारों ने राजी खुशी वह जमीनें दे दीं। उसका किसी को तो मुआवजा मिला, किसी को मुआवजा आज तक नहीं मिला। सभापति महोदय, इस संबंध में मैं मंत्री महोदया को निवेदन करना चाहूंगा, जब आपने एक साल पहले यहां जयपुर में अजमेर जिले की मीटिंग ली थी, हमारे जनप्रतिनिधियों को भी बुलाया था। उसमें मैंने आपको कहा था कि गोविन्दगढ़ बांध की क्षमता 777 हैक्टेयर भूमि को पिलाई करने की है। इसमें से करीबन 431 हैक्टेयर जमीन का पानी नागौर में जा रहा है और हमारे को सिर्फ 346 हैक्टेयर पानी मिल रहा है। जब जमीन हमारी डूब में आई, जमीन हमने दी, सब कुछ हमने दिया, हमारी धरती पर बांध बना हुआ है और

(श्री रमजान खान)

उसका पानी हमको नहीं मिले और पड़ौसी जिला नागौर को जाये तो यह अच्छी बात नहीं है। मैंने इस संबंध में आपसे उस मीटिंग में भी विनम्र निवेदन किया था कि इसमें जिस तरह टौंक जिले के गरवा बांध में लिफ्ट योजना लगी हुई है उस तरह की लिफ्ट योजना से हमारी प्यासी भूमि को पानी दीजिए। सभापति महोदय, परन्तु लोकसभा का चुनाव था मंत्री महोदया ने उस वक्त मेरी बात को नजर अन्दाज कर दिया, मेरी बात सुनी नहीं। आज मैं फिर आपके माध्यम से निवेदन कर रहा हूं कि जमीन हमारी है, इसलिए मंत्री महोदया आप बहुत सहानुभूतिपूर्वक निर्णय लेकर गोविन्दगढ़ बांध पर लिफ्ट सिंचाई योजना जब तक आप लागू नहीं करेंगी तब तक गोविन्दगढ़ के लोगों को तसल्ली नहीं होगी। आपने 7.99 किलोमीटर लम्बी नहर बना दी। तमाम नहरें कच्ची, एक भी पक्की नहीं। मैंने इसके लिये विधान सभा में प्रश्न किया था। सभापति महोदय, विधान सभा के प्रश्न में मेरे को जवाब मिला कि अभी तो यह योजना में ही शामिल नहीं है गोविन्दगढ़ की पक्की नहरें बनाने के लिये। इसीलिए मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि इनको भी योजना में शामिल करके पक्की नहरों का निर्माण कराने का कष्ट करें।

इसके साथ-साथ हमको ज्ञात हुआ है कि सिंचाई विभाग अपने कुछ तालाब ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित करने जा रहा है जो 80 एकड़ के तालाब हैं। सभापति महोदय, मैं इस संबंध में निवेदन करना चाहूंगा कि ग्राम पंचायत के पास जो तालाब हैं उन तालाबों की देख-रेख ही ग्राम पंचायत नहीं कर सकती, उसके पास कोई अधिकारी नहीं, कर्मचारी नहीं और आप सिंचाई विभाग के और तालाब दे दोगे तो इन तालाबों की भी दुर्दशा होगी। जहां तक पिलाई का सवाल है, पटवारी लोग वसूली करते नहीं है। वे कहते हैं कि हमको तो एक्स्ट्रा भत्ता दो, तब हम आपकी सिंचाई की वसूली करेंगे, वरना हम नहीं करेंगे। और 15 साल से ग्राम पंचायतों की तो वसूली नहीं हो रही है। मंत्री महोदया, जानती होगी मुझे मालूम नहीं, सिंचाई विभाग के अंदर भी पटवारी लोग वसूली करके नहीं दे रहे हैं और वसूली का कोई पैसा आयेगा नहीं। ग्राम पंचायतों को यह तालाब स्थानान्तरित कर रहे हैं फण्ड कितना दे रही हैं, एक एक कर्मचारी, आप उसको दे रही है फोर्थ क्लास कर्मचारी उस तालाब की देखरेख रखेगा। इसलिये सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि अगर पंचायतों को सिंचाई विभाग के तालाब दिये गये तो मैं समझता हूं कि बड़ी अव्यवस्था फैल जाएगी। आपने तालाबों की सिंचाई की व्यवस्था देने के लिये गांवाई की कमेटी बनाई और गांवाई कमेटी के लिये कोई फण्ड तो आपने अलाट नहीं किया। अब गांवाई कमेटी के आप हाथ पकड़कर थोड़े बैठ सकते हैं? कैसे तो वह व्यवस्था करेंगी कैसे क्या करेंगी, गांवाई कमेटी बनाकर आपने वाह-वाही तो ले ली परन्तु इस पर आपने कोई पैसा नहीं दिया। इसलिये मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, सभापति महोदय, आपके माध्यम से सिंचाई

(श्री रमजान खान)

मंत्री महोदया को मेरा अनुरोध है कि सिंचाई विभाग के तालाबों को कम से कम ग्राम पंचायतों को नहीं दे, नहीं तो इनकी हालत बहुत ही खराब हो जायेगी।

सभापति महोदय, कई तालाब तो ऐसे हैं जिनके ऊपर गेट नहीं हैं और गेट नहीं बने होने के कारण जब हम सिंचाई करने की कोशिश करते हैं तो लकड़ी का डूजा डालते हैं। उसको हम उस वक्त खोल तो देते हैं, परन्तु जिस वक्त पानी का फ्लो होता है और जिस वक्त सिंचाई की ज़रूरत नहीं होती, उस वक्त उसको बंद करने की कोशिश करते हैं। मगर वह चलते हुए पानी में बंद होना बड़ा मुश्किल है। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदया, से निवेदन करना चाहूंगा कि जहां-जहां सिंचाई के तालाब हैं और जिनसे सिंचाई होती है चाहे वह ग्राम पंचायत के हों, पंचायत समिति के हों, सिंचाई विभाग के हों, गेट बनाना बहुत जरूरी है वरना इसकी वजह से बहुत सा पानी बेकार बहकर चला जाता है।

मंत्री महोदया, जब एक साल पहले आपने अजमेर जिले के जनप्रतिनिधियों अधिकारियों की मीटिंग ली थी, उस वक्त हमारे ब्यावर के विधायक महोदय ने आपसे निवेदन किया था कि रूपाणा फीडर को आप स्वीकृत करें तो आपने उसी वक्त आदेश दिया था कि पंचायत समिति जेवाजा में रूपाणा फीडर को स्वीकृत किया जाएगा। इस संबंध में मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि रूपाणा फीडर पंचायत समिति जेवाजा में, क्योंकि मैं वहां का रहने वाला हूं इसलिये मुझे ज्ञान है कि रूपाणा फीडर, रूपाणा तालाब हर वर्ष भरता है और हर वर्ष भरकर इसका पानी ओवर फ्लो होता है और वह पाली जिले में बेकार पानी बहकर चला जाता है। अगर इस पानी को रोक दें, और अगर मंत्री महोदया आपने यह फीडर बना दिया तो मैं ईमानदारी से कहूंगा कि ब्यावर शहर को तो बीसलपुर के पानी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आस-पास के इलाके के जो कुंए हैं उनका जल स्तर ऊंचा आ जाएगा, काश्तकारों की जिदंगी सुधर जाएगी। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह आपके प्लान में भी है इसकी बी.सी. रेंश्यो भी आपके विभाग के मापदण्ड के अनुसार है और यह सैल्फ आफ प्रोजेक्ट में कई दिनों से पड़ा हुआ है। मंत्री महोदया, इसलिये मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं यह आपके कांग्रेस आई के विधायक का मामला है इस तालाब की, इस फीडर की तो आप निश्चित रूप से स्वीकृति निकालेंगे।

जहां तक बीसलपुर बांध का सवाल है, सभी जानते हैं, पूरा राजस्थान जानता है कि बीसलपुर बांध केवल अजमेर जिले की पेयजल समस्या के लिये बनाया गया था। और अजमेर जिले की पेयजल समस्या अभी तक पूरी नहीं हुई है। अब सवाल उठ गया कि जयपुर को भी उसका पानी दिया जाएगा। आज मंत्री महोदया, आपने सही फरमाया था प्रश्न काल के दौरान कि ज़यपुर और अजमेर की जल समस्या का समाधान नहीं हो सकता जब तक हम चम्बल से नहीं जुड़ेंगे, यह बात आपकी ठीक थी। मगर इस संबंध में आपने एक बात कही थी

(श्री रमजान खान)

कि 306 मीटर जलस्तर जब इस बांध का रह जाएगा तो हम इसको सिंचाई के लिए नहीं देंगे। आपका यह स्टेटमेंट मंत्री महोदया बिलकुल गलत था। आपके अधिकारियों ने आपको गलत सूचना दी है। मेरे पास इस वक्त फोटो सहित प्रूफ है कि जब इस बांध का जलस्तर 304 मीटर था, उस वक्त भी 4-4 मोटरें 20-20 हार्स पॉवर की लगाकर इस बीसलपुर बांध से टोंक जिले को सिंचाई के लिये पानी दिया गया और इसका यह जीता जागता प्रूफ है, अगर आप कहें तो मैं आपको बता दूंगा। आपके अधिकारी जो सूचना आपको दे रहे हैं गलत है। अब तो उस पर एक और नहर खोदी जा रही है अगर वह नहर पूरी हो गई तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि जो रिजर्व वाटर है उसमें सिंचाई के लिये पानी लिफ्ट करने की जरूरत नहीं होगी। रिजर्व वाटर जो रखा जाएगा उस पानी को भी सिंचाई के लिये वहां पर चोरी छिपे उपलब्ध कराया जाएगा, इससे अजमेर जिले की पेयजल की समस्या पर बहुत विपरीत असर पड़ने वाला है। इसलिये मंत्री महोदया, मुझे उम्मीद है कि इस बारे में आप विशेष ध्यान देंगी।

सभापति महोदय, मैंने अक्सर देखा है कि सिंचाई विभाग के पास आजकल कोई काम-काज नहीं है और इनके कर्मचारी दफ्तरों में बैठकर ताश खेलते रहते हैं। हमारे अजमेर जिले के अंदर 28 जे.ईएन. और 10 ए.ईएन. हैं वह क्या करते हैं कुछ पता नहीं चलता। मेरा निवेदन है कि जिला परिषदों में, पंचायत समितियों में जे.ईएन. की और ए.ईएन. की इस वक्त बहुत ज्यादा मांग है क्योंकि उसकी वजह से नापजोख नहीं होता और तत्काल नापजोख नहीं होता है तो उनको टाइम से पेमेंट नहीं होता। यह अकाल राहत मंत्री जी ने कहा था कि जैसे ही हफ्ता बीतेगा उसके पहले पखवाड़े में उसका पेमेंट कर दिया जाएगा। पहले पखवाड़े में एक जे.ईएन. और दो जे.ईएन. पंचायत समिति में रहने से पेमेंट होना संभव नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि सिंचाई विभाग के जे.ईएन. बेकार बैठे हुए हैं उनमें से जे.ईएन. ऑन डेपुटेशन इन जिला परिषदों और पंचायत समितियों में भेजें ताकि वहां काम ठीक ठाक हो जाये।

अब एक लास्ट बात कहकर मैं अपनी बात खतम करता हूं। अकाल के अंदर हमारे जिले में जिला कलेक्टर ने जितने भी सिंचाई विभाग के अपूर्ण काम थे उन कामों को प्राथमिकता के आधार स्वीकृत किया और हम भी यह चाहते थे कि पिछली फेमिन के टाइम में लाखों, करोड़ों रुपये सरकार के लग गये तो यह काम होने चाहिये। वह स्वीकृति हुई कम से कम 20 दिन हो गये। हमारे जो मजदूरों की सीमा थी सिंचाई के कार्य मंजूर हो जाने की वजह से उसके अंदर समायोजित हो गई। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उन सिंचाई के कार्यों में जो स्वीकृत हुये हैं एक भी काम चालू नहीं हुआ। सभापति महोदय, सिंचाई विभाग के कर्मचारी और अधिकारी कहते हैं कि हम तो यह काम करना ही नहीं चाहते। हमने कहा, क्यों नहीं करना चाहते हो, तो वे यह कहते हैं कि सामग्री

(श्री रमजान खान)

के केवल 25 प्रतिशत पैसे मिलते हैं। सामग्री का 25 प्रतिशत मिलने के कारण सिंचाई विभाग का कोई भी काम पूर्ण कराना असम्भव है। अब इस बारे में मंत्री महोदया आपको निर्णय करना है कि 25 प्रतिशत सामग्री के ऊपर ही आपका विभाग काम करेगा या 25 प्रतिशत को आप और ज्यादा बढ़ायेंगे। अगर यह बढ़ता है तो उसके बाद ही यह काम होगा। 20 दिन हो गये सिंचाई विभाग के जितने कार्य मंजूर हुए उसमें जितनी लेबर समायोजित की गई है, जो हमारे अजमेर जिले के अंदर सीमा मिली है उसके अंदर यह समायोजित होगी। वह लेबर लगी नहीं है इसके लिये भी आप थोड़ा विचार करें। अगर सिंचाई विभाग और पी.डब्ल्यू. डी. के लिये सामग्री की राशि का रेशो बढ़ता है तो फिर ग्राम पंचायतों में भी उसी तरह सड़क और एनीकट का काम होता है तो उनका भी इसी तरह रेशो बढ़ना चाहिये।

श्री सभापति : कृपया समाप्त कीजिये, बहुत हो गया, कृपया समाप्त कीजिये। नहीं बहुत लंबी लिस्ट है। आपने बहुत संजीदा सुझाव दिये हैं। (व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी।

श्री रमजान खान : आपने मुझे समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री देवीलाल बैरवा : सभापति महोदय, हमारे सदस्य कह रहे हैं कि सिंचाई विभाग में ए.ईएन., जे.ईएन. काम नहीं कर रहे हैं। (व्यवधान) 25 प्रतिशत पर काम नहीं कर रहे हैं। (व्यवधान) नहरों के अंदर मिट्टी भर गई है, नालों में गार निकली है, इस प्रकार सिंचाई विभाग वाले कच्चा काम कर रहे हैं। (व्यवधान) अगर कच्चा काम सिंचाई विभाग वाले नहीं करायें तो पंचायत समिति में और जिला परिषद में डेपुटेशन कर देना चाहिए।

श्री सभापति : माननीय सदस्य आपको समय मिलेगा, कृपया समाप्त करें।

श्री रतन लाल ताम्बी (जहाजपुर) : सभापति महोदय, हम आज मांग संख्या 46 सिंचाई के संबंध में चर्चा कर रहे हैं। जल ही जीवन है इस मान्यता को हम सार्थक रूप से स्वीकार करें। राजस्थान देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश के बाद दूसरा ऐसा प्रदेश है, 342.52 लाख हैक्टेयर क्षेत्र इसमें आता है। उस प्रदेश में प्राकृतिक रूप से नदी और नालों की बहुत बाहुल्यता है। यद्यपि प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही हमारे प्रदेश क़ी आजादी के बाद बनी सरकार ने राजस्थान की सूखी धरती को शस्यश्यामला बनाने के योजनाबद्ध प्रयास किये हैं।

(15.00 बजे)

उसके परिणामस्वरूप जहां 4 लाख हैक्टेयर जमीन पहले सिंचित होती थी वहां पर लगभग 280 लाख हैक्टेयर के लगभग सिंचाई होना इस बात का सीधा जवाब है कि राज्य सरकार क़िसानों की भलाई, उत्पादन बढ़े और राजस्थान की गरीबी मिटे, उस दिशा में काम करने का सोच रखती थी।

सभापति महोदय, अरावली पर्वत माला के आधार पर 2 क्षेत्रों में हमारा विभाजन

(श्री रतन लाल ताम्बी)

होता है। एक क्षेत्र उत्तर और पश्चिम की ओर, जिसको थार, मारवाड़ और पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र हम कह सकते हैं। दूसरा, पूर्वी, दक्षिणी जो भाग है उसमें बनास, चम्बल, गम्भीरी तथा इस प्रकार की दूसरी छोटी-मोटी नदियां हैं। उत्तर-पश्चिम में लूणी बेसिन और यह बनास और चम्बल का बेसिन हमारे पास मौजूद है। हमारे प्रदेश में 158.6 लाख एकड़ फीट पानी सतही है। जो देश के कुल सतही पानी का 1.16 प्रतिशत है जिसमें 88.9 लाख एकड़ फीट का विभिन्न वृहत, मध्यम और लघु सिंचाई योजनाओं के माध्यम से हम अब तक उपयोग कर चुके हैं और 46.4 लाख एकड़ फीट की योजनाएं राज्य सरकार ने या सिंचाई विभाग ने चिन्हित कर ली हैं। इसके बाद भी 30.3 लाख एकड़ फीट पानी के उपयोग की योजनाएं अभी हमारे प्रदेश में बनना शेष है। हमारे यहां संसाधनों की कमी और वर्तमान प्रक्रिया में योजनाओं के सर्वेक्षण में जितना विलम्ब, जितना विशेषज्ञों का पूरा उपयोग इसमें होना चाहिए वह नहीं हो पाने से राजस्थान इस दिशा में आज तक काफी पिछड़ा हुआ है। खास तौर से दक्षिणी और पूर्वी राजस्थान में पानी की जितनी मात्रा मौजूद है, उसका हम उपयोग कर नहीं पा रहे हैं। मेरा ऐसा अनुरोध है कि एक मास्टर प्लान की बात मैं हर बार कहता हूं। इन प्रदेश के जिन हिस्सों में योजनाएं बन सकती हैं, उसका मास्टर प्लान बनाकर एक योजनाबद्ध तरीके से इन योजनाओं को हम कैसे क्रियान्वित कर सकते हैं, अपनी योजनाओं के माध्यम से, इस दिशा में सोचने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज राजस्थान की सरकार ने खास तौर से जून, 1999 में मध्य प्रदेश की सरकार से चम्बल बेसिन में जो पानी उपलब्ध है, उसके लिये हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्रीजी ने, हमारे प्रदेश की सिंचाई मंत्रीजी ने मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारियों के साथ वार्ता करके एक बहुत बड़ा जो फैसला किया है वह राजस्थान के सिंचाई क्षेत्र में बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। उस फैसले के अन्तर्गत 2.33 लाख हैक्टेयर सिंचाई क्षेत्र राजस्थान में 3 वृहत और 16 मध्यम सिंचाई योजनाओं के माध्यम से सृजित हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। इसके अलावा भी राजस्थान सरकार ने विश्व बैंक के माध्यम से राजस्थान वाटर रिसोर्सेज कंसोलिडेशन प्रोजेक्ट, जो लगभग 1800 करोड़ रुपये का है, उसको बनाया है जिससे राजस्थान में सिंचाई योजना का विकास और उसमें किसानों की भागीदारी के माध्यम से साढ़े 7 लाख हैक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई बढ़ने की संभावना व्यक्त की गयी है। इसी प्रकार जो चम्बल नदी की बात मैं कह रहा था कि भरतपुर क्षेत्र में 500 करोड़ रुपये की एक चम्बल लिफ्ट योजना का शुभारम्भ भी पिछले दिनों मुख्य मंत्रीजी ने किया है। मैं समझता हूं कि इस सरकार ने, राजस्थान की अकाल और भूख से जूझने वाली जनता के लिये बहुत दूरदर्शिता के साथ ये दोनों निर्णय किये हैं, दोनों क्या तीनों कह सकते हैं, मध्य प्रदेश सरकार से समझौता करके भरतपुर क्षेत्र में चम्बल नदी से लिफ्ट इर्रिगेशन लगाकर, राजस्थान वाटर रिसोर्सेज कंसोलिडेशन

(श्री रतन लाल ताम्बी)

प्रोजेक्ट विश्व बैंक के माध्यम से बनाकर, इससे राजस्थान में निश्चित रूप से सिंचाई क्षेत्र में बहुत बड़ी प्रगति होगी ऐसा मेरा मानना है।

मैं इस मौके पर इसी संदर्भ में निवेदन करना चाहता हूं, अभी बीसलपुर बांध की बहुत चर्चा चल रही थी। बरसात की कमी के कारण समस्या ज्यादा आ रही है। फिर भी मेरा यह मानना है कि राजस्थान में चम्बल के बाद बनास नदी है। जैसे आज सुबह चर्चा आयी थी कि बनास नदी में 6 जिले इसके अन्तर्गत आते हैं, 7 मान लीजिये, टोंक सहित। सर्वाधिक 9691 वर्ग किलोमीटर भीलवाड़ा जिले का क्षेत्र आता है, उसके बाद राजसमन्द में 4264, चित्तौड़गढ़ का 6675, अजमेर का 4620, उदयपुर का 2045 और टोंक का 431 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र इसके अन्तर्गत आता है। मान्यवर, पानी सामने जाता है, लोग देखते रहें, उनकी धरती प्यासी भी रहे और वे भी प्यासे रहें, यह एक विडम्बना है। यह सही है कि इस केचमेंट में रियासतों के जमाने से भी कई बड़े-बड़े तालाब बने हुए थे, उसके बाद राजस्थान की सरकार ने भी कई परियोजनाएं, तालाब, बांध बनाये और उन सबका यदि हम विश्लेषण करें तो बीसलपुर बांध का जो सर्वेक्षण हुआ था और योजना कार्यान्वित हुई है, उसके बाद उस सारे केचमेंट के क्षेत्र की परियोजनाओं में, बांधों में काफी सिल्ट जमा हो गयी है। इसलिये वह सारा आधार लेकर हम, इन छहों-सातों जिलों में अधूरी सिंचाई योजनाएं हैं, एनीकट्स हैं। और मैं कह सकता हूं कि बीसलपुर से पहले भी कई प्रोजेक्ट्स सिंचाई विभाग में सर्वे वगैरह में लम्बित थे। तो आज उस नाम पर इन सातों जिलों की जनता के साथ खिलवाड़ हो, न्याय नहीं हो तो यह भी सोचने का एक विषय है। क्योंकि जल का संकट इतना हो गया है, हम लोगों के सामने गांव में जाते हैं, एनीकट की, बांध की इतनी मांग होती है, वे कहते हैं वर्षों से आपकी योजनाएं क्यों पूरी नहीं हो रही हैं। जवाब देना मुश्किल है। इसलिये राजस्थान की सरकार को पेयजल के नाम पर, उस जिले के जो केचमेंट में आते हैं, वहां पर पेयजल की समस्या को अनदेखी करना आज की स्थिति में उचित नहीं है। इसलिये, चाहे चम्बल नदी का जो प्रोजेक्ट आधुनिक राजस्थान के निर्माता मोहन लाल जी सुखाड़िया और तत्कालीन सिंचाई मंत्री रामप्रसाद लड्ढा के समय इसका प्रारम्भिक सर्वेक्षण हुआ था और यह माना गया था कि अजमेर जिला, भीलवाड़ा, टोंक, जयपुर, सवाई माधोपुर ऐसे 8-10 जिलों की सिंचाई की समस्याओं का इससे निदान हो सकता है। उस जमाने में सिंचाई की बात ज्यादा सामने आती थी। और मेरा यह मानना है कि इतना पानी चम्बल में मौजूद है और इतना जा रहा है, इसलिये राजस्थान की सरकार को सिंचाई के साधन और माध्यम से बढ़ सकें वह भी, और साथ में पेयजल भी इस माध्यम से बढ़ सकें, इस बारे में भी आज सोचने की आवश्यकता, प्रासंगिक और आवश्यक हो गयी है। मेरा इस मौके पर यह निवेदन है कि इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जब तक हम लोग इस बारे में

(श्री रतन लाल ताम्बी)

कारगर ढंग से प्रयत्न नहीं करेंगे तो आने वाला समय इतना गम्भीर होगा कि हम सबके लिये समस्या जटिल होती जाएगी। इस मौके पर मैं, मास्टर प्लान की बात मैंने कही है, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, अधूरी सिंचाई योजनाएं विभाग में इतनी लम्बित हैं जिसके लिये किन्हीं-किन्हीं कारणों से समय बहुत निकलता है और उसकी निर्माण लागत बढ़ती है। इसलिये इन योजनाओं के बारे में खास तौर से पूरी करने का भी एक योजनाबद्ध कार्य निश्चित रूप से, प्राथमिकता से बनाना आवश्यक है। सिंचाई विभाग के पास, पिछले वर्षों की स्थिति को हम देखें तो फण्ड्स की बहुत कमी है। क्योंकि योजनाओं की लागत बढ़ गयी और इसलिये आज स्टाफ जो इनके पास भारी भरकम है उस स्टाफ का, मैन पावर का पूरा उपयोग विभाग नहीं कर पा रहा है। इसलिये इस मौके पर मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, जो योजनाएं अधूरी हैं जिनका सर्वेक्षण करना है, जो और भी प्रस्तावित हैं, वर्तमान स्टाफ की उपलब्धता को देखते हुए इन योजनाओं को सर्वेक्षण की दृष्टि से सिंचाई विभाग को, खास तौर से इन दोनों में ध्यान देने की आवश्यकता है।

श्री समापति : अब खत्म करिये आप।

श्री रतन लाल ताम्बी : मैं एक सुझाव और देकर सिंचाई की बात समाप्त करना चाहता हूं और वह सुझाव यह है कि हर दस किलोमीटर की दूरी पर बनास नदी पर यदि हम एनीकट्स बनायें और वे एनीकट्स आजकल एक नई पद्धति से अण्डरग्राउण्ड बन सकते हैं, जिससे उस क्षेत्र में जो सूखा और खराब स्थिति है उसका लाभ जनता को मिल सके। मैं समझता हूं कि इस दिशा में भी राजस्थान की सरकार को खास तौर से ध्यान देने की आवश्यकता है।

अब मैं मांग संख्या-8 राजस्व पर, समय को देखते हुए कुछ और विचार सिंचाई पर व्यक्त करना था, छोड़ते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की जो कांग्रेस की सरकार वर्तमान में है, इस कांग्रेस की सरकार को राजस्थान के किसानों का जन-समर्थन सामंतवादी राजाशाही के संघर्ष के बाद इस आधार पर मिला था कि किसान उसके साथ जुड़ा था, कि वह हमको, प्रगतिशील नीतियों और कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों को आगे बढ़ाया जाएगा। मैं कहना चाहता हूं, राजस्थान का इतिहास कभी भुला नहीं सकता। राजस्थान में भू-स्वामी संघ के आंदोलन बहुत बढ़े हुए थे। उसका सारा अर्थ यह था कि राजस्थान में काश्तकारी अधिनियम जो एक प्रगतिशील राजस्थान की कांग्रेस सरकार लायी थी और सीलिंग के माध्यम से राजस्थान में हजारों एकड़ भूमि जो कुछ लोगों के पास थी, उसको सीलिंग के माध्यम से किसान तक पहुंचाने का बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम इस सरकार ने उठाया था। दुर्भाग्य से पिछले इन आठ-दस सालों में सीलिंग कानून का राजस्थान में जितनी बार अमेंड करके पिछली सरकार ने जो एक +++ जिसके

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री रतन लाल ताम्बी)

आधार पर राजस्थान में सीलिंग के मामलों पर पुनरावलोकन किया। और सभापति महोदय, इतने बड़े-बड़े मामलों में, बड़े-बड़े भू-स्वामियों को जो जमीन, जो किसान को मिल सकती थी वह लौटाने का काम करके एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य इतिहास उन्होंने वापस बनाया। प्रगति की ओर बढ़ता राजस्थान इससे पीछे हटा है। इसलिये मेरा यह निवेदन है, मैं बधाई देना चाहता हूं पिछली सरकार में भी जो रेवेन्यू सैक्रेटरी थे, उन्होंने इस मामले में, कई मामले आये थे, और मामलों में एक बार निर्णय कर दिया गया था उनका उन्होंने पुनरावलोकन करके वह सारे सीलिंग के मामलों को रद्द किया था। रद्द करने के बाद भी तत्कालीन सरकार ने उनको लटकाये रखा। मैं व्यक्तिगत उदाहरण देना नहीं चाहता हूं। मामले इतने गम्भीर थे और इतने विस्तार से अगर वर्तमान सरकार पुनर्विचार करे तो राजस्थान के हजारों लोगों को इससे लाभ मिल सकता है।

मैं इस मौके पर राजस्थान नहर के बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। बड़ी तादाद में आज वहां जमीन उपलब्ध है। उस जमीन को आज सर-सब्ज करने और उसको विकसित करने की बड़ी आवश्यकता है। राजस्थान नहर को अगर यह राजस्थान की सरकार और खास तौर से मुख्य मंत्री महोदय और सिंचाई, राजस्व मंत्री महोदया को यह सुझाव देना चाहता हूं कि राजस्थान नहर में इतनी बड़ी तादाद में जमीन है, उसमें गरीबी की रेखा के नीचे जो परिवार हैं, आप एक मुरब्बा देने की बात छोड़िये, आप पांच-पांच एकड़ जमीन ऐसे लोगों को देकर और वाजिब कीमत में उनकी व्यवस्था करें तो काफी लोगों को लाभ होगा और सरकार को भी आमदनी होगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

साहब, मैंने तो राजस्व शुरू ही किया है, थोड़ा-सा निवेदन करूं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो बांध के बांधने वाले और गरीब तबके के लोगों ने उस समय खून-पसीना एक करके उसे बनाया था, उन लोगों को और छोटे भूमिहीन काश्तकार हैं, उनको एक मुरब्बा के बजाए चाहे आप उनको पांच-पांच एकड़ जमीन उपलब्ध कराये और उन लोगों को विकसित करके स्थाई रूप से वहां बसाने की बात सोचें, ऐसा मेरा निवेदन है।

राजस्थान में संसाधन बढ़े इसकी चर्चा बहुत होती है। मैं इस बारे में पहले भी निवेदन कर चुका हूं और फिर निवेदन करना चाहता हूं, खास तौर से मंत्री महोदया इसमें गौर फरमायें कि आपके राजस्थान केनाल क्षेत्र में अभी करोड़ों रुपये की लागत के शीशम के वृक्ष हैं। मैं करोड़ों रुपये की बात कह रहा हूं। वे आपके आज बड़ी तादाद में लोग काटकर ले जा रहे हैं। चोरी हो रही है। राजस्थान की सरकार उनको एक साथ नीलाम करे तो मेरा ऐसा मानना है कि 500 करोड़ रुपया तो एक साथ खजाने में आ जाएगा। मैं गलत नहीं कर रहा हूं, आप मालूम कर लीजिये। और इसके साथ मेरा यह भी सुझाव है, उसी

(श्री रतन लाल ताम्बी)

धरती पर जो नौजवान बेरोजगार हैं उनको आप थोड़ी जमीन दीजिए, जमीन का मतलब अलाट नहीं करना है, वे सिर्फ अस्थाई तौर से शीशम के वृक्ष लगाये और उनकी पालना करें। वे उनको ले जाएं, मेहनत के तौर पर, परीक्षण के तौर पर, देखभाल करने के आधार पर, इस मामले को आप देखेंगे ऐसा मेरा मानना है जिससे सुविधा हो सकती है। आप सबको यह भी मालूम है कि राजस्थान का किसान ज्यादा पढ़ा-लिखा नहीं होता है और राजस्व विभाग ऐसा विभाग है जो धरती और किसान से सीधा संबंधित है। संवेदनशील विभाग की बात सोचने के लिए राज्य सरकार ने बहुत अच्छी बात की है, नागरिक अधिकार पत्र देकर। इस नागरिक अधिकार पत्र में समयबद्ध नकलें देने की बात की है और सारे किसानों की भलाई की बातें उसमें की गयी हैं। उसकी क्रियान्विति जिस ढंग से होनी चाहिए, अभी मुझे होती प्रतीत नहीं हो रही है। मैं चाहूंगा राजस्व मंत्री महोदया, इसको कारगर ढंग से लागू करके एक शानदार फैसला राज्य सरकार ने किया है, उसका राजस्थान के किसानों को लाभ मिले।

श्री सभापति : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री रतन लाल ताम्बी : कर रहा हूं, साहब। मैं समाप्ति की ओर ही बढ़ रहा हूं।

श्री सभापति : नहीं, कृपया समाप्त करिये।

श्री रतन लाल ताम्बी : सूचना का अधिकार भी इसमें है। उसके बाद सूचना के अधिकार की बात भी जो कही है, यह भी एक पारदर्शी सरकार की अच्छी उपलब्धि है और इन सबको हम लागू किस तरह से कर सकते हैं, इस दिशा में देखने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, आज चारागाह की चर्चा आयी थी। चारागाह में अतिक्रमण, सरकारी जमीनों में अतिक्रमण करना, सड़कों के किनारे सरकारी जमीनें है उसमें लोग आगे बढ़े हुए हैं, इस संबंध में जब तक जवाबदेही निश्चित नहीं की जाएगी, कानून में आपने प्रावधान किया एक बार पिछली सरकार के टाइम यह प्रश्न चला और 45 मिनट तक उसमें चर्चा हुई थी। आप उसमें मौजूद थे। सभापति महोदय, पटवारी और उस पर जुर्माना और सजा की बात, उसमें प्रावधान की हुई है पर हमारी जो मशीनरी आज की है, उसमें सबको जानकारी होते हुए भी न तो किसी को कोई सजा होती है न कोई जुर्माना होता है। यह किस तरह से कारगर ढंग से होगी ? मवेशी बोलता नहीं है। उसकी कैसे व्यवस्था ठीक प्रकार से हो सकें, इसके लिये वर्तमान व्यवस्था में और पंचायती राज में, इस बारे में कुछ निर्देश दिये हैं, कुछ बात कही है पर वह लागू नहीं हो पाती है, उस बात को भी आप खास तौर से देखेंगे। पास-बुक के बारे में..... (व्यवधान)

श्री सभापति : अब समाप्त कीजिए।

श्री रतन लाल ताम्बी : एक डेढ़ मिनट में खत्म कर रहा हूं, बिलकुल इसी नतीजे पर हूं।

श्री सभापति : डेढ़ मिनट से माननीय सदस्य 20 मिनट हो गये, डेढ़ मिनट में।

श्री रतन लाल ताम्बी : मेरे क्षेत्र की दो-चार मांग रह जाएगी साहब, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। मैं निवेदन यह कर रहा हूं कि यह पास बुक का जो मामला है, इसमें नक्शा वगैरह देकर पहले जो सुविधा थी, उसको पूरी तरह से लागू नहीं किया, पास-बुक पहले देते हैं, नक्शा उसमें नहीं बनता है, दलितों की भूमि पर नाजायज कब्जे सवर्ण लोगों के, वह समस्या भी गंभीर है। और आपकी माफी की जमीन, जैसे एक अखबार में कुछ दिनों पहले आया कि फलौदी क्षेत्र में 1600 बीघा माफी की जमीन को बिना नाम करके कुछ लोगों को अधिकारियों ने मिलकर वितरण कर दी तो यह सारी बातें आज देखने की आवश्यकता है।

अब मैं अपने क्षेत्र की बात आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेवाड़ के समय जहाजपुर एक जिला हैडक्वार्टर था। जिला हैडक्वार्टर था।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, परिस्थिति को देखते हुए आप समाप्त कीजिये। आसन की भी मजबूरी को समझें।

श्री रतन लाल ताम्बी : साहब, एक डेढ़ मिनट में खत्म ही कर रहा हूं। मामला ही अंतिम है। एक डेढ़ मिनट में खत्म कर रहा हूं। मैं यह निवेदन अपने क्षेत्र के बारे में कर रहा हूं कि जहाजपुर मेवाड़ गवर्नमेंट के समय जिला हैटक्वार्टर था। वहां पर हाकिम रहते थे। (व्यववधान)

श्री जगत सिंह दायमा : सभापति महोदय, मैं....(व्यवधान)

श्री सभापति : आपको इजाजत नहीं दी है, आप बैठिये। आपको इजाजत नहीं है। आपको इजाजत नहीं है, विराजिए आप।

श्री जगत सिंह दायमा : दलित की जमीन पर जो कब्जे की बात कही है, उसके ऊपर सरकार को ध्यान देना चाहिए।

श्री सभापति : बीच में मत बोलिए माननीय सदस्य, वह सब जानते हैं, विराजिए।

श्री रतन लाल ताम्बी : मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि जहाजपुर इलाका भीलवाड़ा जिले से सबसे दूर स्थित है। मेवाड़ के समय वहां के महाराणा और बाद में राजस्थान सरकार के समय उस क्षेत्र का बहुत महत्व था। जिला हैडक्वार्टर था। वहां बड़े-बड़े हाकिम रहते थे। राजस्थान के दो-तीन चीफ-सैक्रेटरी वहां रहे हुए थे। हाकिम उस जमाने में रहते थे। आज उस क्षेत्र में केवल मात्र तहसील है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं राजस्व मंत्री महोदया से, आप स्वयं भी उस इलाके में घूमकर आयी हैं, बहुत बड़ा इलाका है। हमारा उपखण्ड जहाजपुर अलग से होना चाहिए। ए. सी. एम. कोर्ट, सबसे अधिक मुकदमें वहां के हैं, दूसरे न्यायालय में जाना पड़ रहा है। पिछली गवर्नमेंट में बहुत वर्षों पहले था इसलिए वापस उसको किया जाना चाहिए और इसके अलावा एडिशनल तहसील, नायब तहसील और कुछ.......(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीया श्रीमती विजयलक्ष्मी। आप समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य।

श्री रतन लाल ताम्बी : गिरदावर सर्कल करने की जो मांग है उस पर मंत्री महोदया, कटौती प्रस्ताव के माध्यम से मैंने अनुरोध किया है, उस पर भी निश्चित रूप से ध्यान जाएगा। आपने समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति : बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती विजयलक्ष्मी विश्नोई (सूरतगढ़) : माननीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या-8 और 46 के तहत गंगानगर जिले एवं सूरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र की विभिन्न राजस्व, उपनिवेशन एवं सिंचाई समस्याओं के बारे में अपने विचार रखना चाहती हूं और आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया का इन समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं।

जैसा कि आपको मालूम है कि सूरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र एक बहुत ही विशाल क्षेत्र है और इसमें तीन प्रकार की भूमियां हैं। एक तो नाली सिंचित, एक नहरी सैण्डीलूम और एक बारानी और इसी प्रकार यहां तीन प्रकार के राजस्व कानून भी हैं। प्रथम तो वह क्षेत्र है जहां उपनिवेशन आवंटन नियम, 1975 लागू है, जिसके तहत विजय नगर, अनूपगढ़, रावला, घड़साना एवं सूरतगढ़ के टीबा इलाके के गांव हैं, जैसे मोकलसर, राजियासर, बिरधोल, उदयपुर, मालेर आदि। दूसरा, वह क्षेत्र है जो उपनिवेशन कानून के बाहर है उसको आउट आफ जोन एरिया कहा जाता है और यहां पर सिंचाई की जो संभावना है, वह शून्य है। इसमें सूरतगढ़ के टीबा क्षेत्र के लधेर, सांवतसर, भोजूसर, बछरारा, करड़ू आदि गांव हैं। तीसरा, सूरतगढ़ कस्बे के उत्तर और पश्चिम की ओर भाखड़ा द्वारा सिंचित क्षेत्र है और यहां भाखड़ा का कानून लागू होता है।

सर्वप्रथम मैं राजस्व के बारे में अपने विचार रखना चाहूंगी, समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। जहां उपनिवेशन कानून लागू है वहां 1965 से 80 के बीच में भारी संख्या में हमारी सरकार ने हजारों भूमिहीन किसानों को टी.सी. यानि टेम्परेरी कल्टीवेशन पर भूमि आवंटित की। इस भूमि का पुख्ता आवंटन 1980 से 85 के बीच में एक बार किया गया। इसके पश्चात् आज तक इसका पुख्ता आवंटन नहीं किया गया है और 1988-99 में इसके आवेदन मांगे गये लेकिन फिर भी इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। इससे किसानों में भारी असंतोष है और हमारी सरकार को राजस्व से वंचित होना पड़ रहा है। इससे करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है।

उपनिवेशन क्षेत्र में 1955 तक जो लोग खातेदार दर्ज थे, वह उपनिवेशन कानून लागू होने पर गैर-खातेदार घोषित कर दिये गये। हमारी सरकार ने नियम 15 ए को संशोधित कर इसके लिए 15 एएए बनाया ताकि तहसीलदार स्तर पर जो खातेदारी हक है, हमारे उन किसान भाइयों को वह स्वतः ही दे दिया जाए और यह प्रक्रिया स्वतः ही पूर्ण हो जानी चाहिए थी। लेकिन आज तक यह प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई

(श्रीमती विजयलक्ष्मी विश्नोई)

है। हमारे किसान भाई गरीब, असहाय और अनपढ़ हैं, वह आवेदन नहीं कर सकते और सिर्फ प्रभावशाली किसानों ने आवेदन किये हैं तो सरकार को यह कार्यवाही पूर्ण करनी चाहिए।

इसी प्रकार मेरे विधान सभा क्षेत्र में काफी ऐसी भूमि है जो वन विभाग के लिए आवंटित या प्रस्तावित थी, लेकिन उपनिवेशन विभाग ने इसे भूमिहीन काश्तकारों को विशेष आवंटन एवं जो स्माल पेच आवंटन के तहत यह भूमि आवंटित कर दी। इसकी कीमत हमारी सरकार ने वसूल कर ली और खातेदारी हक भी दे दिया है, कई किसानों को। लेकिन आज इस रकबे को हमारे जिला कलेक्टर ने निरस्त कर दिया है। मैं चाहूंगी कि हमारी डबल अलॉटमेंट की श्रेणी में जो यह भूमि आती है, इस पर सरकार ध्यान दे और काश्तकारों की जो समस्याएं हैं, उनका निराकरण करे। इसके सिवाय सरकार के पास इस क्षेत्र में चकों में हजारों बीघा भूमि आवंटन के लिए, विशेष आवंटन के लिए पड़ी हुई है और उस पर अतिक्रमण हो रहा है। मैं यह कहना चाहूंगी कि शीघ्र इसका विशेष आवंटन किया जाए, क्योंकि गजट में भी 1988 में यह जो भूमि पड़ी हुई है, वह आ चुकी है और इसका विशेष आवंटन किया जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसी भूमि भी है जैसा कि पीलीबंगा से आने वाले माननीय विधायक ने बताया था कि वह पुख्ता आवंटित है, लेकिन विशेष आवंटन की सूची में आ गयी है तो उसे डिनोटिफाई करने की जरूरत है ताकि हमारे किसान भाइयों को इस समस्या का सामना नहीं करना पड़े।

सूरतगढ़ के ही सीलबानी, अमरपुरा, पदमपुरा, हरदासवाली, माणकसर आदि गांव हैं जहां आज भी भूमि खसरों में पड़ी है और इसी वजह से यहां पर आये दिन झगड़े और वाद-विवाद होते हैं तो इस भूमि की चकबन्दी और किलाबन्दी की जानी चाहिए ताकि हमारे किसान भाइयों को राहत मिले, क्योंकि आज की तारीख में जो सशक्त काश्तकार हैं, वह गरीबों को निम्न स्तर की भूमि पर ढकेल देते हैं क्योंकि यहां पर चकबन्दी और किलाबन्दी होती नहीं है।

जो क्षेत्र वर्षा पर निर्भर है, आउट आफ जोन है, उसे उपनिवेशन क्षेत्र के बाहर माना जाना चाहिए और उसे अलग दर्जा दिया जाना चाहिए।

इसी प्रकार बालिग पुत्रों के अधिकार संबंधी कई फाइलें पेन्डिंग पड़ी हैं, इनका भी शीघ्र निस्तारण करना बहुत जरूरी है।

एक और बात मैं मंत्री महोदया को आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि समस्त राजस्थान में किसानों को खातेदारी हक एस.डी.एम. देते हैं लेकिन केवल गंगानगर जिले में अलग मापदण्ड हैं और यह खातेदारी हक हमारे कलेक्टर महोदय देते हैं। इससे किसानों को समय भी खर्च करना पड़ता है, पैसा भी खर्च करना पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर पर जाना पड़ता है और इस कार्यवाही में उनसे कई बार पैसे वसूले जाते हैं। मैं मंत्री महोदया से निवेदन करूंगी आपके माध्यम से, कि यहां पर भी पूरे

(श्रीमती विजयलक्ष्मी विश्नोई)

राजस्थान जैसा मापदण्ड रखते हुए खातेदारी हक देने का अधिकार एस.डी.एम. को दिया जाए।

मूल निवास प्रमाण-पत्र की बात है। यह कार्य एस.डी.एम. के अधिकार क्षेत्र में आता है लेकिन यह बहुत जटिल प्रक्रिया है और हमारे जो किसान भाई हैं, वहां के वाशिन्दे हैं, उन्हें जगह-जगह घूमना पड़ता है तो यह जो अधिकार है वह तहसीलदार को अगर दे दिया जाए तो लोगों को कम समय बरबाद करना पड़ेगा और आसानी से मूल निवास प्रमाण-पत्र प्राप्त हो सकेगा।

अब मैं सिंचाई की समस्याओं की ओर हमारी मंत्री महोदया का ध्यान आपके माध्यम से आकर्षित करना चाहूंगी। हमारे पीलीबंगा क्षेत्र के जो विधायक हैं, उन्होंने एक समस्या के बारे में आपसे निवेदन किया था। सूरतगढ़ क्षेत्र में सेम की जो समस्या है, निरन्तर इसका प्रकोप बढ़ता जा रहा है। सूरतगढ़ कस्बे में भी सेम का प्रकोप बढ़ रहा है और हजारों बीघा भूमि सेम की चपेट में है। कई गांव हैं, जैसे लाडाना है, संगीता है, यहां पर किसानों के घर हैं वह ढह चुके हैं। उन्होंने डी.आर.डी.ए. से लोन लेकर नलकूप यानि ट्यूबवैल खुदवाए थे, वह जलमग्न हो चुके हैं और उनके पास पैसा नहीं है कि वह उन किश्तों को चुकाए। इनको या तो मुआवजा मिलना चाहिए या इनकी समस्या का समाधान शीघ्रातिशीघ्र करना चाहिए।

इसी प्रकार सूरतगढ़ ब्रांच में 268 आर.डी. हैड से 337 आर.डी. हैड तक सेम आ रही है और इसमें नहर टूटी-फूटी है। इसका बैल्ट क्षतिग्रस्त है और पानी का लेवल जमीन से एक-दो फुट ही रह गया है दोनों तरफ के किनारों पर कई किलोमीटर तक। मैं यह चाहती हूं कि इस सेम की समस्या की ओर ध्यान दें। वैसे मैं मंत्री महोदया को धन्यवाद देती हूं कि सेम की समस्या के निराकरण के लिए इन्होंने एक कमेटी का गठन किया है और मैं समझती हूं कि शीघ्र ही इस समस्या की कोई न कोई योजना बनायी जाएगी और हमारे जो पड़ौसी राज्य हैं इनमें इस समस्या से काफी नुकसान हुआ है और हमको इनसे लाभान्वित होना चाहिए और यहां पर सेम नाले और उच्च शक्ति के नलकूप बनाकर इस समस्या से निपटना चाहिए और जो फालतू पानी है, उसको टीबा वाला क्षेत्र, जो बारानी क्षेत्र है, उसको सिंचित करने में काम में लेना चाहिए।

घग्घर फ्लड कंट्रोल प्रोजेक्ट के मध्य में एक पक्की चैनल बनायी जा सकती है जिसमें जब घग्घर की बाढ़ आए तो पानी को साइफन द्वारा डाला जाए ताकि विजयनगर और सूरतगढ़ के क्षेत्र के जो किसान हैं, वह चावल उगा सकें क्योंकि यहां पर चावल की खेती अच्छी हो सकती है।

इसी प्रकार सूरतगढ़ का जो 12 नम्बर डिप्रेशन है, इस डिप्रेशन की वजह से सूरतगढ़ में सेम आ रही है तो 12 नम्बर डिप्रेशन से करणी जी माइनर को जोड़ा जाए, जो गंग नहर की एक वितरिका है तो जी.बी. एरिया के किसानों को अधिक पानी मिलेगा और यह गन्ना प्रधान क्षेत्र है, यहां गन्ने की अच्छी फसल हो सकती है।

(श्रीमती विजयलक्ष्मी विश्नोई)

दो शब्द में इंदिरा गांधी नहर के रेगुलेशन के बारे में भी कहना चाहूंगी। आज की तारीख में जो रेगुलेशन है, वह बिलकुल सही नहीं है क्योंकि इसमें तीन विभाग इन्वाल्व हैं सी.ए.डी., आई.जी.एन.पी. और सिंचाई विभाग। वैसे मैं मंत्री महोदया को बहुत बधाई देती हूं कि उन्होंने एक विधेयक द्वारा सिंचाई प्रबन्ध में किसानों की हिस्सेदारी रखी है और यह बहुत ही सराहनीय कदम है। इससे हमारे रेगुलेशन में काफी सुधार होगा और किसानों की समस्या दूर होगी।

आज का जो रेगुलेशन है उसमें किसान असन्तुष्ट हैं उनकी बारियां कटने से। हम जब भी क्षेत्र में जाते हैं, हमें बार-बार शिकायतें मिलती हैं क्योंकि एक हफ्ता पानी चलता है, बीस दिन नहर बंद की जाती है। अगर नहर मंगलवार को बंद हुई और एक किसान की बारी मंगलवार को थी तो वापस जब नहर आती है तो वह या तो वेनस्डे को आएगी या थर्सडे को, तो उसकी दो बारी कटने की वजह से उसको फिर महीने भर पानी नहीं मिल सकता और उसको बहुत नुकसान उठाना पड़ता है।

अब आजकल नरमा कपास की बुवाई चल रही है। इस दौरान किसानों को पूरा पानी मिलना चाहिए। इसी प्रकार अक्टूबर-नवम्बर में जब नरमा पकने वाला होता है और फरवरी-मार्च में जब गेहूं की फसल पकने वाली होती है तो हमारे किसान भाइयों को पर्याप्त मात्रा में पानी मिलना चाहिए, क्योंकि हाल ही में सरसों और गेहूं की जो फसल थी, पूरा पानी नहीं मिलने के कारण डेमेज हुई और हमारे जो किसान भाई थे, उनको उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। जब पानी चाहिए होता है उस टाइम नहरों में पानी बिलकुल नहीं होता है और जब पानी नहीं चाहिए होता है तो यह फुल चलती है और इतना अनिश्चितता का वातावरण होता है कि किसान को मालूम ही नहीं है कि कब हमको पानी मिलेगा और कब नहीं मिलेगा। जबकि गंग नहर में रेगुलेशन, मैं सोचती हूं, काफी अच्छा है और वहां के किसान अपने उस रेगुलेशन के बारे में भली-भांति वाकिफ हैं। पर मैं सोचती हूं कि अब जो नया विधेयक है जिसमें काश्तकारों की हिस्सेदारी रखी जाएगी उससे काफी फायदा मिलेगा।

दो शब्द में जो पर्ची वितरण, पानी की बारी और मोगे यानि आउट लेट्स हैं नहरों के, उनके बारे में कहना चाहूंगी। सिंचाई विभाग के पटवारी एवं अधिकारीगण हमारे काश्तकारों को पानी की पर्ची बनाने के लिए, पानी की बारी बांधने के लिए और आउट लेट के बारे में काफी परेशान करते हैं। उन्हें जगह-जगह लूटा जाता है और जो आउट लेट्स हैं उनकी हर 6 महीने में छेड़छाड़ की जाती है। कोई भी नया अधिकारी आता है तो वह आउट लेट्स को, जो पैसे वाले किसान हैं वह तो अपने आउट लेट्स बचा लेते हैं या कोई पैसे देकर अच्छी जगह अपना आउट लेट लगा लेते हैं लेकिन जो गरीब है या जो अनुसूचित जाति के हैं, उन पर यह दोहरी मार पड़ती है। इसके लिए मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी

(श्रीमती विजयलक्ष्मी विश्नोई)

कि जो आउट लेट वर्षों से चल रहे हैं वे हर 6 महीने में गलत कैसे हो जाते हैं ? तो इस ओर ध्यान दिया जाय और अधिकारियों की इस बारे में खिंचाई की जाय।

सभापति महोदय, पर्ची वितरण को लेकर भी किसानों की एक सहयोग समिति बनानी चाहिए जो पर्ची का वितरण करे और पानी की बारी है, यह भी निश्चित करे। मैं सोचती हूं कि सिंचाई विभाग के अधिकारियों का जो एकाधिकार है पानी की पर्ची के बारे में उसे समाप्त कर इसे राजस्व विभाग को सौंपना चाहिए ताकि किसानों पर जो दोहरी मार है वह कम हो सके।

सभापति महोदय, सिंचाई की सुविधा मांग रहे हमारे कई किसान भाई हैं जिनकी कागजों में जमीन अनकमांड है लेकिन मौके पर कमांड है। जैसा कि हमारे पीलीबंगा से आने वाले विधायक ने कहा, इनकी जमीन कमांड कर दी जाय तो सरकार को करोड़ो रुपये का राजस्व का फायदा होगा और हमारे किसान भाइयों पर जो अत्याचार हो रहा है, जो विभाग भ्रष्टाचार चला रहा है, उस पर भी अंकुश लगेगा।

सभापति महोदय, बूंद-बूंद सिंचाई योजना जो पिछले बजट के तहत ली गयी थी, इसके बारे में मैं कहना चाहूंगी कि यह बूंद-बूंद सिंचाई योजना पुराने बागों के लिए अनुपयुक्त है क्योंकि इन पेड़ों की जो जड़ें हैं वे दूर तक फैली हुई हैं और इस योजना से इस बूंद-बूंद प्रणाली से यह पेड़ सिंचित नहीं हो सकते और किसानों को इसका ढांचा खड़ा करने में बहुत धन का व्यय करना पड़ेगा। साथ ही यह पेड़ भी सूख जायेंगे। तो यह नये बागों के लिये तो बहुत ही अच्छी योजना है लेकिन पुराने बागों के लिए अनुपयुक्त है। इस पर भी सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए।

सभापति महोदय, हमारे सूरतगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया में रीको द्वारा पानी सप्लाई किया जाता है। अभी जो पानी सप्लाई किया जा रहा है यह खारा है। इसकी वजह से यहां के मजदूरों के स्वास्थ्य में गिरावट आ रही है, मशीनें खराब हो रही हैं जबकि 30 लाख का वाटर वर्क्स यहां पर बन कर तैयार पड़ा हुआ है और सिर्फ सिंचाई विभाग से पानी देने की अनुमति शेष है जिसमें इतना समय लग गया है। मुझे समझ नहीं आता कि किस स्तर पर यह फाइल अटकी हुई है। मंत्री महोदया से आपके माध्यम से अनुरोध करूंगी कि शीघ्र सूरतगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया को नहर से पानी दिया जाय ताकि यह लाभान्वित हो सके और यहां की खारे पानी की जो समस्या है वह खतम हो जाय। इस प्रकार से सूरतगढ़ की जो मुख्य नहर है उससे दक्षिण की ओर टीबा क्षेत्र के लिए सिंगरासर माइनर को निकाला जाय तो मैं सोचती हूं यह अभी जो बारानी इलाका है इसमें पेयजल और सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो सकती है।

नहरों के वृक्षों के बारे में भी आपके सामने निवेदन किया गया था कि नहरों के आस-पास जो सिंचाई विभाग के वृक्ष हैं वो अपनी आयु पूरी कर चुके हैं और इनकी

(श्रीमती विजयलक्ष्मी विश्नोई)

चोरी भी हो रही है और अवैध कटाई भी हो रही है। विभाग भी इनको काट कर बेचता है। इससे सरकार को नुकसान होता है। मैं सोचती हूं कि उन्हें खड़ी अवस्था में ही अगर आक्शन कर दिया जाय तो सरकार को करोड़ो रुपये का लाभ होगा। इस ओर मंत्री महोदया ध्यान दें।

इसके सिवाय सी.ए.डी. के हमारे क्वार्टर्स हैं। जब यह इंदिरा गांधी नहर बनी थी उस समय मेरे क्षेत्र में सूरतगढ़, अनूपगढ़, विजय-नगर इत्यादि में बहुत से सरकारी क्वार्टर्स बनाये गये थे जो आज खंडहर का रूप लेते जा रहे हैं। सूरतगढ़ में कई ऐसे सरकारी दफ्तर हैं वो किराये की इमारतों में चल रहे हैं और सरकार उनका किराया दे रही है। या तो इन दफ्तरों को यह जो सी.ए.डी. के क्वार्टर्स खाली पड़े हैं इनमें तुरन्त शिफ्ट कर दिया जाय या इन क्वार्टर्स को, क्योंकि इनका रख-रखाव नहीं हो रहा है, आक्शन कर दिया जाय ताकि सरकार को राजस्व की प्राप्ति हो और इनको भी खंडहर बनने से बचाया जा सके।

सभापति महोदय, अब ज्यादा समय नहीं लूंगी, केवल दो शब्द आप से तारबंदी के बारे में कहना चाहूंगी। जो भारत पाक सीमा है उसमें तारबंदी की गयी थी, इसके बीच में किसानों की भूमि आ गयी थी उन्हें आज तक इसका मुआवजा नहीं मिला है। अगर मुआवजा नहीं देना चाहते हैं तो इसके बदले में इनको कहीं जमीन दी जाय क्योंकि यह किसान बहुत गरीब हैं, अनुसूचित जाति के हैं और काफी परेशान हैं। तो मंत्री महोदया इस ओर भी ध्यान दें।

अंत में मैं मंत्री महोदया को यह कहना चाहूंगी कि क्योंकि वे कृषक परिवार की हैं और कृषकों की समस्याएं भली भांति समझती हैं और संवेदनशील हैं तो इन समस्याओं का शीघ्र निराकरण करें। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री राधेश्याम गंगानगर।

माननीय सदस्य, पहले वो बात कहें जिनको आप बहुत इम्पोर्टेंट समझते हैं। उनको आप आखिर में लेते हो, यह ठीक नहीं है।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) : नहीं, जो हो चुकी है उनको नहीं करूंगा।

सभापति महोदय, सिंचाई की मांग संख्या-46 के सम्बन्ध में मैं कुछ अपने सुझाव देना चाहूंगा बिना भूमिका बनाये हुए।

सभापति महोदय, गंग केनाल का विषय है उसके लिए पिछले सत्र में 450 करोड़ रुपये देने की मंत्री महोदया द्वारा यहां सदन में घोषणा की गयी थी कि यह जो योजना है, वास्तव में इसमें पहले मैं खुद जाकर मौका देखूंगी। तो मैं मंत्री महोदया का आभारी हूं कि मंत्री पिछले वर्ष गर्मी में, बहुत ज्यादा गर्मी के अन्दर पूरी केनाल का खुद ने सारा सर्वे कर के पूरी तरह से इसकी हालत देखी। जो केनाल 70 वर्ष पूर्व बनी थी जिसकी आयु 50 वर्ष थी वो आज सांस ले लेकर चल रही है, ना जाने कब उसका हार्ट फैल हो जाय और गंगानगर

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

जिले का नीचे का तमाम पानी बहुत खारा है, पीने के पानी की भी भारी समस्या हो जायेगी।

मंत्री महोदया, मैं आपको याद कराना चाहूंगा कि जब मुख्य मंत्री माथुर साहब थे और इर्रीगेशन मिनिस्टर हमारे अध्यक्ष जी, मदेरणा साहब थे तो आपकी केबिनेट की मीटिंग हुई थी 1982 में गंगानगर में। उस केबिनेट की मीटिंग में यह निर्णय लिया गया था कि इस गंग केनाल की मरम्मत अगर तुरन्त नहीं करायी जायेगी तो पता नहीं इसके क्या हालात होंगे। मौका देखने के बाद पूरी केबिनेट ने उस केनाल का मौका देखा और वहीं केबिनेट की मीटिंग करके यह निर्णय लिया गया, 88 करोड़ रुपये का एक प्रोजेक्ट उस समय बना कर प्रस्तुत किया गया कि तुरन्त इसकी कार्यवाही चालू हो जायेगी। इसको बनाने के लिए लिंक चैनल का एक नक्शा बनाया गया ताकि जब यह नहर बने तो लिंक चैनल से पानी किसानों को मिलता रहे। वह लिंक चैनल बन गयी और आज तक वह प्रोजेक्ट 450 करोड़ का हो गया। आपने स्वयं देखा है कि गंग केनाल की हालत, जो पहले महाराजा गंगा सिंह जी ने 70 वर्ष पूर्व बनायी थी, जो पंजाब के हुसैनीवाला से चलती है, वह सारी केनाल पक्की बनायी थी, एक बूंद पानी कहीं भी रास्ते में नहीं जा सकता था, पशु भी नहीं पी सकता था उस केनाल की हालत यह है कि उसके अन्दर पशु नहा रहे हैं और जगह-जगह जैसे तालाब बना हुआ है और नहर की हालत देखकर बिलकुल रोना आता है और पंजाब के किसान उससे खूब पानी लूट रहे हैं।

सभापति महोदय, जब मंत्री महोदया ने यह सारी हालत खुद देखी और पिछली बार चीफ मिनिस्टर ने, बीच में जब मैंने प्रश्न किया था और मंत्री महोदया ने जब जवाब दिया तो सी.एम.साहब ने कहा कि आप जाइये, देखिये। आप वहां खुद गये। जब आपने मौका देखा तब सारे अधिकारी आपके साथ थे, किसानों के नेता आपके साथ थे, जन प्रतिनिधि आपके साथ थे। सैकड़ों आदमियों ने वह दृश्य देखा तो लोगों को, किसानों को कुछ उम्मीद बनी कि अब कुछ भाग्य खुलने वाला है। लेकिन जब यह बजट देखा और जब इसमें डिमाण्ड देखी तो उसमें एक भी पैसा इसके लिए नहीं रखा गया जब कि आपने 450 करोड़ के प्रोजेक्ट की घोषणा इसी विधान सभा में की।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मेरा मंत्री महोदया से निवेदन है कि इन बातों को आप पूरी तरह से सीरियस लें, किसान का जीवन इससे जुड़ा हुआ है। गंग केनाल जो उस वक्त महाराजा गंगा सिंह ने पता नहीं किस तरह क्या सोच कर और लोगों से किस तरह से उधार पैसा लेकर बनायी थी, हमारी यह सरकार जवाबदेह सरकार है, यह किसानों की सरकार है, लोकप्रिय सरकार है इस सरकार के अन्दर आज अगर हम किसानों को पूरी सुविधा नहीं दे सकते तो मुझे ऐसा लगता है कि गंग केनाल की हालत ऐसी है, आप खुद देख

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

चुके, पता नहीं वह कब बंद हो जाय। बंद होने के बाद पीने का पानी भी 30 लाख जनता को नहीं मिलेगा, उसकी हालत क्या होगी, यह आपको मालुम है। बहुत पहले, मेरे ख्याल से मुझे ऐसा याद आता है कि 1968 में मोतीराम कमीशन की एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी सदन में। उस रिपोर्ट में यह कहा गया था कि गंग केनाल, इंदिरा गांधी केनाल, भाखड़ा केनाल इन सब का सिस्टम एक कर के और उसमें एक ही सिस्टम लागू किया जाय। आज तक वह रिपोर्ट लागू नहीं हुई और हमें निरन्तर 25 साल से 800 क्यूसेक पानी का लोस हो रहा है। अपने आप में एक जिला इससे पल सकता है। आठ सौ क्यूसेक पानी बहुत होता है। बागों का पानी तो 13 क्यूसेक पानी, जो सारी नहरों को मिलाकर मेरे ख्याल से 0.1 या 2 होता है उसकी तो हम चिन्ता कर रहे हैं लेकिन हम उस बात की चिन्ता नहीं कर रहे हैं कि 800 क्यूसेक पानी हमें निरन्तर 25 वर्ष से नहीं मिल रहा। उसके लिए हमने कभी सोचा नहीं किया। यह बड़ी अजीब स्थिति है। जो मुझे समझ नहीं आ रही। माननीय मंत्री महोदया खुद किसान वर्ग से आती हैं और इनको इस बात की पूरी जानकारी है। एक एक चीज को बारीकी से खुद देखती हैं फिर भी यह बात कहां अटकी हुई है। माननीय मंत्री महोदया अपने जवाब में इस बात का वर्णन जरूर करेंगी ताकि इस सदन के माध्यम से गंगानगर जिले के किसान और हनुमानगढ़ के किसानों को इस बात की जानकारी हो। इसके साथ ही लिंक चैनल जो आपने बनाया उसमें तीन हजार क्यूसेक पानी चलना चाहिए था वह कितना चल रहा है। आप पूरी तरह उससे वाकिफ हैं। इसके अलावा उसकी मियाद दी गयी जो पानी हमें राजस्थान इन्दिरा गांधी नहर से मिलता है उस लिंक चैनल को, अगर वह लिंक चैनल दो साल और हमारी गंग कैनाल शुरू नहीं हुई तो पानी की इन्दिरा गांधी की कैनाल में आगे क्षमता बढ़ रही है। पानी आगे जा रहा है। नया-नया विकास हो रहा है। तो हमें पानी उस लिंक में नहीं मिलेगा। हम इस कैनाल को बना ही नहीं सकेंगे। ऐसी भी मेरी चिन्ता है। आप भी पूरी तरह परिचित हैं। आप कृपा करकें इसका कार्य तुरन्त शुरू करिए ताकि हमारा जो कल्चर है एग्रीकल्चर, गंगानगर जिले में अगर एग्रीकल्चर नहीं है तो कुछ भी नहीं है इसलिए तीन चार साल से, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कहा कि नरमा और कपास की फसल बहुत बरबाद हो गयी। गन्ना नहीं हो रहा। पानी नहरों में हैं नहीं।

सभापति महोदय, मैं एक बात और बताऊं। हिन्दुस्तान में ही नहीं दुनियाभर में गंग कैनाल का सिस्टम बैस्ट माना गया है। इस बात के लिए भूरि-भूरि प्रशंसा अमेरिका, इंग्लैण्ड और न जाने कितनी कंट्रीज ने की है क्योंकि इसका सिस्टम ऐसा है कि हर आठ दिन के बाद आपको निश्चित समय, उतने मिनट और उतने सैकिण्ड पर पानी मिलता है और एक बूंद भी पानी कहीं जाया नहीं होता है। इतना बढ़िया उपयोग जिस पर वर्ल्ड में सेमिनार हुए हैं। बहुत लोगों ने इसकी प्रशंसा की है। इस सिस्टम को सारे हिन्दुस्तान में

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

अपनाना चाहिए। साथ ही साथ यह भी निवेदन है और सुझाव है कि सी.ए.डी. के माध्यम से वितरिकाओं को हम पक्का नहीं कर रहे हैं। खालों में आगे पानी जाता है उनको पक्का नहीं कर रहे। अगर पूरे गंग कैनाल का सिस्टम सी.ए.डी. में आ जाए तो मेरे ख्याल से पांच सौ, छः सौ क्यूसेक पानी की और बचत हो सकती है जिसके लिए हम बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। जब यह ड्रिप सिस्टम बागात के लिए अभी आपने शुरू किया कि एक नयी थ्यौरी आयी है क्योंकि नया जमाना है। नयी टेक्नालॉजी से नयी-नयी चीजें आती हैं तो यह मेरे से पूर्व वक्ता जो बोल रहे थे, बिलकुल सत्य कह रहे थे क्योंकि हमारे यहां पहले फ्लड सिस्टम से पानी लगता था। बाग के जो पेड़ हैं इनकी जड़ें बहुत नीचे तक हैं। पच्चीस तीस फुट तक हैं। अगर वह ड्रिप सिस्टम से लगेगा तो उसकी दो नोक होती हैं उसमें पानी केवल ऊपर ही ऊपर रह जाएगा और वह एक वृक्ष जो आपको पांच हजार फल दे रहा है वह आपको 200, 400 या 500 फलों पर ही रह जाएगा। नया सिस्टम आप डवलप कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है लेकिन पहले जो बाग फलड से चल रहे हैं, पचास, साठ और सत्तर साल पुराने और बीच में एक ऐसा जमाना आ गया था कि दो रुपये किलो किन्नू हो गया था। कोई लेता नहीं था। लोगों ने बाग उखाड़ दिए। यह तो कृषि विभाग की और आपकी मेहरबानी हुई कि किन्नू बाहर जाने लग गया और आज किन्नू की कीमत दस रुपये और 12 रुपये किलो हो गया और उससे किसानों को काफी फायदा होने लग गया। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरफ पूरी तरह से ध्यान देकर, अगर गंग कैनाल गंगानगर जिले में जिस दिन भी बन्द हो गयी या खत्म हो गयी, क्योंकि 1982 में केबिनेट गयी। केबिनेट ने फैसला कर दिया। 1982 की बात जो आज 88 या 90 करोड़ रुपये की लागत थी जो अब साढ़े चार सौ करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट बन गया। आने वाले समय में वह प्रोजेक्ट और भी बहुत बड़ा बन जाएगा। इसका मतलब यह तो जीवन में कभी बन ही नहीं सकेगी। इस तरफ ध्यान दें और लिंक चैनल का दो साल तक यह बनाने की रक्षा दे सकती है। मेरा यह मानना बिलकुल सत्य है बाकी तो आप ज्यादा जानते हैं। दो साल के बाद आप जैसलमेर, बाड़मेर और पूरे जोधपुर को पानी दे रहे हैं तो जो गंग कैनाल के हिस्से का पानी लिंक के द्वारा आ रहा है वह कहां से आयेगा? आप मेन कैनाल को कैसे बनायेंगे। यह बड़ी भारी चिन्ता है।

इसी तरह इन्दिरा गांधी नहर के अन्दर 18025 क्यूसेक की कैनाल। आज तक उसके अन्दर 14 हजार से ज्यादा पानी नहीं चला। मेरा सीधा-सीधा टेक्निकल लोगों के ऊपर इल्जाम है, जिन लोगों ने इसको बनाया और जिन लोगों ने इसका नक्शा बनाया। आप देखिये। जिसमें 18 हजार क्यूसेक पानी कभी चल ही नहीं सकता और ऐसी उसकी लाइनिंग हुई कि उस सीपेज से दुनिया भर के हमारे गांव उजड़ गये। आज सेम की इतनी भारी समस्या हो गयी उस

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

सीपेज के कारण। इसके साथ ही सूरतगढ़ के अन्दर जिन डिप्रेशंस में हम पानी डालते थे, डिप्रेशन नम्बर 16 जो है उसके अन्दर पानी की कैनाल बना दी और उस कैनाल का पानी आज तक कभी चलाया नहीं। दुनियाभर का पैसा टेंडर निकल लोगों ने खर्च कर दिया। मंत्री महोदया, आप उनको पूछिये कि क्या वह कैनाल कभी चली ? उसमें पानी कभी चला ? अगर डिप्रेशन नम्बर 12 से वही कैनाल अगर बनती तो किसानों को बड़ा भारी फायदा होता और यहां जो सारे गांव आज डूब में आ गये, वे भी नहीं आते और किसानों की लाखों एकड़ भूमि सिंचित हो जाती। माननीय सभापति महोदय, यह बड़ी गम्भीर बात है। मैं दुबारा बात करूंगा, हमारे बागों के बारे में मैंने कई दफा कहा। मंत्री महोदया से मीटिंग की। हम जन प्रतिनिधि किसानों को लेकर मिले लेकिन हमारी बात को बिलकुल नकार दिया गया और हम आज भी कह रहे हैं और कल भी कहेंगे कि तीन हजार एकड़ में ये बाग लगे हुए हैं। अगर यह आपने ड्रिप सिस्टम कर दिया तो ये बाग बिलकुल उजड़ जाएंगे और उसमें कुछ भी नहीं रहेगा क्योंकि मात्र 0.1 आपका पानी लगता है जबकि दूसरे सोर्सेज पानी बचाने के और ज्यादा हैं। तो मेरी आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन है कि सबसे पहले तो आप जब भी जवाब दें, गंग कैनाल के बारे में चिन्ता करें और इसके बारे में कुछ न कुछ पैसा अभी आवंटित करें ताकि कार्य शुरू हो। नहीं तो दो साल के बाद यह कैनाल कभी बन नहीं सकेगी और गंगानगर जिला बिलकुल उजड़ जाएगा।

श्री सभापति : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री राधेश्याम गंगानगर : मैं ओटू बांध की बात करता हूं। ओटू के अन्दर आज 20 हजार क्यूसेक पानी हम ले रहे हैं और हरियाणा वाले उसमें 40 हजार क्यूसेक पानी डालने की बात कर रहे हैं। हम कोई ट्रिब्यूनल में नहीं गये। हमने कोर्ट से कोई स्टे नहीं लिया। मेरे को बड़ी भारी चिन्ता है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया को निवेदन कर रहा हूं कि अगर ओटू बांध के लिए स्टे नहीं लिया और ट्रिब्यूनल में नहीं गये और 40 हजार क्यूसेक पानी जब आ जाएगा तो सारी बरबादी हो जाएगी। इस पर आप पूरी तरह से ध्यान दें। इसको पूरी तरह से चैक अप करायें और क्या हो रहा है उस चीज पर नजर रखें। इसके साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा।

श्री सभापति : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री राधेश्याम गंगानगर : मैं अभी समाप्त कर रहा हूं साहब। आपके आदेश की पालना करेंगे। ऐसी बात नहीं है। निवेदन यह है कि पिछले सत्र के अन्दर, उससे पिछले सत्र के अन्दर और उससे भी पिछले सत्र के अन्दर "ए" माइनर जो गंगानगर शहर के बीचों बीच, रामनगर और श्रीगंगानगर के बीच में चलता है, उसके ऊपर आगे जाकर शहर में निकलता है, इस कारण से पानी का बड़ा वेस्टेज होता है। उसमें पशु मरे हुए डाल देते हैं, कुत्ते डाल देते हैं, होटलों की गन्दगी डाल देते हैं और वह आगे किसान पानी पीता है। सैकड़ों की तादाद में किसानों को पिछले वर्ष पीलिया

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

हुआ और सैकड़ों आदमी अपनी जान से हाथ धो बैठे। मेरे ख्याल में मैं इस विषय को यहां सातवीं बार उठा रहा हूं। विधान सभा में आपके सामने रख रहा हूं। "ए" माइनर का कई दफा प्लान बन गया। कई मंत्री बदल गये। कहते हैं कि आज इसको शहर से बाहर निकाल रहे हैं। "ए" माइनर के ऊपर आपने एक प्रोजेक्ट बनाया और उस प्रोजेक्ट के माध्यम से, कुछ लोग माइनर के किनारे बसे हुए थे, उनसे आपने प्रोजेक्ट बनाकर कुछ पैसा वसूलने की बात की क्योंकि सरकार में मान लो पैसे की कमी है तो वे लोग देने को तैयार थे। आपका प्रोजेक्ट बन गया, आपने यहां से चीफ इन्जीनियर साहब को टेलीफोन करके कह दिया कि वह प्रोजेक्ट लाएं। उस प्रोजेक्ट को तो नहीं लाया गया लेकिन ए माइनर के ऊपर हजारों लोगों को उजाड़ दिया गया।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री राधेश्याम गंगानगर : एक मिनट साहब। ए माइनर के ऊपर, सभापति महोदय, आप तो खुद किसान हैं, यहां तो इर्रिगेशन का आफिस है, यहां वन विभाग का आफिस है उसी लाइन के अन्दर और उसके पीछे वाली बिल्डिंग है। करोड़ो रुपये की बर्बादी कर दी और आज लोग मलबे के ढेर पर बैठे हैं उनको बसाने की कोई योजना नहीं। वह पैसा देना चाहते थे वहां कोई नेशनल हाई-वे रोड नहीं, वहां कोई आपकी स्टेट हाई-वे रोड नहीं, वहां जिला हाई-वे रोड नहीं, कहीं रोड नहीं, कोई लेना देना नहीं। फिर भी उस जगह उन लोगों को उजाड़ दिया, बहुत तबाही हुई वहां। नेशनल हाई-वे पर जो अतिक्रमण हटाए, होना चाहिए था, बहुत अच्छा कार्य हुआ।

श्री सभापति : अब बिराजिये आप।

श्री राधेश्याम गंगानगर : एक सैकण्ड। मैं यह अर्ज कर रहा था कि जिन लोगों ने उस चीज को मंत्री महोदया के टेलीफोन करने के बाद भी तोड़ा और करोड़ो रुपये की बर्बादी हुई, अब कलेक्टर महोदय और इर्रिगेशन डिपार्टमेंट के हमारे इन्जीनियरों ने आपस में बैठकर तय किया कि इर्रिगेशन की जमीन हम नगर परिषद को दे देंगे और नगरपरिषद उसमें पट्टे आवंटन कर देगी। लेकिन आज स्थिति ज्यों की त्यों है। इर्रिगेशन नगरपरिषद को दे नहीं रहा, उसको तोड़ने का कोई लाभ नहीं हुआ और करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ। आज हजारों लोग उस मलबे के ढेर पर बैठे रात दिन हमें गाली निकाल रहे हैं।

श्री सभापति : माननीय श्री जीतमलजी।

(अनुपस्थित)

श्री राधेश्याम गंगानगर : इस बात से कोई फायदा नहीं हुआ। मैं मंत्री महोदया आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। आप इस ओर पूरी तरह ध्यान देकर उनको बसाने की कृपा करेंगे। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री जगमाल सिंहजी।

श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) : सभापति महोदय, मांग संख्या-8 और 46 पर मैं अपनी बात रखता हूं। ना समर्थन करता हूं ना विरोध करता हूं। सभापति महोदय, अभी भारत सरकार एक बिल लाने जा रही है आपने देखा होगा दिल्ली में वकीलों की, दिल्ली में ही नहीं बल्कि पूरे हिन्दुस्तान में वकील उससे आन्दोलित हैं (व्यवधान) मेरे को अगर अवसर मिलता तो मैं यू.एन.ओ. पर बात करता।

श्री सभापति : आप इनको डिस्टर्ब मत करिये। समय सीमा बहुत सीमित है इसलिए डिस्टर्ब मत कीजिये।

श्री जगमाल सिंह यादव : यह समय तो काटेंगे ना डिस्टर्ब का.....

श्री सभापति : काटेंगे।

श्री जगमाल सिंह यादव : तो मैं भारत सरकार जो बिल लाने जा रही है जिसमें आपको ध्यान होगा क्योंकि आप भी इस पेशे से जुड़े हुए हैं, राम जेठमलानी जी को बार कौन्सिल आफ इण्डिया से निष्कासित कर दिया। मैं वकील होते हुए भी इस बात का समर्थक हूं। जो भारत सरकार बिल लाने जा रही है सी.पी.सी. में जो अमेंडमेंट करने जा रही है, मैं उसकी ताईद करता हूं, मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री सभापति : इस मांग से कहां संबंध है उसका ?

श्री जगमाल सिंह यादव : इसी मांग से सम्बन्ध है।

श्री सभापति : आप कृपया मांग पर आ जाएं तो अच्छा रहेगा।

श्री जगमाल सिंह यादव : सभापति महोदय, यह उसी मांग से संबंधित है। मैं जो रेवेन्यू में लिटिगेशन बढ़ रहे हैं सी.पी.सी. से कन्ट्रोल होते हैं, सी.पी.सी. से गवर्न होते हैं। सारा जो सिविल प्रोसीजर है उसी से रेवेन्यू के लिटिगेशन हैं उसी से गवर्निंग होते हैं। इसलिए मैं भारत सरकार के आने वाले बिल से संबंधित बात कह रहा हूं। एक कहावत है गांव में अगर किसी को रेवेन्यू बाद फाइल करना है, अगर किसी का रेवेन्यू लिटिगेशन है तो सभापति महोदय, एक बात कही जाती है दादा मुकदमा कर जाए, पोता लड़ता रहे तो भी उसका अन्त नहीं हो। मेरा जन्म 4 फरवरी, 1947 का और जब मैं पहली बार एम.एल.ए. बना, जब वकालत छोड़कर आया तो मेरे पास 1946 का मुकदमा था स्टेट के जमाने का और उसमें इश्यु भी नहीं बने थे।

इसलिए सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदया का यह ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैंने पिछली बार भी इन्हीं डिमांड्स पर, रेवेन्यू की डिमांड पर अपनी बात रखी थी कि ऐसा कोई इन्तजाम कीजिये मंत्री महोदया आप ग्रामीण पृष्ठभूमि की हैं, किसान की बेटी हैं, यह रेवेन्यू डिपार्टमैंट आपके पास पहली बार आया नहीं है। आपका जितना रेवेन्यू में अनुभव है, शायद किसी मंत्री का उस विभाग में उतना कमाण्ड और उतना अनुभव नहीं है। इसलिए मैं चाहूंगा कि भैरोंसिंह जी की सरकार में भी 1990 से 1993 तक यह बात बार-बार उठी थी और

(श्री जगमाल सिंह यादव)

ललित किशोर चतुर्वेदी जी और गंगाराम जी की अध्यक्षता में दो कमेटी भी बनायी थी। भैरोंसिंह जी ने कि इस रेवेन्यू के जो लिटिगेशंस हैं इनको समरी ट्रायल के बतौर लिया जाना चाहिए।

सभापति महोदय, आज मेरे खिलाफ अगर कोई वाद फाइल करना चाहे और उसका रिकार्ड में कोई नाम नहीं हो और अदालत का यह प्रोसीजर है कि जो दावा किया है उसके सपोर्ट में एक एफेडेविट दे दे तो उसको अदालत रेवेन्यू आफीसर स्टे दे देंगे और मेरी मसल्स पावर है नहीं और जिसने स्टे लिया है वह मेरे से ताकतवर है तो मेरी करोड़ों रुपये की सम्पत्ति, मेरे बाप-दादाओं की अर्जित की हुई उस रेवेन्यू लैण्ड से मैं हाथ धो बैठता हूं। इसलिए मैं एक तो मांग यह करना चाहता हूं रेवेन्यू मंत्री महोदया कि एक और चाहे मंत्री मण्डल की उप समिति बनायें चाहे कोई बिल लाएं लेकिन इसको समरी ट्रायल करें। रेवेन्यू आफिसर को इस तरह का कानून आप बनाएं कि जब दावा पेश हो उस समय ही यह तय कर लें कि यह दावा एडमिट करने के काबिल भी है या नहीं है और जैसा जेठमलानी साहब सी.पी.सी. में अमेंडमैंट ला रहे हैं, सभापति महोदय, उसमें रखा है कि अगर कोई वकील उस मुकदमें को निपटाने में विलम्ब करता है तो उस पर पांच हजार रुपये की कास्ट तक इम्पोज की जा सकती है और अदालत यह भी वार्निंग दे सकती है कि वकील साहब अगर बहस नहीं करना चाहते तो उस पार्टी को बुलायेंगे, पक्षकारों को बुलाएगा और उनसे कहेगा कि आपका वकील आपकी पैरवी नहीं कर रहा इसलिए गुण और दोष पर मैरिट पर मैं मुकदमे का फाइनल कर रहा हूं। एक तो यह निवेदन मैं करना चाह रहा हूं।

लैण्ड एक्वीजिशन के मामले में सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा। आप जब मेरी तरफ एकटक देखते रहते हैं तो मैं घबरा जाता हूं कृपया मेरी समय सीमा बता दें तो मैं उसी में भूमिका बना लूंगा।

श्री सभापति : समय सीमा आप ही निर्धारित कर लो जितनी संख्या है उसको देखते हुए।

श्री जगमाल सिंह यादव : सभापति महोदय, राजस्थान में और हिन्दुस्तान में लैण्ड एक्वीजीशन एक्ट भारत सरकार का एक कानून है जिसके तहत किसानों की जमीन पब्लिक परपज के लिये अधिग्रहण की जाती है। मैं इस सदन में पिछले 6-7-8 साल से इसका विरोध करता रहा हूं। अभी जो वित्त मंत्री जी बता रहे थे मार्केट वैल्यू जो हम निकालते हैं उससे किसानों को उसका मुआवजा दे देते हैं और वह किसान कहीं भी जाकर उस वैल्यू की परचेज कर लेता है।

सभापति महोदय, आप भी जानते हैं और रेवेन्यू मंत्री महोदया भी जानती हैं कि इनका मार्केट वैल्यू निकालने का फार्मूला क्या है। मार्केट वैल्यू निकालने का जो लैण्ड एक्वीजीशन एक्ट में जो राजस्थान गवर्नमैंट खासकर निकाल रही है वह इनका

(श्री जगमाल सिंह यादव)

फार्मूला यह है कि पिछले तीन साल का किसी भी जमीन की रजिस्ट्री के आंकड़े लेकर उसका औसत निकाल लेते हैं। वह मार्केट वैल्यू आप डिफाइन कर रहे हैं। मैं यह कहना चाहता हूं सभापति महोदय, कि दुनिया में कोई ऐसा आदमी है या कोई ऐसी क्लास है जो पिछले तीन साल के आधार पर आज अपनी जमीन को या दुकान को बेचने को तैयार हो जाएगा। यह केवल किसान का दुर्भाग्य है कि उसकी कोई वाणी नहीं है। इसलिए मंत्री महोदया, मैं यह जानता हूं कि हिन्दुस्तान के लैण्ड एक्वीजीशन एक्ट में आप कोई नया प्रोवीजन नहीं जोड़ सकती लेकिन फिर भी किसी दूसरे रास्ते से मैं यह चाहूंगा कि किसानों का जो शोषण हो रहा है, मार्केट वेल्यू जो डिफाइन आप करते हैं उसकी मार्केट वेल्यू वह डिफाइन करें जो आज की तारीख में जमीन की रेट है, उसको मार्केट वेल्यू आप मानें।

तीसरा सभापति महोदय, अभी मुआवजे की बात आ रही थी। आज तक बहुत सी ऐसी सड़कें आज भी आपके बहुत से विभाग हैं जैसे कृषि विपणन बोर्ड हैं, डी.आर.डी.ए. ने कोई सड़क बनायी है, बहुत से विभाग आज भी राजस्थान में ऐसे हैं जो किसान की जमीन को अधिग्रहण किये बगैर वहां सड़क बनाते हैं और सड़क तो बन गयी अब पिंक आपरेशन और चल गया वह जो सड़क का पैसा नहीं दिया, किसान की +++ फ्री में जमीन छीन ली और फिर कह रहे हैं कि हम तो इसकी पचास फीट की सीमा मानेंगे, पचास इधर और पचास उधर सौ फीट जबकि उसकी जमीन जिसमें सड़क बनी है उसका भी एक पैसा राजस्थान की सरकार ने चाहे कृषि विपणन बोर्ड और यहां तक कहता हूं कि स्टेट के जमाने में जो सड़कें बनी और बहुत सी आजादी के बाद पी.डब्ल्यू.डी. विभाग ने जो सड़क बनायी उस जमीन का मुआवजा किसानों को नहीं दिया। इसलिए मंत्री महोदया, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि ऐसा सर्वे कराएं कि इतने कैसे किसान हैं इस राजस्थान में जिनकी जमीन राजस्थान सरकार ने चाहे सड़क के लिए, चाहे नाले के लिए, जोहड़ के लिए फ्री में ले ली और उनको मुआवजा नहीं मिला। मैं आग्रह करूं आपसे कि आप यह सर्वे करवा कर जिन किसानों को मुआवजा नहीं मिला है उनको मुआवजा दिलवायेंगे, बात करेंगे।

(16.00 बजे)

सभापति महोदय, मैंने पिछली बार भी मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित किया था कि 1990 से अलवर में, भरतपुर में, खास कर अलवर जिले में आपका भू-आवंटन कार्य रूका हुआ है। 1989 से मेरे एक सवाल के जवाब में आपके अधिकारियों ने लिख दिया। पता नहीं आपकी नजर से कैसे बच गया कि अधिकारियों के जवाब को आपने अनुमोदित कर दिया। मैं दावे के साथ कहता हूं कि एक बिस्वा भूमि का

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री जगमाल सिंह यादव)

आवंटन पिछले 1989 साल से इस अलवर जिले में नहीं हुआ। यही नहीं है जो गैर खातेदार थे जो डीपीक में थे, डिस्प्लेस्ड परसन, कम्पलसेशन और रिहेब्लिटेशन एक्ट में जिनको जमीन अलाट हुई थी। जो पाकिस्तान से आये थे वह शरणार्थी जिनको 16 बीघा, 24 बीघा, 32 बीघा भूमि का आवंटन हुआ था। 1947 से काबिज है और जो पैसा नहीं भर सके उनको भी सम्मन जारी करने से अलवर जिले में राजस्थान सरकार ने बेन किया हुआ है 10 साल से। मैं इसलिये भी चाहूंगा जिस जमीन पर कोई लिटिगेशन नहीं है। आपका राजस्व वसूल होगा जो किसान सम्मन लेना चाहता है। जब तक खातेदारी हक उसको नहीं मिल जायेगा सभापति महोदय, वह अपनी जमीन को मोरगेज भी नहीं कर सकता और मोरगेज करके उसको रहन रखकर पम्प सैट लेता है, इलेक्ट्रिक पम्प सैट लेता है, ट्रेक्टर लोन लेता है उसके लेने से महरूम हो गया है। इसलिए मैं चाहूंगा जहां लिटिगेशन है सुन कर आप फैसला कर दें लेकिन जहां कोई लिटिगेशन नहीं है मैं आपसे तवज्जोह चाहूंगा कि आप तुरन्त आदेश जारी करेंगे कि किसानों से उनकी किश्त लेकर, पैसे लेकर किसानों को उनकी जमीन का सम्मन जारी किया जाये।

सभापति महोदय, जो मैं बारबार उठाता रहा हूं अभी कारगिल में शहीद हुए या लंका में, जाफना में शहीद हुए लिट्टे के युद्ध में, मैं चाहूंगा कि राजस्थान गवर्नमैंट उनको प्रोत्साहन तो दे रही है लेकिन जो विधवा हैं, जवान है, जिनके छोटे-छोटे बच्चे हैं अगर उनको उनके जिले में भूमि उपलब्ध नहीं है तो आप बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर में जरूर दे दें। लेकिन जो भूमि है, उनको भू-माफिया खा रहा है। तो इससे बेहतर समझूंगा सभापति महोदय, मैं आग्रह करूंगा कि जो भू-माफियों से बचाते हुए उस जमीन को जो कारगिल में शहीद हो गया, जो लंका में शहीद होगा, जो पाकिस्तान के युद्ध में शहीद हो गया, अगर अलवर जिले में जमीन उपलब्ध है तो मेरी आपसे पुरजोर मांग है कि इन सैनिकों की विधवाओं को प्रायोरिटी के तौर पर वह जमीन अलाट कर दी जाये। मिसाल के तौर पर मेरी आपसे बात हुई थी आपने उसमें कार्यवाही भी की है अभी भू-माफियाओं ने, सोमलता के नाम से जमीन अलाट करवाई। मैं मंत्री महोदय आपके सामने कुछ फैक्ट्स रख रहा हूं। कैसे सैनिक विधवा के नाम से किस तरह से भू-माफिया सक्रिय है। जमीन अलाटमेंट हुई सोमलता वाइफ ऑफ महावीर सिंह राजपूत, साकीन महसरा जमीन हुई हरचंदपुर की अलाट। खसरा नम्बर था 160/291 यह जमीन अलाटमेंट हुआ 17.3.98 को इसका गैर-खातेदार इन्तकाल चढ़ा 31.3.98 को और इसकी बिक्री सभापति महोदय हो गई 28.3.91 को यानी जब तक उस सैनिक की विधवा के नाम गैर खातेदार इन्तकाल भी नहीं चढ़ा था। तब उससे एग्रीमेंट करवा लिया इसे क्या मानेंगे आप। इसलिए मैं चाहूंगा कि उस सैनिक की विधवा के पास तो वह जमीन बची नहीं। यह जमीन है

(श्री जगमाल सिंह यादव)

भिवाड़ी इण्डस्ट्रियल एरिया के चारों तरफ घिरी हुई इस जमीन की कीमत है साढ़े सात करोड़ और वह जमीन बेच दी। उस विधवा के पास कुछ नहीं बचा। आपने उस विधवा को जमीन दी थी जीवन-यापन के लिए, कृषि प्रयोजनार्थ। इसलिए मैं इस मामले में ऐसा चाहूंगा कि जो भू-माफिया हैं उनकी नजर से और उनके कब्जे से जमीन निकाल कर अगर सैनिक शहीद हुआ है उनको अगर हकीकत में जमीन अलाट कर दें तो बेहतर होगा।

सभापति महोदय, चाहे राजस्थान में पानी का मसला राजस्थान कैनाल का हो चाहे चम्बल का मैटर हो। पूर्वी राजस्थान चाहे पश्चिमी राजस्थान है सारा सदन ऐसे महसूस करता है जैसे पिछली बार पंजाब ने हमें पानी नहीं दिया था 1987 में तो पूरे सदन में चाहे पक्ष था, भैरोंसिंह जी विपक्ष के नेता थे कांग्रेस के सब लोग, विपक्ष के लोग राष्ट्रपति को ज्ञापन देने पहुंचे थे। मेरे कहने का अर्थ यह है कि चाहे अलवर का हिस्सा कट जाये चाहे गंगानगर का कट जाये चाहे बाड़मेर का, जोधपुर का, जब कभी आफत आती है तो हम सब राजस्थानी एक होकर उस जिले में कोई भी मैटर हो उस पर अपनी एक राय रखते हैं एक टोन रखते हैं। लेकिन मुझे खेद है कि अलवर जिले में मसानी बैराज बन गया। अभी कैचमेंट एरिया की बात भीलवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य कर रहे थे लेकिन अलवर जिले में 1977 में जब बाढ़ आई थी उस बाढ़ की विनाश लीला राजस्थान में भी हुई थी। खास कर अलवर जिले के कोटकासिम, मुंडावर, बहरोड और हरियाणा में इसकी विनाश लीला को सहन करना पड़ा था और यही नहीं बल्कि दिल्ली में जो क्षेत्र है नजबगढ़ का उसमें भी साबी नदी से इतना विनाश हुआ था तो भारत सरकार ने तीन प्रोजेक्ट स्वीकार किये थे एक तो किया था अलवर जिले में बानसूर के पास 22 करोड़ रुपये का किया था दूसरा मसानी बैराज। मंत्री महोदया मसानी बैराज जो रेवाड़ी के पास बन गया यह मसानी पर नहीं बनना था। उसमें शर्त यह थी कि राजस्थान गवर्नमैंट और हरियाणा गवर्नमैंट के इर्रिगेशन के ऑफिसर पाइन्ट तो तय कर देंगे उस जगह ही यह बांध बन जायेगा। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि हमारे इर्रिगेशन के अधिकारी को इस बात का पता नहीं लगा और वह मसानी बैराज जो 22 करोड़ का था 165 करोड़ का प्रोजेक्ट बन कर मसानी बैराज जो बिलकुल जहां राजस्थान की सीमा समाप्त होती है हमारी छाती पर खड़ा हो गया। पहली बार 1985 में जब मैं इस सदन में आया तो मैंने यह आवाज उठाई तो हमारी अधिकारी चिंतित हुई। आज यह सवाल पैदा होता है कि 95 प्रतिशत, बल्कि 99 प्रतिशत कैचमेंट एरिया राजस्थान का है। साबी नदी राजस्थान की नदी है और इसका पानी मसानी बैराज और रेवाड़ी के पास में पुल बनाकर, हरियाणा सरकार ने दिल्ली सरकार को यह लिखित में दिया क्योंकि दिल्ली सरकार ने कहा कि अगर कोई स्टेट पीने के पानी का उपयोग इस डेम से करेगी, साबी नदी का उपयोग लेगी तो वह आधा

(श्री जगमाल सिंह यादव)

खर्चा देगी। हरियाणा सरकार ने रिटन में दे दिया कि हम इसके पानी का उपयोग नहीं करेंगे। सभापति महोदय, मुझे खेद होता है कि पीने के पानी का उपयोग भी रेवाड़ी में, पटोदी में, जाटूसाना में, बावल में, हरियाणा सरकार उस मसानी बैराज का कर रही है और 165 करोड़ पूरे प्रोजेक्ट का पैसा दिल्ली सरकार से हरियाणा सरकार ने उठा लिया। अब राजस्थान सरकार यह कोशिश कर रही है कि हम बानसूर और बहरोड के बीच में इसका पुल बना दें। क्या आज भारत सरकार पुल बनाने की इजाज़त दे सकती है ? यही नहीं 22 करोड़ रुपये का जो दिल्ली सरकार को अलाट हुआ था, साबी नदी का पानी बाढ़ की विनाश लीला पैदा करता है, इस पानी को जमुना में डालने के लिए खाले और खंडक बना दिये जायें उन्होंने भी बना दिया। इसलिए मैं खास कर कांग्रेस की गवर्नमैंट से, चूंकि यह प्रोजेक्ट तो पास हुआ था भैरोंसिंहजी जब चीफ मिनिस्टर थे तब 1970 में लेकिन ढाई साल में सरकार चली गई। यह सारा निर्माण कार्य हुआ कांग्रेस की सरकार में अगर कांग्रेस की सरकार को अपना +++ तो साबी नदी का जो 95 प्रतिशत कैंचमेंट एरिया है। मंत्री महोदया आपसे सक्षम कोई मंत्री हो नहीं सकता। आपको लोग चाहे कहें, चाहे सूखे स्वभाव की कहें लेकिन मैं यह जानता हूं कि जो आप ठान लेती हैं वह करके रहती हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, एक मिनट में पूरा करता हूं।

श्री सभापति : +++ शब्द एक्सपंज कर दिया जाये।

श्री जगमाल सिंह यादव : मैं चाहूंगा जैसे राजस्थान कैनाल का भविष्य पश्चिमी राजस्थान से जुड़ा हुआ है, इसी तरह से जयपुर क्षेत्र में, जिसमें बैराठ भी आता है, अलवर जिला भी आता है। जयपुर और अलवर का भाग्य साबी नदी से जुड़ा हुआ है और यह जो पुल बनना था, जो डेम बनना था रेवेन्यू मंत्री महोदया, यह आपके क्षेत्र में बनना था। इसलिये मैं चाहूंगा कि जो मौका चूक गये इस कैचमेंट एरिये का पानी जो साबी का है, इसको राजस्थान में रोकें जिससे अलवर और जयपुर जिलों की सिंचाई भी हो सके, पानी की समस्या भी नहीं बढ़ पाये।

श्री सभापति : कृपया समाप्त कीजिये।

श्री जगमाल सिंह यादव : जय हिंद।

श्री सभापति : माननीय श्री रामप्रताप।

श्री रामप्रताप (हनुमानगढ़) : माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या-46 और 8 पर बोलने के लिये आपने मुझे इजाजत दी है इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

पीलीबंगा से आने वाले माननीय सदस्य ने जहां से बात को छोड़ा था उसको मैं आगे बढ़ाते हुये घग्घर नदी के बहाव क्षेत्र

+++ अभिव्यक्ति/शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री रामप्रताप)

में विभाग द्वारा जो तटबंध हटाये जा रहे हैं, वहां से शुरू करना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, गेहूं की फसल खड़ी है और खड़ी फसल में डोजर्स ले जाकर खड़े कर दिये गये और उद्वेलित किसान जब यहां आये और आपसे आकर मिले तो आपने किसानों को आश्वस्त किया कि विभाग के अधिकारियों से जानकारी किये बिना मैं इन तटबंधों को नहीं तुड़वाऊंगी, इस बात के लिए माननीय मंत्री महोदया, आपका बहुत-बहुत आभार। लेकिन आपने आदेश तो जारी करा दिये परंतु विभाग के अधिकारी मेरे ख्याल से इस बात पर अड़े हुए हैं कि अदालत की अवमानना की आड़ लेकर उन तटबंधों को निश्चित रूप से तोड़ेंगे। जब कि अवमानना के मामले में मेरी जानकारी के मुताबिक एक्सटेंशन ले लिये गये हैं, या उसके लिये एप्लाई कर रहे थे।

माननीय सभापति महोदय, घग्घर नदी के बहाव क्षेत्र में नोटिफिकेशन इश्यु हुआ और उसमें अगर कोई कमियां थी तो जब हिन्दुस्तान का कांस्टीट्यूशन अमेंड हो सकता है तो क्या यह नोटिफिकेशन अमेंड नहीं हो सकता था। उसको हम इज्जत का सवाल क्यों बनाये हुये हैं ?

इसके साथ-साथ इस बहाव क्षेत्र में कितने क्षेत्र में यह नदी चले, यह तय करने से पहले हमारे सामने एक बहुत बड़ा अहम् सवाल है कि हरियाणा सरकार ने आटोवेयर की क्षमता को रिवाइज किया। जिस तरीके से आप जानते हैं कि घग्घर नदी के लिये We are riparian state. और इस स्थिति में यह एक अन्तरराज्यीय विवाद है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब हरियाणा सरकार ने इस वेयर की क्षमता को चेंज करने के लिये अपना काम शुरू किया तो क्यां राजस्थान सरकार को इस बात की जानकारी थी ? अगर नहीं थी तो क्यों नहीं थी ? क्यों कि हरियाणा में सिरसा जहां से होते हुये शायद कोई 10-12 किलोमीटर दूर होगा, हमारे सिंचाई विभाग का एक अधिकारी मेरी जानकारी के मुताबिक हमेशा वहां रहता है। आज की तारीख में यह एक हाइपोथेटि-कल क्वेश्चन है कि आया वह केपेसिटी इन्क्रीज करके हमें बाढ़ की तबाही में डुबो देंगे, या यह एक बूंद भी हमें पानी नहीं देंगे। हो सकता है उसमें वह पानी स्टोर करके अपना इर्रिगेशन सिस्टम डवलप कर रहे हैं। हो सकता है बाढ़ की स्थिति में बहुत ज्यादा पानी छोड़ दें। इस स्थिति में हमें इस नोटिफिकेशन के पेटे किसानों के तटबंध तोड़ने के बजाय हरियाणा सरकार जो कुछ कर रही है, यह केन्द्रीय जल आयोग में जाकर हमें इसका निपटारा करना चाहिये।

इसके साथ-साथ अधिकारीगण इस बात को भी कहते हैं कि हमने घग्घर नदी के बहाव क्षेत्र में इतना पानी छोड़ा था। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि लगातार चाहे हम और आप हों, यह अधिकारियों ने हमारी आंखों में धूल झोंकी है। मैं यह इसलिये कहना चाहता हूं कि घग्घर डाइवर्शन चैनल, उसकी क्षमता इन्होंने तय कर रखी है। इसी तरीके से यह छह बीघा

(श्री रामप्रताप)

छोड़ रहे हैं तो हम इतना क्यूसेक पानी इसमें छोड़ेंगे। माननीय मंत्री महोदया, इन अधिकारियों से आप कम से कम इतना तो पूछो कि जब आपने तय किया तो जी. डी. सी. का जो स्लोप है, जो ग्रेडियेंट है, जो ढाल है, क्या वहीं ढाल आपकी नदी के पेटे का है ?

माननीय सभापति महोदय, नदी के पेटे का ढाल दुगुना है उसका मतलब यह है कि इसमें पानी जितना जी. डी. सी. में चलता है उसमें दुगुनी फोर्स से पानी निकलता है। इसलिये बिना किसी टैक्निकल बात को बिना तय किये अगर हम इस तरीके से इतनी बेश कीमती जमीन को बरबाद करने पर तुले हुये हैं तो मुझे कुछ नहीं कहना है।

(16.15 बजे)

(श्री दिग्विजय सिंह, सभापति, पदासीन)

इसके साथ-साथ इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट के अन्दर जैसा अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा गंग कैनाल के माडर्नाइजेशन की बात आयी। इसमें माडर्नाइजेशन की बात अकेली नहीं है, इसके साथ में बहुत से सवाल जुड़े हुए हैं। आज की तारीख में आई. जी. एन. पी. का फर्स्ट स्टेज, सेकिंड स्टेज ड्रिंकिंग परपज के लिये, गंग केनाल और भांखरा के लिंक के लिये, लोसेज को मिल करके अगर अपन टोटल करें तो आज की तारीख में हमें 13,500 क्यूसेक के करीब पानी चाहिये। अब यह तो हमारी आज की जरूरत है। अगर आज हम उसका माडर्नाइजेशन शुरू करते हैं तो जो गंग कैनाल के जरिये 500 क्यूसेक दे रहे हैं निश्चित तौर पर हमें 3,000 क्यूसेक देना पड़ेगा। इसका मतलब यह हुआ कि आज माडर्नाइजेशन शुरू किया तो सौ हजार क्यूसेक आज भी हमें आई.जी.एन.पी. में शुरू करना पड़ेगा।

इसके साथ-साथ नया सी.सी.एम. सेकिंड स्टेज में क्रियेट कर रहे हैं। वह हमारी डिमांड लगातार तीन सौ, चार सौ, पांच सौ क्यूसेक के हिसाब से बढ़ रही है। इस परिस्थिति के अंदर आज की तारीख में आई.जी.एन.पी. की क्षमता है, वह 13-13,500 क्यूसेक से ज्यादा नहीं है और अगर हम माडर्नाइजेशन नहीं करें तो भी हम उस सीमा को क्रोस कर रहे हैं। तो हम उसकी मरम्मत का काम क्यों नहीं करते। पंजाब सरकार से मिल करके जितना भी उसका एस्टीमेट बनता है, बड़ी तसल्ली से बैठ करके तय करें। यह नहीं हो कि मार्च के महीने में जितना पैसा उन्होंने मांगा है उसका 10 परसेंट, 20 परसेंट दे दिया तो न तो उसकी प्लानिंग हो सकती है और न ही उसका टेंडर हो सकता है। मार्च के महीने में पैसा जिस तरीके से उपयोग होता आपको अच्छी तरह से इसकी जानकारी है।

सभापति महोदय, इसी तरीके से राजस्थान आई.जी.एन.पी. फर्स्ट स्टेज भांखरा केनाल और गंग केनाल के अन्दर है। लाखों एकड़ भूमियां अनकमांड पड़ी हुई है। माननीय मंत्री महोदया, मैंने सवाल भी लगाया था और जवाब जिस तरीके से अधिकारीगण

(श्री राम प्रताप)

देते हैं, बड़ा गोलमाल था, जवाब आ नहीं सका। उसमें इन्होंने फरमाया है कि हमारी प्रक्रिया जारी है जब कि मेरी जानकारी के मुताबिक एक बीघा नयी जमीन उसको कमांड नहीं किया गया एक साल के अन्दर। तो इस प्रक्रिया जारी रहने का मैं मतलब नहीं समझ सका। अनकमांड को कमांड करने के लिये मंत्री महोदया, जब आप इनको आदेश देंगी तो इनके पास में सीधा जवाब होगा कि हमारे पास में पानी नहीं है। मैं आपकी जानकारी के लिये बताना चाहता हूं कि गंग कैनाल का माडर्नाइजेशन तो नहीं हुआ लेकिन जो कम से कम जो माइनर्स और डिस्ट्रिब्युटरीज का दो सौ, तीन सौ किलोमीटर के क्षेत्र में लम्बाई के अन्दर जब उनका पक्का किया गया है तो 30, 40, 50 क्यूसेक पानी वह कहां गया है।

इसी के साथ-साथ एक सवाल मैंने बागों के बारे में लगाया था। बागों के बारे में बहुत चर्चा हुई। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत से इस किस्म के लोग हैं जिनके बाग कभी थे। बाग आज की तारीख में नहीं हैं और वह पानी चार गुना उठा रहे हैं और अपना रिन्युअल कराते रहते हैं। इसमें एक तो आपको कमांड करने में लाभ मिलेगा। दूसरा, इसके पेटे जो भ्रष्टाचार होता है उस पर भी रोक लगेगी। कमांड करने के लिये इनके पास में पानी है और जमीन इस किस्म की है आज की तारीख में सेकिंड स्टेज में या मीडियम या माइनर इर्रिगेशन में जब हम नया सी.सी.एम. क्रियेट करते हैं तो कम से कम 20,000 रुपये एकड़ के करीब पैसा लगता है। आज आपको लाखों रुपये की जमीन है उसका सी.सी.एम. आपको मुफ्त का मिल रहा है जो कि कितने सौ करोड़ों के अन्दर आप बना सकते हैं। कितनी उपजाऊ जमीन है और फलों से इर्रिगेशन होने के काबिल है।

इसी के साथ-साथ माननीय सभापति महोदय, एक बड़ी विचित्र स्थिति है कि अनूपगढ़ शाखा पर विशेष तौर से कि वहां के किसानों से उनको जमीनें दी गयी। पैसा उनको रेवेन्यू रिकार्ड में तो कमांड लैंड का लिया है। पैसा उन्होंने कमांड लैंड का दिया है लेकिन आज की तारीख में भी उनकी जमीन है वह अनकमांड है। ऐसे केसेज को देख करके, यह अकेले गंग केनाल का सवाल नहीं है, भाखरा सिस्टम के अन्दर भी जब छावनी बनी थी तो उसमें शायद 5-7 एकड़ जमीन आयी थी। जब 1975 में इसकी केपेसिटी रिवाइज की थी उसके बाद में 15 साल में कितनी आबादी बढ़ी है, कितना शहर बढ़ा है। कितने गांव बढ़े हैं उसका अपना प्लस छावनी का, हो सकता है उसमें कुछ अनकमांड एरिया हो लेकिन कमांड एरिया भी मेरी जानकारी के हिसाब से था। उस तमाम एरिये का पानी आपके पास है।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ-साथ एक बड़ा जुड़ा हुआ सा सवाल है, नहरों की मरम्मत का, मरम्मत के लिये हम पैसा नहीं देते हैं। उसका नतीजा क्या होता है हमारा टेल एंड फीड नहीं होता है।

(श्री रामप्रताप)

टेल का किसान जब रोता है और अधिकारियों पर आकर के जब वह ज्यादा आक्रोष करता है तो उस टेल एंड को फीड करने के लिये आप हैडरीच से ज्यादा पानी छोड़ते हैं। आपके टेल एंड पर पानी फिर भी नहीं मिलता हैडरीच वाले ज्यादा लेवल मेनटेन करके दबाव से, उसी को उसका लाभ मिलता है। आपकी कोई भी कैनाल नहीं होगी जिसमें 20 से लेकर के 30 परसेन्ट पानी फालतू नहीं जा रहा हो। माननीय मंत्री महोदया, मरम्मत के लिये आप पैसे देने का श्रम करें। इसके साथ-साथ मैं आपसे एक जानकारी चाहूंगा विशेष तौर से जब आप जवाब दें तो गंग कैनाल, भाखड़ा और आई.जी.एन.पी. के अंदर रख रखाव के लिये जितना आपका सी.सी.ए. है उसके पेटे प्रति एकड़ रख रखाव में आप कितना पैसा दे रहे हैं ? और इसी तरीके से जो मीडियम और माइनर इर्रिगेशन आपका है उसका जितना सी.सी.ए. है उसमें प्रति एकड़ के हिसाब से आप मरम्मत में कितना पैसा दे रहे हैं, यह बताने का श्रम करें माननीय मंत्री महोदया।

सभापति महोदय, इसके साथ-साथ में आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि रणजीत सागर डैम जिसकी राज्य की जनता को, विशेष रूप से यह 7-8 जिले हैं इनको बड़ी भारी उम्मीद थी इस बात की कि सन् 1960 से यह बांध बनता आ रहा था। 1998-99 में जब यह पूरा हुआ और माधोपुर लिंक के जरिये हमें लगातार, थ्रू आउट दी है, मेरे ख्याल से कम से कम 6 हजार या 7 हजार क्यूसेक पानी मिलना था। उसका नतीजा यह होता कि आज हमें जो पानी की कमी महसूस हो रही है उसमें हमें निजात मिलती। सभापति महोदय, जब 1998-99 में वह बनकर तैयार हुआ। पिछले साल उस डैम को भरा गया, भरने के बाद में उसके गेट जाम हो गये तो उस पानी को पाकिस्तान में छोड़ दिया गया। खैर, उसमें हमारी सरकार का कोई दोष नहीं था। दोष है तो इन अधिकारियों का है, सभापति महोदय, मैं यह बात इसलिए कहना चाहता हूं कि इतना बड़ा हादसा होने के बाद आप इनसे कम से कम इतनी जानकारी तो लें कि उस डैम के आज की तारीख में गेट किस स्थिति में हैं। कितनी दफे अधिकारी गये और कितने दफे आपसे इन्होंने निवेदन किया कि पंजाब सरकार से बात करके उस डैम के गेट ठीक करायें। क्यों कि उस पानी का जब डैम नहीं था तो हम सिर्फ बरसात के टाइम में उसमें से पानी ले सकते थे, लिंक से, और जब वह डैम बनकर तैयार हुआ है तो उससे हम लगातार पानी लेंगे और ड्राई पीरियड में जो लाभ मिलना चाहियें था किसानों को उससे किसान इस बार वंचित रहे हैं और पानी की बड़ी भारी कमी आयी है।

बागों के बारे में मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि पूर्व में बहुत से सदस्यों ने निवेदन किया है निश्चित रूप से रूट जोन हैं वह फैला हुआ है जब नहरों से पानी मिलता है तो आपके ड्रिप सिस्टम और फव्वारा सिस्टम दोनों इसमें कामयाब नहीं होंगे। माननीय मंत्री महोदया, लेकिन इसके साथ-साथ मेरा एक सवाल है कि

(श्री रामप्रताप)

आपने आदेश प्रसारित कर दिये, बहुत अच्छी बात है। पानी की इसमें सेविंग होगी लेकिन आप अधिकारियों से यह जानकारी करें कि कितने लोगों ने, कितने किसानों ने इसके लिये एप्लाई किया और कितनों को आपने इस पेटे पानी दिया। यह आप जानकारी कर लें।

सभापति महोदय, इस मौके पर मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा आउट लैट्स के बारे में, कैनाल सिस्टम में बड़ी भारी समस्या है। बड़ा भारी भ्रष्टाचार है। सभापति महोदय, किसान पानी के लिये किसी हद तक जा सकता है और उस किसान की इस मजबूरी का अधिकारी लाभ उठाते हैं। अब किसी से पैसा लेना हो, मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा जाकर के किसानों को कह दें कि तुम्हारा आउट लैट्स बड़ा है इसको छोटा करेंगे, खट से पैसे मिल जायेंगे और यह कह दें कि छोटा है इसको बड़ा करेंगे उसके पैसे मिल जायेंगे। एक-एक साल में दो-दो, तीन-तीन दफै आउट लैट्स को चेंज करना, उसका संशोधन करना, यह अपने आप में स्पष्ट कर रहा है कि इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि आउट लैट्स के मामले में जब आपको संशोधन के लिये विभाग का कोई अधिकारी डाटाज देता है तो उसमें उस अकेले को मत रखिये। जब आप आउट लैट्स को लगाते हैं तो उसको अकेले को मत रखिये उस क्षेत्राधिकार से हटकर दूसरे अधिकारियों को आप शामिल करें जिससे कि इसकी गुंजाइश कम से कम रहे।

मंत्री महोदया, इसके साथ-साथ आउट लैट्स तो आपने संशोधित किये, रिवाइज किये तो कम से कम जो उसमें कमियां रही हैं उसमें किसान का दोष तो नहीं है, जिस अधिकारी ने उस गलत आउट लैट्स को लगाया था मेरा विशेष रूप से आपसे आग्रह है यह बहुत बड़ी समस्या है कि उस अधिकारी के खिलाफ आप केवल कार्यवाही नहीं करें साथ में यह भी तय कर दें कि आउटलैट्स को फिर लगाने पर जो कास्ट लगेगी वह उस अधिकारी से वसूल की जाये। सभापति महोदय, आउटलैट्स का संशोधन करने के बाद में दुबारा फिर आउट्-लैट्स आये तो मेरी जानकारी के हिसाब से यह पैसा विभाग का लगता है, मशीन का। लेकिन यह अधिकारीगण क्या करते हैं वह किसान से पैसा लेते हैं और फिर उस किसान से वह मशीन लगवा लेते हैं। मेरे पास में कागज है मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। उस किसान के दस्तखत भी हैं उसका नाम भी लिखा हुआ है, मशीन का साइज भी लिखा हुआ है, उसका चक भी लिखा हुआ है। अगर यह पैसा विभाग देता है तो काश्तकार से पैसा क्यों लिया गया। मेरे पास दो बिल हैं इनमें यह ए.पी.एम. लिखा हुआ है, ब्लाक है, रिसिव्ड कैश फ्राम मलसिंह, यह 15.5.99 का है। यह दोनों एक ही आदमी के पैसे दिये हुए हैं। इस पीड़ा के साथ में कि वह किसान टेल पर था और उसको यह वहम था कि यह दोनों आउटलैट्स ओवर ड्रा कर रहे हैं। अगर यह सही लग जायें तो मेरे टेल पर पानी आ जाये इसलिए इस गरीब से पैसे लिये हैं। तो कृपया इसका भी आप माकूल इंतजाम करें।

(श्री रामप्रताप)

सभापति महोदय, सिद्धमुख प्रोजेक्ट ये 1993 में यूरोपियन इकोनोमिक कम्युनिटी की फंडिंग से इसका बनना तय हुआ। उसके बाद में प्रेसीडेंट रूल्स के टाइम में इसमें से रतनपुरा और सिद्धमुख वितरिकाओं को हटा दिया गया। आपका राज आने के बाद में आपने इनको शामिल किया है आपका बहुत-बहुत आभार। लेकिन इन वितरिकाओं का और किसी ने नहीं माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा इनका उद्घाटन किया जाये और बड़े अफसोस की बात है कि उसमें एक नया पैसा आप बजट में नहीं दे रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी का सवाल है। यह कोई पार्टी का सवाल नहीं है। मेरी जानकारी के हिसाब से यूरोपियन इकोनोमिक कम्युनिटी का जो पैसा था आपके पास में और जब आपने यह दोनों वितरिकायें हटा दी थी वह पैसा शायद पड़ा होगा। आप पता कर लेना, हो सकता है मैं गलत होऊं। अगर वह पैसा है तो उसके ब्याज से यह दोनों वितरिकायें बन सकती हैं।

सभापति महोदय, इसी के साथ-साथ सिद्धमुख नहर पिछले से पिछले साल में इसमें पानी छोड़ा गया और 5 हजार बीघे में इससे सिंचाई की गयी जिससे बिरानी, अमरपुरा, सूरतपुरा, सागड़ा, जोगीवाला और कुछ हिस्सा अजीतपुरा का है। उनकी दोनों फसलें मिलाकर 5 हजार बीघा जमीन सिंचित हुई। उसमें फसल हुई। आज की तारीख में बीच में पुल था वह बन चुका है, बनने के बाद में अगर आप ज्यादा पानी दें तो यह 40 गांव इस किस्म के हैं जो इससे लाभान्वित हो सकते हैं। गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले, जब गंगानगर एक था, आज की तारीख में हनुमानगढ़ में अगर अकाल की स्थिति कहीं है तो भादरा का यह क्षेत्र प्लस नोहर का क्षेत्र। आपने पानी देकर पहले उनकी आशाएं जगायीं और आज की तारीख में क्या इसके लिये 50-100 क्यूसेक पानी नहीं है ? अभी आपके पास करीब 15-16 हजार क्यूसेक पानी चल रहा है। उससे 40 गांवों में पीने के पानी का समाधान होता है। उससे अनाज पैदा होता, उससे चारा पैदा होता। सभापति महोदय, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इसको अधिकारियों की उदासीनता कहा जाये या पानी की कमी कहा जाये।

माननीय सभापति महोदय, ज्यादा समय नहीं लूंगा। इस मौके पर मैं सरदार सरोवर बांध का जिक्र जरूर करना चाहूंगा क्यों कि इसमें हमारे जालौर और बाड़मेर जिले के किसानों का, अकेले किसानों का ही नहीं, आम जनता का हित जुड़ा हुआ है क्योंकि इससे पीने के पानी की समस्या का भी समाधान होगा। सभापति महोदय, आप रोज-रोज अखबारों में, रेडियों, टेलीविजन में सुनते और देखते हैं कि इसकी ऊंचाई को लेकर के बहुत लंबा-चौड़ा झगड़ा चला है। सभापति महोदय, इस बांध की ऊंचाई कैचमेंट एरिया मध्य प्रदेश में होने की वजह से वहां की स्टेट इसको कम रखना चाह रही है जिससे कि वहां के लोग कम से कम विस्थापित हों। हमारा उसमें 1.5 एम. एम. शेयर है, अगर उसकी हाइट कम कर दी जाए तो हमारा जो ड्यू शेयर है

(श्री रामप्रताप)

उस पर असर पड़ेगा और हाइट अधिक होगी तो शेयर अधिक होगा, इसलिए हमारा हित उसकी हाइट पूरी रखने में है। लेकिन बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री मध्य प्रदेश में जाकर यह कहें कि हम सरदार सरोवर बांध की हाइट कम रख लेंगे, इससे ज्यादा हमारे लिए शर्मनाक बात क्या हो सकती है ?

श्रीमती कमला (राजस्व मंत्री) : सभापति महोदय, वह अखबारों में गलत आया था, उसके दूसरे दिन माननीय मुख्य मंत्रीजी ने खण्डन भी किया है। ऐसी कोई बात नहीं है, राजस्थान के इस बात को मानने का सवाल ही पैदा नहीं होता।

श्री रामप्रताप : बहुत-बहुत धन्यवाद, माननीय मंत्री महोदया। लेकिन मैं आपसे यह भी जानकारी करना चाहता हूं कि उनको खण्डन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी ?

श्रीमती कमला : क्योंकि अखबारों में कुछ दिया गया था।

श्री रामप्रताप : आधार तो होगा न, इसके छिपाने की जरूरत नहीं है।

श्रीमती कमला : छिपाने की बात नहीं है।

श्री रामप्रताप : ऑफ दी रिकार्ड कोई बात निकल गई होगी। लेकिन इसमें एक प्रदेश के इतने लम्बे-चौड़े एरिया के हित निहित हैं, हम एक जिम्मेदारी की जगह पर बैठकर, एक सी.एम. का कोई वर्किंग ऑवर नहीं होता है, he is on twenty-four hours' duty.

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

सभापति महोदय, आपने घण्टी बजा दी। मैं राजस्व पर दो बातें निवेदन करना चाहता हूं। बीच में मेरी और एक बात रह गई। पिछले साल आई.जी.एन.पी. और सरहिन्द फीडर, दोनों डेमेज हुए हैं। इसी सदन में मामला उठा। चम्बल की दायीं मुख्य नहर, ये दोनों डेमेज हुई, मामला बहुत गम्भीर था क्योंकि कम से कम सात जिलों के पीने का पानी का सवाल इस बात से जुड़ा हुआ था। माननीय मंत्री महोदया ने इसी सदन में खड़े होकर हमें आश्वस्त किया था इस बारे में कि मैं अभी अधिकारियों को भेज रही हूं, आपने शायद भेजा भी है, भेजने के बाद में मैं जांच करवाकर जो अधिकारी दोषी होंगे, उनके खिलाफ कार्यवाही करूंगी। सभापति महोदय, हो सकता है कि मैं गलत होऊं। मैं चाहता हूं तहेदिल से कि मैं गलत होऊं लेकिन आपने जांच करवाई। किसी को सजा देने के बजाय जो अधिकारी, he was at the helm of affairs at that time and you have promoted him as Chairman, IGNP.

सभापति महोदय, मैं पहले कह चुका हूं कि हो सकता है मैं गलत होऊं। आप मुझे कम से कम इस बारे में थोड़ी जानकारी दे देंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

सभापति महोदय, राजस्व के मामले में थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूं। मेरे से

(श्री रामप्रताप)

पूर्व पीलीबंगा से आने वाले माननीय सदस्य ने काफी विस्तार से चर्चा की है। मंत्री महोदय 13 ए, इसकी समयावधि लगातार लम्बे समय से बढ़ाई जाती रही है नियमन के लिए, मेरी जानकारी के मुताबिक 1999 के बाद समय सीमा नहीं बढ़ाई गई है, इसका नतीजा यह है कि किसान पैसे लिए घूम रहे हैं, इससे एक तो सरकार को पैसा मिलेगा, दूसरे उनकी तकलीफ दूर होगी। इसकी अगर समय सीमा नहीं बढ़ाई गई तो आप बढ़ा दें।

सभापति महोदय, इसी तरह 13 ए के फर्स्ट ए में आप जो उसका मूल धन है, उस पर ब्याज लेते हैं 24 प्रतिशत। सभापति महोदय, हिन्दुस्तान के अंदर शायद इतना ब्याज कहीं नहीं लिया जाता होगा, मूलधन से ब्याज कई ज्यादा गुना हो जाता है। सभापति महोदय, मेरा आपसे आग्रह है कि कम से कम इस चीज को आप दिखवाइये और तरमीम करवाइये। इसी तरह 3.55 और पोस्ट 3.65 के टी.सी. होल्डर्स की बात आई। मैंने यह सवाल भी लगाया था, आपने बड़ा आश्वस्त भी किया था। लैण्ड सीलिंग सीमा से या जो उनको अलॉट हो सकती थी उससे जो सरप्लस बची थी, उसमें प्रावधान रखा था कि सरप्लस लैण्ड उसी टी.सी. होल्डर के बालिग पुत्र को अलॉट की जाए लेकिन दुर्भाग्यवश, यही नहीं इन अधिकारियों की वजह से उसको गजट में साया करवा दिया गया, आज वह टी.सी. होल्डर्स का बालिग पुत्र इस बात के लिए जाता है कि जमीन पर मेरा हक है, सर्टेन प्राइस जो तय किया है, उस पर मुझे मिलनी चाहिए लेकिन अधिकारी उसके ऊपर बाजार भाव लगाते हैं। मैंने पूर्व में भी निवेदन किया था, इस किस्म के अनेकों उदाहरण हैं, चाहे गंगानगर जिला हो, चाहे हनुमानगढ़ जिला हो, कम से कम आप उन अधिकारियों को कोई सजा नहीं दे सकते तो उसको गजट में ही निकलवाकर उसको रिलीफ दिलवाने का श्रम करें, यह मेरा आपसे निवेदन है। सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री वृद्धिचन्द जैन।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी (ओसियां) : सभापति महोदय, पाइण्ट ऑफ ऑर्डर। मैं डाक्टर साहब को डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा था लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है कि प्रतिपक्ष के नेता यहीं विराजमान हैं, पांच साल तक तो मुख्य मंत्री रहे, पंजाब के साथ इनका पॉलिटिकल अलाइनमेंट अभी भी है और पांच साल का समय बहुत होता है। उस समय से पानी की समस्या है पंजाब के साथ, इन्होंने क्यों नहीं सॉल्व करवाई ? यहां पर पंजाब के मुख्य मंत्री को बुलवाया और उनके साथ जोइंट प्रेस कांफ्रेंस भी की। जनता ने तो इनको सबक सिखा दिया लेकिन बार-बार जब यह पाइन्ट उठाते हैं, या तो आप इनसे पूछिये कि इनमें क्या इनकैपेसिटी थी कि बादल साहब को कंविंस नहीं कर सके।

श्री रामप्रताप : सभापति महोदय, मैं बहुत विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय भाटी साहब, शायद जब मैं

(श्री रामप्रताप)

बोल रहा था, इनका ख्याल किसी दूसरी जगह होगा। मैंने पंजाब से डिस्प्युट की बात नहीं की। केनाल को जब हम मेनटेन करते हैं, हमारा एग्रीमेंट है कि हम पंजाब को पैसा दें और रिपेयर करवाएं। मैंने यह कहीं जिक्र नहीं किया कि पंजाब से पानी का हमारा कोई डिस्प्युट है और पंजाब हमें पानी नहीं दे रहा है। (व्यवधान) पंजाब के रणजी सागर डैम का मैंने जिक्र किया, उसमें भी मैंने राज्य सरकार की कहीं गलती नहीं बताई। गलती सिर्फ इतनी है कि इतना बड़ा हादसा होने के बाद में उसमें हमारा ड्यू शेयर था, मिसहैप हो गया, उसके बाद में क्या स्थिति है ? आगे आने वाले समय में क्या नुकसान होगा, इसके लिए क्या हम चिंतित हैं ? मेरा मतलब सिर्फ इतना ही था, मैंने कहीं पंजाब सरकार का जिक्र नहीं किया.....।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : सभापति महोदय, मैंने व्यवस्था तो आपसे मांगी थी। डाक्टर साहब मैं आपको बहुत अटैनटिवली सुन रहा था लेकिन यह समस्या बार-बार आ रही है और यह डिफिकल्टी अगर पूर्व मुख्य मंत्री को कुछ हुई होती तो कभी भी अपने आंसर में या किसी भी समय, हमें भी तो अवगत करवाएं कि क्या कारण था, आपके पास सेण्टर में सरकार, आपके पास स्टेट में सरकार, आपके पास पंजाब में सरकार और आपके संबंध बहुत अच्छे, पॉलिटिकल अलाइनमेंट आपका हो रहा है तो भी उसका सॉल्युशन नहीं हो सका, जिसके कारण स्टेट का अहित हुआ है, जिसके कारण अपन सब चिंतित हैं, जिसके लिए अभी माहिर भाई ने कहा कि पानी की समस्या के लिए पूरे सदन के सदस्य एकजुट होकर दिल्ली गए और भविष्य में जाएंगे भी, इसका कोई समाधान, यदि डिफिकल्टी हो तो या तो सामने आएं, क्योंकि ये पाइण्ट आते हैं और हम सदस्यगण समझ नहीं पाते कि किस कारण नहीं हुआ या उठाना ही छोड़ दें।

श्री जगत सिंह दायमा (बानसूर) : सभापति महोदय, जिस तरीके से कांग्रेस ने इच्छाशक्ति जाग्रत की और आपके कई कार्य किए, इसी तरह इच्छा जाग्रत करवाओ इनकी, +++।

श्री सभापति : माननीय जगत सिंहजी, आप विराजें। श्री वृद्धिचन्द जैन।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : सभापति महोदय, मांग संख्या-46 सिंचाई, और मांग संख्या-8, राजस्व, इन दोनों के ऊपर मैं अपने विचार सदन में रखना चाहता हूं। स्वर्गीय गोविन्द वल्लभ पंत ने इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, राजस्थान नहर के नाम से शिलान्यास 1956 में किया था। 1956 में किए हुए शिलान्यास को 44 वर्ष होने आए और इन 44 वर्षों में उसकी प्रगति बहुत ही धीमी है। मैं जब लोक सभा का सदस्य था, मैंने इस संबंध में कोशिश की थी कि इसका बजट प्रावधान अधिक रखा जाए। बॉर्डर

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

एरिया डवलपमैंट प्रोग्राम की राशि भी इस हेतु स्वीकृत करवाई थी और बजट प्रोविजन अच्छा करवाया था। इस समय 60 करोड़ रुपये का प्रोविजन है और जिस रफ्तार से काम चल रहा है, उस रफ्तार से हमारा गड़रा रोड पहुंचने का जो कार्यक्रम है, मैं चाहता हूं कि एक निश्चित तिथि या वर्ष बता दें कि इतने वर्षों में हम गड़रा रोड तक इन्दिरा गांधी नहर का पानी पहुंचा देंगे। दूसरी बात यह है कि अभी जैसलमेर जिले और हमारे बाड़मेर जिले के किसानों ने भी मुरब्बों की जमीन ली है। यद्यपि जैसलमेर जिले के जो किसान हैं उनको जो मुरब्बों की जमीन मिली है एक लाख रुपये में और उसकी 20 किश्तें हैं। उधर बाड़मेर जिले के किसानों को मिली है 5 लाख रुपये में और किश्ते हैं 3। स्थिति इस प्रकार की पैदा हो गई, अभी जो पंजाब की बात कर रहे थे, पंजाब ने भी राजस्थान के अंदर पानी में रुकावट डाली, फिर बाद में हनुमानगढ़ ने भी रूकावट डाली और वहां बहुत कम पानी पहुंचा, सेकण्ड फेज में पानी बहुत कम पहुंचा। जैसलमेर जिले में बाड़मेर जिले के किसानों ने वहां खेती बोयी थी, उनकी फसलें नष्ट हो गई, क्योंकि समय पर पानी नहीं पहुंचा और जब पानी पहुंचा तो अपर्याप्त पानी पहुंचा। इसलिए फसलें नष्ट हो गई। अब मैं यह चाहता हूं अभी पांच लाख रुपये में तीन किश्तें हैं, अभी देने की स्थिति में वे नहीं हैं। तो मेरा निवेदन यह है कि आप वहां की स्थिति को देखकर, बाड़मेर जिले के किसानों की स्थिति को देखकर, वहां अकाल की भयंकर स्थिति है, बाद में फसलें भी बोयीं, खर्चा भी किया और फसलें नष्ट हो गई। इसलिए इस संबंध में आप दस किश्तों के हिसाब से अगर पांच लाख रुपये कर लें तो वे अच्छी तरह से उनका पेमेंट कर सकेंगे और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाने में उनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका हो सकेगी।

दूसरा, मैं राजस्व की मांग पर आता हूं। राजस्व की मांग में मेरा तो यही कहना है कि कलेक्टर की जो अपील होती है वह रेवेन्यू अपीलेट अथोरिटी में होती है और रेवेन्यू अपीलेट अथोरिटी आर.ए.एस. होता है और कलेक्टर आई.ए.एस. होता है। जनरली मैंने यह देखा है, मेरा तजुर्बा है, मैं करीब 25 से रेवेन्यू अपीलेट अथोरिटी का तजुर्बा देख रहा हूं, जब उनका एक साल बाकी रहता है, दो साल बाकी रहते हैं तो भागते हैं रेवेन्यू अपीलेट अथोरिटी के पद पर और फिर जिस प्रकार के वे निर्णय करते हैं वो बहुत ही अफसोस के लायक हैं। अगर आप इतने वर्षों के रेवेन्यू निर्णय मंगा लें तो उनके अंदर भ्रष्टाचार की बू आती है। तो मेरा कहना यह है कि यह जो अपील है, कमिश्नर के पास ज्यादा काम है और कलेक्टर की अपील है वह कमिश्नर के बाद में होनी चाहिए और कमिश्नर ही उसका फैसला करे, यह मेरा सुझाव है।

दूसरी बात यह है कि रेवेन्यू के जितने भी मामले हैं वे एस.डी.ओ. और असिस्टेंट कलेक्टर के पास होतें हैं और एस.डी.ओ. को इतना ट्यूर करना पड़ता है, अकाल की समस्या है तो उसमें भी उसको जूझना पड़ता है, नगरपालिका के संबंध में मसले हैं

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

तो उनको भी हल करना पड़ता है, वो बहुत ही बिजी रहते हैं और जनरली मैं देखता हूं रेवेन्यू केसेज का फ़ैसला होने में करीब-करीब 5-5, 7-7, 10-10 वर्ष लग जाते हैं इसलिए इस एस.डी.एम. से जो रेवेन्यू का काम करता है एस.डी.ओ. की हैसियत से, वह काम उनसे ले लेना चाहिए और असिस्टेंट कलेक्टर को काम सौंपा जाना चाहिए और असिस्टेंट कलेक्टर से दूसरा एक्जीक्यूटिव वर्क है वह नहीं कराया जाना चाहिए जब तो रेवेन्यू केसेज में डिस्पोजल हो सकता है अन्यथा 5-10 साल लग सकते हैं। अगर यह व्यवस्था नहीं कर सकें तो सिविल कोर्ट्स को ये केसेज दे दें। सिविल कोर्ट इनके मामलों का निर्णय कर लेगी क्योंकि उनका तो वर्क फिक्स है और वे फिक्स टाइम में वर्क कर लेती हैं, केसेज का निपटारा कर लेती हैं, एक-दो साल में निपटारा हो जाता है। इसलिए इस संबंध में गवर्नमैंट सोचे। किसान 5-5, 7-7 वर्ष तक परेशान होते हैं और उनके मामले निर्णीत नहीं होते हैं। तो इस संबंध में भी गौर करें।

किसानों को एक और कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। प्रिएम्प्शन एक्ट है वो शहर में जितने प्लाट्स हैं उनके लिए लागू है, मकान बेचना है उनके लिए लागू है, लेकिन एग्रीकल्चर लेण्ड के लिए वह लागू नहीं है। प्रिएम्प्शन एक्ट एग्रीकल्चर लेण्ड के लिए लागू नहीं है और नहीं लागू होने से आज उनके को-शेयरर्स भी हो और उनके शेयरर्स अप-टू-डेट डिवाइडेड हों तब भी उस शेयरर्स को नहीं बेचकर अधिक पैसा प्राप्त करने के लिए दूसरे को देता है और उसके लिए कठिनाई पैदा करता है। पड़ौसी को नहीं बेचता है, दूसरे को देता है तो ऐसा स्ट्रेंजर आ जाता है पड़ौसी, जिससे किसान के लिए एक परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि एग्रीकल्चर लेण्ड के लिए भी यह प्रिएम्शन एक्ट लागू हो और इसमें अमेण्डमेंट किया जाए ताकि किसान को इस तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। इस संबंध में भी मैं सुझाव प्रस्तुत कर रहा हूं, कृपया इस सुझाव को मान्यता दें।

मैंने एक आवेदन-पत्र भी प्रस्तुत किया है और आवेदन-पत्र में ग्राम गुढ़ामालानी है, जिला बाड़मेर में खसरा नं. 1796 व 1718 की जमीन है वह पहले गैर-मुमकिन थी, लूणी नदी थी और लूणी नदी वहां बहती नहीं थी, उसने कोर्स चेंज कर दिया और अब वे किसान काश्त कर रहे हैं। तो उस गैर-मुमकिन जमीन के लिए, बारानी जमीन के लिए कलेक्टर साहब ने भी रिकमण्डेशन की है और मैंने रेवेन्यू मिनिस्टर साहब से भी रिक्वेस्ट की है, आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है, इसके बारे में निर्णय नहीं हुआ है। किसान के लिए जो जमीन है जब बारानी नहीं होती है तब तक बराबर उनको जुर्माना होता रहता है और उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए इस संबंध में भी स्टेप उठाएं और उठाकर इस जमीन को बारानी घोषित करें ताकि किसान इसका लाभ उठा सकें, यही मुझे विशेष तौर से कहना है।

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

एक बात कहकर मैं समाप्त करना चाहता हूं। अभी रेगिस्तानी जिलों में सिवाय चक भूमियों को स्थानीय भूमिहीनों को आवंटित करने के बारे में है। उस संबंध में मेरा निवेदन यह है कि जो गोचर हो, चारागाह हो, नाडी हो, जोहड़ हो, तालाब हो, आगोर हो, रास्ते हो, श्मशान हो, कब्रिस्तान हो, इनकी भूमि पर जो नाजायज कब्जे किये हैं इन नाजायज कब्जों की जमीनों के बारे में जुर्माने भी हुए हैं, जेल में भी गये हैं। इस संबंध में मेरा व्यू यह है कि वो रेगिस्तानी क्षेत्र में है, इनको ठोस कदम उठाकर इन अतिक्रमियों को हटा देना चाहिए, इनका किसी भी सूरत में नियमन नहीं करना चाहिए। क्योंकि आज हमें गोचर की आवश्यकता है, हमें चारागाहों की आवश्यकता है रेगिस्तानी क्षेत्र में। तो इस संबंध में जो निर्णय लिया जा रहा है, कमेटी बिठायी है, मेरा इस बारे में अपोजिट व्यू है। इसमें ठोस कदम उठाया जाना चाहिए और उन अतिक्रमियों को, चाहे वे कोई भी बड़े से बड़ा हो, अगर उन्होंने पक्के मकान बना दिये हैं, क्यों बना दिये, चारागाह की जमीन में क्यों बना दिये ? वे जानते थे गोचर की जमीन है तो उन्होंने क्यों अतिक्रमण किया ? तो ऐसे अतिक्रमियों को कोई सजा नहीं दें और नियमन करते रहें तो उनका हौसला बढ़ता है। आज जितने भी अतिक्रमण बढ़े हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र में बढ़े हों, जयपुर शहर में क्या, दूसरे शहरों में क्या, इसमें हमने ढीली नीति अपनायी है। जब तक ठोस नीति नहीं अपनाएंगे तब तक अतिक्रमियों का हौसला ठण्डा नहीं हो सकता। अभी जैसा कदम जयपुर के लिए उठाया जा रहा है वैसे ही अतिक्रमियों के लिए दूसरे शहरों में भी कदम उठाये जा रहे हैं। तो उन अतिक्रमियों के लिए, कोई भी अतिक्रमी हो, जो कृषि भूमि नहीं है बल्कि गोचर जमीन है उनके लिए भी ठोस कदम उठाये जाने की बहुत आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अधिक न कहकर यही विशेष तौर से कहना चाहता हूं यह जो कार्य है इंदिरा गांधी नहर का, यह कार्य बहुत तीव्र गति से करना चाहिए और यह भी अब कोशिश करनी चाहिए, स्थिति इस प्रकार की हो रही है जहां पानी नहीं पहुंच रहा है, पीने के पानी की योजनाओं को प्राथमिकताएं देनी चाहिए सिंचाई से। पीने के पानी की योजनाओं को अगर प्राथमिकता नहीं दी तो मैं समझता हूं, जैसे मैंने बाड़मेर जिले के लिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा है, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इन क्षेत्रों में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं की गई। बाड़मेर जिले में नहीं की गयी, जैसलमेर जिले में भी बहुत क्षेत्रों में नहीं की गयी। जोधपुर जिले में भी अगर नहीं की गयी तो एक बहुत भारी संकट पैदा हो जाएगा। अब यह सोचना चाहिए, नीति निर्धारित करनी चाहिए कि यह पानी कितना है क्योंकि पंजाब भी हमारे लिए रुकावट डालता रहता है, फिर बाद में हनुमानगढ़ वगैरह, यानी वे भी रुकावट डालते रहते हैं। ऐसा न हो कि जो यह सिंचाई की योजनाएं बन जायं और पीने के पानी के लिये एक भयंकर संकट पैदा हो जाय। शहर जितने हैं उनके लिए पलायन करना पड़े, लोगों को पलायन करना पड़े और एक बड़ी कठिन स्थिति का हमको मुकाबला करना पड़े। इन्हीं शब्दों के साथ में, आपने मुझे अवसर दिया, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री हरिसिंह (सरकारी मुख्य सचेतक) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटा और बढ़ाया जाय।

श्री सभापति : क्या सदन का समय एक घंटे के लिए बढ़ाया जाय ?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घंटे के लिए बढ़ाया गया।

श्री हेमन्त कुमारजी यादव

मांग संख्या 46 एवं 8 पर विचार

श्री हेमन्त कुमार (दीगोद) : आदरणीय सभापति महोदय, सबसे पहले मैं हमारे माननीय मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत, हमारी सिंचाई मंत्री और हमारे क्षेत्र के मंत्री धारीवालजी को बहुत ही धन्यवाद देता हूं। चम्बल की दाहिनी मुख्य नहर गेहूं की बुवाई के समय टूट गयी, उसे ठीक कराने के लिए इन्होंने विशेष रूचि ली और रूचि लेकर मंत्री महोदय वहां मौके पर पहुंची और नहरों को युद्ध स्तर पर ठीक कराया। समय से पहले ही उस काम को ठीक कराकर और पानी का प्रवाह शुरू कराया। इसके लिए हम बहुत-बहुत आभारी हैं। धारीवालजी हमारे क्षेत्र के मंत्री हैं, मौके पर पहुंचे थे। इन्होंने पूरी जानकारी लेकर अधिकारियों को सक्रिय किया, इसलिए यह भी हमारे धन्यवाद के पात्र हैं। इसके अन्दर हमारे क्षेत्रीय कमिश्नर महोदय, सी.ए.डी. के कमिश्नर महोदय यह भी बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। इन्होंने विशेष रूचि ली, रात दिन युद्ध स्तर पर काम कराकर समय से पहले ही जो जल प्रवाहित कराया नहर के अन्दर, मैं इन सब को हार्दिक रूप से धन्यवाद देता हूं वरना अगर यह समय पर काम नहीं होता तो सैकड़ों किसान और हजारों एकड़ जमीन अकाल के मुंह में चली जाती। लेकिन गेहूं की बुवाई के ठीक समय इन्होंने जल को प्रवाहित करवाया नहर के अन्दर, यह सब धन्यवाद के पात्र हैं। सभापति महोदय, यह ऐसी दुर्घटना कैसे हुई इसके पीछे भी कोई तो कारण होगा ही। गत 6-7 सालों में नहरों की सफाई का काम बिलकुल भी नहीं हुआ। सरकार ने जो पैसे दिये, अधिकारियों और उस समय की जो सरकार थी उसके चहेते जो ठेकेदार थे, उनको काम देकर पैसे की बंदरबांट की और उस पैसे का उपयोग नहरों की सफाई, नहरों की मरम्मत पर नहीं किया गया। जिस कारण से ऐसी दुर्घटना हुई जिसके अन्दर सरकार को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ और भारी नुकसान उठाकर उस नहर की मरम्मत करायी गयी।

आदरणीय सभापति महोदय, जो मरम्मत का काम, अभी सरकार ने जो डिस्ट्रीब्यूटरी है माइनर्स की, उसके अन्दर कराया लेकिन वह जो काम कराया वह बहुत ही कम था। बजट का अभाव था इसलिए वह काम पूरा नहीं हो पाया और नहरों की जो माइनर हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी हैं उनकी वैसी की वैसी

(श्री हेमन्त कुमार)

सोचनीय स्थिति बनी हुई है। आदरणीय सभापति महोदय, आज भी जब नहर के अन्दर पानी छोड़ा जाता है तो वही स्थिति जो पहले थी हैड पोर्शन के ऊपर तो पानी ओवरफ्लो होता है और टेल पोर्शन पर नहरों के अन्दर जो सिल्ट आ गयी, आकड़े उग गये, पेड़ उग गये जिसके कारण टेल पोर्शन पर आज भी पहुंच नहीं पाता है और टेल पोर्शन वाले किसान इसलिए दुखी हैं कि उनको पानी नहीं मिल रहा, हैड पोर्शन वाले इसलिए दुखी हैं कि पानी ओवरफ्लो होता है, नहरें टूटती हैं। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इन नहरों के अन्दर जो मरम्मत का काम कराया जाय वह समय से पहले कराया जाय। नहरों का काम मरम्मत का गर्मी के मौसम में हो सकता है, बरसात के अन्दर न तो मरम्मत होती है और न उसकी सफाई होती है। इसी प्रकार सर्दी में जब नहरें चालू हो जाती हैं ऐसे समय में ही मरम्मत का काम नहीं किया जा सकता। मेरा मंत्री महोदय से, मुख्य मंत्रीजी से और वित्त मंत्री से विशेष अनुरोध है कि राशि की शीघ्र ही मंजूरी दिलाकर इस गर्मी के मौसम में ही नहर की मरम्मत और उसकी सफाई का काम पूरा कराया जाय। आदरणीय सभापति महोदय, दायीं मुख्य नहर के अन्दर सबसे बड़ा इसका जो पहला डिवीजन है उसके अन्दर सबसे बड़ा भाग है, डावर सिस्टम का। डावर सिस्टम के अन्दर 62 हजार एकड़ भूमि सिंचित होती है और इसी के तहत दीगोद क्षेत्र है जिसमें कि 29 हजार एकड़ भूमि सिंचित होती है। डावर सिस्टम के अन्दर सुल्तानपुर सब ब्रांच बड़ोद सब ब्रांच, किशनगढ़ डिस्ट्रीब्यूटरी, यह मुख्य मुख्य नहरें हैं। मुख्य नहर से बड़ोद बी.एस. पी. किशनगढ़ माइनर इन सब की जो दूरी है, ऐसे जो सुल्तानपुर सब ब्रांच हैं उनकी 50 किलोमीटर की आसपास की दूरी है, इतनी लम्बी दूरी के अन्दर मुख्य नहर के टेल तक पानी पहुंचाना कोई साधारण काम नहीं है। जब तक नहरों की समुचित सफाई की व्यवस्था नहीं होगी तो आने वाले समय में फिर वही देखना पड़ेगा जो अब इस मौसम में देखा है। मेरा निवेदन है कि कई माइनर्स भी हैं धनसूरी माइनर, मोरफा माइनर, हनुतिया माइनर, समीजा माइनर, मण्डावरा माइनर, रामनगर माइनर, कोकड़ा बिसलाई माइनर, जिनमें पानी की भारी कठिनाई रहती है। सभापति महोदय, अगर माइनर्स की सफाई नहीं हुई तो किसान पानी प्राप्त करने में महरूम रहेंगे और अपनी फसल समय पर पैदा नहीं कर पाएंगे, पैदावार जो उचित होनी चाहिए वह पैदावार उनको नहीं मिलेगी। सभापति महोदय, सुल्तानपुर बी.एस.पी. सब ब्रांच है, इसके अन्दर जगह जगह पाइप के साइफन लगे हुए हैं, जब नहरों से पानी छोड़ा जाता है तो जलकुम्भी और जो आकड़े उगे हुए हैं वह बहते हुए आते हैं और जो पाइप के साइफन हैं उनके अन्दर अवरोध पैदा कर देते हैं। अवरोध पैदा होने से अपर स्ट्रीम में तो पानी ओवरफ्लो होता है, नहर की जगह जगह से ब्रिचिंग होती है, उसकी साइडिंग टूट जाती है और उनका पैनल अवरोध होने से डाउन स्ट्रीम में पानी नहीं पहुंच पाता है।

(श्री हेमन्त कुमार)

इसलिए मेरा अनुरोध है कि यह पाइप के साइफन जो बने हुए हैं इन पाइप के साइफन को हटा कर ओपन साइफन बनाये जायं जिससे यह पानी अवरुद्ध नहीं हो और टेल पोर्शन को पानी पहुंच सके।

आदरणीय सभापति महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि इन नहरों की जो सफाई का काम है वह समय पर और गर्मी के अन्दर ही कराया जाय। सरकार ने..(व्यवधान) बरसात के अन्दर तो काम हो ही नहीं सकेगा।

आदरणीय सभापति महोदय, सरकार ने जो 19 करोड़ 48 लाख रुपये का इसके लिए जो प्रावधान रखा है, यह राशि बहुत ही कम है। वित्त मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि यह राशि बढ़ायी जाय वरना इसके अन्दर जैसे ऊंट के मुंह में जीरा रख दो, इस राशि से कोई भी काम होने वाला नहीं है और नहरों की वैसे ही दयनीय स्थिति बनी रहेगी। इसी प्रकार आदरणीय सभापति महोदय, कोटा, मेरे क्षेत्र के अन्दर सावनभादो डेम है। सावनभादो डेम के अन्दर भी नहरों की बहुत ही दयनीय स्थिति है उसमें भी सफाई की और उसकी साइडिंग से उसकी मरम्मत की बहुत आवश्यकता है। अगर इसकी सफाई नहीं हुई तो वहां भी पानी की किल्लत बनी रहेगी। आदरणीय सभापति महोदय, मेरा इसमें एक और अनुरोध है कि सिंचाई विभाग के अन्दर जो पटवारी काम करते थे, आज वह पटवारी सरकार ने दूसरी जगह लगा दिये, पटवारियों का अभाव है, आम जनता और किसान सिंचाई की राशि को जमा कराने के लिए दर दर भटक रहे हैं लेकिन उस सिंचाई की राशि को जमा करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। किसके पास वह पैसा जमा करें ? किसान अपना पैसा जमा कराना चाहता है, सरकार भी पैसे की कमी महसूस करती है कि हमारे पास सिंचाई के पैसे आयें लेकिन व्यवस्था नहीं होने के कारण किसान अपना पैसा जमा नहीं करा पा रहा है। और फिर जब कई सालों के बाद में उससे एक मुश्त पैसा लिया जाएगा तो किसान के लिए संभव नहीं है कि कई वर्षों की इकट्ठी रकम सिंचाई की वह जमा करा सके। आदरणीय सभापति महोदय, नहरों की सफाई के साथ साथ जो ड्रेंस हैं उनकी सफाई होना भी बहुत आवश्यक है। ड्रेनें भी चोक हो गयी हैं, उनके अन्दर सिल्ट आ गयी है, घास उग गयी है और ड्रेनों की सफाई होने के कारण जो पानी है सरप्लस वह पानी खेत के अन्दर ही रहता है और उसके कारण जो आम रास्ते हैं वे अवरुद्ध हो जाते हैं। नहरों के चौक होने से पानी वापस खेतों के अन्दर आता है और उससे फसलों को नुकसान पहुंचता है। सभापति महोदय, ड्रेनों की सफाई भी बहुत आवश्यक है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि ड्रेनों और नहरों की सफाई विशेष रुचि लेकर शीघ्र ही प्रारम्भ करवाई जाए।

(17.00 बजे)

सभापति महोदय, मैं मांग संख्या-8 के बारे में भी कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। सरकार ने जो नागरिक अधिकार पत्रों की जानकारी दी है, वास्तव में एक बहुत ही

(श्री हेमन्त कुमार)

प्रशंसनीय है। आम नागरिक को, आम किसान को पता चल गया कि किस तरह से हमें पटवारी से सम्पर्क करके खाते की नकल, भूमि से सम्बन्धित जो कागजात हैं उनकी जानकारी ले सकते हैं। अगर पटवारी नहीं मिले तो तहसीलदार से, तहसीलदार नहीं मिले तो एस.डी.ओ. से हम ले सकते हैं लेकिन मुख्य समस्या आज भी वही है कि गांव के अन्दर पटवारी जहां पर उसकी नियुक्ति होती है, अपने नियुक्ति स्थान पर पटवारी लोग नहीं रहते हैं। आपने तो अधिकार पत्र के बारे में जानकारी दे दी लेकिन अधिकार पत्र के तहत किसान पटवारी को ढूंढते रहते हैं, पटवारी का अपने निवास पर मिलना बहुत मुश्किल होता है। सब या तो बड़े कस्बों में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, 10-10, 15-15 दिन के अन्दर आकर जहां पर पोस्टिंग है उस स्थान पर आते हैं और घंटे, दो घंटे रहकर वापस चले जाते हैं। इसलिए आपने जो जानकारी दी मैं माननीय राजस्व मंत्री महोदया से अनुरोध करता हूं कि वे पटवारी को पाबंद करें कि जहां उनकी नियुक्ति है वहां पर ही वे अपना आवास रखें और आम किसान की समस्याओं को दूर करने में अपना सहयोग दें। आपने जो समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री समापति : श्री गोवर्द्धन कल्ला।

श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) : माननीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या-46 और मांग संख्या-8 पर अपने विचार रख रहा हूं। मान्यवर, सिंचाई एक ऐसी समस्या है, ऐसा आयोजन है जो राष्ट्र की प्रगति को अंकित करता है। राजस्थान में 257 लाख हैक्टेयर जमीन कृषि में है उसमें मात्र 28 लाख हैक्टेयर जमीन ही इंरिगेशन से लाभान्वित है। तो मेरा माननीय मंत्री महोदया से निवेदन है कि राज्य को सिंचाई सुविधा से भरपूर कराने हेतु हमको हमारी एक रणनीति बनानी चाहिए जिसे हमारा अधिक से अधिक क्षेत्र सिंचित हो और उत्पादन बढ़ सके।

मान्यवर, जो अभी सिंचित क्षेत्र है उसमें सर्वाधिक क्षेत्र इंदिरा गांधी नहर का ही है जिसके बारे में विस्तृत से मैं चर्चा करना चाहूंगा। उसके अलावा जैसलमेर क्षेत्र से मैं आ रहा हूं, वहां दो अन्य सिंचाई सुविधा है। एक ट्रेडिशनल हमारी संस्कृति है उसमें खड़ीन से पानी एकत्रित करके हम रबी की फसल पैदा करते थे। सैंकड़ों खड़ीन बनाये गये और लाखों टन अनाज उससे आज तक उत्पादित होता रहा। इस वर्ष अतिवृष्टि में करीब करीब सारे खड़ीन टूट गये और माननीय मंत्री महोदया जब जैसलमेर के दौरे पर थीं तो बहुत बड़ा समुद्र देखकर अचंभित हुई कि जैसलमेर में समुद्र कहां से आया तो मैंने निवेदन किया कि जो खड़ीन वर्षों से बंधे थे, इस वर्ष अतिवृष्टि से वे सारे के सारे टूट गये और उस पानी से यह समुद्र बना है। तो मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदया से निवेदन है कि सिंचाई विभाग में एक पैसे का भी प्रोविजन नहीं रखा है कि उस खड़ीन को बंधाया जाए। हमें कहा जाता है कि डी.डी.पी. के माध्यम से जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में जाएं

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

और खड़ीन बंधवायें। मुझे नहीं लगता कि वे खड़ीन बंध सकेंगे। सैकड़ों वर्ष पुराने वे खड़ीन अतिवृष्टि से टूटे हैं। यह एक आकस्मिक घटना है। तो मेरा निवेदन है कि विशेष आयोजन करके उन ख़ड़ीनों को बंधाया जाए जिससे कि लाखों टन अनाज उत्पादन होता है।

दूसरी सिंचाई की योजना यह है कि हमारे जैसलमेर का बैल्ट सरस्वती नदी का बैल्ट है जिसकी खोज हो रही है। आपने भी देखा है कि सन् 1955 में इस क्षेत्र में पहला ट्यूबवैल खुदा जिसको माना कि एशिया का सबसे अधिक पानी देने वाला ट्यूबवैल है। इन वर्षों में सैकड़ों ट्यूबवैल खुदे हैं और उस क्षेत्र में जहां रेगिस्तान था वहां सिंचाई से अनाज उत्पादन हो रहा है। मेरा मंत्री महोदया से निवेदन है कि विशेष आयोजन लाठी, चांदना, जैसलमेर क्षेत्र में जो सरस्वती नदी का बैल्ट है, अण्डर ग्राउंड पानी का, उसमें विशेष आयोजन करके सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जाए जिससे हम उस क्षेत्र को आगे विकसित कर सकें।

मान्यवर, मैं इंदिरा गांधी नहर के बारे में विशेष ध्यानाकर्षित करूंगा कि यह नहर हमारी लाइफ लाइन है, जैसलमेर जिले के विकास की मुख्य धारा है, जैसलमेर जिले की ही नहीं राजस्थान के विकास की मुख्य धारा है। दुनिया की सबसे बड़ी सिंचाई योजना है। मैं साधुवाद दूंगा, धन्यवाद दूंगा उन इंजीनियर्स को जिन्होंने उस क्षेत्र में आकर के पंडित नेहरू के सपने को साकार किया जिन्होंने यह लक्ष्य रखा था सन् 1958 में कि हम उस रेगिस्तान को हरा भरा करना चाहते थे। आज से 40 वर्ष पूर्व जब हम कहा करते थे कि इस रेगिस्तान में पानी आयेगा तो लोग मजाक किया करते थे कि क्या इन धोरों में पानी आयेगा। यह चीज सम्भव हुई। हमारे इंजीनियर्स, हमारे अधिकारी साधुवाद के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं।

मान्यवर, मुझे कुछ समय आपको देना पड़ेगा। आप घंटी बजायेंगे तो मैं बैठ जाऊंगा। मेरे क्षेत्र का विषय है, मैं तीनों विषयों पर बोलना चाहूंगा। इसलिए कृपया करके मेहरबानी रखें।

श्री सभापति : आपका विषय है तो मेरा भी कर्तव्य है।

श्री गोवर्द्धन कल्ला : आपका कर्तव्य है। मैं एकमात्र विधायक हूं अपने जिले का और समस्याग्रस्त जिला है इसलिए मेरा निवेदन है कि कृपया मेहरबानी रखें।

मान्यवर, 1974 में एक क्रिटिकल स्टेज आया था जब यह तय किया गया कि इस रेगिस्तान में नहर नहीं लायी जाए। उस समय में जो भी राजस्थान की सरकार थी उसने निर्णय लिया कि नहीं, इस रेगिस्तान में नहर जाएगी। उसका परिणाम है कि आज जैसलमेर जिले से निकलकर नहर बाड़मेर जिले को छूने की कोशिश कर रही है। हमने 2073 करोड़ रुपये आज इस नहर पर खर्च किये। 300 करोड़ रुपये वार्षिक हम ब्याज भुगत रहे हैं। परन्तु वह तो आर्थिक भार हमारे पर है पर जो

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

इकोनामिक उत्पादन किया है इन वर्षों में तो उसके आंकड़े यदि आप देखें कि 1630 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष कृषि उत्पादन कर रहे हैं जो कि राष्ट्र की समृद्धि है और द्योतक है कि जो इन्वेस्टमेंट हमने किया है 200 करोड़ का वह वेस्ट नहीं है। उसके माध्यम से हम राष्ट्रीय उत्पादन में योगदान दे रहे हैं। इसलिए जैसा मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कहा कि यह एक बहुत बड़ी उपयोगी योजना है तो इस योजना के बजट में कटौती क्यों की जाती है यह मेरी समझ में नहीं आता। माननीय मंत्री महोदया, मैं कहूंगा कि गत वर्ष के बजट स्पीच में हमने आंकड़े दिये थे कि 200 करोड़ रुपये यूज किये जाएंगे, 200 करोड़ रुपये का आयोजन किया जाएगा। उसका परिणाम क्या हुआ कि कटौती का सारा भार इस योजना पर पड़ा और मुझे कहते हुए बड़ा खेद होता है कि जो आंकड़े आपने दिये हैं बुकलेट्स में कि स्थापना खर्च आज बढ़ गया है इस पर 1 जो 12 प्रतिशत था वह बढ़कर 19 प्रतिशत हो गया है। अधिकारियों का वेतन लग रहा है। पर आयोजन के सैकण्ड फेज में जैसलमेर जिले में जो है, 27 करोड़ का आयोजन इस वर्ष रखा गया है और 15 करोड़ का आयोजन, मैं गलत हूं तो मुझे ठीक करिये, केवल वेतन और भत्तों में खर्च किया गया। अब बताइये कि इतना बड़ा आयोजन करने के बाद में इतनी बड़ी कटौती उस क्षेत्र में कर दी गयी और हम चाहते हैं कि आपने लक्ष्य रखा है कि 2005 तक सारी इस योजना को पूर्ण करना चाहते हैं। यह कैसे सम्भव होगा ? इसलिए मैं वित्त मंत्री जी से, आपसे निवेदन करूंगा कि जो भी इस वर्ष कटौती की गयी है, इस वर्ष केवल 120 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया है जबकि गत वर्ष 200 करोड़ था। तो मैं आग्रह करूंगा कि गत वर्ष की तरह पूरा 200 करोड़ रुपये रखा जाए। हालांकि हमने कम खर्च किया। उस कम खर्च करने का कारण है और जो मैं परिणाम दे रहा हूं, मैं धन्यवाद दूंगा इरिगेशन विभाग के अधिकारियों को कि इन्होंने 200 करोड़ का लक्ष्य रखा था कि यह राजकीय आय होगी जबकि 129 करोड़ रुपये सारे व्यवधानों के बावजूद राजकीय कोष में डाला है। तो इतनी मेहनत करके, इसके साथ में हजारों नये किसान, 12000 नये किसान आज भूमि पर खड़े हुए हैं और 12000 किसानों को जमीन मिली है और खेती करने जा रहे हैं और वर्षों में उत्पादन करेंगे। अभी जो कमी आई है 129 करोड़ की, उस ओर भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि जो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, जो पानी का रेगुलेशन हुआ। पंजाब से जो कटौती हुई, उसका सारा का सारा असर पड़ा। आज की तारीख में दिसम्बर के महीने में, जनवरी के महीने में किसान कम आने लगे मुरब्बा खरीदने के लिए क्योंकि पानी नहीं मिला। पांच लाख रुपये में मुरब्बा लेकर पहली किश्त करीबन पौने दो लाख रुपये और फिर एक लाख की किश्त अगले वर्ष देगा। पानी नहीं मिलेगा तो कहां जाएगा ? ऐसे व्यवधान जो पड़ते हैं, उस ओर भी मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा कि हम बाद में इस पानी के रेगुलेशन को जब तक सही नहीं करेंगे, हमें कहा जाता है कि 19 लाख हैक्टेयर

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

कमांड एरिया इस पूरे प्रोजेक्ट्स में हमको इर्रिगेट करना है और यह कहा जाता है कि आपका जो सैकण्ड फेज है, उसमें 46 प्रतिशत इंटेंसिटी इर्रिगेशन पर ही हमने आयोजन की है, परन्तु 46 प्रतिशत इंटेंसिटी से हम जैसलमेर के लोग खेती करेंगे और 200 प्रतिशत इंटेंसिटी से हनुमानगढ़ और गंगानगर के लोग इर्रिगेशन करेंगे। नहर के पानी के पास में ट्यूब वैल लगाकर के वह खेती करेंगे और वह पानी अण्डर ग्राउण्ड नहीं है, वह नहर का पानी है तो मेहरबानी करके इस ओर विचार करें। एक तरफ 200 इंटेंसिटी की खेती की जाएगी और एक तरफ से हमें बाउण्ड करेंगे, 46 प्रतिशत रबी में और 34 प्रतिशत खरीफ में आपकी इंटेंसिटी है तो मेहरबानी करके यह विचार करें। पानी के बारे में मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया। मंत्री महोदया केबिनेट में वह मीमो ले जा रही हैं, उसमें तय था कि फर्स्ट फेज के बाद में जब सैकण्ड फेज में एरिया ओपन किया जाएगा तो फर्स्ट फेज में वाटर अलाउंस 5.23 से घटाकर 3.5 किया जायेगा परन्तु आज तक, तीन-चार वर्ष हो गये, फेज सैकण्ड खुल गया, पांच लाख हैक्टेयर जमीन अलाट कर दी गई और आज भी वाटर अलाउंस फर्स्ट फेज का वही कायम है तो मेहरबानी करके, मंत्री महोदय को आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि इसका निर्णय जल्दी से जल्दी करें। यदि आपने नहर पर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया है, जमीन अलाटमेंट कर दी है, किसान को खड़ा कर दिया है तो मेहरबानी करके पानी की पूरी व्यवस्था करायें। यह आई.जी.एन.पी. के बारे में हमारी कई समस्या हैं। नहर एक विभाग बनाता है, उसके बाद में सी.ए.डी. का काम है खाला बनाना। उपनिवेशन आता है, जमीन अलाटमेंट करना और वापस पानी देने के लिए उसमें नहर विभाग आता है। यह मल्टीप्लीकेशन्स जो चल रहा है तो मेहरबानी करके मेरा मंत्री महोदय से यह सुझाव है कि सी.ए.डी. और नहर को, यदि नहर, माइनर बनाने वाली, खाले बनाने वाली एक एजेंसी है तो यह डुप्लीकेसी खतम होगी और किसानों की जो समस्या है, वह भी नहीं रहेगी। नहरों के निर्माण में कई त्रुटियां आई हैं। गत विधान सभा सत्र में मैने कई पाइंट उठाये थे। नहर के बैड्स ऊपर है और इतने डिफेक्टिव है, पानी टैल पर पहुंच ही नहीं सकता। अब समय आ गया है कि इन सारी बातों को बैठकर हम रिव्यू करें जो नहरों में डिफेक्टिव हैं, जब यह बंदी हो उसको हम ठीक करें। उस ठीक करने का आयोजन हम रखें, उसका प्रोविजन रखें और उसको आइडेंटिफाई करें कि कहां-कहां हमारी नहर खराब है। नहरों से लीकेज चलते रहेंगे तो नहरों से पानी टैल पर नहीं पहुंचेगा तो हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, इस ओर भी मैं माननीय मंत्री महोदया का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, मैं अधिक समय नहीं लूंगा। मैं नहर पर अधिक नहीं कहकर कुछ सुझाव अवश्य मैं दूंगा। यह जो एक्चाट्रेक्ट हैं हमारे, जो अधिकारी यहां बैठे हुए हैं, हमारी मंत्री महोदया ने देखा कि बरसात के पानी से हमारे झीलें बन गई,

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

बड़ी-बड़ी झीलें बन गई, नहर एक बांध बन गया, पानी रुका हुआ है। हमारे प्रयोजन में कहीं कमी रह गई। यदि हमारी गलती रह गई तो कृपया ठीक करें, एक्वाट्रेक्ट बनाकर के पानी की निकासी करें जिससे कि हमारी नहर बच सके।

दूसरा मान्यवर, मैं एक बहुत बड़ी बात कहना चाहूंगा कि अब समय आ गया है कि हम तय करें कि हमारा यह बोर्ड, विभाग और नीचे वाला सारा इन्फ्रास्ट्रक्चर, इसमें कहां रिव्यू की आवश्यकता है या नहीं ? मैं समझता हूं कि बोर्ड बहुत हैवी हो चुका है, भारी हो चुका है, बहुत व्यय हो चुका है इस पूरे प्रयोजन पर, इस पूरे आयोजन पर, इस ओर भी मंत्री महोदया ध्यान करेंगी। इसके साथ मैं, एक मिनट सिंचाई के बाद में, जैसा मैंने कहा कि मुझे कुछ समय आप अधिक देंगे, अभी परसों ही एक मीटिंग थी।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें। बाकी आप मंत्रीजी को जानकारी दे देना। आप थोड़ा सहयोग करें समय के हिसाब से।

श्री गोवर्द्धन कल्ला : यह तो मैं देता हूं रोज जानकारी। मैं दो मिनट दूसरी मांग पर बात करके खतम करूंगा। उपनिवेशन विभाग में मुख्यतः 212 नये गांव सृजन करने की बात है। मुझे उत्तर दिया गया है कि 212 नये गांव बने हैं जिनमें 40 गांव जो डीम्ड विलेज घोषित किये गये हैं। मैं पूछ रहा हूं कि उसमें स्कूल कौन बनायेगा, औषधालय कौन बनाएगा तो वह कहती हैं कि आवश्यकता तो है। जी हां, परन्तु आपका उस ओर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। जैसे सी.ए.डी. हो या चाहे कोई भी विभाग हो, उस ओर मंत्री महोदया अपना ध्यान देंगी। मैं एक मुख्य समस्या कहकर अपनी बात खतम करूंगा। 15 ट्रिपल ए के बारे में बहुत चर्चाएं इस हाउस में हो चुकी हैं। आज दुनिया में कहीं भी किसी खातेदार को गैर खातेदार नहीं किया गया पर राजस्थान में गैर खातेदार कर दिया...

श्री सभापति : अब आप समाप्त करें। आपको अधिक समय इसलिए ही दिया गया है कि आपका क्षेत्र समस्याग्रस्त है। अब आप विराजिये। समाप्त करें।

श्री गोवर्द्धन कल्ला : 15 ट्रिपल ए के बारे में मंत्री महोदय कृपया ध्यान दें कि उन किसानों को कहीं जमीन मिल सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खतम करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री मदन दिलावर। आप समय का भी ध्यान रखो।

श्री मदन दिलावर (अटरू) : सभापति महोदय, मैं सिंचाई की मांग संख्या-46 तथा राजस्व की मांग संख्या-8 पर बोल रहा हूं। आपकी बड़ी मेहरबानी मेरे ऊपर है और आसन की बड़ी मेहरबानी है।

माननीय सभापति महोदय, हाड़ौती क्षेत्र से यदि जल को निकाल दिया जाए तो मैं समझता हूं कि मरुस्थल से ज्यादा बदतर

(श्री मदन दिलावर)

स्थिति हाड़ौती की हो सकती है। हाड़ौती एक ऐसा क्षेत्र है जहां हर 10-15-20 किलोमीटर आप जायेंगे तो कोई न कोई नदी-नाला आपको निश्चित रूप से मिलेगा चाहे वह घोड़ापछाड़ हो, चाहे कालीसिंध हो, चाहे नंदेरी हो, चाहे कोई पार्वती हो चाहे वह परबन हो, चाहे लासी हो, चाहे उजाड़ हो, कई ऐसी नदियां निरन्तर रूप से कहीं न कहीं बहती हैं। परन्तु मुझे यह कहते हुए बहुत दुःख होता है इतनी सारी नदियां होने के बावजूद भी हाड़ौती का बहुत बड़ा भू-भाग आज असिंचित है और जो सिंचित है उसकी भी बड़ी दुर्गति है। माननीय सभापति महोदय, राणाप्रताप सागर बांध की हम चर्चा करें, रावतभाटा से है। 21 जून को इसके गेट खुल गये और गेट खुलने से बहुत सारा पानी बह गया और बहुत बड़ी अनहोनी घटना होने से रह गई। यह गेट कोई आसानी से नहीं खुलते हैं। इन गेटों को खोलने के लिए कई चरणों में इलेक्ट्रिक स्विच को चालू करना पड़ता है। गेट खोलने के लिए स्पेशल विद्युत कनेक्शन लेना पड़ता है लेकिन पता नहीं, कैसे ये गेट खुल गये जबकि वहां सुरक्षा की पूरी व्यवस्था है। वहां रावतभाटा एटोमिक पावर प्रोजेक्ट है, काफी संवेदनशील क्षेत्र है। उसके बाद भी किन कारणों से खुले, कैसे खुले। सिंचाई विभाग ने जांच की होगी निश्चित रूप से और मंत्री महोदय अपने जवाब के समय हमें बताने का कष्ट करेंगी कि क्या कारण रहे, कौनसी ऐसी ताकतें थी इसके पीछे जिन्होंने इस प्रकार का और मैं समझता हूं इस जनता के साथ इस प्रकार का बड़ा धोखा किया। मैं कह रहा था, बहुत बड़ी दुर्घटना घटने वाली थी, परन्तु बच गई, भगवान की कृपा है। चम्बल नदी से नहर निकलती है, दायीं मुख्य नहर और दायीं मुख्य नहर अंता के पास काली-सिंध, उस नदी के पास चार नवम्बर को टूट जाती है। 100 मीटर के रेडियस में 30 फुट गड्ढा अधिकारियों को उसका पहले पता चलता ही नहीं कि यह कहीं जर्जर अवस्था में है क्या? इसको मरम्मत की आवश्यकता है क्या, इसका कोई पूर्व इलाज किया जा सकता है क्या? नहीं, सभापति महोदय, सोच ही नहीं आया। और सोच आया होगा तो निश्चित रूप से उन्होंने सरकार को ध्यान दिलाया होगा और उस रख-रखाव के लिए, मरम्मत करने के लिए पैसे की मांग की होगी लेकिन सरकार पर आजकल एक भूत सवार है, उस भूत का नाम है मितव्ययता। मेरी जानकारी के अनुसार, जैसा किन्हीं लोगों ने मेरे को कहा है, इसके लिए पैसा मांगा गया था एक करोड़ रुपया। यदि एक करोड़ रुपये दे दिये जाते तो रख-रखाव, मरम्मत का काम होता और उसके कारण से बड़ा हादसा नहीं होता। यह बड़ा हादसा हो गया और इससे लगभग एक लाख सताइस हजार बीघा जमीन सिंचित होती।

(17.20 बजे)

(श्री शिवनाथ सिंह, सभापति, पदासीन)

कोटा, सुल्तानपुर, अंता, मांगरोल, इटावा, पीपल्दा क्षेत्र, इतने बड़े क्षेत्र की सिंचित होती है और कितने, 900 करोड़ रुपये की

(श्री मदन दिलावर)

काश्तकारों को आमदनी होती है। अब सरकार की +++ देखिये, एक करोड़ रुपये यदि खर्च कर देते तो किसानों का 900 करोड़ रुपये का नुकसान नहीं होता। और 900 करोड़ रुपया मार्केट में आता, कृषि उपज मंडी में जाता, तो मैं समझता हूं कितना सारा टैक्स मिलता, मार्केट में रोटेटेड होता तो कितना बड़ा टैक्स सरकार को मिलता, लेकिन शायद केलकुलेशन की कमी है, शायद हिसाब-किताब आता नहीं। मैं समझता हूं कि यह सारी की सारी सोच कौन रखेगा और फिर जब चर्चा आती है तो मितव्ययता का भूत चढ़कर के मुख्य मंत्रीजी और वित्त मंत्रीजी के ऊपर जाकर बैठ जाता है। माननीय सभापति महोदय, सिंचाई की दरें बढ़ा दीं लेकिन मरम्मत की चर्चा नहीं की। मैं अभी सिंचाई को यहां रोकता हूं, बाद में सिंचाई की और चर्चा करूंगा, राजस्व की चर्चा करना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, झालावाड़ जिले के इकलेरा का एक मामला है। मांगीलाल, मूलचंद, कैलाशी पिता प्रताप, इनको 18.10.77 को खरोल गांव में एक जमीन आवंटित हुई और लगभग बीस साल तक यह करते रहे इस जमीन को। खातेदारी अधिकार नहीं दिये गये। बड़ी जद्दोजहद के बाद, अधिकारियों के चक्कर काटने के बाद गैर खातेदारी अधिकार दिये। गैर खातेदारी अधिकार देने में भी वहां के तहसीलदार साहब का बहुत बड़ा पेट दुखा और उन्होंने कहा कि नहीं, यह गलत हो गया है और पता नहीं, क्या निर्णय पास किया फिर। उस निर्णय के विरूद्ध एस.डी.एम. के पास वह गये। एस.डी.एम. ने यह कह दिया कि इनको गैर खातेदारी नहीं, इतना टाइम हो गया, अब तो खातेदारी अधिकार दे दिये जाने चाहिए। यह आर.ए.एस. का फैसला हो गया और आज चार माह हो गये आर.ए.एस. का फैसला हुए, आज तक खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा रहे। अब इसके पीछे कारण क्या होगा माननीय सभापति महोदय। जैसा मेरे को अवगत करवाया गया है, पैसा मांगते हैं तहसीलदार साहब, पैसा लाइये, यह रेवेन्यू का काम है और रेवेन्यू में कोई बिना पैसे के काम होता है क्या। पैसा नहीं है सभापति महोदय, इसलिए इस काश्तकार को खातेदारी अधिकार नहीं मिलेंगे। यह तो छोटा सा मामला है सभापति महोदय। मैं आपको बताना चाहता हूं बारां जिले के मामले। बारां जिले की तो हालत ही बड़ी खराब है। कोई भी काम वहां कलेक्ट्री में बिना पैसे हो ही नहीं सकता। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं आपको। तहसील अटरू में एक आटोन गांव है। आटोन गांव के मांगीलाल, रघुनाथ दास दोनों भाई हैं, यह विजयवर्गीय हैं। इनकी जमीन 24.4.76 को सीलिंग में चली गई थी और यह वहां के एस.डी.एम. ने सीलिंग सीमा से अधिक मानकर के वहां के लोगों को आवंटित कर दी और आवंटित करने के बाद यह मांगीलाल जी और रघुनाथ दासजी जाते हैं आर.ए.ए.

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री मदन दिलावर)

में। आर.ए.ए. कहते हैं कि एस.डी.एम. ने जो फैसला दिया है वह फैसला गलत इसलिए है क्योंकि यह ज़मीन सीलिंग सीमा में आती ही नहीं, इसलिए मूल खातेदार को सम्भलाई जाय। माननीय सभापति महोदय, जिनको आवंटित की थी सीलिंग के बाद, वह लोग जाते हैं हाईकोर्ट में और हाईकोर्ट में अपील करते हैं तो हाईकोर्ट उनको कुछ बिन्दु देते हुए सहायक कलेक्टर, अटरू को वह रिमाण्ड कर देता है और रिमाण्ड करके फिर ए.सी.एम. फैसला देता है। ए.सी.एम. फैसला देते हुए यह बताते हैं कि सीलिंग सीमा के अन्तर्गत नहीं आती यह जमीन। इसके विरुद्ध फिर वह आर.ए.ए. में जाते हैं। आर.ए.ए., ए.सी.एम. साहब का फैसला बहाल रखते हैं। उसके विरुद्ध फिर.....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, यह पूरा इतिहास लिखोगे, बोलोगे न तो बहुत समय लग जायेगा। आपने संक्षेप में...

श्री मदन दिलावर : हां, मोटा-मोटा संकेत कर देता हूं।

श्री सभापति : आपने संक्षिप्त रूप में एलिगेशन लगा दिये और आपको मंजूरी मिल गई, बहुत है। अब और दूसरी बात कहो न।

श्री मदन दिलावर : हां, मैं एक मामला कह देता हूं। तो माननीय सभापति महोदय, रेवेन्यू बोर्ड का फैसला हो गया कि यह जमीन सीलिंग सीमा में नहीं आती इसलिए मूल खातेदार को दे दी जाय और उस रेवेन्यू बोर्ड के फैसले के आधार पर वहां के तहसीलदार ने उस जमीन को मूल खातेदार को दे दिया, कब्जा सम्भला दिया। एक साल तक उस जमीन को कर लिया, उन्होंने काश्त कर लिया। एक साल के बाद काश्तकार जाते हैं वहां कुछ कि साहब, उन्होंने हमारी जमीन जबरदस्ती छीन ली है। जिला कलेक्टर मांगी लालजी को बुलाते हैं। उन्होंने कहा, इतनी बड़ी जमीन है, चार लाख रुपये दो। जिला कलेक्टर +++ कहते हैं चार लाख रुपये दो मांगी लालजी, तब जाकर वापस जमीन होगी, नहीं तो मैं उन्हीं को सम्भलाऊंगा। उन्होंने कहा कि चार लाख किस बात के दूं, हाई कोर्ट में जीत कर आया, रेवेन्यू बोर्ड से जीत कर आया, आर.ए.ए. से जीत कर आया, इसलिए मैं चार लाख रुपये नहीं दे सकता। इसलिए सजा क्या मिली; उन्होंने उस जमीन को उनको फिर सम्भला दिया और आज भी उनके कब्जे में है माननीय सभापति महोदय, यह तो एक छोटा-सा मामला था।

श्री सभापति : अब दूसरी बात पर आइये आप।

श्री मदन दिलावर : माननीय सभापति महोदय, मैं दूसरे बिन्दु पर आ रहा हूं। चैनपुरिया तहसील बारां की जमीन माननीय

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, मैंने नोटिस भी दिया है, आपसे मैंने दया भी चाही है श्रीमान् और आप तो बड़े मेहरबान हैं मेरे ऊपर।

+++ नाम अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री मदन दिलावर)

श्रीमान्, चैनपुरिया तहसील बारां की सीलिंग की जमीन का भी ऐसा ही मामला है। श्रीमन्, यह सीलिंग में जमीन गई और आर.ए.ए. ने फैसला दिया कि यह भी सीलिंग सीमा में नहीं आती, लौटा दी जाय। लेकिन क्या रहा होगा बीच में, उसके बाद उन्होंने कब्जा नहीं दिया और कब्जा नहीं देने के बाद वह जमीन निरन्तर रूप से, लगभग दस-पन्द्रह साल से वह जिनको मूल आवंटन हुआ था, वह आवंटी उसको खाते रहे। लेकिन अकस्मात् जब बारां जिला कलेक्टर +++ वहां पहुंचे तो उनको वह मिले। उन्होंने कहा कि साहब, अब तो हमारी जमीन सम्भलाओ। उन्होंने क्या किया, भाई, मैं तो कानून आड़े आता है इसलिए यह तो नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारा कोई न कोई रास्ता निकालूंगा। जब वह गरीब लोग अपनी फसल काट रहे थे सोयाबीन की तो वहां के जो प्रभावशाली लोग थे चैनपुरिया के, वह लोग वह फसल काटने लग गये, उनको मारपीट कर भगा दिया, तो वह एस.डी.एम. के पास आये। एस.डी.एम., बारां ने निर्देश दिये लिखित में कि पुलिस पूरी इमदाद लेकर इन गरीब लोगों की फसल कटवायें लेकिन बारां जिला कलेक्टर एस.डी.एम. को और वहां के थानेदार को धमकाते हैं कि ऐसी कार्यवाही कीजिये कि गरीब लोग फसल नहीं काट पायें और जो यह लोग प्रभावशाली हैं, यह फसल काट पायें। उन्होंने यह कार्यवाही की और रिसीवरी की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी। मुझे यहां तक भी आपत्ति नहीं थी श्रीमन् कि कोई विवाद हो जाय तो रिसीवरी नहीं होनी चाहिए, हो जानी चाहिए। लेकिन उस घटनाक्रम को देखिये। एस.डी.एम. कलेक्टर के दबाव में 28.10.98 को यह देते हैं श्रीमन् कि रिसीवरी की जाती है। फिर वह एस.डी. ओ. की हैसियत से तहसीलदार को 28.10.98 को ही चिट्ठी लिखते हैं। 28.10.98 को यह चिट्ठी तहसीलदार को मिल जाती है। 28.10.98 को ही तहसीलदार मौके पर जाकर जमीन को अपने कब्जे में ले लेता है, 28.10.98 को ही उस खड़ी फसल की, जमीन की नीलामी का इश्तिहार जारी कर देता है, 28.10.98 को ही जमीन की नीलामी हो जाती है और वह पन्द्रह हजार रुपये जब एक सौ बीस बीघा खड़ी फसल की, सोयाबीन की फसल की नीलामी लगती है तो तहसीलदार बड़ा संजीदा था, वापस कलेक्टर के पास आता, इतनी देर में वह प्रभावशाली पार्टी मोटर साईकिल से पहले ही कलेक्टर के पास आती है कि साहब, तहसीलदार गड़बड़ कर रहा है, हमारे नहीं छोड़ रहा है। उन्होंने कहा कि नो, यह जमीन इनको छूटनी चाहिए। तो फिर 28.10 तारीख को ही एक इश्तेहार जारी होता है बिना तारीख का और बिना सप्ताह उसमें लिखा हुआ होता है तारीख नहीं कुछ नहीं 10 से 5 बजे के बीच में वहां बोली लगेगी। तारीख नहीं, रकबा नहीं, कुछ नहीं और 29.10 तारीख को श्रीमान्, 40 हजार रुपये में 120 बीघा सोयाबीन की खड़ी फसल नीलाम हो जाती है जबकि

+++ नाम अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री मदन दिलावर)

जिला कलेक्टर ने खुद एक आदेश दे रखा है कि कोई भी बारानी सेकिंड जो जमीन होगी, वह चार सौ रुपये बीघा से कम पर नीलाम नहीं की जा सकती। मेरे पास वह सारे दस्तावेज हैं, श्रीमान्, और नीलामी नहीं की जा सकती। उस हिसाब से इन्होंने 40 हजार रुपये में उनको वह जमीन छोड़ दी। अब दूसरा प्रकरण देखिये। इसी प्रकार छिजाबा की जमींन में अटरू के तहसीलदार नीलामी करते हैं वह नीलामी होती है चार सौ रुपये बीघा से कम तो जिला कलेक्टर +++ उनको चार्जशीट देते हैं कि आपने सरकारी धन में राजस्व की हानि की है इसलिए आपको आरोप पत्र दिया जाता है और आरोप पत्र दे दिया गया श्रीमान् लेकिन इधर कोई कार्यवाही नहीं की गई। आखिर ये दोनों विरोधाभास कैसे है। मेरा आरोप है कि जो प्रभावशाली पार्टी थी। दो लाख रुपये इसमें जिला कलेक्टर +++ ने रिश्वत के बतौर लिये हैं क्योंकि यह जो सोयाबीन की फसल है...

श्रीमती कमला : सभापति महोदय, माननीय सदस्य इतनी देर से नाम ले-ले कर सदन में बोल रहे हैं और इस तरह की बात कर रहे हैं जिसका जवाब वह अधिकारी यहां आकर दे नहीं सकता।

श्री मदन दिलावर : नोटिस है 273 का।

श्रीमती कमला : इसलिए आप या तो इसकी परमीशन लीजिये कि मैं इस तरह से बोलना चाहता हूं।

श्री मदन दिलावर : ले ली।

श्रीमती कमला : इस तरह से आप किसी भी अधिकारी को बिना सबूत, बिना कारण भ्रष्ट बता रहे हैं।

श्री मदन दिलावर : माननीय मंत्री महोदया, आपकी जानकारी के लिए आपको भी इन्फोर्मेशन दे दी।

श्रीमती कमला : आप यहां केसेज की पैरवी करने के लिए सदन में खड़े हैं।

श्री मदन दिलावर : आपको सदन में मैंने सूचना दे दी है।

श्रीमती कमला : केसेज की पैरवी करने के लिए सदन का उपयोग कर रहे हो।

श्री मदन दिलावर : महोदयाजी, मैं ऐसा नहीं करता हूं। एक नमूना और बता रहा हूं श्रीमान्, बारां जिला कलेक्टर का लाया हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बहुत नमूने हो गये और कोई बात कहनी हो वह कहिये।

श्री मदन दिलावर : मैं बहुत छोटी-छोटी बात करूंगा। यह बारां जिला कलेक्टर ने सब बी.डी.ओ. को बुलाकर कहा कि दरी पट्टी खरीदो जरूरत नहीं है बारां जिले में अटरू तहसील में। वित्त समिति से कोई

+++ नाम अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री मदन दिलावर)

परमीशन नहीं, पैसा कहीं से नहीं। यह 87 रुपये की दरी पट्टी खरीदी गई श्रीमान् ज़बकि मार्केट में मैं भाव कराकर आया हूं 28 रुपये से ज्यादा नहीं है। 8 लाख रुपये की दरियां खरीदी गई। 8 लाख रुपये जिला कलेक्टर बारां +++ इसमें खा गये। श्रीमान् यही मामला नहीं है.....

श्री समापति : कृपया विराजिये।

श्री मदन दिलावर : श्रीमान् ऐसे कई मामले हैं, मैं इसको बंद कर रहा हूं।

श्री सभापति : हां, बंद करिये।

श्री मदन दिलावर : क्योंकि ज्यादा हो जाएगा, आप भी थोड़ा सा ऐसा महसूस कर रहे हैं कि भ्रष्ट तो बहुत हैं। मेरा तो इतना ही आरोप है कि यह सारी जांच करवायेंगे न तो एक करोड़ रुपये भी ज्यादा भ्रष्टाचार इन्होंने किया है। श्रीमान् अब मैं आता हूं सिंचाई विभाग पर।

श्री समापति : जो सदन के सामने मांग है उन पर कहिये आप।

श्री मदन दिलावर : हां, रेवेन्यु की थी न। यह सिंचाई की दरें बढ़ा दी गई श्रीमान्...

श्री सभापति : अब आप समाप्त करें तो ठीक रहेगा।

श्री मदन दिलावर : हां, सिंचाई पर बोल रहा हूं।

श्री सभापति : समाप्त करें तो ठीक रहेगा।

श्री मदन दिलावर : मैं बस अभी 10 मिनट में समाप्त करूंगा।

श्री समापति : 20 मिनट हो गये हैं आपको।

श्री मदन दिलावर : बस 10 मिनट में।

श्री सभापति : नहीं-नहीं, दो मिनट में समाप्त कीजिये आप।

श्री मदन दिलावर : श्रीमान् सिंचाई की दरें बढ़ा दी गई और कहा गया था... (व्यवधान)

श्री परसादी लाल : माननीय सदस्य, यह कलेक्टर आपके टाइम पर ही लगा था। आपकी ही सिफारिश पर लगा था।

श्री मदन दिलावर : हां, +++ संस्कृति यह है कि +++ हमारा है और क्या मालूम था कि +++

श्री परसादी लाल : आप उनको कहो न कि उन्होंने ऐसा कलेक्टर क्यों लगाया। इसके लिए जिम्मेदार आप खुद हो आपने ही लगवाया था नेता महोदय से सिफारिश करके।

एक माननीय सदस्य : सदन का दुरुपयोग किया गया है कलेक्टर के खिलाफ।

+++ नाम/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री परसादी लाल : आपने कलेक्टर को क्यों लगवाया था, क्यों सिफारिश की थी।

श्री रघुवीर सिंह : कोई काम नहीं किया होगा ज़िला कलेक्टर ने इनका। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : जिला कलेक्टर कहना नहीं मानते होंगे तो सदन का उपयोग कर रहे हैं ताकि उन पर दबाव बनाया जा सके।

श्रीमती कमला : सदस्य महोदय, अपने प्रिवीलेज का बहुत मिसयूज कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए।

श्री देवीसिंह भाटी : यह क्या मतलब है। क्या मिसयूज कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : नहीं कर रहे हैं। बंद करिये आप।

श्रीमती कमला : इसलिए कर रहे हैं कि बार-बार भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं लेकिन सबूत कुछ नहीं है। भ्रष्टाचार की बात कह रहे हैं बार-बार और सबूत एक भी नहीं है।

श्री देवीसिंह भाटी : ....(व्यवधान).... नोटिस दिया है सभापति महोदय, और अपनी बात रखेंगे।

श्री सभापति : माननीय भाटी साहब, माननीय मदन दिलावर जी खुद सक्षम हैं अपनी पैरवी खुद कर लेते हैं आप ऐसा क्यों कह रहे हैं।

श्रीमती कमला : इस तरह से हर किसी के खिलाफ कोई भी खड़ा हो जाएगा। प्रक्रिया के ढंग से रखिये और जो बात बोल रहे हैं उनको साबित करने के लिए कागजात रखिये।

श्री अमराराम (धोद) : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य जिला कलेक्टर से इसलिए प्रिजूडिश हैं क्योंकि इनको बंद करवा दिया था।

श्री सभापति : यह आपकी जानकारी में हो गया, आसन की जानकारी में नहीं है। समाप्त कीजिये अब।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मंत्री महोदया, विशेषाधिकार हमको प्राप्त है उसका उपयोग तो करेंगे, दुरूपयोग नहीं करेंगे।

श्री सभापति : आप समाप्त कीजिये। माननीय मदन दिलावरजी।

श्री मदन दिलावर : श्रीमान जब चम्बल की दायीं मुख्य नहर टूट गयी तो मंत्री महोदया भी वहां गयी और ये धारीवाल जी भी वहां गये मुट्ठी तान कर कह रहे हैं कि हम इसको जल्दी चालू करवा देंगे। कितने लोग बेघर हो गये, कितने लोगों के बच्चे भूखे मर रहे हैं श्रीमान् पांच अरब रुपये का नुकसान तो हुआ है और आज कई काश्तकार भूखों मरने की स्थिति में है। और आज भी पूरा पानी नहीं छोड़ा उसमें कलेवा नहीं बाकी है उनका। एक लाख सत्ताईस हजार बीघा जमीन असिंचित रह गई श्रीमान् और मैं आपसे कहूं कि परमा लिफ्ट सिंचाई योजना बारां की हजारों बीघा उसमें सिंचित

(श्री मदन दिलावर)

होती है लेकिन बिजली विभाग कहता है कि 50 लाख रुपये हमको नहीं दिये गये इसलिए 17 फरवरी को उसका विद्युत विच्छेद कर दिया जाता है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, सहयोग कीजिये।

श्री मदन दिलावर : बहुत महत्वपूर्ण मामला है, काश्तकार का मामला है।

श्री सभापति : सहयोग कीजिये।

श्री मदन दिलावर : हां, बिल्कुल शोर्ट।

श्री सभापति : नहीं, सहयोग कीजिये। शोर्ट तो है सो है।

श्री मदन दिलावर : हां, बिलकुल संक्षिप्त कर रहा हूं। फरवरी में उसका विद्युत कनेक्शन काट दिया जाता है कि 50 लाख रुपये सिंचाई विभाग ने बिजली विभाग को जमा नहीं कराये और सिंचाई विभाग कहता है कि मितव्ययता है तो श्रीमान् इस सरकार की लड़ाई में उन हजारों काश्तकारों के बच्चों को भूखा क्यों मार दिया गया। आखिर में क्या अपराध किया था मेरे काश्तकारों ने जिन काश्तकारों को इस प्रकार से परेशान किया गया ? और बिना पैसा जमा करवाये क्यों चालू करवा दिया गया ? यदि ऐसा था तो, लेकिन जानबूझ कर, इस प्रकार कि मदन दिलावर वहां से एम.एल.ए. आता है, इसलिए इस प्रकार से तंग किया जाए। श्रीमान, मेरी मांग है कि इन किसानों की फसल....

श्री सभापति : कृपया विराजिये।

श्री मदन दिलावर : माननीय सभापति महोदय, उन किसानों को मुआवजा देना चाहिए और दायीं मुख्य नहर में जहां खराबा हुआ है और किसानों का नुकसान हुआ है उनको निश्चित रूप से मुआवजा देना चाहिए। श्रीमान, भीमसागर बांध की दांयी मुख्य नहर टूट गई फिर मरम्मत की तथा पानी छोड़ते ही टूट गई। श्रीमान 16 फरवरी से 22 फरवरी तक काम होता है लाखों रुपये खर्च होते हैं और फिर पानी चलाते ही टूट जाती है। यह कहां से आये हैं इंजीनियर ? कौन सी सरकार है यह ? क्यों जनता को तंग कर रही है ? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है ? यह सब सिंचाई विभाग की बात है। 225 करोड़ रुपये सिंचाई विभाग के वार्षिक बजट में कमी कर दी जाए इस कृषि प्रधान प्रदेश में श्रीमान् जहां काश्तकार रहते हैं, जहां कोटा और गंगानगर पूरे राजस्थान को खाद्यान्न देता है, ऐसी जगह पर जहां पानी गंगानगर और कोटा में है ऐसी जगह के लिए 225 करोड़ रुपये और कोटा के 60 करोड़ काटे गये श्रीमान्।

श्री सभापति : बहुत-बहुत धन्यवाद माननीय सदस्य।

श्री मदन दिलावर : अब मेरी कांस्टिट्युएन्सी पर आ रहा हूं।

श्री सभापति : अब आप समाप्त कीजिये। नहीं अब कुछ नहीं।

श्री मदन दिलावर : शेरगढ़ पिक अप वियर आंचोली एनीकट बांध श्रीमान आंचोली

(श्री मदन दिलावर)

एनीकट बनाया गया, हुआ नहीं अधूरा पड़ा है और शेरगढ़ से निकलने वाली नहरें श्रीमान् कभी मरम्मत नहीं, पानी ऊपर होकर जाता है और कहते हैं मैंने अभी इनसे पूछा था एक ध्यानाकर्षण लगाया था उसके जवाब में आया कि हमारे पास पैसा नहीं है, आर्थिक संसाधन नहीं है इसलिए हम कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर मैंने दूसरा भी लगाया कूकर तालाब का। मैंने कहा कि इससे 10 हजार बीघा से ज्यादा जमीन सिंचित होती है। इन्होंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में माना कि काफी जमीन सिंचित होती थी लेकिन क्या कहा कि पंचायत की सभा में वार्ड की सभा होगी उसमें इसको रखना। 10 हजार बीघा जिस तालाब से सिंचित होता है वह वार्ड फैसला करेगा। आखिर में इनकी अक्ल के बारे में हम क्या कहें, कहां जाएं, किसको कहें। इसी प्रकार की चर्चा श्रीमान् ये लोग करते हैं। सांगोद भीम सागर बांध से निकलने वाला बुराइका माइनर टूट गया है, बिल्कुल छिन्न भिन्न है, नहर छिन्न-भिन्न है और किसानों का....

श्री सभापति : माननीय सदस्य मैं दूसरे माननीय सदस्य को बुला रहा हूं।

श्री मदन दिलावर : मैं आपसे विनम्र शब्दों में निवेदन कर रहा हूं। पांच मिनट और लूंगा।

श्री सभापति : नहीं-नहीं।

श्री मदन दिलावर : अच्छा एक मिनट। माननीय सभापति महोदय, सांगोद की नहरों के मामले में कह रहा हूं कि वहां सांगोद के किसान इतने परेशान हैं कि पता नहीं ये कांग्रेस के माननीय सदस्यगण हाड़ौती की नहरों के बारे में क्यों नहीं बोले। और बोले तो दबी जबान से बोले क्या हो गया किसानों के हित में बोल लेंगे तो +++ लेकिन यह सभाएं करनी चाहिए शेरगढ़ बांध के ऊपर अकाउ क्या एनीकट बनने वाला है जिसका एस्टीमेट बनाकर के भेजा हुआ है। लेकिन यह सरकार कहती है कि डी.आर.डी.ए. में स्वीकृत करावें। 62 लाख रुपये डी. आर. डी. ए. में स्वीकृत करावें। हमने कहा उधर पारोती नदी में भी कड़दह है, वहां से पानी लाकर नहर में डाल दीजिये, उस पर भी कहते हैं कि हम नहीं डाल सकते।

श्री सभापति : बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री मदन दिलावर : तो क्या करेंगे श्रीमान्। मैं कहता हूं कि ये किसान विरोधी हैं और किसानों के ऊपर अत्याचार करने वाले हैं, किसानों के बच्चों के बारे में कुछ नहीं सोचते इसलिए मैं इस डिमांड का विरोध करता हूं। और राजस्व के मामले में मैं यह कहता हूं कि जिन अधिकारियों ने गड़बड़ की है उनको कठोर से कठोर सजा दी जाए, तब तो यह माना जायेगा कि सरकार भ्रष्टाचार से लड़ना चाहती है नहीं तो यह माना जायेगा कि भ्रष्टाचारियों से समझौता कर के अपने घर भरना चाहती है, यह मेरा आरोप है।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

समिति का प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति का आठवां प्रतिवेदन

श्री सभापति : माननीय सरकारी मुख्य सचेतक महोदय।

श्री हरिसिंह (सरकारी मुख्य सचेतक) : माननीय सभापति महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के आठवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 8वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

कार्य सलाहकार समिति की बैठक आज दिनांक 19 अप्रेल, 2000 को मध्यान्ह पश्चात् 1.30 बजे माननीय अध्यक्ष के वेश्म में हुई। समिति ने निर्णय लिया कि गुरूवार, दिनांक 27 अप्रेल, 2000 से मंगलवार, दिनांक 2 मई, 2000 तक सदन में लिये जाने वाले कार्य का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाय :–

गुरूवार, दिनांक 27 अप्रेल, 2000	1. संविधान (84 वां संशोधन) विधेयक, 1999 का अनुसमर्थन। 2. राजस्थान माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2000 3. राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2000 4. राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2000 – पर विचार एवं पारण
शुक्रवार, दिनांक 28 अप्रेल, 2000	1. राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2000 2. कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर विधेयक, 2000 – पर विचार एवं पारण 3. गैर सरकारी कार्य दिवस (समय–म.प.3.00 बजे से 5.00 बजे तक)
शनिवार, दिनांक 29 अप्रेल, 2000 रविवार, दिनांक 30 अप्रेल, 2000	बैठक नहीं होगी।
सोमवार, दिनांक 1 मई, 2000	1. राजस्थान सूचना का अधिकार विधेयक, 2000 2. राजस्थान धूम्रपान का प्रतिषेध और अधूम्रपायी व्यक्तियों के स्वास्थ्य का संरक्षण विधेयक, 1999 – पर विचार एवं पारण
मंगलवार, दिनांक 2 मई, 2000	राज्य में ऊर्जा की स्थिति पर विचार

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 8वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है ?

(स्वीकृत)

स्वीकार किया गया

मोहम्मद माहिर आजाद।

मांग संख्या 46 एवं 8 पर विचार

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : सभापति महोदय, यह सदन राजस्व उपनिवेशन और सिंचाई की मांग संख्या 46 और मांग संख्या 8 पर विचार कर रहा है। माननीय सभापति महोदय, मैं आज समय का ध्यान रखते हुए लम्बी बात न कह कर आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री महोदया को कुछ मेरी जो पीड़ा है वो और कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

सभापति महोदय, राजस्थान प्रान्त में अलवर और भरतपुर दो जिले ऐसे हैं जिनमें आजादी के 50-53 वर्ष बीत जाने के बाद भी हजारों काश्तकार ऐसे हैं जो अपनी भूमि पर, तिजारा से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे हैं कि लाखो, लाखों किसान ऐसे हैं जो आज भी भूमि पर गैर खातेदार के रूप में काबिज हैं। तीन तरह की भूमि अलवर और भरतपुर के काश्तकारों को मिली। कुछ कस्टोडियन प्रोपर्टी, कुछ इवेन्यु प्रोपर्टी और कुछ गैर खातेदारी के रूप में। राज्य सरकार ने एक डिस्प्लेस्ड पर्सन कम्पन्सेशन रिहेबिलिटेशन एक्ट, 1954 बनाया और उसके तहत यह प्रावधान रखा कि 1957 से पहले से जो लोग जिस जमीन पर गैर खातेदार के रूप में काबिज हैं उनको 78 रुपये प्रति बीघा राशि लेकर खातेदारी अधिकार या पट्टा दे दिया जायेगा और जो 1957 के बाद गैर खातेदार के रूप में जिस जमीन पर काबिज हैं उनसे 625 रुपये बीघा की राशि लेकर उनको खातेदारी का अधिकार दे दिया जायेगा। सभापति महोदय, मैं यह समझता था कि इस सदन में जब हम अपने क्षेत्र के लोगों की कोई बात करते थे तो अक्षरशः उस पर नोटिंग लिया जाता था और उसका पालन और कुछ न कुछ अमल होता था। आज स्थिति इसके विपरीत हो रही है। आज हमारे क्षेत्र में स्थिति यह है कि माननीय कृषि मंत्री जी का चुनाव क्षेत्र कामां भी इससे पीड़ित है। तिजारा, खैरथल, रामगढ़, लक्ष्मणगढ़ और भरतपुर जिले का नगर, डीग और जो मेवात के दूसरे क्षेत्र हैं इनमें न सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय के मेव लोग बल्कि रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य भी जानते हैं कि हमारे जो शरणार्थी भाई हैं वह भी इस चीज से काफी परेशान हैं। और व्यावहारिक रूप में यह होता है कि जब वह खातेदारी अधिकार के लिये जाते हैं तो तहसीलों में उनसे बड़ी भारी रकम घूस के रूप में मांगी जाती है और अगर वह नहीं देते हैं तो उनको कहा जाता है आप वर्तमान बाजार दर से रजिस्ट्री करवा लीजिए। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय राजस्व मंत्री महोदया जो काफी अनुभवी भी हैं, जानकार हैं, काश्तकारों की हमदर्द हैं, मैं इनसे यह विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आपने यह जो डिस्प्लेस्ड पर्सन कम्पन्सेशन रिहेबिलिटेशन एक्ट, 1954 बना रखा है आप तहसीलदारों को, जिला कलेक्टरों को, राजस्व अधिकारियों को निर्देश दें कि वह सख्ती से इसका अमल करें।

(मोहम्मद माहिर आजाद)

और जो लाखों काश्तकार आज भी गैर खातेदार के रूप में अपनी जमीन पर काबिज हैं, उनको खातेदारी मिले, ताकि कभी आवश्यकता अनुरूप वह अपनी जमीन बेचना चाहें तो उसको उस जमीन का सही मूल्य मिल सके। उनके नाम नहीं होने के कारण उनको आधी राशि मिलती है, इसमें सुधार किया जाना चाहिये।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया को एक और सुझाव देना चाहता हूं कि जिस तरीके से शांति धारीवाल जी ने कड़ा मन कर के आपरेशन पिंक चलाया, आज पूरे राजस्थान में ज्यादातर झगड़े चाहे गांवों में हो रहे हैं या कस्बों में हो रहे हैं, वह शमशान भूमि को और कब्रिस्तान की भूमि को लेकर हो रहे हैं। जो स्थान मुर्दों के रहने के लिये है आज वहां हजारों की तादाद में जिंदा लोग रह रहे हैं। शमशान भूमियों पर और कब्रिस्तान की भूमियों पर लोगों ने अनधिकृत तरीके से कब्जा कर लिया है, अतिक्रमण कर लिया है। आप एक सख्त निर्णय लेकर अपने राजस्व अधिकारियों को यह निर्देश दें कि वह इनकी पैमाइश मौके पर करवा कर पत्थर गड़ी करवा लें और इसमें जो लोग नाजायज तरीके से काबिज हैं उनको हटायें। सभापति महोदय, मैं आगाह करना चाहता हूं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को और इस सदन को कि जो वारदात जयपुर के शास्त्री नगर के कब्रिस्तान में हुई ऐसी वारदातें और दूसरी जगह न हो पाये, उसकी पुनरावृत्ति न हो पाये इसलिए समय रहते पहले से ही यह काम कर देना चाहिये। मेरे विधान सभा क्षेत्र नगर के शमशान भूमि और कई गांवों के कब्रिस्तान की चार दीवारी करने के लिये मेरे विधायक कोटे से पैसा दिया। सभापति महोदय, वहां कहने लगे इसमें तो लोग रह रहे हैं। इसकी बाउंड्री वाल ही नहीं करना देना चाहते। मैंने तहसीलदार, नगर को निवेदन किया, मैंने एस.डी.एम., डीग को निवेदन किया कि आप मौके पर जाकर पैमाइश करायें। कहने लगे साहब हमारे पास फोर्स ही उपलब्ध नहीं है, हम अकेले जाकर क्या करायें। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस मामले को गंभीरता से लिया जाय और इस संबंध में आपको कोई कार्यवाही करनी चाहिये।

आपने नागरिक अधिकार पत्र जारी किया। मैं इसका स्वागत करता हूं और इसका समर्थन भी करता हूं सभापति महोदय, लेकिन यह तस्वीर का एक रूख है तस्वीर के दूसरे रूख में ढाक के वही तीन पात। आपने कितने भी अधिकार पत्र जारी कर दिये, अच्छा काम किया। लेकिन मौके पर राजस्व मंडल का चेयरमैन या राजस्व मंत्री जी यह परिपत्र किसानों को उपलब्ध नहीं करवायेंगे। करवायेंगे तो वही पटवारी, गिरदावर, तहसीलदार। इनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं आया है और यदि सुधार आया है तो मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि आपके अधिकार पत्र जारी करने के बाद कृपया बतायें कि कितनी जगह काश्तकारों को तीन और सात दिन में आपने प्रमाण पत्र जारी कर दिये। इसलिए प्रभावी तरीके से इसे लागू करवाइए।

राजस्व से सम्बन्धित एक और निवेदन करना चाहता हूं कि पुराने पटवारी काम कर नहीं रहे और नये पटवारी 6 जनवरी,

(मोहम्मद माहिर आजाद)

1999 को आपके राज में आने के बाद राजस्थान सरकार के राजस्व मंडल ने विभिन्न जिलों के अंदर पटवारियों की वेकेन्सी निकलवाई, इनके इम्तिहान लिये, इम्तिहान लेने के बाद परिणाम निकाले और परिणाम निकालने के बाद आज तक आप उनको प्रशिक्षण पर नहीं भेज रहे हैं। स्थिति यह हो गई कि 23.6.99 को राजस्थान सरकार के राजस्व ग्रुप ने एक पत्र क्रमांक 16/1/राजस्व 97 निबंधक राजस्व मण्डल को लिखा है कि पटवारी पद पर चयनित एवं नव प्रशिक्षित पटवारियों के लिये नियुक्ति दी जाये। राजस्व मण्डल ने जवाब दिया कि वित्त विभाग ने इस पर रोक लगा दी है, अभी हम इनको नियुक्ति देने में असमर्थ है। सभापति महोदय, आज स्थिति यह हो गई कि यह पटवारी कहीं रेंगकर जा रहे हैं, कहीं भूखों मर रहे हैं, कहीं पेट के बल जा रहे हैं और आज भी यहां धरने पर बैठे है, इनकी स्थिति इतनी खराब हो रही है। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आपकी नीयत साफ नहीं थी, आपके पास पैसा ही नहीं था, आपको कुछ करना नहीं था तो आपने इनको भ्रमित क्यों किया ? क्यों परीक्षा ली, क्यों आपने चयनित किया ? यह राजस्व से संबंधित मेरा आखरी सुझाव था।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी को सिंचाई के बारे में 2-3 बातें कहना चाहता हूं। यह कुछ आरोप पत्र हैं। सिंचाई विभाग के, हमारे सिकरी और हुसैपुर बांध के अंदर जो आरोप पत्र आपके अधिकारियों ने तय किये और तय करके कह दिया कि इसका भुगतान नहीं किया जाना चाहिये। उसके बाद भी हुआ यह कि सारा भुगतान कर दिया गया। इन कागजों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। मैं इसकी डिटेल में जाने और पढ़ने के बजाय माननीय मंत्री जी को दे दूंगा ताकि वे इसके ऊपर अपनी कार्यवाही कर लें। मैं एक बात यह कहना चाहता हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र की जो नहरें हैं उनकी खुदाई और मरम्मत के लिये मैंने पहले भी निवेदन किया था, आपने हां भी भरी थी और सर्वे कराकर काम भी शुरू हुआ। लेकिन 15 दिन बाद ही बंद हो गया। मैंने पुनः आपसे अनुरोध किया तो आपने कहा हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा आयेगा तब हम मरम्मत करवाएंगे। कृपया इसकी शीघ्र मरम्मत कराने का काम करें। गुंडगांवा केनाल से जो पानी छोड़ा जाता है वह नवम्बर के समय छोड़ा जाता है जब काश्तकारों को पानी की जरूरत नहीं होती। वैसे ही अलवर, भरतपुर, नगर, बाड़ी और कामां में बाढ़ का पानी रहता है और जब पानी की जरूरत होती है तब पानी नहीं मिलता। मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया था कि हरियाणा के सिंचाई विभाग के मंत्री और अधिकारियों से बात करके इसको सही समय पर छुड़वायें और मेरे निर्वाचन क्षेत्र के कोइली, जटवास, रूपवास, ककराला, नागर, गुलपाड़ा, डावक, कुकडीदल्ला ऐसे गांव हैं जहां पहाड़ी का पानी आता है, लोगों के गांव डूब में चले जाते हैं, इनमें कृपया एनीकट भरवाकर गांव के लोगों तथा इनकी फसल को बचाने का काम करें।

(मोहम्मद माहिर आजाद)

अंतिम निवेदन मैं आपसे यह करना चाहता हूं कि आजादी के पहले से एक नहर मेरे निर्वाचन क्षेत्र में होकर गुजरती है उस नहर का नाम रखा है चमारवाली नहर। सभापति महोदय, एक जमाने में, पुराने टाइम में लोग कहते थे कि कौनसी नहर है, कि फलाने जाटों के चमार के घर से निकलती है चमार वाली नहर। आज हम कह दें तो एट्रोसिटी लग जाए, कृपया इसका नाम बदलवाइये, किसी स्वतन्त्रता सैनानी, राजा मानसिंह, आदित्य सैन किसी पर भी रखवाइये।-धन्यवाद।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेश जोशी (सरकारी उप मुख्य सचेतक) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटे के लिये और बढ़ा दिया जाए।

श्री सभापति : क्या सदन की अनुमति है ?

(स्वीकृति)

सदन का समय एक घंटे के लिये बढ़ाया गया।

मांग संख्या 46 एवं 8 पर विचार

श्री जगमाल सिंह यादव : माननीय सभापति महोदय, अभी नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही मंत्री महोदया, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री सभापति : आप तो पहले कह चुके हैं।

श्री जगमाल सिंह यादव : एक सैकिण्ड, केवल एक व्यक्ति ने 1989 में शिकायत की कि पट्टे देने में राजस्व अधिकारी रिश्वत ले रहे हैं। 1989 में आपने अलवर, भरतपुर की जितनी भी फाइलें थी वह पहले तो अलवर, भरतपुर मंगाई उसके बाद जयपुर पड़ी हैं। साल हो गये हैं, 11 साल से कोई जांच नहीं हुई है। कृपया आप अनुभवी मंत्री हैं, उनकी जांच करवाइये। अगर जांच हो गई हो तो दोषियों को दंडित करके उन फाइलों को वापस भेज दें ताकि पट्टे मिलने लग जायें, 11 साल हो गये हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय दिग्विजय सिंह जी।

श्री जगमाल सिंह यादव : यह जो गैर खातेदारी को खातेदारी देने का 625 रुपये और 78 रुपये 1957 से पहले का जो अलाटमेंट था, उनका 78 रुपये प्रति बीघा की कीमत लेता है आपका कस्टोडियन विभाग, और जो 1957 के बाद का है उनका 625 रुपये। किसी व्यक्ति ने शिकायत कर दी कि राजस्व अधिकारी और तहसीलदार कम कस्टोडियन आफिसर इस मामले में अलवर, भरतपुर में भारी धांधली कर रहे हैं, आपने कलेक्टर ने फाइल मंगा ली फिर जयपुर आ गई। आज तक एक भी फाइल की जांच नहीं हुई, 11 साल से वह फाइलें दबी पड़ी हैं। मेहरबानी करके जो 11 साल

(श्री जगमाल सिंह यादव)

से फाइलें पड़ी हैं वह वापस तहसीलों में भेज दो, पट्टे का काम चालू हो जाएगा, केवल इतनी सी बात है।

श्री सभापति : माननीय दिग्विजय सिंह जी।

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : सभापति महोदय, आज सदन में मांग संख्या-46 और 8 पर क्रमशः सिंचाई और राजस्व पर चर्चा हो रही है, मैं अधिक समय नहीं लूंगा, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया का ध्यान आकर्षित करूंगा कि जो पानी की समस्या है और खास तौर से राजस्थान में आज सोना मिल जाए लेकिन पानी मिलना मुश्किल होता है। पश्चिम राजस्थान में तो ऐसी स्थिति है कि पानी का अगर हम सही तरीके से उपयोग नहीं करेंगे तो पानी की बहुत ज्यादा किल्लत हो जाएगी। मेरे कहने का अभिप्रायः यह है एक-एक बूंद पानी आज बेकार जाता है उसको हम रोक नहीं पाते हैं। ऐसे सब नदियों या छोटे मोटे नालों का इस प्रकार से सर्वे करायें कि हमारा जो पानी बेकार जा रहा है, जो कि आज टैप नहीं कर पा रहे हैं उनको हम टैप करें। रिसोर्सेज को अगर हम छोटे प्रोजेक्ट के अंदर डवलप करें तो हमें ज्यादा लाभकारी होंगे। उनका रिटर्न भी हमको जल्दी मिलेगा। हम बड़े-बड़े प्रोजेक्ट बना लेते हैं। आज बीसलपुर का प्रोजेक्ट बना हुआ है यह 1996 में कम्पलीट हो गया और उससे आज सिंचाई बिल्कुल नहीं हो पा रही है, एक हजार हैक्टेयर जमीन प्रयुक्त है। नो रिर्टन। अगर हम छोटे प्रोजेक्ट लें तो छोटे प्रोजेक्ट लेने से हमको उसकी आमदनी भी जल्दी आयेगी, आमदनी जल्दी आयेगी तो पानी का भी उपयोग होगा और उस प्रोजेक्ट का लाभ आयेगा। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक निवेदन करना चाहता हूं कि बीसलपुर प्रोजेक्ट के बारे में खास तौर से वह मेरे क्षेत्र के अंदर है और उसमें 32 टी.एम.सी. पानी का भराव जिसमें से 16.2 टी.एम.सी. पानी पीने के लिये रखा गया है। बीसलपुर प्रोजेक्ट के संबंध में कई माननीय सदस्यों ने काफी चिन्ता प्रकट की है और सबकी निगाह, जहां तक पीने के पानी का प्रश्न है, बीसलपुर प्रोजेक्ट के ऊपर ही है। बीसलपुर प्रोजेक्ट से पीने का पानी निश्चित रूप से दूसरे शहरों को, बड़े-बड़े कस्बों को दिया जाए। जब यह बीसलपुर प्रोजेक्ट शुरू-शुरू में बना यह कनसिव हुआ केवल इर्रिगेशन प्रोजेक्ट के नाम से ही हुआ। उसके बाद में जब सी.डब्ल्यू.सी. को गया तो उन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया और बाद में कहा, इसको तो पीने के पानी के लिये इसके साथ जोड़ा जाए तो उसको हम स्वीकार करेंगे। फिर यह बहुउद्देशीय योजना के रूप में, मल्टीपरपज प्रोजेक्ट के रूप में स्वीकार किया गया और वहां से हमको ए.डी. मिली और उसके बाद आज यह कम्पलीट हो गया। सभापति महोदय, मेरा निवेदन यह है कि पीने के पानी के लिये जहां शहरों के अंदर दिया जा रहा है, जयपुर के लिये भी खासतौर से इसकी योजना बनी है और जयपुर बीसलपुर का पानी 190 किलोमीटर से आयेगा उसके ऊपर राज्य सरकार अब

(श्री दिग्विजय सिंह)

करीब 112 करोड़ रुपये खर्च करेंगी पाइप लाइन वगैरह बिछाने के लिये। इसके साथ साथ हमको सिंचाई के लिये जो सुविधा उपलब्ध होनी चाहिये थी, सभापति महोदय, आप आश्चर्य करेंगे कि अब तक राइट बैंक कैनाल से केवल 10,000 हैक्टेयर भूमि को ही पानी मिल सका और कुल इस राइट बैंक कैनाल की क्षमता 68293 हैक्टेयर। उसके अगेन्स्ट आपका जो क्षेत्र सिंचित हुआ है यह बहुत नगण्य है। ऐसी स्थिति के अंदर जिस परपज के लिये था हम यह मानें कि पीने के लिये भी हम पानी दें पर जिस उद्देश्य से यह सिंचाई के लिये बना और काश्तकार को आज सिंचाई का पानी मुहैय्या नहीं कराया जा रहा है और विशेष

(18.00 बजे)

तौर से राइट बैंक कैनाल का करीब 23 किलोमीटर काम तो पूरा हो गया और उसकी सारी लाइनिंग सीमेंट की है। अब आज 3-4 साल हो गये उसके अन्दर अगर पानी नहीं चलेगा तो वह सारी लाइनिंग टूट जाएगी और जितना एक्सपेंडीचर उसको बनाने में हुआ है उतना ही आपको एक्सपेंडीचर उसके पुनर्निर्माण के अन्दर करना पड़ेगा। इसलिये, सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदया का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि अब इस बरसात के अन्दर इसकी जो क्षमता 311 फीट है उसको पूरा भरा जाए और पूरा भरने के बाद में जो राइट बैंक कैनाल के जो काश्तकार हैं, जिसमें टोंक, देवली और उनियारा तहसील की भूमि सिंचित होगी उसको पानी दिया जाए।

सभापति महोदय, एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि इस डूब क्षेत्र के अन्दर विस्थापितों की जो समस्या है, उस समस्या को लेकर के वहां पर जब बरसात आती है और उसकी भराव क्षमता पूरी होती है तब वे विस्थापित इस बात का एक हल्ला मचाते हैं कि हमें मुआवजा नहीं दिया गया, इसलिये पूरा नहीं भरा जाए।

(18.02 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उपाध्यक्ष महोदय, जब कि इस डूब क्षेत्र के जो विस्थापित हैं या जो प्रभावित लोग हैं, मुझे यहां तक जानकारी है 75 प्रतिशत को इसका मुआवजा दे दिया गया। उनको दूसरी जमीन दे दी गयी और उनके जो मकान वगैरह जो भी थे उनका भी मुआवजा चुका दिया। बल्कि यहां तक कि कई-कई जगह पर तो इसमें भयंकर घोटाला भी हुआ और लाखों रुपये 2-2 बार लोगों ने मुआवजा ले लिया। उसकी कई बार जांच भी हुई है, एण्टी-करप्शन में भी चली है और मुझे जहां तक जानकारी है, राजस्व विभाग में और रेवेन्यु बोर्ड तक में इसकी शिकायत हुई और कोई तहसीलदार, एल. आर.ओ. और दूसरे लोग सस्पेंड भी हुए हैं। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि जब विस्थापितों ने मुआवजा ले लिया और गड़बड़ी उन लोगों ने, दूसरों ने की कि 2-2 बार ले लिया और अब जब पानी भरने का मौका आता है तो वहां फिर एजीटेशन खड़ा हो जाता है एजीटेशन खड़ा होने के फलस्वरूप उसको पूरा नहीं भरा जाता। और नहीं भरा जाता है तो राइट बैंक कैनाल से जो

(श्री दिग्विजय सिंह)

इर्रिगेशन होनी है वह इर्रिगेशन नहीं हो पाती है। इसलिए मैं मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जब आपने इसके ऊपर, करीब 309 करोड़ की योजना थी, जो होते-होते 665 करोड़ रुपये आपके इसमें खर्च हो गये और इसके बाद में भी आज सिंचाई की दृष्टि से आप कोई ज्यादा भूमि इसमें सिंचित नहीं कर पा रहे हैं। तो मंत्री महोदया से निवेदन है कि वे इस साल, इस बरसात में, इस बात के लिये सुनिश्चित करें कि बरसात ऋतु में इस साल पूरा 311 फीट, जो इसका भराव है वह क्षमता पूर्ण की जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और यहां आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि खास तौर से अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य और दूसरे सदस्यों ने भी पीने के पानी की समस्या के साथ इस योजना को जोड़ा है और यह कहा है कि जयपुर के लिये पानी आ रहा है, अजमेर, भीलवाड़ा भी शामिल हो रहा है, नसीराबाद, केकड़ी, सरवाड़ और जो बड़े कस्बे हैं उन सबको पानी मिले। आज जयपुर की आबादी कुल हो गयी 25 लाख, 10-20 साल के अन्दर और बढ़ जाएगी। इस प्रकार से दूसरे जो बड़े शहर हैं उनमें भी आबादी बढ़ेगी। तो टोटल आबादी मिलाकर के करीब-करीब 50 लाख की आबादी हो जाएगी। अब आप अंदाज लगा लें कि यह जो 16.2 टी.एम.सी. पानी है क्या उस पापुलेशन के लिये उपलब्ध हो जाएगा या पूरा हो सकेगा। आपका बीसलपुर प्रोजेक्ट है, यह इन गांवों को, इन शहरों को, खास तौर से जयपुर के लिये कोई सोल्यूशन नहीं है। इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि 1992 में पब्लिक हैल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और इर्रिगेशन डिपार्टमेंट के चीफ इंजीनियर्स की चीफ सैक्रेट्री की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई थी और वह रिपोर्ट आज मैं नहीं लाया, नहीं तो मैं आपको बतलाता। उसमें इस बात को इन्होंने कहा है कि ईसरदा का बांध ही एक स्थाई विकल्प है जयपुर के लिये। अगर ईसरदा का बांध बंधेगा, उस वक्त 129 करोड़ रुपये की उसकी लागत थी और उस रिपोर्ट में कहा है कि क्योंकि इस वक्त धन नहीं है, धन-अभाव के कारण इसको अभी रोका जाता है। परन्तु इसके लिये मोडेलिटिज वर्क आउट करके दोनों डिपार्टमेंट इसका काम शुरू करेंगे। इसके बाद 12 लाख रुपये इसके सर्वे के ऊपर खर्च कर लिये गये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसलिये निवेदन कर रहा हूं कि सैण्ट्रल वाटर कमीशन ने और गवर्नमेंट आफ इण्डिया के हाइड्रोलोजिकल डिपार्टमेंट के अधिकारी भी गये और वे सर्वे कर गये। आज भी 8 हजार एम.सी.एफ.टी. पानी उस बनास नदी के अन्दर बहकर जा रहा है और जब उसके गेट्स खोल देते हैं, बीसलपुर के, तो उसका डिस्चार्ज और एड हो जाता है। तो यह पानी जो सारा बेकार जा रहा है, उन्होंने कहा है कि इसको रोक लिया जाए तो जयपुर के लिये, रिजर वायर के रूप में काम करेगा और चम्बल से लिफ्ट करके आप पानी इसमें सीधे डालिये तो चम्बल से, यह जो एरिया है, यह ज्यादा नजदीक पड़ता है। यह ज्यादा से ज्यादा होगा डेढ

(श्री दिग्विजय सिंह)

सौ किलोमीटर या दो सौ किलोमीटर, मान लें, इससे ज्यादा नहीं पड़ता है। जबकि एक योजना बना रहे हैं इधर से, भरतपुर से, कहीं से घुमाकर लाने की वह आपको इतनी कोस्टली होगी कि इसकी आधी कोस्ट के अन्दर तो यह हो जाएगा और इस ईसरदा बांध से जो जयपुर के लिये पानी लाया जाएगा, वह 90 किलोमीटर का फासला होगा। जबकि आज बीसलपुर से जो लाने की योजना है वह 190 किलोमीटर पड़ रही है। इसलिये मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री महोदया और पी.एच.ई.डी. वाले मंत्रीजी, दोनों मिलकर इस बात को देखें कि हमको स्थाई रूप से हल अगर पानी की समस्या को करना है, और उसके साथ-साथ जब इधर पानी बचेगा तो हमारे काश्तकारों को सिंचाई के लिये भी पानी मिल सकेगा और यह सिंचाई समस्या, दोनों तरफ से हल हो जाएगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात अपने क्षेत्र की और निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में 2 प्रोजेक्ट्स हैं, उन पर मंत्री महोदया ध्यान देंगी और उनको बनवाने के लिये शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही करेंगी। वह ऐसा क्षेत्र है जहां पर न तो बीसलपुर की नहर जा सकती है, न ही दूसरी कोई वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है। एक तो नया गांव का है, देवली तहसील में, अगर इस बांध को बना दिया जाए तो करीब 12 सौ बीघा जमीन प्लो होगी और एक बाझपुरा का तालाब, बांध है उसमें भी काफी सिंचित क्षेत्र आएगा।

उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में राजस्व के सम्बन्ध में मंत्री महोदया से निवेदन करूंगा कि आपने राजस्थान में सीलिंग एक्ट लागू होने के बाद हजारों-लाखों बीघा जमीन अवाप्त कर दी और आज दिन तक उन भूमिधारियों को मुआवजा नहीं मिला। आज दिन तक कई जिलों में मुआवजा नहीं मिला। मैंने एक प्रश्न किया था। उसके उत्तर में आया कि मुआवजा अभी नहीं दिया गया। अभी इस बात के लिये ही कंफ्यूज्ड हैं कि हम कौनसे एक्ट के तहत मुआवजा दें, ओल्ड सीलिंग एक्ट के अन्दर दें या नये वाले सीलिंग एक्ट में दें। जबकि यह नया सीलिंग एक्ट, जब 1975 में आया उसके बाद में प्रोविजन साफ है कि केवल 15 और 15-ए को छोडकर rest of the provisions of Ceiling Act have been repealed. और, इस बात के लिये कई दफा डाइरेक्शन दें दिया गया कि जो मुआवजा है वह नयी रेट से नये सीलिंग एक्ट के अन्दर जो दिया गया है उसके अनुसार दिया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अधिक नहीं कहता हुआ, समय अभाव के कारण इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि इन दोनों बिंदुओं के ऊपर मंत्री महोदया निश्चित रूप से अपने उत्तर में बताएंगी।

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद। श्री रामगोपाल बैरवा।

श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-46 सिंचाई पर और मांग संख्या-8 राजस्व पर जो चर्चा इस सदन में की जा रही है उसमें अपने आपको सम्मिलित करते हुए आपके

(श्री रामगोपाल बैरवा)

माध्यम से मैं मंत्री महोदया से निवेदन करना चाहता हूं।

मांग संख्या-46, सिंचाई पर, चम्बल नदी पर कोटा बैराज का बांध बांधकर के जो राइट मेन कैनाल और लेफ्ट मेन कैनाल नहरें निकाली गयीं और उन नहरों के माध्यम से कई किलोमीटर डिस्ट्रीब्यूटरीज और वितरिकाओं के माध्यम से किसानों के खेतों में पानी पहुंचाने का जो कार्यक्रम रखा गया, राजस्थान में ही नहीं बल्कि इस राइट मेन कैनाल के माध्यम से मध्य प्रदेश में भी पानी पहुंचाने का लक्ष्य था, पिछले 40 सालों से यह नहरें कच्ची होने और मिट्टी की होने के कारण से, पिछले सालों में पर्याप्त बजट के अभाव में इन नहरों की पर्याप्त सफाई नहीं हुई। मरम्मत का कार्य नहीं हुआ। जिसके कारण से पिछले छह-सात सालों से लगातार अन्तिम छोर तक पानी नहीं पहुंचता। मैं माननीय मंत्री महोदया को धन्यवाद देना चाहता हूं कि पिछले साल जिस तरह का जो बजट दिया उस बजट का सही उपयोग करके सही समय पर जो काम शुरू हुआ और उसके माध्यम से किसानों के खेतों में पानी पहुंचने की आशा थी लेकिन इसके विपरीत दिनांक 5.11.99 से लेकर 18.12.99 तक यह राइट मेन कैनाल टूट जाने के कारण किसानों के खेतों में पानी नहीं पहुंचा और किसानों की खड़ी फसल बरबाद हो गयी। इसके लिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया से निवेदन करना चाहता हूं कि जिन किसानों के खेतों में पानी नहीं पहुंचा और पटवारियों द्वारा आज वहां टीप की जा रही है और टीप में उस क्षेत्र को सिंचित बताया जा रहा है, जहां पर पानी नहीं पहुंचा है वहां के किसानों का सिंचाई शुल्क माफ किया जाए और राजस्व वसूली भी स्थगित की जाए। यहां ही नहीं, आज जो राइट मेन कैनाल का एरिया है, इटावा ई.बी. से डिस्ट्रिब्यूटरी, आयाणा डिस्ट्रीब्यूटरी, वहां पर पानी नहीं पहुंचने से जो किसानों की दुर्दशा है वह काफी सोच का विषय है। मैं यहां पर कुछ सुझाव देना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह से इस एरिया में जहां-जहां पर भी केचमैंट का कार्य हुआ और उस केचमैंट के माध्यम से प्रत्येक किसान के खेत को ड्रेनेज से जोड़ा गया और इस ड्रेनेज से जोड़ने के कारण से केचमैंट एरिए में पानी वेस्टेज होता है। मैं माननीय मंत्री महोदया से निवेदन करना चाहता हूं कि इस केचमैंट एरिया में पानी जहां पर वेस्टेज जाता है उसको यह एक ऐसी प्रक्रिया के माध्यम से रोककर पानी का उपयोग किया जाए। यहां जिस तरह से जो बजट इन सालों में हमें दिया है, गत वर्ष के मुकाबले राइट मेन कैनाल, लेफ्ट मेन कैनाल और इसकी समस्त डिस्ट्रिब्यूटरी और नहरों में जो बजट दिया गया है वह काफी अपर्याप्त है इससे जितने किलोमीटर हमें सफाई की जरूरत है, इस बजट से उनकी पर्याप्त सफाई नहीं हो पाती और आने वाले समय में भी हमारे सामने इस तरह की समस्या पैदा होने वाली है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया से निवेदन करना चाहता हूं कि हाड़ौती के

(श्री रामगोपाल बैरवा)

किसानों की जो ज्वलंत समस्या है, हाड़ौती के किसान इस पानी पर जीवित हैं तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहां के किसानों की दुर्दशा को सुधारने के लिए आने वाले समय किसानों को अंतिम छोर तक पानी पहुंचे इसके लिए बजट और बढ़ाया जाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जो मेरे क्षेत्र में सिंचाई से संबंधित जुड़ी हुई जो समस्या है, उसके लिए भी मंत्री महोदया से निवेदन करना चाहता हूं। इन्दरगढ़, जो बूंदी जिले में स्थित इंदरगढ़ क्षेत्र का जो बावयी क्षेत्र है, वहां पर पिछले सालों में बासला और गलवानिया बांध के माध्यम से इस एरिए को सिंचित करने का जो कार्यक्रम रखा गया था, वहां पर नहरें बना दी गयीं लेकिन वर्तमान में जब से यह नहरें बनायी गयीं इस एरिये को जब से सिंचित क्षेत्र घोषित किया गया, वास्तव में वहां पर सिंचाई नहीं होती। कारण यह होता है कि एक तरफ उनका एरिया सिंचित घोषित कर दिया गया और उसके माध्यम से उनके जमीन की बेचान की जो दर हैं, उसमें स्टाम्प ड्यूटी सिंचित क्षेत्र के हिसाब से लगती है। और भी जो उनके क्रय-विक्रय करने में और उनके राजस्व की जो वसूली है, वह भी सिंचित क्षेत्र के हिसाब से की जाती है। तो मैं माननीय मंत्री महोदया से निवेदन करना चाहूंगा कि यह इन्दरगढ़ के बावयी पंचायत का जो क्षेत्र है यह कमांड एरिया आपने घोषित कर रखा है। वहां का प्रतिनिधि-मण्डल भी बराबर आकर मिला है, इस कमांड एरिया को डीकमांड एरिया घोषित किया जाए। इसी तरह से बूंदी जिले में स्थित इसी क्षेत्र में चांडल बांध परियोजना के नाम से एक योजना आपके पास लम्बे समय से चल रही है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यदि यह योजना स्वीकृत कर दी जाती है तो इसके माध्यम से इस क्षेत्र के सम्पूर्ण किसानों की जमीन सिंचित हो जाएगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर इस मौके पर जो चम्बल कमांड एरिया के कर्मचारी हैं और इन कर्मचारियों को, जिस तरह से नियमों में प्रावधान है कि मृत राज कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी देने का जो लक्ष्य है, जो कार्यक्रम निर्धारित है, चम्बल कमांड एरिया, कोटा के कम से कम 20-25 मृत राज कर्मचारियों के आश्रितों को रोजगार देने के लिए, नौकरी देने के लिए वहां से फाइलें सिंचाई विभाग के पास भेजी हुई हैं। यह काफी लम्बे सालों से, दो-दो, तीन-तीन सालों से विभाग के पास पेंडिंग है। मैं माननीय मंत्री महोदया से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिन कर्मचारियों का हक है, जिन कर्मचारी परिवारों का हक है उनको नौकरी मिले। यह पेंडिंग वर्षों से चल रहे हैं, मृत राज कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी देने का भी प्रावधान किया जाए।

इसके बाद, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो चम्बल कमांड एरिया है, इसमें पिछले सालों से जिस तरह की व्यवस्थाएं चल रही हैं। वहां 70 पटवारियों को हटा दिया गया और जिस तरह से पोस्टें तोड़ी जा रही हैं वह हमारे लिए एक काफी चिन्ता का विषय है। गत वर्षों में 70 पटवारियों

(श्री रामगोपाल बैरवा)

की पोस्टें वहां पर खत्म कर दी गयी। आज एक-एक पटवारी के पास 30-30 और 35-35 गांव हैं और 30-30 और 35-35 गांवों में सिंचाई शुल्क एकत्रित करना और भी कई तरह की कठिनाइयां बढ़ती जा रही हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमें जिस तरह से जानकारी मिली है, सी.ए.डी. विभाग को तोड़कर, कोटा में सी.ए.डी. विभाग को तोड़ने की प्रक्रिया चालू की जा रही है। यदि इस तरह की प्रक्रिया की गयी तो वह हमारे हाड़ौती क्षेत्र के किसानों के लिए एक काफी चिन्ता का विषय है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया से निवेदन करना चाहता हूं कि हाड़ौती के किसानों के भविष्य को देखते हुए, हाड़ौती के किसानों की आवश्यकता है उनको देखते हुए चम्बल क्षेत्र में जो कर्मचारी हैं, आप पर्याप्त कर्मचारी वहां पर रखें और इस सी. ए. डी. विभाग को भी वहां पर रखें, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

इसी के साथ-साथ माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो मांग संख्या-8 है उस पर भी मैं माननीय मंत्री महोदया से कुछ निवेदन करना चाहता हूं। जिस तरह से जो सिवाय चक जमीन है या दूसरी जमीन है उनका जहां-जहां पर पिछले सालों में जो आबंटन किया गया, कमेटी आबंटन करके आ जाती है और आबंटन के बाद वह आबंटन केवल कागजों तक ही सीमित रहता है। विभाग के द्वारा आबंटित व्यक्ति को न तो मौके पर जाकर कब्जा दिलाया जाता है, न मौके पर जाकर उसको जमीन सुपुर्द की जाती है। इस तरह की काफी अनियमितता पिछले सालों में कोटा में हुई है। आज इस तरह के कई केस कोटा जिले में पेंडिंग हैं। मैं इसके साथ-साथ जो कोई भी जमीन आबंटित कर दी जाती है तो आबंटन के बाद जो किसान अपनी पूरी किश्तें जमा करा देता है, जमा कराने के बाद भी वर्षों तक वह गैर-खातेदारी में चलती रहती है और गैर-खातेदारी के कारण वह जो भी लोन उस जमीन पर लेना चाहता है, कुएं लगाना चाहता है या और कोई तरह के लोन वह उस जमीन पर लेना चाहता है, गैर-खातेदारी के कारण उनको लोन नहीं मिल पाता है। कई तरह की समस्याएं उनके सामने आती हैं। मैं माननीय मंत्री महोदया से निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह से जो गैर-खातेदारी से खातेदारी का जो लम्बी समयावधि का जो पीरियड है इसके लिए एक समय सीमा तय करके या जिसकी पूरी किश्तें जमा हो जाए उसको खातेदारी का हक दिलाने का पूरा कार्यक्रम निश्चित किया जाए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसी के साथ-साथ, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो मेरे विधान सभा क्षेत्र का बावयी का जो क्षेत्र है इसमें पिछले सालों से जो सेटलमेंट का कार्यक्रम हुआ उसमें इस तरह की अनियमितताएं कर दी गयीं। उन अनियमितताओं के कारण किसान आज भी परेशान हैं। बावयी क्षेत्र में जिस व्यक्ति की जमीन खाते की जमीन थी या अपने पूर्वजों की जो जमीन थी, उस जमीन को दूसरे व्यक्ति के खाते में बांध दिया गया और आज काबिज उस जमीन पर वह व्यक्ति है

(श्री रामगोपाल बैरवा)

लेकिन सिवाय चक के नाम से दर्ज है और अपने मूल खाते की भूमि होते हुए भी आज वह 91 की कार्यवाही में जुर्माना देता है। यहां तक कि सजा भुगतने को तैयार है। इस तरह बावयी क्षेत्र में सेटलमैंट के कार्य के दौरान जो अनियमितताएं हुई हैं वह एक सरल प्रक्रिया के माध्यम से, काफी किसानों ने जाकर इस सेटलमैंट की गति-विधियों के खिलाफ कोर्ट में केस किया है लेकिन लम्बे समय के बाद भी किसानों को कोई न्याय नहीं मिल पाया है। मैं माननीय मंत्री महोदया से निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह से जो किसानों की समस्या है या तो वहां बूंदी जिला कलेक्टर के माध्यम से कोई कैम्प लगाकर इस सेटलमैंट की अनियमितता को दूर करने का प्रयास करें। इसी के साथ-साथ मैं एक बात और मेरे विधान सभा क्षेत्र की जो है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिए। समाप्त कीजिए।

श्री रामगोपाल बैरवा : इसी के साथ-साथ, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया से निवेदन करना चाहता हूं, मैंने विधान सभा में प्रश्न भी लगाया है और पहले लिखित में भी आपको दिया है। कोटा जिला मुख्यालय से हमारे विधान सभा क्षेत्र इटावा और पीपल्दा की दूरी 100-125 किलोमीटर पड़ती है और वहां पर पूरा का पूरा एरिया कमाण्ड होने के कारण हर किसान की जमीन से जुड़ी हुई समस्या रहती है। कोई न कोई समस्या उनके सामने रहती है। इन समस्याओं के लिए प्रत्येक किसान को 125 किलोमीटर की दूरी पार करके कोटा जिला मुख्यालय पर आना पड़ता है और पिछले 10-15 सालों से इटावा और पीपल्दा क्षेत्र के कम से कम 1600-1700 प्रकरण एस.डी.ओ. कोटा के पास पेंडिंग हैं। इस कारण उनको समय से न्याय नहीं मिल पाता। मैं आज इस मौके पर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र में बरसों से किसानों की जो ज्वलन्त समस्याएं हैं, वहां पर एक ए.सी.एम. कोर्ट खोलकर आप वहां के किसानों को राहत दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। इसी के साथ मैं एक अंतिम बात...

श्री उपाध्यक्ष : श्री देवीलालजी। हो गया। बस समाप्त करो आप।

श्री रामगोपाल बैरवा : आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि राइट मैन कैनाल और लेफ्ट मैन कैनाल की सबसे महत्वपूर्ण समस्या है और आपने इस साल बजट में इसके लिए कम बजट का प्रावधान किया है। आर.एम.सी. और एल.एम.सी. के लिए आप पर्याप्त बजट देकर वहां की सफाई व्यवस्था को और वहां की मरम्मत का कार्य पूर्ण करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री देवीलालजी।

श्री देवीलाल बैरवा (शाहपुरा) : माननीय उपाध्यक्ष जी, आज मांग संख्या-8 और 46 के ऊपर चर्चा हो रही है। यह चर्चा काश्तकार और किसानों की समस्या के ऊपर हो रही है। मेरा यह निवेदन है कि मांग संख्या-8 के ऊपर पहले पटवारी के बारे में निवेदन कर रहा हूं कि पटवारी जिसका पिता मर जावे और वह खाता खोलने जावे तो पहली बात तो मान लो कि साल-साल, दो-दो साल तक खाते नहीं खोलते हैं। दूसरी बात कि जो पटवारी खाते खोलता है तो उनका जो भाई है, खास भाई तो नहीं हैं, पर उनके पिता के भाई हैं उनका और इनका झगड़ा खोल देते हैं। वह समस्या बरसो पुराने बाप-दादा के खाते निकलवाने में और नये-पुराने खातों की नकलें लेने में लोगों को बड़ी दिक्कत होती है। दूसरी बात जो जमीन अलाट की है और खातेदारी की है 10-10, 12-12 साल से उस जमीन को पटवारी नाजायज निकालकर उस खातेदारी को खतम कर देता है। उस जमीन को नाजायज बताकर पेनेल्टी, जुर्माना लगा रहे हैं उस अलाटशुदा जमीन के।

दूसरा निवेदन यह है कि जो जमीन मोल ली है और उसकी नियमानुसार रजिस्ट्री हुई और उसका लेखा पंचायत में खुल गया और पटवारी और गिरदावर के दस्तखत 10-12 साल पहले खातेदारी एक्ट में हुए, उन जमीनों को नाजायज निकाल दिया और मेरे क्षेत्र में कम से कम 500 बीघा जमीन की ऐसी हालत हुई।

एक निवेदन यह है कि पैमाइश हुई। जैसा हमारे साथी कह रहे थे कि पैमाइश में अनियमितता हुई। मेरे शाहपुरा क्षेत्र के अन्दर यह पैमाइश हुई। हमारे पूर्व मुख्य मंत्रीजी बिराजे हुए हैं और उनके वक्त में आज के चार साल पहले पैमाइश हुई उस पैमाइश में क्या हुआ कि पूरी खातेदारी बाप-दादाओं की है जिसमें यह स्थिति करी कि जिसकी कूडे की जमीन थी जो पानड़ी को बिना कूडे वाले को दे दी और बिना कूडा वाले की पानड़ी इस कूडे वाले को दे दी। सीमाबंदी बीच में मोरी थी चाहे डागंडी हो बरसों पहले हदबंदी हुई, इस हदबंदी में उसके खेत के जोतों के अंदर एक खेत बता दिया। उसके अंदर पड़ौसी-पड़ौसी के, भाई-भाई के लड़ाई हो रही है। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे केस हो रहे हैं, मेरा अंदाज है कि कम से कम 8-9 हजार हैं। इनके बारे में पूर्व में आपके आदेश से वहां मीटिंग की और एस.डी.एम., तहसीलदार सब भी गये पर वहां पर पैमाइश वाले नहीं पहुंचे और वह खाते दुरूस्त नहीं हुए। मेरा निवेदन यह है कि पटवारी और पैमाइश वाले नहीं देते। पुराने खाते और नये खातों की नकल निकलवाने में वकील भी करना पड़ता है और वह कम से कम 800-900 तो दुरूस्त हो गये नये-पुराने निकलवाने में, लेकिन बाकी के 8-9 हजार खाते ऐसे रह गये हैं तो उनके अंदर पटवारी और अमीन ने गलतियां कीं तो उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। जो पटवारी खातेदारी जमीन की आज एक नकल लेने में नई-पुरानी के अंदर कम से कम यह मान लो कि दस बार जाना पड़ता है, तब जाकर खाते की नकल मिलती है। नकल निकलवाने में भी वकील खड़ा करना पड़ता है तो हजार-दो हजार

(श्री देवीलाल. बैरवा)

रुपये वकील को भी देने पड़ते हैं। इस समस्या के बारे में मेरा नम्र निवेदन है कि मंत्रीजी को भी जिस पटवारी ने हेराफेरी की है और बाप-दादा की जमीन को नाजायज निकाली है, अलाट की जमीन को नाजायज निकाली है, मोल ली उस जमीन को नाजायज निकाल रखी है उस पटवारी के ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए और पैमाइश वाले अमीन को एक बार हमारे क्षेत्र में भेजकर उन कामों को दुरूस्त करावें। पैमाइश के बारे में यह मांग है।

उपाध्यक्षजी, हमारे क्षेत्र में पांच बांध है अरवड़ बांध, नारसागर, झाड़ोल बांध और नंगलाई बांध। इन बांधों की नहरें बहुत कच्ची हैं और उनमें 80-82 और 86 में काम हुआ और जो मिट्टी निकाली थी वह वापस भर गयी। उनमें विलायती बबूल उग गये। पानी टेल पर पहुंचता नहीं है। मेरा निवेदन यह है कि अकाल राहत कार्य में अधिक से अधिक मजदूर देवें। 18-18 किलोमीटर लम्बी नहरें हैं। उनकी मिट्टी निकाली जावे और बबूल काटे जावें। उपाध्यक्ष जी, हमारे यहां 8-10 एनीकट अधूरे हैं और उनके ऊपर पांच-पांच, छह-छह लाख रुपये खर्च किए हुए हैं। उनकी पाल ऊंची होनी चाहिए। दूसरी जमीन के बराबर नीवं भरी हुई है और उनके ऊपर दो लाख, चार लाख रुपये खर्च हो जाएं तो वह अधूरे एनीक्रट पूरे हो जाएंगे। एक तो मालीखेड़ा सांवल्या का है। एक गैरायान का है, एक नाक्याजी का है, एक डाबला में है, एक सालरया में है। तो यह जो चार-पांच अधूरे एनीकट हैं. उन एनीकटों में पानी भरा रहे। दो-तीन किलोमीटर दूर तक लोगों की जमीन है, इंजन लगाकर पानी पिलाते हैं, फसले होती हैं। मेरा निवेदन यह है कि पानी के बारे में मेरे पूर्व में बोलने वाले कह रहे थे कि पानी की क्षमता अधिक से अधिक होनी चाहिए तो पानी के लिए या तो नये तालाब बंधाओं, कही एनीकट बांध हो, तब ही पानी रूकेगा। पानी फालतू बह रहा है। यह करने से उनके अंदर भी क्षमता बढ़ेगी। पानी की सप्लाई होवे। जंगल के अंदर भी पानी की व्यवस्था होवे और यह एनीकट अकाल राहत कार्य के अंदर, यह बांध जो भी टूटे-फूटे हैं, उनको भी तैयार कराओ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और निवेदन करूं कि जो चरनोट की जमीन है, चरनोट आज के 35-36 साल पहले कायम की थी। गांवों के अन्दर ही कम से कम 50-60 पावड़ा दूरी पर ही वो चरनोट कायम कर दी और उस चरनोट के अन्दर आज लोगों ने वाड़े बना लिये, किसी ने मकान बना लिये और अब वो चरनोट की जो जमीन है उसकी कार्यवाही हो रही है। तहसीलदार और पटवारी के केस बन रहे हैं। तो मेरा यह निवेदन है उस जमीन के बारे में कि आज उनके रहने के लिए जगह नहीं है और कहीं दूसरी जमीन नहीं है, चारों ओर चरनोट आ गयी। चरनोट आज के 35-36 साल पहले निकाली थी और उस चरनोट की जमीन में कोई बाड़े और मकान बना लिये, ना तो वो उठ सकें और हर साल जुर्माने और पैनल्टी कर रहे हैं। तो मेरा यह निवेदन है कि उसके अन्दर जो गांव के नजदीक आ रही है, चाहे 10 बीघा, पांच

(श्री देवीलाल बैरवा)

बीघा जैसे भी हो, उस चरनोट में से निकालो। दूसरी जमीन के बारे में कहे कि दूसरी जमीन चरनोट में शामिल करो तो वहां दूसरी जमीन है नहीं। जमीन उसके जोड़ में होनी चाहिए, जोड़ में नहीं है दूसरे कांकड़ में है। दस बीघा निकाल कर उधर दस बीघा चरनोट पहले नम्बर में करें तो वह चरनोट कायम नहीं रह सकती। तो मेरा यह निवेदन है कि चरनोट का फैसला भी आप कैसे भी करवाओ।

दूसरा निवेदन है कि वन विभाग के अन्दर...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : दूसरी नहीं आठवीं बार हो गयी या तो।

श्री देवीलाल बैरवा : वन विभाग के अन्दर वन विभाग की जो जमीन है, यह भी 30-35 साल पहले गांव के अन्दर कायम करी और आज उस जमीन को कायम करी तो वह पहले तो पड़ी ही थी और अब वन विभाग वालों ने उस पर कब्जा करा तो श्मशान भी उसमें आ गया, खाला भी उसमें आ गया तो उस जमीन में जोर-जबरदस्ती से लोगों के खाले भी जा रहे हैं, बाड़े भी जा रहे हैं और श्मशान भी जा रहे हैं, तो ऐसी जमीन है कि उसके अन्दर न तो रूखड़े हो सकते और ऊलडी है, खाखरेली है। उस जमीन के बारे में मेरा यह निवेदन है कि उसके लिए भी आप व्यवस्था करावें। और वन विभाग वालों को भी कहो कि यह जमीन छोड़ों, लोगों को कठिनाई हो रही है। उपाध्यक्ष महोदय, तालाबों की बात कहूं।

श्री उपाध्यक्ष : हो गयी न।

श्री देवीलाल बैरवा : हुकुम, मैं तालाबों की निवेदन करूं, मेरे क्षेत्र में तालाबों पर ही निर्भर है। न तो ज्यादा बेरा है, ना कोई पानी की और व्यवस्था है। बरसात बरसे तो वह तालाब भरें और बरसात नहीं बरसे तो वो खाली के खाली रहें। तो आप उन तालाबों के ऊपर भी मिट्टी और गारे का काम जो अधिक से अधिक करा रहे हो, तो मेरे क्षेत्र के अन्दर भी आप अधिक से अधिक मजदूर दें।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। काम तो और भी हैं। परन्तु देरी हो रही है। मैं लिख कर दे दूंगा मंत्रीजी को। मैं मेरी बात समाप्त करूं। आपने मुझे समय दिया इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायणजी विश्नोई।

श्री रामनारायण विश्नोई (फलौदी) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज मांग संख्या-8 और 46 पर अपनी तरफ से निवेदन करूंगा।

उपाध्यक्षजी, राजस्थान प्रांत के निर्माण के समय विभिन्न देशी रियासतों में काश्त की जमीन के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार के एक्ट और प्रावधान बने हुए थे और उसकी वजह से पीढ़ियों से काश्त करता हुआ काश्तकार राजस्थान के बहुत से हिस्से पर उस जमीन का मालिक नहीं बन पाया था। बड़े सौभाग्य की बात है कि राजस्थान सरकार की तरफ से इसी सदन के अन्दर

(श्री रामनारायण विश्नोई)

राजस्थान टीनेन्सी एक्ट, 1955 को पारित किया गया और राजस्थान टीनेन्सी एक्ट, 1955 की धारा 15 के अनुसार पूरे राजस्थान का काश्तकार 14 अक्टूबर की रात को वो गैर खातेदार था, टेम्प्रेरी काश्तकार था तो भी वह रातों-रात 15 अक्टूबर, 1955 को उस जमीन का मालिक बन गया और यही कारण है कि राजस्थान के काश्तकारों की आर्थिक सक्षमता होने के लिए सबसे बड़ा कदम सरकार की ओर से उठाया गया था।

उपाध्यक्षजी, उसके बाद राजस्थान के अन्दर भाखड़ा नहर आयी, इंदिरा कैनाल आयी और उसकी वजह से धारा 15 के अन्दर विभिन्न संशोधन होते गये और बहुत से काश्तकारों को अदालतों के अन्दर राजस्थान उच्च न्यायालय में जाकर और कानून की धाराओं के बारे में निर्णय लेना पड़ा और आखिर में निर्णय यही हुआ कि जो काश्तकार 15-10-55 से पहले टेम्प्रेरी काश्तकार थे, जो लोग दूसरे लोगों की खातेदारी की जमीन पर काश्त किया करते थे, जिनको काश्त की जमीन के अन्दर ट्रांसफरेबल और हैरिटेबल राइट्स नहीं हैं उन लोगों को तो राजस्थान के अन्दर भाखड़ा कैनाल एरिया के अन्दर खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होंगे, वो टेम्प्रेरी काश्तकार माने जायेंगे और भाखड़ा के अलाटमेंट के रूल्स बनाये गये जिनके मुताबिक ऐसे लोगों को लैंड का अलाटमेंट कुछ फ्री और कुछ कीमत पर दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की समस्याएं राजस्थान कैनाल आने के बाद में बहुत से एरिया के अन्दर जो पैदा हुई और 15-ए के मुताबिक लोगों को खातेदार नहीं माना गया। समय-समय पर जो संशोधन किये गये, 15-एएए के संशोधन के बाद में, उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदया को इस बात का अच्छी तरह से ज्ञान है कि राजस्थान में 15 एएए के संशोधन के बाद में यह जो एक भ्रम था कि टेम्प्रेरी काश्तकारों को खातेदारी अधिकार नहीं दिये जायेंगे और जिन लोगों के रिकार्ड में नाम नहीं हैं उनको टेम्प्रेरी काश्तकार माना जायेगा उनको 1975 के रूल्स के मुताबिक अलाटमेंट जमीन की जा सकती है। उससे पहले प्री 1955 के अलाटमेंट रूल्स थे, पोस्ट 1955 के अलाटमेंट रूल्स थे, उन रूल्स को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित करने के बाद में 1975 में जब नये नियम बनाये गये तो उन नियमों के मुताबिक जो लोग वास्तव में टेम्प्रेरी काश्तकार थे और, उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैं निवेदन कर रहा था, टेम्प्रेरी काश्तकार उन्हीं लोगों को माना गया जिनको 1955 से पहले हैरिटेबल और ट्रांसफरेबल राइट्स इन जमीनों के अन्दर नहीं थे। पर यह जो समस्या जगह-जगह उत्पन्न हुई तो 15 एएए के अन्दर आखिरी जो संशोधन हुआ है, उस संशोधन से यह बात स्पष्ट कर दी गयी कि अगर कोई काश्तकार 1955 से पहले काश्त करता है और पीढ़ियों से काश्त करता है उसको ट्रांसफरेबल और हैरिटेबल राइट्स हैं तो चाहे रिकार्ड के अन्दर कहीं भी उसकी एज ए काश्तकार एण्ट्री नहीं हुई है फिर भी गांव की पंचायत के अन्दर गांव

(श्री रामनारायण विश्नोई)

के कुछ मुखिया लोग, बुजुर्ग लोग यह कह देंगे कि यह जमीन हमेशा से फलां काश्तकार काश्त करता आ रहा है तो उसको उस जमीन का परमानेंट काश्तकार माना जाकर के उसको खातेदारी अधिकार दिये जायेंगे। इस प्रोविजन के आधार पर बहुत-सी जगह आदेश भी कर दिये गये और बहुत-सी जगह तहसीलदारों ने सर्वे कर के, गांव में मीटिंग कर के लोगों ने एप्लीकेशन दीं उसके ऊपर कुछ निर्णय किये गये। परन्तु बाद में भ्रम की वजह से ऐसे निर्देश समय-समय पर दिये गये कि ऐसे लोगों को खातेदारी अधिकार नहीं दिये जावें, ऐसे लोगों को 1975 के जो अलाटमेंट रूल्स हैं उनके मुताबिक टेम्प्रेरी काश्तकार मान कर अलाटमेंट किया जावे और 25 बीघे तक उनको फ्री अलाटमेंट किया जावे और बाकी जमीन के अलाटमेंट के लिए कीमत ली जावे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदया का इस ओर विशेष तौर पर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि ऐसे केसेज के अन्दर अगर किसी स्टेट के अन्दर या किसी जगह, किसी विशेष भाग के अन्दर सर्वे और सेटलमैंट नहीं हुआ था और रिकार्ड में अगर काश्तकार का नाम नहीं आया था तो उस पुराने काश्तकार का कोई दोष नहीं था और उस स्थिति में उस काश्तकार के बारे में गांव के अन्दर जो इंक्वायरी हो कर के 15-एएए का जो संशोधन किया गया था उसके मुताबिक ग्राम सभा के आधार पर उसको खातेदारी राइट्स दिये जाकर के और उसको परमानेंट टीनेंट मानकर के पूरी जमीन सीलिंग सीमा तक उसके पास रखी जानी चाहिए, उसको टेम्प्रेरी काश्तकार नहीं माना जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैं विशेष तौर से मंत्री महोदया का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि पिछली, दसवीं विधान सभा के कार्यकाल में आप लोग भी, माननीय मंत्री महोदया भी थीं और राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के अन्दर बहुत ही आवश्यकतानुसार संशोधन किये जाकर और बिल पेश किया गया था। सलेक्ट कमेटी को भेजा गया था और आज की परिस्थितियों को देखते हुए सन् 1955 से लेकर 2000 आ गया। 21 वीं सदी के अन्दर राजस्थान टीनेंसी एक्ट के अन्दर बहुत ही आवश्यक संशोधन किये जाने चाहिए। इसीलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान टीनेंसी एक्ट को नये तरीके से पेश करके राजस्थान टीनेंसी कोड के नाम से जो पेश किया जा रहा था वह अतिशीघ्र पेश किया जाकर इसमें इस प्रकार के संशोधन आवश्यकतानुसार करके राजस्थान के काश्तकारों को कि पीढ़ियों से अपनी जमीनों पर काश्त करते आ रहे हैं, उनको खातेदारी अधिकार दिए जाकर उनकी सुरक्षा की जाए।

माननीय मंत्री महोदय, मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले 20, 25, 30 और 40 सालों के अन्दर राजस्व अदालतों में जो काश्तकारों की दुर्गति हुई है वह आपसे और हमसे छिपी हुई नहीं है। दो ढाई लाख मुकदमे रेवेन्यू अदालतों में पैंडिंग रहते हैं और रेवेन्यू अदालतों में राजस्व

(श्री रामनारायण विश्नोई)

वाद की स्थिति, जिस प्रकार से उनकी पेशियां करवायी जाती हैं, जिस प्रकार से फैसले किए जाते हैं और जिस प्रकार की काश्तकारों को परेशानी होती है उससे तमाम राजस्थान का काश्तकार हमेशा से बहुत तकलीफ उठा रहा है। मैं इस सम्बन्ध में आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि उस समय तो यह बात थी। सन् 1951 के अन्दर राजस्थान रेवेन्यू कोर्ट प्रोसीजर एण्ड जुरिस्डिक्शन एक्ट के मुताबिक हो। जिन्होंने घोषणाएं की हों, राइट्स के डिक्लेरेशन का मामला था वह विवाद तो सारे के सारे सिविल न्यायालयों द्वारा फाइल किये जाकर फैसले किये जाते परन्तु उस समय एक यह विचार आया कि राजस्थान के भोले भाले काश्तकार हैं। सिविल अदालतों के काश्तकारों के वकील लोग समझ नहीं पा सकेंगे। जटिल प्रक्रिया है। वहां पर कभी लिस्ट आफ विटनेसेज पेश नहीं की जाएंगी। कभी बहस अच्छी तरह से नहीं की जाएगी और कभी जवाबदावा नहीं दिया जाएगा। इस कारण से राजस्व अदालतों को यह राजस्थान टीनेंसी एक्ट के अपने हकों के लिए घोषणा कराने के जो वाद हैं, चाहे टेम्परेरी इंजेक्शन के थे और चाहे डिक्लेरेशन आफ राइट्स के थे, वे सारे के सारे अधिकार तमाम ट्रायवल वाई रेवेन्यू कोर्ट्स कर दिये गये और आज तक वही प्रक्रिया चल रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, अब समय आ चुका है कि राजस्थान के अन्दर ऐसी कोई तहसील नहीं रही है जिस तहसील में सिविल न्यायालय स्थापित नहीं कर दिया गया हो इसलिए हमारे राजस्व अधिकारियों के पास आज के समय के अन्दर सिवाय दूसरे प्रशासनिक कार्यों के अलावा समय नहीं है। समय पर पेशियां ले नहीं सकते इसलिए आप संशोधन करके ये जो डिक्लेरेशन के मामले हैं, जो राइट्स के मामले हैं और राइट्स के डिक्लेरेशन के जो डिस्प्यूट चल रहे हैं वे सारे के सारे राजस्व वाद ट्रायवल वाई सिविल कोर्ट्स करके, यह संशोधन कर दीजिए ताकि काश्तकारों की राजस्व न्यायालयों के अन्दर लम्बे समय वाली परेशानी दूर हो सकती है। हमने उस वक्त राजस्थान के काश्तकारों को यह रिलीफ देने के लिए राजस्थान टीनेंसी एक्ट के मुताबिक यह कहा था कि कोर्ट फीस के मामले में राजस्थान का काश्तकार पूरी कोर्ट फीस नहीं दे सकेगा। यह प्रोवीजन हम वैसे का वैसा राजस्थान टीनेंसी एक्ट के अन्दर लागू रख सकते हैं। ट्रायवल वाई सिविल कोर्ट्स करने से सिविल जज और मुंसिफ के यहां मुकदमें चलेंगे। अपील डिस्ट्रिक कोर्ट में होगी। सेकिण्ड अपील यदि आवश्यक होगी तो हाई कोर्ट में होगी। आपके राजस्व अपील अधिकारियों के रेवेन्यू बोर्ड के कामकाज कम हो जाएंगे और काश्तकार को न्याय मिल जाएगा। आज की तारीख के अन्दर हमें यह कहते हुए शंका नहीं होनी चाहिए कि राजस्थान का काश्तकार राजस्व वाद के मामलों में बुरी तरह से लुट रहा है और भ्रष्टाचार का जिस तरह से वातावरण राजस्व न्यायालयों के अन्दर बना हुआ है वह आप और हमसे

(श्री रामनारायण विश्नोई)

छिपा हुआ नहीं है। थोड़ी बहुत अगर किसी को आशाएं हैं तो सिविल अदालतों पर (ज्युडिशियरी) बची हुई हैं। वहां पर किसी न किसी कारण से लोगों को जवाबदेही मानी जाती है डिस्ट्रिक कोर्ट में हाई कोर्ट में। इन अदालतों से बराबर चार्ज मांगे जाते हैं कि यह मुकदमा इतने दिनों से क्यों पैंडिग रहा है। निर्णय नहीं होने का क्या कारण है इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के काश्तकारों को सही तौर पर न्याय दिलाना है तो अभी समय है कि राजस्थान काश्तकारी एक्ट के अन्दर संशोधन करके राजस्व वाद सिविल कोर्ट्स के ट्रायेबल कर दिये जाने चाहिए।

मैं इस सम्बन्ध में आपका ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहूंगा कि अभी प्रश्नकाल के समय में यह प्रश्न उठा था कि मरूस्थलीय जिलों के अन्दर 1976 में स्थिति थी कि डी. डी. पी. योजना के अन्दर जमीन का अलाटमेंट नहीं किया जावे। क्योंकि उस वक्त चारागाह वगैरह और वृक्षारोपण की वजह से काश्तकारों को खुली जमीन की आवश्यकता रहेगी। परन्तु मंत्री महोदय, 1976 के बाद आज पिछले करीब 20-20, 25-25 साल से जो लोग काश्त करते आ रहे हैं, 1991 में जिन लोगों ने जुर्माने भी दिये हैं, जेल भी गये हैं और आज तक वह काबिज हैं उन लोगों को आप, एक हैक्टेयर की जो सीमा मरूस्थलीय जिलों के अन्दर लगायी हुई है और उसको दूर करके राजस्व अभियान के अन्दर ऐसे मामलों का निर्णय करने जा रहें हैं। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिन लोगों का वास्तविक कब्जा है उनका तो आप नियमन कर दीजिए और नये अलाटमेंट जो सिवाय चक की जमीन खाली पड़ी है उनके अन्दर नहीं करना चाहें तो नहीं करें। अगर इस राजस्व अभियान के अन्दर आपने यह निर्णय नहीं लिया तो फिर राजस्थान के काश्तकार एक साल के लिए फिर बुरी तरह से 1991 के मुकदमों के अन्दर जुर्माने और जेलों से पीड़ित होंगे और इस जमीन को काश्त करने के लिए उनको बड़ी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। काश्त तो वे करेंगे ही, कर ही रहे हैं परन्तु ऐसी स्थिति में जब पड़ोस की तहसील का आदमी काश्त करने वालों को खातेदारी अधिकार मिल गये हैं, उनका नियमन हो रहा है और मरूस्थलीय जगह के आदमियों का उसी आधार पर अगर छह बीघा से ज्यादा जमीन का नियमन नहीं होता है तो यह एक बड़ी विडम्बना की बात हो जाती है। उपाध्यक्ष महोदय, मरूस्थलीय जिलों के अन्दर एक हैक्टेयर जमीन करीब छह, साढ़े छह बीघा जमीन एक काश्तकार के पालन के लिए कोई मतलब नहीं रखती। उसके अन्दर उसका ठहरने का, भैंसों का, मवेशियों का बाड़ा नहीं बनाया जा सकता। छह, साढ़े छह बीघा जमीन की जो लिमिट रखी हुई है, रेस्ट्रिक्शन है उसको हटाकर मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह निर्णय आपको तुरन्त ले लेना चाहिए और ये राजस्थान के काश्तकारों के हित में है और इससे कोई नुकसान होने वाला नहीं है। जमीन की काश्त तो उसी प्रकार से होगी जैसा कि शिव से आने वाले माननीय सदस्य

(श्री रामनारायण विश्नोई)

ने एक सजेशन दिया था कि अगर आप अलाटमेंट खुला करते हैं तो कुछ कंडीशंस डाल दीजिए और ऐसे काश्तकारों को यदि कंडीशन डाल सकते हैं कि इसके अन्दर आप ऐसीं जमीन रखेंगे कुछ खुली, जिसके अन्दर घास पैदा करेंगे मवेशियों के लिए, चारे के लिए जो ऐसी फसल करेंगे और वृक्षारोपण करेंगे ताकि हमारा जो डेजर्ट डवलपमेंट प्रोग्राम के प्रोजेक्ट की जो स्कीम बनी थी उसके अन्दर किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हो तो मैं इस पर विशेष ध्यान दिलाना चाहता हूं।

दूसरा मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र फलौदी के अन्दर 230 गांव हैं और वे 230 गांव पूरी तरह अकाल-ग्रस्त हैं और सिंगल क्रोप एरिया है। लोगों की स्थिति बड़ी खराब है। उस समय लोगों की कुछ आशाएं जगी थी कि फलौदी लिफ्ट का काम काफी शुरू हो चुका था और वह 20-25 किलोमीटर तक नहर खुद चुकी थी। दो तीन पम्पिंग स्टेशंस बन रहे हैं। ऐसी स्थिति में फलौदी लिफ्ट का कुछ ज्यादा बजट अलाट करके साल, दो साल के अन्दर करने की कोशिश करें ताकि अकालग्रस्त इलाके के अन्दर गरीबों को कुछ राहत मिल सके। एक निवेदन और करना चाहूंगा कि उस जगह कालोनी एरिया डिक्लियर होकर कोलोनाइजेशन के कानून तो लागू हो चुके। ऐसी स्थिति में एक असिसटेंट कोलोनाइजेशन आफिसर कम असिसटेंट कलेक्टर की नयी पोस्ट सृजित कर फलौदी के अन्दर पदस्थापित किया जाए ताकि फलौदी लिफ्ट और पोकरण लिफ्ट के अन्दर जो फलौदी तहसील के गांव और जोधपुर जिले के जो गांव आये हुए हैं उनके अन्दर कोलोनाइजेशन के मुताबिक चकबन्दी की जा सके और वहां पर कोलोनाइजेशन के लाभ के मुताबिक डवलपमेंट होना चाहिए वहां होकर काश्तकारों को लाभ मिले। उपाध्यक्ष महोदय, आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

श्री उपाध्यक्ष : श्री संजीव बेनीवाल। ऐसा सुनने में मजा आता है। ऐसा बोला करो। इनसे सीखो बोलना। आपको कह रहा हूं।

श्री संजीव बेनीवाल (भादरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-8 और 46, महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा चल रही है। मैं आपकी इजाजत से अपने को इस चर्चा में सम्मिलित करता हुआ मेरे निर्वाचन क्षेत्र भादरा की कुछ समस्याओं की ओर मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सिद्धमुख नहर सिंचाई परियोजना का शिलान्यास सन् 1989 में स्वर्गीय राजीवजी के कर कमलों द्वारा भादरा निर्वाचन क्षेत्र के गांव घिराणी में किया गया।

इस शिलान्यास की वजह से राजस्थान राज्य के उत्तरी मरू घाट के हनुमानगढ़ व चूरू जिलों की कृषि योग्य भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने, कृषि उत्पादन बढ़ाने, पशुपालन व डेयरी विकास से स्थानीय निवासियों की आर्थिक दशा सुधारने आदि उद्देश्य से इस परियोजना का सूत्रपात

(श्री संजीव बेनीवाल)

किया गया। इस सिद्धमुख नहर सिंचाई परियोजना का शिलान्यास करके राजीव जी ने एक बहुत बड़ी जीवनदायिनी की शुरूआत वहां पर की। इस सिद्धमुख नहर सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत आने वाली सिद्धमुख वितरिका एवं रतनपुरा वितरिका जिसकी मांग लम्बे समय से इलाके के काश्तकार करते आ रहे थे लेकिन पिछले भा.ज.पा. सरकार की किसान विरोधी नीतियों के चलते इन सिद्धमुख वितरिका और रतनपुरा वितरिका के निर्माण कार्य को अधरझूल में डाल दिया।

उपाध्यक्ष महोदय, वर्तमान सरकार आने के बाद माननीय सिंचाई मंत्री जी के सतत् प्रयास से और माननीय मुख्य मंत्री जी के सतत् प्रयास से दिंनाक 30 जून, 1999 को माननीय मुख्य मंत्री श्री अशोक जी गहलोत के कर कमलों द्वारा इन दोनों नहरों को मंजूरी देते हुए स्वयं उनके कर कमलों द्वारा इसका शिलान्यास किया गया। सिद्धमुख वितरिका के अन्तर्गत ग्यारह गांव भादरा तहसील के और चौदह गांव राजगढ़ तहसील जो चूरू जिले की तहसील है उसके आते हैं और पच्चीस किलोमीटर इसकी लम्बाई प्रस्तावित की गयी है। रतनपुरा वितरिका की 19 किलोमीटर लम्बाई में 13 गांव भादरा तहसील के इससे लाभान्वित होंगे और शिलान्यास करने के बाद इस कार्य की स्वीकृति होने के बाद दिनांक 6.12.99 और क्रमशः 9.12.99 को सिद्धमुख वितरिका और रतनपुरा वितरिका के टेण्डर भी लगा दिये गये। लेकिन बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि दस करोड़ का जो बजट प्रावधान रखा गया इस बजट को शून्य कर दिया गया, बजट को जीरो कर दिया गया। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहते हुए बड़ी पीड़ा हो रही है कि इस बजट में सिद्धमुख वितरिका और रतनपुरा वितरिका के नाम पर एक पैसे के बजट का प्रावधान नहीं रखा गया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया से निवेदन करना चाहता हूं कि शीघ्रातिशीघ्र सिद्धमुख वितरिका एवं रतनपुरा वितरिका का निर्माण शीघ्र चालू करवाने का कष्ट करें ताकि इन गांवों को लाभान्वित किया जा सके।

दूसरा निवेदन यह भी है कि सिद्धमुख वितरिका और रतनपुरा वितरिका का जो प्रस्तावित नक्शा था, कुछ गांव जो पहले छोड़ दिये गये थे उन गांवों को भी सम्मिलित करवाने की कृपा करें ताकि इन गांवों को सिंचाई से जोड़ा जा सके। सिद्धमुख परियोजना जिसका कि अभी जिक्र चल रहा था इसका करीब करीब अस्सी प्रतिशत कार्य कम्पलीट कर लिया गया है तो आपके माध्यम से मैं विनम्र निवेदन करता हूं माननीय मंत्री महोदया से कि सिद्धमुख परियोजना की हैड रीच पर सिंचाई भी प्रारम्भ की गयी थी और वर्ष 1998-99 में लगभग 500 हैक्टेयर में सिंचाई भी करवायी गयी थी और अब भयंकर अकाल की स्थिति और पेयजल संकट को देखते हुए हरियाणा सरकार से कम से कम 100 क्यूसेक पानी सिद्धमुख परियोजना के लिए मंजूर करवाएं ताकि पेयजल समस्या का हल हो सके और सिंचाई वहां पर प्रारम्भ की जा सके।

उपाध्यक्ष महोदय, सिद्धमुख परियोजना में ही विहाणी माइनर के टेल एक्सटेन्शन

(श्री संजीव बेनीवाल)

का मामला लम्बित पड़ा है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से निवेदन करूंगा कि विहाणी माइनर के टेल एक्सटेन्शन को आगे बढ़ाया जाए। झांसर वितरिका जो कि अमरसिंह सब ब्रांच की एक वितरिका है। पिछले चार, पांच सालों से झांसर वितरिका के टेल के ऊपर पानी नहीं पहुंच रहा है, टेल के काश्तकारों को पानी नहीं मिल रहा है। सिद्धमुख फीडर जो है वह आर डी जीरो से आर डी-43.200 तक झांसर वितरिका के बांई ओर पटरी के समानान्तर इसको बनाया गया है जिसकी वजह से सिद्धमुख नहर की ऊंची बंधाई बनायी गयी है और यह झांसर वितरिका उसके समानान्तर होने की वजह से वर्षा ऋतु में मिट्टी की वजह से पानी से जो मिट्टी धुल जाती है उससे झांसर वितरिका पूरी तरह से भर जाती है जिसका सीधा प्रभाव टेल में पड़ता है और इस बरसात के मौसम में मिट्टी आने की वजह से झांसर वितरिका को आर.डी. 41 तक ही पानी मिलता है जब कि झांसर वितरिका की टेल आर.डी. 56 पर स्थित है। तो मैं आपके माध्यम से माननीय सिंचाई मंत्री महोदया का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहता हूं कि झांसर वितरिका के टेल पर नियमित रूप से पानी सप्लाई देने के लिए सिद्धमुख फीडर की आर.डी.-43.200 जरिये पाइप तीन क्यूसैक्स पानी का आउट लेट दे दिया जाए तो उससे झांसर वितरिका के टेल पर पानी की जो कमी है उसकी पूर्ति हो सकेगी और जो तीन गांव झांसर वितरिका के हैं, पिछले चार, पांच सालों से पानी की जो कमी है, जो पानी उनको नहीं मिल रहा है उससे उनको राहत दी जा सकेगी।

एक सबसे बड़ी समस्या है उपाध्यक्ष महोदय, कि पिछले बजट में नहरी आवयाना 100 प्रतिशत तक बढ़ाया गया और आश्वस्त किया गया कि किसानों को कि यह जो पैसा है वह नहरों के रख रखाव और इनकी मरम्मत पर ही खर्च होगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य एक मिनट।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेश जोशी (उप मुख्य सचेतक) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घण्टे के लिए बढ़ाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : सदन का समय एक घण्टा और बढ़ाया जाए ?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घंटा और बढ़ाया गया।

मांग संख्या 46 एवं 8 पर विचार

श्री संजीव बेनीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भाखड़ा के जो माइनर हैं और जो खाले हैं वह करीब-करीब सभी

(श्री संजीव बेनीवाल)

कच्चे हैं और कुछ खालों में पानी का रिसाव व वाष्पीकरण के कारण पानी ज्यादा वेस्ट होता है और पक्के खाले अगर बना दिये जाएं तो पानी की काफी बचत होगी। अतः पानी के अतिरिक्त उपयोग हेतु पक्के खाले करवाये जाने चाहिए क्योंकि भादरा निर्वाचन क्षेत्र में भाखरा की नहरों का अन्तिम छोर होने के कारण सिंचाई बहुत कम हो पाती है और क्षेत्र में सिंचाई सघनता बहुत ही कम है। अतः सी.ए.डी. के तहत वहां कार्यालय खुलवाकर, सी.ए.डी. के तहत इन खालों और माइनरों को पक्का करवाने का काम शीघ्र शुरू करवाया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी जो नहरें हैं, जो माइनर हैं उनकी यह समस्या रहती है कि टेल पर उनके पानी पूरा नहीं पहुंचता। इसका मुख्य कारण होता है कि नहरों में सिल्ट व जाला जो होता है उसको निकाला नहीं जाता। उसकी सफाई टाइम से नहीं होती है। एक आउट लेट से छेड़छाड़ की जो बात है, मोगों के साथ जो छेड़छाड़ की बात है, कई मोगे ओवर साइज कर दिये जाते हैं उसकी वजह से भी टेल पर पानी सही ढंग से नहीं पहुंचता है। अतः मैं विनम्र निवेदन करता हूं माइनरों की जो टेल है उनको सही तरीके से फीड करने के लिए नहरों की सिल्ट निकलवाई जाए, जाले निकलवाए जाएं और आउट लेट सही करवाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सोहन नायक। बिराजिये।

श्री संजीव बेनीवाल : अमरसिंह सब ब्रांच की प्रथम वरीयता में 355 क्यूसैक्स पानी मिलता है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये माननीय सदस्य। माननीय बेनीवालजी बिराजें।

श्री संजीव बेनीवाल : एक मिनट, द्वितीय वरीयता में 250 क्यूसैक पानी मिलता है तो मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से निवेदन करता हूं कि तृतीय वरीयता में भी अकाल और पेयजल के संकट को देखते हुए पानी और दिलवाया जाए।

राजस्व से सम्बन्धित मेरा एक अनुरोध है कि भादरा क्षेत्र में एकीकरण या यानि चकबन्दी का जो बकाया काम है उसको शीघ्रातिशीघ्र चालू करवाया जाए क्योंकि करीब 24 गांव एकीकरण की कार्यवाही से बचे हुए हैं और 15171.061 हैक्टेयर भूमि जो है एकीकरण की कार्यवाही से बची हुई है तो इन गांवों में पुनः एकीकरण का कार्य जल्दी शुरू करवाया जाए। एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : इतनी देर सब गैर महत्वपूर्ण थी क्या ?

श्री संजीव बेनीवाल : भादरा में काफी लम्बे समय से उप खण्ड कार्यालय यानी सब डिवीजन कार्यालय खोलने की मांग जनता काफी समय से करती आ रही है तो भादरा क्षेत्र की आबादी को देखते हुए और भादरा क्षेत्र में 49 पंचायत मुख्यालय हैं एक तहसील कार्यालय है, एक उप तहसील

(श्री संजीव बेनीवाल)

कार्यालय है और भादरा क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए नोहर जो सब डिवीजन पड़ता है उसके अन्तर्गत आता है। राज कार्यों के लिए भादरा की जनता को नोहर जाना पड़ता है। अतः भादरा क्षेत्र में उपखण्ड कार्यालय यानी सब डिवीजन भादरा में खोला जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

(19.00 बजे)

श्री उपाध्यक्ष : श्री सोहन नायक।

श्री सोहन नायक (रायसिंहनगर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग संख्या-8 राजस्व और मांग संख्या-46 पर माननीय मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, वर्तमान समय में गंगानगर जिला और रायसिंह नगर विधान सभा क्षेत्र में जो विशेष आवंटन किया जा रहा है उसको बंद कर भूमिहीनों को आरक्षित कीमतों पर उक्त आवंटन किया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय को बताना चाहूंगा कि उस क्षेत्र के जो लोग सदियों से उस भूमि को अपना बनाने के लिए या उसके मालिक बनने के लिए तरस रहे हैं वह तो गरीब अनुसूचित जाति के लोग या दलित लोग वहीं बैठे हैं और बाहर के लोग विशेष आवंटन में साधन सम्पन्न लोग वहां आकर उन जमीनों का आवंटन करवा रहे हैं जो कि न्याय संगत नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय का तारबंदी में आई भूमि की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। रायसिंह नगर विधान सभा क्षेत्र का जो भाग पाक सीमा से लगता हुआ है उसमें किसानों की भूमि तारबंदी में आई हुई है उस भूमि की एवज में या तो उन किसानों को अन्यत्र भूमि दी जाये अन्यथा मुआवजा दिया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि वन विभाग के द्वारा जो भूमि किसानों की पुख्ता आवंटन है उसको फेंसिंग किया गया है या फिर वह भूमि डबल अलाटमेंट है। वन विभाग को भी आवंटित हो चुकी है और किसानों को भी आवंटित है उसका निराकरण शीघ्र किया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, रायसिंहनगर विधान सभा क्षेत्र की तहसील और विजयनगर तहसील में टी.सी. से सम्बन्धित एक मेजर समस्या है। लगभग 850 टी.सी. होल्डर, 1960 के बाद के केस जेरकार हैं उनमें से 2779 हैक्टेयर भूमि उन किसानों के पास है। इन 850 टी.सी. होल्डर्स को शीघ्र रेगुलेशन करवा कर, नियमन करवा कर उन किसानों को उनका हक दिलवाया जाये। गांव में जोहड़ पायतान और चौक की जमीन पड़ी है उनको उसी गांव के जो लोग अनुसूचित जाति से सम्बन्धित हैं या बी.पी. एल. में आई सूची से सम्बन्धित है उन लोगों को रिहायशी निःशुल्क पट्टे आवंटित किये जाये। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह भी निवेदन करूंगा कि गंगानगर जिले के बहुत से ऐसे किसान हैं जिनको पुख्ता आवंटन हो चुका है या फिर स्माल पेच में आवंटन है या फिर अन्य प्रकार से भूमि आवंटित है परन्तु उस भूमि को गजट में छाया किया जा चुका है। वह लापरवाही

(श्री सोहन नायक)

वहां के पटवारी या अन्य राजस्व कर्मचारियों की है उस भूमि को शीघ्र गजट से डिनोटिफिकेशन करवाया जाये और डिनोटिफिकेशन वर्तमान समय में शासन सचिव द्वारा किया जाता है उसके बजाय जिला कलेक्टर को यह हक दिया जाये, कि वहीं पर इन केसों का निपटारा किया जाये। उस क्षेत्र के अन्दर एक पौंग बांध विस्थापित भूमि प्रकरण लम्बे समय से चल रहा है। तत्कालीन सरकार ने उन लोगों को लूटा और किस तरह लूटा एक 6 (ए) नियम बना कर, जिसके तहत उन लोगों के बच्चों के निवाले की जो राशि थी वह भी उन्होंने सरकार को जमा करवाई और यहां के जो पौंग बांध विस्थापित थे जिन्होंने वह भूमि बेची, हालांकि यह सच था कि वह नियम विरुद्ध खरीदी गई थी, परन्तु बेचने वाला भी नियम विरुद्ध था। इस 6(ए) के तहत जो स्थानीय किसान प्रभावित हुए हैं शीघ्र उनका, मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि उस भूमि को उनको दिया जाये और किसी प्रकार उस समस्या का समाधान किया जाये।

आपके माध्यम से मैं सिंचाई से सम्बन्धित कुछ समस्याऐं भी सदन के सामने रखना चाहूंगा। हमारे क्षेत्र की जो वितरिकाऐं हैं गंग कैनाल की उनका रख-रखाव सही तरीके से नहीं होने से किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं होती। जिस प्रकार मुझसे पूर्व माननीय सदस्यों ने आउट लेट से छेड़-छाड़ की समस्याऐं बताई हैं यह पूरे जिले की बहुत ही गम्भीर समस्या है। मैं आपके माध्यम से गंग कैनाल की एल.एन. पी. वितरिका के बारे में माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा कि उस समय गंगानगर के एक राज्य मंत्री +++ थे उन्होंने उस वितरिका के अन्दर 3.84 जो डिस्चार्ज था उसके बजाय 2.56 करवाया परन्तु मंत्री होने का नाजायज फायदा उठाते हुए जो टेल के काश्तकार थे वह उससे बहुत प्रभावित हुए। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि उस एल.एम.पी. वितरिका की वर्तमान में जो अव्यवस्था है उसको शीघ्र ठीक करवाया जाये।

मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का यह भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि ट्यूबवैल से जो सिंचाई होती है उसका आबियाना सिंचाई विभाग न ले क्योंकि काश्तकारों को बिजली का बिल भी देना पड़ता है और उसी ट्यूब-वैल से सिंचित भूमि का उनको आबियाना भी भरना पड़ता है। तो उन किसानों को दोहरी मार पड़ती है। उपाध्यक्ष महोदय, गंग कैनाल की टेल की वितरिकाऐं एन.पी. नहर, श्यामगढ़ माइनर, भौमपुरा माइनर, एल.एन.पी. वितरिका की अन्य वितरिकाओं के टेल की सिंचाई सुविधा को दुरूस्त करने की मांग करता हूं। कुछ वितरिकाओं का जो वर्तमान में डिस्चार्ज 3.84 है उसके बजाय उसको 2.56 करवाने की मांग करता हूं जिले की समस्त वितरिकाएं 2.56 से चलती हैं और अधिकारी लोग 3.84 के नाम पर उन किसानों को परेशान करते हैं। समस्त वितरिकाओं का डिस्चार्ज एक जैसा हो जायेगा तो उनके पास किसी तरह का

+++ नाम अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री सोहन नायक)·

कोई बहाना नहीं रहेगा। उपाध्यक्ष महोदय इसके साथ कुछ गंग कैनाल की वितरिकाएं जो रायसिंह नगर विधान सभा क्षेत्र में है वह इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की वितरिकाऐं हैं उनसे बिल्कुल साथ का रकबा है। मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि यह जो इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के साथ का रकबा है उसको इन्दिरा गांधी नहर परियोजना में ले लिया जाये जिससे गंग कैनाल का जल बच जायेगा और गंग कैनाल का दूसरा रकबा है असिंचित वह सिंचित हो सकेगा। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं जी.बी. वितरिका जो कि प्रस्तावित है इन्दिरा गांधी नहर में जोड़ दिया जाये। इसी प्रकार एन.पी. की टेल के चक, एल.एन.पी. की टेल के चक, वह भी इन्दिरा गांधी नहर में जोड़ दिया जाये तो उस क्षेत्र के किसानों का जीवन सुधर जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अन्त में निवेदन करना चाहूंगा कि पंजाब से जो रेगुलेशन डिस्चार्ज होता है उसमें अनियमितता रहती है। जब भी फसल पकाव पर होती है या बिजाई का समय होता है उस वक्त पानी सही नहीं दिया जाता और जिस वक्त किसानों को सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती उस वक्त पानी ज्यादा दिया जाता है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस अनियमितता को दूर किया जाये। धन्यवाद, जयहिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती ममता शर्मा।

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी) : उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो राज्य में नदियों और तालाबों की काफी कमी पाई जाती है लेकिन चम्बल नदी एक ऐसी नदी है जो अविरल बहती है और उस चम्बल नदी ने मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों प्रदेशों को बहुत कुछ दिया है। पूरे राज्य में बरसाती पानी भी जगह-जगह रेस्टोर नहीं किया जाता, खास तौर से चम्बल सिंचाई परियोजना के बारे में मैं अपने विचार मांग संख्या 46 के कटौती प्रस्ताव पर रखना चाहती हूं। इस योजना में करीब 290 गांव सिंचित होते हैं। मैं बूंदी ब्रांच की बात कर रही हूं और केशोरायपाटन ब्रांच की बात कर रही हूं। इसमें बूंदी तहसील के करीब 79 गांव आते हैं। सन् 1957 में बनी नहरों के बाद उनके रख-रखाव पर बिलकुल भी ध्यान नहीं दिया गया। सन् 1985 तक तो फिर भी सरकार ने इस ओर ध्यान दिया लेकिन उसके बाद इन नहरों का कोई रख-रखाव नहीं होने की वजह से नहरें बिलकुल जीर्ण-शीर्ण अवस्था में आ गई है।

इस बात को मैं बार-बार रिपीट नहीं करना चाहती हूं, लेकिन डिस्ट्रिब्यूटरीज और माइनर्स की इतनी बुरी हालत है कि आप उसका अंदाज भी नहीं लगा सकते और किसानों की जमीनें बिकने पर आ गयी हैं। इसलिए हमें इसके बारे में अब गहन चिंतन की आवश्यकता है। इस क्षेत्र का विकास इंदिरा गांधी क्षेत्र के विकास कार्यक्रम से थोड़ा सा फर्क है। इस क्षेत्र में चूंकि राजाओं का शासन था और रेवेन्यू जो ली जाती थी वही प्रथा उस वक्त से चली आ रही थी। वहां और यहां के सिस्टम

(श्रीमती ममता शर्मा)

में थोड़ा सा फर्क है और इन माइनर्स और डिस्ट्रिब्युटरीज का जो रख रखाव है उसके लिये मैं यह कहूंगी कि इसके लिये हमें अधिक से अधिक बजट, ज्यादा नहीं तो चाहे 50 लाख ही दें। मुझे अफसोस है इस बात के लिये कि बजट में एल.एम.सी. और आर.एम.सी. के लिये बिल्कुल भी पैसा नहीं दिया गया है।

जहां तक सवाल हमारे गांव का है, बबूल, कांटे इस तरह से नहरों पर उगाये हैं कि जिसका माननीय मंत्री महोदया से मैं आपके माध्यम से कहूंगी कि एक बार उनका जायजा लें और उसके लिये कुछ करने का जरूर से जरूर प्रयास करें। हमारे जो लैफ्ट मेन कैनाल है इसमें 750 क्यूसेक केपेसिटी है पानी की। लेकिन उसकी हालत यह हो गयी है कि वह 550 क्यूसेक से ज्यादा पानी नहीं झेल पाती और 200 क्यूसेक पानी जिसकी कीमत करोड़ों रुपये हैं, वह वेस्ट हो रहा है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगी कि उस पानी को बचाने के लिये हमें कोई न कोई उपाय जरूर करने चाहिये। सेक्रेटरी सी.ए.डी. और सेक्रेटरी इर्रिगेशन की एक टीम पिछले साल गयी थी। उनसे भी इस बात के लिये रिकवेस्ट की गयी थी कि इसके लिये एक ही उपाय है कि बाजड़ का खाल अगर बना दिया जाये तो वहां पानी रेस्टोर हो सकता है और उस पानी से हमारे किसानों को काफी रिलीफ मिल सकता है।

कोटा बैराज जब बना उससे आर.एम. सी. और एल.एम.सी. मुख्यतः कोटा, बूंदी को ही लाभ मिलना था, मैं ज्यादा लम्बा इसलिये नहीं कर रही हूं कि समय का अभाव है। इस क्षेत्र में क्षार युक्त भूमि हो गयी है, पानी के जमाव के कारण से तो हमें इसके लिये उपाय करने चाहिये कि इस भूमि को कैसे न कैसे बचाया जाये।

वर्ल्ड बैंक की सहायता से आई.डी.ए. पर जो हमें बजट मिलता है इसमें लगा कर और किसी भी तरह से हमें किसानों को रिलीफ देना अति आवश्यक है।

उपाध्यक्ष महोदय, प्रोपर ड्रेनेज सिस्टम की बहुत ज्यादा जरूरत है और अगर यह नहीं किया गया तो एक न एक दिन हम देखेंगे कि यह नहरें बिल्कुल जीर्ण-शीर्ण अवस्था में चली जायेंगी।

सीड़ा का प्रोजेक्ट आया। सीड़ा के प्रोजेक्ट से हमें काफी लाभ हुआ। लेकिन उसका काफी कुछ बजट लैप्स होकर वापस चला गया। 13 करोड़ का प्रावधान था। 1998-99 में। इस परियोजना क्षेत्र में 2500 हैक्टेयर भूमि की डिस्ट्रिब्यूटरीज और माइनर्स की मरम्मत का लक्ष्य था लेकिन वह मरम्मत का लक्ष्य मुझे कहीं नजर नहीं आता और आज किसान उससे बहुत ज्यादा परेशान हैं।

अंतिम यह निवेदन नहरों के बारे में करूंगी कि माननीय मंत्री महोदया, इस पर ध्यान दें और हमें बजट दें ताकि हम इसको सुधार सके।

दूसरी बात, मैं मेरे ही क्षेत्र की गरड़दा परियोजना के बारे में कहूंगी जिसका

(श्रीमती ममता शर्मा)

शिलान्यास तत्कालीन मुख्य मंत्री माननीय माथुर साहब ने सन् 1984 में किया और उसके बाद जो दूसरी सरकार आयी, उसने इस परियोजना की इतनी अनदेखी की कि वह आज 15 करोड़ का बजट हमारे ऊपर 48 करोड़ का बजट बनकर आया। हमारी सरकार को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने दिल्ली की एक प्राइवेट कम्पनी से उसका सर्वे कराया। वेपकोस नाम की कम्पनी ने सर्वे किया और करीब 45 लाख रुपया उस सर्वे में लगा है। दो ड्राफ्ट रिपोर्ट उस सर्वे की आ चुकी है और 3-4 रिपोर्ट और आनी बाकी है। उससे हमारे यहां के करीब 46 गांव सिंचित होंगे और वह स्वतंत्रता सेनानियों का एरिया है। जहां हमारे भीलों ने स्वतंत्रता सेनानियों के रूप में लड़ाई की, उस एरिये में वह बांध बन रहा है। लेकिन उस बांध के लिये बजट में क्या प्रावधान है, मुझे अभी तक इस बात की कोई जानकारी नहीं और पहले साल में अगर उस बांध के लिये कम से कम 2 करोड़ भी मिल गया तो वह बांध का काम शुरू हो जायेगा और गरीब जनता और यहां 60 परसेंट ट्राइबल्स हैं उनको इस बात का बहुत रिलीफ मिलेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बांध से करीब 60,000 बीघा भूमि सिंचित होगी। पहले यह बांध गरड़दा में बनने वाला था और अब यह तीन नदियों को मिला के गणेशी, एरू और मेघ नदी पर यह बांध अबलासपुरा में बांधा जा रहा है। उसकी वजह से कुछ हमारे ट्राइबल्स के बड़े इम्पोर्टेंट गांव हैं, इतने महत्वपूर्ण गांव हैं, वह छूट रहे हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से कहना चाहूंगी कि उन गांवों को इसमें जरूर लिया जाये। बरदा बांध जिसकी अलग वितरिकाएं हैं। वह वितरिकाएं बिल्कुल जीर्ण-शीर्ण हो चुकी हैं और वहां करीब दो गांव की पंचायत है। वह यह कहते हैं कि इस बांध का पानी हमें भी मिलना चाहिये। लेकिन सर्वे में उन गांवों के नाम नहीं हैं इसलिए इमें थोड़ी सी तकलीफ आ रही है और अगर एक बड़ी कैनाल उन वितरिकाओं में इसमें डाल दी जायेगी तो मैं यह सोचता हूं कि इमें एक बहुत बड़ा लाभ मिलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगी कि जो गांव सर्वे में नहीं आये हैं उनकी एक बार और कोशिश की जाये और ऐसा सुनने में आया है कि इस गरड़दा बांध का जो ऑफिस है वह कोटा में बनाया जायेगा। यह एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी। क्योंकि जो बूंदी जिले का मामला है उसे बूंदी में ही रखा जाये। क्योंकि बूंदी को वैसे ही आधा कोटा खा रहा है। जितना बरड़ क्षेत्र में माइनिंग है उसमें से 80 परसेंट लोग तो कोटा के आकर माइनिंग करते हैं और चले जाते हैं। तो हमारा क्षेत्र जो चारागाह बना हुआ है, उसको बचाने के लिये मैं चाहती हूं कि गरड़दा का सम्पूर्ण काम केवल बूंदी में ही हो, ऐसा मेरा माननीय मंत्री महोदया से निवेदन है।

तीसरी बात जो मैं कहना चाह रही थी, वह मैं राजस्व की मांग संख्या-8 पर कहना चाह रही हूं। बहुत छोटी सी बात है। 1977 में हमारे यहां बरड़ क्षेत्र में अलाटमेंट हुआ था और उसके बाद कांग्रेस की सरकार भी

(श्रीमती ममता शर्मा)

आयी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी आयी। लेकिन किसी ने भी उन भीलों पर, उन ट्राइबल्स पर जिनकी हम एस.टी., एस.सी.की बात सदन में करते हैं और सब जगह करते हैं, कोई ध्यान नहीं दिया और आज वह समय आया है कि हम उनके अलॉटमेंट करें और रेवेन्यू के जितने उनके मामले हैं, उनको हम किसी तरह समेंटे।

दूसरी बात मैं यह कहना चाह रही थी हमारे यहां उसी क्षेत्र में लक्ष्मीपुरा गांव और बड़कू, दो गांव ऐसे हैं जिनमें सिवाय चक भूमि दी गयी। किसानों के नाम अलॉट कर दी गयी और उनको 20-20 साल के अलॉटमेंट आज भी हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि फोरेस्ट वाले कभी भी डंडा लेकर उनके पास आ जाते हैं और कहते हैं यह भूमि हमारी है और इसे आप हमें वापस दो। इसके लिये मैं माननीय मंत्री महोदया से आपके माध्यम से निवेदन करूंगी कि फोरेस्ट डिपार्टमेंट को उसकी जगह कोई दूसरी जमीनें अलॉट की जायें और वह जमीनें हमारे जो ग्रामवासी हैं उनको वापस दी जाये।

दो-तीन बात कह कर और मैं एक बार और बजट की बात याद दिलाकर अपना स्थान ग्रहण करूंगी। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमराराम जी।

श्री अमराराम (धोद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या-8 राजस्व, उपनिवेशन और सिंचाई की मांग संख्या-46 पर जो चर्चा चल रही है। दोनों ही मांग राजस्थान के विकास के लिये और राजस्थान की 75 से 80 प्रतिशत जनता की जिंदगी से जुड़ी हुई है। इससे राजस्थान को खुशहाल करने की इन मांग के द्वारा और इनके जरिये राजस्थान को आगे बढ़ाने का काम हो सकता है। लेकिन इसमें मूल रूप से भूमि सुधार को लागू करके राजस्थान के किसान को जो आशा जगी थी उस ओर से राजस्थान की सरकार का रवैया हटने का लग रहा है। राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने जो टेनेन्सी एक्ट बनाया था, सीलिंग एक्ट बनाया था। वही सरकार जब बिहार में सामूहिक रूप से दलितों की हत्या होती है तो, कांग्रेस पार्टी बिहार को तो यह शिक्षा देती है कि भूमि सुधार लागू किया जाना चाहिये। लेकिन राजस्थान में जहां सीलिंग में आयी हुई हजारों, लाखों एकड़ जमीन आज भी उन जागीरदारों के खातों में शामिल हैं उसको निकालकर के राजस्थान के उस गरीब किसान के हक में देने की ओर राजस्थान की सरकार का कोई प्रयास नहीं है। न केवल उस सरप्लस लैण्ड, बल्कि राजस्थान की वह भूमि जो राजस्थान कैनाल के सेकिण्ड फेज में है। राजस्थान की वही कांग्रेस सरकार जो कभी किसान की बात और सीलिंग की बात किया करती थी। हो सकता है पूर्ववर्ती सरकार जिस पर उन जागीरदारों के पक्षधर होने के आरोप लगाते हैं लेकिन वहीं कांग्रेस सरकार उन्ही नीतियों पर चल रही है जो निवर्तमान सरकार ने विशेष अलाटमेंट के नाम से राजस्थान कैनाल की बेशकीमती जमीन जो विशेष रूप से उन लोगों को जो केवल खेती के लिये वह

(श्री अमराराम)

जमीन अलॉटमेंट नहीं करवा रहे, कृषि उत्पादन के लिये उनका अलॉटमेंट नहीं करवा रहे, वह वापस बेचकर धन कमाने की लालसा से और अपने अवैध कार्यों से कमाये हुए धन को व्हाइट मनी में कन्वर्ट कराने के लिये इस भूमि का अलॉटमेंट करवा रहे हैं। आज वह जमीन जो राजस्थान के गरीब को, राजस्थान के सीमान्त काश्तकार को, राजस्थान के उस भूमिहीन किसान को जिसकी भूख आज भी जमीन पर है जिसका पसीना आज भी जमीन पर बहता है। मैं समझता हूं उस ओर राजस्थान की सरकार का न तो दृष्टिकोण है, अगर पैसा कमाना है तो फिर जागीरदारों से जमीन लेने की कहां आवश्यकता थी ? राजस्थान के उस गरीब को जो जमीन जोतता था उसको निःशुल्क जमीनें देने की कहां आवश्यकता थी ? अगर यह नहीं किया जाता तो मैं समझता हूं राजस्थान बहुत पिछड़ा हुआ रहता। अगर कहीं आगे बढ़ा है तो यहीं वो कानून थे जिसके द्वारा राजस्थान की 80 से 90 प्रतिशत जनता को आगे बढ़ने का एक मौका मिला था। लेकिन राजस्थान की सरकार उस ओर आगे बढ़ने के लिये तैयार नहीं है। राजस्थान का किसान जो राजस्थान की जमीन पर अपना खून और पसीना बहाता है। आज सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि भूमि सुधार को और आगे ले जाना पड़ेगा। बड़ी-बड़ी जमीनों पर जिनके परिवार का कोई सदस्य काम नहीं करता। आज हिस्सेदार के रूप में राजस्थान के लाखों लोग चाहे वह गांव का गरीब, चाहें वह आदिवासी हैं, चाहे वह दलित हैं, चाहे पिछड़ा हुआ है जिनके पास जमीन का बहुत छोटा टुकड़ा है या जमीन नहीं है, उस जमीन पर अपना खून-पसीना बहाता है। पैदावार करता है। लेकिन आज भी राजस्थान की आजादी के 52-53 साल के बाद, स्थापना की स्वर्ण जयन्ती के बाद भी, हम स्वर्ण जयन्ती को तो एक साल और बढ़ा रहे हैं लेकिन वह गरीब जो जमीन पर अपना पसीना बहाता है उसके लिये आज तक कानूनी हक कोई भी नहीं है।

जहां-जहां सिंचाई का विकास हुआ है, सबसे ज्यादा हिस्सेदार, सबसे ज्यादा बंटाई-दार राजस्थान के उन इलाकों में हैं। जहां सिंचाई का साधन है, राजस्थान की जनता के टैक्स के द्वारा, खजाने के द्वारा विकास किया गया है। वहां सबसे ज्यादा हिस्सेदार, भूमिहीन किसानों की संख्या बढ़ी है। आप चाहे वह गंगानगर और हनुमानगढ़ देख लें, चाहे बूंदी और कोटा देख लें। जहां हिस्सेदार हैं उनको कानूनी राइट्स राजस्व विभाग ने अभी कोई भी नहीं दिया है। वह उनकी मर्जी पर है, उन जागीरदारों की मर्जी पर है कि वह कितना हिस्सा देंगे। वह उनकी बारगेनिंग पर है। यह निश्चित है कि जो लैंड लोर्ड हैं उनकी बारगेनिंग पावर बहुत बड़ी होगी। जो हिस्सेदार होगा, जो भूमिहीन होगा, जो स्माल मार्जिनल फारमर होगा वह उनके हिस्से में, बंटाई पर काम करेगा. जब तक हम उसकी हिस्सेदारी को कानूनी रूप से जामा पहनाकर, हिस्से का जितना काम, जितनी मेहनत है उतना देने के लिए कानूनी जामा नहीं पहनायेंगे तब तक राजस्थान का विकास नहीं हो सकता। राजस्थान का ग्रामीण विकास आगे नहीं बढ़ सकता है।

(श्री अमराराम)

मेरा आपके माध्यम से राजस्व मंत्री जी से निवेदन है कि आप कितने ही यह अधिकार पत्र बांट दें, आपने अधिकार पत्र बांटे। पिछले वित्त वर्ष में आपने समस्या समाधान शिविर लगाये। उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी खबर छपाई जाती है कि सबसे पहला काम जो विरासत के नामांतकरण हैं, राजस्थान के जितने भी समस्या समाधान शिविर सबसे पहली खबर होती है कि फलां पंचायत समिति के समस्या समाधान शिविर में विरासत के इतने नामांतकरण भरे गये। अगर आप इसको सही रूप में समस्या का समाधान चाहते हैं तो जिस भी पंचायत में एक महीने से ज्यादा विरासत के नामांतकरण अगर समस्या समाधान शिविर में भरे जाते हैं तो उस पंचायत हलके के पटवारी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी। अगर उसको आप पेनेलाइज नहीं करेंगे। केवल समस्या समाधान शिविर के नाम से, केवल टी.ए., डी.ए. उठाकर, सस्ती लोकप्रियता चाहें कि इतने नामांतकरण भर दिये उससे काम नहीं चलेगा। हर पंचायत में एक महीने में दो मीटिंग होती हैं। पटवारी का कर्त्तव्य है कि जो भी फोत हुआ है वहां रजिस्टर है, उसका कौन हुआ है। एक महीने से ज्यादा जिसका विरासत का नामांतकरण नहीं भरा गया और राजस्व अभियान में या समस्या समाधान शिविर में जिस पंचायत में भरे जाते हैं उनको वाहवाही नहीं देकर ऐसे राजस्व के पटवारी को सबसे पहले आप पेनेलाइज नहीं करेंगे तो इन समस्या समाधान शिविर का केवल प्रचार फोटो छपवाने का हो सकता है।

इसलिए आज जो भी समस्याएं पटवारियों के रूप में हैं, आप कितने भी अधिकार-पत्र छाप दें। अभी शाहपुरा से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे नामांतकरण के लिये हजारों रुपये चाहे वह विरासत का हो, चाहे वह खरीद का हैं, जब तक हजारों रुपये की भेंट-पूजा पटवारी की नहीं होगी तब तक वह नामांतकरण तस्दीक नहीं होगा और भेंट पूजा होते ही एक दिन में रजिस्ट्री होगी उसके दूसरे रोज वह नामांतकरण तस्दीक हो जायेगा। पंचायत का भी इंतजार नहीं करेंगे। वह तहसीलदार जी उस नामांतकरण को तस्दीक कर देंगे।

श्री अमीन खान : कामरेड की बात सही है।

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दूसरी समस्या की ओर आपके माध्यम से राजस्व मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि राजस्थान में देवस्थान के नाम पर, मूर्ति, मंदिर के नाम से हजारों लाखों एकड़ जमीन जिस पर न मूर्ति खेती करती है, किसान जिसकी पीढ़ियां दर पीढ़ियां उस देवस्थान की जमीन की काश्त करती आ रही हैं, जोतती आयी हैं लेकिन उसके विकास में चाहे बिजली का कनेक्शन लेने का सवाल हो, चाहे लोन लेने का सवाल हो, वह काश्तकार नहीं ले सकता और उससे आज रेवेन्यू केसेज बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए मेरा सुझाव मंत्री महोदय से है कि जितने भी देवस्थान के नीचे जमीन है, उसमें कुछ पैसा किसान से लेकर, क्योंकि कोई भी मंदिर, कोई भी मूर्ति, कोई भी पुजारी उस खेत पर खेती नहीं करता।

(श्री अमराराम)

इसलिए सबसे बड़ा इसका समाधान हो सकता है कि जो अब तक उस देवस्थान की जमीन पर जो किसान काश्त करता आया है उससे कुछ पैसा लेकर वह पैसा उस देवस्थान के, मूर्ति के हक में बैंक में जमा करा दिया जाये जिससे वह तो उसके काम आये और वह किसान उस भूमि को डवलप करके राजस्थान में कृषि उत्पादन को बढ़ाकर राजस्थान के विकास में अपना योगदान कर सके।

इस समस्या के लाखों केसेज आज भी राजस्थान के राजस्व बोर्ड में, विभिन्न न्यायालयों के केवल झगड़े के हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह सकता हूं कि जिनकी पीढ़ियां उस जमीन पर काश्त करती हुई आ गयी, आप कितना भी कानून बना लें, उसकी जान जा सकती है लेकिन वह जमीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, न छोड़ेगा। न आने वाले समय में छोड़ेगा। कोई वोट लेने के लिये कर सकता है। राम के नाम पर, गाय के नाम पर वोट लेने के लिए कानून बना सकता है लेकिन उस जमीन पर जिस काश्तकार की कई पीढ़ियां गुजर गयी हैं वह किसान उस जमीन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जान दे सकता है लेकिन जमीन नहीं छोड़ेगा। लेकिन अगर आप राजस्थान में कृषि उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं तो उसको काश्तकारी हक देना पड़ेगा और उसको विकसित करने के लिए लोन लेने का, कुआं लगाने का, बिजली लगाने का अधिकार जब तक नहीं होगा, उससे आप उस देवस्थान के, उस मंदिर के, उस मूर्ति के लिये पैसे ले सकते हैं जिससे उस मंदिर और मूर्ति का भी काम होगा और उस किसान का भी और राजस्थान का भी विकास होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं दूसरी समस्या की ओर ध्यानाकर्षित करूंगा, जो आदिवासी राजस्थान का सबसे पिछड़ा हुआ है। जो आदिवासी आज जंगलात की जमीन में बैठे हुए हैं, उस जमीन की पूर्व सरकार और वर्तमान सरकार भी घोषणाएं करती रही है। जो आदिमकाल से उस जंगलात में अपनी खेती करते आ रहे हैं, उस खेती का पट्टा देने के लिए सरकार घोषणाएं करती हैं लेकिन आज तक उसको लागू करने का काम नहीं किया है।

जहां तक राजस्व न्यायालयों का प्रश्न है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया को ध्यान दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान में भू माफिया किस तरह से राजस्थान के खजाने को चूना लगा रहे हैं। यह भू-माफिया राजस्व न्यायालयों की आड़ लेकर न केवल अपने घर भर रहा है बल्कि राजस्थान की भोली-भाली जनता के हकों को भी छीन रहे हैं और राजस्थान के खजाने को करोड़ों-अरबों रुपये का चूना लगा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि केवल जयपुर में मानसरोवर में आई हुई जमीन...।

श्री उपाध्यक्ष : आप तो धोद की बात करो, कहां जयपुर आ गए ?

श्री अमराराम (धोद) : धोद भी तो पूरे राजस्थान के अंदर ही है। मैं उनके लिए कह रहा हूं कि किस तरह से जमीन जो खसरा नम्बर 207 और 208 सुखालपुरा गांव की थी, वह कदीम काश्त, गोचर में दर्ज हुई 1982 में मानसरोवर योजना में, जब एक्वायर करने के आदेश हुए तो किसान को पता लगा कि उसकी जमीन गोचर में दर्ज है। 1984 में डिक्री करके अपने खातेदारी हक तो लिए। लेकिन भू माफिया ने उनसे मिल करके कि आपकी जमीन आपके हक में नहीं आएगी, 1994 में यह दुबारा डिक्री जयपुर के राजस्व न्यायालय ने की।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कोई भी खातेदारी का राजस्व वाद दायर किया जाता है तो राजस्थान सरकार को उस वाद में शामिल करना पड़ता है, यह सबसे पहली आवश्यकता है क्योंकि तहसीलदार जमीन का हकदार है, लैण्ड होल्डर है। 1994 में जो डिक्री दायर की गई उसमें तहसीलदार, सांगानेर के रूप में राजस्थान सरकार को प्रतिवादी नहीं बनाया गया और उनके नाम डिक्री करवा ली जो सांगानेर ही नहीं, जयपुर जिले के भी नहीं रहने वाले थे, जिनका इस जमीन से कोई लेना देना नहीं है, 7 और 8 में जागीरी के टाइम से कहीं उनका नाम नहीं है, वह उस जाति के नहीं, उस गांव के नहीं, केवल उस पार्टी से मिलकर राजस्व डिक्री करवाई जो नहीं हो सकती। उपाध्यक्ष महोदय, हजारों रुपये की स्टाम्प ड्यूटी की चोरी की गई और जयपुर जिला कलेक्टर ने उसको रेफरेंस नहीं किया आज तक।

उपाध्यक्ष महोदय, एक नमूना मैंने आपके सामने रखा है, ऐसे सैंकड़ों मामले होंगे अकेले जयपुर में जिनमें करोड़ों रुपए की स्टाम्प ड्यूटी की चोरी इन भू-माफियाओं ने की है। आप एक रेफरेंस जांच करवा लें, पिछले 10 साल में अकेले जयपुर में जितनी डिक्री हुई हैं उनका आप निरीक्षण करवा लें तो कितनी ही गोचर भूमि, सिवाय चक भूमि, इन डिक्रीज के मार्फत राजस्थान के खजाने को ये भू-माफिया राजस्व अधिकारियों से मिलकर चूना लगा रहे हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो वाद 72/94 दायर किया गया है, 11.1.96 को जो डिक्री किया गया, रेफरेंस नहीं हुआ है, इसे आप जिला कलेक्टर, जयपुर से रेफरेंस करवाएं और 10 साल की जितनी भी डिक्री सिवाय चक और गोचर भूमि की, वाद दायर करके अकेले जयपुर जिले में की है, उनकी जांच करवा लेंगे तो निश्चित रूप से राजस्थान की राजधानी जयपुर में भू-माफियाओं ने राजस्थान की जनता को अरबों रुपये का खजाने में जो चूना लगाया है, वह सामने आएगा और उनको दुरूस्त करेंगे। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बाबूलाल गरासिया।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूं, सिर्फ एक सेंटेंस बोल रहा हूं, जो प्रोब्लम है वह मंत्री महोदय क्या है कि यह कोल्यूजन सूट की प्रोब्लम है। दावा दायर हुआ और प्रतिवादी ने इकबाली जवाब दावा पेश कर दिया।

श्री उपाध्यक्ष : यह तो आप बोल चुके, यह वह समझ गए, वह समझते हैं इस बात को।

श्री सुरेन्द्र व्यास : एक्सप्लेन कर रहा हूं, नहीं समझे, उपाध्यक्ष महोदय। एक मिनट से ज्यादा का समय नहीं लूंगा। मंत्री महोदय, दावा दायर हुआ, इकबाली जवाब दावा पेश हो गया, डिक्री हो गई, वास्तव में उसका कोई हक नहीं है पर आपके स्टाम्प ड्यूटी की चोरी होती है, कोर्ट इस बात का ध्यान करती नहीं है, बाज वक्त कोर्ट में गलत होता है, सही होता है, उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता लेकिन ऐसे अनेक सूट्स डिक्री होते हैं, उनमें स्टाम्प ड्यूटी की चोरी रोकने के लिए कोई कारगर कदम उठाएं तो आपको राजस्व कोष में फायदा होगा। यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बाबूलाल गरासिया।

श्री बाबूलाल सिंगारिया (केकड़ी) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ा नाम में संशोधन कर लेवें, सब जगह नाम ही उल्टा-सुल्टा छप जाता है।

श्री उपाध्यक्ष : क्या हुआ ?

श्री बाबूलाल सिंगारिया : बाबूलाल सिंगारिया नाम है।

श्री उपाध्यक्ष : हां, बाबूलाल सिंगारिया ही कह रहा हूं।

श्री बाबूलाल सिंगारिया : आपने गरासिया बोल दिया तो कई बार उल्टा-सुल्टा नाम छप जाता है।

श्री उपाध्यक्ष : आपने सुना नहीं, मैं तो वही बोला हूं।

श्री बाबूलाल सिंगारिया : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, बजट सत्र 2000-2001 की मांग संख्या 46 व 8 के समर्थन में मैं अपने विचार रखता हूं। मेरे केकड़ी विधान सभा क्षेत्र के अंदर निम्नांकित सिंचाई परियोजनाएं काफी लम्बे समय से अपूर्ण पड़ी हुई हैं। इन परियोजनाओं पर करोड़ों रुपये राज्य सरकार के व्यय हो चुके हैं परंतु काश्तकारों को कोई फायदा नहीं हो रहा है। अतः इन परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण करवाने की कृपा करावें। जैसे कि नाहर सागर पिपलाज परियोजना। यह बांध केकड़ी तहसील जिला अजमेर के अन्तर्गत वर्ष 1985 से निर्माणाधीन है। वर्ष 1990-91 में यह परियोजना जर्मन सहायता मद से 428.32 लाख रुपए की स्वीकृत हुई थी। वर्ष 1996 से इस परियोजना का कार्य बंद पड़ा है। वर्तमान में इस परियोजना पर लगभग 550 लाख रुपये व्यय किए जा चुके हैं। इस परियोजना का संशोधित तखमीना लगभग 633 लाख का स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जा चुका है। परन्तु चादर का निर्माण अधूरा पड़ा होने के कारण इसका फायदा काश्तकारों को नहीं हो रहा है। नहरें व माइनरों का भी निर्माण हो चुका है। जो पुनः धीरे-धीरे रख रखाव के अभाव में क्षतिग्रस्त होती जा रही है। इस वर्ष वर्षा से पूर्व कार्य को पूर्ण कर पानी की पूर्ण भराव क्षमता ली जाए ताकि सभी काश्तकार सिंचाई कर सकें। इससे आसपास के कुओं का जल स्तर ऊंचा हो जाने के फलस्वरूप

(श्री बाबूलाल सिंगारिया)

पीने के पानी की समस्या का समाधान हो सकेगा। इसी तरह अम्बापुरा परियोजना भी मेरे क्षेत्र में लम्बित पड़ी हुई है। यह परियोजना केकड़ी तहसील जिला अजमेर के अंतर्गत स्थित है। यह परियोजना वर्ष 1992 में पूर्ण हुई एवं इसी वर्ष वर्षा ऋतु में क्षतिग्रस्त हो गई थी। इसकी जांच भी आपके यहां लम्बित पड़ी है। इस परियोजना का पुनर्निर्माण का तखमीना 116 लाख का राज्य सरकार को भिजवाया जा चुका है। इसके पुनर्निर्माण का तखमीना राशि 78.69 लाख का राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1998 में स्वीकृत किया जा चुका है लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हुआ। अतः इस परियोजना को शीघ्र प्रारम्भ करवाया जाए ताकि जनता को इसका लाभ मिल सके।

मेरे विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम गुदली, तहसील केकड़ी के अंतर्गत नया बांध निर्माण करवाने बाबत करीब 14 महीनों से मैं भी निवेदन करता आ रहा हूं और क्षेत्र की जनता भी 10-12 साल से लगातार मांग करती आ रही है। यह बांध ग्राम कादेड़ा (केकड़ी) से 5 किलोमीटर दूर जिला भीलवाड़ा में खारी नदी के तट पर बहुत विशाल नाला है जो केकड़ी उप खण्ड में हैं, जिसको पूर्व में भी सर्वे होकर निर्माण कार्य शुरू होना था परन्तु राजनैतिक द्वेषता के कारण उक्त कार्य आज तक शुरू नहीं हो पाया है। पूर्व में इस पर करीब 20 हजार रुपये के अकाल राहत कार्य में मिट्टी का कार्य भी कराया था लेकिन किन्हीं कारणों से यह परियोजना आपके यहां अधूरी पड़ी है। इसलिए मेरा माननीय मंत्री महोदया से निवेदन है कि हमारी इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि उक्त बांध के बनने से इसके कमाण्ड एरिया में आने वाले गरीब तबके के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े एवं अल्पसंख्यक किसान समाज को भारी राहत मिलेगी, जिसका पानी लगभग 10 ग्राम पंचायतों में 350 एकड़ असिंचित भूमि को सिंचित कर भूमिगत जल स्तर को भी काफी ऊपर उठाने में सक्षम होगा एवं जिससे लगभग 35 हजार की आबादी को प्रत्यक्ष लाभ हो सकेगा। उक्त बांध निर्माण से ग्राम कादेड़ा, काचरिया, भीमड़ावास, प्रान्हेड़ा, खवास, बालापुरा, आलोला, आलोली, मेहरूकलां, गुलगांव, सांकरिया आदि 35 गांवों को इसका लाभ मिलेगा इसलिए आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि यह भी आपके यहां विचाराधीन है, इस परियोजना को भी जल्दी से जल्दी स्वीकृत किया जाए ताकि केकड़ी विधान सभा क्षेत्र जो अनुसूचित जाति का इलाका है, उस इलाके के काश्तकारों को फायदा मिल सके।

इसी तरह नाहर सागर पिपलाज परियोजना भी अपूर्ण पड़ी हुई है, इसमें भी करोड़ों रुपये लग चुके हैं लेकिन अभी तक इसका सदुपयोग नहीं हो पा रहा है, इसको पूर्ण करवाया जाए। इसी तरह उम्मेद सागर परियोजना नवीन, लक्ष्मी सागर चितिवास परियोजना नवीन, बिसुन्दनी बांध की भराव क्षमता बढ़ाने का कार्य, आपके यहां जनहित में भिजवाए गए लेकिन अभी तक इनको स्वीकृत नहीं किया गया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया से निवेदन करना चाहता हूं कि इनको भी स्वीकृत

(श्री बाबूलाल सिंगारिया)

कराएं ताकि केकड़ी जैसे अनुसूचित जाति के क्षेत्र के लोगों को फायदा मिल सके।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से मेरे केकड़ी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत 17 गांव जो डूब क्षेत्र में आते हैं, जिनकी वजह से बीसलपुर परियोजना, जिसकी भराव क्षमता 315 क्यूबिक मीटर है, लेकिन 17 गांव डूब क्षेत्र में आते हैं उनको आज तक मुआवजा नहीं दिया गया जिसके कारण से वह भराव क्षमता 306 क्यूबिक मीटर पर आकर अटक जाती है। 17 गांव जो डूब क्षेत्र में आते हैं उनकी जो किस्म है, जिनकी चाही जमीन है लेकिन मुआवजा उनको बारानी जमीन के हिसाब से दिया जा रहा है जिसके लिए वे सहमत नहीं है। इसलिए मैं चाह रहा हूं जिस प्रकार की किस्म की उनकी जमीन है उसी प्रकार से उसी किस्म की जमीन उनको आवंटित की जाए, उनकी इच्छानुसार उनको दूसरी जगह विस्थापित किया जाए ताकि वो दूसरी जगह विस्थापित हों, उनको आर्थिक रूप से मुआवजा मिल जाए तब जाकर जो 318 मीटर की भराव क्षमता है बीसलपुर परियोजना की, मैं चाहूंगा 17 गांव डूब वाले दूसरी जगह विस्थापित होंगे तो उनको मुआवजा मिल जाए तब जाकर 315 क्यूबिक मीटर की भराव क्षमता पूरी हो पाएगी। इसलिए जब आज दिन भर जो चर्चा चली और 26 तारीख को भी पेयजल पर जो चर्चा है और जिसके अंदर 315 क्यूबिक मीटर पानी भरा जाता है तो कम से कम चार जिलों को पानी मिलता है। इसलिए यह महत्त्वपूर्ण परियोजना है और इसके अंतर्गत जो 17 गांव मेरे इलाके के डूब क्षेत्र में आते हैं मैं चाहता हूं उनको जल्दी से जल्दी मुआवजा दिया जाए।

इसी प्रकार से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अजमेर जिले के अंदर भू-संशोधन का मामला वर्षों से अटका हुआ है जिसके अंतर्गत मेरे केकड़ी विधान सभा क्षेत्र के अंदर तीन तहसीलें आती हैं जिनका सबका अलग-अलग मत है। जिस प्रकार से 1258 के करीब प्रकरण तो सरवाड़ तहसील के अंदर पेंडिंग हैं। 1983 में राज्य सरकार ने भू-संशोधन कार्यवाही को निरस्त कर दिया था। या तो उसका जन सर्वेक्षण करवाकर पुराने वाले भू-संशोधन को कायम कर दिया जाए या नये वाले को कायम कर दिया जाए। उसके अंदर भी वहां की जनता के दो मत हैं। यदि पहला भू-संरक्षण 1970 से 1983 को लागू किया जाता है तो इससे बड़े काश्तकारों को अधिक लाभ होता है, छोटे काश्तकारों को नुकसान होता है। इसलिए मैं चाहूंगा जन सर्वेक्षण करवाकर जो लंबे अर्से से काश्तकारों के, जिनके कब्जे हैं, जिनको स्वामित्व या खातेदारी नहीं दी जा रही है उन पर पैनेल्टी लगायी जा रही है। इसलिए मेरा निवेदन है कि पैनेल्टी को रुकवाया जाए और उनको वाजिब हक मिले इसके लिए इस भू-संशोधन को लागू करना है या नहीं करना है, जन सर्वेक्षण करवा कर इसके बारे में थोड़ा सा मंत्री महोदय जी, आपने दो बार मीटिंग भी आयोजित की, लेकिन वो मीटिंग किन्हीं कारणों से निरस्त कर दी गयी थीं। मैं चाहता हूं जल्दी से जल्दी इसको भी कर दिया जाए ताकि लोगों के पैनेल्टी न

(श्री बाबूलाल सिंगारिया)

लगे और काश्तकारों को परेशानी न हो। इस झगड़े के कारण ही जहां वकीलों की चांदी हो रही है और गरीब काश्तकार मारा जा रहा है। इस बारे में आप थोड़ा सा विचार करें।

मेरा एक निवेदन है। जैसे मेरे केकड़ी के अंदर सावर बहुत बड़ा कस्बा है जहां माइन्स की बहुत बड़ी-बड़ी खानें हैं और इतने बड़े कस्बे के अंदर एक उप तहसील का कार्यालय, मैं माननीय मंत्रीजी के समक्ष आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से प्रस्ताव रखता हूं, साथ ही साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो केकड़ी विधान सभा क्षेत्र जो अजमेर जिले का बहुत बड़ा उपखण्ड है और उस उपखण्ड के अंतर्गत...(व्यवधान) क्योंकि माननीय सदस्य भी मेरी बात में सहमति व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि वास्तव में अजमेर जिले के अंदर केकड़ी बहुत बड़ा उपखण्ड है जिसके अंदर तीन-तीन पंचायत समितियां आती हैं, तीन-तीन तहसीलें आती हैं और उसी के अंतर्गत केकड़ी विधान सभा क्षेत्र के अंदर दो-दो नगरपालिकाएं आती हैं और केकड़ी विधान सभा क्षेत्र के अंदर जहां सरवाड़ सरीखा विश्व प्रख्यात, विश्व में जिसे मान्यता है, ख्वाजा मोइनुद्दीन जी चिश्ती की मजार पर आते हैं, उनके बड़े साहबजादे फकरूद्दीन जी चिश्ती साहब की मजार हैं। तो वहां दो लाख से लेकर तीन लाख के करीब जायरीन हर साल आते हैं, हमारा एक बहुत बड़ा धार्मिक स्थान है उसको मद्देनजर केकड़ी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत तीन-तीन कृषि उपज मण्डी आती हैं, एक कादेड़ा उपज मण्डी है, केकड़ी उपज मण्डी है और सरवाड़ उपज मण्डी है, साथ ही सरवाड़ के अंदर ही रीको इंडस्ट्रियल एरिया है और केकड़ी के अंदर भी इंडस्ट्रियल एरिया है। तो इतने बड़े उपखण्ड के अंतर्गत उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदया से निवेदन करना चाहूंगा पूरे राजस्थान के अंदर केवल मात्र केकड़ी को ही जिला बनाने की एक पहली मांग है...

श्री उपाध्यक्ष : इसमें शाहपुरा और जहाजपुर और जोड़ लो।

श्री बाबूलाल सिंगारिया : इसके अंदर माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आसन से चाहूंगा कि हर प्रकार से केकड़ी जिला बनने के लिए जो भी मापदण्ड हैं उसके बिलकुल अनुकूल है। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा मंत्री महोदय, इस बजट के अंदर केकड़ी को जिला बनवाया जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रमेश चन्द पण्ड्या।

श्री रमेश चन्द पण्ड्या (बांसवाड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-8 राजस्व और सिंचाई, मांग संख्या-46 पर मैं अपने विचार व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं राज्य सरकार की सिंचाई और राजस्व संबंधी बेहतरीन योजनाओं का समर्थन करता हूं। जो बजट प्रस्तुत हुआ है उसमें मैं तो केवल यहां पर राजस्थान के सुदूर, सीमावर्ती जिले बांसवाड़ा की पैरवी करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

(श्री रमेश चन्द पण्ड्या)

महोदय, हमारे वहां पर माही परियोजना जैसी एक विशाल परियोजना कार्यरत है, जिसने वहां के भूगोल को बदला, वहां के आदमी की हैसियत को बदला, वहां के क्षेत्र की पूरी हैसियत को बदलने वाली माही परियोजना के साथ पिछले 10 वर्षों से मैं कह सकता हूं जिस तरह से सलूक हो रहा है निश्चित रूप से मैं कम शब्दों में कहना चाहूंगा कि एक बहुआयामी परियोजना पर कुठाराघात हो रहा है। लंबे समय से यह सोच था कि सरकार बदलेगी तो माही परियोजना का भाग्य बदलेगा मगर पिछले वर्ष 10 करोड़ की कटौती ने माही परियोजना के उस भविष्य को, उनके सपनों को कहीं सीमित कर दिया। मैं आज सदन में माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करके कहना चाहूंगा कि पहले साल जब यहां पर बजट पर चर्चा हुई थी उस वक्त हमारे तत्कालीन वित्त मंत्री जी ने यह शब्द कहे थे कि गंग नहर, इंदिरा गांधी नहर परियोजना इस राजस्थान की भाग्य रेखा है, जीवन रेखा है और तब मैंने भी आग्रह करते हुए बांसवाड़ा के लिए कहा था कि माही परियोजना बांसवाड़ा की भाग्य रेखा है, उस वागड़ अंचल की जीवन रेखा है और इसलिए उसके साथ कोई कटौती, उसके हकों पर कोई कुठाराघात नहीं होना चाहिए। मेरी मांग है, मैं मंत्री महोदया को संस्कृत की मांग पर बोलते हुए सुना था, उनकी संवेदनशीलता का परिचय मुझे मिला था। मांगे तो वही हैं, कोई नयी नहीं है, जहां बांध हैं वहां नहरे हैं, जहां नहरें हैं वहां सीपेज है, जहां सीपेज है वहां किसानों के सामने तकलीफें हैं। मैं उन्हीं बातों को दोहराना नहीं चाहता, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं उस संवेदनशीलता के खाते में मैं बांसवाड़ा की संवेदनशीलता का भी नाम जुड़वाना चाहता हूं।

एक वक्त था, मैं कुछ समय में अपनी बात को समाप्त कर लूंगा, किन्तु मेरे इस दर्द के अंदर मैं सदन को शामिल करना चाहता हूं, मेरे इस दर्द के अंदर मैं माननीय मंत्री महोदय का और माननीय मुख्य मंत्री महोदय के दर्द को शामिल करना चाहता हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं एक वक्त था बांसवाड़ा का और माही का मैं संयुक्त परिचय थोड़े से शब्दों में देना चाहता हूं। जब हमारे पूर्व मुख्य मंत्री स्वर्गीय हरिदेव जी जोशी यह कहा करते थे कि वह वक्त देखा था बांसवाड़ा ने जब वहां पर मालवा और गुजरात के लोग अपनी बेटी को ब्याहना पसंद नहीं करते थे और उसके पीछे कारण था कि न वहां सड़कें थीं, न पीने के लिए पानी था, न वहां पर शिक्षा थी और इसके बाद माही जैसी परियोजना ने वहां पर जो आमूल-चूल परिवर्तन किया और उसके बाद वहां जो परिवर्तन आया है, महोदय, लोकोक्ति में लोगों में वागड़ के लिए यह कहा जाता था, वागड़ को गाली दी जाती थी। जब पत्नी अपने पति को समझाते हुए अपनी बेटी के ब्याह को वागड़ में नहीं कराने का तर्क देती थी तब यह कहती थी कि :–

"खट खाजड़ खेजड़ान काठड़िया रो देश,
कंठा मत परणाओ दिकरिया वंठ्यो वागड़ देश।"

(श्री रमेश चन्द पण्ड्या)

यह वंठ्यो वागड़ देश ने इतनी गालियां खायी हैं, मगर उस माही परियोजना ने इस क्षेत्र के अंदर जो आमूल-चूल परिवर्तन किया, जहां आदमी की हैसियत बदली, वहां शिक्षा हुई, वहां सड़के हुई, वहां आदमी के अंदर न केवल उसकी हैसियत बढ़ी। बल्कि उसके विचारों के अन्दर परिवर्तन आया और आज हम उस मुकाम पर खड़े हैं कि राजस्थान के नक्शे में चमकदार अक्षरों में बांसवाड़ा का नाम लिखा जाता है किन्तु पिछले 10 सालों से मैं यह कह सकता हूं कि उस माही परियोजना के साथ लगातार खिलवाड़ हुआ, लगातार उसके हकों पर कुठाराघात हुआ, लगातार उसके हकों को मारा गया है। मैं माननीय मंत्री महोदया से कहना चाहता हूं कि उसी संवदेनशीलता के साथ में बांसवाड़ा ने एक हैसियत पायी है अब उसके पिछड़ने की कोई नौबत नहीं है, अब वह पिछड़ नहीं सकता है, उसके आगे बढ़ने की सारी संभावनाएं मौजूद हैं। महोदय, जो कटौती आपने की है पिछले साल से, वह 10 करोड़ की कटौती को आप वापस लीजिये। बांसवाड़ा के अन्दर उस माही परियोजना के अभी कई काम बाकी हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं मैं यह नहीं कहना चाहता हूं कि हम आपके बजट के अन्दर हमने सुना था कि हम फाइनेंशियल जो डिसिप्लीन है उसको हम भी मानने के लिए तैयार हैं, हम यह नहीं कहते कि आप नई योजनाएं चालू कर दें मगर जो योजनाएं वहां पर अधूरी पड़ी हैं उनको अगर हम पूरा नहीं कर सकेंगे, राजीव गांधी जैसे व्यक्ति ने आकर वहां आनन्दपुरी में खड़े होकर स्टोन रखा था और उन्होंने यह उम्मीद की थी कि बांसवाड़ा के आदिवासी क्षेत्र के अन्दर एक परिवर्तन आएगा। मैं माननीय मंत्री महोदय और मुख्य मंत्री महोदय का ध्यान भी आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारे उस स्वर्गीय नेता के प्रति हमारी वागड़ के अन्दर जो श्रद्धांजलि शेष है उसको भी पूरी करने के लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। मैं सिर्फ यह बात और कहना चाहूंगा कि कमाण्ड क्षेत्र के अन्दर, महोदय, एनीकटों के निर्माण में पहले हमारे ऊपर पाबंदी लगी हुई है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कमाण्ड तो नाम जरूर घोषित है किन्तु ऐसे कई इलाके हैं जहां पर अभी नहरों में पानी नहीं पहुंचता है। दोनों तरफ से मार किसानों के ऊपर हो रही है। एक तरफ तो कमाण्ड क्षेत्र में होने के नाते नान कमाण्ड के जो लाभ छोटे किसान को गरीब किसान को मिलने चाहिए वह लाभ नहीं मिल पा रहे हैं और दूसरी तरफ उसको माही का पानी नहीं मिल पा रहा है और मेरा निवेदन है कि ऐसे क्षेत्र आइडेंटिफाई होने चाहिए, चाहे माही परियोजना से हमको सर्टिफिकेट लेना पड़े मगर जहां पानी माही का नहीं पहुंचता है वहां एनीकट निर्माण की भी हमको स्वीकृति मिलनी चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां जहां माही की नहरें निकली हैं वहां का मुआवजा कई काश्तकारों को आज तक नहीं मिला है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उन किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए।

वन विभाग को लेकर हमारे वहां अड़चनें हैं। एक लम्बी चौड़ी नहर निकाली गयी,

(श्री रमेश चन्द पण्ड्या)

10 किलोमीटर की नहर निकाली गयी है किन्तु सिर्फ आधे किलोमीटर के कारण या उससे भी कम के कारण जहां वन क्षेत्र आ जाता है वहां पर नहर निकालने के लिए हमको स्वीकृति नहीं मिलती है, वह 10 किलोमीटर की नहर बिलकुल खराब होकर पड़ी है। मेरा निवेदन है कि वन क्षेत्रों के अन्दर ऐसे छोटे से टुकड़ों के लिए भी अगर कोई बात कहीं है तो उसको भी दूर किया जाना चाहिए।

मेरा निवेदन था, यह छोटी सी एक हमारी साहिब परियोजना है लिफ्ट इर्रिगेशन हमारे वहां पर चल रही है। मैं यह कहना चाहूंगा कि जिन लिफ्टों के केचमेंट में माही का पानी नहीं पहुंचता है उन लिफ्टों को बंद करने की योजना को स्थगित रखा जाना चाहिए। हम यह कहना चाहते हैं कि हम स्वयं किसानों को मोटिवेट कर रहे हैं, जहां पर पानी माही का पहुंच चुका है उन लिफ्टों को बन्द कर दिया जाये किन्तु जहां पर पानी नहीं पहुंचता है उन लिफ्टों को चालू रखने के लिए मेरा निवेदन है। मैं अंतिम रूप से राजस्व के लिए दो बातें कहना चाहूंगा और कोई बड़ी बात नहीं है। सभी माननीय सदस्यों ने दोहराया है वह की वह बात हमारे यहां पर भी है, कमाण्ड क्षेत्र के अन्दर, नॉन कमाण्ड क्षेत्र के अन्दर भी लम्बे समय से हमारे वहां पर अलॉटमेंट नहीं हो रहे हैं, लोगों ने सरकारी भूमि के ऊपर अतिक्रमण कर रखे हैं और आज उनके सामने एक प्रश्न आ रहा है कि वह डी.एल.सी. की जो रेट्स हैं उसके आधार पर अपनी जमीन का नियमन करवा सकते हैं। महोदय, एक छोटे से किसान से, भारी भरकम रेट भरकर एक बीघा के ऊपर कहां 55 हजार, कहां 60 हजार रुपये में अगर ऐसे नियमन होगा तो निश्चित रूप से किसान के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। मेरा निवेदन था कि उसके ऊपर भी विचार किया जाय और आसान किश्तों के ऊपर, आसान शुल्क के ऊपर उस किसान का वहां पर नियमन होना चाहिए, मेरा यह निवेदन है।

मैं अन्त में एक बात और कहना चाहूंगा। राजस्व को लेकर सेंटलमेंट को लेकर हमारे यहां कुछ गड़बड़ियां हुई हैं। अधिकांश क्षेत्र के अन्दर आज इसकी जमीन उसके खाते में हो गयी, उसकी जमीन इसके खाते में हो गयी, आज वह लड़ रहे हैं, मुकदमें उनके दर्ज हो रहे हैं। मेरा निवेदन था कि अब...

श्री उपाध्यक्ष : मांग समाप्त होने तक टाइम बढ़ा दिया जाय ?

श्री रमेश चन्द्र पण्ड्या : बस मैं समाप्त कर रहा हूं, महोदय, सिर्फ एक मिनट....

श्री उपाध्यक्ष : आपको थोड़े ही रोक रहा हूं मैं। मैं तो यह टाइम बढ़ा रहे हैं इसलिए कह रहा हूं। (व्यवधान) आधा घंटा तो नहीं, एक घंटा तो यह बोलेंगे ही, आधा घंटा काहे का बढ़ा दें डिमाण्ड पूरी होने तक समय बढ़ाया जाय।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री हरिसिंह (महुआ) (सरकारी मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव

(श्री हरिसिंह)

करता हूं कि सदन का समय आज की मांगें पारित होने तक बढ़ाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है ?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया।

मांग संख्या 46 एवं 8 पर विचार

श्री रमेश चन्द्र पण्ड्या : मेरा निवेदन था कि वह जो सैटलमेंट की गड़बड़ियां हैं उनको दूर करने के लिए आज राजकीय लोगों ने गलतियां की उसकी सजा छोटे किसानों को भुगतनी पड़ती है, वाद प्रस्तुत करने के लिए एस.डी.ओ. के ऑफिस में जाना पड़ रहा है। मेरा निवेदन है कि उसके लिए ब्लाक लेवल पर ऐसे कैम्प आयोजित किये जायं और उन वादों का निपटारा किया जाय। मैं पुनः हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं, झोली फैलाकर निवेदन करना चाहता हूं, बांसवाड़ा के उस हक को, बांसवाड़ा के माही परियोजना के लिए जो कुछ भी आपने कटौती पिछले साल से कर रखी है उसे बहाल किया जाय और उस परियोजना के ऊपर पलने वाले उन किसानों के हकों के लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गणेशी राम मेघवाल। आखिरी वक्ता आप हो।

श्री गणेशी राम मेघवाल (जालौर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जालौर क्षेत्र की सिंचाई समस्या एवं उनके समाधान के लिए कुछ सुझाव देना चाहता हूं। जालौर शहर एक पहाड़ की तलहटी में आया हुआ है। वहां पर फ्लोराइड युक्त पानी है। जालौर सिटी के चारों तरफ पहाड़ हैं। पहाड़ का पानी बरसात के दिनों के अन्दर पूरे शहर के अन्दर झरनों के रूप में बहता रहता है और सारे शहर में पत्थर और कंकर हो जाते हैं। मेरा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि पहाड़ और शहर के बीच में एक ऊपर से पानी निकालने के लिए चारों तरफ दीवार बनायी जाय और उस पानी को एक बहुत बड़े तालाब के अन्दर रखा जाय। मैं समझता हूं कि यह पानी जो वहां आएगा, वहां पर कई तरह की बावड़ियां हैं, पुराने जमाने की बावड़ियां हैं, बड़ी बड़ी बावड़ियां है। बावड़ी के अन्दर कचरा पड़ा हुआ है उस कचरे को निकाल दिया जाय तो वह पानी तालाब के आने से उन बावड़ियों के अन्दर चला जाएगा ताकि उन बावड़ियों में पानी रहे और इस अकाल के मौके पर वह बावड़ियों का पानी पीने के योग्य बन जाती है। जैसे जालौर जिले के अन्दर किसी तरह का कोई बांध नहीं है। जवाई बांध 25 किलोमीटर पाली जिले में पड़ता है और करीब 200 किलोमीटर जालौर में आता है। चूंकि जोधपुर में पानी की व्यवस्था हो गयी है। पानी अगर जवाई बांध का जालौर जिले में छोड़ दिया जाए तो जो पानी की सतह, कुओं के अन्दर फ्लोराइड युक्त पानी है वह जवाई के पानी

(श्री गणेशी राम मेघवाल)

से वहां पर भी सिंचाई हो सकती है और पीने के पानी के लिए भी फ्लोराइड से रहित पानी मिल जाएगा। फ्लोराइड का पानी पीने से जोड़ों में दर्द होता है, कइयों को अंधापन भी आ जाता है, कुबड़े भी हो जाते हैं, यह बहुत बड़ी समस्या है। मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि जवाई नदी का पानी जालौर के लिए छोड़ा जाय तो यह जालौर के हित में रहेगा। वहां पर अरावली की पहाड़िया हैं, उन पहाड़ियों के अन्दर इतने बड़े बांध तो नहीं हैं, अगर छोटे छोटे बांध बना दिये जाये तो आस-पास के जो गांव हैं जहां पर पानी फ्लोराइड का है वह पीते हैं तो लोग कुबड़े हो जाते हैं, अंधे बन जाते हैं तो वहां भी अगर छोटे छोटे एनीकट बना दिये जायं जैसे मेडा उपला का बांध, बिदारा का बांध पहले बने हुए थे और बीच में दो-तीन सालों से टूट गये, दीवार टूट रही है उनको अगर ठीक कर दिया जाय तो बरसात के दिनों का पानी उसमें भर जाता है और आस-पास के जो कुएं हैं उन कुओं का पानी ऊपर आ सकता है और लोगों के पीने के लिए वह पानी हो जाता है और जो समस्या कुबड़े होने की, अंधे होने की, जोड़ों में दर्द होने की है, वह भी समस्या मिट सकती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जालौर के पास में एक जगन्नाथजी महादेव का बहुत अच्छा मन्दिर है, बहुत बड़ा मन्दिर है जिसमें शिवरात्री को मेला लगता है और इसके अलावा भी हर सोमवार को लगता है वह मेला। वैसे हर दिन श्रद्धालुओं का आना जाना होता है वहां पर एक झरना बहता है। उस झरने के अन्दर दीवार बनाकर के पानी रोककर एनीकट बनाया जाए तो वहां के श्रद्धालुओं के लिए पीने के पानी की व्यवस्था हो जाती है तो बहुत बड़ा उपयोगी सिद्ध हो सकता है। वहीं पहाड़ियों के बीच में एक हल्देश्वर महादेव का प्रस्तावित बांध है जहां पर 4-5 गांव हैं बिजोपड़ा, कड़वा, केशोरा, कतरासन, इन गांवों के अन्दर पानी की बहुत बड़ी समस्या है। अगर वहां पर भी एक छोटा बांध बना दिया जाए तो उन गांवों को उस पानी से राहत मिल सकती है।

(20.00 बजे)

मैं मांग संख्या-8 पर भी अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। अनुसूचित जाति, जनजाति की जमीनों पर सवर्णों द्वारा जो कब्जे के मामले हैं वे राजस्व मण्डल के अन्दर लम्बित हैं। वे प्राथमिकता से निपटाने की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में भी कार्यवाही की जाए।

नागरिक अधिकार पत्र दिये गये हैं, अच्छी बात है। इसमें लोगों के कोई भी लम्बित मामले हैं जल्दी निपट जाते हैं। लेकिन वहां की व्यवस्था वैसी की वैसी है। आज भी लोगों को एक प्रमाण पत्र के लिए पटवारियों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, म्यूटेशन भरवाने के लिए भी चक्कर लगाने पड़ते हैं और जो काम निपटाओ अभियान के अन्दर या समस्या समाधान शिविर के अन्दर जो म्युटेशन पास करने हैं वे पहले से ही प्री-प्लांड होते हैं। पटवारी उनको बुलाकर के

(श्री गणेशी राम मेघवाल)

वे म्युटेशन भर लेते हैं और संख्या बना लेते हैं कि आज इतने म्युटेशन पास हुए। नागरिक अधिकार पत्र की सार्थकता तभी होगी जब कि ऊपर के लेवर पर यह व्यवस्था की जाएगी ताकि हर मनुष्यों के काम जल्दी बनें, उनका सुपरवाइज किया जाए, उनकी चैकिंग किया जाए। आज भी व्यवस्था वैसी की वैसी रह सकती है अगर ऊपर से अधिकारियों द्वारा उसकी व्यवस्था नहीं की जाए तो। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए अवसर दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री घासीलाल मेघवाल।

श्री घासीलाल मेघवाल (पाटन) : परम् सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में मांग संख्या 46 सिंचाई और मांग संख्या 8 राजस्व पर चर्चा हो रही है। मैं भी आपकी अनुमति से इस चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 46 सिंचाई के बारे में मैं आपके माध्यम से माननीय सिंचाई मंत्री महोदया से निवेदन करना चाहता हूं कि वी वी सी की बूंदी, पांटन और कापरेन ब्रांच तथा इसके माध्यम से निकलने वाली 26 वितरिकाओं एवं अनेक छोटे माइनर जिनके माध्यम से बूंदी जिले के अन्दर 1.2 लाख हैक्टेयर सिंचाई की जाती है। उपाध्यक्ष महोदय, विगत कुछ सालों के आंकड़ों को उठाकर देखें, जो पूर्ववर्ती सरकार थी, उसने इन नहरों के रख रखाव और मरम्मत पर कोई ध्यान नहीं दिया जिसकी बदौलत हमारे बूंदी जिले की आज चाहे पाटन ब्रांच है, चाहे वह कापरेन ब्रांच हो या बूंदी ब्रांच हो या इनकी वितरिकाएं हों, इनके अन्दर आंकड़े और बबूल के पेड़ उग आये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, जिस बूंदी का नाम चावल निर्यात के मामले में पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर विख्यात है, बूंदी जिले का 60 प्रतिशत चावल मेरे केशोरायपाटन क्षेत्र में होता है लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, बेहद अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी अन्नदात्री चम्बल नहर मरम्मत और सफाई के अभाव में हमारे खेतों को पानी नहीं दे पा रही है। माननीय सिंचाई मंत्री महोदया इससे पूरी तरह वाकिफ हैं। गत वर्ष आपने कोटा प्रवास के दौरान सिंचाई विभाग के अधिकारियों और जन प्रतिनिधियों के साथ सी.ए.डी. सभागार कोटा में बैठकर मीटिंग ली थी और आपके प्रयासों से विगत वर्षो की तुलना में राजस्थान सरकार द्वारा ढ़ाई गुना अधिक बजट गत वर्ष दिया गया। पूर्व में 40 लाख रुपये दिये जाते थे और आपने ढाई करोड़ रुपये दिलाये जिसकी बदौलत हमारे क्षेत्र के अन्दर किसानों की फसल बर्बाद होने से बच गयी। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, यह परमानेंट इलाज नहीं है। आज हमारी इन नहरों के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि इसमें टी.बी. की बीमारी लग चुकी है और इसके लिए लम्बे इलाज की आवश्यकता है। इसके लिए मैं आपके माध्यम से माननीय सिंचाई मंत्री महोदया से निवेदन करना चाहूंगा कि योजनाबद्ध तरीके से इस समस्या के समाधान हेतु कुछ ठोस निर्णय लें। मेरे केशोरायपाटन क्षेत्र के दर्जनों गांव ऐसे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, केशोरायपाटन क्षेत्र जहां पर सरकारी शुगर मिल है, एक प्रसिद्ध जगह

(श्री घासीलाल मेघवाल)

है। उपाध्यक्ष महोदय, आपको बताऊं कि सन् 1975-76 में ऐसा समय था कि हमारे क्षेत्र में इतना गन्ना होता था कि काश्तकारों द्वारा फैक्ट्री द्वारा गन्ना नहीं लिये जाने के कारण खड़े गन्ने को आग लगानी पड़ती थी। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात है कि जिस जगह गन्ना हुआ था, आज उस जगह गेहूं की फसल सूख रही है। माननीय मंत्री महोदया, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि कापरेन ब्रांच जो वी वी सी की ब्रांच है। घाट का बराना गांव के पास से चम्बल नदी की दूरी मात्र एक किलोमीटर रहती है। यदि चम्बल नदी से लिफ्ट द्वारा पानी कापरेन ब्रांच में डाल दिया जाये तो प्रतापगढ़, डगरिया, माकिदा, कसवाड़ा, लबाण, बड़ा खेड़ा आदि ऐसे गांव हैं, जो टैल पोर्शन के हैं। जहां पर गेहूं की फ़सल को भी एक पानी बड़ी मुश्किल से मिल पाता है, इन गांवों को लाभ मिल सकता है। साथ ही दिनों दिन जो पानी का जल स्तर घटता जा रहा है, उसको भी रोका जा सकता है।

दूसरा मेरा निवेदन है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, बलकासा डिस्ट्रीब्यूटरी जो पाटन ब्रांच से निकली हुई है, ईसरदा के पास से खाली बहती है। उसका पानी किसी काम नहीं आता है। यदि उस पानी को लिफ़्ट करके बलकासा डिस्ट्रीब्यूटरी में डाल दिया जाये तो टैल पोर्शन के चौतड़ा खेड़ा, जालीजी का बराना, खेड़ियां आदि गांवों को पर्याप्त मात्रा में पानी दिया जा सकता है। साथ ही मेरे पूर्व में बूंदी से आने वाली माननीय विधायिका ने बताया कि बाजड़ का खाल जो 12 महीनों प्रचुर मात्रा में बहता रहता है। यदि लिफ्ट द्वारा इसके पानी का उपयोग किया जाये तो मैं कहता हूं कि जुआंसा, कानीहेड़ा, माहिजा ऐसे अनेक गांव हैं जिनको पानी दिया जा सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। वैसे भी आज मुझे पहली बार खड़े होने का मौका मिला है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र केशोरायपाटन में मेज और कुरेल नदी का संगम बांसखेड़ा गांव में होता है, दोनों नदियां वहां आकर मिलती हैं। प्रचुर मात्रा में पानी है। यदि वहां पर बांध बनवाया जाये तो आसपास के ही नहीं, सवाई माधोपुर क्षेत्र के कुछ गांवों को पानी दिया जा सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, यह एक बहुउद्देश्यीय वृहत परियोजना हो सकती है क्योंकि उस गांव से रामगढ़ अभयारण्य की दूरी मात्र 35 किलोमीटर पड़ती है जिससे रामगढ़ अभयारण्य का विकास तीव्र गति से होगा। साथ ही इन गांवों में जो पानी का जल स्तर घटता जा रहा है, वह ठीक होगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा। आज गेंडोली, पोलाई, कुआ गांव, यह हमारे ऐसे गांव हैं जहां पर कुए और बावड़ियां पूरी तरह से सूख गई हैं। पानी का पूर्णतया अभाव है इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि मेज और कुरेल नदी के संगम पर बांध बनवाकर 20,000 बीघा जमीन को सिंचित किया जा सकता है। इस हेतु कोटा एस.ई. आफिस से सिंचाई विभाग में फाइल 4-5 बार भिजवाई

(श्री घासीलाल मेघवाल)

जा चुकी है लेकिन यहां पर कुछ न कुछ अड़ंगा लगाकर उस फाइल को वापस रिलीव कर दिया जाता है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस कार्य को करवाने का मुझे आश्वासन दें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अब ज्यादा समय नहीं लूंगा....

श्री उपाध्यक्ष : नहीं लो तो फिर बिराजो ना।

श्री घासीलाल मेघवाल : मेरे क्षेत्र के लाखेरी गांव में झिकझिक डेम है, जो बहुत पुराना है। उस डेम से आसपास के गांवों के काफी किसानों को लाभ मिल सकता है। यदि इस डेम की मरम्मत करवा दी जाए तो यह जन हित में होगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट का समय और लेना चाहूंगा।

राजस्व पर मेरे पूर्व कितने ही माननीय सदस्यों ने बताया, मैं भी इस बात से पूर्णतया सहमत हूं कि सरकार द्वारा 1977-78 में अनुसूचित जाति-जनजाति के लोगों के लिए जो भूमि आवंटित की गई थी, उन पर वे लोग काबिज नहीं है। अभी भी उन लोगों द्वारा पूरी किश्तें जमा करवा दिये जाने के बावजूद भी उन्हें कब्जा नहीं दिया गया है। मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदया से निवेदन है कि वह इसके संबंध में आवश्यक ठोस कार्यवाही करें।

साथ ही बूंदी जिला अन्तर्गत हमारा कैचमेंट चल रहा है। उस कैचमेंट के बारे में निवेदन करूंगा, हालांकि कैचमेंट से हमारे क्षेत्र का विकास हो रहा है, खेतों में सुधार हो रहा है लेकिन यहां पर एक बात कहना चाहता हूं। कैचमेंट के माध्यम से 50 बीघा जमीन वाला जो काश्तकार है वह 60 बीघा जमीन बना लेता है और 10 बीघा वाले की 5 बीघा जमीन रह जाती है। ऐसी धांधलियां चल रही हैं कैचमेंट में। मैं मंत्री महोदया से निवेदन करूंगा कि आप इसमें आवश्यक कार्यवाही करें। साथ ही मेरा लाखेरी कस्बा जो बूंदी से लगभग 80 किलोमीटर दूर है, नगरपालिका एरिया है, काफी बड़ा है, 35,000 की पापुलेशन है, सीमेंट फैक्ट्री है। यदि लाखेरी में उपखण्ड कार्यालय खोल दिया जाए तो मंत्री महोदया आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। साथ ही कापरेन में उप तहसील खोल दी जाए तो इससे भी और बड़ी मेहरबानी होगी। उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदया।

श्रीमती कमला (सिंचाई मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले तो माननीय सदस्यों का आभार प्रकट करना चाहती हूं, धन्यवाद भी देना चाहती हूं कि उन्होंने बहुत रुचि के साथ में बहुत उपयोगी मुद्दे यहां पर रखे और राज्य सरकार को और विभाग को उस सम्बन्ध में प्रभावी ढंग से काम करने के लिए मार्गदर्शन दिया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जो दोनों मांगें यहां पर प्रस्तुत हैं वे अपने आप

(श्रीमती कमला)

में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मांगें हैं। मैं इसलिए नहीं कह रही कि यह मुझसे संबंधित मांगें हैं इसलिए ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं लेकिन आप और हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि हवा के बाद अगर कोई दूसरी महत्वपूर्ण आवश्यकता इन्सान की या सृष्टि के लोगों की है तो वह जल है और इस जल को किस तरह से संरक्षित करें, नियोजित करें, उपयोग करें, इस पर आज के पूरे संसार के प्राणियों का जीवन निर्भर हो रहा है। आप और हम बहुत समय से यह बातें पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं पानी की कमी के कारण से संसार में बहुत बड़ी एक तबाही का जमाना आने को है और इसलिए मानव अपनी और प्राणीमात्र की रक्षा के लिए सावधान हो जाय। लेकिन फिर भी हम वर्तमान में ही जीते रहते हैं, यह मनुष्य की मानसिकता है और उसमें जी रहे हैं हम। इसलिए आने वाले समय में क्या होने वाला है और उसके लिए हमें अभी से क्या व्यवस्था करनी चाहिए, उसको हम भूल रहे हैं और भूल जाते हैं, इसलिए पानी के दो पहलू हैं। एक पानी जो उपयोग में लिया जाना है या जो व्यवस्थाएं, संस्थाएं और विभाग उसका उपयोग करते हैं। और एक यह विभाग है जो आप उपयोग कर सकें उसके लिए पानी जुटाने का काम करता है। आप सब को जानकारी है कि राजस्थान में कुल पानी हमारे राज्य का और दूसरे राज्यों का जो हम ले रहे हैं वह कुल मिलाकर 30.36 एमएएफ है और हमारा जो ग्राउंड वाटर है वह 6.01 एमएएफ है और इसके पेटे अभी तक हम जो उपयोग कर पा रहे हैं, वह जो हमारा सतही पानी है 30.36, वह तो हम अभी 52 प्रतिशत उपयोग कर पाये लेकिन जो हमारा भूजल है 6.01, इसका हम 146 प्रतिशत दोहन कर रहे हैं। और आप यह अच्छी तरह से समझते हैं कि जब तक सरफेस वाटर को कंजर्व नहीं किया जायेगा तब तक ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो सकता लेकिन हम एकतरफा ही चीज देख रहे हैं और उस एकतरफा चीज को देखने के कारण से आज हमारे सामने एक बहुत बड़ी गम्भीर चुनौती खड़ी है कि हम इस मामले में ज्यादा से ज्यादा सतर्क होकर अधिक से अधिक इन योजनाओं का निर्माण करके जो हम ग्राउंड वाटर इस तरह से ले रहे हैं उसको रिचार्ज करने के लिए अगर हम इस प्रकार की योजनाएं नहीं बनायेंगे ज्यादा से ज्यादा पैमाने पर और छोटे से छोटे माइक्रो लेवल पर कि हम एक-एक बूंद पानी को कंजर्व कर सकें, एक-एक बूंद पानी का सदुपयोग करें, बचायें तब तक हम आने वाले भविष्य के बारे में कुछ कहने की स्थिति में नहीं हो सकते कि कितना भयावह हो सकता है। इसलिए यह महकमा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और इसको बहुत गम्भीरतापूर्वक इस स्थिति को देखते हुए उस हिसाब से हमें इसकी व्यवस्थाओं को समझने और उसके मुताबिक काम करने की आवश्यकता है। अभी जो हमारा भूजल है उसके उपयोग को भी हमें बहुत ज्यादा काम में लेना है क्योंकि हमारे प्रदेश का कृषि योग्य जो कुल क्षेत्र है वह 257 लाख हैक्टेयर है और अभी हम सिर्फ 28.50 लाख हैक्टेयर ही सिंचित क्षेत्र में ला

(श्रीमती कमला)

सके हैं तो दोनों तरह से ही हमें यह जरूरी है कि हम इस महत्व को ध्यान में रखते हुए इन बातों को मनन करें और उसके हिसाब से हम इसके मामले में कार्यवाही करें। इसी को दृष्टिगत रखते हुए हमने पिछले समय में काफी कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाये और आगे भी उनकी अच्छी प्रस्तावनाओं के साथ में हम आगे बढ़े हैं। आप सब को मालूम है कि चम्बल पानी का, पिछले तीस वर्षो में बहुत चर्चाएं चल रही हैं, बहुत मीटिंगे हो रही हैं, बहुत बोर्ड की बैठकें हुई हैं लेकिन वह हमारा अथाह पानी जो हमारे स्टेट के साथ और मध्य प्रदेश के साथ पड़ा है उसको दोहन करने के लिए, हारनेस करने के लिए हमने अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाये जिससे कि जल्दी से जल्दी हम उस पानी का दोनों राज्य उपयोग कर सकें। मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि पहली बार हमने मध्य प्रदेश के साथ में जो बैठक की उनसे हमने यह स्वीकृति कराई कि आप भी अपने हिस्से के पानी का जल्दी से जल्दी प्रोजेक्शन करके इसका दोहन करायें और हमें भी इजाजत दीजिये कि हम भी जल्दी से जल्दी इस पानी का दोहन करके इसका लाभ हमारे राज्य को दे सकें, आम आदमी को इसका लाभ पहुंचा सकें और यह हम कर सके हैं जिसके अन्तर्गत या जिसके सन्दर्भ में हम आने वाले समय में छह वृहद् योजनाएं, 16 मध्यम योजनाएं और 263 लघु सिंचाई परियोजनाएं स्वीकृत करने की स्थिति में आ सकेंगे और हमने जो निर्णय किया उसके मुताबिक से जब तक उनका कोई क्षेत्र डूब में नहीं आता, हमें उनकी एन.ओ.सी. लेने की भी जरूरत नहीं है। पांच प्रतिशत तक भी उनका अगर डूब में आता है तो सिर्फ उनको इत्तला करने की जरूरत है, एन.ओ.सी. की जरूरत नहीं है। इससे आगे डूब में कोई उनका क्षेत्र या हमारा अगर आता है तो हमें परमीशन लेनी पड़ेगी। उपाध्यक्ष महोदय, यह राज्य के जल संसाधनों को बढ़ाने में, उसके दोहन में, परियोजनाएं बनाकर राज्य के क्षेत्र में सिंचाई के क्षेत्र को बढ़ाने में एक बहुत बड़ा कामयाब निर्णय हुआ है। इसके अलावा हमने राज्य की जल नीति घोषित कर दी है, केबिनेट ने उसको एप्रूव कर दिया और उसका एकमात्र मर्म यह है कि राज्य के किसी भी कोने में छोटा सा कोई नाला बह रहा हो, छोटी सी कोई नदी बह रही हो या किसी प्रकार का भी जो पानी चल रहा है, चाहे बरसात का आ रहा है, एक-एक बूंद पानी का संग्रहण करना और एक-एक बूंद पानी का सदुपयोग और सेविंग करना, बचत करना, यह उस हमारी जल नीति का एक मूल आधार है और इसी को हमने पूरे उस डाकुमेंट के अंदर वर्क आउट किया है और उसमें किस प्रकार से हम काम करें, हमें आम आदमी को भी इसके लिए अवैकनिंग के लिए काम करना पड़ेगा, समझाने का काम करना पड़ेगा और हमारे जो आज के सिस्टम हैं पानी के उपयोग करने के, उनको भी बदलना पड़ेगा, हमारे कानून-कायदों में भी कुछ फर्क लाना पड़ेगा और साथ ही हम इस पानी के उपयोग के लिए, संग्रहण के लिए जितने ज्यादा से ज्यादा प्रावधान करके हम छोटे से छोटे माइक्रो लेवल पर जीरो बेस एनीकट्स का निर्माण करते हुए

(श्रीमती कमला)

एनीकट्स का और माइनर इर्रिगेशन का, इन सब का पूरा एक नेटवर्क पूरे स्टेट में बिछाकर इस काम को कर सकें और जो बारिश का पानी आता है उसको चाहे छत पर पड़ रहा है, चाहे खेत में पड़ रहा है, चाहे किसी प्रकार से कहीं भी, आबादी के अंदर भी आ रहा है तो उसको भी हम किस तरह से कंजर्व करें, वह सारा इस नीति के अंदर हमने समाहित किया है। इसी प्रकार से राज्य जल संसाधन योजना हमने हमारी जो काउंसिल है स्टेट लेवल काउंसिल, उसमें एप्रूवल के लिए दी हुई है, वह तैयार हुई है। इसमें हमारा यह है कि जितने राज्य के बेसिन्स और सब बेसिन्स हैं उन सारे बेसिन्स और सब बेसिन्स के आधार पर हमें कितना पानी उपलब्ध है और कितने की हमें योजनाएं कितने समय में बना लेनी है और उससे राजस्थान के लिए आगे बढ़ने का क्या रास्ता खुलेगा। इसी प्रकार से पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजना हमने तैयार की है और वह केबिनेट के कंसीडरेशन में रखी हुई है। उसमें जितनी भी जमीनें एक्वायर होंगी, जो भी लोग डिस्प्लेस्ड होंगे, उनको न सिर्फ उस जमीन का मुआवजा देंगे बल्कि वह जिस तरह की जिन्दगी इस वक्त जी रहे हैं, उनके एक स्कूल भी है, एक दवाखाना भी है, बिजली भी है, पानी भी है और उनके जो भी आज के जीवन के संसाधन हैं उन सभी को हमें उसमें कायम करना है बस्तियों में, उन सबकी योजना मंत्रिमण्डल के सामने अप्रूवल के लिए रखी हुई है। इसके अलावा सिंचाई प्रबन्धन में कृषकों को सहभागिता का कैबिनेट की तरफ से अप्रूवल हो चुकी है और यह हमारे लिये बहुत जरूरी है क्योंकि आज पानी का सबसे ज्यादा आज रेगुलेशन की सबसे ज्यादा काश्तकारों के लिए माननीय विधायकों ने चिन्ता व्यक्त की और ये अपने-आप में उसकी एक बेसिक व्यवस्था है, किसान जल उपभोक्ता जो भी हैं वे अपनी एसोशियेशन्स बनायेंगे, वे माइनर लेवल पर बनायेंगे, डिस्ट्रिब्यूटरी लेवल पर एक बनायेंगे और प्रोजेक्ट लेवल पर एक बनायेंगे तीन स्तरीय ये हमारी एसोशियेशंस बनेंगी। और यह अपने-आप में अपना चुनाव करेंगी और अपने-आप में सारे सिस्टम को सम्भालेंगी अपने आप रेट्स तय करेंगे, अपने-आप वसूलियां करेंगे, अपने-आप विकास के काम करेंगे। सिर्फ जो सरकार की अपनी रेट्स तय की हुई है उसका 50% ऊपर के डिस्ट्रिब्यूट्रीज को वे देते रहेंगे। बाकी अगर उससे ज्यादा वे अपना इकट्ठा करते हैं तो वह उन्हीं के काम में आएगा तो यह एक बहुत अच्छा प्रयोग दूसरे राज्यों में हुआ है। हमने भी इसको अप्रूव कर दिया है। इसके अलावा राजस्थान में जितना भी हमारा सिंचाई सिस्टम है उसके कंसोलीडेशन के लिए हमने एक प्रोजेक्ट तैयार करवाया है अपने वर्ल्ड बैंक से। यह प्रोजेक्ट करीब-करीब तैयार हो गया है, इसको भेजा जा रहा है। इसका नाम है राजस्थान जल संसाधन संघनन परियोजना आर.डब्ल्यू.आर.सी.। इसका उद्देश्य यह है कि हमारे ये सब जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको हम अच्छा कंसोलीडेट करके और इसके तहत हम कम से कम पांच लाख हैक्टेयर जमीन अतिरिक्त और ला सकेंगे और इसका खर्चा एक करोड़ रुपये का आएगा।

(श्रीमती कमला)

नर्मदा परियोजना को भी हमने अपने राज्य के हित में री-मॉडल किया है और पहले जो इसमें पानी की हमें उपलब्धि थी और उसके साथ में जो हमारा सिंचित क्षेत्र बनता था वो कम था और उसको हम ज्यादा कर सकते थे इसलिए कि यह सारा डिटेल्ड सर्वे के बाद, जब यह पता लगा कि इसके नीचे कुछ ऐसा स्ट्रेटा है जो कि बहुत हार्ड पैन के तौर पर है। तो हमने उसको रिवाइज्ड करवाया और बाद में जितना पहले सिंचित क्षेत्र आना था उससे 1.16 लाख हैक्टेयर अधिक क्षेत्र अब सिंचित हो सकेगा। बाड़मेर और जालौर में, इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, जो सिद्धमुख और रतनपुरा डिस्ट्रिब्यूटरी काफी समय से लंबित थी उसको भी शुरू करवाया है। हालांकि जैसा माननीय सदस्य कह रहे थे कि इस साल उसमें वित्तीय प्रावधान नहीं के बराबर है उसको किस प्रकार से और अतिरिक्त प्रावधान किया जाए इसके बारे में चर्चा करेंगे कुछ कोशिश करेंगे लेकिन उसके बिना यह बढ़ भी नहीं सकती। एक बहुत बड़ा काम बहुत समय से लंबित था, सी. डब्ल्यू.सी. में था फिर प्लानिंग कमीशन में था। गंग नहर के मार्डनाईजेशन का प्रोजेक्ट जो 450 करोड़ रुपये का है इसको हमने, हमारे अधिकारियों ने, विभाग ने, उच्च स्तर के ऊपर इसको परश्यु करके इसको मंजूर कराने की कार्यवाही की हुई है। और अभी बहुत जल्दी ही यह स्वीकृत होकर आ सकेगा। इससे न सिर्फ गंग नहर का मोर्डनाईजेशन होगा बल्कि उसके कारण 32 हजार हैक्टेयर के क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई भी होगी।

इसके अलावा एक बहुत बड़ी समस्या जो सभी माननीय सदस्यों के क्षेत्र की उनकी तरफ से आती रही है वह यह है कि अनकमाण्ड क्षेत्र को कमाण्ड करने की, बहुत समय से इसकी मांग चल रही थी। इसका सर्वे करा रखा था लम्बे समय से टीम लगी हुई थीं। अभी वे सारी की सारा सर्वे रिपोर्ट्स तैयार हो कर के विभाग में आ चुकी है और इसके तहत लगभग 27721 एकड़ भूमि अनकमाण्ड को कमाण्ड किया जाएगा जिससे 6109 कृषकों को लाभ मिल सकेगा। इसके अलावा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बहुत बड़ी समस्या जो हमारे आई.जी.एन.पी. के प्रथम चरण में चल रही है सेम की समस्या, उसको भी हमने बहुत गहराई से बहुत गम्भीरता से वर्कशॉप करने के बाद कमेटीज बैठायी और कमेटीज ने सारी चीजों को सर्वे किया। मौके पर गये और अपनी विश्लेषण रिपोर्ट्स तैयार की उसके बाद में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठकर उसका विश्लेषण किया। और विश्लेषण करने के बाद, जो कदम उठाने हैं सेम की समस्या के निराकरण के लिए, उसका भी फैसला कर लिया गया। वो योजना लागू किये जाने के लिए राज्य सरकार के मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए मस्विदा हमने तैयार कर दिया है और हमें उम्मीद है कि जल्दी ही हम उसको स्वीकृत कराके लागू कर सकेंगे। और बहुत बड़े पैमाने पर जो काश्तकारों की जमीनें उसमें डूब में आयी हुई हैं उनको हम दूसरी जगह जमीन देने का काम कर

(श्रीमती कमला)

रहे हैं। वाटर अलाउंस को रेशनेलाइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां हमारी नहरों में लाइनिंग या बेड के कंस्ट्रक्शन में खामी है उसको ठीक कर रहे हैं कुछ डग बोर वेल्स के जरिये सेम को निकालने का या उसको मीट आउट करने का काम करेंगे तो यह अपने-आप में एक बहुत बड़ा काम होगा।

इसके साथ ही माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले समय में सारे राज्य के संभागीय स्तरों पर मैंने अधिकारियों के साथ माननीय विधायकों की बैठकें करके और सारे राज्य में लगभग 120 लघु सिंचाई योजनाएं आईडेंटीफाई करने के बाद जो हाई पावर कमेटी थी उसको भेजा है उसमें से काफी कुछ योजनाएं वहां से क्लियर हो गई हैं और 53 योजनाओं को हमने नाबार्ड को भेज दिया है जो उन्होंने स्वीकृत भी कर दी है जिससे 21500 हैक्टेयर का हमारा अतिरिक्त क्षेत्र इसमें सिंचित में आएगा। तो इन सबके संबंध में जो माननीय सदस्यों ने अपनी तरफ से कुछ बातें रखी हैं, पहले मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कुछ जो बहुत महत्त्वपूर्ण हैं, उनको कह दूं नहीं तो माननीय विधायकगण बाद में अपने स्पष्टीकरण मांगेंगे। दूसरा जो महकमा है इसके साथ में इंदिरा गांधी नहर भी जुड़ा हुआ है। इंदिरा गांधी नहर के बारे में वर्षों से हम लोग सुनते आ रहे हैं और सब लोग जानते हैं जैसा कि हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा भी था कि संसार की यह सबसे बड़ी नहर है और इस पर जिस प्रकार से राजस्थान ने अपने संसाधन लगाये हैं। राजस्थान ने अपनी उम्मीद इसके साथ जोड़ी है और राजस्थान के आम आदमी को उन क्षेत्रों में जिस प्रकार का लाभ प्राप्त हो रहा है वह अपने आप में इतिहास की एक बहुत महत्त्वपूर्ण घटना है। 649 कि.मी. लंबी यह नहर है और 9060 किलोमीटर लम्बी इसकी वितरण प्रणाली है और इसके नीचे 6-7 जिले लाभान्वित हो रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह नहर जिधर-जिधर से भी निकली है और जहां पर इसने लाभ दिया है उसके जरिये से आज वहां का जनजीवन कुछ दूसरे प्रकार का बदल रहा है। वातावरण वहां का बदल रहा है और आम आदमी के जीवन साधन की प्रक्रिया भी बदल रही है। अभी तक यह नहर प्रणाली जितनी भी आगे तक पहुंची है उसके साथ में हम यह मान सकते हैं कि जब यह पूर्ण हो जाएगा तो इस नहर के साथ लाखों-लाखों लोगों को अपना जीवनयापन करने का एक अच्छा जीवन जीने का और सब प्रकार से आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस नहर के नीचे जो कुल जमीन आती है वह 29.10 लाख हैक्टेयर है और यह जो क्षेत्रफल है इसमें से जो कृषि योग्य क्षेत्र है, यह क्षेत्र वह है जो कुछ क्षेत्र इसके नीचे पड़ता है और इस कुल क्षेत्र में अभी हमारा जो कृषि योग्य क्षेत्र आंका गया है वह 19.63 लाख हैक्टेयर है और इसके तहत जो नहर का काम चल रहा है उस नहर के काम से आज हम यह कह सकते हैं कि जो 19.63 लाख हैक्टेयर भूमि जो कृषि योग्य है उसमें अभी तक नहर प्रणाली

(श्रीमती कमला)

के जरिये से खोला जा चुका है जिसमें यह काम चल रहा है वह है 12.78 लाख हैक्टेयर। इतने क्षेत्र में खाले बना दिये गये हैं, सिंचाई के संसाधन बना दिये गये हैं वह अभी तक 9.43 लाख हैक्टेयर में हम यह काम कर चुके हैं। इसमें अब तक बोया गया क्षेत्र है जिसमें खेती हो रही है वह लगभग 9.20 लाख हैक्टेयर है। यानि इतने क्षेत्र में अभी हमारे अलाटीज हैं वह खेती का काम कर रहे हैं। अभी तक आवंटित किया गया जो कुल क्षेत्र है वह 11.65 लाख हैक्टेयर है। जो 12 लाख खुला है उसमें से हम 11.65 लाख हैक्टेयर आवंटित कर चुके हैं जिसमें एस.सी., एस.टी. का जो प्रतिशत है वह 23 पर्सेंट है यानि 2.2 लाख हैक्टेयर जमीन हम उन लोगों को दे चुके हैं। इसके पेटे जो राज्य सरकार को राजस्व प्राप्ति हुई है वह 330 करोड़ रुपये की है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस मामले में मैं आपको यह भी निवेदन करना चाहती हूं कि आने वाले समय में हम इसके लक्ष्यों को और भी तेजी से निर्धारित कर के जल्दी से जल्दी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सके गढरा रोड तक, उसकी हम तैयारी में हैं। हालांकि कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहा कि बहुत कम 120 करोड़ रुपये का प्रावधान इस साल रखा है। लेकिन फिर भी जो आवंटन की, खालों को बनाने की, सी.ए.डी. के वर्क्स को जो गति देनी है उसको हम साथ के साथ दे रहे हैं। पिछले साल हमने 44 हजार हैक्टेयर में यह काम किया था। अगले साल हम 45 हजार हैक्टेयर में काम करने का लक्ष्य बनाया है। इसके हिसाब से हम यह समझते हैं कि राजस्थान नहर पर जो खर्चा ही खर्चा हो रहा है और पूरा लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहती हूं कि इसके बनने से अब तक 2060 के करीब इस पर खर्चा हो चुका है, 4000 कुल इस पर खर्चा होना है। उसके पेटे हम अब तक 12,000 करोड़ की फसलें ले चुके और आने वाले समय में हम प्रतिवर्ष इससे और भी अधिक फसलें ले सकेंगे और इससे आम आदमी, को लगभग पांच लाख व्यक्तियों को स्थाई रूप से रोजगार मिल रहा है और इसी प्रकार से अन्य जो धन्धे वहां पर खुले हैं, अन्य जो काम खुले हैं, रोजगार लोगों को मिल रहा है वह इससे भी अधिक है। इसलिए इस नहर के बनने से राजस्थान का एक बहुत बड़ा भू-भाग जो इतने बड़े ऊंचे और चलते हुए टीलों का इलाका था उसको इस नहर ने इस प्रकार से कवर किया है कि राजस्थान के उस क्षेत्र की काया पलट हो गई है। वरना इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकेगा कि हिमालय के इतने ऊंचे शिखरों पर जो बर्फ की सफेद चोटियां हैं उनसे इतना ठंडा और मीठा पानी बहता हुआ 9060 किलोमीटर की लंबाई तय कर के राजस्थान के इतने बड़े भू-भाग को पानी पिलायेगा और उन धोरों की तपती प्यास को बुझायेगा, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी महत्त्वाकांक्षी योजना है। संसार की सबसे बड़ी योजना है और इसके माध्यम से आज राजस्थान का आधे से अधिक हिस्सा इसका लाभ ले रहा है।

(श्रीमती कमला)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी जो मांग है वह मांग भी अपने आप में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण इस दृष्टि से है कि एक और हम योजना और प्रगति की बात करते हैं लेकिन उस योजना और प्रगति को लागू करने वाली जो मशीनरी होती है वही नतीजे देती है और मैं यह कहने में कोई संकोच नहीं करूंगी कि राज्य प्रशासन का राजस्व विभाग अपने आप में एक मेरुदण्ड है। पूरे प्रशासन का केन्द्र बिन्दु और एक प्रकार से इसके संचालन की धुरी है तो राजस्व प्रशासन है। इसलिए राजस्व प्रशासन की जो मांगे हैं वह भी अपने आप में बहुत महत्त्वपूर्ण है और जितना भी राज का काम-काज होता है चाहे राजस्व विभाग का खुद का हो, चाहे दूसरे विभागों का हो, इन सारे ही विभागों से संबंधित राजस्व विभाग काम करता है और इसका मुख्य केन्द्र है राजस्व मंडल। राजस्व मंडल न्यायिक प्रक्रिया को भी देखता है तो भू-अभिलेखों को भी देखता है, भू-प्रबन्ध को भी देखता है, सीलिंग के मामले भी देखता है, बहुत से मामलों को वह मोनिटरिंग करता है और देखता है। रेफरेंसेज के जरिये, अपीलों के जरिये, इसी के जरिये जितनी भी रेवेन्यु की अदालतें हैं उनकी भी मोनेटरिंग होती है। उपाध्यक्ष महोदय, इस राजस्व विभाग में आम आदमी, खास तौर से ग्रामीण क्षेत्र पूरा का पूरा इस तरह से जुड़ा हुआ है जिस प्रकार से आत्मा और काया का संबंध होता है। इसलिए इसका अगर प्रभावी, अच्छा, बढ़िया, जन कल्याण की दृष्टि से शासन बन जाता है तो मैं समझती हूं कोई भी प्रशासन अपने आपको अच्छा कहलाने में कमी नहीं रख सकता। लेकिन हम जान रहे हैं कि इसमें बहुत सारी कमी-खामियां रही हैं, रह रही हैं उनको हमने सही करने के लिये काफी कुछ कदम उठाये। जहां तक संवदेनशील हो, पारदर्शी हो, जनता को सहयोग करने वाला हो, उनके कामों को तत्परता से करने वाला हो, समस्याओं का निपटारा करने वाला हो, उसके लिये कुछ कदम उठाये गये हैं। जिसमें एक तो जो अदालतों में वाद पड़े हैं उनको तत्परता से निपटाने के लिये कमेटी बनाई गई है। उस कमेटी ने कुछ व्यापक पैमाने पर अपना दौरा भी किया, लोगों से चर्चाएं भी कीं, जनप्रतिनिधियों को बुलाया, वकीलों को बुलाया और सभी अधिकारियों के साथ चर्चा करने के बाद विवादों के निपटाने के लिये मापदण्ड सुनिश्चित किये हैं और उन मापदण्डों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिये कार्यवाही की जाये। इसी प्रकार से सूचना के अधिकार के लिये जो नागरिक अधिकार पत्र जारी किया यह सही है, बहुत से माननीय सदस्यों ने इसमें कहा है और मैं मानती हूं कि उसको प्रभावी ढंग से लागू करने की जो पद्धति है वह अभी तक प्रभावी नहीं हुई है। एक दो जगह पर मैंने जाकर देखा भी, कुछ लोगों ने इसको काफी अच्छे ढंग से लागू भी किया लेकिन फिर भी अभी तक उस स्तर पर यह लागू नहीं हो पाया है जिस स्तर पर इसको लागू होना चाहिये था। इसलिए हम इस बात में जुटे हैं कि नागरिक अधिकार पत्र की क्रियान्विति और इसकी जवाबदेही में जो कमी रही है उसको

(श्रीमती कमला)

हम पूरी मुस्तैदी के साथ लागू करें। इसी प्रकार से जो खातेदारी अधिकार है उनके बाबत् भी तत्परता से कार्यवाही की जाये, नामांतकरण के बाबत्, बंटवारे के बाबत्, लोगों को अपने रिकार्ड लेने के बाबत् और इस प्रकार के जितने भी काम इनसे पड़ते हैं, उन सब कामों को मुस्तैदी से निपटाने के लिये हरेक काम के लिये हम इस कोशिश में हैं कि हम इसको समयबद्ध तरीके से और जवाबदेही तरीके से इन व्यवस्थाओं को कायम कर सकें। मैं यह उम्मीद करती हूं कि हम कुछ समय में इसके ऊपर काबू पा सकेंगे।

पिछले 8-10 वर्षों से जो भू-आवंटन और नियमितीकरण का कोई कार्यक्रम नहीं चला इसके कारण से बहुत समस्याएं पैदा हुईं और उन समस्याओं को निपटाने के लिये हमने तय किया है कि मई और जून के महीने में पूरे वक्त में हमारे राजस्व अधिकारी इस काम को करेंगे। भू-आवंटन का काम है, नियमितीकरण का काम है, अस्थाई आवंटन के काम हैं, लोगों को कब्जा दिलाने का काम है, लोगों को डोकुमेंट दिलाने का काम है, यह सारे काम हम इन दो महीनों में करेंगे इसके लिये तमाम स्टेट के राजस्व अधिकारियों को, कलेक्टर्स को पाबंद किया गया है कि वह अप्रेल के महीने में इसकी सारी प्रायर प्रिपरेशन कर लें और आवंटन के लिये, उद्घोषणाओं के प्रोफोर्मा तैयार करके रखें, जिससे एक मई से लेकर 30 जून तक हम इन सारी समस्याओं के निपटारे का काम कर सकते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन सबके साथ में माननीय सदस्यों ने अपने कुछ मुद्दे रखे हैं उनमें से मैं कुछ मुद्दों को ही कहूंगी, सारे तो मैं नहीं कह सकती, कुछ के आपको लिखकर जवाब भेजूंगी बाकी आपने जो कटौती प्रस्ताव दिये हैं उनका भी मैं लिखित में उत्तर आपके पास भेजूंगी।

सबसे पहले हेमाराम जी ने जो शुरू किया था वह एक बहुत महत्त्वपूर्ण मुद्दा था। मैंने अधिकारियों को हिदायत भी दी है कि बहुत से ऐसे मुरब्बे हैं बहुत बड़ी तादाद में, जिनके प्रति काश्तकारों ने आवेदन दिये हुये थे। लेकिन उनको हमारे विभाग ने किसी गलती से डिनोटिफाई कर दिये और काश्तकारों को परेशानी हुई है। यह कई माननीय सदस्यों ने कहा है। अभी हमने हिदायत दी है जहां कहीं भी काश्तकारों के आवेदन लगे हुये हैं या जिन काश्तकारों को हम अलॉट कर चुके हैं और गलती से अगर वह डिनोटिफाई हो गये हैं, तो उनको वापस नोटिफाई करें और जिन काश्तकारों के उसके पेटे आवेदन हैं उनको वो आवंटित की जाये।

इसके अलावा श्री अमीन खान जी ने कहा कि जब हम आवेदन के फार्म लेने जाते हैं तो हमें बहुत दिक्कत होती है। मैं नहीं कह सकती कि वह दिक्कत क्यों होती है क्योंकि वह फार्म सारे छपे होते हैं और ले सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर इस तरह की कोई व्यवस्था है, तो उनको हिदायत किया गया है कि इस तरह के काम की जल्दी से जल्दी व्यवस्था करें।

(श्रीमती कमला)

रावतसर की सेम के बारे में माननीय सदस्यों ने कहा, मैं आपको जानकारी देना चाहती हूं इसके लिये योजना तैयार होकर आ चुकी है। भारत सरकार ने मंजूर कर दी है, और इस संबंध में जल्दी ही इसके ऊपर काम प्रारम्भ होने वाला है। मैं भी रावतसर के क्षेत्र में गई थी वहां पर देखा, वहां स्थिति बहुत गम्भीर है, बहुत प्राथमिकता के साथ में इस प्रोजेक्ट को तैयार करवाया गया है।

एक माननीय सदस्य ने कहा वाटर कोर्सेज के ठेके इंजिनियर महोदयों को दिये जा रहे हैं यह बहुत ही गम्भीर स्थिति है। अगर ऐसा है तो मैं इसकी बहुत तत्परता के साथ में जांच करवाऊंगी और जहां कहीं भी इस तरीके की अनियमितता हुई उसके ऊपर हम जल्दी से जल्दी कार्यवाही करेंगे, उनके खिलाफ एक्शन लेंगे।

अजमेर ज़िले के भू-राजस्व का मामला है और जो अलवर, भरतपुर, हनुमानगढ़, गंगानगर हैं इनके कस्टोडियन जमीनों के मामले बहुत वर्षों से लम्बित हैं और बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को इसके कारण से परेशानी हो रही है। मैंने 15 तारीख को कस्टोडियन लैण्ड्स की एक बैठक ली थी, अजमेर की भी बैठक मैंने रखी हुई थी पर इसलिये नहीं ले पाई कि अजमेर में कोई चुनाव थे, इसमें माननीय सदस्यगण नहीं आ पा रहे थे। कलेक्टर महोदय भी नहीं आ पा रहे थे। लेकिन इन दोनों मामलों में कस्टोडियम लैण्ड की तो मैंने पूरी समीक्षा करके सारे अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों के साथ बैठकर उसको थ्रेश-आउट कर लिया है और उसमें जो व्यवस्थायें की जानी हैं उसके आदेश जारी करने के बाद इस समस्या का निराकरण हम जल्दी से जल्दी कर लेंगे। अजमेर जिले की समस्या के बारे में माननीय सदस्य ने सुझाव भी दिये हैं। मैं भी सोचती हूं कि एक बार चर्चा करने के बाद में हम एक कैम्प कोर्ट के तौर पर वहां लगायें और भू-प्रबंध के अधिकारियों को, राजस्व अधिकारियों और कुछ हमारे जनप्रतिनिधियों की देख-रेख में उस कार्यक्रम को सम्पादित करवायें, तो यह हमारा बहुत लंबे समय से एक लम्बित मामला है इसका हम अच्छी तरह से निराकरण कर सकेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें शाहपुरा का भी जोड़ लो, जो देवीलाल जी ने कहा है।

श्रीमती कमला : हां, मैंने उसको लिख लिया था, उनका लिखा हुआ है। इसके अलावा जो इसमें माननीय सदस्य ने एक.....

श्री उपाध्यक्ष : 9,000 केस पेन्डिंग हैं।

श्रीमती कमला : हां, इसमें बहुत केस हैं गंगानगर, हनुमानगढ़ एरिया में दिक्कत बताई है कि एस.डी.ओ. को खातेदारी हक देने के अधिकार नहीं है, तहसीलदार को प्रमाण-पत्र देने का अधिकार नहीं है। तो मुझे यह समझ में नहीं आया कि जब राज्य भर में यह सारे अधिकार उनको मिले हुये हैं तो इन जिलों में क्यों नहीं है, इसके हम

(श्रीमती कमला)

तत्परता से आदेश जारी कर देंगें और आपके क्षेत्र की यह बहुत बड़ी समस्या का निराकरण हो सकेगा।

सबसे बड़ा प्रोबलम आपने रेग्युलेशन का बताया है, इंदिरा गांधी नहर के रेग्युलेशन का उसको जिस तरह से दो हिस्सों में बांट रखा हैं इसकी हमने बैठकर समीक्षा की थी और यह तय किया है कि एक तरफ तो इंदिरा गांधी नहर का जो कंट्रोल है वह इस तरह से टुकड़ों में न रखकर के इस हिसाब से रखा जाये जिससे किसी एक दूसरे को बात करने के बिना कोई काम नहीं हो सके, इस तरह की स्थिति पैदा नहीं हो सके। दूसरा जो रेग्युलेशन है उसके लिये अभी सिर्फ बीकानेर के लेवल पर एक कमेटी बनी हुई है। हमने तमाम जिलों के लेवल पर इस कमेटी को बनाने का तय किया है कलेक्टर की अध्यक्षता में, जिससे उनको बीकानेर से कान्ट्रेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कलेक्टर के लेवल पर हम खुद इस बात को कर सकते हैं।

सबसे बड़ा मुद्दा आ रहा है, बहुत से काश्तकार भी आये, बागात का पानी आधा कर दिया, वह हमारे बागात के लिये बहुत नुकसानदेय हो रहा है। अभी चर्चा के दौरान मैं यह समझ सकी कि जो बड़े-बड़े पुराने बागात है जिनमें बड़े पेड़ हैं, पुराने पेड़ हैं उनको अगर ड्रिपसिस्टम या स्प्रिंकलर सिस्टम से करते हैं तो वह बागात सूख जाएंगे क्योंकि वह बड़े पेड़ हैं उनकी जड़ें दूर तक हैं, उनको पूरा पानी नहीं मिल पाएगा। माननीय सदस्यों ने ही यह कहा है कि अगर नये बागात लगाते हैं और नये पौध हैं तो उसमें शुरू से ही अगर हम स्प्रिंकलर के जरिये या ड्रिपसिस्टम के जरिये से करेंगे तो शायद उसमें इतनी दिक्कत नहीं होगी। मैंने इसके लिये विभाग को हिदायत दी है कि वह इसका जहां-जहां पर भी प्रयोग हुआ है उसकी जांच करके, चाहे यूनिवर्सिटी ने जहां उन्होंने इस तरह की कोई रिसर्च की है या इस तरह का कोई तैयार किया है, उनको देखकर या और स्टेट्स से भी जो यह काम कर रहे हैं, उनसे जानकारी करके मुझे इस बाबत् 15 तारीख तक इत्तिला करेंगे और 15 तारीख तक हम इस बात का निर्णय कर लेंगे कि किस प्रकार से इसकी व्यवस्था करनी चाहिये। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहती हूं कि हम किसी भी प्रकार से अपने बागात को सूखने नहीं देंगे, क्योंकि गंगानगर, हनुमानगढ़ साइड के जो बागात हैं उनमें जो किनु पैदा हो रहे हैं या और फल पैदा हो रहे हैं वह आज एक्सपोर्ट हो रहे हैं उससे स्टेट को काफी आमदनी होती है। इसलिये हम उस हिसाब से स्थिति को देखकर फैसला करेंगे।

माननीय श्री राधेश्याम जी ने गंग नहर के आधुनिकीकरण का बताया है कि आपने 450 करोड़ रुपये का प्रावधान तो कर दिया और उसको बना भी दिया लेकिन पैसे का प्रावधान नहीं है। यह सही बात है कि पैसे के कारण से प्रोजेक्ट में काफी परेशानी है। हम इस बात के लिये कोशिश करेंगे कि

(श्रीमती कमला)

गंग नहर जैसी महत्त्वपूर्ण जल योजना को किसी प्रकार से बिल्कुल खत्म होने से बचायें, क्योंकि वह ऐसी स्थिति में पहुंच चुकी है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक समस्या ओ टू वीयर की है। ओ टू वीयर में हरियाणा है वह अपने स्तर पर ही बिना पूछे, बिना सहमति के इस प्रकार का काम कर रहा है जो हमारे स्टेट के लिये और उस इलाके के लिये तबाही का कारण बन सकता है। आज ओ टू वीयर से जो रिलिजेज होते हैं वह सारा सिस्टम लगभग 20,000 क्यूसेक के हिसाब से बना हुआ है। अब ये 63,000 क्यूसेक के हिसाब से अपने वहां पर कुछ कन्स्ट्रक्शन कर रहे हैं। उसके बारे में मुख्य मंत्री महोदय ने उनको चिट्ठी भी लिखी है और बात भी की है उसके बावजूद भी पता यह लगा है कि वह किसी प्रकार से उसमें ढील भी नहीं कर रहे हैं और उसको रोकने की बात भी नहीं कर रहे हैं। हमने विभाग की तरफ से यह भी कहा है कि कोर्ट में भी जाने की जरूरत पड़े तो भी हमें इसको करना पड़ेगा अन्यथा हमारे राज्य के तमाम हिस्सों में यह बहुत बड़ी बरबादी का कारण बन सकता है। यह बात ठीक है, माननीय सदस्य ने कहा कि वो आखिर बना कैसे सकते हैं लेकिन यह अपस्ट्रीम वाली जो स्टेट्स होती हैं चाहे पंजाब, हरियाणा, यू. पी. हो, यह सब हमारे हिस्से का जो पानी है या हमारी जो व्यवस्थायें हैं उनको जब कभी उनके समझ में आती है, उनको डिस्टर्ब करते हैं। पानी को भी करते है और व्यवस्था को भी करते हैं। फिर भी हमें जो प्रोजेक्ट करना होता है हमें उसके कारण से भारत सरकार को भी कहना होता है, लिखना होता है हम बराबर उसको करते रहते हैं और हम इस कोशिश में हैं कि मुख्य मंत्री जी अपने स्तर पर भारत सरकार से बात करके उनके इस कदम को रूकवायेंगे जिससे हमारे स्टेट में इस प्रकार की बरबादी नहीं आ सके।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय जगमाल सिंह जी ने एक बात कही थी लैण्ड एक्वीजिशन के बारे में, इस तरह से लैण्ड एक्वीजिशन का असेसमेंट किया जाता है वह बहुत अन्फेयर है उसको रिजनेबल ढंग से किया जाना चाहिये। और आपने जो मुद्दे बताये उनको न तो हम अपने स्तर पर कर सकते हैं, क्योंकि लैण्ड एक्वीजिशन एक्ट का मामला भारत सरकार का है उसी को हमने एडोप्ट किया हुआ है। लेकिन फिर भी इस मामले में जो जमीनों की रेट्स के बाबत् कहां क्या सुधार किया जा सकता है उसको देखा जा सकता है।

(21.00 बजे)

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे कोटा क्षेत्र में जो सबसे बड़ी प्राब्लम है और वैसे भी हमारे सिंचाई सिस्टम की जो आम बड़ी समस्या है वह है उनके रख रखाव की। पूरे सिस्टम में इतनी गम्भीर समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं कि हम इस रख रखाव के, मेंटिनेंस के, सफ़ाई के मुद्दे पर बहुत बड़े पैमाने पर बजट का प्रावधान नहीं कर सकते हैं तो बहुत कुछ दिक्कतें हमारे सामने

(श्रीमती कमला)

आएंगी, अभी भी आ रही हैं। नहरें बहुत दफा टूट रही हैं। उनकी मरम्मत का भी हम काम चलाऊ काम करते हैं लेकिन स्थाई तौर पर उनकी मरम्मत करने की स्थिति में नहीं आ पा रहे हैं। इसके साथ में जो हमारे नये बांध बनने वाले हैं उन नये बांधों के बाबत् भी हमारे को अभी से इस बाबत् चेतावनी के तौर पर सोचने की जरूरत पड़ रही है। (व्यवधान) बस अभी खत्म करती हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझती हूं कि कुल जो कुछ बड़े-बड़े मुद्दे माननीय सदस्यों ने उठाये थे वे इसी प्रकार के हैं और इससे मैं यह कह सकती हूं कि जो आपकी मुख्य समस्याएं हैं, पहले से भी हमें उसकी जानकारी थी और उसके बाबत् हम कार्यवाही भी कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जो कुछ व्यवस्थाएं सीमित संसाधनों के अन्तर्गत हम कर सकने की स्थिति में हैं उनको हम कर रहे हैं।

माननीय सदस्यों से एक बड़ा निवेदन यह है, हमने माननीय अकाल राहत मंत्रीजी से भी निवेदन किया है, आपसे भी करना चाहती हूं कि जो काम अभी अकाल के तहत चल रहे हैं और चलेंगे उनमें सर्वाधिक प्राथमिकता हमने मांगी है सिंचाई सिस्टम के रख रखाव की, मेंटिनेंस की, नहरों की खुदाई की और जो नये बन रहे हैं उनके कच्चे काम की। इसलिये आप जितना भी काम इस संबंध में अकाल राहत से करा सकते हैं, उनके बांध के निर्माण की या नहरों के मरम्मत की या उसमें साफ सफाई की, या अधूरे कोई रह रहे हों उनको पूरा कराने की, या नये जो बन रहे हों उनमें कच्चा काम जितना हो सकता है उनकी, मैं आपसे निवेदन करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा आप अकाल राहत में करवा सकें, अपने खुद के कोटे का भी थोड़ा पैसा लगाकर और 25 प्रतिशत जो पक्के काम का अकाल राहत से भी मिलेगा उन दोनों को मिलाकर के हम इस काम को टेक-अप कर सकेंगे तो मैं सोचती हूं कि आप बहुत बड़ी सहायता इसमें कर पाएंगे। बाकी राज्य सरकार ने जल संसाधनों के विकास के लिये और सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिये और आगे के समय में और अधिक हम जल संसाधनों का दोहन करके नये प्रोजेक्ट्स ला सकें, उस बाबत् पूर्ण रूप से प्रयत्नशील हैं और निरन्तर उसमें प्रयासरत हैं। हम यह समझते हैं कि हम आपको आने वाले समय में अच्छे परिणाम दे सकेंगे। हमारा जो राजस्व प्रशासन है वह भी आने वाले समय में चुस्त-दुरुस्त और जवाबदेह होकर, काश्तकारों की, आम आदमी की जो समस्याएं हैं उनके निराकरण में और उनकी समस्याओं से संबंधित जो हमारे कानून कायदे हैं उनको हम परिवर्तित करने की चेष्टा की है। काफी कुछ हमने किया है।

मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि 1955 का जो हमारा काश्तकारी अधिनियम है जिसका कि प्रवर समिति ने एक ड्राफ्ट बनाया था, बाद में जिसका बिल बना, मैं आपको कहते हुए बहुत संतोष प्रकट करना

(श्रीमती कमला)

चाहती हूं कि पूरे बिल का क्लाजवाइज हमने विश्लेषण कर लिया है और पूरे बिल की हमने दो बार तैयारी करके, अब वह रि-राइट होने की स्टेज पर चल रहा है। उसके बाद लॉ से वेट होने के बाद मैं समझती हूं कि हमारे मंत्रिमण्डल में उसकी स्वीकृति हो जाएगी और जिसमें जो समस्याएं, कई सारी जो चल रही थीं, खास तौर से मंदिरों की जमीनों की समस्याएं हैं, या उत्तराधिकार की समस्याएं हैं या इस तरह की जो समस्याएं, इसके कारण से बनी हुई हैं उनका भी हम निराकरण कर सकेंगे। इसके बाद में भू-राजस्व अधिनियम है उसको भी हम देख रहे हैं। दूसरे जो जागीर के और सीलिंग के जो मामले हैं बहुत से ऐसे कैसेज हैं, सीलिंग के और जागीर पुनः ग्रहण के समय के...

श्री रमजान खान : पेरीफेरी के बारे में भी बोल लें, मंत्री महोदया, पेरीफेरी में जो काबिज हैं उनके लिये आवादी में भूमि का आप क्या कर रही हैं, ग्राम पंचायतों का?

श्रीमती कमला : तो ये 2 मामले इतने बड़े हैं कि जागीरदारों ने जाते वक्त में और जो सरप्लस सीलिंग जमीनें थीं उन काश्तकारों ने जाते समय ऐसी सारी जमीनें राज्य सरकार को सौंप दी कि जिन पर काश्तकार काबिज थे या खरीदी हुई थीं, आज उन काश्तकारों के हजारों की संख्या में कैसेज चल रहे हैं। हम उसके बाबत् में संशोधन लाकर के उसमें भी राहत देने का काफी बड़ा काम कर रहे हैं। (व्यवधान) क्या मामला बोल रहे थे आप?

श्री रमजान खान : पेराफेरी का मामला है। (व्यवधान)

श्री गोवर्द्धन कल्ला : 200 करोड़ का 120 करोड़ कर दिया है, इस बजट को बढ़ाना चाहिए। (व्यवधान) इंदिरा गांधी नहर परियोजना .. (व्यवधान) घोषणा करें।

श्रीमती कमला : एक साथ बोल रहे हैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या बोल रहे हैं। (व्यवधान) एक बार में एक ही सदस्य बोलें।

श्री गोवर्द्धन कल्ला : 200 करोड़ का 120 करोड़ कर दिया है, इस बजट को बढ़ाना चाहिए। (व्यवधान) इंदिरा गांधी नहर के बजट को बढ़ाना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : ये माननीय सदस्य पेरीफेरी की बात कर रहे हैं। (व्यवधान) आप बिराजिये। ये पेरीफेरी की बात कर रहे हैं, गांव पेरीफेरी में आ रहे हैं, उसके संबंध में कह रहे हैं।

श्री रमजान खान : ग्राम पंचायतें, उनको आबादी भूमि आप अलाट करेंगी क्या, ग्राम पंचायतों को, ताकि वे गांव वालों को भू-खण्ड उपलब्ध करवा सकें। यह 20 साल से बंद पड़ा है मंत्री महोदया, बहुत बड़ी परेशानी है गांव के लोगों को... (व्यवधान)

श्रीमती कमला : जब आपने बोला तब उसको मैंने नोट किया है और उसके बाबत्

(श्रीमती कमला)

जो व्यवस्थाएं की जानी होंगी, वह करेंगे। साथ में, जो हमारे मरुस्थलीय जिले हैं, जिनकी समस्या, सुबह मैं आयी थी, उनके बारे में भी मैं कहना चाहती हूं कि अभी यह 2 महीने के अन्दर हम जितनी भी जमीन अलाट कर सकते हैं, और जितनी नियमित कर सकते हैं, अप-टू 15 बीघा, क्योंकि जो आम अलाटमेंट है वह एक हैक्टेयर का नहीं बल्कि 15 बीघा का है। तो उस 15 बीघा के अनुपात से जितने भी रेगुलराइज हो जाएंगे 2 महीने में, उनके अलावा जो बाद में जमीन बचती है उसके लिये भी हम कार्यवाही करेंगे। और आपने जो पेरीफ़ेरी की जमीनों का कहा है उनके बारे में भी पूरी जांच पड़ताल करके क्या व्यवस्था की जा सकती है उसका भी हम करेंगे।

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने चार्ज लगाये थे, आप उन आरोपों की जांच करने के लिये किस अधिकारी को कब तक नियुक्त कर देंगे, ताकि उनको सजा दी जा सके। (व्यवधान) यह तो भ्रष्टाचार को मिटाने की बात है।

श्रीमती कमला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी माननीय सदस्यों को अपनी तरफ से धन्यवाद देते हुए आपसे निवेदन करूंगी कि ये मांगे पारित की जाएं।

मांग संख्या 46 का पारण

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या 46-सिंचाई (इंदिरा गांधी नहर परियोजना सहित) के संबंध में 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 11,32,91,24,000/– (ग्यारह अरब, बत्तीस करोड़, इक्यानवे लाख, चौबीस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी शामिल है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 8 का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-8 राजस्व (उपनिवेशन सहित) के संबंध में 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,75,88,16,000/– (एक अरब, पिचहत्तर करोड़, अठ्ठयासी लाख, सोलह हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी शामिल है, प्रदान की जाएं ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

सदन की बैठक गुरुवार, दिनांक 20 अप्रेल, 2000 के प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 21.08 बजे गुरुवार, दिनांक 20 अप्रेल, 2000 के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

परिशिष्ट-1

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

स्थगित प्रश्न

(प्रश्न संख्या 98 दिनांक 5 अप्रेल, 2000)

(स्थगित)

डीग शहर की पेयजल व्यवस्था में सुधार

432. **श्री अरूण सिंह** (डीग) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि डीग शहर में पेयजल की कमी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा कोई आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त शहर में पेयजल वितरण व्यवस्था में सुधार के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं ? क्या नई पाइप्र लाइन बिछाने का प्रस्ताव विचाराधीन है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) सरकार ने वर्ष 2000-2001 में डीग शहर की पेयजल व्यवस्था के लिए कितनी राशि स्वीकृत की है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) डीग शहर का वर्तमान सर्विस लेवल 65 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है तथा शहर में पेयजल की कमी को दूर करने के लिये सरकार द्वारा निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं। वर्ष 1998-99 एवं 1999-2000 में स्वीकृत दो प्रस्तावों के अन्तर्गत 3 नलकूप, पाइप लाईन एवं 8 हैण्ड पम्पों का कार्य किया गया। दीर्घकालीन उपाय के अन्तर्गत चम्बल-भरतपुर पेयजल योजना के प्रथम चरण के द्वितीय भाग में चम्बल का पानी लाना भी प्रस्तावित है। प्रथम भाग के प्रथम चरण की योजना 166.50 करोड़ रु. की है। जिसमें डीग शहर की आवश्यकता अनुसार पानी की मांग सम्मिलित है।

(2) स्रोत सुधार एवं जल उत्पादन के संवर्धन के बाद वितरण प्रणाली में आवश्यक सुधार भी किये जाने प्रस्तावित हैं ?

(3) वर्ष 2000-2001 में आपातकालीन योजना के अन्तर्गत 4.99 लाख के प्रस्ताव जिसमें 2 डी. सी. बी. एवं 10 हैण्ड पम्प शामिल हैं, स्वीकृत किये जा चुके हैं।

श्रम कल्याण केन्द्र लाखेरी (बूंदी) का भवन

433. **श्री घासीलाल मेघवाल** (पाटन) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि लाखेरी जिला बूंदी में श्रम कल्याण केन्द्र का भवन है ? यदि हां, तो उसमें कितने कमरे एवं हॉल हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उपयोग के अभाव में भवन की दशा खराब हो रही है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, जिसमें 5 कमरे तथा 4 हॉल हैं।

(2) जी हां, भवन के उपयोग के संबंध में कार्यवाही श्रम आयुक्त के स्तर पर विचाराधीन है।

इन्दिरा गांधी नहर टूटने से हुई क्षति का किसानों को मुआवजा

434. **डा. रतन लाल जाट** (सहाड़ा) : क्या इन्दिरा गांधी नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में गत एक वर्ष में नहर टूटने की कितनी घटनायें हुई ?

(2) क्या उक्त घटनाओं से हुए नुकसान का आंकलन किया गया है ? यदि हां, तो कितना व किस तरह का नुकसान हुआ ? क्या किसानों को क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया है ?

(3) क्या उक्त घटनाओं के कारणों की जांच कराई गई है ? यदि हां, तो क्या परिणाम रहे ?

उत्तर

(1) इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में गत एक वर्ष में 55 नहरें क्षतिग्रस्त होने की घटनाएं हुईं। उक्त अधिकांश घटनाएं जैसलमेर क्षेत्र में वार्षिक औसत वर्षा 150 एम. एम. के विरुद्ध एक ही दिन में 240 एम. एम. वर्षा के कारण हुई।

(2) जी हां। नुकसान का आंकलन किया गया। नहरों के क्षतिग्रस्त होने की इन घटनाओं में केवल अनूपगढ़ शाखा के टूटने से कुल 480 बीघा क्षेत्र में पानी फैला था परन्तु नुकसान केवल 46 बीघा में ही होने का अनुमान है। नुकसान का आंकलन राजस्व अधिकारियों द्वारा करने के पश्चात् किसानों को क्षतिपूर्ति की कार्यवाही की जाएगी। अन्य घटनाओं में काश्तकारों की फसल को कोई नुकसान नहीं हुआ है।

(3) जी हां। जांच में पाया गया कि 46 घटनाएं जैसलमेर व रामगढ़ में अतिवृष्टि, 2 घटनाएं पानी के साथ बहकर आए बीड्स, 4 घटनाएं अंधड़/तूफान के कारण नहरों में पेड़ इत्यादि गिरने, 1 घटना काश्तकार की गलती, 1 घटना नहर के सही रख-रखाव के अभाव तथा 1 घटना गेटों के सही समय पर संचालन न होने के कारण हुई।

पश्चिम राजस्थान में गायों की नस्ल सुधार के लिये प्रस्तावित योजना

435. **श्री वृद्धिचन्द जैन** (बाड़मेर) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने कृपा करेंगे :–

(1) पश्चिमी राजस्थान में गायों की कौन-कौनसी नस्ल उत्कृष्ट श्रेणी की हैं ?

(2) उक्त नस्लों को सुधारने के लिये केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा कौन-कौनसी कार्य योजनाएं चलाई जा रही हैं/प्रस्तावित हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

(3) क्या यह सही है कि राज्य सरकार इन नस्लों को सुधारने में बिलकुल असफल रही है?

(4) क्या यह भी सही है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने गायों की थारपारकर नस्ल के संरक्षण व संवर्द्धन से सम्बन्धित पांच वर्षीय योजना बनाई है? यदि हां, तो योजना का विवरण मय प्रगति के सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पश्चिमी राजस्थान में गायों की थारपारकर, कांकरेज, राठी एवं नागौरी नस्लें उत्कृष्ट श्रेणी की हैं।

(2) प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर के द्वारा चांदन फार्म (जैसलमेर) थारपारकर नस्ल तथा पशुधन अनुसंधान केन्द्र, नोहर (हनुमानगढ़) राठी नस्ल के लिए संवर्द्धन/संरक्षण कार्य कर रहा है। विभागीय बछड़ा पालन केन्द्र, नागौर में नागौरी नस्ल का संवर्द्धन/संरक्षण कार्य कर रहा है। भारत सरकार को गाय व भैंस विकास योजनान्तर्गत प्रदेश के जालौर व जैसलमेर जिले में कांकरेज/थारपारकर नस्लों के संवर्द्धन/संधारण हेतु बछड़ा पालन केन्द्र खोले जाने के प्रस्ताव 100 प्रतिशत केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के तहत स्थापित किये जाने के प्रस्ताव प्रेषित किये हुए हैं।

(3) जी नहीं। पशुधन अनुसंधान केन्द्र, चांदन द्वारा 1032 उत्कृष्ट पशु, पशुधन अनुसंधान केन्द्र, नोहर द्वारा 42 उत्कृष्ट पशु नागौर फार्म द्वारा 140 उत्कृष्ट पशु वितरित कर पशु पालकों को सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। इन उत्कृष्ट पशुओं के वितरण से पश्चिमी राजस्थान की उत्कृष्ट श्रेणी के पशुओं की नस्ल संरक्षित एवं संवर्धित हुई है।

(4) जी हां। राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली को एक पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत की गई है।

योजना का विवरण निम्न प्रकार है :–

1. चांदन जिला जैसलमेर के 10 किलोमीटर क्षेत्र में गायों के कृत्रिम गर्भाधान/प्राकृतिक गर्भाधान द्वारा समयबद्ध कार्यक्रम अनुसार सुविधा उपलब्ध करवाई जावेगी।
2. प्रत्येक 100 प्रजनन योग्य मादाओं पर एक व्यक्ति को कृत्रिम गर्भाधान एवं सम्बन्धित विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान कर निविदा आधार पर रखा जावेगा।
3. क्षेत्र के सभी पशुओं को चिन्हित कर उनका सर्वे करने पर मानदेय का भुगतान निविदा आधार पर किया जावेगा।
4. इनपुट परिवेक्षण कार्य पशुधन अनुसंधान केन्द्र, चांदन द्वारा किया जावेगा।
5. सांडों के संधारण और परिवेक्षण पर होने वाले व्यय का कार्य भी पशुधन

(राज्य मंत्री, पशुपालन)

अनुसंधान केन्द्र, चांदन द्वारा किया जावेगा।

उक्त पंचवर्षीय योजना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के विचाराधीन है।

उदयपुरा बड़ा तालाब (बागीदोरा) पर व्यय राशि

436. **श्री जीतमल खांट** (बागीदोरा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र बागीदोरा के कुल कितने तालाब सिंचाई विभाग के अधीनस्थ हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 1994 से 1999 तक किस योजना के अन्तर्गत कौनसे तालाब पर कितनी राशि व्यय की गई है ?

(3) उदयपुरा बड़ा तालाब पर अब तक कौन-कौनसी योजनान्तर्गत कितनी राशि व्यय की जा चुकी है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त तालाब से कितने गांवों की कितनी हैक्टेयर भूमि सिंचित हो रही है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बागीदोरा के अन्तर्गत कुल 14 तालाब सिंचाई विभाग के अधीनस्थ हैं जिसकी सूची परिशिष्ट "अ" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) वर्ष 1994 से 1999 तक डी. आर. डी. ए. एवं अकाल राहत द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत तालाबों पर व्यय की गई राशि का विवरण परिशिष्ट "ब" सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) उदयपुरा बड़ा तालाब पर अकाल राहत मद में रुपये 9.25 लाख एवं सुनिश्चित रोजगार योजना मद के अन्तर्गत रुपये 8.32 लाख व्यय किये गये हैं, जिसका विवरण परिशिष्ट "ब" सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(4) उदयपुरा बड़ा तालाब से मात्र उदयपुरा बड़ा गांव की 12.00 हैक्टेयर भूमि में सिंचाई होती है।

परिशिष्ट-"अ"

बगीदोरा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले तालाबों की सूची

क्रम संख्या	तालाब का नाम
1.	राम का मुन्ना तालाब
2.	गांगड तलाई तालाब
3.	खोडालीम तालाब
4.	उदयपुरा बड़ा तालाब
5.	भुवानपुरा तालाब
6.	शेरगढ़ खूंटा तालाब
7.	बडियाला तालाब
8.	सुन्द्राव तालाब
9.	काजलिया तालाब
10.	वरेट तालाब
11.	आम्बा तालाब
12.	झेर तालाब
13.	सालीया तालाब
14.	भमरीया तालाब

परिशिष्ट-"ब"

विधान सभा क्षेत्र बागीदोरा के अन्तर्गत तालाबों के व्यय की सूची

(राशि लाख रुपये में)

क्र.सं.	कार्य का नाम	वित्तीय वर्ष									
		1994-95		1995-96		1996-97		1997-98		1998-99	
		राशि	मद	राशि	मद	राशि	मद	राशि	मद	राशि	मद
1.	खोडालीम	4.27	अकाल राहत	3.33	अकाल राहत	–	–	–	–	–	–
2.	गांगड तलाई	0.91	अकाल राहत	3.59	सुनिश्चित रो. यो.	–	–	–	–	–	–
3.	राम का मुन्ना	1.04 3.76	अकाल राहत सुनिश्चित रो.यो.	3.00	अकाल राहत	–	–	–	–	–	–
4.	बडियाला	2.00	जवाहर रो. यो.	–	–	2.34	सुनिश्चित रो. यो.	2.65	सुनिश्चित रो. यो.	–	–
5.	काजलिया	4.99	जवाहर रो. यो.	–	–	1.25	सुनिश्चित रो. या.	3.05	सुनिश्चित रो. यो.	0.68	सुनिश्चित रो. यो.

क्र.सं.	कार्य का नाम	वित्तीय वर्ष									
		1994-95		1995-96		1996-97		1997-98		1998-99	
		राशि	मद	राशि	मद	राशि	मद	राशि	मद	राशि	मद
6.	भमरिया	4.26	जवाहर रो. यो.	—	—	—	सुनिश्चित रो. यो.	4.34	सुनिश्चित रो. यो.	0.64	सुनिश्चित रो. यो.
7.	उदयपुरा बड़ा	9.25	अकाल राहत	3.32	सुनिश्चित रो. यो.	1.98	सुनिश्चित रो. यो.	3.02	सुनिश्चित रो. यो.	—	—
8.	झेर	—	—	4.55	अकाल राहत	—	—	—	—	—	—
9.	वरेट	0.81 2.56	सुनिश्चित रो.यो. अकाल राहत	3.35	अकाल राहत	—	—	—	—	—	—
10.	आम्बा	—	—	2.85	अकाल राहत	0.25	सुनिश्चित रो. यो.	1.62	सुनिश्चित रो. यो.	0.18	सुनिश्चित रो. यो.
11.	भुवानपुरा	—	—	1.96	अकाल राहत	—	—	—	—	—	—

राजसमन्द झील से प्राप्त आय का उपयोग

437. **श्री बंशीलाल गहलोत** (राजसमन्द) : क्या मत्स्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या राजसमन्द झील से मछली पकड़ने का ठेका वर्ष 1999-2000 में दिया गया था ? क्या उक्त ठेके से प्राप्त राशि का उपयोग झील के विकास हेतु किया जाना था ? यदि हां, तो क्या इसका उपयोग झील के विकास हेतु कर लिया गया ? यदि हां, तो कब-कब, किस-किस कार्य हेतु और नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार अभी भी उक्त ठेके से प्राप्त राशि का उपयोग झील के विकास हेतु करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक एवं कितनी-कितनी राशि किस-किस कार्य हेतु और नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। राजसमन्द झील से मछली पकड़ने का ठेका वर्ष 1999-2000 में दिया गया था।

जी, हां। उक्त ठेके से प्राप्त राशि का उपयोग झील के विकास हेतु किये जाने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(2) जी, हां। जिला प्रशासन राजसमन्द से प्रस्ताव आने पर निर्णय लिया जावेगा।

मेहन्दीपुर बालाजी (टोडाभीम) तीर्थ स्थल पर मदिरा विक्रय केन्द्र

438. **श्री रामस्वरूप** (टोडाभीम) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्ष 1997 से फरवरी, 2000 तक राज्य सरकार को जिला करौली में आबकारी विभाग से कुल कितनी आय हो रही है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 1998 से फरवरी, 2000 तक किस-किस फर्म को आबकारी के ठेके दिये गये एवं उनसे सरकार को कितना लाभ हुआ ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) शराब के ठेके किन नियमों के तहत छोड़े जाते हैं ?

(4) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में मेहन्दीपुर बालाजी तीर्थ स्थान पर एवं स्कूलों के आस-पास जो शराब के ठेके संचालित हैं क्या सरकार उनको वहां से हटाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) वर्ष 1997 से फरवरी, 2000 तक जिला करौली में कुल आबकारी आय रुपये 1860.33 लाख प्राप्त हुई, जिसका विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) वर्ष 1997-98 एवं 1998-99 के लिए करौली जिले के सभी मदिरा समूहों के ठेके जिन व्यक्तियों के नाम से दिये गये उनका

(आबकारी मंत्री)

विवरण तथा ठेकों की आरक्षित राशि एवं प्राप्त राशि का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) राजस्थान आबकारी नियम 1956 एवं राजस्थान विदेशी मदिरा (थोक एवं खुदरा अनुज्ञा पत्र प्रदाय) नियम, 1982 के प्रावधानों के अन्तर्गत शराब के ठेके दिये जाते हैं।

(4) विधान सभा क्षेत्र टोड़ाभीम के अन्तर्गत कोई भी शराब की दुकान मेहन्दीपुर बालाजी तीर्थ स्थान एवं स्कूलों से राजस्थान आबकारी नियम 1956 के नियम 75 एवं अनुज्ञा पत्र शर्तों में प्रावधित न्यूनतम दूरी से कम दूरी पर स्थित नहीं है।

परिशिष्ट-1

(राशि लाख रु. में)

माह	अर्जित आबकारी राजस्व			
	1997	1998	1999	2000 (अस्थाई)
जनवरी	28.91	47.73	60.96	55.00
फरवरी	26.03	50.51	43.94	39.00
मार्च	32.43	92.02	170.62	
अप्रेल	17.45	29.44	26.69	
मई	60.70	38.46	44.45	
जून	31.44	52.83	42.81	
जुलाई	31.46	63.94	48.39	
अगस्त	28.16	54.72	49.22	
सितम्बर	20.04	53.02	46.90	
अक्टूबर	27.47	46.22	51.55	
नवम्बर	57.67	50.88	56.71	
दिसम्बर	51.69	75.57	51.30	
योग	**413.45**	**655.34**	**697.54**	**94.00**

परिशिष्ट-2

(राशि लाख रु. में)

निविदादाता का नाम	आरक्षित राशि	प्राप्त राशि	
		1997-98	1998-99
श्रीमती सावित्री देवी, सैन्थल रोड, दौसा व कुलदीप सिंह नागला स्टोर बयाना, भरतपुर	467.00	467.00	537.05

वर्ष 1999-2000 के सम्बन्ध में विवरण निम्नानुसार है :

क्र.सं.	मदिरा समूह का नाम	निविदादाता का नाम	आरक्षित राशि	प्राप्त राशि
1.	करौली-सपोटरा	श्री विश्वम्भरदयाल, हिण्डौन गेट, करौली	333.30	353.30
2.	हिण्डौन सिटी-टोडाभीम	श्रीमती कलावती, 226, आदर्श नगर बाईपास, फिरोजाबाद एवं श्री हरिसिंह चौधरी, 87, मानसिंहपुरा, टोंक रोड, जयपुर	322.30	334.60

विधान सभा क्षेत्र धौलपुर की प्रस्तावित जलप्रदाय योजना

439. **श्री शिवराम सिंह कुशवाह** (धौलपुर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) विधान सभा क्षेत्र धौलपुर में चालू वित्तीय वर्ष में कितने हैण्ड पम्प स्वीकृत हुए और उनमें से अब तक कितने-कितने हैण्ड पम्प कहां-कहां लगा दिये गये हैं ? संख्या सूची स्थानवार सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में चालू वर्ष में कौन-कौनसी जल प्रदाय योजना प्रस्तावित हैं और इन्हें कब तक पूर्ण करा दिया जावेगा ?

(3) ग्राम सैपऊ की क्षतिग्रस्त टंकी को कब तक ठीक करा दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) चालू वित्तीय वर्ष 1999-2000 में धौलपुर विधान सभा क्षेत्र में 59 हैण्ड पम्प स्वीकृत हुये, जिसमें से 12 ड्रिल होकर 4 चालू कर दिये हैं। सूची संलग्न है।

(2) धौलपुर विधान सभा क्षेत्र में 55 नये हैण्ड पम्प एवं एक पाइप्ड योजना चालू वर्ष में स्वीकृत है, जो क्रियान्विती में है। बजट उपलब्धतानुसार इन्हें शीघ्र पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

(3) जल योजना सैपऊ की क्षतिग्रस्त टंकी मरम्मत योग्य नहीं है। नई टंकी स्वीकृत होने के पश्चात् क्षतिग्रस्त टंकी को हटाना सम्भव होगा।

विधान सभा क्षेत्र धौलपुर में वर्ष 1999-2000 में स्वीकृत हैण्ड पम्प योजनाएं

क्र.सं.	गांव का नाम	कोड नं.	हैण्ड पम्प का स्थान	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमांक/दिनांक	हैण्ड पम्प की स्थिति
1	2	3	4	5	6
1.	धरमपुर	76	गोदीपुरा	2260/5.6.99	–
2.	रतनपुरा	79	रतनपुरा	2261/5.6.99	–
3.	करीमपुर	82	गुरजा	2262/5.6.99	–
4.	पंचगांव	95	मोरलीपुरा	2263/5.6.99	–
5.	पंचगांव	95	मनोटवर	2264/5.6.99	–
6.	पंचगांव	95	वागपुरा	2265/5.6.99	ड्रिल
7.	ओदी	96	ओदी का पुरा	2266/5.6.99	–
8.	मुगर बड़ा	100	वटेलपुरा	2267/5.6.99	–
9.	दुलारी	104	जालसिंहपुरा	2268/5.6.99	चालू
10.	विरोधा	155	प्रीतमपुरा	2271/5.6.99	ड्रिल
11.	विरोधा	155	नवले का पुरा	2272/5.6.99	–
12.	रजौरा	205	नकटपुरा	2274/5.6.99	–
13.	काकोली	17	धन्नापुरा	2250/5.6.99	–
14.	तसीमों	24	गोपालपुरा	2251/5.6.99	–
15.	मानपुर	56	बुद्दापुरा	2258/5.6.99	–
16.	धावनी	194	कोली बस्ती	डीआरडीए/5.6.99	चालू

1	2	3	4	5	6
17.	धावनी	194	ब्राह्मण बस्ती	डीआरडीए / 5.6.99	चालू
18.	फिरोजपुर	164	गांव में	डीआरडीए / 5.6.99	–
19.	साडा	167	छोटे का पुरा	4856 / 10.1.2000	–
20.	लुहारी	168	कोलीबस्ती	4667 / 10.1.2000	–
21.	वहवलपुर	169	वंडपुरा	4857 / 10.1.2000	–
22.	नयागांव	171	प्रा. स्कूल	4904 / 10.1.2000	–
23.	वादरपुर	173	प्रा. स्कूल	4905 / 10.1.2000	–
24.	डोंगपुर	175	जाटवबस्ती	4868 / 10.1.2000	–
25.	वटेह भोरी	176	जाटवबस्ती	4869 / 10.1.2000	–
26.	वटेह भोरी	176	जाटवबस्ती	4870 / 10.1.2000	–
27.	पंपटो लाकाला	179	प्रा. स्कूल	4871 / 10.1.2000	–
28.	मैसाक	189	पुरा	4859 / 10.1.2000	–
29.	नगला राजा	8	प्रा. स्कूल	10, / 26.2.2000	–
30.	परऊआ	42	प्रा. स्कूल	–"– / 26.2.2000	–
31.	सांलेपुर	22	प्रा. स्कूल	–"– / 26.2.2000	–
32.	काकोली	47	बीधापुरा	10, फरई / 26.2.2000	–
33.	कैथरी	4	गुगरवाछा	–"– / 26.2.2000	–
34.	पटेवरी	212	प्रा. स्कूल	–"– / 26.2.2000	–
35.	मुस्तफाबाद	158	प्रा. स्कूल	–"– / 26.2.2000	–
36.	दुवरा	98	उ. प्रा. स्कूल	–"– / 26.2.2000	–
37.	दीयापुर	165	प्रा. स्कूल	–"– / 26.2.2000	–

1	2	3	4	5	6
38.	मोटोली	217	वडापुरा स्कूल	10,फरई / 26.2.2000	—
39.	चांदपुर	198	प्रा. स्कूल	—"— / 26.2.2000	—
40.	विश्नोदा	207	मोटोलीकापुरा	—"— / 26.2.2000	—
41.	दुवारी	104	प्रा. स्कूल नयापुरा	—"— / 26.2.2000	—
42.	बसई सामन्ता	92	प्रा. स्कूल	—"— / 26.2.2000	—
43.	ओदी	96	उ. प्रा. स्कूल	—"— / 26.2.2000	—
44.	मसूदपुर	192	प्रा. स्कूल	—"— / 26.2.2000	—
45.	सन्दपुर	222	प्रा. स्कूल नत्थापुरा	—"— / 26.2.2000	—
46.	सन्दपुर	222	प्रा. स्कूल (बाग)	—"— / 26.2.2000	—
47.	पथैना	86	मुख्य गांव	5356 / 2.3.2000	—
48.	ओडैका	163	धीमरबस्ती	5358 / 2.3.2000	—
49.	नरपुरा	193	गांव में	5359 / 2.3.2000	ड्रिल
50.	सान्दा	208	गांव में	5360 / 2.3.2000	ड्रिल
51.	कूकपुर	211	गांव में	5361 / 2.3.2000	ड्रिल
52.	पटेवरी	212	गांव में	5362 / 2.3.2000	ड्रिल
53.	धावनी	194	डगरिया	5363 / 2.3.2000	ड्रिल
54.	चांदपुर	198	मुख्य गांव	5364 / 2.3.2000	ड्रिल
55.	लुधपुरा	23	मुख्य गांव	5368 / 2.3.2000	—
56.	पेकटी	45	मुख्य गांव	5369 / 2.3.2000	—
57.	खुर्द	183	मुख्य गांव	5377 / 2.3.2000	—
58.	फटाकपुर	184	जाटबस्ती	4872 / 10.1.2000	—
59.	कासिमपुर	186	जाटवबस्ती	4873 / 10.1.2000	—

पाली शहर में ई. एस. आई. अस्पताल का निर्माण

440. **श्री ज्ञानचन्द पारख** (पाली) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार द्वारा पाली शहर में ई. एस. आई. अस्पताल का निर्माण कराया गया है ?

(2) उक्त अस्पताल का निर्माण कार्य पूर्ण हुये कितने वर्ष हो गये हैं एवं इसके निर्माण में कितनी राशि व्यय की गई है ?

(3) उक्त अस्पताल कितनी शैय्यायों का है एवं इसमें चिकित्सकों के कितने पदों का प्रावधान रखा गया है ?

(4) उक्त अस्पताल के शुरू होने में देरी के क्या कारण हैं एवं अब सरकार इसे कब चालू करने जा रही है ?

(5) क्या उक्त अस्पताल में आवास बनाने हेतु कोई प्रावधान था ? यदि हां, तो किस-किस श्रेणी के कितने एवं कब शुरू कर दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) पाली शहर में कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय भवन का निर्माण राज्य सरकार द्वारा नहीं अपितु कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली द्वारा शत-प्रतिशत खर्चे पर कराया गया है।

(2) चिकित्सालय भवन का सम्पूर्ण व्यय कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली द्वारा वहन किया जाता है। उक्त चिकित्सालय भवन का पजेशन (चार्ज) कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा दिनांक 9.5.98 को इस विभाग को सम्भलवाया गया था। कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली द्वारा उक्त अस्पताल के निर्माण हेतु 2,16,44.631 रुपये का भुगतान सार्वजनिक निर्माण विभाग, पाली को किया गया था जिसके विरुद्ध निर्माण एजेन्सी द्वारा 2,06,10,004 रुपये का खर्च प्रमाण पत्र कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली को प्रेषित किया गया है।

(3) कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय पाली 50 शैय्याओं का है तथा राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प. 2(7)नि/क/97 दिनांक 28.9.98 द्वारा, कनिष्ठ विशेषज्ञों के 8 पद एवं चिकित्सा अधिकारियों के 8 पद स्वीकृत किये गये हैं।

(4) चिकित्सालय में उपचार सेवाएं प्रारम्भ करने के लिये विशेषज्ञों एवं चिकित्सकों के पदस्थापन हेतु राज्य के चिकित्सा विभाग को निवेदन किया जा चुका है और विशेषज्ञों/चिकित्सकों के पदस्थापन होने पर उपचार की सेवाएं प्रारम्भ कर दी जायेंगी।

(5) जी हां, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली के पत्रांक : डब्ल्यू. 11(11)(1) 95 निर्माण दिनांक 19.3.96 द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय, पाली में 34 क्वाटर्स बनाने की स्वीकृति प्राप्त हुई जो निम्न श्रेणी में विभाजित हैं :–

(श्रम मंत्री)

श्रेणी	संख्या
टाइप-I	8
टाइप-II	8
टाइप-III	8
टाइप-IV	6
टाइप-V	4
कुल	34

उक्त आवास गृहों के निर्माण के सम्बन्ध में एन. बी. सी. सी. से प्राप्त प्लान कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली से स्वीकृति हेतु विचाराधीन है।

तारांकित प्रश्न संख्या-441

(स्थगित)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 5 अप्रेल, 2000)

राजस्थान श्रम सलाहकार मण्डल का पुनर्गठन

107. **श्री अमराराम** (धोद) : क्या श्रम एवं रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान श्रम सलाहकार मण्डल की गत बैठक कब बुलाई गई थी ?

(2) क्या राजस्थान श्रम सलाहकार मण्डल की बैठक हर छः माह में एक बार अथवा वर्ष में कम से कम एक बार बुलाना आवश्यक है ?

(3) क्या राज्य में राजस्थान श्रम सलाहकार मण्डल के पुनर्गठन हेतु पत्रावली मुख्य मंत्री के समक्ष गत एक वर्ष से लम्बित है ? यदि हां, तो स्वीकृति मिलने में देरी के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) राजस्थान श्रम सलाहकार मण्डल की गत बैठक दिनांक 17.7.95 को बुलाई गई थी।

(2) जी, नहीं। राजस्थान श्रम सलाहकार मण्डल की बैठक बुलाने की अवधि किसी अधिनियम में निश्चित नहीं है, किन्तु वर्ष में कम से कम एक बार राजस्थान श्रम सलाहकार मण्डल की बैठक बुलाए जाने के प्रयास का निर्णय दिनांक 25.10.91 को मण्डल की 21वीं बैठक में लिया गया था।

(3) जी, नहीं। राजस्थान श्रम सलाहकार मण्डल का पुनर्गठन दिनांक 5.4.2000 को किया जाकर अधिसूचना जारी कर दी गई है।

जिला सांचौर क्षेत्र की गोशालाओं में गोधन की रक्षा

442. **श्री सांवर लाल** (भिनाय) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या जिला सांचौर क्षेत्र की गोशालाओं में एक साथ 1000 गायें मरी

(श्री सांवर लाल)

हैं ? यदि हां, तो कहां-कहां कितनी-कितनी गायें मरीं ?

(2) क्या उक्त गायें बीमारी से मरी हैं ? यदि हां, तो कौन-कौनसी बीमारी से और भूख से मरी तो इन्हें बचाने के उपाय क्यों नहीं किये गये ?

(3) क्या सरकार पशुधन/गोधन को बचाने के लिए संवेदनहीन है ? यदि नहीं, तो कैसे ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। कुछ गायें शारीरिक कमजोरी/कुपोषण के कारण मरी हैं। गोशाला के पशुओं का रख-रखाव सम्बन्धित गोशालाओं द्वारा किया जाता है तथा सहायता विभाग द्वारा चारा डिपो स्थापित किये जाते हैं।

(3) जी नहीं। विभाग द्वारा राज्य के पशुओं को चिकित्सा/संवर्द्धन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश में 1704 पशु चिकित्सा संस्थायें कार्यशील हैं।

जमवारामगढ़ बांध की सुन्दरपुरा ब्रांच नहर पर अतिक्रमण

443. **श्री मोहन लाल बारूपाल** (जायल) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जमवारामगढ़ बांध की सुन्दरपुरा ब्रांच नहर पर अतिक्रमण के सम्बन्ध में तहसीलदार जमवारामगढ़ (जयपुर) द्वारा बेदखली के आदेश दिये गये थे ? यदि हां, तो कब ? क्या उक्त अतिक्रमण मौके पर अभी भी मौजूद है और हटाया नहीं गया है ? यदि हां, तो क्यों और इसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है ? यदि अतिक्रमण हटा दिया गया है तो कब ? उक्त अतिक्रमण कब एवं किसकी उपस्थिति में हटाया गया ? यदि हटाया गया तो इस सम्बन्ध में गांव के व्यक्तियों की हस्ताक्षरित प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त अतिक्रमण को हटाने में विलम्ब के लिये दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या एवं कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 28.1.99 को बेदखली के आदेश दिये गये थे। उक्त अतिक्रमण दिनांक 25.9.99 को तहसीलदार, जमवारामगढ़ हल्का पटवारी, जिलेदार सिंचाई विभाग, कनिष्ठ अभियन्ता, सिंचाई व ग्रामवासियों की मौजूदगी में हटवाया गया। मौके की फर्द रिपोर्ट संलग्न है।

(2) जी नहीं, अतिक्रमण 25.9.99 को हटा दिया गया था।

मौका फर्द रिपोर्ट

आज दिनांक 25.9.99 को ग्राम खीमेवास तह. जमवारामगढ़ के खसरा नं. 138 किस्म सिंचाई नहरी के सुन्दरपुरा ब्रान्च में, पर किये गये अतिक्रमण द्वारा श्री केदार केवलकारी, S/o बद्री जाति सहवा का मौके से अतिक्रमण हटाने हेतु मौके पर कनिष्ठ अभियन्ता श्री महेश जी कुलश्रेष्ठ, जिलेदार रामसिंह व सिंचाई पटवारी कैलाश चन्द राय के साथ पहुंचे।

साथ में श्री तहसीलदार, जमवारामगढ़ व गिरदावर हल्का एवं राजस्व पटवारी हल्का मय पुलिस जत्थे के कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु साथ में मौके पर पहुंचे।

मौके पर से अतिक्रमण, जिसमें एक छप्पर व रूल पर जो कच्ची ईंटों का मकान को हटाया गया एवं जमीन कब्जे राज. ली गई। फर्द मौके पर पढ़कर सुनाई गई एवं सही होने पर मौके पर हस्ताक्षर करवाये गये।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 5 अप्रेल, 2000)

ग्राम आसोटा (नागौर) की भू-नियमन की लम्बित पत्रावलियां

109. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम आसोटा के व्यक्तियों को तहसीलदार लाडनूं (नागौर) द्वारा सरकारी भूमि पर गलत रूप से नियमन करने की फाइलें उपखण्ड अधिकारी डीडवाना के कार्यालय में आवश्यक कार्यवाही के लिये लम्बित हैं ? यदि हां, तो कब से तथा तहसील कार्यालय लाडनूं से कब डीडवाना भेजी गई ?

(2) उक्त फाइलें किन-किन के नाम से किस-किस कार्य के लिये कितनी-कितनी भूमि के नियमन करने की हैं तथा इसमें क्या-क्या अनियमितताएं हैं ?

उत्तर

(1) तहसीलदार लाडनूं ने ग्राम आसोटा के व्यक्तियों को सरकारी भूमि पर गलत रूप से नियमन करने से सम्बन्धित फाइलें उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना को दिनांक 6.4.1987 को भेजी गई थीं। जिन्हें उपखण्ड अधिकारी डीडवाना ने दिनांक 13.2.97 को नियमन निरस्त करने बाबत तहसीलदार लाडनूं को लौटाई गई थी।

(2) उक्त फाइलें बाड/रहवासीय प्रयोजनार्थ नियमन से सम्बन्धित हैं। नियमन के मामलों में अतिक्रमियों के कब्जे 1975 से मानकर नियमन किये हैं, जबकि पुराने कब्जे की ताईद में न तो पी-14 प्रस्तुत हुआ और ना ही गिरदावरी की नकलें निरन्तर कब्जे की पेश हुई। इस प्रकार नियमन की कार्यवाही में नियमों की पालना नहीं करने की अनियमितताएं पाई गई हैं।

जिन व्यक्तियों के नाम नियम की कार्यवाही की गई है उनके नाम एवं रकबे की सूची परिशिष्ट-"क" पर संलग्न है।

परिशिष्ट-"क"

क्र.सं.	नाम अतिक्रमी मय पिता का नाम	रकबा
1.	भंवर कंवर पत्नी मानसिंह, नरपत सिंह, भंवर सिंह पुत्रगण मानसिंह राजपूत, निवासी आसोटा	1000 वर्ग गज
2.	रामसिंह पुत्र बालसिंह राजपूत, निवासी आसोटा	1/2 बीघा
3.	हरदेव सिंह पुत्र बालसिंह, खींवसिंह पुत्र सुगनसिंह राजपूत निवासी डाबरी	1000 वर्ग गज
4.	दानसिंह, विजयसिंह पुत्र हरिसिंह राजपूत निवासी, आसोटा	1 बीघा
5.	फतेहसिंह पुत्र हरिसिंह राजपूत निवासी आसोटा	1000 वर्ग गज
6.	उम्मेदसिंह पुत्र हरिसिंह राजपूत निवासी आसोटा	1000 वर्ग गज
7.	मदनसिंह पुत्र भंवरसिंह राजपूत निवासी आसोटा	1000 वर्ग गज
8.	पूर्णसिंह, मंगेजसिंह पुत्र बालसिंह राजपूत निवासी आसोटा	1000 वर्ग गज
9.	नेमीचन्द, कमला देवी अग्रवाल जसवंतगढ़	1000 वर्ग गज
10.	भगवती प्रसाद, ईश्वरी प्रसाद पुत्र नेमीचन्द अग्रवाल जसवंतगढ़	1000 वर्ग गज
11.	जसवंतसिंह पुत्र दौलतसिंह राजपूत आसोटा	1000 वर्ग गज
12.	भंवरसिंह, दौलतसिंह राजपूत आसोटा	1000 वर्ग गज
13.	मोहनराम पुत्र जेठाराम जाट, पदमपुरा	1000 वर्ग गज
14.	रामकुंवर पत्नी दानसिंह राजपूत आसोटा	768 वर्ग गज

ऋषभदेव केसरिया मन्दिर की जमीन में आवंटित मार्बल खानें

444. **श्री सुरेन्द्र गोयल** (जैतारण) : क्या देवस्थान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि ऋषभदेव केसरिया मन्दिर की भूमि में ग्रीन मार्बल की खानें स्थित हैं ? यदि हां, तो कितने बीघा में ?

(2) उक्त खानों के वर्ष 1993 में आवंटन की क्या प्रक्रिया अपनाई गई थी ? प्रक्रिया की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त मार्बल खानों के आवंटन में अनियमितता की शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई थीं ? यदि हां, तो क्या-क्या ?.

(4) क्या सरकार ने उक्त अनियमितताओं की जांच करवाई थी ? यदि हां, तो इसके आवंटन में कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार हैं और उनके विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? जांच प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। 302.17 बीघा में।

(2) खानों के आवंटन का कार्य खान एवं भूविज्ञान विभाग द्वारा किया जाता है। देवस्थान विभाग द्वारा भू-धारक होने के कारण खनन हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है। वर्ष 1993 में अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु आवेदनकर्त्ताओं के आवेदन पत्र देवस्थान आयुक्त, कार्यालय द्वारा राज्य सरकार को प्रेषित किये गये, जिस पर राज्य सरकार द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किये गये।

(3) जी नहीं।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता है।

विधान सभा क्षेत्र भादरा के शहरी/ग्रामीण क्षेत्र में अवैध मदिरा बिक्री केन्द्र

445. **श्री संजीव बेनीवाल** (भादरा) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र भादरा के शहरी/ग्रामीण क्षेत्र में किन-किन स्थानों पर शराब बिक्री हेतु दुकानें स्वीकृत हैं ? सूची ग्रामवार सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र के शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में क्या शराब बिक्री की अवैध दुकानें चल रही हैं ? यदि हां, तो कहां-कहां पर और क्यों ?

(3) क्या सरकार उक्त क्षेत्र में शराब बिक्री की अवैध दुकानों को बंद करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र भादरा के शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में देशी मदिरा एवं भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर की दुकान जिन स्थानों पर स्वीकृत है, उनकी सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(3) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

परिशिष्ट-1

भादरा शहरी क्षेत्र (देशी मदिरा)		भादरा ग्रामीण क्षेत्र	
1.	हिसार बाईपास	1.	भीरानी
2.	डूंगराना दरवाजा	2.	मेहराना
3.	रेलवे स्टेशन	3.	जोगीवाला
4.	नई अनाज मण्डी	4.	शेरडा
5.	हिसार बस अड्डा	5.	करणपुरा
6.	भादरा नं. 6 (धान मण्डली)	6.	निनाण
		7.	डाबडी
		8.	झांसल
		9.	मुन्सरी
		10.	गांधीबडी
		11.	डूंगराना
		12.	धानीबडी
		13.	नेठराना
		14.	भरवाना
		15.	बिरान
		16.	गरूडा
		17.	उतरादाबास
		18.	मलखेड़ा
		19.	मलसीसर
		20.	भोजासर
		21.	रसलाना
		22.	भनाई

भादरा शहरी क्षेत्र (देशी मदिरा)	भादरा ग्रामीण क्षेत्र	
	23.	भानगढ़
	24.	साहूवाला
	25.	खचलाना
	26.	कलाना
	27.	डोवी
	28.	अनूपशहर
	29.	धेऊ
	30.	अजीतपुरा
	31.	भाडी
	32.	सूरतपुरा
	33.	कणाऊ
	34.	जनाना
	35.	सरदार पुरावास
	36.	गांगवा

भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर

1.	भादरा नं. 1 (मेनबाजार)	1.	डाबडी
2.	भादरा नं. 2 (हिसार बस स्टेण्ड)	2.	छानीबडी

विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती विद्यालयों में हैण्ड पम्पों की स्वीकृति

446. **श्री शैलेन्द्र जोशी** (बांदीकुई) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती विद्यालयों में छात्रों को पीने के पानी की कोई योजना बनाई जा रही है ? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विद्यालयों में पीने के पानी के लिये हैण्ड पम्प लगाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं। वर्तमान में ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

(2) उपरोक्तानुसार ।

जिला भरतपुर में डिवीजनल कमिश्नर मुख्यालय की स्थापना

447. **श्री यशवन्त सिंह (रामू)** (नदबई) : क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार विभिन्न विभागों के उच्चाधिकारियों की तरह डी.आई.जी. पुलिस कार्यालय, भरतपुर को डिवीजनल कमिश्नर मुख्यालय, भरतपुर में स्थापित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी नहीं।

विधान सभा क्षेत्र नोहर के पशु चिकित्सालयों में रिक्त पद

448. **श्रीमती सुचित्रा आर्य** (नोहर) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र नोहर में कुल कितने पशु चिकित्सालय कहां-कहां स्थित हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त क्षेत्र में नये पशु चिकित्सालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कितने तथा कहां-कहां ?

(3) क्या सरकार उक्त क्षेत्र के पशु चिकित्सालयों में रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र नोहर में 7 पशु चिकित्सालय क्रमशः नोहर, गोगामेड़ी, रामगढ़ उज्जवलवास, फेफाना, बीरकाली, जसांना एवं पल्लू में कार्यशील हैं।

(2) वर्तमान में नये पशु चिकित्सालय खोलने के प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं।

(राज्य मंत्री, पशुपालन)

(3) जी हां। कार्मिक विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अन्तर्गत कार्मिक एवं वित्त विभाग से सहमति प्राप्त होने पर रिक्त पदों की पूर्ति संभव हो सकेगी।

जिला जैसलमेर के इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र के नये राजस्व ग्राम

449. **श्री गोवर्द्धन कल्ला** (जैसलमेर) : क्या सिंचित क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला जैसलमेर के इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में कितने नये राजस्व गांव घोषित हुए हैं ?

(2) क्या उक्त घोषित गांवों में शिक्षा, पेयजल, चिकित्सा, सड़क आदि सुविधाओं का प्रावधान है ?

(3) क्या यह सही है कि नागरिक सुविधाओं के अभाव में काश्तकारों के परिवार कठिनाई भुगत रहे हैं ?

(4) क्या सरकार उक्त राजस्व ग्रामों के विकास हेतु कोई योजना बना रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) अभी तक कोई राजस्व गांव घोषित नहीं किया गया है। 40 गांवों जिनकी आबादी 250 या उससे अधिक है, को "डीम्ड विलेज" घोषित किया गया है।

(2) अपेक्षित स्तर की सुविधा के लिये बजट प्रावधान उपलब्ध नहीं है।

(3) जी हां।

(4) जी हां।

विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ में आयुर्वेद कैम्पों में दवाओं की खरीद में अनियमितता

450. **श्री ज्ञानदेव आहूजा** (रामगढ़) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ में मेवात योजना के अन्तर्गत आयुर्वेद के कितने कैम्प लगाये गये ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त कैम्पों में दवाईयों की खरीद में अनियमिततायें हुई हैं ?

(3) क्या सरकार उक्त अनियमितताओं की जांच कराने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ जिला अलवर में वर्ष 1998-99 व 1999-2000 में एक आयुर्वेद चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया है।

(2) जी नहीं।

(3) माननीय विधायक श्री आहूजा जी की शिकायत दिनांक 16.6.99 के बारे में जांच करा ली गई है। खरीद में कोई अनियमितता नहीं पाई गई है।

उदयपुर शहर की पेयजल समस्या का समाधान

451. श्री खेमराज कटारा (उदयपुर ग्रामीण) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) उदयपुर शहर में प्रतिदिन कितने लीटर पेयजल की आवश्यकता रहती है और किन स्त्रोतों में कितनी-कितनी आवक है ?

(2) क्या सरकार उक्त पेयजल समस्या के समाधान का विचार रखती है ? यदि हां, तो किन-किन योजनाओं से ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार मानसी वाकल योजना को पूर्ण कराकर स्थाई समाधान करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो उक्त योजना कब तक पूर्ण हो जायेगी और इस पर कितनी राशि व्यय होगी ?

उत्तर

(1) उदयपुर शहर में प्रतिदिन 70.0 एम.एल.डी. जल की आवश्यकता रहती है। वर्तमान में सतही स्त्रोतों से 37.0 एम.एल.डी. व भूमिगत स्त्रोतों से 10 एम.एल.डी. कुल 47.0 एम.एल.डी. जल की निम्नानुसार आवक है :–

क्र.सं.	स्त्रोत का नाम	कुल उत्पादन
ए–	**सतही स्त्रोत**	
1.	झील पिछोला	1.50 एम.एल.डी.
2.	झील फतहसागर	10.50 –"–
3.	झील बड़ी	4.00 एम.एल.डी.
4.	झील जयसमंद	21.00 –"–
	कुल सतही	37.00 –"–
बी–	**भूमिगत स्त्रोत**	
1.	स्थानीय खुले कुएं एवं नलकूप	4.50 एम.एल.डी.
2.	झमरकोटड़ा नलकूप	5.50 –"–
	कुल भूमिगत	10.00 –"–
	महायोग	47.00 –"–

(2) जी हां। ग्रीष्मकाल 2000 में संभावित कमी के दृष्टिगत रुपये 166.63 लाख लागत की संवर्द्धन योजना स्वीकृत की गई जिसमें 12 नलकूपों का निर्माण, 25 स्पोट स्त्रोत व 20 बावड़ियों में सुधार शामिल है। कार्य प्रगति पर है। योजना पर दीर्घकालीन सुधार हेतु मानसी वाकल परियोजना विचाराधीन है। जिसमें वर्ष 2011 की जनसंख्या की मांग हेतु मानसी नदी पर गोराणा ग्राम के निकट 862 एम.सी.एफ.टी. क्षमता का बांध बनाने का निर्णय लिया गया है।

(3) जी हां। मानसी वाकल परियोजना प्रथम चरण के क्रियान्वयन हेतु हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड व राज्य सरकार के बीच अनुबंध हो चुका है तथा योजना पूर्ण होने में लगभग 5 वर्ष का समय लगने की संभावना है। योजना की अनुमानित लागत रुपये 60.00 करोड़ है। जिसमें रुपये 42.00

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

करोड़ राज्य सरकार को तथा रुपये 18.00 करोड़ हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड को वहन करने हैं।

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के बजट में कटौती

452. **श्री धर्मपाल चौधरी** (मण्डावर) : क्या इंदिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वितीय चरण के कार्यों के लिए आवंटित आयोजना मद के बजट में कटौती की गई हैं ? यदि हां, तो कितनी ?

(2) उक्त कटौती से नहर परियोजना के कौन-कौन से कार्य प्रभावित होंगे ?

उत्तर

(1) जी हां। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वितीय चरण के कार्यों के लिये आवंटित आयोजना मद के कुल बजट राशि 200.00 करोड़ रुपये में से 65.00 करोड़ रुपयों की कटौती की गई है।

(2) उक्त कटौती से पम्पिंग स्टेशनों, लाईनिंग तथा पक्का स्ट्रेक्चर बनाने के कार्य प्रभावित हुए।

विधान सभा क्षेत्र बेगूं में मंडेसरा बांध की मरम्मत हेतु स्वीकृत राशि

453. **श्री घनश्याम जैन** (बेगूं) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र बेगूं में मडेसरा व मानसरोवर तालाब से कितने बींघा सिंचाई होती है ?

(2) क्या मंडेसरा व मानसरोवर दोनों बांध वर्ष 1999-2000 में अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त हो गये थे ? उक्त बांधों को ठीक कराने व पानी के भराव के उद्देश्य से कितनी राशि आवंटन की गई है ?

(3) क्या मंडेसरा बांध से लाभान्वित व्यक्ति भील हैं ? क्या उक्त गरीब व्यक्तियों को उस बांध से पानी मिले इस हेतु सरकार पर्याप्त राशि दिलाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बेगूं में मंडेसरा व मानसरोवर बांधों से 339 एवं 228 एकड़ भूमि में प्रतिवर्ष सिंचाई होती है।

(2) मंडेसरा व मानसरोवर बांध वर्ष 1999-2000 में अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त हो गये थे। इनकी स्थायी मरम्मत करने हेतु वित्तीय साधन उपलब्ध नहीं होने के कारण आवश्यक कार्य संपादित नहीं हो सके।

(3) मंडेसरा बांध के सिंचित क्षेत्र के कुल 48 कृषकों में से 34 भील जाति के हैं। बांध के पुनःनिर्माण के प्रस्ताव सहायता विभाग को आपदा राहत कोष के मद से वित्तीय साधन उपलब्ध होने पर कार्य प्रारम्भ करना संभव हो सकेगा।

देवस्थान विभाग की विभिन्न सरकार विभागों में बकाया

454. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** (बड़ी सादड़ी) : क्या देवस्थान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि देवस्थान विभाग का सरकारी विभागों में एक करोड़ से भी अधिक का किराया बकाया है ? यदि हां, तो विभागानुसार बकाया का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) देवस्थान विभाग द्वारा बकाया किराया वसूली हेतु समय-समय पर क्या-क्या प्रयास किये गये ?

(3) क्या यह सही है कि विभाग का किराया नाम मात्र होने के बावजूद भी सरकारी विभाग उसे देना नहीं चाहते जबकि निजी मालिकों का किराया विभाग समय पर चुकाता भी है तथा समय-समय पर बढ़ाता भी है ? यदि हां, तो देवस्थान विभाग को इसका लाभ क्यों नहीं मिल पाता है ?

उत्तर

(1) देवस्थान विभाग की सम्पदा में चल रहे विभिन्न राजकीय विभागों में माह फरवरी, 2000 तक बकाया किराये की राशि 88,28,417/– रु. (रुपये अठ्ठासी लाख अठाईस हजार चार सौ सत्तरह) है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) बकाया किराया वसूली हेतु समय-समय पर संबंधित विभागों के विभागाध्यक्ष व कार्यालयाध्यक्ष को किराया जमा कराने हेतु विभाग की ओर से लिखा गया है। विभागों के सचिवों को दि. 13.3.2000 को अर्द्ध शासकीय पत्र लिखा गया है।

(3) प्रश्न के पैरा-1 से स्पष्ट है कि राजकीय विभागों से किराया प्राप्त नहीं हुआ है जिसकी वसूली के प्रयास किये जा रहे हैं। निजी भवन मालिकों को सरकारी विभाग किस प्रकार किराया भुगतान करते हैं। इसकी जानकारी तो संबंधित विभाग ही दे सकता है, परन्तु देवस्थान विभाग द्वारा किराया वसूली के पूरे प्रयास किये जा रहे हैं।

देवस्थान विभाग की सम्पदा में किरायेदार राजकीय विभागों में बकाया किराये की सूची (फरवरी, 2000 तक)

क्र.सं.	नाम विभाग		राशि
1.	शिक्षा विभाग	—	18,93,481.00
2.	जलदाय विभाग	—	21,20,724.00
3.	पुलिस विभाग	—	11,52,221.00
4.	पर्यटन विभाग	—	9,43,844.00
5.	उद्योग प्रशिक्षणालय	—	7,86,959.00
6.	संस्कृत शिक्षा निदेशालय	—	5,84,977.00
7.	डाक एवं तार विभाग	—	2,12,056.00
8.	भू-प्रबन्ध विभाग	—	1,13,490.00
9.	आयुर्वेद विभाग	—	70,090.00
10.	प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान	—	22,111.00
11.	रसद विभाग	—	20,434.00
12.	नगर निगम/पालिका	—	18,873.00
13.	कोष कार्यालय, उदयपुर	—	18,901.00
14.	परिवहन विभाग	—	11,510.00
15.	चिकित्सा विभाग	—	6,166.00
16.	समाज कल्याण विभाग	—	3,075.00
17.	उप-तहसील, गढ़गोर	—	1,440.00
18.	सहकारी समितियां, गढबोर	—	990.00
19.	कृषि विभाग	—	645.00
20.	ग्राम पंचायत, गढबोर	—	560.00
21.	रा. रा. विद्युत मण्डल	—	34,861.00
22.	रा. रा. पथ परिवहन निगम	—	4,815.00
23.	भूमि विकास बैंक, भरतपुर	—	8,01,744.00
24.	राजस्थली, उदयपुर	—	4,420.00
		योग	88,28,417.00

तहसील जहाजपुर (भीलवाड़ा) में उपकोष कार्यालय की स्थापना

455. **श्री रतन लाल ताम्बी** (जहाजपुर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि तहसील जहाजपुर (भीलवाड़ा) में विभिन्न प्रकार के पेंशनर, भूतपूर्व सैनिक और अन्य विभागों की संख्या अत्यधिक है और उपकोष कार्यालय के सृजन के मानदण्ड की पात्रता है ? यदि हां, तो उपकोष कार्यालय स्थापित करने में क्या कठिनाई है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उपकोष कार्यालय के लिए जो निर्धारित मानदण्ड हैं उसके अन्तर्गत जहाजपुर तहसील में स्वतन्त्र उपकोष कार्यालय सृजित किया जा सकता है ?

(3) क्या यह सही है कि पेंशन भुगतान उपकोष, जहाजपुर के अन्तर्गत पूर्व में पेंशन भुगतान की प्रक्रिया को बैंक के माध्यम से करने से पेंशनरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है ? क्या इसकी शिकायत सरकार को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

(4) क्या सरकार जहाजपुर क्षेत्र में उपकोष कार्यालय इस वर्ष में स्थापित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) तहसील जहाजपुर (भीलवाड़ा) में विभिन्न प्रकार के पेंशनर्स, भूतपूर्व सैनिकों की संख्या तथा अन्य विभागों की संख्या "परिशिष्ट-1" पर संलग्न है। स्वतन्त्र उपकोष सृजन के कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं हैं। राजस्थान कोषागार नियम 1999 के नियम 66 (II) के अनुसार तहसील जहाजपुर में उपकोष कार्यालय स्थापित है।

(2) स्वतन्त्र उपकोष कार्यालय सृजन के कोई मापदण्ड निर्धारित नहीं हैं। स्वतन्त्र उपकोष की स्थापना से आम जनता को किसी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं होती जबकि राज्य सरकार पर आर्थिक भार बढ़ जाता है। अतः संसाधनों के अधिकतम सदुपयोग करने के दृष्टिकोण से नवीन स्वतन्त्र उपकोष कार्यालय स्थापित नहीं किये जा रहे हैं। फलस्वरूप जहाजपुर तहसील में स्वतन्त्र उपकोष कार्यालय सृजित किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

(3) जी नहीं। यह सही नहीं है कि पेंशन भुगतान बैंक से प्राप्त करने में पेंशनर्स को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जी हां, पेंशन एसोसिएशन शाखा रायपुर जिला भीलवाड़ा एवं माननीय सदस्य राजस्थान विधान सभा श्री रतन लाल ताम्बी की ओर से बैंक के माध्यम से पेंशन भुगतान के कारण पेंशनर्स को होने वाली असुविधा के बारे में अवगत कराया गया था जिनके सन्दर्भ में कोषाधिकारी भीलवाड़ा को निर्देशित

(वित्त मंत्री)

कर दिया गया है कि भविष्य में पेंशन भुगतान हेतु पेंशनर्स को बैंक से पेंशन प्राप्त करने के लिए बाध्य नहीं किया जावे। जी नहीं।

(4) अजमेर एवं उदयपुर संभाग के स्वतन्त्र उपकोषालयों तथा जहाजपुर उपकोषालय के कार्यभार का तुलनात्मक विवरण "परिशिष्ट-2" पर संलग्न है। शेष प्रश्न का उत्तर प्रश्न के भाग दो में वर्णित किया जा चुका है।

(विवरण की प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

विधान सभा क्षेत्र झालरापाटन नगर की पुनर्गठित पेयजल योजना

456. **श्री मोहन लाल राठौड़** (झालरापाटन) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि झालरापाटन नगर की एक नई पुनर्गठित जल योजना सरकार के पास मन्जूरी के लिये प्रस्तावित है ?

(2) क्या उक्त जल योजना को स्वीकृति दे दी गई है ? यदि हां, तो इसका कार्य कब शुरू करा दिया जाएगा ?

(3) उक्त योजना की क्रियान्विति में देरी के क्या कारण हैं ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त योजना को शीघ्र क्रियान्वित नहीं होने की स्थिति में भविष्य में झालरापाटन नगर में पेयजल की भारी समस्या हो सकती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। वर्तमान में झालरापाटन नगर के लिये पुनर्गठन योजना बनाने का कार्य ही प्रगति पर है।

(2) जी नहीं।

(3) कोई देरी नहीं हुई है।

(4) जी नहीं। वर्तमान में ऐसी कोई संभावना नहीं है।

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की रेगुलेशन कमेटी द्वारा जल वितरण

457. **श्री देवीसिंह भाटी** (कोलायत) : क्या इन्दिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र के द्वितीय चरण में विभिन्न नहर शाखा प्रणाली का वर्ष 1999-2000 के लिए जल वितरण कमेटी द्वारा किस प्रकार ग्रुप बनाकर रेगुलेशन बनाया गया ? शाखावार जनवरी से मार्च, 2000 तक दैनिक पानी कितने-कितने क्यूसेक वितरण किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) रेगुलेशन कमेटी द्वारा निर्धारित हिस्से के विरुद्ध पानी की कमी के बावजूद अतिरिक्त पानी किस-किस शाखा को किन

(श्री देवीसिंह भाटी)

कारणों से दिया गया ? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के द्वितीय चरण में वर्ष 1999-2000 के लिये जल वितरण कमेटी द्वारा दिनांक 27.10.99 से 2.1.2000 तक के लिये नहरों को चार समूहों में तथा दिनांक 3.1.2000 से 30.4.2000 तक की अवधि के लिये तीन समूहों में विभक्त करते हुए चक्रीय प्रणाली से जल उपलब्ध कराने का कार्यक्रम तय किया गया। माह जनवरी, 2000 से मार्च, 2000 तक शाखा-वार वितरित किये गये दैनिक औसत पानी की सूचना प्रपत्र-"क" में दर्शायी गयी है।

(2) रेग्यूलेशन कमेटी द्वारा निर्धारित हिस्से के विरुद्ध पानी की कमी की अवधि में अतिरिक्त पानी किसी भी शाखा को नहीं दिया गया।

(सूचना प्रपत्र विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

कालख बांध में पानी की आवक के रास्तों पर अतिक्रमण

458. **श्री बाबूलाल नागर** (दूदू) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कालख बांध बान्डी नदी पर स्थित है ? क्या इस बान्डी नदी एवं इसमें आने वाले नाले चौमूं एवं सांभर तहसील के क्षेत्र में आते हैं ? क्या यह सही है कि इस नदी एवं इसके नालों पर पड़ने वाली भूमि सिवाय चक, चारागाह, बंजड़ डोल गैर मुमकिन नाला, नदी, तालाब आदि भूमि का आवंटन एवं उस पर अतिक्रमण किया हुआ है ? यदि हां, तो वर्ष 1983 के बाद आवंटित की गई भूमि की आवंटन की तारीख, वर्ष एवं आवन्टी के नाम की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार कालख बांध में पानी की आवक को रोकने वाले अतिक्रमणों को हटाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि कालख बांध बान्डी नदी पर स्थित है। बान्डी नदी व इसमें आने वाले नाले चौमूं व फुलेरा तहसील में आते हैं न कि सांभर तहसील में। इस नदी एवं नालों पर पड़ने वाली सिवाय चक भूमि पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण किये हैं, एक व्यक्ति को पेटा काश्त हेतु वर्ष 1992 में तहसील फुलेरा में अस्थाई आवंटन तीन वर्ष के लिये किया गया था ? तहसील फुलेरा में वर्ष 1983 के बाद पेटा बंध कालख में ख.नं. 300/1 रकबा 3 बीघा भूमि का अस्थाई आवंटन श्री नानगराम पुत्र मोती राम कीर निवासी कालख को दिनांक 21.5.92 को किया गया था।

(2) अतिक्रमियों के अतिक्रमण से पानी की आवक में प्रभाव नहीं पड़ा है। अतिक्रमणों के विरुद्ध संबंधित तहसीलदार द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की

(राजस्व मंत्री)

धारा 91 के तहत नियमानुसार शास्ति आरोपित करते हुए बेदखली की कार्यवाही की गई है।

तारांकित प्रश्न संख्या-459

(स्थगित)

विधान सभा क्षेत्र डेगाना के बंद पड़े हैण्ड पम्पों का रख-रखाव

460. **श्री रिछपाल सिंह** (डेगाना) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र डेगाना (नागौर) में वर्तमान में कुल कितने हैण्ड पम्प कार्यरत हैं और कितने बंद हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 1999-2000 के दौरान उक्त विधान सभा क्षेत्र के गांवों में विभाग द्वारा कुल कितने हैण्ड पम्प किन योजनाओं के अन्तर्गत खोदे गये ? सूची ग्रामवार सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्ष 2000-2001 के दौरान उक्त विधान सभा क्षेत्र में कुल कितने हैण्ड पम्प और खोदे जायेंगे ? प्रस्तावित सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या विभाग द्वारा उक्त विधान सभा क्षेत्र के बंद पड़ें हैण्ड पम्पों को ठीक कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र (नागौर) में वर्तमान में 3 हैण्ड पम्प कार्यरत हैं और बंद पड़े हैं। सूची परिशिष्ट (क) में अंकित है।

(2) वर्ष 1999-2000 के दौरान उक्त विधान सभा क्षेत्र के गांवों में विभाग द्वारा कुल 34 हैण्ड पम्प विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत खोदे गये। सूची ग्राम वार परिशिष्ट (ख) में अंकित है।

(3) वर्ष 2000-2001 के दौरान उक्त विधान सभा क्षेत्र में कुल 5 हैण्ड पम्प खोदे जाने प्रस्तावित हैं। सूची परिशिष्ट (ग) में अंकित है।

(4) जी हां, विधान सभा क्षेत्र डेगाना में बंद पड़े कुल 67 हैण्ड पम्पों में से 38 हैण्ड पम्प परित्यक्त (मरम्मत योग्य नहीं) हैं एवं शेष 29 हैण्ड पम्प में से मरम्मत अभियान में 9 ठीक करवा दिये गये हैं, व शेष शीघ्र ठीक करा लिये जायेंगे।

परिशिष्ट-'क'

डेगाना में कार्यरत विधान सभा क्षेत्र हैण्ड पम्पों की सूची

क्र.सं.	ग्राम का नाम	कुल है. प. की सं.	चालू है. पं. की सं.	बन्द पड़े है. पं. की सं.	बन्द होने का कारण
1	2	3	4	5	6
1.	भैरूदा	20	13	7	4 नग परित्यक्त
2.	पाटनिया	2	1	1.	—
3.	गोल	1	1	—	—
4.	सुरियास	2	—	2	2 परित्यक्त
5.	कपालचारण	15	1	—	2 परित्यक्त
6.	घाटा	5	2	3	2 परित्यक्त
7.	हरसौर	10	11	7	3 परित्यक्त
8.	मुण्डेलपुरा	2	1	1	1 परित्यक्त
9.	बोफली	4	3	1	एक परित्यक्त
10.	मोडी कला	7	5	2	—
11.	मोरियाना	4	2	2	एक परित्यक्त एक बोरिंग फसी
12.	राकीयासनी	2	2	—	
13.	सनेडिया	2	1	1	एक परित्यक्त
14.	राताटुण्डा	6	5	1	—
15.	ढाणीपुरा	7	4	3	एक परित्यक्तसुखा
16.	थावला	12	8	4	दो परित्यक्त
17.	किला	3	2	1	—
18.	वाडी घटी	1	—	1	—
19.	देवगढ	2	1	1	—

1	2	3	4	5	6
20.	टेहला	1	1	—	—
21.	जसवतपुरा	3	1	2	एक परित्यक्त
22.	सुदवाड़	3	1	2	दो पकरम्यैम
23.	वनवाड़ा	3	1	2	दो परित्यक्त
24.	कल्याणपुरा	2	2	—	—
25.	गुलाबपुरा	6	4	2	एक नगलोरिंग फंसी हुई
26.	इटावडा सुरपुरा	1	1	—	—
27.	इटावडा लाडखानी	1	—	1	एक परित्यक्त
28.	डोडीयाना	13	10	3	एक परित्यक्त
29.	रोहिसा	4	2	2	एक परित्यक्त
30.	कोड	4	4	—	—
31.	कोडियां	3	3	—	—
32.	आलनिया वास	23	17	6	दो परित्यक्त
33.	सूरजगढ़	3	1	2	दो परित्यक्त
34.	कीलनी	5	4	1	एक परित्यक्त
35.	लाडपुरा	9	8	1	एक परित्यक्त
36.	रावतखेड़ा	3	3	—	—
37.	पीपलियां	5	4	1	1 परित्यक्त लोरिंग
38.	दौलतपुरा	2	1	1	1 परित्यक्त (कोलेफ्स)
39.	चम्पाखेड़ी	3	—	3	3 परित्यक्त
	योग	**198**	**131**	**67**	**38**

परिशिष्ट-'ख'

विधान सभा क्षेत्र डेगाना में वर्ष 1999–2000 के दौरान खोदे गये हैण्ड पम्पों की सूची

क्र.सं.	गांव का नाम	खोदे गये हैण्ड पम्प की संख्या	मद
1	2	3	4
1.	कुडियों की ढाणी कालनी	एक नग	एम.एन.पी.1999–2000
2.	राईकों की ढाणी (आलनियावास)	एक नग	" "
3.	शमसान घाट (आलनियावास)	" "	" "
4.	आसन (रातादुण्डा)	" "	" "
5.	डेरी बेरा की ढाणी (ढाणीपुरा)	" "	" "
6.	रावतों की ढाणी (देवगढ़)	" "	" "
7.	चोयलों की ढाणी (भैरूंदा)	" "	" "
8.	राईकों की ढाणी	" "	" "
9.	सीपाहियों का वास (हरसौर)	" "	" "
10.	जगजी की ढाणी (हरसौर)	" "	" "
11.	राईकों की ढाणी (डेडीयाना)	" "	" "
12.	खातियों की वास (पीपलियां)	" "	" "
13.	जाटों का वास (थाटा)	" "	" "
14.	राजीव गांधी स्कूल (थावला)	" "	दसवां वित्त आयोग
15.	आयु. औषधालय (थावला)	" "	" "
16.	राजीव स्कूल (डोडीयाना)	" "	" "
17.	प्रा. स्कूल कल्याणपुरा	" "	" "
18.	प्रा. स्कूल सुदवाड़	" "	" "
19.	मिडिल स्कूल (भैरूंदा)	" "	" "

1	2	3	4
20.	प्रा. स्कूल रावत खेड़ा	एक नग	दसवां वित्त आयोग
21.	राजीव गांधी स्कूल (लाडपुरा)	" "	" "
22.	राजीव गांधी (कोड)	" "	" "
23.	राजीव गांधी (आलनियावास)	" "	" "
24.	प्रा. स्कूल सूरजगढ़	" "	" "
25.	प्राथमिक स्कूल बासनी नाथू	" "	" "
26.	प्राथमिक स्कूल किला	" "	" "
27.	प्राथमिक स्कूल किला	" "	" "
28.	प्राथमिक स्कूल गुड़ा जगमलोता	" "	" "
29.	प्राथमिक स्कूल टेहला	" "	" "
30.	मेघवाल बस्ती (डोडीयाना)	" "	एस.सी./एस.टी.
31.	मेघवाल बस्ती (कल्याणपुरा)	" "	" "
32.	रेगर बस्ती (ढाणीपुरा)	" "	" "
33.	बावरियों की ढाणी (भैरूंदा)	" "	" "
34.	अनुसूचित मोहल्ला (दासास)	एक नग	

परिशिष्ट-'ग'

वर्ष 2000-2001 के दौरान खोदे जाने वाले प्रस्तावित हैण्ड पम्पों की सूची

क्र.सं.	गांव का नाम	खोदे जाने वाले हैण्ड पम्प की संख्या
1.	गूजरों की ढाणी (किला)	एक नग
2.	कारवालों की ढाणी (थावला)	एक नग
3.	मुण्डेला की ढाणी (थावला)	एक नग
4.	लॉछ व माण्ड की ढाणी (थावला)	एक नग
5.	अनुसूचित मोहल्ला, सतीमाता के पास (थावला)	एक नग

परिशिष्ट-2 परिशिष्ट-'क'

(अतारांकित प्रश्न संख्या-540 की प्रति)

राजस्थान लोक सेवा आयोग

अजमेर--305 001

क्रमांक : एफ 12(3)नियम/98-99/423 दिनांक 16.9.99

उप शासन सचिव,
कार्मिक (क-2) विभाग,
राजस्थान सरकार,
जयपुर ।

विषय :-- राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक सेवा नियम, 1999 में संशोधन बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके पत्र क्रमांक प.3(5)कार्मिक/क-2/97/पार्ट दिनांक 14.7.99 जिसके साथ अध्यक्ष, राजस्थान सचिवालय निजी सचिव/निजी सहायक संघ, जयपुर से प्राप्त पत्र की फोटो प्रति संलग्न कर भिजवाई गयी है के संबंध में निर्देशानुसार लेख है कि राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक सेवा नियम, 1999 के संबंध में कथित संघ द्वारा प्रस्तुत समस्याओं पर आयोग द्वारा विचार किया गया है।

कथित संघ द्वारा शीघ्रलिपिक पद की परीक्षा की योजना में भाषा (सामान्य हिन्दी और अंग्रेजी) का जो अनिवार्य प्रश्न-पत्र रखा गया है के संबंध में जो ऐतराज प्रस्तुत किया गया है के संबंध में लेख है कि भाषा (सामान्य हिन्दी और अंग्रेजी) का जो अनिवार्य प्रश्न-पत्र रखा गया है उसका स्तर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सैकण्डरी परीक्षा का रखा गया है। एक शीघ्रलिपिक को भाषा का ज्ञान होना अनिवार्य है। हिन्दी व अंग्रेजी सैकेण्डरी स्तर पर अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाती है। भाषा के इस अनिवार्य प्रश्न-पत्र को देने में किसी अभ्यर्थी को कोई कठिनाई नहीं आनी चाहिये। इस संबंध में कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित शीघ्रलिपिक लिपिक परीक्षा योजना से तुलना करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। आयोग का यह मानना है कि शीघ्रलिपिक को भाषा ज्ञान में दक्ष तो होना चाहिये। इसके अतिरिक्त यदि कोई अभ्यर्थी ऐच्छिक विषय हिन्दी शीघ्रलिपि या अंग्रेजी शीघ्रलिपि में से कोई एक ऐच्छिक विषय लेता है तो वह बाद में अग्रिम वेतन वृद्धि प्राप्त करने हेतु उसे दूसरे विषय में शीघ्रलिपि की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती है तभी उसे

नियमानुसार अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान की जा सकती है। अतः एक अभ्यर्थी को दोनों भाषाओं का ज्ञान होता है तो वह आसानी से दूसरी भाषा की शीघ्रलिपि की परीक्षा सीख कर दे सकता है। यह एक प्रतियोगी परीक्षा है जिसमें अभ्यर्थियों के चाहे अनुसार कोई विषय नहीं रखा जा सकता है बल्कि परीक्षा की जो योजना रखी गयी है उसके पीछे उद्देश्य यह है कि उक्त परीक्षा में योग्यतम व्यक्ति ही चयनित हो अतः भाषा के अनिवार्य प्रश्न-पत्र के संबंध में कथित संघ द्वारा उठायी गयी समस्या स्वीकार योग्य नहीं है।

जहां तक शीघ्रलिपिक के ऐच्छिक विषय के प्रश्न-पत्र का प्रश्न है, इस संबंध में आयोग का सुझाव है कि कथित परीक्षा के ऐच्छिक विषय के प्रश्न-पत्र को निम्नानुसार परिवर्तित कर दिया जावे :–

"Optional - The candidate shall offer anyone of the following papers :-

	Duration	**Marks**
English short-hand Test (The test shall consist of dictation of 100 words per minute) Or Hindi short-hand Test (The test shall consist of dictation of 100 words per minute)	10 Minutes	
Transcription and typing of dictated passage in :-		
Hindi	70 Minutes	
English	60 Minutes	100

इसके अतिरिक्त आयोग का यह मानना है कि कथित परीक्षा में प्रथम अनिवार्य प्रश्न-पत्र अर्थात "सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और गणित" के प्रश्न-पत्र में वर्णित गणित का कोई अर्थ इस परीक्षा हेतु नहीं है। अतः आयोग ने सुझाव दिया है कि उक्त प्रश्न-पत्र का नाम अब "सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और राजस्थान का सामान्य ज्ञान" रख दिया जावे।

भवदीय

ह०

(अशोक कुमार भार्गव)

उप सचिव

परिशिष्ट-'अ'

परिशिष्ट-3

(अतारांकित प्रश्न संख्या-541 की सूची)

विधान सभा क्षेत्र खारची के निम्न 8 गांवों में विभागीय स्त्रोतों में विभाग के निर्धारित नार्म्स से अधिक फ्लोराइड पाये गये की सूची

क्र.सं.	गांव का नाम	कोड नं.	स्रोत का प्रकार	केमिकल परिमाप				विशेष विवरण
				टीडीएस	फ्लो.	फ्लो.	नाई.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	मारवाड़ जक्शंन	—	नलकूप खारची	1120	280	3.4	9	845 / 26.3.99
			नलकूप सूर्यनगर	3960	1990	3.3	13	733 / 18.8.98
2.	भगवानपुरा		नलकूप	1780	400	3.4	4	845 / 26.7.99
3.	हिन्दुंडा कलां		नलकूप	1680	360	3.6	13	845 / 26.7.99
4.	निम्बली (माण्डा)		नलकूप	810	150	3.9	9	590 / 19.6.99
5.	आसन जोधवन		हैण्ड पम्प	2180	420	3.3	88	981 / 6.8.99
			हैण्ड़ पम्प	2240	540	3.3	88	981 / 6.8.99
6.	सूर्य नगर		नलकूप	3960	1950	3.9	13	733 / 18.8.98
7.	भिमालिया		नलकूप	1780	500	4.6	4	—
8.	हमीरवास		नलकूप	892	100	3.9	22	1241 / 19.11.98
9.	नया गांव		हैंड पम्प	1810	930	4.6	9	
			हैण्ड पम्प	2020	650	6.5	13	

परिशिष्ट-4

प्रपत्र-'क'

(अतारांकित प्रश्न संख्या-543 की सूची)

विधान सभा क्षेत्र बामनवास के अंतर्गत 26वां हैण्ड पम्प मरम्मत अभियान में कार्यरत हैण्ड पम्प मिस्त्रियों की सूची

पंचायत समिति बामनवास		पंचायत समिति बौंली	
1.	श्री प्रेमराज मीणा	1.	श्री पृथ्वी राज मीणा
2.	" केदार मीणा	2.	" रतन लाल मीणा
3.	" ओमप्रकाश नापित	3.	" साबूदीन खां
4.	" शिव कुमार शर्मा	4.	" रामेश्वर मीणा
5.	" मोहन लाल वैष्णव	5.	" बाबूलाल शर्मा
6.	" मुन्ना लाल शर्मा	6.	" अंसार खान
7.	" शम्भू दयाल जागा	7.	" शम्भू दयाल जागिड़
8.	" महेश चन्द गौतम	8.	" रामजी लाल शर्मा

प्रपत्र-'अ'

परिशिष्ट-5

(अतारांकित प्रश्न संख्या-550 का विवरण)

वर्ष	करवाया गया कार्य	कार्य स्थल	कार्य पूरा होने के बाद स्थिति	पाइप लाइन की लम्बाई जो डाली गई	इनकी वर्तमान स्थिति	समय जब तक स्रोत प्रयोग में लाया गया	व्यय (लाखों में)
1990-91	नलकूप-1	चावण्डमाता	सफल	—	चालू	चालू	1.03
1991-92	नलकूप-1	शमशानघाट	सफल	500 मी.	कोलेप्स	1 वर्ष	0.27
1992-93	नलकूप-1	वुरजरोड़	असफल	—	—	—	1.54
1993-94	नलकूप-3	शमशान घाट	सफल	—	सूखा	3 वर्ष	
		रावणमगरी	सफल	200 मी.	सूखा	3 वर्ष	
		मोरा	असफल	—	सूखा	—	2.74
1994-95	नलकूप-3	भराई–2	सफल	5500 मी.	सूखा–1,	6 माह	
		चावण्डमाता	असफल	—	कोलेप्स–1	—	4.21
1995-96	—	—	—	1000 मी.	—	—	0.65

वर्ष	करवाया गया कार्य	कार्य स्थल	कार्य पूरा होने के बाद स्थिति	पाइप लाइन की लम्बाई जो डाली गई	इनकी वर्तमान स्थिति	समय जब तक स्रोत प्रयोग में लाया गया	व्यय (लाखों में)
जी.डब्ल्यू.डी.	नलकूप-2	फतेहनगर रोड	सफल	–	कोलेप्स	1.50 वर्ष	–
		नली	सफल	–	चालू	चालू	–
1996-97	नलकूप-2	फतेहनगर रोडनली	सफल	5500 मी. मोरा है.पं.	सूखा	3 माह	
		गिलूण्ड रोड	असफल	वोर एवं सिंदेसर	सूखा	–	2.21
				पाइप लाइन हेतु			
1997-98	खुला कुआं-1 का जीर्णोद्धार	मदारा रोड	सफल	1400 मी.	चालू	चालू	2.87
1998-99	नलकूप-2	मोरा	असफल	–	–	–	
		सादडी रोड	असफल	–	–	–	9.98
1999-2000	खुले कुएं-2	माली खेड़ा	सफल	10,000 मी.	चालू	चालू	
		बनास किनारे	सफल		चालू	चालू	45.47
						योग	70.97 लाख

परिशिष्ट-6

(अतारांकित प्रश्न संख्या-551 की सूची)

परिशिष्ट-'अ'

डूंगरगढ़ तहसील के कुल 24 गांवों की सूची जहां सर्विस लेवल 50% से कम है

क्र.सं.	गांव का नाम	क्र.सं.	गांव का नाम
1.	लादडिया	13.	सालासर
2.	ठुकरियार	14.	पुन्दलसर
3.	जोधासर	15.	कल्याणसर नया
4.	सेरूणा	16.	उपनी
5.	नारसीसर	17.	इन्दपालसर रायकान
6.	देराजसर	18.	इन्दपालसर सांखलान
7.	सूडसर	19.	राणासर नरूकान
8.	टेऊ	20.	राणासर हंसवतान
9.	दुलाचसर	21.	सोनियासर गोदारान
10.	गोपालसर	22.	सोनियासर शिवदान सिंह
11.	गजपुरा	23.	सोनियासर गोगलियान
12.	लक्खासर	24.	बजरांगसर

वि.स. क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ में 50% से कम जल वितरण स्तर गांवों की सूची

प्रपत्र-"क"

क्र.सं	गांव का नाम	वितरण स्तर लीटर प्रति व्यक्ति
1.	लादडिया	0
2.	ठुकरियासर	0-10
3.	जोधासर	11-35
4.	सेरूणा	11-35
5.	नारसीसर	11-35
6.	देराजसर	11-35
7.	सूण्डसर	11-35
8.	टेऊ	11-35
9.	दुलचासर	11-35
10.	गोपालसर	11-35
11.	गजपुरा	11-35
12.	लखासर	11-35
13.	सालासर	0
14.	कुन्दलसर	11-35
15.	कल्याणसर नया	0-10
16.	उपनी	11-35
17.	इन्दपालसर रायकान	11-35
18.	इन्दपालसर सांखलान	11-35

क्र.सं	गांव का नाम	वितरण स्तर लीटर प्रति व्यक्ति
19.	राणासर नरूकान	11-35
20.	राणासर हंसवतान	11-35
21.	सोनियासर गोदारन	11-35
22.	सोनियासर शिवदान सिंह	11-35
23.	सोनियासर गोगलियान	11-35
24.	बजरांगसर	11-35
25.	सड़ू बडी	11-35
26.	बेरासर	11-35
27.	धटियाल छोटी	11-35
28.	अमरसर	11-35
29.	कालेरान	11-35
30.	नोडिया	11-35
31.	आसरासर	11-35

परिशिष्ट-7

(अतारांकित प्रश्न संख्या-559 की प्रति)

अति आवश्यक
तुरन्त कार्यवाही जन अभियोग

कार्यालय जिला कलक्टर, पाली (राज.)

क्रमांक :–एफ 12(12)राजस्व/99/3470 — दिनांक 18 दिसम्बर, 99

तहसीलदार,
देसूरी।

विषय :– श्री किस्तूर चंद पुत्र मगनाजी जाति लुहार नि. आना द्वारा गोचर भूमि में अतिक्रमण कर फैक्टरी लगाने।

श्री मगनाराम पुत्र श्री......................,सरपंच, ग्राम पंचायत आना, निवासी आना, तहसील/पं. सं. मुझसे आज दिनांक 17.12.99 को मुझ से मिले और उन्होंने संलग्न प्रार्थना-पत्र/शिकायत पत्र प्रस्तुत किया। विषय के अवलोकन से आभास होता है कि इनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र/शिकायत पत्र में अंकित तथ्यों पर तुरन्त कार्यवाही अपेक्षित है।

अतएव आप इस प्रकरण पर तुरन्त कार्यवाही-करा कर प्रार्थी की समस्या/शिकायत का समाधान करायें एवं प्रार्थी को सूचित करायें। साथ ही निम्न हस्ताक्षरकर्ता को अवश्य सूचित करें ताकि इस प्रार्थना-पत्र के निस्तारण का इन्द्राज इस कार्यालय में हो जावे।

संलग्न :– प्रार्थना पत्र/शिकायत पत्र की छाया प्रति।

ह०
जिला कलक्टर
पाली

परिशिष्ट-8

(अतारांकित प्रश्न संख्या-563 की प्रति)

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या-4876/93

श्रीमती विजय लक्ष्मी अग्निहोत्री बनाम राजस्थान राज्य व अन्य

माननीय न्यायाधिपति श्री जी.एस. सिंघवी

श्री सुधीर गुप्ता, अधिवक्ता, प्रार्थिया की ओर से

श्री बी.एल. अवस्थी उप अधिवक्ता, अप्रार्थी की ओर से

मिस सुमित्रा गोयल, उप राज. अधिवक्ता, अप्रार्थी की ओर से

पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना गया। श्री काशीनाथ शर्मा, अधिवक्ता ने बहस समाप्त होने के पश्चात् निवेदन किया कि उन्होंने भी प्रार्थीगण की पदोन्नति के संदर्भ में अन्य व्यक्तियों की ओर से याचिकाएं प्रस्तुत की हैं और उन्हें सुनवाई का अवसर दिया जाए। श्री शर्मा को याचिका में इन्टरवीनर के बतौर सुना गया।

पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के निवेदन किये जाने के पश्चात् इस याचिका के गुणावगुण पर सुनवाई की गयी।

याचिका स्वीकार की जाती है। राज्य सरकार द्वारा सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग के पदों पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को नियुक्त किये जाने की कार्यवाही को अवैधानिक घोषित किया जाता है। और राज्य सरकार को प्रतिबन्धित किया जाता है कि सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग के पदों पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा के किसी अधिकारी को नियुक्ति न दिये जाने का निर्देश दिया जाए। प्रार्थीगण को सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग के पद पर आदेश प्रदर्श-6 के अनुसरण में दी गयी पदोन्नति के आधार पर विभागीय पदोन्नति समिति की अनुसंशा पर नियमित रूप से चयनित व्यक्ति उपलब्ध होने तक बने रहने का अधिकार होगा। यदि इस अवधि में सहायक आयुक्त के एक अथवा एक से अधिक पद समाप्त कर दिया जाए तो कनिष्ठतम व्यक्ति को निम्न पद पर पदावन्नत करने का अधिकार राज्य सरकार को रहेगा। इस प्रकार यदि प्रार्थीगण अथवा सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग के पद पर कार्यरत किसी व्यक्ति की तदर्थ/अस्थाई कर्मचारी के रूप में सेवा संतोषजनक नहीं पायी जाती है तो उस स्थिति में भी राज्य सरकार उसे निम्न पद पर पदावन्नत करने के लिए स्वतंत्र रहेगी। यदि प्रार्थीगण की पदोन्नति को चुनौती देने के लिए अन्य कोई याचिका न्यायालय में लंबित है तो उसके पदोन्नति पर इस निर्णय से कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। विस्तृत निर्णय एकलपीठ रिट याचिका संख्या 4655/93 में देखें।

ह०

जी. एस. सिंघवी

परिशिष्ट-9

(अतारांकित प्रश्न संख्या-567 का विवरण)

परिशिष्ट-'अ'

वित्तीय वर्ष 1993 से 1998 तक विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ में विभिन्न कार्यों पर स्वीकृत एवं व्यय की गई राशि का विवरण

क्र.सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि (लाख रु.)	व्यय राशि (लाख रु.)
1.	अतरिया	97.95	34.61
2.	करोली की बटाई	26.75	7.17
3.	कंचखाल	20.00	—
4.	करोली जागीर	12.12	2.12
5.	दोहली	14.14	4.53
6.	चैक डेम अलालपुर चैनल	27.20	21.06
7.	अलालपुर कैनाल	6.00	—
8.	पिपिरोली	4.65	3.61
9.	मेवखेडा	4.28	2.48
10.	नंगला बंजीरका	7.93	3.37
11.	हंस-सरोवर	15.67	7.55
12.	अलावडा चैनल	27.21	2.10
13.	नोगांवा ठेक डाइवरशन	3.94	2.19
14.	बीजवा की पुलिया	10.00	1.49
	योग	**277.84**	**92.28**

परिशिष्ट-10

(अतारांकित प्रश्न संख्या-570 का विवरण)

परिशिष्ट-'अ'

सावन भादो सिंचाई परियोजना के उपखण्ड-तृतीय, कनवास में कार्यरत कर्मचारी/अधिकारियों का विवरण

क्रम संख्या	पद का नाम	पदों की संख्या
1.	सहायक अभियंता	1
2.	कनिष्ठ अभियंता (डिग्री)	1
3.	कनिष्ठ अभियंता (डिप्लोमा)	3
4.	वरिष्ठ लिपिक	1
5.	कनिष्ठ लिपिक	1
6.	च.श्रे.कर्मचारी	2
7.	कार्य प्रभारी कर्मचारी	23

परिशिष्ट-11

परिशिष्ट-'अ'

(अतारांकित प्रश्न संख्या-572 का विवरण)

क्र.सं	योजना का नाम	अनुमानित लागत (लाख रु.)	व्यय (लाख रु.)	प्रस्तावित सिंचाई क्षेत्र (हैक्टेयर)	वर्तमान स्थिति
1.	नवेली लघु सिंचाई योजना	180.00	18.05	600	(1) योजना के डूब क्षेत्र में आने वाली शेष वन भूमि लगभग 120 बीघा के बदले राजस्व भूमि वन विभाग को आवंटित करने हेतु प्रकरण राजस्व विभाग के पास लंबित है।
2.	अहमदी लघु सिंचाई योजना	272.00	29.57	642	(2) प्रकरण पर भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा 31,622 पेड़ डूब क्षेत्र में होने के कारण वन भूमि के अनारक्षण हेतु अपनी असहमति व्यक्त की है जबकि डूब क्षेत्र में इससे काफी कम पेड़ हैं। अतः पेड़ों की गिनती पुनः करवाई जा रही है ताकि पुनर्विचार हेतु प्रकरण वापस भेजा जा सके।
3.	बेदरा लघु सिंचाई योजना	100.00	–	107	(3) इसके डूब क्षेत्र में आने वाले वन क्षेत्र का सीमांकन किया जा रहा है ताकि डूब में आई वन भूमि हेतु प्रकरण स्वीकृति बाबत् भेजा जा सके।

परिशिष्ट-'अ'

परिशिष्ट-12

(अतारांकित प्रश्न संख्या-573 की सूची)

वर्ष 1994 से 1998 तक विधान सभा क्षेत्र बागीदौरा में विभिन्न मदों में एनिकट निर्माण कार्य संबंधी स्वीकृति एवं व्यय का विवरण

क्र.सं.	एनिकट का नाम	वर्ष 1994-95, सुनिश्चित रोजगार योजना मद (राशि लाख रु.)		वर्ष 1995-96, सुनिश्चित रोजगार योजना मद (राशि लाख रु.)		वर्ष 1995-96, अकाल राहत मद (संवत 2052) (राशि लाख रु.)		वर्ष 1996-97, सुनिश्चित रोजगार योजना मद (राशि लाख रुपये)				
									व्यय			
		स्वीकृत	व्यय	स्वीकृत	व्यय	स्वीकृत	व्यय	स्वीकृत	96-97	97-98	98-99	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	पोलापान एनिकट	5.00	5.00	0.57	0.57	4.43	3.41	—	—	—	—	—
2.	खरोडी चैक डेम	5.00	5.00	0.66	0.66	4.34	3.10	—	—	—	—	—
3.	बोरवानीया	—	—	—	—	5.00	1.72	5.00	0.20	1.80	2.98	4.98
4.	बोरडाबरा	—	—	—	—	5.00	2.15	5.00	0.26	4.09	0.65	5.00
5.	मोटी टिम्बी	—	—	—	—	5.00	2.13	5.00	1.35	3.65	—	5.00
6.	मढकोला मोगजी	—	—	—	—	5.00	0.53	5.00	0.14	3.84	1.02	5.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.	खूटी जालमिया	—	—	—	—	5.00	2.84	5.00	2.46	2.54	—	5.00
8.	वरेठ एनिकट	—	—	—	—	5.00	2.31	5.00	1.26	2.23	—	3.49
9.	ढाडीज्ञानी एनिकट	—	—	—	—	5.00	2.00	5.00	1.27	3.27	0.46	5.00
10.	जगपुरा एनिकट	—	—	—	—	5.00	1.97	5.00	2.13	2.87	—	5.00
11.	खूंटानगारात एनिकट	—	—	—	—	5.00	0.57	5.00	0.25	4.75	—	5.00
12.	रोहाल एनिकट	—	—	—	—	5.00	1.89	5.00	0.55	4.05	0.40	5.00
13.	पिथापुरा एनिकट	—	—	—	—	—	—	5.00	—	3.48	1.52	5.00
14.	रतनपुरा एन्रिकट	—	—	—	—	—	—	5.00	0.80	4.20	—	5.00
15.	पनासी एनिकट	—	—	—	—	—	—	5.00	0.76	4.24	—	5.00
16.	दुपाहिया एनिकट	—	—	—	—	—	—	5.00	0.75	0.54	3.71	5.00
17.	खाखरापाडा एनिकट	—	—	—	—	—	—	5.00	—	5.00	—	5.00

परिशिष्ट-13

(अतारांकित प्रश्न संख्या-576 की सूची)

परिशिष्ट-"क"

जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. के टैंकर्स की सूची

क्रम संख्या	टैंकर नम्बर	मॉडल
1.	आर.आर.एम.-9632	1975
2.	आर.एस.वी.-2781	1978
3.	आर.एस.वी.-136	1978
4.	आरजे-14-जी-9335	1980
5.	आरजे-14-1जी-0002	1980

उपरोक्त सभी टैंकर्स कार्यशील हैं एवं पूर्णरूपेण उपयोग में लाये जा रहे हैं।

परिशिष्ट-'ख'

जयपुर दुग्ध संघ द्वारा अनुबंधित टैंकर्स का विवरण

क्र.सं.	वाहन संख्या	पार्टी का नाम	आदेश जारी करने वाले अधिकारी का नाम	टैंकर लगाने का दिनांक	वर्तमान दर रुपये* प्रति किलोमीटर एनएमजी	आरएमजी	दुग्ध मात्रा किलो
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आर.एन.जी.-498	बाबूलाल	प्रबन्ध संचालक/प्रबन्धक, संयंत्र, जयपुर दुग्ध संघ	नवम्बर, 1999	8.27	8.57	10,000
2.	आर.एन.ई.-2883	बाबूलाल	" "	"	"	"	"
3.	यू.एच.एन. 2289	इन्द्रा ट्रेडर्स	प्रबन्धक (क्रय), डेयरी फैडरेशन	अप्रैल, 1998	8.27	8.57	"
4.	एच.आर.-29 बी.-3962	"	" "	"	"	"	"
5.	यू.पी. 15 सीएच 9081	"	" "	"	"	"	"
6.	यू.पी. 15 सी 3272	"	" "	"	"	"	"
7.	यू.पी. 15 जे-4126	प्रमोद कुमार	" "	अप्रैल, 1999	"	"	"
8.	यू.पी. 15 जे-4181	"	" "	"	"	"	"

*दर प्रोरेटा बेसिस पर है।

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	यू.पी. 15 जे-4185	प्रमोद कुमार	प्रबन्धक (क्रय), डेयरी फैडरेशन	अप्रैल, 1999	8.27	8.57	10,000
10.	एच.आर. 047-8589	"	" "	"	"	"	"
11.	यू.पी. 15 जे-5861	"	" "	"	"	"	"
12.	एच.आर. 29 सी-5917	"	" "	"	"	"	"
13.	यू.पी. .13 बी-4185	"	" "	"	"	"	"
14.	एन.एल. 5ए-8886	"	" "	"	"	"	"
15.	यू.पी. 15 जे-4124	"	" "	"	"	"	"
16.	यू.पी. 15 सी-2236	"	" "	"	"	"	"
17.	यू.पी. 15 के-1307	रामनाथ	" "	अप्रैल, 1998	8.27	8.57	10,000
18.	यू.पी. 15ए-3255	"	" "	"	"	"	"
19.	यू. पी. 15-4143	"	" "	"	"	"	"
20.	आर.जे. 2 जी-1351	बीकानेर डेयरी द्वारा अनुबन्धित	प्रबन्धक, संयंत्र उरमूल बीकानेर	नवम्बर, 1999 से जनवरी, 2000	8.27	8.57	"

1	2	3	4	5	6	7	8
21.	आर.जे. 2 जी-2682	बीकानेर डेयरी द्वारा अनुबन्धित	प्रबन्धक, संयंत्र उरमूल बीकानेर	नवम्बर, 1999 से जनवरी, 2000	8.27	8.57	10,000
22.	आर.जे. 2 जी-2677	"	" "	"	"	"	"
23.	आर.जे. 2 जी-2482	"	" "	"	"	"	"
24.	आर.एन.जी.-314	जयपुर मिल्क ट्रांसपोर्ट	प्रबन्धक (क्रय)	नवम्बर, 1999	"	"	"
25.	आर.एन.ई. 4278	मोहनसिंह	डेयरी फैडरेशन	"	"	"	"
26.	आर.जे. 1 जी.-3957	सांवरमल	प्रबन्ध संचालक/प्रबन्धक,	सितम्बर, 1998	8.07	8.37	9,000
27.	आर.जे.आई. 5182	हीना एन्टरप्राईजेज	संयंत्र, दुग्ध संघ, जयपुर	मई, 1999	8.07	8.37	9,000

परिशिष्ट-14

(अतारांकित प्रश्न संख्या-144 की सूची)

जोधपुर हाउस एवं राजस्थान हाउस, नई दिल्ली की बकाया सूची

नाम मय पद	अवधि	राशि
श्री जगन्नाथ पहाड़िया, पूर्व मुख्य मंत्री, राजस्थान	80 से 81	3564.00
	81 से 88	12868.00
कैप्टन आर.सी. शरद, पूर्व ए.डी.सी., महा. राज्यपाल, राज.	80 से 83	487.00
श्री दिनेश स्वामी, पूर्व सांसद	81	133.00
श्री भैरोंसिंह शेखावत, पूर्व मुख्य मंत्री, राजस्थान	98	19489.00
श्री चन्द्रशेखर शर्मा, पूर्व राज्य मंत्री, राजस्थान	88 से 90	29242.00
श्री नवनीत पालीवाल, पूर्व मुख्य सचेतक	96	1204.00
श्री जयनारायण रोट, पूर्व एम. पी. सैलूम्बर	80 से 86	15140.00
श्री भीखा भाई, पूर्व एम.पी., श्रम नियोजन मंत्री, राजस्थान	86	2256.00
श्री गंगाराम कोली, पूर्व एम. पी. बयाना	92	15600.00
श्री भैंरूलाल मीणा, एम. पी.	91	4800.00
श्री रामनिवास मिर्धा, पूर्व एम. पी.	91	2022.00
श्री निर्भयलाल, एम.एल.ए.	91 से 92	572.00
श्री जी. एन. हल्दिया, आई. ए. एस.	94	13459.00
श्रीमती रूकमणी हल्दिया, आई. ए. एस.	94	9208.00
श्री नरेन्द्र बुढ़ानिया, पूर्व एम. पी., चूरू	96 से 97	6762.00
श्री गिरीश वर्मा, आई. पी. एस.	96	1688.00
श्रीमती शान्ति वर्मा, सरपंच, अचरोल, जयपुर	96	616.00
श्रीमती कमला चौधरी, सरपंच, कुंवरपुरा, अजमेर	96	616.00

नाम मय पद	अवधि	राशि
श्रीमती उमा चौधरी, सरपंच, रायपुर देवली कलां, पाली	96	616.00
श्रीमती हरदेवी / गीता खेरा, सदस्य जिला परिषद्, सीकर.	96	616.00
श्रीमती अरुणा गौर, सरपंच, नालिया, जयपुर	96	616.00
श्रीमती मधु भारद्वाज, सरपंच, बस्सी, जयपुर	96	974.00
स्व. श्री घासीराम यादव, पूर्व एम.पी., अलवर, राज.	98	31453.00
श्री नरेन्द्रसिंह भाटी, एम. एल. ए.	98	121539.00
श्री औंकारसिंह लेखावत, पूर्व एम. पी.	97	583.00
श्री महेशचन्द शर्मा, सांसद, राज्यसभा	96	6600.00
श्री रामरघुनाथ चौधरी, सांसद, लोकसभा	98	693.00
श्री मीठालाल जैन, पूर्व एम. पी., लोकसभा	98	693.00
श्री द्वारका प्रसाद बैरवा, पूर्व सांसद, टोंक	98	1617.00
श्री श्रीनिवास राय जुनेजा, आई. पी. एस.	99	4811.00
श्री बी. एस. शेखावत, विधायक	2000	588.00
श्री विश्वेन्द्र सिंह, सांसद, लोकसभा	99 से 2000	8428.00
श्री वी. पी. सिंह, सांसद, लोकसभा	99 से 2000	3287.00
श्री जसवंतसिंह विश्नोई, एम. पी., लोकसभा	99 से 2000	8850.00
श्री रघुवीरसिंह कौशल, सांसद, लोकसभा	99 से 2000	842.00
श्री रासासिंह रावत, सांसद, लोकसभा	99 से 2000	5022.00
श्री बहादुरसिंह कोली, सांसद, लोकसभा	99 से 2000	1855.00
श्री भानु प्रकाश मिर्धा, पूर्व सांसद, लोकसभा	99 से 2000	2680.00

परिशिष्ट-15

(अतारांकित प्रश्न संख्या-578 की सूची)

परिशिष्ट-"क"

राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 के तहत अधिघोषित भूमि (एकड़ में)

क्र.सं.	नाम जिला	रकबा (एकड़ में)
1.	अजमेर	4015.03
2.	अलवर	1488.00
3.	बारां	5946.05
4.	बांसवाड़ा	9.66
5.	बाड़मेर	16573.76
6.	भरतपुर	529.51
7.	भीलवाड़ा	4657.00
8.	बीकानेर	39258.00
9.	बून्दी	2965.00
10.	चित्तौड़गढ़	3419.00
11.	चूरू	571.00
12.	दौसा	2337.31
13.	डूंगरपुर	618.00
14.	धौलपुर	1139.00
15.	हनुमानगढ़	6272.00
16.	श्रीगंगानगर	7903.00
17.	जयपुर	10197.00
18.	जैसलमेर	38553.36
19.	जालौर	3941.00
20.	झालावाड़	805.10

क्र.सं.	नाम जिला	रकबा (एकड़ में)
21.	झुन्झुनूं	930.00
22.	जोधपुर	18101.00
23.	कोटा	14137.00
24.	करौली	632.50
25.	नागौर	1868.53
26.	पाली	21748.00
27.	राजसमन्द	2163.90
28.	सवाईमाधोपुर	3411.00
29.	सीकर	894.00
30.	सिरोही	6845.00
31.	टोंक	14442.00
32.	उदयपुर	6504.00
	योग	**242874.71**

परिशिष्ट-"ख"

क्र.सं.	नाम जिला	रकबा (एकड़ में)
1.	टोंक	1464
2.	पीपलू	144
3.	निवाई	764
4.	उनियारा	4837
5.	देवली	5407
6.	मालपुरा	1481
7.	टोडारायसिंह	345
	योग	**14442 एकड़**

42.	श्रीमती करमाति बेवा कल्याणसिंह राजपूत नि. मेहरू	2640/–
43.	श्री जगन्नाथ पुत्र रोडू खारोल नि. हमीरपुर	846/–
44.	श्री जगराजसिंह पुत्र सलेहसिंह राजपूत नि. भांसू	6240/–
45.	श्री शिवराजसिंह पुत्र सलेहसिंह राजपूत नि. भांसू	4101/–
46.	श्री गणपतसिंह पुत्र विजयसिंह राजपूत नि. कूकड	8021/–
47.	श्री नाहरसिंह पुत्र किशनसिंह हमीरपुर	999/–
48.	श्री सांवलदास पुत्र चेला रामबिलासदास	4038/–
	योग	**59231/–**

तहसील–पीपलू : निल

तहसील–टोंक :

49.	श्री गुलाम मो. फेज मोहम्मद नि. टोंक	33826/–
50.	श्री जमीलुनिसा, परीदुनिसा, बेगम व जाकिरनिसा नि. टोंक	43004/–
51.	श्री असदअली खां पुत्र अब्दुल शकूर खां नि. टोंक	12331/–
52.	श्री अब्दुल रसीद पुत्र अ. मुजीब खां नि. टोंक	3077/–
53.	श्री शेख मुन्सि मो. पुत्र मो. याकूब नि. टोंक	21117/–
	योग	**113355/–**

तहसील–निवाई :

54. श्री गंगा भारती चेला धन्ना भारती गुसाई नि. नटवाड़ा 8405/–

तहसील–उनियारा :

55. श्री नरेन्द्रकुमार पुत्र भंवरलाल चौधरी नि. उनियारा 6545/–

तहसील–देवली निल

ह०

जिला कलेक्टर, टोंक

परिशिष्ट-"घ"

सूची भूमिधारी जिनको सीलिंग भूमि का मुआवजा नहीं मिला है :–

तहसील--मालपुरा :

1. श्री सारदुलसिंह पुत्र जसवंतसिंह नि. पारली
2. श्री माधोदास पुत्र चेला जगरामदास नि. गुरुदयालपुरा
3. श्री अजीतसिंह पुत्र उदयसिंह राजपूत नि. डूंगरी कलां
4. श्री वंश प्रदीप पुत्र रघुवीरसिंह राजपूत नि. लावा

तहसील–टोडारायसिंह :

5. श्री गोपालसिंह पुत्र भंवरसिंह नि. गणेता

तहसील–टोंक :

6. श्री अब्दुल लतीफ पुत्र अ. रहीम मुसलमान नि. टोंक
7. श्री मुन्शी शहीद, मो. याकूब खां पुत्र शहीद अब्दुल रहमान खां व मो. यूनूस पुत्र मो. याकूब खां, नि. टोंक
8. श्री साहबजादा सरदार मो. खां पुत्र इस्हाक खां पठान टोंक
9. श्री जनाब मलिका जमीलुनिसा बेगम नि. चिरोज
10. श्री मिर्जा मोहम्मद बेग पुत्र काश्म बैग मुस्लमान नि. टोंक

तहसील–पीपलू :

11. श्री लक्ष्मीनारायण पुत्र चन्द्रा धाकड़ नि. बगड़ी
12. श्री कैल्या पुत्र माधो गूजर नि. इब्राहिमाबाद
13. श्री नवाब मो. इस्माईल अली खां नि. टोंक
14. श्री रामदेवा पि. मु. मुन्ना व नारायण पुत्र बख्तावरा जाट नि. रहिमपुरा

तहसील–निवाई :

15. श्री आशचन्द्रमा पाव चेला समुद्री पाव कौम जोगी नि. कब्जा निवाई

16. श्रीमती प्रयाग कंवर बेवा ठाकुर गोपाल करण राजपूत नि. नटवाड़ा

17. श्रीमती सज्जनकंवर बेवा घनश्याम कंवर राजपूत नि. पटवाड़ा

18. श्री कुंवर करणसिंह पुत्र मानसिंह राजपूत नि. सिरस

19. श्री लालसिंह पुत्र रणजीतसिंह राजपूत नि. रतनपुरा

20. श्रीमती ठकुरानी जी हाडा बेवा भवानीसिंह सा. बपुई

21. मु. माजीसाहब राणावतजी बेवा भवानीसिंह राजपूत नि. बपुई

22. श्री मानसिंह पुत्र मेहताबसिंह राजपूत नि. सिरस

23. श्री रामसिंह पुत्र गंगासिंह व भंवरसिंह पुत्र हमीरसिंह राजपूत नि. सीपुरा

24. श्री मूलसिंह पुत्र सैतानसिंह राजपूत नि. सरसडीरामपुरा

तहसील–उनियारा :

25. श्री राजेन्द्रसिंह पुत्र सरदारसिंह नि. उनियारा

26. श्रीमती जयकुमारी पत्नी दिग्विजयसिंह राजपूत, उनियारा

27. श्री दिग्विजयसिंह पुत्र रावराजा सरदारसिंह, उनियारा

28. श्री तेजेन्द्रसिंह पुत्र सरदारसिंह राजपूत, उनियारा

29. श्री रावराजा सरदारसिंह पुत्र गुमानसिंह नि. उनियारा

30. श्रीमती बृजकंवर काई पत्नी रावराजा सरदारसिंह, उनियारा

31. श्रीमती दशरथकुमारी पत्नी रावराजा गुमानसिंह, उनियारा

32. श्री जयन्द्रसिंह पुत्र रावराजा सरदारसिंह, उनियारा

33. श्री घनश्याम पुत्र गणपतदास नि. सुजानगढ़ हाल ककोड

34. श्री अब्दुल मुसवीरखां साहबजादा पाटोली

35. श्री साहबजादा मुसवीरखां पुत्र खान बहादुर, उनियारा

36. श्री रघुवीरसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह राजपूत, नि. सुरेली,

37. श्री लाला पुत्र भूरा जाट सा. खेड़ा

38. श्री जगनेरसिंह पुत्र छाणसिंह सा. बिणजारी

39. श्रीमती नवल बाई पत्नी विष्णुसिंह, उनियारा रघुनाथपुरा

40. श्री शिवराजसिंह पुत्र हमीरसिंह सा. कचरावता

41. श्रीमती शेख कंवर पत्नी शिवराजसिंह राजपूत सा. कचरावता

42. श्री शम्भूसिंह पुत्र हमीरसिंह राजपूत सा. कचरावता

43. श्रीमती शपीउन्नीसा उर्फ मु. बिब्बो पत्नी मो. नईम खां बिलोता

44. श्री फूलनाथ पुत्र औंकारनाथ सा. पाटोली भगवानपुरा

45. श्री इन्द्रसाल पुत्र अडैसालसिंह राजपूत आमली

46. श्री महाराज जय महन्त श्री नारायणदास सीसोला

47. श्रीमती फूलकंवर बेवा गोपालसिंह रामपुरा सा. उनियारा

48. श्रीमती विजयादेवी पत्नी सरदारसिंह, उनियारा

तहसील–देवली :

49. श्री कल्याणसिंह पुत्र मुकुन्दसिंह राजपूत नगर

50. श्री मानसिंह पुत्र कल्याणसिंह राजपूत नगर

51. श्रीमती राणी जोधाणी पत्नी श्री बृजराजसिंह सावर देवली गांव

52. श्री नारायणसिंह पुत्र संग्रामसिंह बीजवाड

53. श्री देवी पुत्र जगन्नाथ, सुवा पुत्र भागूता सा. बोहेड़ा

54. श्री जसवन्तसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह राजपूत, मालेड़ा

55. श्री गोरधनसिंह पुत्र श्योसिंह राजपूत नि. बन्थली

56. श्रीमती भंवर बाई बेवा स्वरूपसिंह राजपूत नि. गुराई

57. श्रीमती बांई बेवा स्वरूपसिंह राजपूत बालागढ़

58. श्री औंकार पुत्र माधो मीणा नि. गेरोटी

59. श्रीमती जलीलुनिसा बेगम, परीदुनिसा बेगम व जलीलुंनिसा बेगम सा. खुदी मामलका जलीलु जमानी बेगम सा. धुवाकलां टोंक

60. श्रीमती फूलकंवर/जयन्द्रसिंह कनवाडा

61. श्रीमती चन्द्रकंवर पत्नी रघुवीरसिंह राजपूत सा. बालुन्दा

62. श्री रघुवीरसिंह पुत्र कल्याणसिंह राजपूत बालुन्दा

63. श्री देवीप्रतापसिंह पुत्र सरदारसिंह, साडला

64. श्रीमती फूलकंवर पत्नी देवीप्रतापसिंह राजपूत नि. साडला

65. श्री नाथू पुत्र जग्गा माली सा. इन्दोदा

ह॰
जिला कलेक्टर, टोंक